त्रयोदश माला, खंड 31, अंक 4

FOR REFE...

गुरूवार, 20 फरवरी, 2003
1 फाल्गुन, 1924 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. ...55...
Date ...20/4/03...

(खण्ड 31 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्या सागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

अजीत सिंह यादव
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 31, बारहवां सत्र, 2003/1924 (शक)]

अंक 4, गुरुवार, 20 फरवरी, 2003/1 फाल्गुन, 1924 (शक)

विषय			कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर			
	*तारांकित प्रश्न संख्या	41 से 43 और 45 तथा 46	3-31
प्रश्नों के लिखित उत्तर			
	तारांकित प्रश्न संख्या	44 और 47 से 60	31-71
	अतारांकित प्रश्न संख्या	376 से 605	71-336
सभा पटल पर रखे गए पत्र			336-337
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति			
	तीसवां प्रतिवेदन		337
समितियों के लिए निर्वाचन			
	(एक)	प्राक्कलन समिति	337
	(दो)	लोक लेखा समिति	338
	(तीन)	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	339
	(चार)	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	340
सदस्यों द्वारा निवेदन			
	(एक)	एच.पी.सी.एल. और बी.पी.सी.एल. के विनिवेश के बारे में	342-360
	(दो)	देश में पीटा के कथित दुरुपयोग के बारे में	360-370
	(तीन)	देश में किसानों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में	374-379
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना			
	भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित बोतल बंद पेयजल में खनिकारक पदार्थों के अवशिष्टों का कथित रूप से पता लगाना		
		श्री नरेश पुगलिया	379
		श्रीमती सुषमा स्वराज	379
		श्री रामजीवन सिंह	383
		श्री जी०एम० बनातवाला	385
कार्य मंत्रणा समिति के छियालिसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव			396

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय		कॉलम
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक)	मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं के पुनरुद्धार के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री प्रहलाद सिंह पटेल	397
(दो)	उत्तर प्रदेश में गोंडा-बहराइच रेल लाइन का आमान परिवर्तन करने और इसे मैलानी तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
	श्री पद्मसेन चौधरी	398
(तीन)	देश में गौ-वध पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधान बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री थावर चन्द गेहलोत	398
(चार)	सूखे से प्रभावित राजस्थान को गेहूं का अतिरिक्त कोटा जारी किए जाने की आवश्यकता	
	श्री राम सिंह कस्वां	399
(पांच)	उड़ीसा के कालाहांडी जिले में अपर इन्द्रावती परियोजना की तीसरी नहर प्रणाली पर एआईवीपी कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता	
	श्री विक्रम केशरी देव . .	399
(छह)	पर्यावरण के क्षरण को रोकने के लिए राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला में खनन क्षेत्रों में वृक्षारोपण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री भेरू लाल मीणा	400
(सात)	महाराष्ट्र में सूखे की भीषण स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री विलास मुत्तेमवार	400
(आठ)	उड़ीसा के ढेंकानाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ब्राह्मणी नदी पर हाई लेवल पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री के०पी० सिंहदेव	401
(नौ)	देश में विशेष रूप से केरल में बागान उद्योग के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रमेश चेन्नितला	401
(दस)	केरल में सामरिक महत्व के खनिजों के खनन के निजीकरण के कदम को रोके जाने की आवश्यकता	
	श्री पी० राजेन्द्रन	402

विषय कॉलम

(ग्यारह) देश में औद्योगिक श्रमिकों के सामने आ रही समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील खां 40

(बारह) पश्चिमी बंगाल में सुन्दरवन क्षेत्र में दुर्गाद्वनी लघु जल-विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए राजसहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल 403

विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक—*पारित*

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री ईश्वर दयाल स्वामी 404

श्री शिवराज वि० पाटील 405

श्री अनादि साहू 408

डा० रामचन्द्र डोम 412

डा० एम०वी०वी०एस० मूर्ति 415

श्री राशिद अलवी 417

श्री दिलीप संघाणी 420

श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन 421

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह 424

श्री रघुनाथ झा 428

डा० नीतिश सेनगुप्ता 431

श्री खारवेल स्वाइं 433

सरदार सिमरनजीत सिंह मान 437

श्री रामदास आठवले 440

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर 441

खंड 2, 3 और 4 450

पारित करने के लिए प्रस्ताव 450 452

लोक सभा

गुरुवार, 20 फरवरी, 2003/1 फाल्गुन, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, एच०पी०सी०एल० और बी०पी०सी०एल० *(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, हमने भी नोटिस दिया है। *(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : विनिवेश के बारे में हम लोगों ने लिखकर दिया है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप पहले एक मिनट बैठिए।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, विनिवेश के बारे में हम लोगों ने भी आपको लिखकर दिया है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कल मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। राष्ट्रीय हितों को किस तरह से दर-किनार किया जा रहा है, यह उससे स्पष्ट हो जाता है। *(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, एच०पी०सी०एल० और बी०पी०सी०एल० का जो विनिवेश होने जा रहा है, वह न तो देश हित में है और न ही देश की सुरक्षा के हित में है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको जीरो-आवर में समय दूंगा। शून्य-काल में आप अपनी बात कह सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, सरकार की नीति के चलते करोड़ों लोग अंधकार में हैं। इसलिए विनिवेश मंत्रालय का नाम बदल कर राष्ट्रीय संपत्ति बेचो मंत्रालय रख दिया जाए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर कल चर्चा हुई थी। आप यह भी जानते हैं कि इस विषय पर फिर चर्चा होने वाली है। मैं आपको शून्य-प्रहर में इस विषय को उठाने की इजाजत दूंगा। इसलिए अब कृपया आप बैठिए।

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपकी मार्फत सरकार से विनम्र आग्रह करना है कि पोटा का जिस तरह बेजा इस्तेमाल हो रहा है। *(व्यवधान)*

श्री सईदुज्जमा (मुजफ्फरनगर) : अध्यक्ष महोदय, राजनीतिक दबाव डालने के लिए पोटा का इस्तेमाल किया जा रहा है।

[illegible]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, पोटा का दुरुपयोग हो रहा है। कल राज्य सभा में माननीय गृह मंत्री जी ने बयान दिया था। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्थगन प्रस्ताव से संबंधित आपके नोटिस को स्वीकार नहीं किया है। मैंने उसे अस्वीकार कर दिया है। स्थगन प्रस्ताव से संबंधित सभी नोटिसों को अस्वीकार कर दिया गया है। अब प्रश्न काल की कार्यवाही आरंभ की जाएगी। प्रश्न सं० 41 श्री राम मोहन गाड्डे।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात कह देता हूं। मुझे यह निवेदन करना है कि राज्य सभा में कल गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया वह अत्यधिक निराशाजनक है। इस सरकार ने यह वायदा किया था कि किसी भी कीमत पर पोटा का दुरुपयोग नहीं होगा। विभिन्न राज्य सरकारें आज पोटा का दुरुपयोग कर रही हैं और भारत सरकार के गृह मंत्री यह कह रहे हैं कि पोटा का दुरुपयोग कहां हो रहा है, उसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जब टाडा का दुरुपयोग हुआ था, तो उस समय भारत सरकार ने एक समीक्षा समिति बनाई थी। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं। मैं आपको इस विषय को उठाने के लिए शून्य-प्रहर में समय दूंगा। कृपया आप बैठिए।

प्रश्न संख्या 41.

पूर्वाह्न 11.04 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

+

*41. **श्री नरेश पुगलिया :**
श्री राम मोहन गाद्दे :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने हेतु कुछ उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में पेट्रोलियम क्षेत्र में इस समय कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है; और

(ग) पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) पेट्रोलियम क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में और अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार इस क्षेत्र को एक सतत आधार पर उदार बनाती आ रही है। इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण उपायों में निम्नलिखित हैं :–

1. नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन०ई०एल०पी०) और कोल बेड मिथेन (सी०बी०एम०) नीति के तहत अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी गई है।

2. पेट्रोलियम शोधन क्षेत्र में, भारतीय निजी कंपनियों के मामले में, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की 100% तक अनुमति है। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के मामले में, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अंशधारिता पर 26% और सार्वजनिक धारिता पर 48% के सा. 26% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है।

3. पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन क्षेत्र के लिए 51% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है।

4. विपणन और पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन से संबंधित बुनियादी सुविधाओं में 74% तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है।

5. बाजार अध्ययन और प्रतिपादन के उद्देश्य के लिए 100% पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की अनुमति है।

6. निवेश/वित्तपोषण के लिए 100% पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की अनुमति है।

7. वास्तविक व्यापार और विपणन के लिए 5 वर्ष के लिए 26% भारतीय इक्विटी की आवश्यकता है।

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दौरान 23,413.63 करोड़ रुपए के अनुमानित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ पेट्रोलियम क्षेत्र में 166 प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया गया है। पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आगम के लिए कोई अलग लक्ष्य नियत नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

श्री नरेश पुगलिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो फारेन डायरैक्ट इनवैस्टमेंट पेट्रोलियम सैक्टर में हो रहा है और खासकर रिप्लाई में जो जवाब दिया गया है, उसके अनुसार नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दौरान 23,413.63 करोड़ रुपए के अनुमानित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ पेट्रोलियम क्षेत्र में 166 प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया गया है।

अध्यक्ष जी, देश के अंदर पैट्रोलियम गुड्स की काफी कमी है। उसे हम लोग भारी मात्रा में इम्पोर्ट करते हैं और उसके लिए हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी भारी मात्रा में जाता है। केन्द्र सरकार ने और खास कर इंडस्ट्री सैक्रेट्री, श्री वी० गोविन्द राजन ने अपनी जो रिपोर्ट सबमिट की थी, उसमें इन्होंने इसके रिफार्म के विषय में तथा डायरेक्ट फॉरेन इनवेस्टमेंट के बारे में सूचनाएं दी थीं। मंत्री जी ने अपने उत्तर में डिटेल जानकारी नहीं दी है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पिछली बार प्रधान मंत्री जी ने भी आपको एक पत्र लिख कर मीटिंग बुलाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। उस मीटिंग में पी०एम० भी थे तथा फाइनेंस मिनिस्टर, पैट्रोलियम मिनिस्टर एवं अन्य मंत्री भी थे। उस मीटिंग में 10वें प्लान में ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इनवेस्टमेंट इस पैट्रोलियम सैक्टर में हो, इस पर चर्चा हुई थी। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सीधे अपना प्रश्न पूछिए।

श्री नरेश पुगलिया : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न और उत्तर दोनों साथ होंगे तो प्रश्न ज्यादा समझ में आ सकता है। मैं सभी माननीय सदस्यों से को विनती कर रहा हूं कि प्रश्न भी छोटा होना चाहिए और उत्तर भी प्वाइंटेड होना चाहिए। इसका फायदा सारे सदन के माननीय सदस्यों को हो सकता है।

श्री नरेश पुगलिया : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री जी ने जो मीटिंग बुलाई थी, उसमें जो डिसकशन हुए, उसमें आपने फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्टमेंट के विषय में क्या निर्णय लिया। देश में अभी तक जिन लोगों ने जो डायरेक्ट फॉरेन इनवेस्टमेंट के माध्यम से तेल और गैस की खोज के लिए प्रबंध किए, उसमें जिन कम्पनियों को इनवाइट किया गया, उनमें से किन-किन कम्पनियों ने खोज चालू की है, उसके परिणामस्वरूप हमें देश में अभी तक कितने भंडार प्राप्त हुए, उसकी जानकारी मंत्री जी संसद सदस्यों और इस सदन को दें और यह भी बताएं कि उनमें देशी और विदेशी कितनी कम्पनियां हैं?

[अनुवाद]

श्री राम नाईक : महोदय मैंने पहले ही अपने लिखित उत्तर में अपेक्षित और महत्वपूर्ण जानकारी दे दी है जिसे मैं केवल दोहराना चाहूंगा ताकि इस मामले को अच्छी तरह समझा जा सके।

तेल की खोज करने के मामले में हम अब शत-प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति देते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय बोली आमंत्रित की जाती है। सभी प्रकार, कोल-बेड मीथेन के लिए शत-प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आमंत्रित किया जाता है।

गत तीन वर्षों में तेल तथा गैस की खोज और उत्पादन के संबंध में हमने 70 ब्लॉकों का चयन किया है और वहां पर कार्य पहले ही आरंभ हो चुका है।

इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री ने एक बैठक की जिसमें पेट्रोलियम मंत्रालय ने तेल की खोज और उत्पादन के संबंध में उसके द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में एक अभ्यावेदन दिया। यह मुद्दा कि हमारे पास महत्वपूर्ण भंडार होने चाहिए जो कि पहले का विचार था पर भी चर्चा की गयी।

जहां तक खोज और उत्पादन का संबंध है सभी इस बात से प्रसन्न थे कि गत तीन वर्षों से हम सही दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना में अब तक 166 प्रस्ताव/परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं। इस मद में कुल व्यय 23,413 करोड़ रुपये के बराबर है। लगभग इतनी धनराशि का निवेश किया गया है।

तेल की खोज पर कुल निवेश लगभग 11,400 करोड़ रुपए है। इससे पता चलता है कि हम किसी सक्रियता से कार्य कर रहे हैं।

महोदय, विदेशी कंपनियों की कुल संख्या के संबंध में सब मिलाकर 14 विदेशी कंपनियों ने भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अधीन अपना पैसा लगाया है।

श्री विलास मुत्तेमवार : निजी कंपनियों के बारे में क्या स्थिति है? *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नरेश पुगलिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने अनुपूरक प्रश्न में मंत्री जी से पूछा था कि इस काम में प्राईवेट और फॉरेन कितनी कम्पनियां लगी हैं। आपने फॉरेन कंपनियों के बारे में जानकारी दी, लेकिन प्राईवेट कम्पनियों के बारे में नहीं दी। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अभी जो एफ०डी०आई० और लोकल इंडियंस के माध्यम से नौवें प्लान में सर्वे किया गया है, उसमें गैस और तेल की टोटल खोज कितनी हुई है और इसके उत्पादन में कितनी बढ़ोत्तरी आगे एक्सपेक्टेड है? खास-कर आने वाली इराक वार को देखते हुए क्या हालत होगी, आप स्पष्ट करें। अगर इराक वार होती है तो हमारे देश के अन्दर एटलीस्ट दो महीने का स्टाक हमारे पास रिजर्व रखने के लिए आपने क्या प्रबंध किये हैं, उसकी जानकारी आप सदन को दें।

श्री राम नाईक : इराक में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ऐसी सब की राय है। इस सदन की भी राय है और यू०एन०ओ० में भी इसके बारे में प्रयास चल रहे हैं। लेकिन इस प्रकार की अगर कोई बात होती है तो मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि लगभग दो महीने हम इसी के आधार पर, जो हमारे पास स्टाक्स हैं, जो हमने और परचेज करने के निर्णय किये हैं और यदि युद्ध होता है तो जिसे हम वार जोन कहते हैं, वे देश छोड़कर दूसरी जगह से भी, यदि मैं अंग्रेजी शब्द का उपयोग करूं, तो कंटिंजेंसी प्लान भी हमने बनाया है। इसलिए दो महीने तक किसी को चिन्ता करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतें कैसे उछल जाएंगी, यह कहना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि कल 29 महीने में सबसे ज्यादा कीमत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हो गई, लेकिन कीमतें बढ़ना और माल उपलबध होना अलग-अलग बात है। माल उपलब्ध होने की गारण्टी हम निश्चित तौर पर दे रहे हैं। आपने जो स्ट्रेटेजिक स्टाक की बात की तो पहले हमने 15 दिन का स्ट्रेटेजिक स्टोर करने की दृष्टि से इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड ने योजना बनाई थी। *(व्यवधान)*

श्री नरेश पुगलिया : मेरे प्रश्न के 'ए' पार्ट का उत्तर आपने अभी तक नहीं दिया। मैंने पूछा था कि हमने विदेशी निवेश के कारण तेल की खोज अथवा गैस की खोज में और उसके उत्पादन में कितना फॉरेन डायरैक्ट इन्वैस्टमेंट किया है?

श्री राम नाईक : फॉरेन डायरैक्ट इन्वैस्टमेंट कितना आ रहा है, यह मैंने आपको बताया। प्राइवेट इन्वैस्टमेंट कितना होगा, यह भी आपने

कहा। फॉरेन डायरैक्ट इन्वैस्टमेंट के आंकड़े मेरे पास हैं। देश में कितनी कम्पनियों ने कितनी पूंजी लगाई है, वह निकालकर मैं आपको अलग से दे सकता है, लेकिन प्राइवेट कम्पनीज के आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं। देश के पब्लिक सैक्टर, अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट कम्पनीज अच्छी तरह से इसमें काम कर रहे हैं, इतना मैं कह सकता हूं।

तीन फरवरी को प्रधानमंत्री जी के यहां जो मीटिंग हुई, उसमें हमने यह निर्णय लिया है कि अन्ततोगत्वा 45 दिन का स्टाक हमारे पास रहे, इस प्रकार की हम योजना बनायें। यह योजना बनाने के लिए उचित कंसलटेंसी का विचार करके एक कमेटी ऑफ सैक्रेटरीज के जरिये यह निर्णय जल्दी से जल्दी करें, ऐसा उस दिन की मीटिंग में तय हुआ है।

श्री रामदास आठवले : माननीय अध्यक्ष महोदय *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका नाम किरीट सोमैया है क्या?

श्री किरीट सोमैया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

माननीय मंत्री जी ने जो बताया, एफ०डी०आई० एप्रूवल में यह ऑब्जर्व किया गया है कि

[अनुवाद]

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अनुमोदन और वास्तविक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के बीच काफी बड़ा अंतर है।

[हिन्दी]

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि एक्चुअल एण्ड फैक्चुअल इन्वैस्टमेंट कितना हुआ है? उसमें मार्केटिंग सैगमेंट में कितने लोगों ने इण्टरैस्ट दिखाया और कितना एक्चुअल इन्वैस्टमेंट किया, एक्सप्लोरेशन में कितना किया और रिफाइनरी क्षेत्र में कितना किया?

[अनुवाद]

मुख्य क्षेत्र विपणन है। मुख्य क्षेत्र तेल की खोज और शोधन है।

[हिन्दी]

उसके साथ, मैं मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या इंडियन कम्पनीज में इतनी कैपेसिटी है, क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से 2-3 ही इंडियन कम्पनीज पैट्रोलियम सैक्टर में इंटरैस्ट ले रही हैं। उनमें से एक तो ऑलरेडी डिफाल्टिंग कम्पनी है। इंडियन कम्पनीज की क्षमता और उनका जो एक्चुअल स्टेटस है, उसके बारे में भी आप जानकारी दें?

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, वैसे किसी भी सैक्टर में कितने एप्रूवल को मान्यता दी और कितना खर्च किया गया, उसमें अन्तर होता ही है, लेकिन तेल क्षेत्र में इसमें विशेष अन्तर होता है, क्योंकि सर्वे करने के लिए कि यहां तेल या गैस है या नहीं है, यह पहले देखना पड़ता है। उसके बाद बिड्स मंगाई जाती है, कांट्रेक्ट दिये जाते हैं। फिर सर्वे होने के बाद प्रत्यक्ष काम करने के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए जाते हैं।

उसके लिए भी दो से तीन वर्ष लगते हैं। जब यह सिद्ध हो जाता है कि यहां गैस या तेल है तो व्यापारिक उत्पादन करने के लिए और तीन से चार वर्ष लगते हैं। इसलिए नौंवी पंचवर्षीय योजना में कितने एप्रूवल्स हैं, वह मैंने बताये हैं। व्यवहार में आने के लिए उसे स्वभावत: पांच से सात वर्ष लग जाते हैं।

जहां तक भारतीय कम्पनियों की क्षमता के बारे में माननीय सदस्य ने कहा, भारतीय क्षेत्र में अच्छी केवल दो या तीन कम्पनियां ही नहीं हैं बल्कि उससे ज्यादा कम्पनियां काम करती हैं। पब्लिक सैक्टर में भी काम करती हैं।

श्री किरीट सोमैया : पब्लिक सैक्टर के अलावा और कौन सी भारतीय कम्पनियां हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि एफ०डी०आई० के बारे में आपके पास कोई जानकारी है तो उसे आप बता दें। अब उसमें एक्चुअल क्या है या फैक्चुअल क्या है, वह भी बतायें? इसके अलावा वे कब सैंक्शन हुए और कितने हुए, उसके बारे में यदि आप बाद में भी जानकारी देंगे तो वह भी चलेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि इसमें समय लगेगा।

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : टेक्नीकल या टाइम का सवाल नहीं है। हम दूसरे क्षेत्रों के भी जानकार हैं। टेक्नीकल रीजन्स के कारण कितना टाइम लगता है।

[अनुवाद]

उन्हें बाद में उत्तर देने दीजिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह जानकारी दी कि वास्तविक निवेश किए जाने में 2-3 वर्ष का समय लगेगा।

[हिन्दी]

आपको और क्या चाहिए?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इतने समझदार हैं।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : अब रेल मंत्री हमसे सवाल नहीं पूछ सकते, इसीलिए किसी और को दीजिए।

जहां तक मैं क्षमता की बात कर रहा था, वास्तव में अपने यहां अच्छी कम्पनियां काम कर रही हैं। यह मानना चाहिए कि विदेश से जितनी पूंजी आनी चाहिए, वह कई कारणों से नहीं आई फिर भी अपने यहां के लोग अच्छा काम कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री ज्योतिरादित्य मा० सिंधिया : धन्यवाद। हम सभी जानते हैं, जैसा कि हमारे मित्र श्री किरीट सोमैया ने कहा तेल क्षेत्र दो क्षेत्रों में बंटा हुआ है खोज और उत्पादन, शोधन और विपणन। इन दोनों के बीच खोज और उत्पादन सर्वाधिक पूंजी लागत वाला क्षेत्र है। इसमें हमारे यहां सरकारी क्षेत्र की दो कंपनियां ओ०एन०जी०सी० और ओ०आई०एल० निवेश कर रही है।

ओ०एन०जी०सी० ओ०एन०जी०सी० विदेश के माध्यम से तेल की खोज कर रहा है। खोज की दर बहुत ऊंची है परंतु उत्पादन की दर ऊंची नहीं है क्योंकि हमारे उत्पादन का स्तर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का नहीं है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि उत्पादन के क्षेत्र में नहीं बल्कि तेल की खोज के क्षेत्र में तेल भंडार की मात्रा बढ़ाने के लिए क्या योजनाएं हैं।

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि ओ०एन०जी०सी० के मामले में कल माननीय विनिवेश मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वे ओ०एन०जी०सी० का विनिवेश करने नहीं जा रहे। परंतु यह अत्यन्त बिडंबनापूर्ण है बात है कि एक ओर तो यह वक्तव्य दिया जा रहा है कि ओ०एन०जी०सी० का विनिवेश नहीं किया जाएगा और उसी समय विनिवेश के लक्ष्य में कमी को पूरा करने के लिए 'ओ०एन०जी०सी०' से 2000 करोड़ रुपये के लाभांश का दोहन कर लिया जाता है।

लाभांश का दोहन केवल तब किया जाता है जब निवेश का प्रतिफल उससे कम हो जो शेयरधारक अर्जित कर सकते हैं। क्या हम यह कह रहे हैं कि ओ०एन०जी०सी० उस निवेश पर प्रतिफल की वह दर अर्जित नहीं कर पा रहा है, जो निवेश सरकार कर रही है? मैं इसका उत्तर माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा।

श्री राम नाईक : ओ०एन०जी०सी० उत्कृष्ट और बढ़िया काम कर रहा है। यही कारण है कि वह अधिक लाभ अर्जित कर रहा है। जब वह अधिक लाभ अर्जित करता है तो स्वाभाविक रूप से लाभांश दिया जाता है। इस वर्ष हमने अंतरिम लाभांश का भुगतान भी किया है और जब अंतरिम लाभांश का भुगतान किया गया तो प्रमुख शेयरधारक होने के कारण सरकार को यह लाभांश प्राप्त होता है। इसलिए ओ०एन०जी०सी० लाभ अर्जित कर रही है।

श्री ज्योतिरादित्य मा० सिंधिया : यह 2000 करोड़ रुपए का प्रभार ओ०एन०जी०सी० से एक बार लिया जा रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप अपना उत्तर दें।

श्री राम नाईक : यही कारण है कि ओ०एन०जी०सी० को जो भी लाभ हुआ है उन्होंने उस पर शेयरधारकों के लिए लाभांश घोषित किया है। चूंकि ओ०एन०जी०सी० अच्छा कार्य कर रही है तथा 2600 करोड़ रुपए लाभांश सरकार ने प्राप्त किया है। हमें ओ०एन०जी०सी० के कार्य निष्पादन से खुश होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : डा० नीतिश सेनगुप्ता।

(व्यवधान)

श्री पी०एच० पांडियन : महोदय, वे अपना प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। मुझे एक प्रश्न पूछने दीजिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे बहुत अनुशासित माननीय संसद सदस्य हैं।

(व्यवधान)

श्री पी०एच० पांडियन : महोदय उनकी प्रश्न पूछने में रूचि नहीं है। मुझे एक प्रश्न पूछने दें। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उनके पड़ोसियों को भी उनसे सीखना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डा० सेनगुप्ता, क्या आप प्रश्न पूछना चाहते हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछें।

डा० नीतिश सेनगुप्ता : हां, मैं प्रश्न पूछूंगा। मेरा प्रश्न इराक के मुद्दे पर है।

इराक के मुद्दे पर हमारी एक दीर्घकालिक व्यवस्था रही है; एक त्रिपक्षीय व्यवस्था इराक, तत्कालीन सोवियत संघ अर्थात् वर्त्तमान रूस और भार के बीच था जिसकी वजह से हमें इराक से तेल की आपूर्ति होती थी जबकि तत्कालीन सोवियत संघ अर्थात् रूस अपने भंडार से

इराक को उसकी क्षतिपूर्ति करता था। अब इस व्यवस्था को पुन: आरंभ करने की बात हो रही है। इस समय इस संबंध में क्या स्थिति है?

श्री राम नाईक : महोदय, मैंने कहा कि हमने आकस्मिक योजनाएं बनायी हैं और मैं आशा करता हूं कि सदन कम से कम इस समय इन आकस्मिक योजनाओं को मुझे अपने तक ही सीमित रखने की अनुमति देगा। अन्यथा यदि हम यह घोषणा कर दें कि हम इसे कहां से लाने जा रहे हैं, संभवत: आपूर्ति में बाधा आ सकती है। इसलिए मैं सदन को यह आश्वासन दे रहा हूं कि कोई कठिनाई नहीं होगी। आकस्मिक योजनाएं तैयार कर ली गयी हैं और यदि युद्ध हुआ तो इन्हें निष्पादित किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुंदर लाल तिवारी, प्रश्न सं० 42।

श्री राम नाईक : महोदय, यह पेट्रोलियम मंत्री का दिन है। दूसरा प्रश्न भी मेरे लिए है।

[हिन्दी]

तेल भंडारण हेतु टैंकों का निर्माण

\+
*42. **श्री सुन्दर लाल तिवारी** :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में आपात स्थिति में तेल की आपूर्ति बनाए रखने के उद्देश्य से तेल भंडारण हेतु भूमिगत टैंकों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है और प्रस्तावित टैंकों की भंडारण क्षमता क्या होगी; और

(ग) टैंकों के निर्माण हेतु स्थानों का चयन कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (ग) सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार का यह प्रस्ताव है कि कच्चे तेल का 45 दिन का भंडार उपलब्ध कराने हेतु चरणों में व्यवस्था करने के लिए इसका कार्यनीतिक भंडारण किया जाए। आरम्भ में कच्चे तेल की आवश्यकता के 15 दिनों के भंडार की व्यवस्था करने के लिए भूमिगत कार्यनीतिक भंडार का निर्माण करने हेतु विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई हैं। सरकार इन परियोजनाओं पर तेजी से सारा काम पूरा करना चाहेगी। ये भंडार तेल कंपनियों द्वारा अपने सामान्य व्यावसायिक प्रचालनों के लिए रखे जाने वाले कच्चे तेल और उत्पाद के टैंकेजों से अतिरिक्त होंगे।

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब बहुत निराशाजनक आया है। 1995 से कच्चे तेल के भूमिगत भंडारण की बात चल रही है। 1998 में आपने निर्णय लिया कि देश में यदि कोई आपात स्थिति या विपरीत स्थितियां पैदा होती है तो हमें भूमिगत भंडारण करके देश की सुरक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि देश में तेल की कमी न आए। 1998 के बाद अब 2003 शुरू हो गया है लेकिन आज तक इस कार्य में कोई गति नहीं है, शिथिलता है और इस बीच देश के सामने कई विपरीत परिस्थितियां आई — कारगिल वार हुआ और देश में लड़ाई की स्थिति निरंतर बनी हुई है। कभी भी कुछ स्थिति पैदा हो सकती है। हमारे पड़ोसी देशों की आंख किस तरह गढ़ी हुई है, यह आप जानते हैं। लेकिन हम शिथिलता बरत रहे हैं। इसे आप कब शुरू करेंगे कब पूरा करेंगे, आपने यह स्थिति स्पष्ट नहीं की है। *(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कच्चे तेल का विपरीत परिस्थितियों में इस्तेमाल के लिए जो भंडारण करना है और टैंक बनाना है, इसका कार्य आप कब प्रारंभ करेंगे और कब पूर्ण करेंगे, कृपया स्पष्ट बताने का कष्ट करें?

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, 1995 में जो निर्णय लिए गए, उस समय के लोग उसे अमल में क्यों नहीं लाए, सरकार एक रहती है, यह मुझे भी मालूम है लेकिन अब हमने उस पर गंभीरता से विचार करके कार्यवाही शुरू की है। पहले हमने तय किया था कि 15 दिनों के लिए भंडारण करें। उसके लिए प्रोजैक्ट रिपोर्ट बनाई गई और अब सोचा कि 15 दिन के बदले 45 दिन के लिए कार्य हो। यदि 15 दिन के लिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की रिपोर्ट के अनुसार काम शुरू करेंगे तो उसके लिए जो खर्चा आएगा, उसमें केपिटल कॉस्ट लगभग 1,225 करोड़ रुपये और मेनटेनैंस कॉस्ट, क्योंकि उसको स्टॉक पर रखना पड़ेगा, इंटरस्ट देना पड़ेगा, वह लगभग 600 करोड़ रुपये है।

[अनुवाद]

परंतु जब हम 45 दिन के लिए भंडारण करते हैं। लागत लगभग 4350 करोड़ रुपए होगी और इन्वेंटरी की लागत, उसकी रख-रखाव

की लागत 1,800 करोड़ रुपए होगी। और जब हम उसमें कच्चा तेल भंडारित करेंगे, कच्चे तेल की लागत 15,600 करोड़ रुपए होगी। इसलिए यह एक बड़ी चीज है जिसे हमें करना है और पूरी गंभीरता से करना है, अब हमने इस दिशा में सोचना शुरू कर दिया है और हमने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। इसलिए आप यह मान सकते हैं कि कार्य शुरू हो गया है और हम इसे जितनी जल्दी संभव हो, पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए एकमात्र मुद्दा यह है कि संसाधन कैसे जुटायें। इस संबंध में दो विकल्प हैं जिसके बारे में मुझे सदन को विश्वास में लेना है। एक विकल्प यह है कि सरकार अनुदान दे क्योंकि अन्ततोगत्वा इन भंडारों की आवश्यकता राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए ही होगी। इसलिए कौन उसकी लागत वहन करेगा, क्या रक्षा मंत्रालय या ऐसी ही अन्य बातें ? यह भी एक मुद्दा है। इसलिए सरकार भी कुछ अनुदान दिया जा सकता है या कुछ उपकर भी लगाया जा सकता है। जब हम कोई नयी योजना बनाते हैं, हम आपके पास आयेंगे और उस पर आपका मार्गदर्शन लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि मुख्य प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है। इस पर और पूरक प्रश्न नहीं हो सकते। यह बहुत सीधा प्रश्न है और इसका उत्तर भी सीधा है।

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल तिवारी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अभी जवाब दिया है कि इस मामले में हमारी गाइडेंस ली जाएगी यानी। *(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : आपकी सलाह ली जाएगी। *(व्यवधान)*

श्री सुन्दर लाल तिवारी : खुद ही आप इतने सक्षम हैं कि सलाह की कोई जरूरत नहीं है लेकिन मेरा कहना है कि इसका भौतिक कार्य कब शुरू होगा और कब पूर्ण होगा, इसका जवाब माननीय मंत्री जी ने सदन को नहीं दिया है। हमारा दूसरा सप्लीमेंट्री क्वैश्चन यह है कि क्या माननीय मंत्री जी ने इस संबंध में रक्षा मंत्रालय से चर्चा की है, क्या माननीय प्रधान मंत्री जी से चर्चा की है और इसके स्रोत या पैसे कहां से आएंगे, इस विषय में क्या कोई निर्णय लिया गया है और कब तक यह निर्णय लेंगे और कब इस काम को पैसे अलॉट करके काम शुरू करने की स्थिति होगी? इसके लिए क्या स्थान चुनेंगे और क्या इस संबंध में रक्षा मंत्रालय से कोई बातचीत हुई है?

श्री राम नाईक : इसके संबंध में रक्षा मंत्रालय से चर्चा हुई है। माननीय प्रधान मंत्री जी के सामने हमने जो प्रेजेंटेशन दिया था, उस समय वित्त मंत्री जी भी वहां उपस्थित थे और जो भी जानकारी या विचार-विनिमय होना चाहिए, वह उस लेवल पर हुआ है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मेरी क्षमता के बारे में कहा कि मुझमें क्षमता है और मैं काम ठीक कर रहा हूं। *(व्यवधान)*

श्री सुन्दर लाल तिवारी : लेकिन लोग नहीं मानते हैं। *(व्यवधान)*

श्री राम नाईक : देश की रक्षा के लिए केवल हमारे मित्र या हमारे मंत्री ही नहीं, बल्कि आप लोग भी हमारी बात मानेंगे, इस बारे में मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। जब देश की रक्षा का सवाल आता है तो हम सब एकजुट होकर विचार-विनिमय करते हैं और इसलिए मैंने कहा कि हम सबकी सलाह लेंगे। जहां तक स्थान का संबंध है, कुछ स्थान हमने तय किए हैं और फिर इसमें भी वही बात आएगी कि ऐसे स्थानों की ऐसे समय सार्वजनिक तौर पर घोषणा करना जबकि प्लान बन रहा है, वह उपर्युक्त नहीं है। स्थानों के बारे में भी रक्षा मंत्रालय से विचार-विनिमय करके तय किया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री पी०एच० पांडियन : महोदय, इस प्रश्न से मंत्री जी को असुविधा नहीं होनी चाहिए। खाड़ी युद्ध के दौरान सरकार ने एक उपकर लगाया था किन्तु युद्ध समाप्त होने के बाद इसे हटाया नहीं गया था। कुछ अखबारों से छपी खबर से ऐसा पता चल रहा है कि सरकार 1 मार्च से पैट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना चाहती है। जब सरकार के पास 45 दिन का भंडार उपलब्ध है तथा पर्याप्त मात्रा में आयात भी किया गया है तो पैट्रोलियम के दाम बढ़ाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि इससे उपभोक्ताओं पर भारी बोझ पड़ता है? गैस के लिए भी ऐसी ही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। एक बार कीमत बढ़ा दी जाती है किन्तु युद्ध के समाप्त होने के बाद भी उसे कम नहीं किया जाता है।

श्री राम नाईक : मैं कहता हूं कि प्रश्न बिलकुल अटकलों पर आधारित है। अभी बजट आना है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सांकेतिक प्रश्न है।

श्री राम नाईक : वित्त मंत्री 1 मार्च को बजट प्रस्तुत करेंगे तब पता लगेगा कि उत्पाद-शुल्क और आयात-शुल्क कितना है। फिर तेल कंपनियां, जो दिन-प्रतिदिन की दरें निर्धारित करती हैं, दरें निर्धारित करेंगी। सरकार दर निर्धारित नहीं करती है। सरकार केवल उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क को होने वाले घट-बढ़ पर ध्यान देती है तथा ऐसी घट-बढ़ होने की स्थिति में सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि उपभोक्ताओं पर मूल्य वृद्धि का प्रभाव न पड़े और हमने यह किया है। केरोसीन और रसोई गैस के बारे में सबको पता ही है।

अध्यक्ष महोदय : आपको ऐसे सांकेतिक प्रश्न का विस्तृत उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री राम नाईक : मैं सिर्फ यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि इस अवस्था में इसमें कोई वृद्धि न हो। हम 1 मार्च के बाद ही स्थिति की समीक्षा करेंगे और फिर निर्णय लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 43.

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, हमें भी कुछ पूछना है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ जी, इसमें ऐसा कुछ जानने के लिए था ही नहीं।

श्री प्रभुनाथ सिंह : यह तो जब हम प्रश्न पूछते, तब आप जानते कि क्या था। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ जी, आप बैठिए। मैं आपको अगली बार मौका दूंगा। रेलवे का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर मैं आपको मौका दूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अजीत कुमार पांजा : महोदय, मैंने भी एक नोटिस दिया है और मुझे बहुत छोटा सा उत्तर चाहिए। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : नहीं सर, तब तो हम लोगों का सुबह स्लिप भेजना बेकार है। *(व्यवधान)* हमने स्लिप आपके यहां सुबह भेजी है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : देखिए, मेरे पास यहां पांच लोगों की स्लिप है। मैं सभी को परमिशन नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : आप किसी रोज परमीशन नहीं देंगे लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी दिन भी परमीशन नहीं देंगे। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत मौके मिलते हैं। मैं आगे आपको चांस दूंगा। मैं आगे आपको रेलवे के प्रश्न पर दूंगा। रेलवे का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : नहीं सर। यह हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। *(व्यवधान)* यह कैसी बात हुई। हमने कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस आपको दिया था। आपने कहा कि शून्य काल में इसे उठाएं। हम भी और लोगों की तरह उसे लेकर आपके यहां आ सकते थे, लेकिन हम आपके आदेश की अनुपालना एक अनुशासित विद्यार्थी की तरह करते हैं। जब हम स्लिप देते हैं तो आप ध्यान नहीं देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं और मैं भी बहुत अच्छा अध्यापक हूं इसलिए मुझे सुनें।

श्री प्रभुनाथ सिंह : इसीलिए हमें कष्ट है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं होगा, आप बैठिए। आप अच्छे विद्यार्थी हैं और मैं अच्छा शिक्षक हूं।

[अनुवाद]

श्री अजीत कुमार पांजा : महोदय, मैंने एक पर्ची दी है। मैं एक सीधा-सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या पूर्वी क्षेत्र में भी ऐसे कार्यनीतिक भंडारण टैंक दिए जाएंगे क्योंकि मणिपुर से पश्चिम बंगाल सीमा में सुंदर वन क्षेत्र तक इसकी भारी कमी है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप इन्हें लिखित उत्तर दे सकते हैं।

श्री राम नाईक : ठीक है, महोदय।

भारत-ईरान पाइपलाइन परियोजना

+

*43. **श्री विलास मुत्तेमवार :**
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 जनवरी, 2003 के ''दि इंडियन एक्सप्रेस'' समाचार-पत्र में 'इंडिया-ईरान पाइपड्रीम इज क्वाइट्ली बरीड इन दिल्ली'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके और ईरानी राष्ट्रपति एवं उनके तेल मंत्री के बीच एक बैठक हुई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या ईरानी नेताओं के साथ पाइपलाइन बिछाने से संबंधित मुद्दे पर चर्चा हुई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या प्राकृतिक गैस हेतु गहरे समुद्र में पाइपलाइन बिछाना खर्चीला, असुरक्षित है और तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं है; और

(च) यदि हां, तो भारत में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति हेतु दोनों देशों के बीच किन वैकल्पिक प्रबंधों पर चर्चा और सहमति हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) से (च) सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (च) जी, हां। ईरान के राष्ट्रपति की भारत की हाल की यात्रा के दौरान ईरान के ऊर्जा मंत्री के साथ 25 जनवरी, 2003 को एक बैठक आयोजित की गई थी। भारत और ईरान के बीच प्राकृतिक गैस और एल०एन०जी० सहित हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में परस्पर सहयोग के लिए 27 जनवरी, 2003 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पहले, द्विपक्षीय सहयोग के तहत भारत-ईरान संयुक्त समिति ने ईरान से प्राकृतिक गैस के आयात के लिए सारे विकल्पों की जांच करने में उसे सहायता प्रदान करने हेतु एक संयुक्त तकनीकी उप-समिति का गठन किया था। संयुक्त समिति ने पाकिस्तान के अनन्य आर्थिक क्षेत्र से बाहर ईरान से भारत तक पाइपलाइन बिछाने के लिए एक अपतटीय व्यवहार्यता अध्ययन आरम्भ करने का निर्णय लिया था। भारत से गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल) और ईरान से राष्ट्रीय ईरानी गैस निर्यात कंपनी (एन०आई०जी०ई०सी०) को संबंधित सरकारों द्वारा पाइपलाइन परियोजना के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में नामित किया गया है। तदनुसार गेल और एन०आई०जी०ई०सी० ने ईरान से भारत तक पाइपलाइन के लिए एक अपतटीय पाइपलाइन व्यवहार्यता अध्ययन संयुक्त रूप से आरम्भ किया है। परियोजना आरम्भ करने का निर्णय, परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता और आर्थिक साध्यता पर निर्भर करेगा। ईरान से भारत तक पाकिस्तान के रास्ते जमीनी पाइपलाइन के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी चाहता हूं।

श्री विलास मुत्तेमवार : हमने मंत्री महोदय से अपने प्रश्नों के संबंध में केटेगेरीकली जवाब मांगे थे। लेकिन मंत्री महोदय ने सारे प्रश्नों को एक साथ मिला दिया है, जिससे हमारा समाधान नहीं हो रहा है। भारत-ईरान पाइपलाइन परियोजना एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी। लेकिन हाल के घटनाक्रम से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने इसे फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है। उसकी खबर किसी को कानों-कान नहीं होने दी। इसके पीछे कौन से तत्व काम कर रहे हैं। या किनका हाथ है, यह भी सरकार बताने के लिए तैयार नहीं है। सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई सफाई देने की भी आवश्यकता नहीं समझी है। मैं मंत्री महोदय से इस बारे में जानना चाहूंगा कि क्या पाकिस्तान ने इस परियोजना पर कोई आपत्ति की थी, यदि हां, तो उस आपत्ति के क्या कारण थे? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से इस मुद्दे पर किस स्तर पर बातचीत की है? क्या वार्तालाप के द्वारा या अन्य किसी तरीके से कोई समाधान निकालने का प्रयास किया गया, ताकि पाकिस्तान इस पाइपलाइन परियोजना पर आपत्ति न करे और ईरान इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए अपना सहयोग दे सके? मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा

अध्यक्ष महोदय : दूसरे प्रश्न में पूछें, क्योंकि पहला प्रश्न बहुत लम्बा हो गया है।

श्री विलास मुत्तेमवार : यह इसी से सम्बन्धित है। क्या ईरान ने पाकिस्तान पर दबाव डालने का प्रयास किया, ताकि इस पाइपलाइन परियोजना के बारे में वह अपना दृष्टिकोण बदले?

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, ए०टू०एफ० कई प्रश्न होते हैं, तभी हमने उनका समग्रता से उत्तर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप एक ही प्रश्न का उत्तर दें।

श्री राम नाईक : जहां तक पाकिस्तान ने कौन से विषयों पर आपत्ति की है, वगैरह-वगैरह जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछे हैं, मैं बताना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में पाकिस्तान से हमने कोई भी बात नहीं की है और हम करने वाले भी नहीं है। इस परियोजना का लेनादेना ईरान से है। इस समय ऑनलाइन लाने की सम्भावना पर चर्चा नहीं हो रही है। ईरान के साथ चर्चा होकर एम०ओ०यू० बनाकर तय हुआ है कि वह पाइपलाइन समुद्री मार्ग से आ सकती है। उसके लिए एस्टीमेट बनाने का काम इस समय ईरान की नेशनल ऑयल कम्पनी और भारत की गेल कम्पनी मिलकर कर रही हैं। उसके एस्टीमेट बनाने और सर्वे का काम इस समय चल रहा है।

श्री विलास मुत्तेमवार : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के जवाब में कहा कि परियोजना आरम्भ करने का निर्णय परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता और आर्थिक साध्यता पर निर्भर करेगा। ईरान से भारत तक पाकिस्तान के रास्ते जमीनी पाइपलाइन के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है, एक तरफ तो आप ऐसा कहते हैं, दूसरी तरफ संयुक्त समिति ने पाकिस्तान के अनन्य आर्थिक क्षेत्र से बाहर ईरान से भारत तक पाइपलाइन बिछाने के लिए एक अपतटीय व्यवहार्यता आरम्भ करने का निर्णय लिया था तथा भारत से गेल और ईरान से राष्ट्रीय ईरानी गैस निर्यात कंपनी को सम्बन्धित सरकारों द्वारा पाइपलाइन परियोजना के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में नामित किया गया है।

अगर यह निर्णय नहीं लिया गया है तो इन लोगों को नामित करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? पिछले माह जनवरी में ईरान के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए थे। उस समय उन्होंने भारत को सस्ती दरों पर गैस की आपूर्ति करने का और पाकिस्तान के रास्ते पाइपलाइन बिछाने का नया रूट प्रपोज किया गया था। क्या गैस की आपूर्ति के लिए 1.8 डालर मिलियन मीट्रिक ब्रिटिश थर्मल यूनिट की कीमत, जो ईरान द्वारा पेशकश की गयी है, वह वर्तमान में सरकार द्वारा गैस के लिए दी जा रही कीमत से आधी है? साथ ही यह भी बताएं कि क्या सरकार ने किसी प्रकार की दुर्घटना की स्थिति में इस पाइप-लाइन के इंश्योरेंस के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था से विचार-विमर्श के लिए कोई योजना बनाई है? अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, मैं पहले ही बता चुका हूं कि जमीन मार्ग से पाइप-लाइन नहीं आ रही है, वह समुद्र में से आ रही है।

श्री विलास मुत्तेमवार : अध्यक्ष जी, समुद्र भी तो जमीन पर ही होता है।

श्री राम नाईक : अध्यक्ष जी, मैं यह जानता हूं कि समुद्र के पानी के नीचे जमीन होती है। जहां तक सवाल है कि हम क्या एस्टीमेट लगाने का काम कर रहे हैं, इस बारे में मुझे यह कहना है कि ईरान के राष्ट्रपति यहां आये थे और उनके साथ ईरान के ऊर्जा मंत्री और विदेश मंत्री भी यहां आये थे। ईरान के ऊर्जा मंत्री और विदेश मंत्री के साथ मेरी चर्चा हुई है। चर्चा के बाद हमने एक मैमोरैंडम आफ अंडरस्टैंडिंग यानी एम०ओ०यू० भी बनाया है। उसमें ईरान की ओर से और हमारी ओर से जो-जो विषय उठाने थे, वे हमने उठाये। उसके बाद यह तय हुआ कि अगले तीन महीने में मैं ईरान जाऊंगा और आगे की चर्चा वहां पर करेंगे और छोटी-मोटी तफसीलें पूरी करने के बाद काम आगे बढ़ाएंगे।

श्री विलास मुत्तेमवार : हम जानना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान की तरफ से तो इसमें कोई अड़ंगा नहीं डाला गया है?

श्री राम नाईक : मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस विषय पर हम पाकिस्तान के साथ चर्चा नहीं कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हम पिछले एक दशक से सुनते आ रहे हैं कि ईरान से कच्चा तेल लाने के लिए ईरान से भारत तक पाइप लाइन बिछाई जाएगी। पहला प्रस्ताव था कि इसे पाकिस्तान के रास्ते से लाया जाए। इसके लिए आकलन तथा तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता भी तैयार कर ली गई थी। किन्तु बाद में ईरान से पाकिस्तान होकर कच्चा तेल लाने के लिए पाइप लाइन बिछाने की योजना छोड़ दी गई। अब कहा गया है कि अभी जब ईरान के राष्ट्रपति 25 जनवरी को यहां थे तब ईरान से कच्चा तेल लाने के लिए समुद्री मार्ग से पाइप लाइन बिछाने के लिए उनके साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, पाइप लाइन बिछाने का यह निर्णय लिये के बाद से एक दशक पहले ही बीत चुका है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस परियोजना के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने में कितना समय लगेगा ताकि और अधिक विलंब किए बिना यह परियोजना शुरू की जा सके।

श्री राम नाईक : महोदय, जब तक सर्वेक्षण रिपोर्ट नहीं आ जाती और राशि का पता नहीं चल जाता तब तक यह कहना बहुत कठिन है कि परियोजना कब तक शुरू हो सकती है।

महोदय, संभवत: माननीय सदस्य का प्रश्न 'दि इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट पर आधारित है। मैं कहता हूं कि 'दि इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट सही नहीं है। इसके शीर्षक में कहा गया है, 'इंडिया-ईराक पाइप ड्रीम इज़ क्वाइटली बरीड इन देहली'। मैं सिर्फ यह कह सकता हूं कि यह सही नहीं है। यह तथ्यहीन खबर है और इसे यहीं दफ़न करना होगा ताकि सदस्यों में अनावश्यक भ्रम उत्पन्न न हो।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना ही सवाल है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी०एच० पांडियन : आप उन सदस्यों के नाम पुकार रहे हैं जिनके पास पूछने के लिए प्रश्न ही नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : पाइप लाइन से संबंधित प्रश्न पूछा जाना है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आठवले जी, आप अगर प्रश्न पूछने के लिए तैयार न हों, तो मत पूछिए।

श्री रामदास आठवले : महोदय, ईरान से भारत आने वाली पाइपलाइन पर जो खर्च होने वाला है, उसमें भारत का कितना हिस्सा है और ईरान का कितना हिस्सा है ?

श्री राम नाईक : महोदय, कुल मिलाकर कितना खर्च होने वाला है, उसके लिए कितना समय लगने वाला है और भारत का कितना हिस्सा उसमें होगा – इन सारी बातों के लिए पहले एस्टीमेट तैयार होगा और उसके बाद ही कुछ बता पायेंगे। तब तक आप और हम दोनों को रुकना पड़ेगा।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु निर्धारित मानदंड

*45. **श्री कैलाश मेघवाल :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा मैट्रिक के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को विभिन्न कक्षाओं, पाठ्यक्रमों तकनीकी और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं और विभिन्न राज्यों में ऐसे विद्यार्थियों को राज्य-वार कितनी राशि की छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है।

(ख) क्या भोजन, विद्यालय शुल्क, पुस्तकों आदि की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए छात्रवृत्ति की वर्तमान राशि बहुत कम है; और

(ग) यदि हां, तो छात्रवृत्ति की उक्त राशि में कब तक वृद्धि किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ० सत्यनारायण जटिया) : (क) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) और (ग) अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत अनुरक्षण भत्ते की दरों तथा योजना की अन्य शर्तों में संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

इसी प्रकार, अनुसूचित जनजातियों संबंधी योजना में संशोधन के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय मामले को प्रक्रियाबद्ध कर रहा है।

विवरण

I. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित विद्यार्थियों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए पूरे किए जाने वाले मानदंड निम्नलिखित हैं :–

1. भारत में मान्यताप्राप्त संस्थाओं में पढ़ाए जा रहे सभी मान्यताप्राप्त मैट्रिकोत्तर पाठ्यक्रम शामिल किए जाते हैं।

2. छात्रवृत्ति ऐसे विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है जो निम्नलिखित साधन परीक्षण पूरा करते हैं :–

वार्षिक आय सीमा	छात्रवृत्ति की स्वीकार्यता
49,000/-	पूरा अनुरक्षण भत्ता और पूरी फीस
65,290/-	(1) समूह 'क' में पाठ्यक्रमों के लिए पूरा अनुरक्षण भत्ता तथा पूरी फीस।
	(2) ख, ग, घ तथा ङ समूहों* में आधा अनुरक्षण भत्ता तथा पूरी फीस

*समूह क से ङ के अंतर्गत पाठ्यक्रमों का ब्यौरा

समूह	पाठ्यक्रम, संक्षेप में
'क'	मेडिकल (बी०ए०एम० एण्ड एस० आदि), इंजीनियरिंग कृषि, पशु-चिकित्सा, मात्स्यिकी आदि।
'ख'	मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि में डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम। पायलट लाइसेंस पाठ्यक्रम, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, नर्सिंग/फार्मेसी आदि में डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तरों के पाठ्यक्रम। विज्ञान विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम। व्यावसायिक तथा तकनीकी विषयों में अन्य डिप्लोमा पाठ्यक्रम।
'ग'	इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी आदि में सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम। कृषि, फार्मेसी, पशु-चिकित्सा, मात्स्यिकी, डेयरी विकास आदि में डिप्लोमा पाठ्यक्रम। शिक्षक प्रशिक्षण, पुस्तकालय विज्ञान, शारीरिक शिक्षा आदि में डिग्री/स्नातकोत्तर तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम। कला तथा वाणिज्य विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।
'घ'	स्नातक स्तर तक सामान्य पाठ्यक्रम (द्वितीय वर्ष तथा उससे आगे)
'ङ'	कक्षा 11 तथा 12 में 10+2 प्रणाली, इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम तथा स्नातक स्तर तक सामान्य पाठ्यक्रमों का प्रथम वर्ष।

II. इस योजना के अंतर्गत पाठ्यक्रम की पूर्ण अवधि के लिए छात्रवृत्ति की राशि में अनुरक्षण भत्ता, विकलांग छात्रों के लिए प्रावधान, लौटाया न जाने वाला अनिवार्य शुल्क प्रतिपूर्ति, अध्ययन दौरा शुल्क, शोध प्रबंध टंकण/मुद्रण शुल्क तथा पत्राचार पाठ्यक्रमों से अध्ययन करने वाले छात्रों को पुस्तक भत्ता शामिल है। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

(1) **अनुरक्षण भत्ता**

दिनांक 1.10.95 से लागू अनुरक्षण भत्ता दरों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

(रुपए प्रतिमाह)

समूह	दिनांक 1.10.95 से अनुरक्षण भत्ता	
	होस्टलवासी	दिवा छात्र
क	425	190
ख	290	190
ग	290	190
घ	230	120
ङ	150	90

(2) **शुल्क की प्रतिपूर्ति**

इस योजना में संस्थानों द्वारा वसूल किए गए वापस न किए जाने वाला अनिवार्य शुल्क की प्रतिपूर्ति का भी प्रावधान है।

(3) **अध्ययन यात्रा शुल्क**

इस योजना के अंतर्गत व्यावसायिक तथा तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को 500/- रु० तक अध्ययन यात्रा शुल्क देने का भी प्रावधान है।

(4) **शोध प्रबन्ध टंकण/मुद्रण शुल्क**

शोध छात्रों को अधिकतम 600/- रु० तक शोध प्रबंध टंकण/मुद्रण शुल्क का भी भुगतान किया जाता है।

(5) **पत्राचार पाठ्यक्रमों के तहत अध्ययन करने वाले छात्रों को भत्ता**

दूरस्थ तथा सतत् शिक्षा सहित पत्राचार पाठ्यक्रमों के तहत अध्ययन करने वाले छात्र अपने पाठ्यक्रम शुल्कों की प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त जरूरी/निर्धारित पुस्तकें प्राप्त करने के लिए 500/- रु० का वार्षिक भत्ता प्राप्त करने के पात्र होते हैं।

(6) **अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विकलांग छात्रों के लिए अतिरिक्त प्रावधान**

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विकलांग छात्रों के लिए निम्नलिखित प्रावधान 1.4.98 से लागू है :—

क. **दृष्टिहीन छात्रों के लिए पाठक भत्ता**

पाठ्यक्रम का स्तर	पाठक भत्ता (रु० प्रतिमाह)
समूह क, ख, ग	150
समूह घ	125
समूह ङ	100

ख. विकलांग छात्रों के लिए प्रतिमाह 100 रु० परिवहन भत्ते का प्रावधान, यदि वह छात्र उस होस्टल में नहीं रहता हो जो शिक्षण संस्था के परिसर में स्थित हो।

ग. लो एक्सट्रिमिटी विकलांगता वाले अत्यधिक विकलांग दिवा छात्रों के लिए प्रतिमाह 100/- रु० तक रक्षार्थी भत्ता।

घ. किसी शिक्षण संस्था के छात्रावास में रहने वाले किसी अत्यधिक अस्थि विकलांग छात्र को, जिसे किसी सहायक की सहायता की आवश्यकता हो, सहायता प्रदान करने के इच्छुक उस छात्रवास के किसी कर्मचारी के लिए प्रतिमाह 100/-रु० का विशेष वेतन अनुमत्य होगा।

ङ मानसिक मंदता वाले तथा मानसिक रूप में रूग्ण, छात्रों को अतिरिक्त कोचिंग प्रदान करने के लिए प्रतिमाह 150/-रु० का भत्ता।

(ख) से (घ) तक के प्रावधान कुष्ठरोग-मुक्त छात्रों के लिए भी लागू होंगे।

योजना के अंतर्गत शामिल अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विकलांग छात्रों को अन्य योजनाओं से वे अतिरिक्त लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं जो इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए हैं। उक्त अधिनियम के अंतर्गत यथा परिभाषित विकलांगता राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित की जानी है।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, हजारों वर्षों से देश के करोड़ों व्यक्ति अमानुषिक उत्पीड़न के शिकार रहे हैं और गम्भीर सामाजिक कुरीतियों से पीड़ित रहे हैं तथा इसी कारण से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर घृणास्पद रहा है। इन जातियों को समाज के अन्य उन्नत वर्गों के समान स्तर पर लाने के लिए, आजादी के बाद से, सरकार ने उपाय प्रारम्भ किए। उन उपायों में एक उपाय जो सबसे प्रमुख माना गया, वह था कि शिक्षा का प्रचार और प्रसार होना चाहिए। 55 सालों की आजादी के बाद इस बात पर विचार किया जाना चाहिए

कि इन लोगों में शिक्षा का स्तर क्या है। देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की जनसंख्या 30 करोड़ है और इन 30 करोड़ की जनसंख्या में से आज कितने छात्र मैट्रिकोत्तर पढ़ रहे हैं और कितना उन पर खर्च किया जा रहा है, इस बारे में मंत्री जी ने जवाब देने में कोताही की है। मैंने प्रश्न किया था – विभिन्न राज्यों में ऐसे विद्यार्थियों को राज्यवार कितनी राशि की छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है? इस प्रश्न का जवाब ही नहीं दिया गया है। मेरे प्रश्न पूछने का मतलब यह था कि राजकोष में से छात्रवृत्ति देने पर मैट्रिक के बाद अनुसूचित जाति और जनजाति के कितने लोग पढ़ रहे हैं और राज्यवार उन पर कितना खर्च किया जा रहा है, कितने छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी से सीधे प्रश्न पूछिए।

श्री कैलाश मेघवाल : मंत्री जी की ओर से जो स्टेटमेंट आना चाहिए था, वह स्टेटमेंट नहीं आया है। इस बारे में मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं।

डॉ० सत्यनारायण जटिया : महोदय, प्रश्न के 'क' भाग का उत्तर मैंने सभापटल पर रख दिया है और भाग 'ख' और 'ग' के बारे में मैंने जवाब दिया है – अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत अनुरक्षण भत्ते की दरों तथा योजना का अन्य शर्तों में संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इसी प्रकार, अनुसूचित जनजातियों संबंधी योजना में संशोधन के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय मामले को प्रक्रियाबद्ध कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने पूछा है कि हम कितने लोगों को लाभ प्रदान कर रहे हैं और कितना इस पर खर्च कर रहे हैं, इस बारे में निश्चित रूप से मेरे पास जानकारी है। पिछले पांच सालों में लाभार्थियों के आंकड़े इस प्रकार हैं – 1997-98 में 13.21 लाख, 1998-99 में 13.91 लाख, 1999-2000 में 13.96 लाख, 2000-2001 में 15.41 लाख, 2001-2002 में 17.04 लाख और 2002-2003 में 17.84 लाख अनुमानित हैं। इसी प्रकार इन वर्षों में केन्द्रीय सहायता के आंकड़े इसप्रकार हैं – 1997-98 में 41.53 करोड़ रुपए, 1998-99 में 58.68 करोड़ रुपए, 1999-2000 में 84.08 करोड़ रुपए, 2000-2001 में 114.15 करोड़ रुपए, 2001-2002 में 159.27 करोड़ रुपए है।

इस प्रकार छात्रवृत्ति की दरें, छात्रवृत्ति देने वालों की संख्या और छात्रवृत्ति की राशि में वृद्धि होती जा रही है।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने राज्यवार जानकारी मांगी थी। संविधान निर्माताओं ने आरक्षण को बहुत उदार भावना से लागू किया था और बड़ी उदारतापूर्वक आरक्षण दिया। उसमें यह व्यवस्था है कि हम आरक्षित और अनारक्षित दोनों सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। यही व्यवस्था नौकरियों में की गई। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भी हम आरक्षित पदों और अनारक्षित दोनों पदों के विरुद्ध चुने जा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, आजादी के 55 साल बाद यह लोक सभा आपके सामने हैं, महाराष्ट्र विधान सभा भी आपने देखी, है। आज भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोग अनारक्षित सीटों पर बिल्कुल नगण्य मात्रा में चुन कर आते हैं। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग और अन्य नौकरी देने वाले जो संस्थान हैं, वे आज भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आरक्षित सीटों पर ही नौकरी देते हैं जबकि उन्हें अनारक्षित सीटों पर भी नौकरी मिल सकती है। आरक्षित सीटों का कोटा भी पूरा नहीं किया जाता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शिक्षण और प्रशिक्षण देने की व्यवस्था एक व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। समाज शास्त्रियों का कहना है कि हैरिडिटी और एनवारयनमैंट का इसमें बहुत महत्व होता है। हैरिडिटी हमारी है लेकिन यह व्यवस्था एनवायरनमैंट में बदलाव ला सकती है। आज की तारीख में मंत्री महोदय ने यह बताया है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल में आप भाषण नहीं कर सकते हैं। आप सीधा प्रश्न पूछिए। उसका मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं भाषण नहीं कर रहा हूं। मैं सीधा सवाल कर रहा हूं कि आजादी के 55 साल बाद भी सामान्य व्यवस्था से चयन होकर न आने का कारण यह है कि इनमें आर्थिक सम्पन्नता नहीं आई, जिससे इन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिली। होस्टलर्स और डे स्कॉलर्स छात्रवृत्ति के जो रेट्स हैं, उसके बारे में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या डे स्कॉलर्स के लिए 190 रुपए प्रति माह, होस्टलर्स के लिए 425 रुपए प्रति माह और बी ग्रुप के होस्टलर्स के लिए 290 रुपए प्रति माह की राशि सामाजिक वातावरण की पृष्ठ भूमि में एक अच्छा वातावरण और सक्षम विद्यार्थी पैदा करने के लिए पर्याप्त है। सरकार इसमें कितना बदलाव लाने की कोशिश कर रही है?

श्री सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह प्रश्न छात्रवृत्ति का है और छात्रवृत्ति के संबंध में ही उन्होंने प्रश्न पूछा है। यह राशि वर्तमान दरों के हिसाब से दी जा रही है, जो हर श्रेणी के लिए तय की गई है। यह छात्रवृत्ति डिग्री कोर्सिज, डिप्लोमा कोर्सिज और ऐकाडेमिक कोर्सिज के लिए अलग दी जा रही है। वह डे स्कॉलर्स् और होस्टलर्स के लिए भी दी जाती है। निश्चित रूप से हम इस राशि में दो वर्ष में पुनरीक्षण करने का काम करते हैं और प्राइस इंडैक्स के आधार पर इसका पुनरीक्षण करने का काम होता है। जिस आधार पर छात्रवृत्ति दी जा रही है, हम उसके बारे में पुनर्विचार कर रहे हैं। जैसे ही पुनर्विचार की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, हम उसे घोषित कर देंगे।

[अनुवाद]

श्री के०एच० मुनियप्पा : आज आवश्यक वस्तुओं के दाम पहले से अधिक हैं। इसलिए यदि आप मौजूदा कीमतों से छात्रवृत्ति की तुलना करें तो यह बहुत कम है। क्या मंत्री जी छात्रवृत्ति में अन्य कॉलेजों, नवोदय विद्यालयों तथा अन्य शिक्षण संस्थाओं जिनको कि वे पर्याप्त निधियां दे रहे हैं? में दी जा रही छात्रवृत्ति के स्तर तक वृद्धि करने के बारे में सोच रहे हैं जब आप इन संस्थाओं में छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे अ०जा०, छात्रों की संख्या की तुलना करें तो यह संख्या बहुत कम है। विदेश जाने के इच्छुक प्रतिभावान छात्रों की संख्या में विगत दो वर्षों में वृद्धि हुई है। किन्तु सरकार उन्हें प्रोत्साहन देने को तैयार नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यद्यपि इस बात का उपबंध है फिर भी इन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित क्यों नहीं किया जाता।

[हिन्दी]

डॉ० सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि विदेश जाने वाले छात्रों की संख्या में अपेक्षित वृद्धि होने के बावजूद स्कॉलरशिप अमाउंट में वृद्धि क्यों नहीं हो रही है। जैसा मैंने बताया है कि हम स्कॉलरशिप अमाउंट में वृद्धि करने का काम प्राइस इंडैक्स के आधार पर करते आये हैं। इसी क्रम में हमने अक्तूबर, 1995, 1997, 1999 और 2001 में स्कॉलरशिप अमाउंट में वृद्धि का काम किया है। इसी प्रकार अक्तूबर, 2003 में भी दो वर्ष के हिसाब से वृद्धि करने पर विचार करने वाले हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हर दो वर्षों में हम निरंतर वृद्धि करते चले आ रहे हैं।

जहां तक विदेश जाने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति मिलने का प्रश्न है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र अपनी दरख्वास्त देने का काम राज्य सरकारों के माध्यम से या सीधे किस प्रकार से करता है। यदि इस प्रकार के छात्र स्कॉलरशिप चाहें तो सरकार अवश्य उस पर विचार करती है। इसके लिये हमारे पास नियम बने हुये हैं जिसके अंतर्गत हम स्कॉलरशिप देने का काम करते हैं।

[अनुवाद]

श्री डेन्जिल बी० एटकिन्सन : महोदय, मुझे पता है कि यह प्रश्न अ०जा० और अ०ज०जा० के छात्रों को छात्रवृत्ति देने से संबंधित है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय से मेरा अनुरोध है कि वे मुझे मंत्रीजी से मेरे समुदाय अर्थात् आंग्ल - भारतीय समुदाय के गरीब छात्रों के बारे में प्रश्न पूछने की अनुमति दें।

विगत ढाई वर्ष से हम मंत्रीजी से अनुरोध करते आ रहे हैं कि वे आंग्ल-भारतीय समुदाय के छात्रों को संविधान में दी गई सुविधाएं पुन: प्रदान करने के बारे में विचार करें। अब माननीय मंत्री जी से हमारा अनुरोध है कि वे अनाथ बच्चों या बच्चों को जिनके माता-पिता पिछड़े क्षेत्रों में रहते हैं या जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, छात्रवृत्ति की सुविधा पुन: देने पर विचार करें। हमारे समुदाय के लोग इस देश को छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि उन्हें सरकार से वे सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जो उन्हें पहले मिलती थी। अत: माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि विगत ढाई वर्ष में की गई हमारी अपीलों को ध्यान में रखते हुए इस पहलू पर विचार करें।

[हिन्दी]

डॉ० सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के अलावा ऐंग्लो-इंडियन कम्युनिटी के छात्रों को स्कॉलरशिप दिये जाने के संदर्भ में जो प्रस्ताव किया है, उसके बारे में हम विचार करेंगे लेकिन यह प्रश्न विचार करने के लिये हमारे सामने किस रूप में आता है, यह देखना होगा। लेकिन माननीय सदस्य ने यह प्रश्न मूल प्रश्न के दायरे में नहीं किया है, इसलिये विचार किया जायेगा कि इस बारे में क्या किया जा सकता है। फिर भी हम इस बारे में विचार कर रहे हैं।

श्री राम नगीना मिश्र : अध्यक्ष महोदय, सरकार अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को, जो गरीब हैं, उन्हें छात्रवृत्ति देती है। यह बहुत ही सराहनीय कार्य है लेकिन देश में ऐसे करोड़ों विद्यार्थी हैं जो निर्धन है, परन्तु वे अनुसूचित जाति से नहीं बल्कि दूसरी जातियों से हैं। वे छात्र मेधावी हैं लेकिन धनाभाव के कारण उनकी शिक्षा रुक गई है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार समाज के ऐसे गरीब छात्रों को भी छात्रवृत्ति देने का प्रावधान करेगी?

डॉ० सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के छात्रों के अलावा व्यापक संदर्भ में अन्य गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रश्न किया है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मेरे मंत्रालय में जो प्रावधान है, उसके अंतर्गत काम हो रहा है। चूंकि उनका प्रश्न मूल प्रश्न के दायरे से बाहर का है, इसलिये इस संबंध में क्या किया जा सकता है, सरकार उस पर विचार करेगी।

[अनुवाद]

आकाशवाणी/दूरदर्शन की सम्पदा/भूमि को पट्टे पर देना

+

*46. **डा० मन्दा जगन्नाथ :***
श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी और दूरदर्शन की सम्पदा/भूमि को पट्टे पर देने का प्रस्ताव है जैसा कि दिनांक 18 जनवरी, 2003 को 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) उस सम्पदा/भूमि का ब्यौरा क्या है जिसे पट्टे पर दिए जाने की सम्भावना है;

(घ) क्या आकाशवाणी/दूरदर्शन को इस भूमि की आवश्यकता नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने भूमि के बाजार मूल्य के अनुसार पट्टे राशि का निर्धारण किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इसमें कुल कितना राजस्व अर्जित किए जाने की सम्भावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) प्रसार भारती बोर्ड ने अपनी 17.1.2003 को हुई अंतिम बैठक में, प्रसार भारती अधिनियम, 1990 में निर्दिष्ट उद्देश्यों और निगम के लिए और राजस्व अर्जित करने के लिए प्रसार भारती के पास उपलब्ध फालतू भूमि का इष्टतम उपयोग करने की व्यवहार्यता की जांच करने संबंधी प्रस्ताव को सिद्धांत रूप में अनुमोदित किया है।

(ङ) से (छ) वर्तमान में प्रस्ताव प्रारंभिक स्थिति में है और इसका ब्यौरा अभी तैयार किया जाना है।

डा० मन्दा जगन्नाथ : महोदय, माननीय मंत्री जी ने सभा पटल पर जो विवरण रखा है मैं उससे प्रसन्न नहीं हूं। मेरे प्रश्न के भाग (ग) और (छ) का उत्तर नहीं दिया गया है।

मैंने सीधा-सा प्रश्न किया है कि अधिशेष भूमि कितनी है और कितनी अधिशेष भूमि को पट्टे पर देने का प्रस्ताव है। इसका उत्तर देने के बजाए मंत्री जी ने कहा है कि बोर्ड ने दूरदर्शन की न्यूनतम अधिशेष भूमि की उपयोगिता की संभाव्यता की जांच करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

भाग (छ) में मैंने पूछा था कि प्रसार भारती को कितना राजस्व अर्जित करने की उम्मीद है। 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपी खबर के अनुसार 600 एकड़ से अधिक भूमि पट्टे पर देने का प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब प्रश्न पूछिए। अन्यथा समय बीत जाएगा और आपको प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिलेगा।

डा० मन्दा जगन्नाथ : यह प्रासंभिक है। 600 एकड़ से अधिक भूमि को पट्टे पर देने का प्रस्ताव है। किन्तु उनके उत्तर में यह सूचना नहीं है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सत्य क्या है, अखबार में छपी खबर जिसमें 600 एकड़ भूमि को पट्टे पर देने की बात कही गई है या फिर न्यूनतम भूमि की बात जिसे दूरदर्शन और प्रसार भारती प्रयोग में लाना चाहते हैं। न्यूनतम भूमि का क्षेत्रफल कितना है जिसको वे उपयोग में लाना चाहते हैं?

श्री रविशंकर प्रसाद : महोदय, उत्तर बिलकुल स्पष्ट है। निर्णय 17.1.03 को ही लिया गया है। यह शुरूआती चरण में है। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होने के कारण अनेक उपस्करों इत्यादि में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अब कई जगह भूमि प्रथम दृष्ट्या अधिशेष प्रतीत हो रही है। वह कितनी है, कहां तक है इत्यादि पर विचार किया जाना है। इसलिए, हम एक संकल्पना पत्र और संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करवाएंगे। उसके बाद निर्णय लिया जाएगा।

जहां तक 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपी खबर का संबंध है, मैं सिर्फ इसलिए कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कि पूरा मामला अभी शुरूआती अवस्था में है। जैसे ही परियोजना रिपोर्ट आएगी, आपको सम्पूर्ण जानकारी मिल जाएगी।

डा० मन्दा जगन्नाथ : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है : मान लीजिए कि भविष्य में दूरदर्शन तथा आकाशवाणी का विस्तार करने की कोई योजना आती है और यदि अधिशेष भूमि पट्टे पर दे दी जाती है तो प्रसार भारती की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार के पास क्या प्रस्ताव है?

श्री रविशंकर प्रसाद : मैंने पहले ही उत्तर दे दिया है। जब भी संभाव्यता रिपोर्ट आ जाएगी, तो इसमें दूरदर्शन तथा आकाशवाणी की भावी आवश्यकताओं को भी दर्शाया जाएगा। इस पर विचार करने के पश्चात्, प्रौद्योगिकी में हुए परिवर्तन के अनुरूप, अधिशेष भूमि को रिलीज किया जाएगा। इसलिए, संभाव्यता रिपोर्ट करने पर आपकी चिंता पर उचित रूप से ध्यान दिया जाएगा।

श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन : निजी टैलीविजन चैनल और मीडिया बहुत धन अर्जित कर रहे हैं। वे धन कमा कर अर्थात् अपनी सेवाएं बेच कर भूमि और नई मशीनरी खरीद रहे हैं। चूंकि, प्रसार भारती एक स्वतंत्र निकाय है और यह अपने स्वविवेक से काम कर सकता है और निजी चैनलों की तरह अधिक धन अर्जित कर सकता

है। उसे इस भूमि को तुरंत बेचने की क्या जरूरत है, वह भी जब नई मशीनरी लगाने या भूमि के उपोग के बारे में कोई विचा किए बिना? इस सबके बिना वे आरम्भिक अवस्था में ही इस संपत्ति को बेचने को कैस तैयार हैं?

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा प्रश्न है।

श्री रविशंकर प्रसाद : मैं इसका उत्तर दूंगा। प्रसार भारती तथा दूसरे चैनलों की तुलना नहीं की जा सकती। वे पूर्णत: वाणिज्यिक चैनल हैं। प्रसार भारती अर्थात् दूरदर्शन और आकाशवाणी सार्वजनिक प्रसारक हैं। इसलिए इनकी तुलना नहीं की जा सकती है।

जहां तक दूसरे पहलू की बात है, दूरदर्शन और आकाशवाणी के पास विगत पचास या साठ वर्ष में अधिष्ठित विस्तृत भू-भाग है। प्रौद्योगिकी में बहुत बदलाव आया है। सैटेलाइट प्रौद्योगिकी के कारण अब प्रसारण के लिए उतने स्थान की आवश्यकता नहीं है जितने की पहले होती थी। इस भूमि के इष्टतम प्रयोग के लिए इन सब बातों पर ध्यानपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। आज सिर्फ यही मुद्दा है। किन्तु यह कहने के बाद, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि भावी विस्तार योजनाओं में आकाशवाणी और दूरदर्शन की राजस्व अर्जन और अन्य संभावनाएं प्राथमिक सरोकार होंगे। यह बिल्कुल स्पष्ट है।

श्री के०पी० सिंह देव : भारतीय जनसंचार संस्थान सहित कुछ मीडिया इकाइयों को बेचने के संबंध में गीताकृष्णन प्रतिवेदन के आलोक में, मैं जानना चाहूंगा कि क्या इसे संभाव्यता रिपोर्ट का भाग बनाया जा रहा है। इसके बारे में सरकार का क्या विचार है?

श्री रविशंकर प्रसाद : श्री सिंह देव बहुत ही प्रख्यात सदस्य हैं और वे पूर्व मंत्री भी हैं। उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए मैं कहना चाहूगा कि यह भारतीय जनसंचार संस्थान इस प्रश्न का भाग नहीं है।

[अनुवाद]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

प्रमुख रेल दुर्घटनाएं

*44. **श्री चन्द्रनाथ सिंह :**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसंबर 2002 से अब तक हुई प्रमुख रेल दुर्घटनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए;

(ग) मारे गए व्यक्तियों के संबंधियों/घायल व्यक्तियों को कितनी क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया गया;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और उस पर क्या कार्रवाई की गई; और

(च) सरकार द्वारा भविष्य में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) दिसंबर 2002 से 15 फरवरी 2003 के दौरान भारतीय रेल पर दो प्रमुख दुर्घटनाएं हुई हैं। उनका विवरण निम्नलिखित है :

(i) 21.12.2002 को 00.35 बजे दक्षिण मध्य रेलवे के गुंतकल मंडल के द्रोणाचलम-पेंडेकल्लू-गूटी के गैर विद्युतीकृत बड़े आमान वाली इकहरी लाइन खंड पर पेंडेकल्लू और पागीडिराई स्टेशनों के बीच किलोमीटर सं० 23/8-5 पर 7685 काचीगुडा-बैंगलौर एक्सप्रेस गाड़ी का रेल इंजन और नौ सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में 19 व्यक्तियों की जानें गईं और 78 व्यक्ति घायल हुए थे।

(ii) 3.1.2003 को 1.23 बजे दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद मंडल के विकाराबाद पर्ली वैजनाथ गैर विद्युतीकृत बड़े आमान वाली इकहरी लाइन खंड पर घाटनांदुर स्टेशन पर 7064 सिकंदराबाद-मनमाड एक्सप्रेस पर्ली बी०ओ०एक्स० एन० अप मालगाड़ी के पिछले हिस्से से जा टकराई। इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में 20 व्यक्तियों की जानें गईं और 72 लोग घायल हुए थे। दुर्घटनाओं का ब्यौरा जोन-वार रखा जाता है न कि राज्य-वार।

(ग) गाड़ी दुर्घटनाओं में रेल यात्रियों की मृत्यु होने अथवा घायल होने पर दिए जाने वाले मुआवजे का निर्णय रेल दावा अधिकरण द्वारा किया जाता है। इन दोनों दुर्घटनाओं में अभी तक किसी मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है। अधिकरण द्वारा दावों की डिक्री दिए जाने के बाद मुआवजे का भुगतान कर दिया जाएगा।

बहरहाल, 21.12.2002 को हुई दुर्घटना के सिलसिले में 22.90 लाख रुपए की और घाटनांदुर में हुई टक्कर के मामले में अब तक 23.30 लाख रुपए की बढ़ी हुई अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है।

(घ) और (ङ) इन दोनों दुर्घटनाओं की रेल संरक्षा आयुक्त, दक्षिण-मध्य सर्किल द्वारा संवैधानिक जांच की जा रही है। उन्होंने अपनी प्राथमिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और अपने अनंतिम निष्कर्षों में यह उल्लेख किया है कि :

(i) 7685 काचीगुडा-बैंगलोर एक्सप्रेस की पटरी से उतरने की दुर्घटना बाई तरफ की पटरी को लोहे की आरी से काटकर इसे पागीदिराई वाले छोर की तरफ धकेल दिए जाने के कारण हुई। रेलपथ के साथ यह छेड़छाड़ किसी रेलवे कर्मचारी द्वारा न होकर किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा की गई थी। यह दुर्घटना किसी रेलवे कर्मचारी द्वारा न होकर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रेलपथ के साथ छेड़छाड़ करने' की कोटि के अंतर्गत आती है।

(ii) गाड़ी के पिछले भाग से टक्कर होने की दुर्घटना मानवीय गलती के कारण हुई। मुख्य लाइन, जिस पर पहले से ही अप पर्त्नी एन मालगाड़ी खड़ी थी, के आदान सिगनल को संभवत: 7064 अप के लिए उठा देने के कारण हुई। यह दुर्घटना 'रेलवे कर्मचारी की गलती' की कोटि के अंतर्गत आती है।

रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा अपने प्रारंभिक रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(च) दुर्घटनाओं को रोकने हेतु किए गए महत्वपूर्ण उपाय नीचे सूचीबद्ध हैं :–

(i) गतायु परिसंपत्तियों के नवीकरण तथा संरक्षा संवर्धन कार्यों के लिए 17,000/- करोड़ रुपए की एक विशेष व्यपगत न होने वाली रेल संरक्षा निधि की स्थापना की गई है।

(ii) संरक्षा कार्यों का तेजी से कार्यान्वयन के लिए महा-प्रबंधक की वित्तीय शक्तियां बढ़ाई गई है।

(iii) संरक्षा विभाग का आधार व्यापक करना।

(iv) सतर्कता सलाह की तर्ज पर संरक्षा अधिकारियों को दण्ड की सिफारिश करने की शक्तियां प्रदान करना।

(v) संरक्षा से संबंधित सभी रिक्तियों की कार्यक्रम के आधार पर भरा जाएगा।

(vi) उत्तर रेलवे पर टक्कर रोधी उपकरण का विस्तृत परीक्षण किया गया है। विस्तारित फील्ड परीक्षणों के सफलतापूर्वक पूरा होने पर भारतीय रेल के अन्य मार्गों पर इसके अनुप्रयोग का निर्णय लिया जाएगा।

(vii) समूचे "ए", "बी", "सी", "डी" और "डी" – स्पेशल" मार्गों पर जहां गति 75 कि०मी० प्र०घं० से अधिक है, उल्लंघन चिह्न से उल्लंघन चिह्न तक रेल परिपथन का कार्य पूरा हो गया है शेष कार्य प्रगति पर है।

(viii) 190 ब्लॉक खण्डों पर धुरा काउंटरों द्वारा अंतिम वाहन जांच शुरू किया गया है तथा और अधिक खंडों पर इसे लागू किया जा रहा है।

(ix) ड्राइवरों और गार्डों को उत्तरोत्तर बेहतर दृश्यता वाले एल०ई०डी० आधारित इलेक्ट्रोनिक फ्लैशिंग लैम्प और हैंड सिगनल लैम्प भी मुहैया कराए जा रहे हैं।

(x) जब कभी रेलपथ और पुलों पर अपराध की रोकथाम के लिए अपेक्षित होता है राज्यों के पुलिस विभागों के साथ निकट संपर्क रखा जाता है।

(xi) जहां कहीं व्यवहारिक को फिश प्लेट वाले ज्वायंटों की संख्या कम करने और भेद्य समझे जाने वाले खंडों में 2 फिश बोल्टों की बरिंग, प्रत्येक पटरी पर एक, के लिए अनुदेश दिए गए हैं।

(xii) एक एन्टी-थेफ्ट एलास्टिक रेल फास्टनिंग विकसित किया जा रहा है।

(xiii) रेलपथ अनुरक्षण के लिए टाई-टैंपिंग और गिट्टी सफाई मशीनों के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। रेलपथ नवीकरण गाड़ियों का उपयोग किया जा रहा है।

(xiv) रेलपथ ज्यामिति और रेलपथ की चालन विशेषताओं पर निगरानी रखने के लिए परिष्कृत रेलपथ अभिलेखन कारों, दोलनलेखी कारों और सुवाह्य त्वरणमापियों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

(xv) पटरियों के दरारों/वेल्डिंग में विफलताओं का पता लगाने के लिए पर्याप्त संख्या में दोहरी पटरी पराश्रव्य दोष संसूचकों की खरीद की जा चुकी है। स्वनोदित पराश्रव्य पटरी परीक्षण यानों को खरीद की जा रही है।

(xvi) सभी उत्पादन इकाईयां अधिकांश मरम्मत कारखाने और बड़ी संख्या में शेड और डिपो ने अपनी गुणवत्ता अनुरक्षण प्रणाली के लिए आई०एस०ओ० 9002 प्रमाणन प्राप्त कर लिया है।

(xvii) अधिक दुर्घटना की संभावना वाले चौपाहिया मालडिब्बों (सी०आर०टी० मालडिब्बे) को सेवा से हटाया जा रहा है।

(xviii) अंत: अनुशासनिक दलों द्वारा आवधिक संरक्षा लेखा परीक्षा जांच शुरू की जा रही है।

(xix) ड्राइवरों, गार्डों और गाड़ी प्रचालन से जुड़े कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं को आधुनिक किया जा रहा है जिसमें ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटरों का इस्तमाल करना भी शामिल है।

(xx) गंभीर दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों को बर्खास्तगी/सेवा से हटाए जाने की सीमा तक कड़ा दंड दिया जा रहा है।

(xxi) गाड़ी को सुरक्षित ढंग से गुजारने के संबंध में विभिन्न पहलूओं को लेते हुए व्यापक संरक्षा अभियान चलाए जाते हैं जिनमें विभिन्न विभागों के निरीक्षकों पर्यवेक्षकों और अधिकारियों को शामिल किया जाता है।

(xxii) गाड़ी गुजारने कर्मचारियों की संरक्षा जागरूकता और कुशलता की जांच की जाती है और तदनुसार उनकी कोटि निर्धारित की जाती है। जिन कर्मचारियों में कमी पाई जाती है उन पर कड़ी नजर रखी जाती है, उन्हें पुन: प्रशिक्षण दिया जाता है और समुचित परामर्श दिया जाता है।

ओ०एन०जी०सी० द्वारा गैस और तेल भंडार के दोहन संबंधी प्रस्ताव

*47. **श्री एन० जनार्दन रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री तल में गैस और तेल का विशाल भंडार होने की संभावना के मद्देनजर ओ०एन०जी०सी० ने दसवीं पंचवर्षीय योजना में समुद्र तल में विद्यमान गैस के दोहन हेतु महत्वाकांक्षी योजना बनाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई खोज की गई है;

(ग) यदि हां, तो खोज के क्या परिणाम निकले;

(घ) पाए जाने वाले गैस और तेल की संभावित मात्रा के बारे में क्या मूल्यांकन किया गया है और भंडार के दोहन हेतु कुल कितना निवेश करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इस संबंध में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तेल और गैस के दोहन हेतु ओ०एन०जी०सी० की भावी दीर्घकालिक योजना का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : (क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ०एन०जी०सी०) की योजना भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों के अपतटीय कम गहरे और गहरे समुद्र क्षेत्रों में कुल 30,500 लाइन किलो मीटर (एल०के०) द्विआयामी (2-डी) और 30,900 वर्ग कि०मी० त्रिआयामी (3-डी) भूकंपीय आंकड़े अर्जित करने और लगभग 150 अन्वेषणात्मक कूपों का वेधन करने की है।

(ख) और (ग) दसवीं योजना के प्रथम वर्ष 2002-03 की स्थिति के अनुसार ओ०एन०जी०सी० ने पूर्वी और पश्चिमी तटों के अपतटीय क्षेत्रों में कुल 16,252 एल० के द्विआयामी और 4,308 वर्ग कि०मी० त्रिआयामी भूकंपीय आंकड़ों का अर्जन किया है। इसके अतिरिक्त उसी अवधि के दौरान, उन्होंने मुंबई अपतट और के०जी० अपतट बेसिनों में 15 अन्वेषणात्मक कूपों का वेधन किया है जिनमें से 5 में हाइड्रोकार्बनों का पता चला है।

(घ) अन्वेषण का स्वरूप संभावनात्मक होने से किसी निश्चित परिणाम की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इसलिए संसाधनों का दोहन करने के लिए किए जाने वाले किसी निवेश का भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(ङ) "भारत हाइड्रोकार्बन झलक – 2005" के प्रकाश में निर्मित ओ०एन०जी०सी० की दीर्घावधि कार्यनीति में निम्नलिखित की व्यवस्था है;

(1) स्थानिक मात्रा में वाई०टी०एफ० (खोजे जोने वाले) हाइड्रोकार्बन संसाधनों का उन्नयन करने के लिए उत्पादशील बेसिनों में गहन अन्वेषण।

(2) अब तक के गैर-उत्पादनशील-न्यूनत: अन्वेषित और अभी अन्वेषण किए जाने वाले बेसिनों का विस्तृत अन्वेषण

(3) गहरे अपतट और सीमावर्ती क्षेत्रों पर प्रमुख जोर देना।

उपर्युक्त कार्यनीति के फलस्वरूप ओ०एन०जी०सी० के स्थानिक हाइड्रोकार्बन वर्तमान में 6 बिलियन टन (बी०टी०) से बढ़कर अगले 20 वर्षों में 12 बी०टी० तक पहुंचने की आशा है। इसके अतिरिक्त ओ०एन०जी०सी० द्वारा अपने उत्पादनशील क्षेत्रों में वर्धित तेल निकासी/उन्नत तेल निकासी विधियों के माध्यम से अगले 20 वर्षों में वर्तमान में 28% के स्तर से 40% तक समग्र निकासी घटक में सुधार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ

*48. श्री टी० गोविंदन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य की तुलना में बहुत कम लाभ अर्जित किया है;

(ख) यदि हां, तो घरेलू और विदेशी बाजारों में अर्जित लाभ का वर्ष-वार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) लाभ में कमी के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस) : (क) रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत 8 सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रम हैं। विगत तीन वर्षों में इन उपक्रमों का कुल लाभ निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक रहा है जैसाकि नीचे दिखाया गया है :–

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	निर्धारित लक्ष्य	लाभ
1999-00	359.19	610.33
2000-01	445.38	472.08
2001-02	561.58	634.90

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों द्वारा, घरेलू तथा विदेशी बाजारों में अर्जित कुल लाभ की स्थिति को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(करोड़ रुपए में)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	लाभ		
	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4
हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड	368.26	243.65	344.78
गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	2.35	4.93	14.37
भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड	107.93	155.21	199.68
माझगांव डॉक लिमिटेड	13.07	(-)18.36	(-)18.62
गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	21.22	31.42	16.41
भारत डायनामिक्स लिमिटेड	80.76	48.99	72.55
भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड	14.60	6.00	5.35
मिश्र धातु निगम लिमिटेड	2.14	0.24	0.38

विद्युत की आवश्यकता, उपलब्धता और कमी

*49. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री वीरेन्द्र कुमार :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अनेक उपाय किए जाने के बावजूद अधिकांश राज्यों में विद्युत की कमी को पूरा करने में वह असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) 31 दिसम्बर, 2002 तक की स्थिति के अनुसार विद्युत की राज्य-वार कुल आवश्यकता, उपलब्धता और कमी कितनी दर्ज की गयी है; और

(घ) देश में विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए राज्य-वार और कौन-कौन से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) विद्युत समवर्ती सूची का विषय है। तथापि राज्य में विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण की जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटीलिटी की होती है। केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सी०पी०एस०यू०) के माध्यम से क्षमता अभिवृद्धि के जरिये राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने का प्रयत्न किया है। वर्तमान में देश की कुल उत्पादित विद्युत का लगभग 30% केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों से प्राप्त होता है। यद्यपि कई उपाय किये जा चुके हैं फिर भी देश में अधिकतर राज्य अपनी विद्युत मांगों को पूर्णत: पूरा नहीं कर रहे हैं। विद्युत की कमियों के मुख्य कारण निम्न हैं :–

(i) विद्युत उत्पादन और क्षमता अभिवृद्धि के विकास के लिए विद्युत मांग में वृद्धि होना।

(ii) ग्रिड में व्यस्ततमकालीन विद्युत की कमी।

(iii) राज्य क्षेत्र में कुछ ताप विद्युत यूनिटों का निम्न संयंत्र भार घटक और खराब कार्य निष्पादन।

(iv) राज्यों में नेप्था/द्रव ईंधन आधारित संयंत्रों की विद्यमान विद्युत उत्पादन क्षमता का पूर्णत: उपयोग नहीं किया जा रहा है।

(v) गत वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून कम होने के मद्देनजर अपर्याप्त वर्षा के कारण अप्रैल-दिसम्बर, 2002 के दौरान जल विद्युत स्टेशनों से विद्युत का उत्पादन कम होना।

(vi) राज्य विद्युत यूटीलिटियों द्वारा अपर्याप्त वित्तपोषण किये जाने के कारण राज्यों में अपर्याप्त उप पारेषण एवं वितरण नेटवर्क।

(vii) निजी क्षेत्र परियोजनाओं का विलम्बित वित्तीय समापन, भूमि अधिग्रहण में विलम्ब, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना की समस्यायें, कानून एवं व्यवस्था की समस्यायें और कुल जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित अन्तरराज्यीय विवाद आदि जैसे कारणों की वजह से 40245.20 मे०वा० के लक्ष्य की तुलना में 9वीं योजना के दौरान 19015 मे०वा० क्षमता ही जोड़ी जा सकती है।

(ग) अप्रैल-दिसम्बर, 2002 के दौरान (31 दिसम्बर, 2002 की स्थितिनुसार) देश में विद्युत आपूर्ति की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) देश में विद्युत के उत्पादन और उपलब्धता में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे है :

(i) 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 41110 मे०वा० क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य बनाया गया है।

(ii) नये चालू यूनिटों का शीघ्र स्थरीकरण और ताप विद्युत यूनिटों के पी०एल०एफ० में समग्र वृद्धि।

(iii) उप-पारेषण एवं वितरण प्रणालियों का सशक्तीकरण/विस्तार। त्वरित ताप विद्युत एवं सुधार कार्यक्रम के तहत राज्यों को पारेषण एवं वितरण प्रणालियों के लिए स्कीमें आरंभ करने हेतु निधियां प्रदान की जा रही है।

(iv) मांग पक्ष प्रबंधन और ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण उपायों को प्रोत्साहित करना।

(v) पुरानी और अकुशल विद्युत उत्पादक यूनिटों के नवीकरण व उन्हें पुन: बनाये रखने के लिए पावर फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा ब्याज आर्थिक सहायता के साथ ऋण संवितरण।

(vi) अंतर क्षेत्रीय पारेषण लिंकों के सशक्तीकरण और अन्तत: नेशनल ग्रिड के सृजन द्वारा अंतर राज्यीय और अन्तर क्षेत्रीय विद्युत अंतरण में वृद्धि।

(vii) तीव्र गति से जल विद्युत शक्यता का दोहन।

(viii) विद्युत परियोजनाओं को कार्यान्वित न करने का मुख्य कारण राज्य यूटीलिटियों की भुगतान क्षमता खराब होना है ये यूटीलिटियां निजी क्षेत्र की परियोजनाओं और सी०पी०एस०यू० से विद्युत के अनंतिम क्रेता है। राज्य यूटीलियों की पुनर्संरचना व सुधार के लिए कई कदम उठाये गये हैं। 26 राज्य समयबद्ध तरीके में सुधार एवं पुनर्संरचना आरंभ करने के लिए पहले ही समझौता ज्ञापन (एम०ओ०ए०) पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त, वितरण में सुधार लाने के लिए विद्युत मंत्रालय ने कुल पारेषण एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी करने और विद्युत क्षेत्र की वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्राप्त करने के लिए एक बड़े कदम के रूप में त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम आरंभ किया है। 25 राज्यों ने विद्युत मंत्रालय के साथ करार ज्ञापन (एम०ओ०ए०) पर हस्ताक्षर किये हैं जोकि ऐ०पी०डी०आर०पी० निधियों के लिए एक पूर्व आवश्यकता है। इन एम०ओ०यू०/एम०ओ०ए० में राज्य विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना किया जाना, 11 के०वी० फीडरों की 100% मीटरिंग, प्रभावी ऊर्जा लेखा परीक्षा, विद्युत चोरी की पहचान व इसे दूर किया जाना और इसके द्वारा वितरण में वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्राप्त करना शामिल है।

राज्य/निजी क्षेत्रों में राज्यों द्वारा 10वीं योजना अवधि में 18278 मे०वा० क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य के अतिरिक्त केन्द्रीय क्षेत्र में जहां क्षेत्र के राज्य/संघ शासित क्षेत्र सामान्यत: हकदारी रखेंगे, विभिन्न क्षेत्रों में 22832 मे०वा० क्षमता अभिवृद्धि की भी आयोजना की गई है। 10वीं योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में सुनियोजित क्षेत्र वार क्षमता अभिवृद्धि निम्नवत है :–

उत्तरी क्षेत्र	7090 मे०वा०
पश्चिमी क्षेत्र	5367 मे०वा०
दक्षिणी क्षेत्र	4140 मे०वा०
पूर्वी क्षेत्र	5650 मे०वा०
पूर्वोत्तर क्षेत्र	585 मे०वा०
कुल	22832 मे०वा०

विवरण

दिसम्बर 2002 और अप्रैल-दिसम्बर, 2002 माह हेतु विद्युत आपूर्ति की वास्तविक स्थिति

(आंकड़े मिलियन यूनिट निवल)

क्षेत्र/राज्य/प्रणाली	दिसंबर 2002				अप्रैल-दिसम्बर, 2002			
	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	(%)	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तरी क्षेत्र								
चंडीगढ़	79	78	1	1.3	883	882	1	0.1
दिल्ली	1469	1443	26	1.8	15529	15310	219	1.4
हरियाणा	1632	1473	159	9.7	15401	15076	325	2.1
हिमाचल प्रदेश	296	296	0	0.0	2586	2524	56	2.2
जम्मू और कश्मीर	666	590	76	11.4	5362	4695	667	12.4
पंजाब	2150	2911	239	11.4	24397	22786	1611	6.6
राजस्थान	2310	2121	189	8.2	19581	19234	347	1.8
उत्तर प्रदेश	4010	3188	822	20.6	34727	27623	7104	20.5
उत्तरांचल	324	319	5	1.5	2833	2753	80	2.8
उत्तरी क्षेत्र	12936	11419	1517	11.7	121293	110883	10410	8.6
पश्चिमी क्षेत्र								
छत्तीसगढ़	770	745	25	3.2	7343	7093	250	3.4
गुजरात	5631	5048	585	10.4	45129	40091	5038	11.2
मध्य प्रदेश	3347	2895	652	19.5	22946	19726	3220	14.0
महाराष्ट्र	7948	6716	1232	15.5	64432	55870	8562	13.3
गोवा	152	152	0	0.0	1371	1371	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	17848	15354	2484	14.0	141221	124151	17070	12.1
दक्षिणी क्षेत्र								
आंध्र प्रदेश	3860	3757	103	2.7	36132	33104	3028	8.4
कर्नाटक	2779	2618	161	5.8	23680	21164	2516	10.6
केरल	1106	1044	62	5.6	10302	9469	833	8.1
तमिलनाडु	3868	3780	88	2.3	34560	31857	2703	7.8
पांडिचेरी	104	104	0	0.0	871	871	0	0.0
दक्षिणी क्षेत्र	11717	11303	414	3.5	105545	96465	9080	8.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
पूर्वी क्षेत्र								
बिहार	547	480	67	12.2	6350	5967	383	6.0
डीवीसी	725	718	7	1.0	6252	6163	89	1.4
झारखंड	272	270	2	0.7	530	527	3	0.6
उड़ीसा	1119	1102	17	1.5	10100	9864	236	2.3
पश्चिमी बंगाल + सिक्किम	1495	1485	10	0.7	15683	15435	248	1.6
पूर्वी क्षेत्र	4158	4055	103	2.5	38915	37956	959	2.5
पूर्वोत्तर क्षेत्र								
अरूणाचल प्रदेश	13.4	13.4	0	0.0	122.4	121.4	1	0.8
असम	302	302	0	0.0	2622	2524	98	3.7
मणिपुर	49.4	49.4	0	0.0	359.4	355.4	4	1.1
मेघालय	85.2	85.2	0	0.0	713.2	711.2	2	0.3
मिजोरम	26.7	26.7	0	0.0	218.7	216.7	2	0.9
नागालैंड	29.1	29.1	0	0.0	214.1	213.1	1	0.5
त्रिपुरा	54.3	54.3	0	0.0	529.3	496.3	33	6.2
पूर्वोत्तर क्षेत्र	560.1	560.1	0	0.0	4779.1	4638.1	141	3.0
अखिल भारत	47219.1	42631.1	4528	9.6	411753.1	374093.1	37660	9.1

नोट – झारखण्ड से संबंधी संचयी आंकड़े नवम्बर, 2002 से प्रभावी।

व्यस्ततमकालीन मांग/आपूर्ति

सभी आंकड़े मेगावाट मि०यू० निवल में

क्षेत्र/राज्य	दिसम्बर, 2002				अप्रैल, 2002-दिसम्बर, 2002			
	व्यस्ततम कालीन मांग	व्यस्ततम कालीन आपूर्ति	अधिशेष कमी	कमी	व्यस्ततम कालीन मांग	व्यस्ततम कालीन आपूर्ति	अधिशेष कमी	कमी
प्रणाली			(मेगावाट)	%			(मेगावाट)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तरी क्षेत्र								
चंडीगढ़	155	155	0	0	206	206	0	0.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
दिल्ली	2905	2827	78	2.7	3347	3101	246	7.3
हरियाणा	2962	2641	321	10.8	3411	3325	86	2.5
हिमाचल प्रदेश	673	673	0	0.0	673	673	0	0.0
जम्मू और कश्मीर	1250	980	270	21.6	1250	1041	209	16.7
पंजाब	3800	3562	348	8.9	5849	5455	394	6.7
राजस्थान	3880	3820	60	1.5	3880	3820	60	1.5
उत्तर प्रदेश	6700	5750	950	14.2	6700	5750	950	14.2
उत्तरांचल	750	705	45	6.0	771	705	66	8.6
उत्तरी क्षेत्र	22500	20488	2012	8.9	24092	21889	2203	9.1
पश्चिमी क्षेत्र								
छत्तीसगढ़	1448	1411	37	2.6	1548	1492	56	3.6
गुजरात	8548	7334	1212	14.2	8641	7336	1305	15.1
मध्य प्रदेश	5889	3994	1875	31.9	5869	4157	1712	29.2
महाराष्ट्र	13650	10534	3116	22.8	13697	10984	2713	19.8
गोवा	271	271	0	0.0	296	296	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	28677	22337	6340	22.1	28677	22853	5824	20.3
दक्षिणी क्षेत्र								
आंध्र प्रदेश	6931	6702	229	3.3	8491	6858	1633	19.2
कर्नाटक	4971	4706	265	5.3	5289	4781	508	9.6
केरल	2803	2242	561	20.0	2710	2264	446	16.5
तमिलनाडु	6900	6619	371	5.3	7236	6629	607	8.4
पांडिचेरी	178	178	0	0.0	176	176	0	0.0
दक्षिणी क्षेत्र	21456	20428	1028	4.8	22419	20428	1991	8.9
पूर्वी क्षेत्र								
बिहार	912	796	116	12.7	1389	1325	64	4.6
डीवीसी	1182	1144	48	4.0	1212	1150	62	5.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
झारखंड	478	452	24	5.0	476	452	24	5.0
उड़ीसा	1899	1796	103	5.4	2125	1988	137	6.4
पश्चिमी बंगाल + सिक्किम	3318	3060	256	7.7	3752	3418	334	8.9
पूर्वी क्षेत्र	7696	7340	368	4.6	8076	7676	400	5.0
पूर्वोत्तर क्षेत्र								
अरूणाचल प्रदेश	44.0	44.0	0	0.0	45.0	44	1	2.2
असम	606	523	83	13.7	650	589	61	9.4
मणिपुर	99	99	0	0.0	101	100	1	1.0
मेघालय	176	147	29	16.5	189	189.0	0	0.0
मिजोरम	74	74	0	0.0	74	74	0	0.0
नागालैंड	62.0	62.0	0	0.0	62	62	0	0.0
त्रिपुरा	147	120	27	18.4	182	156	26	14.3
पूर्वोत्तर क्षेत्र	1143	954	189	16.5	1161	1135	26	2.2
अखिल भारत	81472	71547	9925 6240	12.2 65.7	81698	71547	10151	12.4

नोट – अप्रैल-दिसम्बर, 2001 के दौरान उत्तरांचल उ०प्र० में शामिल और झारखंड बिहार में।

केबल टी०वी० कनेक्शन के लिए उपभोक्ता दरें

*50. **श्री पवन कुमार बंसल :**
श्री किरीट सोमैया :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केबल टी०वी० कनेक्शन के लिए उपभोक्ता दरें अब निर्धारित और विनियमित की जा सकती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या कुछ केबल आपरेटर्स बिना किसी बाधा के उपभोक्ता शुल्क बढ़ा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार की निजी आपरेटरों की मनमानी से उपभोक्ताओं को बचाने हेतु रेजीडेन्ट्स वेलफेयर एसोसिएशनों के अपने एम०एस० ओ० और केबल सिगनल वितरण प्रणाली की स्थापना के लिए प्रोत्साहन देने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2002 की धारा 4 (क) की उप धारा (4) के अनुसार अगर केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट हैं कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा उस अधिकतम राशि को विनिर्दिष्ट कर सकती है जिसकी केबल आपरेटर, ऐसे केबल आपरेटरों द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली बेसिक सेवा टियर (अर्थात मुक्त प्रसारण करने वाले चैनल) में प्रसारित कार्यक्रमों को प्राप्त करने के लिए मांग कर सकता है।

(ख) सरकार ने अधिनियम के अनुसार विभिन्न मामलों की जांच करने और सशर्त पहुंच प्रणाली के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, बहुप्रणाली आपरेटरों, इलेक्ट्रानिक उपस्कर विनिर्माताओं, प्रसारकों, केबल आपरेटरों तथा उपभोक्ता समूहों के प्रतिनिधियों को शामिल करके एक कृत्यक बल का गठन किया है। कृत्यक बल के विचारार्थ विषयों में से एक विषय बेसिक सेवा

टियर के आकार तथा लागत के बारे में सिफारिश करना है। इस कृत्यक बल ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

(ग) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में शुल्क प्रभारों को विनियंत्रित करने के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। शुल्क प्रभार बाजार शक्तियों पर निर्भर करते हैं। समय-समय पर केबल शुल्क प्रभारों में वृद्धि से संबंधित कुछ अभ्यावेदन तथा समाचार रिपोर्टों को समय-समय पर देखा गया है।

(घ) और (ङ) हालांकि सरकार के पास ऐसी कोई योजना नहीं है तथापि, आवासीय कल्याण संस्थाएं केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अंतर्गत उनकी स्वयं की केबल वितरण सेवाएं स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

[हिन्दी]

विद्युत परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से वित्तीय सहायता

*51. **श्री राजो सिंह** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने कुछ विद्युत परियोजनाओं को संयुक्त रूप से वित्तपोषण करने में गहरी रूचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) एशियाई विकास बैंक की सहायता से बिहार में कितनी विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री (श्री अनन्त गंगाराम गीते) : (क) और (ख) विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक की ओर से देश में किसी भी विद्युत परियोजना के लिए संयुक्त रूप से वित्तीय पोषण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) बिहार स्थित पूर्णिया उप-केन्द्र का निर्माण कार्य एशियाई विकास बैंक के सहयोग से पावरग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लि० द्वारा किया जा रहा है। इस उप केन्द्र का मार्च, 2003 में कार्य शुरू किया जाना निर्धारित है।

रेल दुर्घटना

*52. **श्री रामपाल सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल दुर्घटनाओं से बचने के लिए मशीनों द्वारा रेलवे का रख-रखाव कार्य करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई कार्य-योजना बनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) रेलवे में मशीनों द्वारा पूरा रख-रखाव कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) जहां कहीं रेलपथ संरचना मशीन द्वारा अनुरक्षण के लिए उपयुक्त है, वहां रेलपथ के अनुरक्षण के लिए पहले से ही मशीनें लगाई गई हैं और उनकी संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। रेलपथों का मशीनों से अनुरक्षण कार्य करना बेहतर रेलपथ ज्यामिति और रेल यात्रा को अधिक आरामदायक और सुरक्षित बनाने के लिए की जाने वाली परिसंपत्ति अनुरक्षण गतिविधियों का एक कार्य है।

चल स्टाक और संरक्षा संबंधी अन्य रेल परिसंपत्तियों के अनुरक्षण के लिए विभिन्न रेल कारखानों और अनुरक्षण डिपुओं में भी मशीनों का गहन उपयोग किया जा रहा है।

(ख) से (घ) रेलपथ नवीकरण और अनुरक्षण संबंधी आवश्यक कार्यकलापों के संपूर्ण यांत्रिकीकरण के लिए मशीनों की और खरीद करने के लिए एक कार्ययोजना बनाई गई है। कार्ययोजना के अनुसार मौजूदा मशीनों को आयु एवं हालत के आधार पर बदले जाने के अलावा लगभग 2100 करोड़ रुपए की कीमत की अतिरिक्त रेलपथ मशीनें खरीदी जानी अपेक्षित हैं। अतिरिक्त मशीनों के वर्ष 2012 तक स्थापित हो जाने की संभावना है, बशर्ते कि धन उपलब्ध हो। बहरहाल, अभी भी कुछ कार्यकलाप मशीनों की सहायता के बिना ही किए जा रहे हैं, क्योंकि ये कार्य मशीनों से नहीं किए जा सकते।

[अनुवाद]

ए०जी०टी० की खरीद

*53. **श्री जे०एस० वराड़** :
श्री वी० वेत्रिसेलवन :

क्या **रेक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एडवांस जेट ट्रेनर्स (ए०जे०टी०) की खरीद के संबंध में क्या प्रगति हुई;

(ख) आज की तारीख तक पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने प्रशिक्षु पायलटों की मृत्यु हुई और ए०जे०टी० के अभाव में कितने विमान गवांने पड़े हैं;

(ग) बढ़ती विमान दुर्घटनाओं के मद्देनजर पायलटों में कुशलता, अभ्यास की क्षमता, परिस्थिति को शीघ्र भांप लेने और स्थितिजन्य सतर्कता

बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में कितनी सफलता प्राप्त की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) उन्नत जेट प्रशिक्षक (ए०जे०टी०) विमान की अधिप्राप्ति हेतु विभिन्न विकल्प सरकार के विचाराधीन हैं। अभी तक उन्नत जेट प्रशिक्षक विमानों के लिए किसी संविदा को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इतनी बड़ी अधिप्राप्ति परियोजना के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं हो पाएगा। तथापि, सरकार इस मुद्दे को शीघ्र अंतिम रूप दिए जाने के लिए उत्सुक है।

गत तीन वर्षों के दौरान मारे गए पायलटों तथा क्षतिग्रस्त विमानों का ब्यौरा निम्नलिखित है :–

वर्ष	मारे गए पायलट	क्षतिग्रस्त विमान
2000-01	15	27
2001-02	09	20
2002-03 (17 फरवरी 2003 तक)	07	21

उन्नत जेट प्रशिक्षक विमान के न होने तथा विमान दुर्घटनाएं होने के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है।

पायलट प्रशिक्षणार्थियों की कुशलता तथा आत्मविश्वास के स्तर में सुधार लाने के लिए प्रशिक्षण गुणवत्ता में वृद्धि हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :–

(क) प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए चरण-I प्रशिक्षण के उड़ान पाठ्यक्रम में 07 घंटे की वृद्धि की गई है। जिसमें रात्रि में 0.45 घंटे प्रत्येक की दोहरी चार उड़ानें तथा निकट विरचना की 1:00 घंटा प्रत्येक की चार उड़ानें शामिल हैं।

(ख) सभी प्रारंभिक प्रशिक्षक विमानों के लिए प्रैक्टिस प्रोसीजर प्लेटफार्म एवं कॉकपिट प्रोसीजर प्रशिक्षक शामिल किए जाने की योजना बनाई गई है। इससे प्रशिक्षणार्थियों के सही निर्णय लेने तथा आपातस्थिति से निपटने की क्षमता एवं परिस्थितिजन्य जागरूकता में सुधार आएगा।

(ग) लड़ाकू पायलटों संबंधी चरण-II प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में मध्यम स्तरीय सामरिक विरचना अभ्यासों को शामिल करने के लिए 04 घंटों की वृद्धि की गई है। इससे प्रशिक्षण के अगले चरण में जटिल संक्रियात्मक अभ्यासों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षणार्थी के आत्मविश्वास के स्तर में वृद्धि होगी।

उपर्युक्त उपायों के प्रभाव का आकलन अगले दो से तीन वर्षों में किया जा सकेगा जब ये पायलट विभिन्न स्क्वाड्रनों में संक्रियात्मक हैसियत प्राप्त करेंगे।

रेल दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी निर्धारित करना

*54. **श्री बसुदेव आचार्य :**
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी रेल महाप्रबंधक और मंडल रेल प्रबंधक को उनके क्षेत्र में होने वाली दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया है;

(ख) यदि हां, तो सुस्पष्ट जिम्मेदारी के साथ सुरक्षा मानकों को लागू करने के लिए निर्धारित किए गए मार्गनिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों की वित्तीय शक्ति दो करोड़ रुपए से बढ़ाकर दस करोड़ रुपए कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या रेल दुर्घटनाओं में वृद्धि जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों को वित्तीय शक्तियों में कमी के कारण हैं;

(ङ) क्या यह सच है कि दुर्घटनाएं रेल पटरियों, पुलों, रोलिंग स्टाक के रख-रखाव और पुनरुद्धार में कमी और सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के अभाव में हो रही है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) और (ख) प्रत्येक दुर्घटना की जांच की जाती है और दुर्घटना के कारणों और जिम्मेदारी को जांच रिपोर्ट में निर्धारित किया जाता है। क्रियात्मक यूनिटों को नियंत्रित करने वाले आसन्न अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा की गई ऐसी गलतियों के लिए, जिनका जांच रिपोर्ट में उल्लेख होता है, उनके विरूद्ध प्राथमिक, गौण और उत्तर दायित्व वाली जिम्मेदारी निर्धारित की जाती है। संरक्षा के मानदंडों में अनुरक्षण प्रतिक्रियाएं और मानक नियमों और मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करना शामिल हैं। इनमें से किसी के भी उल्लंघन होने पर उसका पता लगाकर दोषी पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों को सेवा से हटाए जाने/बर्खास्त किए जाने तक का

कड़ा दंड दिया जाता है। प्रणाली की निरन्तर विफलता की स्थिति में विफलता की गंभीरता के अनुसार उच्च अधिकारियों की जिम्मेवारी भी निर्धारित की जाती है। 2001-02 में एक दुर्घटना के मामले में दो मण्डल रेल प्रबंधकों की उत्तरदायित्व वाली जिम्मेदारी निर्धारित की गई।

(ग) और (घ) गाड़ी दुर्घटनाओं में वृद्धि नहीं हुई है। वास्तव में परिणामी दुर्घटनाओं की संख्या वर्ष 2000-01 के 473 की तुलना में 2001-02 में घटकर 414 रही। 2002-03 के दौरान (अप्रैल 2002 से जनवरी 2003 तक) चालू वर्ष में 304* दुर्घटनाएं (*आंकड़े अनन्तिम है) हुई। बहरहाल, संरक्षा संबंद्ध कार्यों को तेजी से पूरा करके संरक्षा में और सुधार लाने के लिए जोनल रेलों के महाप्रबंधकों की वित्तीय शक्तियां बढ़ाई गई हैं। ''पुल संबंधी कार्य'', 'सिगनल और दूरसंचार' और 'रेलपथ नवीकरण' योजना शीर्षों के अंतर्गत पहले के प्रतिमद 30 लाख रुपए की तुलना में प्रतिमद 50 लाख रुपए तक के संरक्षा संबंधी कार्यों को अब महाप्रबंधक स्वीकृत प्रदान कर सकते हैं। अधिकतम वार्षिक वित्तीय सीमा भी 6 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दी गई है।

(ङ) और (च) जी नहीं। रेलपथ, चल स्टॉक और सिगनलिंग गियर आदि जैसी परिसंपत्तियों का अनुरक्षण करना एक सतत् प्रक्रिया है और सामान्य तौर पर अनुरक्षण कार्यों का कोई बकाया शेष नहीं रहती है। 6 वर्ष की समय सीमा के भीतर गतायु परिसंपत्तियों के बदलाव का पिछला बकाया समाप्त करने के लिए (1.4.2001 की स्थिति के अनुसार) अक्तूबर 2001 में 17000 करोड़ रुपए की एक नान लैप्सेबल विशेष रेल संरक्षा निधि का सृजन किया गया है। अनुरक्षण के बकाया अथवा परिसंपत्तियों के बदलाव के मामले में अन्य संरक्षा सावधानियों के अलावा परिचालन की गति में समुचित कमी की गई है ताकि संरक्षा किसी भी तरह से प्रभावित न हो।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना का प्रस्ताव

*55. **डा० जसवंत सिंह यादव** : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वीकृत और क्रियान्वित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना की राज्य-वार लागत कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में और सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) और (ख) नौवीं योजना के दौरान राज्य सरकारों से स्टैंड एलोन एवं ग्रिड से जुड़े सौर विद्युत संयंत्रों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) 10वीं योजना के दौरान ग्रामीण ग्रिडों में वोल्टेज सहायता, शहरी केन्द्रों में पीक शेविंग, उद्योग द्वारा द्वीपों/दूरवर्ती स्थानों में डीजल की बचत तथा उद्योग द्वारा कैप्टिव विद्युत यूनिटों के लिए 5 मेगावाट क्षमता की ग्रिड इंटरएक्टिव प्रकाशवोल्टीय (पी०वी०) विद्युत परियोजनाएं स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। 10वीं योजना के दौरान समग्र 3.6 मेवा० की स्टैंडएलोन पी०वी० विद्युत परियोजनाओं को भी स्थापित करने का प्रस्ताव है। पी०वी० विद्युत परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सी०एफ०ए०) तथा ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने वाले वाणिज्यिक संगठन त्वरित मूल्यह्रास लाभ के लिए पात्र हैं।

विवरण

नौवीं योजना के दौरान राज्य सरकारों से प्राप्त सौर विद्युत संयंत्र प्रस्तावों की राज्यवार एवं वर्षवार स्थिति

1997-98

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्थान	सं० एवं क्षमता (किवा०पी०)		अनुमानित/ स्वीकृत लागत (लाख रु० में)	केन्द्रीय वित्तीय सहायता (लाख रु० में)	स्थिति
			सं०	केडब्लूपी			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	ईपीटीआरआई भवन, हैदराबाद	1	3	13.50	6.16	स्वीकृत और संस्थापित

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	असम	अजान पीर दरगाह काम्प्लैक्स, दिकोमुख, सिबसागर	1	1.5	राज्य सरकार द्वारा निधियों का आवंटन न होने के कारण कार्यान्वित नहीं किया गया		
		चानगिनी सतरा काम्प्लैक्स, उत्तरी लखीमपुर जिला	1	1.5	राज्य सरकार द्वारा निधियों का आवंटन न होने के कारण कार्यान्वित नहीं किया गया		
		बिहुमेला सामुदायिक केन्द्र सिलापाथर, दिहमाजी जिला	1	1.5	राज्य सरकार द्वारा निधियों का आवंटन न होने के कारण कार्यान्वित नहीं किया गया		
3.	जम्मू एवं कश्मीर	दूरवर्ती क्षेत्रों में 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	1	45	राज्य सरकार द्वारा निधियों का आवंटन न होने के कारण कार्यान्वित नहीं किया गया		
		लेह जिला/न्योमा टाउन	1	40	144.90	73.10	स्वीकृत और संस्थापित
4.	मेघालय	पूर्वी खासी पहाड़ियां/पाइनूसला/मवाती	1	1	4.00	2.10	स्वीकृत और संस्थापित
		दक्षिण गारो पहाड़ियां/बेगमारा/ बामनजादूगिरी	1	1	4.00	2.10	स्वीकृत और संस्थापित
5.	पंजाब	मुक्तसर/लाम्बी/बादल (I)	1	1	85.00	43.00	स्वीकृत और संस्थापित
		मुक्तसर/लाम्बी/बादल (II)	1	3			
		भटिंडा/कालझरानी (I)	1	1.5			
		भटिंडा/कालझरानी (II)	1	1			
		भटिंडा/कालझरानी (III)	1	3			
		मनसा/भंडेर	1	1.5			
		रोपर/पडियाला	1	1.5			
		पटियाला/छट	1	3			
		पटियाला/तोहरा	1	1.5			
		मुक्तसर/झोरार	1	3			
6.	पश्चिम बंगाल	दक्षिण 24 परगना/सागर द्वीप/खासमहल	1	25	321.00	136.34	स्वीकृत और संस्थापित
		दक्षिण 24 परगना/सागर द्वीप/गायेन बाजार	1	25			
		दक्षिण 24 परगना/सागर द्वीप/महेन्द्रा गंज	1	25			

1998-99

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्थान	सं० एवं क्षमता (किवा०पी०)		अनुमानित/ स्वीकृत लागत (लाख रु० में)	केन्द्रीय वित्तीय सहायता (लाख रु० में)	स्थिति
			सं०	केडब्लूपी			
1.	असम	लेईसॉंग गांव, इम्पोई एरिया, एनसी हिल्स जिला	1	1.5	6.94	3.10	स्वीकृत और संस्थापित
2.	हिमाचल प्रदेश	हिमऊर्जा ऑफिस, शिमला	1	1.5	9.00	3.10	स्वीकृत और संस्थापित
3.	जम्मू एवं कश्मीर	चार जिलों में प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र	4	4x 8.40	दर्शाया नहीं गया	67.60	स्वीकृत और संस्थापित नहीं
4.	केरल	कंजालकोडा-पालक्कड़	1	100	256.00		स्वीकृत नहीं
5.	पंजाब	केशगढ़ साहिब, किरतपुर साहिब और आनन्दगढ़ साहिब में गुरूद्वारे	3	3x 5.00	57.00	28.80	स्वीकृत और संस्थापित
		गांव बजाक, भटिंडा	1	50	140.00	99.00	स्वीकृत और संस्थापित
6.	पश्चिम बंगाल	दक्षिण 24 परगना में सागर द्वीप में 3 गांव अर्थात नतेन्द्रपुर, उत्तर-हरधनपुर और मंदिर तला	3	3x 28.5	209.75	105.17	स्वीकृत और संस्थापित
		बिकल्पा शक्ति भवन कोलकाता	1	25	51.92	34.61	स्वीकृत और संस्थापित
7.	चंडीगढ़	पंजाब छोटा-सचिवालय, चंडीगढ़	1	50	135.73	90.48	स्वीकृत और संस्थापित
8.	लक्षद्वीप	मिनीकोय द्वीप	1	100	298.04	193.00	स्वीकृत और संस्थापित

1999-2000

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्थान	सं० एवं क्षमता (किवा०पी०)		अनुमानित/ स्वीकृत लागत (लाख रु० में)	केन्द्रीय वित्तीय सहायता (लाख रु० में)	स्थिति
			सं०	केडब्लूपी			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हिमाचल प्रदेश	केईई मोनेस्टरी जिला-लाहौल एवं स्पीति	2	2x 5.00	दर्शाया नहीं गया	20.20	राज्य सरकार ने परियोजना न स्थापित करने का निर्णय लिया
2.	कर्नाटक	नागसंदरा बंगलौर	3	3x 3.00		18.30	स्वीकृत और संस्थापित

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	महाराष्ट्र	चलकेवाडी जिला-सतारा	1	25	82.00	—	स्वीकृत नहीं राज्य सरकार ने बराबर की निधियां उपलब्ध नहीं कराई
		कोंडलवाडी, बिलोली जिला-नांदेड	1	100	335.00	—	स्वीकृत नहीं राज्य सरकार ने बराबर की निधियां उपलब्ध नहीं कराई
4.	उड़ीसा	अंतरिम परीक्षण रेंज, बालासोर	2	2x 1.50	9.14	4.77	स्वीकृत और संस्थापित
5.	पश्चिम बंगाल	मौसानी द्वीप, सुंदरेन क्षेत्र दक्षिण 24 परगना	1	55.00	178.00	70.39	स्वीकृत और संस्थापित
6.	उत्तर प्रदेश	शक्ति भवन, लखनऊ	1	25.00	80.00	—	स्वीकृत नहीं राज्य सरकार ने बराबर की निधियां उपलब्ध नहीं कराई हैं

2000-01

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्थान	सं० एवं क्षमता (किवा०पी०)		अनुमानित/ स्वीकृत लागत (लाख रु० में)	केन्द्रीय वित्तीय सहायता (लाख रु० में)	स्थिति
			सं०	केडब्लूपी			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	सचिवालय सौंध हैदराबाद	1	50	150.00	—	स्वीकृत नहीं राज्य सरकार ने बराबर की निधियां उपलब्ध नहीं कराई
		मुख्य मंत्री आवास हैदराबाद	1	50	150.00	—	
		राजभवन हैदराबाद	1	25	85.00	—	
2.	अरूणाचल प्रदेश	कंबांग गांव पश्चिम सियांग जिला न्यू एलोप गांव बुलांग वैली जिला न्यू अलोनी गांव दुलांग वैली जिला	3	4.50, 2.50 एवं 2.20	36.05	32.50	स्वीकृत एवं संस्थापित
3.	असम	उमानंद द्वीप गुवाहाटी, जवाहर नवोदय विद्यालय एवं हॉस्टल सोनितपुर जिला	3	3x 1.50	14.87	7.28	स्वीकृत और संस्थापित
4.	हरियाणा	टीसीपीपी/टेरी ग्वालपहाड़ी गुड़गांव	1	50	150.00	—	स्वीकृत नहीं राज्य सरकार ने बराबर की निधियां उपलब्ध नहीं कराई
5.	जम्मू एवं कश्मीर	लालोक आवासीय स्कूल डरबक ब्लॉक, लेह	1	4.9	20.84	—	स्पष्टीकरण मांगा गया

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	कर्नाटक	कर्नाटक में 5 स्थानों पर पूर्ण प्राज्ञ स्कूल	5	5x 1.184	24.75	11.84	स्वीकृत एवं संस्थापित
7.	केरल	इदुक्की में 11 दूरदराज की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कॉलोनियां, एमपीएम, पालक्कड़ टीसीआर, तिरूवनंतपुरम जिले	11	40.04 कुल	174.33	81.18	स्वीकृत एवं संस्थापित
		विधानमंडल सचिवालय	1	100	299.00	199.00	स्वीकृत एवं संस्थापनाधीन
8.	मेघालय	दक्षिण गारो पहाड़ियां, पूर्व गारो पहाड़ियां, पश्चिम गारो पहाड़ियां, रि-भोई जयंतिया पहाड़ियां, पश्चिम खासी पहाड़ियां, पूर्व खासी पहाड़ी जिलों में 14 जनजातीय एवं दूरदराज के गांव	14	35.5 कुल	216.00	71.00	स्वीकृत, 5 केडब्लूपी का एक संयंत्र संस्थापित
9.	मिजोरम	सिविल हॉस्पीटल, आइजोल डि-ऐडिक्शन-कम-रिहैबीलिटेशन सेंटर, सिलोआम सेंटर टीएनटी कलवारी हॉस्पीटल जुवांगतुई; मैटरनिटी सेंटर कुलीकवान	4	4x 25	290.68	261.12	स्वीकृत, संस्थापनाधीन
10.	उड़ीसा	टूरिस्ट कॉम्प्लैक्स अत्री, जिला मयूरभंज	1	25	—	—	संशोधित प्रस्ताव प्रतीक्षित है।
11.	पंजाब	गांव खटकरकलां जिला नवाशहर	1	200	436.42	285.00	स्वीकृत एवं संस्थापित
12.	राजस्थान	रिको बिल्डिंग, जयपुर	1	25	74.00	—	स्वीकृत नहीं
		राज्य सचिवालय भवन, जयपुर	1	25	72.70	46.67	स्वीकृत एवं संस्थापित
		न्यू राजस्थान विधान भवन, जयपुर	1	25	72.70	46.67	स्वीकृत एवं संस्थापित
13.	तमिलनाडु	एसआईएसआई बिल्डिंग, चेन्नई	1	85	295.00	—	अब तक स्वीकृत नहीं
		सीईसीआरआई, कराईकुडी	1	2.5	9.00	—	राज्य सरकार से प्रस्ताव में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है
14.	उत्तर प्रदेश	सचिवालय सौंध बिल्डिंग, लखनऊ	1	25	80.00	47.00	स्वीकृत, परियोजना रद्द कर दी गई
		आईआरईपी प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ	1	25	75.00	50.00	वर्ष 2002-03 के दौरान स्वीकृत
15.	पश्चिम बंगाल	गौसाबा द्वीप	1	50	129.00	—	अब तक स्वीकृत नहीं राज्य सरकार से प्रस्ताव में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	लक्षद्वीप द्वीप समूह	बित्रा द्वीप	—	25 क्षमता संयोजन	219.80	50.00	स्वीकृत एवं संस्थापनाधीन
		यंगाराम द्वीप	—	40 क्षमता संयोजन	180.20	80.00	स्वीकृत एवं संस्थापनाधीन
		अगाती द्वीप	1	100	1882.00	1227.00	स्वीकृत, नवीं योजना के दौरान अगाती और कावारती में और वर्ष 2002-03 के दौरान अंद्रोत और कदमात में संस्थापित। तीन परियोजनाएं संस्थापनाधीन हैं।
		अमिनी द्वीप	1	100			
		अंद्रोत द्वीप	1	100			
		चेतलत द्वीप	1	100			
		कडमात द्वीप	1	150			
		कालपेनी द्वीप	1	100			
		कावारत्ती द्वीप	1	100			
17.	चंडीगढ़	पेडा कार्यालय भवन, चंडीगढ़	1	25	80.00	47.00	स्वीकृत एवं संस्थापनाधीन

2001-02

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्थान	सं० एवं क्षमता (किवा०पी०)		अनुमानित/ स्वीकृत लागत (लाख रु० में)	केन्द्रीय वित्तीय सहायता (लाख रु० में)	स्थिति
			सं०	केडब्लूपी			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	छत्तीसगढ़	30 गांवों का विद्युतीकरण	30	76.65	337.21	140.97	स्वीकृत एवं कार्यान्वयनाधीन
2.	कर्नाटक	जगद्गुरू श्री शिवरात्रिश्वर महाविद्यापीठ संस्था	2	100 (2x 50)	प्रस्ताव में संशोधन किया जाना है।		
3.	उड़ीसा	टूरिस्ट कॉम्पलैक्स अत्री, खुरदा	1	25	विवरण प्रतीक्षित है		
4.	सिक्किम	(i) सिंगताम जिला हॉस्पीटल	2	5.7	26.64	20.05	स्वीकृत कार्यान्वयनाधीन
		(ii) एसटीसी भवन, गंगटोक		9.0	38.51	31.60	
5.	तमिलनाडु	सीईसीआरआई, कराईकुडी	1	30	150.00	राज्य सरकार से प्रस्ताव में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है	

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	त्रिपुरा	कालाचार	1	25	82.61	राज्य सरकार से प्रस्ताव में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है	
		विज्ञान भवन, गोरखा बस्ती, अगरतला	1	25	82.61	राज्य सरकार से प्रस्ताव में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है	
7.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश में गांवों का विद्युतीकरण	14	220	910.00	397.40	स्वीकृत, कार्यान्वयनाधीन
8.	पश्चिम बंगाल	मौसानी द्वीप, सुन्दरबान	1	100	330.00	165.00	स्वीकृत, कार्यान्वयनाधीन
		सुन्दरबन में ब्रोजोबल्लभपुर और इन्दापुर गांवों में	2	200 (2× 100)	720.25	300.08	स्वीकृत, कार्यान्वयनाधीन
9.	राजस्थान	रामपुर गांव, जिला टौंक में	1	20	स्वीकृत नहीं		
10.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	हवलोक द्वीप	2	100 (2× 50)	320.00	200.00	स्वीकृत

अग्रिम क्षेत्रों से बारूदी सुरंगों का हटाया जाना

*56. **श्रीमती प्रभा राव :**
श्री के०पी० सिंह देव :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत-पाकिस्तान सीमा के गांवों में रह रहे लोगों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अग्रिम चौकियों से सैनिकों को वापस बुलाने के बाद अग्रिम क्षेत्रों को बारूदी सुरंग विहीन बनाने पर भारत और पाकिस्तान में सहमति हो गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सीमा क्षेत्र से बारूदी सुरंगों को हटाने का कार्य पूरा हो गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त क्षेत्र से बारूदी सुरंगों को हटाने की प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी;

(च) दिसंबर 2001 से अब तक बारूदी विस्फोटों के कारण कितने सैनिक और नागरिक मारे गए हैं/घायल हुए हैं; और

(छ) पीड़ितों को मुआवजे के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (छ) सीमा से लगे गांवों में रहने वाले लोगों के अनजाने में बारूदी सुरंगों वाले क्षेत्रों में चले जाने से बचाव सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए हैं। बारूदी सुरंगों को तार-बाड़ से घेरकर चिन्हित किया गया है तथा वहां पहरा दिया जाता है और गश्त लगाई जाती है। इसके अलावा, बारूदी सुरंगों वाले क्षेत्रों की मौजूदगी के संबंध में ग्रामवासियों को बताया गया है तथा उन्हें जागरूक किया गया है।

अग्रवर्ती क्षेत्रों से बारूदी सुरंगें हटाए जाने के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ कोई करार नहीं हुआ है। तथापि, विश्वसनीय सूचनाओं से संकेत मिलता है कि पाकिस्तानी सेना भी सीमा पर अपनी ओर इसी प्रकार बारूदी सुरंगों को हटा रही है।

'आपरेशन पराक्रम' के दौरान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बिछाई गई बारूदी सुरंगें हटाई जा रही हैं तथा बारूदी सुरंगें हटाने के काम के लिए अपेक्षित संख्या में सैन्य टुकड़ियां तैनात की गई हैं।

उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार दिसंबर, 2001 से बारूदी सुरंगों के फटने के कारण हुए हताहतों का ब्यौरा निम्नलिखित है :–

हताहतों का स्वरूप	बारूदी सुरंग बिछाते हुए		बारूदी सुरंग हटाए जाते समय		कुल
	सेना	सिविलियन	सेना	सिविलियन	
मारे गए	60	21	4	शून्य	85
जख्मी	142	100	45	3	290
कुल	202	121	49	3	375

प्रत्येक सैनिक के आश्रित को युद्ध हताहतों के लिए व्यापक कल्याण पैकेज के अनुरूप मुआवजा दिया जाता है। सिविलियनों के लिए एक स्कीम 'जमीनी बारूदी सुरंगों से हुए हताहतों के लिए अनुग्रह मुआवजा पैकेज'

मंजूर कर दी गई है तथा उसे पूर्व प्रभाव से 19 दिसंबर, 2001 अर्थात् 'आपरेशन पराक्रम' शुरू होने की तारीख से लागू किया गया है।

[हिन्दी]

व्यावसायिक उपयोग हेतु भूमि का आवंटन

*57. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन :**
श्री शिवाजी माने :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा सम्पदा विभाग ने अपने नियंत्रण वाली भूमि को व्यावसायिक कार्य हेतु निजी पार्टियों को आवंटित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या नियम बनाए गए है;

(ग) क्या कुछ निजी पार्टियों ने उनको आवंटित भूमि का दुरूपयोग किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे कार्यों को रोकने हेतु क्या कार्रवाई की गई ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) सिवाय मंत्रिमंडल के पूर्वानुमोदन के वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए प्राइवेट पार्टियों को रक्षा भूमि का कोई अंतरण/हस्तांतरण नहीं किया जाता है। तथापि, विभिन्न रक्षा संपदा प्राधिकारी, राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभाओं, सामाजिक/धार्मिक कृत्यों और अन्य प्रयोजनों के लिए अल्पकालिक लाइसेंस आधार पर प्राइवेट पार्टियों को अपने प्रबंधन के अधीन भूमि आबंटित कर सकते हैं।

रक्षा भूमि के दुरूपयोग के कुछ मामलों की जानकारी मिली है। ऐसे मामलों में पट्टे/लाइसेंस के निबंधन और शर्तों के अनुसार समुचित कार्रवाई की जाती है।

रेल डिब्बों की जीर्ण-शीर्ण अवस्था

*58. **श्री पदमसेन चौधरी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मीटर गेज लाइनों के रेल डिब्बों की जीर्ण-शीर्ण अवस्था की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार के पास रेल यात्रियों की परेशानी को दूर करने हेतु ऐसे रेल डिब्बों को बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ग) नए डिब्बों को कब तक लगाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : (क) से (ग) आमान परिवर्तन के काम में प्रगति होने के परिणामस्वरूप मीटर आमान के कुछ खंडों को अस्थाई तौर पर बंद करना पड़ा है, जिसकी वजह से कुछ गतायु सवारी डिब्बों की संरक्षा को पूरी तरह सुनिश्चित करने के बाद उनका गाड़ियों के साथ चालन जारी रखना पड़ा है। इससे कुछ हद तक सवारी डिब्बों की दशा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, लेकिन बंद पड़े खंडों में सवारी डिब्बों का यानांतरण करके, ओवरहालिंग कारखानों से समर्थन की व्यवस्था करके और नए सवारी डिब्बों का निर्माण करके उपचारात्मक कार्रवाई की गई है। इसके अलावा, रेलों ने वर्ष 2000-2001 से मीटर आमान के सवारी डिब्बों का उत्पादन फिर से शुरू कर दिया है और अप्रैल 2000 से जनवरी 2003 तक मीटर आमान के 29 सवारी डिब्बों को गाड़ियों के साथ लगा दिया गया है। इसी प्रकार आवश्यकता पर आधारित मीटर आमान के सवारी डिब्बों का निर्माण किया जाता रहेगा।

[अनुवाद]

तट क्षेत्र में भू-अवसंरचना का विस्तार

*59. **श्री पी०डी० एलानगोवन** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय तट क्षेत्र के आस-पास तट रक्षा हेतु भू-अवसंरचना के विस्तार का है;

(ख) यदि हां, तो क्या तट रक्षक बल ने इसके लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में तट रक्षक बल की गश्त बढ़ाने के लिए धनराशि आवंटित की है;

(ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा तटीय क्षेत्रों विशेषकर तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के तट पर गश्त बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (च) तटरक्षक ने ऐसे क्षेत्रों का पता लगाया है जिनमें समुद्री कार्यकलाप बढ़ रहे हैं और जो असुरक्षित हैं। तटरक्षक ने दस नए तटरक्षक स्टेशन बनाए जाने की योजना बनाई है। वर्ष 2002-07 की योजना-अवधि के चरण-I में पांच तटरक्षक स्टेशन बनाए जाने का प्रस्ताव है और वर्ष 2007-2012 की योजना अवधि के चरण-II में शेष पांच तटरक्षक स्टेशन बनाए जाने हैं। इन तटरक्षक स्टेशनों की अवस्थिति नीचे दिए गए अनुसार है :–

1) रत्नागिरी (महाराष्ट्र)

2) बेयपुर (केरल)

3) कवारत्ती (लक्षद्वीप द्वीपसमूह)

4) पांडिचेरी (संघ शासित प्रदेश)

5) काकीनाडा (आंध्र प्रदेश)

6) बाडीनार (गुजरात)

7) जाफराबाद या पीपावाव (गुजरात)

8) गोपालपुर (उड़ीसा)

9) कामोरटा (अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह)

10) भाटकाल/माल्पे (कर्नाटक)

तीन वर्षों में तटरक्षक के वार्षिक बजट में आबंटित निधियां नीचे दिए गए अनुसार हैं :–

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	पूंजीगत	राजस्व	कुल
2000-2001	185.84	229.16	415.00
2001-2002	235.00	251.00	486.00
2002-2003	241.74	269.51	511.25

गश्त को और सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :–

1. चेन्नई में एक अतिरिक्त उन्नत अपतटीय गश्ती पोत (ए०ओ०पी०वी०) तैनात किया गया है।

2. पाल्क खाड़ी/मन्नार के खाड़ी-क्षेत्र में गश्त लगाने के लिए मंडपम में दो होवरक्राफ्ट तैनात किए गए हैं।

3. कोच्चि में डोरनियर स्क्वाड्रन सक्रिय कर दी गई है।

4. विजिन्जाम में तटरक्षक स्टेशनों को सक्रिय कर दिया गया है और एक अवरोधक नौका (इंटरसेप्टर बोट) की तैनाती कर दी गई है।

5. कोच्चि में एक अतिरिक्त अपतटीय गश्ती पोत की तैनाती कर दी गई है।

6. अप्रैल 2003 तक कोच्चि में एक द्रुत गश्ती पोत (एफ०पी०वी०) की तैनाती की जानी है।

फिल्मों की चोरी रोकने हेतु कानून

*60. **श्री अशोक ना० मोहोल :**
श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय फिल्म उद्योग को फिल्मों की चोरी की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इसके परिणामस्वरूप उसको घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या फिल्मों की चोरी रोकने और दोषी को दंडित करने हेतु कोई ठोस कानून नहीं है;

(घ) यदि हां, तो क्या कानून को और कड़ा बनाने हेतु मौजूदा कानून में संशोधन की मांग की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) :

विवरण

(क) से (ङ) 2002 की फिक्की आर्थर एंडरसन रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म उद्योग को पाइरेसी के कारण प्रतिवर्ष लगभग 3.6 अरब रुपये का घाटा हो रहा है।

प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आता है, चलचित्रिकी फिल्मों और संगीत में प्रतिलिप्याधिकार के अस्तित्व को बनाये रखने के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है। प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम के तहत अपराध से निपटने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों, प्रशासन के पुलिस प्राधिकारियों को दी हुई है। ऐसे अपराधों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए अधिकांश राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में प्रतिलिप्याधिकार प्रवर्तन प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी है।

प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्याधिकार कानून के साथ सामंजस्य बैठाने के लिए समय-समय पर संशोधित किया जाता है। अधिनियम का अंतिम मुख्य संशोधन 1994 का था और 1999 में अधिनियम के विशेष प्रावधानों को टी०आर०आई०पी०एस० करार के साथ संगत बनाने के लिए एक छोटा संशोधन किया गया था।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फिल्मों की पाइरेसी को कम करने के लिए कई पहलें की हैं जो निम्न प्रकार से हैं :–

(i) मनोरंजन क्षेत्र के विकास के लिए समिति द्वारा की गयी एक सिफारिश के आधार पर भारतीय जनसंचार संस्थान को चोरी विरोधी कार्य के लिए पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित करने हेतु उनके लिए समुचित प्रशिक्षण मानदंड बनाने का कार्य सौंपा गया है।

(ii) चोरी विरोधी मनोवृत्ति बनाने और स्टैक होल्डरों के बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए इस मंत्रालय ने फिल्म निर्माताओं, बहुसेवा आपरेटरों और केबल आपरेटरों की एक साथ बैठक की है और उन्होंने प्रतिलिप्याधिकार धारकों की वैध अनुमति के बगैर फिल्मों को प्रदर्शित करने का संयुक्त रूप से संकल्प लिया है।

(iii) केबल चोरी रोकने के एक प्रयास में, केबल आपरेटर को उस कार्यक्रम अथवा चेनल जिसके लिए उसे प्रतिलिप्याधिकार धारक द्वारा लाइसेंस नहीं दिया गया है, के प्रसारण अथवा पुन: प्रसारण करने से रोकने हेतु सरकार को सक्षम बनाने के लिए वर्ष 2000 में केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम में संशोधन किया है।

(iv) मनोरंजन क्षेत्र के विकास के लिए समिति द्वारा की गयी एक सिफारिश यह है कि राज्य सरकारों द्वारा लगाये जाने वाले मनोरंजन कर के लिए वास्तविक सीमा स्तर 60 प्रतिशत हो सकता है क्योंकि मनोरंजन कर की उच्च दर चोरी को सरल बनाती है, इस सिफारिश को राज्य सरकारों को परिचालित कर दिया गया है।

दक्षिण राज्यों में घुसपैठ

376. **श्री वाई०वी० राव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटरक्षकों के अनुसार दक्षिण राज्यों में घुसपैठ और तस्करी कम हुई है; और

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) भारतीय तटरक्षक दक्षिणी राज्यों के तटवर्ती क्षेत्र में निगरानी मुहैया करवाता है। तटरक्षक विमानों तथा पोतों के द्वारा गहन निगरानी के कारण दक्षिणी राज्यों में घुसपैठ में काफी कमी आई है। दक्षिणी राज्यों में शास्त्रास्त्रों की तस्करी का कोई मामला सामने नहीं आया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान घुसपैठ के तुलनात्मक आंकड़े निम्नवत् हैं :–

वर्ष	घुसपैठियों की संख्या (श्रीलंका से घुसपैठ)
2000	1588
2001	497
2002	74

गुरूवयूर-तानुर रेल लाइन

377. **श्री जी०एम० बनातवाला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के पालक्काड़ रेल डिवीजन में गुरूवयूर तानुर के बीच नई रेलवे लाइन के लिए कैबिनेट की स्वीकृत दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर काफी पहले की गई इसकी घोषणा के मद्देनजर इस रेलवे लाइन से संबंधित मामलों को जल्दी निपटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) रेलवे लाइन के मार्ग और संरेखन संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या उसमें पोन्नानी भी शामिल है; और

(घ) इस कार्य के किस समय तक प्रारंभ होने और पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) गुरूवायूर से तानुर तक नई रेलवे लाइन के लिए सरकार ने आवश्यक स्वीकृति प्रदान कर दी है। नक्शे और अनुमान तैयार करने आदि जैसे प्रारंभिक कार्य शुरू किए गए हैं।

(ग) सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, मंगलम, पोनानी और पुन्नईयुरकुलम के रास्ते लाइन का संरेखण।

(घ) प्रारंभिक कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है। अभी तक कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

ताप विद्युत संयंत्र को कोयले की आपूर्ति

378. **श्री वाई०जी० महाजन** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा विद्युत ताप संयंत्रों को आवंटित कोयले की मात्रा का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्यों ने उक्त अवधि के दौरान और कोयले की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान ताप विद्युत संयंत्रों को आवंटित किए गए कोयले की मात्रा को आवंटित किए गए कोयले की मात्रा का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) कोयला कंपनियों द्वारा ताप विद्युत स्टेशनों को आपूर्ति किए गए कोयले की मात्रा उनका विद्युत उत्पादन पूर्ण बनाए रखने के लिए पर्याप्त था और अपर्याप्त कोयला आपूर्ति के कारण किसी प्रकार की विद्युत उत्पादन हानि होने की सूचना नहीं है। तथापि, कभी-कभी कोयले की आपूर्ति हेतु प्रचालनाधीन कैश एंड कैरी स्कीम के मद्देनजर विद्युत यूटिलियों द्वारा कोयला संबंधी देय राशियों का भुगतान न किए जाने की दशा में कोयले की आपूर्ति को नियंत्रित कर लिया जाता है।

विवरण

वर्ष 1999-00, 00-01, 01-02 हेतु कोयले के आंकड़े

आंकड़े "000 टन में

क्र० सं०	टीपीएस का नाम	1999.00				2000-01				2001-02			
		लिंकेज	प्राप्ति	उपभोग	कोयला स्टाक	लिंकेज	प्राप्ति	उपभोग	कोयला स्टाक	लिंकेज	प्राप्ति	उपभोग	कोयला स्टाक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
उत्तरी क्षेत्र													
दिल्ली													
1.	बदरपुर	4300	3516	3425	112	4320	3668	3767	23	4380	4079	3818	298
2.	इन्द्रप्रस्था केन्द्र (डीवीबी)	795	625	686	55	855	734	695	78	735	677	650	73
3.	राजघाट (डीवीबी)	765	721	730	9	840	636	612	33	720	578	542	50
	कुल	5860	4862	4841	176	6015	5038	5074	134	5835	5334	5010	421
हरियाणा													
4.	फरीदाबाद	885	735	829	0	1020	750	772	11	930	740	731	32
5.	पानीपत	2475	1983	2249	33	2745	2082	2180	39	3870	3373	3289	132
	कुल	3360	2718	3078	33	3765	2832	2952	50	4800	4113	4020	164
पंजाब													
6.	भटिंडा	1830	1954	1909	94	2100	2142	2048	159	2340	1923	2036	82
7.	लेहरा मुहब्बत	2175	2283	2139	161	2565	2156	2201	133	2400	2159	2063	205
8.	रोपड़	5325	5492	5490	408	6050	5589	5800	220	7125	6011	5950	268
	कुल	9330	9729	9538	663	10715	9887	10049	512	11865	10093	10049	555

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
राजस्थान													
9.	कोटा	4470	3677	3679	186	3990	4044	3862	334	4350	3938	3881	406
10.	सूरतगढ़	1440	1142	1039	142	2310	1828	1795	183	3375	2679	2590	272
	कुल	5910	4819	4718	328	6300	5872	5657	517	7725	6617	6471	678
उत्तर प्रदेश													
11.	अनपारा	8880	7896	8118	409	8520	7848	7962	295	8655	8302	8299	330
12.	हरदुआगंज	750	617	617	21	645	726	771	20	990	774	733	49
13.	ओबरा	4950	4422	4532	197	5700	4857	4989	65	5150	4865	4669	348
14.	पनकी विस्तार	810	704	682	80	960	681	719	34	945	862	804	124
15.	परीचा	990	498	495	46	1050	503	538	33	1020	955	915	66
16.	टांडा (एनटीपीसी)	1390	681	710	111	1530	987	1109	86	1860	1979	1948	131
17.	ऊंचाहर	3180	2566	2514	241	3960	3660	3725	138	5100	4707	4460	395
18.	रिहन्द	4950	4759	4778	348	4896	4824	4943	230	4896	5005	4909	322
19.	सिंगरौली (एसटीपीएस)	9825	10023	9962	644	9411	10024	10312	333	9411	9811	9632	478
20.	एनसीटीपीपी (दादरी)	5190	4747	4681	196	5100	4377	4421	161	5115	4608	4288	470
	कुल	40915	36913	37089	2293	41772	38487	39489	1395	43142	41868	40657	2713
	कुल उ०क्षे०	65375	59041	59264	3493	68567	62116	63221	2608	73367	68025	66207	4531

क्र० सं०	टीपीएस का नाम	1999-00				2000-01				2001-02			
		लिंकेज	प्राप्ति	उपभोग	कोयला स्टाक	लिंकेज	प्राप्ति	उपभोग	कोयला स्टाक	लिंकेज	प्राप्ति	उपभोग	कोयला स्टाक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
पश्चिमी क्षेत्र													
गुजरात													
21.	अहमदाबाद	1110	1006	1060	78	900	870	1503	22	900	863	1473	58
22.	गांधीनगर	3960	2907	2950	74	2665	2392	2825	165	2325	2135	3081	226
23.	सिक्का	765	626	592	47	660	690	682	47	900	764	743	63
24.	उकई	2900	3298	3112	267	2750	3293	3700	99	3600	3362	3402	132
25.	वनाकबोरी	6450	7326	7162	301	6520	6872	7140	322	6175	6039	7170	97
	कुल	15185	15163	14876	767	13495	14117	15850	655	13900	13163	15869	576
मध्य प्रदेश													
26.	अमरकंटक	990	877	845	106	900	784	853	32	1140	796	756	54
27.	बीरसिंहपुर	3030	2465	2627	49	4320	3702	3612	231	4155	3474	3447	259
28.	सतपुड़ा	7500	5935	6035	87	6840	6233	5908	324	6975	6237	6205	122
29.	विन्ध्याचल एसटी	6720	6258	5945	891	6000	8306	8835	83	6000	10286	9787	745
	कुल	18240	15535	15452	1133	18060	19025	19208	670	18270	20793	20195	1180
छत्तीसगढ़													
30.	कोरबा पूर्व	2310	2176	2150	92	2070	1951	2007	51	2040	2074	2141	43
31.	कोरबा पश्चिम	4890	4122	3937	259	4575	3229	3644	7	5115	4198	3935	296
32.	कोरबा एसटीपीएस	11715	10843	10843	340	10575	10770	10860	433	10500	10967	11158	270
	कुल	18915	17141	16930	691	17220	15950	16511	491	17655	17239	17234	609

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	महाराष्ट												
33.	भुसावल	2580	2459	2457	78	2310	2081	2042	118	2355	2362	2364	117
34.	चन्द्रपुर	11340	11165	11101	299	11250	11154	11051	401	12600	11936	12059	257
35.	कोराडी	5710	4820	4956	129	5325	4443	4221	323	4620	4398	4454	245
36.	खापरखेड़ा	1800	1904	1894	166	2850	2728	2619	276	4640	4043	4175	139
37.	नासिक	3880	3694	3791	98	3780	3823	3807	115	3360	3729	3581	262
38.	परली	3240	2962	2959	89	3210	3229	3238	78	3300	3093	3080	121
39.	पारस	330	296	280	38	270	289	298	28	300	267	281	13
40.	ट्राम्बे	120	82	106	16	60	0	232	56	0	0	456	21
41.	दहाणु	1760	1523	2203	329	2130	1598	1946	175	2340	1797	2065	236
	कुल	30760	28905	29747	1242	31185	29345	29454	1570	33515	31625	32515	1411
	कुल प०क्षे०	83100	76744	77005	3833	79960	78437	81023	3386	83340	82820	85813	3776

क्र० सं०	टीपीएस का नाम	1999-00				2000-01				2001-02			
		लिंकेज	प्राप्ति	उपभोग	कोयला स्टाक	लिंकेज	प्राप्ति	उपभोग	कोयला स्टाक	लिंकेज	प्राप्ति	उपभोग	कोयला स्टाक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	दक्षिणी क्षेत्र												
	आंध्र प्रदेश												
42.	कोठागुडम	6465	5835	6032	230	6450	6092	5884	419	6195	6186	6294	348
43.	कोठागुडम बी	360	303	321	8	390	357	362	9	315	277	316	9
44.	विजयवाड़ा	6450	6622	6688	247	7050	7223	7095	374	6750	7000	7170	204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45.	रामागुण्डम एसटी	10800	10457	10448	702	11400	10527	10488	707	11325	9919	9963	642
46.	नैल्लोर	210	118	135	6	165	189	181	13	165	165	172	6
47.	रायलसीमा	2700	2607	2596	121	3030	2919	2802	244	2355	2310	2364	161
	सिम्हाद्री	0	0	0	0	0	0	0	0	300	313	0	313
	कुल	26985	25942	26220	1314	28485	27307	26812	1766	27405	26170	26279	1683
कर्नाटक													
48.	रायचूर	7050	5273	5525	132	7200	6106	6024	238	6285	5756	5702	348
तमिलनाडु													
49.	एन्नौर	990	985	1335	40	1485	1096	842	294	2310	1037	1190	135
50.	मेत्तूर	3690	4275	4469	120	5130	5235	4893	457	4335	4812	4779	490
51.	तूतीकोरिन	3660	3570	4707	105	5115	5591	5393	425	5220	5193	5312	336
52.	उत्तर चेन्नई	2670	2875	3175	38	3315	3476	3301	199	3330	3654	3624	229
	कुल	11010	11705	13686	303	15045	15398	14429	1375	15195	14696	14905	1190
	कुल द०क्षे०	45045	42920	45431	1749	50730	48811	47265	3379	48885	46622	46886	3221
पूर्वी क्षेत्र													
बिहार													
53.	बरौनी	750	398	322	82	540	385	337	17	660	477	350	90
54.	मुजफ्फरपुर	750	415	345	78	630	342	403	18	660	394	344	67
55.	कहलगांव एसटीपीएस	3900	3403	3661	163	3465	4296	4245	169	3690	4201	4124	242
	कुल	5400	4216	4328	323	4635	5023	4985	204	5010	5072	4818	399

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
झारखण्ड													
56.	पतरातू	2280	1478	1507	53	2100	1304	1340	14	1920	1257	1221	49
57.	तेनुघाट	1560	804	852	78	1290	897	931	38	1200	1083	818	302
58.	बोकारो (डीवीसी)	1950	1921	1878	283	1470	1782	1832	208	1740	1794	1729	270
59.	चन्द्रपुरा (डी जोड़)	1110	1396	1434	295	960	1268	1261	256	930	1386	1392	191
	कुल	6900	5599	5671	709	5820	5251	5364	516	5790	5520	5160	812

आंकड़े "000 टन में

क्र० सं०	टीपीएस का नाम	1999-00				2000-01				2001-02			
		लिंकेज	प्राप्ति	उपभोग	कोयला स्टाक	लिंकेज	प्राप्ति	उपभोग	कोयला स्टाक	लिंकेज	प्राप्ति	उपभोग	कोयला स्टाक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
पश्चिम बंगाल													
60.	दुर्गापुर (डीवीसी)	1140	1006	1097	40	1650	1070	1063	39	1230	844	828	57
61.	मैजिया (डीवीसी)	1455	1505	1279	255	1830	1924	1865	224	2430	2100	1942	381
62.	बाण्डेल	1200	1337	1350	75	1485	1256	1319	20	1500	1274	1226	71
63.	संथालडीह	870	852	892	53	900	742	695	72	990	773	744	38
64.	कोलाघाट	5610	4723	4758	57	5250	4782	4688	158	5130	4722	4742	106
65.	बक्रेश्वर	645	84	57	27	1305	660	669	29	2100	1810	1746	95
66.	कलकत्ता (सीईएससी)	735	728	731	27	600	585	601	12	645	533	535	13
67.	टीटागढ़ (सीईएससी)	960	852	878	16	990	923	922	16	1130	982	976	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68.	एसजी स्टेज (सीईएससी)	570	451	456	6	570	414	404	15	570	481	485	7
69.	बज बज	1545	1290	1285	64	1860	1792	1793	64	2285	1933	1944	49
70.	दुर्गापुर (डीपीएल)	800	622	616	106	600	348	432	24	1005	695	718	1
71.	फरक्का एसटीपीएस	6300	5546	5903	76	6600	7424	7078	440	6810	7173	6855	714
	कुल	21830	18996	19302	802	23640	21920	21529	1113	25825	23320	22741	1554
उड़ीसा													
72.	तालचेर ओल्ड	2310	2234	2118	233	2022	2153	2212	177	2013	2176	2190	169
73.	तालचेर एसटीपीएस	3675	4042	3883	391	3654	3757	3755	394	3669	4183	4333	228
74.	इब वैली	2400	2746	2709	44	2580	2505	2567	18	2460	2224	2175	84
	कुल	8385	9022	8710	668	8256	8415	8534	589	8142	8583	8698	481
	कुल पू०क्षे०	42515	37833	38011	2502	42351	40609	40412	2422	44767	42495	41417	3246
उ०पू० क्षेत्र/असम													
75	बोंगईगांव	240	108	116	5	273	83	84	8	195	47	40	11
	कुल अखिल भारत	236275	216646	219827	11582	241881	230056	232005	11803	250554	240009	240363	14785

उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

379. **श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह** : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या क्या है और उनकी अवस्थिति तथा उनके मुख्यालय कहां हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक में सरकार द्वारा कितना निवेश किया गया है;

(ग) लाभ अर्जित करने वाले, घाटे में चलने वाले और रूग्ण उपक्रमों का उपक्रमवार ब्यौरा क्या है तथा उनमें से कितने उपक्रम औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंपे गए हैं; और

(घ) रूग्ण उपक्रमों को पुनर्जीवित करने के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (ग) लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2000-2001 के अनुसार, जोकि एक प्रकाशित दस्तावेज है, 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 16 उपक्रम थे जिनके पंजीकृत कार्यालय उत्तर प्रदेश (यू०पी०) राज्य में स्थित है। उनके पते तथा मुख्यालय के सम्बन्ध में ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण 2000-2001 के खण्ड II में उपलब्ध है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के इन उद्यमों के नामों को दर्शाता हुआ एक विवरण, जिसमें उत्तर प्रदेश में इनकी अवस्थिति, और लाभ/हानि, निवेश के सम्बन्ध में इनका कार्य – निष्पादन और औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के साथ पंजीकृत केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों की स्थिति भी दर्शायी गई है, संलग्न है।

(घ) रूग्ण उपक्रमों के पुनरूद्धार हेतु योजनाएं प्रत्येक उद्यम के लिए भिन्न-भिन्न होती हैं, जिनमें कुछेक में ऋण, ब्याज को माफ करना, ऋण को इक्विटी में बदलना, नई धनराशि प्रदान करना, धनराशि जुटाने के लिए सरकारी गारण्टी का प्रावधान करना, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी०आर०एस०) द्वारा मानवशक्ति का यौक्तिकीकरण करना आदि शामिल है।

विवरण

31.3.2001 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश (यूपी) में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की अवस्थिति, उनके पंजीकृत कार्यालय, कुल निवेश और निवल लाभ/हानि सहित सूची

क्र० सं०	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	कुल निवेश	निवल लाभ/ हानि	उत्तर प्रदेश में अवस्थिति	कंपनी की हैसियत
1	2	3	4	5	6
1.	आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्यु० कारपो० ऑफ इंडिया	5328	51	कानपुर	लाभ अर्जित कर रही
2.	भारत इम्युनोलॉजीकल एण्ड बायोलॉजिकल कारपो० लि०	7491	87	बुलंदशहर	न बनाए रखने योग्य के रूप में बर्खास्त*
3.	भारत लेदर कारपो० लि०	2849	-242	आगरा	घाटा उठा रही
4.	भारत पम्प्स एण्ड कंप्रेशर्स लि०	11532	-559	इलाहाबाद	बंद करने का नोटिस जारी किया*
5.	भारत यंत्र निगम लि०	18321	1	इलाहाबाद	लाभ अर्जित कर रही
6.	ब्रिटिश इंडिया कारपो० लि०	40868	-3741	कानपुर	मसौदा स्कीम प्रचालित*
7.	ब्रॉडकास्ट इंजी० कंसल्टेंट्स इंडिया लि०	148	88	नोएडा	लाभ अर्जित कर रही
8.	ब्रुशवेयर लि०	14	-5	कानपुर	घाटा उठा रही
9.	कानपुर टेक्सटाईल्स लि०	12627	1398	कानपुर	बंद करने की सिफारिश की*

1	2	3	4	5	6
10.	एल्गिन मिल्स कंपनी लि०	6976	-6156	कानपुर	बंद करने की सिफारिश की*
11.	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि०	1700	32	लखनऊ	लाभ अर्जित कर रही
12.	नेटेका (उत्तर प्रदेश) लि०	106259	-13568	कानपुर	पुररूद्धार योजना स्वीकृत*
13.	स्कूटर्स इंडिया लि०	6139	510	लखनऊ	अब रूग्ण नहीं घोषित*
14.	टेनरी एण्ड फुटवियर कारपो० ऑफ इंडिया लि०#	32125	-3143	कानपुर	बंद करने की सिफारिश की*
15.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०	11292	-4592	इलाहाबाद	बंद करने का नोटिस जारी किया*
16.	यूपी ड्रग्स एण्ड फार्मा० लि०	473	3	कानपुर	पुररूद्धार योजना स्वीकृत की गई*

*औद्योगिक एवं पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंपे गए केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उद्यम।

#अब बंद हो गई है।

मनमाड-सिकंदराबाद-नांदेड रेल लाइन का विद्युतीकरण

380. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2003-04 के दौरान महाराष्ट्र की मनमाड-सिकंदराबाद-नांदेड़ बड़ी रेल लाइन के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उस पर कितनी राशि खर्च की जाएगी; और

(ग) विद्युतीकरण का कार्य किस समय तक पूर्ण होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ज्ञानदर्शन-III का प्रसारण

381. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव ज्ञानदर्शन-III के प्रसारण का है;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रमों की अवधि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक इसके प्रसारण की सम्भावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि ज्ञान दर्शन III चैनल 26 जनवरी, 2003 को शुरू कर दिया गया है।

(ख) यह एक तकनीकी शिक्षा चैनल है जिसे मानव ससाधन विकास मंत्रालय के तकनीकी शिक्षा विभाग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से शुरू किया गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली एक नोडल संस्था है। यह प्रतिदिन 16 घंटे के कार्यक्रम प्रसारित करेगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश नीति के कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों का आरक्षण सुविधा से वंचित होना

382. श्री मोइनुल हसन : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश नीति के फलस्वरूप समाज के गरीब तबके के लोग जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण नीति के तहत मिली सामाजिक सुरक्षा से वंचित होना पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार विनिवेशित की गई इकाइयों में आरक्षण नीति को जारी रखने के लिए नया विधेयक लायेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ० सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) सरकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित श्रमिकों सहित सभी श्रमिकों के हितों के संरक्षण के प्रति वचनबद्ध है। कार्यनीति संबंधी विक्रयों (स्ट्रेटेजिक सेल्स) के मामले में श्रमिकों के हितों का संरक्षण विनिवेश के समय हस्ताक्षरित लेन-देन करारों में उपयुक्त प्रावधानों को शामिल करके किया जाता है। करार के विवरण में उल्लेख होता है कि कार्यनीतिक पक्ष (स्ट्रेटेजिक पार्टनर) यह मानता है कि सरकार रोजगार नीतियों के संबंध में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों तथा समाज के अन्य अलाभान्वित वर्गों के सदस्यों के लाभार्थ कतिपय नीतियों का अनुसरण करती है और यह कि कार्यनीतिक पक्ष कम्पनी द्वारा ऐसे व्यक्तियों को पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करेगा। साथ ही, कंपनी के कर्मचारियों की संख्या में कमी के किसी मामले में कार्यनीतिक पक्ष यह सुनिश्चित करने का पूर्ण प्रयास करेगा कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की छंटनी अंत में की जाए।

(ग) और (घ) निजी क्षेत्र में उस क्षेत्र के सहयोग के बिना आरक्षण लागू करना संभव नहीं होगा। निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि संगठन मानवीय पूंजी निर्माण तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर अलाभान्वित समूहों के सशक्तिकरण का समर्थन करते हैं।

सोरोनुर-मंगलापुरम रेल लाइन का विद्युतीकरण

383. **श्री एन०एन० कृष्णदास** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सोरोनुर-मंगलापुरम रेल लाइन के विद्युतीकरण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, नहीं। यद्यपि, केरल के माननीय मुख्यमंत्री ने 20.12.2002 को शोरूवण्णूर मंगलोर खंड के विद्युतीकरण सहित विभिन्न मुद्दों पर एक ज्ञापन दिया है।

(ग) संसाधनों की तंगी और अन्य उच्च घनत्व वाले मार्गों के विद्युतीकरण की सापेक्ष प्राथमिकता के कारण, शोरूवण्णूर-मंगलौर खंड के विद्युतीकरण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

लग्जरी पर्यटन रेलगाड़ियां प्रारंभ किया जाना

384. **श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक और भारतीय रेल ने राज्य में राजस्थान की 'पैलेस आन व्हील्स' की तर्ज पर लग्जरी पर्यटन रेलगाड़ियां प्रारंभ करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए समझौता ज्ञापन का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समझौते को किस समय तक लागू किए जाने की संभावना है;

(घ) इस संबंध में राज्य सरकार कुल कितना हिस्सा देने पर सहमत हुई है; और

(ङ) इस रेलगाड़ी के किस तिथि को प्रारंभ किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, हां। समझौता ज्ञापन के अनुसार, भारतीय रेल, गाड़ियों के परिचालन के लिए उत्तरदायी है जबकि राज्य सरकार गाड़ी में और उसके बाहर आतिथ्य सेवाएं उपलब्ध कराएगी।

(ग) और (घ) इस संबंध में गठित किए जाने वाले संयुक्त कार्यदल इन मामलों पर फैसला करेगा।

(ङ) इस परियोजना को कर्नाटक राज्य पर्यटन विकास निगम (के०एस०टी०डी०सी०) द्वारा चालू किया जाना है।

[हिन्दी]

भारतीय महिलाओं की पाकिस्तान में सार्वजनिक बिक्री

385. **श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि "एमनेस्टी इन्टरनेशनल" नामक मानवाधिकार संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन ने अपनी ताजा रिपोर्ट में यह बताया है कि भारतीय महिलायें पाकिस्तान में बेची जा रही हैं और पाकिस्तान देह व्यापार का अड्डा बन गया है और

ये औरतें पाकिस्तान के पिछड़े इलाकों में सार्वजनिक तौर पर बेची जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सामाजिक कुकर्म को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए/प्रस्तावित हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० संजय पासवान) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

मुच्चिपारा और दुर्गापुर के बीच सड़क उपरि पुल का निर्माण

386. **श्री सुनील खां** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव मुच्चिपारा और दुर्गापुर के बीच समपार पर एक सड़क उपरि पुल का निर्माण कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किस समय तक इसके बन जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (ग) दुर्गापुर स्टेशन के निकट 169.82 किमी० पर मौजूदा समपार सं० 113 बी/टी के बदले सड़क ऊपरी पुल के निर्माण का कार्य लागत में भागीदारी के आधार पर निर्माण कार्यक्रम 2000-01 में पहले ही स्वीकृत है। बहरहाल, राज्य सरकार ने लागत में भागीदारी की स्वीकृति देने जैसी आरंभिक अपेक्षाएं अभी पूरी नहीं की हैं। अत: कार्य पर प्रगति नहीं की जा सकी। कार्य का निष्पादन राज्य सरकार के प्रारंभिक पूर्वापेक्षाओं को पूरा करने और पहुंच कार्यों का काम शुरू करने पर निर्भर करेगा। रेलवे पहुंच मार्ग का कार्य पूरा होने तक या उससे पहले अपने हिस्से का काम (ओवर ट्रैक) पूरा कर लेगी।

कामरूप एक्सप्रेस का पटरी से उतरना

387. **श्री स्वदेश चक्रवर्ती** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 जनवरी, 2003 को कामरूप एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कड़ाके की ठंड के कारण रेल पटरियों में दरारें पड़ जाने के परिणामस्वरूप रेलगाड़ियां पटरी से उतर जाती हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सभी मौसमों के लिए वर्षों तक रेल लाइन बिछाने का काम छोड़ दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) पूर्वोत्तर सीमा सर्किल के रेल संरक्षा आयुक्त की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में अंतर्विष्ट अनंतिम निष्कर्षों के अनुसार, अलीपुरद्वार मंडल के न्यू-बोंगाईगांव, गुवाहाटी खंड पर गर्मी से प्रभावित जोन में दायीं साइड की पटरी की विफलता के कारण 10.01.2003 को कामरूप एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी। अत: दुर्घटना का कारण "उपस्कर की विफलता" माना गया है। पटरी का इस्पात तापमान के आधार पर सिकुड़ता है तथा फैलता है। विनिर्दिष्ट सीमाओं से आगे पटरी का तापमान बढ़ने के मामलों में निर्धारित निदेशों के अनुसार गर्मियों तथा सर्दियों के मौसम में गश्त शुरू की गई है। सामग्री के रूप में पटरी पर मौसम/जलवायु संबंधी परिस्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ता है और न ही कभी ऐसा हुआ है।

विद्युत पर क्रॉस सब्सिडी

388. **श्री महबूब जाहेदी** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत पर क्रॉस सब्सिडी को समाप्त करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के इस कदम से गरीबों की समस्याएं शुरू हो जायेंगी; और

(ग) यदि हां, तो क्या विद्युत विधेयक, 2001 से विद्युत उत्पादन, प्रसारण और आपूर्ति सुविधाओं के निजीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा और राज्य विद्युत बोर्ड बंद हो जायेंगे ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) से (ग) विद्युत वितरण कार्य की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। विभिन्न उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्त किए जाने के लिए फुटकर विद्युत दर का निर्धारण राज्य सरकारों द्वारा या जहां रा०वि० विनियामक आयोग गठित हैं वहां इन आयोगों द्वारा किया जाता है।

विद्युत विनियामक आयोग (ई०आर०सी०) अधिनियम, 1998 की धारा 29(2)(ग) में राज्य आयोगों से यह अपेक्षा की गयी है कि वे अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करें कि विद्युत आपूर्ति की स्थिति में सुधार के साथ-साथ विद्युत आपूर्ति के लिए निर्धारित टैरिफ से आपूर्ति की लागत भी प्रकट हो। अधिनियम की धारा 29(3) में यह प्रावधान है कि राज्य आयोग इस अधिनियम के तहत् टैरिफ

निर्धारण के समय किसी भी विद्युत उपभोक्ता को अनावश्यक वरीयता न दें अपितु उनका वर्गीकरण उपभोक्ता भार क्षमता, विद्युत भार क्षमता, किसी निर्धारित समयावधि अथवा जिस समय आपूर्ति आवश्यक हो उस दौरान के कुल विद्युत खपत या किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, आपूर्ति की प्रकृति तथा आपूर्ति के उद्देश्य के आधार पर करें।

तथापि, राज्य सरकारों को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वे राज्य आयोगों द्वारा निर्धारित टैरिफ में किसी भी श्रेणी के उपभोक्ताओं को सब्सिडी दे सके। विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम की धारा 29(5) में यह प्रावधान है कि राज्य आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ में यदि राज्य सरकार किसी भी श्रेणी अथवा वर्ग के उपभोक्ताओं को सब्सिडी देना चाहे तो राज्य सरकार को उस व्यक्ति को राज्य आयोग के निर्देशानुसार क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करना होगा जो सब्सिडी दिए जाने से प्रभावित हुआ है।

संसद में प्रस्तुत विद्युत विधेयक, 2001 में राज्यों को सुधार कार्य के लिए छूट का प्रावधान है।

[हिन्दी]

झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस के खान-पान यान में घटिया स्तर का भोजन

389. **श्री ब्रजमोहन राम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस 8603/8604 और मुरी एक्सप्रेस 8101/8102 के खान-पान यान में तैयार खाने की निम्न गुणवत्ता और कम मात्रा के क्या कारण हैं; और

(ख) इस संबंध में दोषी व्यक्तियों के खिलाफ रेलवे ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन गाड़ियों की पेंट्रीकार में भोजन की मात्रा कम होने और गुणवत्ता घटिया होने के बारे में शिकायत दर्ज नहीं की गई है।

कुलियों के विश्राम गृह

390. **श्री सुबोध राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 जनवरी 2003 के राष्ट्रीय सहारा में ''नरकीय स्थिति है पुरानी दिल्ली स्टेशन पर कुलियों के विश्राम गृहों की'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली रेलवे स्टेशन के लाइसेंसधारी श्रमिकों के विश्राम की सुविधा में सुधार हेतु एक नया विश्रामकक्ष बनाने का प्रस्ताव है। वर्तमान विश्रामकक्ष के अनुरक्षण कार्य के भाग के रूप में नियमित रूप से मरम्मत की जाती है और इस समय यह कहीं से भी नहीं टपकता है। इसके अलावा, मौजूदा परिसर की नियमित रूप से सफाई सुनिश्चित करने के प्रबंध किए गए हैं।

पेट्रोल और डीजल में द्रव्य मिलाना

391. **श्री जय प्रकाश** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश का रसायन उद्योग इसके लिए निर्धारित कार्यों के बदले पेट्रोल और डीजल में गैर कानूनी तौर पर द्रव्य मिला रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की मिलावट रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) रसायन उद्योग, आर्थिक लाभों के लिए बेईमान तत्वों द्वारा पेट्रोल/डीजल में मिलावट के लिए प्रयुक्त नाफ्था और अन्य मिश्रण किए जा सकने वाले विलायकों के प्रमुख स्रोतों में से एक है।

(ख) मिलावट रोधी प्रकोष्ठ की स्थापना करने के अलावा तेल विपणन कंपनियों (ओ०एम० सीज) द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी०डी०एस०) के लिए अभिप्रेत मिट्टी तेल को नीला रंगने, खुदरा बिक्री केन्द्रों के नियमित/औचिक निरीक्षण, टैंकर-ट्रकों के लिए छेड़छाड़-रोधी ताला प्रणाली लागू करने, विशेष सतर्कता अभियानों आदि जैसे उपाय किए जा रहे हैं। ओ०एम० सीज द्वारा दोषी डीलरों के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों और/अथवा डीलरशिप करार के उपबंधों के तहत कार्रवाई की जाती है। राज्य सरकारें भी अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत पेट्रोलियम उत्पादों की मिलावट और किसी नियंत्रण आदेश के उल्लंघन में लिप्त होने वाले किसी भी डीलर के विरुद्ध कार्रवाई की पहल करती है।

[अनुवाद]

शोलापुर-पाकनी लाइन का विस्तार

392. **श्री ज्योतिरादित्य मा० सिंधिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 जनवरी 2002 को दोहरी-लाइन की विस्तार परियोजना का उद्घाटन करते समय उन्होंने शोलपुर-पाकनी दोहरी लाइन का मोहोल तक विस्तार करने की भी घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो उपयुक्त विस्तार कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है और इसकी अनुमानित लागत क्या है;

(ग) क्या यह लाइन का दोहरीकरण किए जाने का कार्य भिगवान खंड की लाइन दोहरीकरण के कार्य के भाग के रूप में किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो शोलापुर और भिगवान के बीच सभी दोहरी लाइन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पकनी से मोहोल तक दोहरी लाइन की लागत 40 करोड़ रुपए आकलित की गई है। वर्ष 2003-2004 के बजट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। स्थिति का पता संसद द्वारा बजट पारित करने के बाद ही चलेगा।

(घ) सोलापुर-भिगवान खंड पर सोलापुर-पकनी में कहीं-कहीं दोहरीकरण का कार्य चल रहा है।

पार्किंग ठेकेदार द्वारा दुर्व्यवहार

393. श्री रामजी मांझी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कार मालिकों और संसादों सहित उनके कर्मचारियों के साथ भी पार्किंग ठेकेदार दुर्व्यवहार करते हैं;

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं कि ठेकेदार उचित व्यवहार करे अन्यथा उसका ठेका समाप्त कर दिया जाएगा;

(ग) क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट की तरफ वाले कार-पार्किंग के लिए दो तरह की दरें हैं;

(घ) क्या अजमेरी गेट रेलवे परिसर के बाहर की कार पार्किंग प्लेटफार्म संख्या 12 के पास वाली अंदर की पार्किंग से सस्ती है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) स्टेशनों पर पार्किंग स्थल पर ठेकेदारों द्वारा उपयोगकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार करने की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) शिकायतों की जांच की गई थी और जुर्माना लगाने के अलावा, पार्किंग ठेकेदार को यात्रियों के साथ विनम्र व्यवहार करने की सलाह दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट की ओर दो कार पार्किंग स्टैंड हैं यथा (i) सामान्य कार पार्किंग और (ii) ड्राइव लेन पार्किंग, प्लेटफार्म के नजदीक होने और भीड़-भाड़ से बचाव जैसी अधिक सुविधा के कारण प्लेटफार्म सं० 12 के समीप ड्राइव लेन पार्किंग के लिए अधिक पार्किंग प्रभार लिया जाता है।

पट्टाम्बी कस्बे में रेल उपरि पुल

394. प्रो० ए०के० प्रेमाजम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पट्टाम्बी कस्बे में रेल उपरि पुल के निर्माण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना पर कार्य कब तक शुरू किए जाने और पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाएं

395. श्री अनंत नायक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशन कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाओं से युक्त नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कब तक ये सभी स्टेशन इन सुविधाओं से युक्त कर दिए जाएंगे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (ग) मौजूदा नीति के अनुसार, कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाएं उन स्टेशनों, जहां आरक्षण संबंधी कार्यभार प्रतिदिन 100 लेनदेन या अधिक होते हैं, जिला मुख्यालयों, प्रमुख पर्यटन केन्द्रों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों पर मुहैया कराए जाते हैं। उड़ीसा राज्य में कार्यभार संबंधी इस मानदंड को पूरा करने वाले सभी प्रमुख स्टेशनों पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण

सुविधाएं मुहैया/स्वीकृत किए जा चुके हैं। उड़ीसा राज्य में कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा वाले स्टेशनों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। उड़ीसा राज्य के उन स्टेशनों, जहां कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है, की सूची परिशिष्ट में दी गई है। कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करना एक सतत प्रक्रिया है। प्रत्येक वर्ष ये सुविधाएं कई नए स्थानों पर स्वीकृत की जाती हैं जो धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

विवरण

उड़ीसा राज्य में मुहैया कराए गए कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाओं की सूची

क्रम सं०	स्थान	रेलवे
1	2	3
1.	बालासोर	दक्षिण पूर्व
2.	भद्रक	दक्षिण पूर्व
3.	भुवनेश्वर	दक्षिण पूर्व
4.	भुवनेश्वर विधान सभा	दक्षिण पूर्व
5.	बोलनगीर	दक्षिण पूर्व
6.	ब्रह्मपुर	दक्षिण पूर्व
7.	चंद्रशेखरपुर (भुवनेश्वर)	दक्षिण पूर्व
8.	कटक	दक्षिण पूर्व
9.	डेनकनाल	दक्षिण पूर्व
10.	हीराकुड	दक्षिण पूर्व
11.	झारसुगुडा	दक्षिण पूर्व
12.	केसिंगा	दक्षिण पूर्व
13.	खुर्दा रोड	दक्षिण पूर्व
14.	कोरापुट	दक्षिण पूर्व
15.	पारादीप	दक्षिण पूर्व
16.	पुरी	दक्षिण पूर्व
17.	पुरी सिटी बुकिंग कार्यालय	दक्षिण पूर्व
18.	रायगडा	दक्षिण पूर्व
19.	राउरकेला-सिटी बुकिंग कार्यालय	दक्षिण पूर्व
20.	राउरकेला	दक्षिण पूर्व
21.	संबलपुर	दक्षिण पूर्व
22.	संबलपुर रोड़	दक्षिण पूर्व
23.	तालचेर	दक्षिण पूर्व
24.	टिटलागढ़	दक्षिण पूर्व

उड़ीसा राज्य के उन स्टेशनों की सूची जहां कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधाएं मुहैया कराने का कार्य प्रगति पर है :

1. केंद्रपाड़ा टाउन
2. जयपुर क्योंझार रोड
3. आर डीसी कार्यालय कटक
4. अंगुल
5. पारलखीमेंडी

जनशताब्दी एक्सप्रेस के मार्गों में परिवर्तन

396. श्री सुबोध मोहिते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कुछ जनशताब्दी रेलगाड़ियों विशेषकर दुर्ग रायगढ़ से नागपुर-बिलासपुर के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों में कम यात्रियों की वजह से इनके मार्गों में परिवर्तन करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इन जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में कम यात्रियों की वजह से रेलवे को होने वाले घाटे का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे लाभदायक बनाने के लिए रेलवे द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (ग) 2069/2070 दुर्ग-रायगढ़ जन शताब्दी के उपयोग को बढ़ाने की व्यवहार्यता की जांच की जा रही है और व्यवहार्य एवं औचित्यपूर्ण पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

(घ) और (ङ) भारतीय रेल पर प्रत्येक गाड़ी के लाभ/हानि का ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

[हिन्दी]

मेगा ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना

397. डा० मदन प्रसाद जायसवाल : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव बिहार में मेगा ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस दिशा में कोई प्रयास किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) से (घ) जी, हां। यह प्रस्तावित किया गया है कि नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा दो बड़ी विद्युत परियोजनाओं यथा बिहार के भागलपुर जिले में कहलगांव ताप विद्युत परियोजना चरण 2 (चरण-1 2x500 मेगावाट और चरण-2 में 1x500 मेगावाट) और पटना जिले में बाढ़ सुपर ताप विद्युत परियोजना (3x660 मेगावाट) की स्थापना की जाएगी। इन परियोजनाओं के लिए विभिन्न स्वीकृतियां जैसे तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति, पर्यावरणीय स्वीकृति इत्यादि प्राप्त कर ली गयी है/प्राप्त की जा रही है।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि

398. श्री अमर राय प्रधान : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोल और पेट्रोल उत्पादों में बार-बार हो रही वृद्धि के कारण हाल के महीनों में मुद्रास्फीति दर अनापेक्षित तौर पर बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो भविष्य में कीमतों में वृद्धि की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) बजट घाटे को पूरा करने तथा भविष्य में बढ़ते ऋण भार को नियंत्रित करने के लिए कीमतों में मुद्रास्फीति को रोकने का सरकार का कहां तक विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, नहीं। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू०पी०आई०) के आधार पर वार्षिक स्थल दर स्थल मुद्रास्फीति दर मई, 2002 के अंत तक 2 प्रतिशत नीचे रही और इसके बाद यह बढ़कर वर्तमान वित्तीय वर्ष के अधिकांश भाग के दौरान 3-4 प्रतिशत रही। विश्वव्यापी तेल मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति से जनवरी, 2003 के मध्य तक कुछ मुद्रास्फीति का प्रभाव रहा जिसके कारण मुद्रास्फीति की दर 2002-03 में पहली बार बढ़कर 4% के ऊपर के स्तर तक पहुंच गई, जो अभी भी काफी कम है। 1 जनवरी, 2003 को समाप्त सप्ताह के लिए नवीनतम वार्षिक स्थल दर स्थल मुद्रास्फीति दर 4.9 प्रतिशत है।

(ग) मूल्यों में वृद्धि को सरकार द्वारा सतत आधार पर निगरानी की जाती है और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उचित राजकोषीय उपाय किए जाते हैं। भविष्य में ऋणों के बढ़े हुए भार को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने महंगे ऋणों के पूर्वभुगतान सहित विभिन्न उपाय किए हैं।

कच्चे तेल पर रायल्टी

399. श्री एम०के० सुब्बा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे तेल के संबंध में रायल्टी की एक नई योजना बनाने के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा सिफारिश की गयी योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) सरकार ने अप्रैल, 2000 में नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन०ई०एल०पी) व्यवस्था से याहा क्षेत्रों के लिए स्वदेशी कच्चे तेल पर रायल्टी की नई योजना बनाने हेतु एक समिति का गठन किया था। समिति ने नवम्बर, 2001 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और अन्य बातों के साथ-साथ, कच्चे तेल पर रायल्टी निर्धारण के मानदंड, रायल्टी की दर/दरें, आवधिक संशोधन हेतु सिद्धान्त और परिणामत: नियमों और अधिनियमों में संशोधन, यदि कोई हो, के लिए सिफारिशें की थीं। सरकार ने समिति की रिपोर्ट पर विचार किया था। सरकार ने रायल्टी की नई योजना और 1.4.1998 से, जिस तिथि से सरकार द्वारा प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था (ए०पी०एम०) समाप्त करने के कदम उठाए गए थे, स्वदेशी कच्चे तेल पर रायल्टी की दर में संशोधन करने के संबंध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रस्ताव को 4.2.2003 को अनुमोदित किया।

रेल की गति कम करना

400. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश रेल लाइनें चल स्टाक तीव्रगति के लिए उपयुक्त नहीं हैं और न ही इसका डिजाइन इसके अनुरूप है;

(ख) यदि हां, तो क्या सुरक्षा की दृष्टि से देश की सभी रेलों की गति 5 प्रतिशत घटाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो रेलों की गति तुरंत कम करने के लिए क्या कदम प्रस्तावित हैं; और

(घ) यात्री गाड़ियों की गति कब तक कम हो जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। सभी गाड़ियों की गति कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता। बहरहाल, शरारती गतिविधियों में वृद्धि होने, गाड़ियों की संरक्षा में खतरा होने के कारण और तोड़-फोड़ की दृष्टि से, कतिपय खंडों में रात के समय एहतियाती उपाय के रूप में अस्थायी तौर पर गति धीमी कर दी गई है।

रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड आरगेनाइजेशन

401. **श्री ए० ब्रह्मनैया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ स्थित रिसर्च डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्ड आरगेनाइज़ेशन सरकार को रेल सुरक्षा के संबंध में संगत सुझाव या प्रस्ताव देने हेतु अपने को आधुनिक उपकरणों एवं कार्मिकों से सुसज्जित करने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार उच्च योग्यता प्राप्त इंजीनियरों और कार्मिकों का संवर्ग उपलब्ध कराने के लिए आई०आई०टी० की तर्ज पर एक नया संस्थान खोलने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेलवे के आधुनिकीकरण और सुरक्षा कार्यक्रमों के हित में आर०डी०एस०ओ० के कार्यकरण के तरीके एवं पद्धति में बदलाव लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं। अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन (अ०अ०मा०सं०) रेलपथ और शिरोपरि उपस्कर की संरक्षा संबंधी जांच और अभिकल्प सुविधाओं तथा संरक्षा में सुधार लाने के लिए संरक्षा से संबंधित नए उपस्करों को विकसित करने तथा उनमें आशोधन करने के लिए सुसज्जित है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) हाल ही में, अनुसंधान एवं विकास संबंधी गतिविधियों को ने भी कार्यों से अलग करने के लिए अ०अ०मा०सं० का आंतरिक पुनर्गठन किया गया है ताकि अनुसंधान एवं विकास पर अधिक जोर दिया जा सके।

महाराष्ट्र और कर्नाटक में एल०पी०जी० की आवश्यकता

402. **श्री ए० वेंकटेश नायक :**
***श्री रामशेठ ठाकुर :**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में कर्नाटक और महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में एल०पी०जी० की कितनी मासिक आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है और उनकी आपूर्ति की क्या स्थिति है;

(ख) उन जिलों में एल०पी०जी० की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एल०पी०जी० की आपूर्ति के मामले में कर्नाटक और महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ०एम०सीज) के पास पंजीकृत उपभोक्ताओं की वर्तमान मासिक एल०पी०जी० मांग क्रमशः 38,763 मीट्रिक टन (एम०टी०) और 1,07,514 एम०टी० है। दोनों

राज्यों में ओ०एम०सीज ने उपभोक्ताओं की मांग कमोबेश पूरी की है।

ओ०एम०सीज द्वारा देश के सभी मौजूदा बाजारों में एल०पी० जी० कनेक्शन मांग पर दिए जा रहे हैं।

द्रुत रेल सेवाओं के लिए परियोजना

403. **श्री शीशराम सिंह रवि :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजनौर को दिल्ली से द्रुत गति की रेल सेवा से जोड़ने का कोई प्रस्ताव लम्बे समय से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो यह परियोजना कब से लंबित है; और

(ग) इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में तालचेर परियोजना का विस्तार

404. **श्री आर०एल० जालप्पा :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने उड़ीसा के तालचेर में 500 मेगावाट की विस्तार परियोजना और तमिलनाडु के नयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में 420 मेगावाट की परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद कर्नाटक को कितने मेगावाट विद्युत दिए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) और (ख) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन०टी०पी०सी०) ने उड़ीसा में 4x500 मे०वा० के लिए तालचेर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (एस०टी०पी०सी०) के विस्तार कार्य को आरंभ किया है। तालचेर स्टेज-2 (4x500) प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य कार्यक्रम के अनुसार प्रगति पर है। तालचेर चरण-II (4x500 मे०वा०) की पहली यूनिट को जनवरी, 2003 में टेस्ट समकालिक किया गया है तथा कोयला संबंधी प्रचालन को तैयार प्रगति पर है।

नैवेली थर्मल पावर स्टेशन (टी०पी०एस०)-I, 210 मे०वा० की 2 यूनिटों का विस्तार कार्य भी नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन द्वारा तमिलनाडु राज्य में निष्पादनाधीन है। यूनिट-1 (210 मे०वा०) को अक्टूबर, 2002 में समकालिक बनाया गया। यूनिट 2 (210 मे०वा०) के बारे में ब्वायलर तथा टरबाईन जनरेटर इरेक्टशन का कार्य प्रगति पर है।

(ग) तालचेर एस०टी०पी०पी० स्टेज-2 से कर्नाटक को 396 मे०वा० विद्युत का आबंटन किया गया है। कर्नाटक नैवेली टी०पी०एस० 1 विस्तार से 60 मे०वा० विद्युत हिस्से का पात्र है।

केरल तट से हथियार/गोलाबारूद भेजा जाना

405. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल तट पर इस खुफिया रिपोर्ट के बाद तलाशी ली गयी है कि अपराध जगत के सरगना दाऊद इब्राहीम ने भारत में सक्रिय उग्रवादी गुटों को एक पूरा जहाज भरकर हथियार भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो नौसेना, तटरक्षक, सीमाशुल्क और राजस्व खुफिया एजेंसियों की संयुक्त तलाशी के क्या परिणाम रहे?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) 14 दिसंबर, 2002 को दुबई से चले एक स्वदेशी यान द्वारा कर्नाटक में कसारगोड के पास आर०डी०एक्स०/शस्त्रास्त्र उतारे जाने की संभावना के संबंध में प्राप्त सूचना के आधार पर सघन समुद्री/तटीय गश्त लगाइ गई थी। समुद्र में सभी यूनिटें सतर्क थीं और पश्चिमी समुद्र तट पर नियमित जमीनी और हवाई निगरानी रखी गई थी।

(ख) कोई संदिग्ध आवाजाही/जलयान नहीं देखा गया।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

406. **श्री रामदास आठवले :** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री ने केन्द्र को, विस्थापित पंडितों के पुनर्वास हेतु सभी प्रयास करने का आश्वासन दिया है;

(ख) क्या जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को कोई भी दौरा करने से पहले चुनाव आयोग की अनुमति लेने को बाध्य किया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० संजय पासवान) : (क) जम्मू और कश्मीर की नई राज्य सरकार ने अपने साझा न्यूनतम कार्यक्रम में पुनः कहा है कि कश्मीरी पंडितों की उनकी मातृभूमि में वापसी कश्मीरियत का एक अनिवार्य अंग है।

यह बताया गया है कि सरकार उनकी सुरक्षित वापसी के लिए अनुकूल वातावरण बनाने हेतु समाज के सभी घटकों का सहयोग मांगेगी, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी और उनके पुनर्वास और रोजगार के लिए प्रभावी उपाय करेगी।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से कहा कि वह राज्य के दौरे के लिए राज्य विधान सभा के चुनावों और आदर्श आचार संहिता लागू होने को देखते हुए निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगे। एक सांविधिक निकाय होने के नाते राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने इस अवधि में राज्य का दौरा न करने का स्वप्रेरित निर्णय किया।

अशक्तता अधिनियम

407. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने सरकार को लिखा है कि चूंकि अशक्तता अधिकार का मुद्दा है इसलिए सरकार को अशक्तों के अधिकार को विकास की कार्यसूची के केन्द्र में लाया जाना चाहिए;

(ख) क्या अध्यक्ष ने अशक्तता अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अशक्तों के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाए जाने हेतु कार्यदल गठित करने और उनके लिए बाधा रहित मूलभूत सुविधाएं सृजित करने हेतु योजना बनाए जाने के लिए भी कहा है; और

(ग) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० संजय पासवान) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों विशेषकर बच्चों की शिक्षा, पुनर्वास सेवाओं, बाधामुक्त पहुंच तथा आर्थिक सशक्तिकरण के प्रति एक बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण का प्रावधान किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के पास विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के कार्यक्रम/योजनाएं है। अनेक राज्य सरकारें विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशनों का प्रावधान कर रहे हैं। सेवा प्रदानगी की गुणवत्ता में सुधार के लिए सतत् रूप से प्रयास किए जाते हैं। विकलांग व्यक्तियों का मुख्य आयुक्त, जो इस अधिनियम के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण तथा आपत्तियों का निवारण सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त, नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के तहत परिवहन क्षेत्र, सड़कों तथा सार्वजनिक भवनों में उपयुक्त सरकार द्वारा अपनी आर्थिक क्षमता तथा विकास की सीमाओं के भीतर बाधामुक्त अवसंरचना का पहले ही प्रावधान किया गया है। केन्द्रीय सरकार में विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा सार्वजनिक भवनों, सड़कों पर तथा परिवहन क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों के लिए बाधामुक्त सुविधाओं के सृजन संबंधी कार्रवाई शुरू की गई है। शहरी विकास मंत्रालय ने बाधामुक्त भवनों के निर्माण के लिए मॉडल भवन उपनियम तथा दिशानिर्देश तैयार किए हैं और इसे अपनाए जाने हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया है। विकलांग व्यक्तियों के लिए पहुंच को सुगम बनाने के लिए पुराने भवनों को संशोधित किया जा रहा है, जबकि नए भवनों में बाधामुक्त विशेषताएं शामिल करने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा अन्य एजेंसियों को अनुदेश जारी किए गए हैं। सार्वजनिक भवनों को बाधामुक्त बनाने का प्रयास एक सतत् कार्य है और प्रगति उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करती है।

सूडान के साथ ओ०एन०जी०सी० का सौदा

408. श्री कोडीकुनील सुरेश :
डा० मन्दा जगन्नाथ :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूडान के तेल क्षेत्रों के संबंध में ओ०एन०जी०सी० के सौदा की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इसकी शुरूआत से लेकर खोजे गए ब्लाकों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) ओ०एन०जी०सी० विदेश लिमिटेड (ओ० वी०एल०) जोकि आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ०एन०जी०सी०) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, ने ग्रेटर नील आयल प्रोजेक्ट (जी०एन०ओ०पी०), सूडान में तालिस्मान एनर्जी इंक०, कनाडा का 25% हिस्सा खरीदने के लिए 30 अक्टूबर 2002 को तालिस्मान एनर्जी इंक०, कनाडा के साथ खरीद और विक्री करार पर हस्ताक्षर किए जो सूडान सरकार और अन्य परिसंघ सदस्यों नामत: चायना नेशनल पेट्रोलियम कंपनी (सी०एम०पी०सी०), चीन, पेट्रोनास, मलेशिया और सुडापेट, सूडान की सहमति और सी०एन०पी०सी० और पेट्रोनास द्वारा पूर्वक्रय अधिकारों से छूट के अध्यधीन हैं।

(ख) ओ०वी०एल० का हाइड्रोकार्बन्स इंडिया प्रा०लि० के रूप में निगमन कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 5 मार्च, 1965 को किया गया था। अपनी स्थापना के समय से ही कंपनी ने निम्नलिखित ब्लाकों में समयानुक्रम से कार्य किया है :–

1. फारस की खाड़ी में ब्लाक, ईरान (1965)
2. पश्चिमी रेगिस्तान, इराक (1974)

3. ब्लाक 06.1 वियतनाम (1988)

4. उत्तरी जाफराना अपतट ब्लाक, मिश्र (1994)

5. ब्लाक 38, सोकोत्रा अपतट, यमन (1996)

6. फेजाज परमिट, ट्यूनिशिया (1995)

7. अन्वेषण ब्लाक # 8, इराक (2001)

8. सखालिन-1 परियोजना, रूस (2001)

9. अन्वेषण ब्लाक ए-1, म्यांमार (2002)

10. अन्वेषण ब्लाक एन०सी०-188 और एन०सी०-189, लीबिया (2002)

11. दक्षिण लूई सियाना में अन्वेषण परियोजना अमरीका (2002)

12. फारसी अपतट अन्वेषण ब्लाक, ईरान (2002)

विदेशी प्रौद्योगिकी

409. डा० डी०वी०जी० शंकर राव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भारतवंशियों से विदेशों मे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी प्राप्त करने और विदेशों में भारतीय रक्षा उत्पादों और प्रौद्योगिकी के विपणन में देश की सहायता करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया/आश्वासन प्राप्त हुए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) 9 जनवरी, 2003 से 11 जनवरी, 2003 तक 'प्रवासी भारती दिवस' पर आयोजित सम्मेलन में 'रक्षा और आंतरिक/स्वदेश सुरक्षा अनुसंधान एवं विकास में अवसर' पर सत्र के दौरान आंतरिक/स्वदेशी सुरक्षा से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श किया गया और इसमें हिस्सा लेने वाले भारतवंशियों ने देश की आंतरिक सुरक्षा आवश्यकताओं के मामलों पर सतत् सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की।

मदुरै-चेन्नै के बीच बड़ी रेल लाइन का निर्माण

410. श्री पी० मोहन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मदुरै-चेन्नै के बीच समानांतर बड़ी रेल लाइन के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस कार्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त निधियां आबंटित की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मदुरै और डिन्डीगुल के बीच भारी यातायात होता है; और

(घ) यदि हां, तो इस क्षेत्र में भारी यातायात को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) चैन्ने-मदुरै खंड पर, चैन्ने और चेंगलपट्टू के बीच मीटर लाइन का आमान परिवर्तन कार्य प्रगति पर है जो पूरा होने पर चैन्ने से चेंगलपट्टू तक दोहरी बड़ी लाइन मुहैया कराएगी।

(ख) संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता के अनुसार चालू कार्य के लिए धनराशि आबंटित की जा रही है।

(ग) यातायात की दृष्टि से मदुरै-दिण्डीगुल खंड अति संतृप्त है।

(घ) इन खंड पर लाइन क्षमता संबंधी निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम बिक्री केन्द्रों के आबंटन में अनियमितता

411. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के उच्चतम न्यायालय ने सरकार द्वारा पेट्रोल पंपों, एल०पी०जी० एजेंसियों और मिट्टी के तेल के विक्रय केन्द्रों का आबंटन रद्द करने के संबंध में अंतिम निर्णय दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ ने विवादास्पद आबंटनों की जांच करने का भी निश्चय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने 20 दिसम्बर, 2002 के आदेश के तहत संचार माध्यमों में रिपोर्ट किए गए कुछ मामलों के अलावा 1 जनवरी, 2000 से डीलर चयन बोर्डों की सिफारिशों के आधार पर किए गए खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों (पेट्रोल पम्पों), एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों और एस०के०ओ० – एल०डी०ओ० डीलरशिपों के आबंटन को रद्द करने वाले सरकारी आदेश को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने भारत के उच्चतम न्यायालय

के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश और दिल्ली उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सम्मिलित करते हुए एक समिति भी नियुक्त की है और उसने संचार माध्यमों में सूचित किए गए ये मामले समिति को उसकी जांच के लिए भेज दिए हैं। न्यायालय ने समिति से अपनी रिपोर्ट तीन महीने की अवधि के भीतर न्यायालय को भेजने के लिए कहा है।

[अनुवाद]

नई रेल लाइन बिछाया जाना

412. **श्री टी०टी०वी० दिनाकरन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रेल नेटवर्क को बढ़ाने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में नई रेल लाइन बिछाने पर विशेष ध्यान देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) 2002-03 के दौरान बड़ी लाइन की 1331 किमी० में चल रही निम्नलिखित परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

क्र० सं०	राज्य जिसमें परियोजना है	खण्ड
1	2	3
		नई लाइनें : 214 किमी०
1.	पश्चिमी बंगाल	इकलाखी-बालुरघाट का बुनियादपुर-बालुरघाट
2.	उड़ीसा	दैतारी-बांसपानी का जरौली-क्योंझर
3.	त्रिपुरा	कुमारघाट-अगरतला का कुमारघाट-मनु
4.	उत्तर प्रदेश	कटरा-फैजाबाद
5.	बिहार	दुर्रौदा-महाराजगंज बहाली
6.	पश्चिम बंगाल	तामलुक-दीघा का बजकुल-कांठी
7.	बिहार	फतुहा-इस्लामपुर
8.	हिमाचल प्रदेश/ पंजाब	नांगलडेम-तलवाड़ा का उना-चुरारु तकराला
		आमान परिवर्तन : 867 किमी०
1.	महाराष्ट्र	मिरज-लातूर का लातूर-लातूर रोड
2.	राजस्थान	लूनी-मुनाबाऊ का लूनी-समदड़ी-जसई
3.	तमिलनाडु	सलेम-कुड्डालोर का वड्डालूर-वृद्धाचलम
4.	कर्नाटक	अरसीकेरे-मंगलोर का मंगलोर-पुतुर
5.	आंध्र प्रदेश/ महाराष्ट्र	मुदखेड़-सिकंदराबाद का धर्माबाद-निजामाबाद और जनकमपेठ-बोधन
6.	आंध्र प्रदेश/ तमिलनाडु	काटपाड़ी-पकाला-तिरुपति
7.	गुजरात	राजकोट-वैरावल का राजकोट जैतलसर-जूनागढ़
8.	गुजरात	सुरेन्द्रनगर-राजुला सिटी-पीपावाव
9.	तमिलनाडु/ केरल	कोल्लम-तिरूनेलवेली-तिरूचदुर और तेनकाशी-विरूदुनगर का विरूदुनगर रायपलायम
		दोहरीकरण : 250 किमी०
1.	पश्चिमी बंगाल	चंदनपुर-गुरुप
2.	पश्चिमी बंगाल	नई अलीपुर-अकरा
3.	बिहार	परसा बाजार-पुनपुन
4.	बिहार	सिंहो-कर्पुरीग्राम
5.	उत्तर प्रदेश	गोंडा-जरवल रोड का कर्नलगंज-सरजु
6.	कर्नाटक/केरल	कालीकट-मंगलोर (शेष 50 किमी०)
7.	कर्नाटक/ आंध्र प्रदेश	व्हाइटफील्ड-कुप्पम का बंगारपेठ-विसनाथम
8.	आंध्र प्रदेश	गुडुर-रेणिगुंटा (4 ब्लॉक खंड-40 किमी०)
9.	आंध्र प्रदेश	बेलापल्ली-पुल्लमपेठ (4 ब्लॉक खंड-30 किमी०)
10.	छत्तीसगढ़	अकलतारा-चंपा का नेलाठचंपा
11.	छत्तीसगढ़	चंपा-सरगबुदिया का चंपा-बालपुर
12.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर का बिलासपुर-डगोरी और निपनिया-भाटापारा

1	2	3
13.	छत्तीसगढ़	कोरबा-गेवरा रोड का गेवरा रोड-कुसुमुंडा
14.	उड़ीसा	टिटलागढ़-लांजीगढ़ का केसिंग-नोरला रोड
15.	उड़ीसा	रजतगढ़-नेरगुंडी का सलेगांव-नेरगुंडी

दसवीं योजना के दौरान नई लाइनें, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण करके बड़ी लाइन रेलपथ में 5000 किमी० से अधिक की वृद्धि करने की योजना है। परियोजना-वार लक्ष्यों को संसाधनों की उपलब्धता और अलग-अलग परियोजना की प्रगति को ध्यान में रखते हुए वर्ष दर वर्ष आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पिपवाव विद्युत परियोजना को गैस का आबंटन

413. श्री दिलीप संघाणी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिपवाव विद्युत परियोजना को अतिरिक्त गैस के आबंटन के लिए गुजरात सरकार ने कोई अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार वर्ष 2001 में गुजरात की विद्युत परियोजनाओं के लिए 0.5 एम०एम०सी०एम०डी० गैस अतिरिक्त आबंटन हेतु सहमत हो गई है;

(ङ) यदि हां, तो क्या यह मांग पूरी की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) गैस संबद्ध (लिंकेज) समिति ने 26.5.2000 को हुई अपनी बैठक में पिपवाव, गुजरात में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित 650 मेगावाट गैस आधारित विद्युत परियोजना के लिए वर्ष 2003 से प्रभावी 2.25 एम०एम०एस०सी०एम०डी० प्राकृतिक गैस का "सिद्धान्तत: आवंटन" अनुमोदित किया। यह आबंटन क्षेत्र के अतिरिक्त विकास हेतु ताप्ती क्षेत्र की प्रबंधन समिति द्वारा लिए जाने वाले निवेश निर्णय के आधार पर था। प्रबंधन समिति ने कोई निर्णय नहीं लिया है।

(घ) से (च) जी, हां। विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड (जी०आई०पी०सी०एल०) को 0.5 एम०एम०एस०सी०एम०डी० की सीमा तक अतिरिक्त गैस की मात्रा दी गई थी। गैस की कमी के कारण प्राकृतिक गैस की पूरी मांग की आपूर्ति करना संभव नहीं रहा है।

पेट्रोल में एथेनाल मिलाया जाना

414. डा० विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री राधा मोहन सिंह :
योगी आदित्यनाथ :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एथेनाल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री से कच्चे तेल का आयात बिल कम हो जाएगा;

(ख) यदि हां, तो इससे कितनी विदेशी मुद्रा के बचत होने की संभावना है;

(ग) क्या लोगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए देश में एथेनाल का पर्याप्त उत्पादन होता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पेट्रोल में एथेनाल मिलाने से कितनी मात्रा में पेट्रोल की बचत होगी;

(च) क्या किसी ऐसे जैव ईंधन की खोज हेतु अनुसंधान किया गया है जिसे पेट्रोल और डीजल में मिलाया जा सके; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) एथेनोल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री के कारण कच्चे तेल पर आयात खर्च में कमी और विदेशी मुद्रा में बचत पेट्रोल, डीजल, एल०पी०जी० और मिट्टी तेल की आपूर्ति – मांग के संतुलन पर निर्भर करेगी।

(ग) और (घ) भारतीय चीनी निर्माता संघों, भारतीय चीनी मिल संघों, एथेनोल निर्माता संघों और खाद्य विभाग द्वारा लगाए गए अनुमान यह इंगित करते हैं कि यह पर्याप्त हैं पर अखिल भारत रसायन निर्माण संघों ने अपने मतभेद व्यक्त किए हैं। तथापि, अंतरालों, यदि कोई हों, को पाटने के लिए अतिरिक्त एथेनोल निर्माण इकाइयां स्थापित की जा रही हैं।

(ङ) यह अनुमान है कि देश में 5% की दर पर पेट्रोल में मिश्रित करने के लिए 5500 लाख लीटर एथेनोल की आवश्यकता होगी और इस प्रकार पेट्रोल की समान मात्रा बचाई जा सकेगी।

(च) और (छ) पेट्रोल में मिश्रण के लिए एथेनोल और डीजल में मिश्रण के लिए बायो-डीजल की पहचान की गई है। भारत में बायो-डीजल का उत्पादन आखाद्य तेल बीजों से किया जा रहा है।

[हिन्दी]

गत तीन वर्षों के दौरान चोरी और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं

415. **श्री चिन्मयानंद स्वामी :**
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान रेलगाड़ी में यात्रा करते समय चोरी और औरतों के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए कोई अधिनियम बनाने और रेलवे सुरक्षा बल को कड़ी कार्रवाई का अधिकार देने हेतु विचार कर रही है: और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) "पुलिस व्यवस्था" राज्य सरकार का विषय होने के नाते 'चलती गाड़ियों सहित रेलों पर अपराध का पता लगाना एवं इसकी रोकथाम राज्य सरकारों का संवैधानिक उत्तरदायित्व है। रेलों पर अपराध के मामलों की रिपोर्ट राजकीय रेल पुलिस (जी०आर०पी०) को की जाती है, वे उन्हें दर्ज करते हैं और उनकी जांच करते हैं। अत: प्रश्न में मांगी गई सूचना रेल मंत्रालय के पास तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) रे०सु०ब० अधिनियम 1957 और रेल अधिनियम, 1989 में संशोधन करने के लिए दो मंत्रिमंडलीय नोट तैयार किए गए हैं ताकि रे०सु०ब० को भेद्य क्षेत्रों में यात्री गाड़ियों के मार्गरक्षण, प्लेटफॉर्मों पर सुगम नियंत्रण विनियमन और सामान्य सुरक्षा और रेल परियोजनाओं की सुरक्षा के लिए शक्तियां दी जा सकें।

घाटे में चल रहे रेल मार्ग

416. **श्री हरिभाई चौधरी :**
श्री लक्ष्मण गिलुवा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार ने घाटे में चल रहे रेल मार्गों को चिन्हित करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन मार्गों पर रेल सेवाएं बंद की जाने वाली हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इन मार्गों पर रेल सेवाओं को बंद करने से इन क्षेत्रों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है? और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय रेलों द्वारा चलाई जा रही अलाभप्रद शाखा लाइनों को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष वित्तीय परिणामों की समीक्षा की जाती है। 2000-01 के दौरान, 115 अलाभप्रद शाखा लाइनें और 11 नई लाइनें थीं जिनके कारण 511.91 करोड़ रुपए की कुल हानि हुई।

(ग) से (ङ) विभिन्न समितियों, जिन्होंने समस्या का अध्ययन किया है, की सिफारिशों के आधार पर रेलवे ऐसी लाइनों को बंद करने की कार्रवाई करती है, 1985 से 1999-2000 तक संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ऐसी 21 लाइनें बंद कर दी गई हैं। वैकल्पिक सड़कों और सड़क परिवहन सेवाओं की उपलब्धता सहित सभी संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए ये लाइनें बंद की जाती हैं। अलाभप्रद लाइन और उनकी रेल सेवाओं को बंद करने के लिए निर्णय लेने से पहले राज्य सरकार की सहमति भी ली जाती है।

विवरण

स्थायी रूप से बंद की गई अलाभप्रद लाइनों के नाम

क्रम सं०	नाम
1	2
1.	साहेबपुर-कमल-मुंगेर घाट
2.	डुडवा-गौरी फांटा
3.	डुडवा-चंदन चौकी
4.	सेंचोआ-सिलघाट
5.	हैबरगांव-मैराबरी
6.	निदामगलम-मन्नरगुदी
7.	मोरवी-टांकरा
8.	हडमाटिया-जेडिया
9.	खम्भालिया-सलाया
10.	थान-चोटीला
11.	निंगाला-गोधधा स्वामीनारायण

1	2
12.	भावनगर-महुवा
13.	शापुर-सरदिया
14.	पीपलोद-देवगध बरिया
15.	कुंकावार-बगासरा
16.	बोटाद-जसदान
17.	चसमा-हरीज
18.	मोरवी-घंटीला
19.	जोरावरनगर-सयाला
20.	चम्पानेर-पनी माइन्स
21.	गोधरा-लुनावाला

नये टीवी ट्रांसमीटरों का कार्यकरण

417. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न स्थानों पर स्थापित टेलीविजन के टावरों ने तकनीकी दृष्टि से तैयार होने के बावजूद कार्य करना शुरू नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके स्थान-वार कारण क्या है; और

(ग) इन ट्रांसमीटरों में कर्मचारियों की नियुक्ति करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) से (ग) संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार इस समय इक्कीस (21) टीवी ट्रांसमीटर चालू करने के लिए तकनीकी रूप से तैयार हैं। इन ट्रांसमीटरों को परिचालन और अनुरक्षण के लिए स्टाफ उपलब्ध न होने के कारण चालू नहीं किया जा सका। स्टाफ उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

विवरण

तकनीकी रूप से तैयार ट्रांसमीटर

	स्थान	राज्य
	1	2
उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	1. गुना	मध्य प्रदेश
	2. चन्द्रपुर	महाराष्ट्र
	3. कानपुर (डीडी-2)	उत्तर प्रदेश
	4. मैसूर	कर्नाटक
	5. मैसूर (डीडी-2)	कर्नाटक
अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	1. सत्रसाल	असम
	2. पिरावा	राजस्थान
	3. पुंगानूर	आंध्र प्रदेश
	4. मुद्धोल	कर्नाटक
	5. सिंनूर	कर्नाटक
	6. बड़ोदरा (डीडी-2)	गुजरात
	7. भावनगर (डीडी-2)	गुजरात
	8. सिंघवा	मध्य प्रदेश
	9. पंडारिया	छत्तीसगढ़
	10. कोल्हापुर (डीडी-2)	महाराष्ट्र
	11. अकोला (डीडी-2)	महाराष्ट्र
	12. सांगली (डीडी-2)	महाराष्ट्र
	13. अमरावती (डीडी-2)	महाराष्ट्र
	14. नासिक (डीडी-2)	महाराष्ट्र
	15. नांदेड़ (डीडी-2)	महाराष्ट्र
	16. मालेगांव (डीडी-2)	महाराष्ट्र

[अनुवाद]

आमान परिवर्तन

418. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कुल कितने रेल मार्ग का अभी भी आमान परिवर्तन किया जाना है;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने लंबे रेल मार्ग को बड़ी लाइन में बदला गया और उस पर राज्य-वार कितना खर्च हुआ;

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आमान परिवर्तन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) दिसंबर, 2004 तक पूरे किए जाने वाले खंडों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस परियोजना को शीघ्रता प्रदान करने के लिए अतिरिक्त निधि अर्जित किए जाने पर विचार किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) 1.4.2002 को मीटर लाइन/छोटी लाइनों का राज्यवार ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ख) नौवी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कुल 2103 किमी० मार्ग बड़ी लाइन में परिवर्तित किया गया था, जिसका ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है। परियोजनाओं पर खर्च का ब्यौरा राज्यवार नहीं रखा जाता है। बहरहाल, नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, आमान परिवर्तन परियोजनाओं पर किया गया कुल खर्च 3880.36 करोड़ रु० था।

(ग) दसवीं योजना दस्तावेज के अनुसार, 2365 कि०मी० पर आमान परिवर्तन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बहरहाल, अलग-अलग परियोजनाओं के लक्ष्य वर्ष दर वर्ष के आधार पर संसाधन के समग्र उपलब्धता और प्रत्येक परियोजना के प्रगति के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं।

(घ) 2002-03 में पूरे किए गए/पूरे किए जाने वाले खण्डों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्र० सं०	2002-03 में पूरे किए गए/पूरे किए जाने वाले खण्ड	किमी०
1	2	3
1.	मिरज-लातूर का लातूर-लातूर रोड	42
2.	लूनी-मुनाबाओ का लूनी-समदडी-जसई	196
3.	कडालोर-सलेम का वडालूर-वृद्धाचलम	27
4.	अर्सीकेरे-हसन मंगलोर का मंगलोर-पुतुर	40
5.	कोलम-तिरूनेनवेली-त्रिचांदूर और तिनकाशी-विरूदुनगर का विरूदुनगर राजापालयेम	50
6.	सिकंदराबाद-मुदखेड़ और जनखमपेठ-बोधन का धर्माबाद-निजामाबाद और जनखमपेट	56
7.	काटपाडी-पकाला-तिरूपति का काटपाडी-तिरूपति	104
8.	राजकोट-वैरावल का राजकोट-जैतलसर जुनागढ़	102
9.	पीपावाव और सिहोर-पालीताना तक विस्तार सहित सुरेन्द्रनगर-भावनगर-राजुला-महुआ का सुरेन्द्रनगर-पीपावाव	250
	जोड़	867

बहरहाल, 2003-04 में पूरे किए जाने वाले लक्षित खण्डों का पता बजट 2003-04 के प्रस्तुतीकरण पर ही चल सकेगा।

(ङ) और (च) यह निधियों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करेगा। बहरहाल, कुछ परियोजनाओं की राष्ट्रीय रेल विकास योजना (एन०आर० वी०वाई०) के अंतर्गत कार्यान्वयन करने के लिए पहचान की गई है।

विवरण-I

1.4.2002 को शेष मीटर लाइन/छोटी लाइनों का राज्यवार विवरण

राज्य	किमी०
आंध्र प्रदेश	754
पूर्वोत्तर राज्य	1429
बिहार	1287
गुजरात	3222
हरियाणा	236
हिमाचल प्रदेश	244
कर्नाटक	651
केरल	114
मध्य प्रदेश	1369
महाराष्ट्र	1197
पंजाब	25
उड़ीसा	143
राजस्थान	2756
तमिलनाडु	1992
उत्तर प्रदेश	1860
पश्चिमी बंगाल	795

विवरण-II

नौवीं योजना के दौरान आमान परिवर्तन कार्यों का ब्यौरा

क्र० सं०	परियोजना का नाम	नौवीं योजना के दौरान पूरे किए गए		किमी०
		खण्ड	राज्य	
1	2	3	4	5
1.	जोधपुर-लूनी और लूनी-मारवाड़	जोधपुर-लूनी-मारवाड़	राजस्थान	102
2.	सोलापुर-गदग	शोलापुर-होटगी-बीजापुर	महाराष्ट्र/कर्नाटक	112
3.	गोंदिया-चांदाफोर्ट	नागबीर-चांदाफोर्ट-बल्लाहरशाह	महाराष्ट्र	122
4.	सिकंदराबाद-द्रोणाचलम	महबूबनगर-द्रोणाचलम्	आंध्र प्रदेश	185
5.	मैसूर-हसन	मैसूर-होलेनसिपुर	कर्नाटक	87
6.	लमडिंग-डिब्रुगढ़	लमडिंग-डिब्रुगढ़		186
7.	हाजीपुर-बछवाड़ा	बछवाड़ा-हाजीपुर	बिहार	72
8.	त्रिची-नागौर	त्रिची-तंजावूर	तमिलनाडु	50
9.	अरसीकेरे-हसन-मंगलोर	हसन-सकलेशपुर	कर्नाटक	42
10.	चिकबलापुर-येलहंका और कोलार-बगारपेट	कोलार-बंगारपेट	कर्नाटक	18
11.	नरकटियागंज-गोरखपुर	नरकटियागंज-गोरखपुर	बिहार/उत्तर प्रदेश	159
12.	मद्रास बीच-त्रिची	अरक्कोनम-चेनगल्लपट्टू एवं तामबारम-त्रिरुचिरापल्ली	तमिलनाडु	366
13.	त्रिची-दिंडीगुल	त्रिरुचिरापल्ली-दिंडीगुल	तमिलनाडु	93
14.	इंडारा-फेफना	इंदारा-फेफना	उत्तर प्रदेश	55
15.	मिरज-लातूर	पंडारपुर-कुरुडुवाडी	महाराष्ट्र	52
16.	काशीपुर-लालकुआं	काशीपुर-लालकुआं	उत्तरांचल	60
17.	सलेम-यशवंतपुर	येलहंका-यशवंतपुर	कर्नाटक	17
18.	बनकानेर-मलिया-मियाना	बनकानेर-मोरबी से मालिया-मियाना और डहिसारा से नवलखी	गुजरात	96
19.	गुना-इटावा	नोनेरा-सोनी-भिंड	मध्य प्रदेश	50
20.	मुजफ्फरपुर-रक्सौल	रक्सौल-बीरगंज	बिहार	8
21.	गांधीधाम-भुज	गांधीधाम-भूज	गुजरात	58

1	2	3	4	5
22.	हसन-मैसूर	लक्ष्मणतीरथ ग्रांच	कर्नाटक	1
23.	गुंटुर-गुंतकल और गुंतकल कल्लौरी	पेनडेकालू-गुट्टी	आंध्र प्रदेश	29
24.	धरनगढ़ा-कुडा	दरभंगा-कुडा	गुजरात	33
25.	मुदखेड-सिकंदराबाद	मुदखेड-धरमाबाद	महाराष्ट्र/आंध्र प्रदेश	50
				2103

बंगलौर जयपुर एक्सप्रेस में छापा

419. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी०बी०आई० और आयकर अधिकारियों ने बंगलौर जयपुर एक्सप्रेस में छापा मारा था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे;

(ग) क्या इस छापे के बाद किसी रेल अधिकारी को दोषी पाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और

(ङ) उनके विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) इस सूचना के आधार पर कि एक रेलवे अधिकारी गाड़ी में बहुत सारा बेहिसाब कैश ले जा रहा है, सी०बी०आई० ने आयकर विभाग के समन्वय से 21.12.02 को छापा मारा था।

(ग) और (घ) सी०बी०आई० ने संबंधित अधिकारी के विरूद्ध मामला दर्ज किया है और आगे की जांच प्रगति पर है।

(ङ) सी०बी०आई० से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के विचार-विमर्श से उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

विस्थापित लोगों को रोजगार

420. **श्री लक्ष्मण गिलुवा :**
प्रो० दुखा भगत :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन विस्थापित परिवार को कोई क्षतिपूर्ति/रोजगार दिया जाता है जिनकी भूमि रक्षा उद्देश्यों हेतु अधिगृहित की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या नीति है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ग) रक्षा प्रयोजनों के लिए अधिगृहीत भूमि का मुआवजा भूमि अर्जन अधिनियम के अंतर्गत सक्षम भूमि अधिग्रहण प्राधिकारियों द्वारा नियत करके दिया गया है। जिन लोगों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है उनको नौकरी दिये जाने की कोई नीति नहीं है।

पूर्व रेलवे की यात्री किराया/मालभाड़े से होने वाली आय में गिरावट

421. **श्री लक्ष्मण सेठ** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के बंटवारे के बाद उसके यात्री किराए/मालभाड़े से होने वाली आय में तेजी से गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो पूर्व रेलवे को गत वर्ष हुई आय के मुकाबले उक्त अवधि के दौरान हुई आय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान पूर्व रेल का खर्च उसकी आय की तुलना में बहुत ज्यादा है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं? और

(ङ) इस समस्या का मुकाबला करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) पूर्व रेलवे की आमदनी 1.10.2002 से नए जोनों के चालू होने से पहले और बाद की अवधि के लिए तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि मंडलों की संख्या समान नहीं है। बहरहाल, यात्री और माल

यातायात आमदनी पूर्व रेलवे के प्रारंभ स्तर पर अक्टूबर, 2002 से दिसम्बर, 2002 तक की अवधि के लिए संशोधित क्षेत्राधिकार से वर्ष 2001 के तदनुरूपी महीनों की तुलना में उसी क्षेत्राधिकार के लिए सुधार दर्शाती है।

(ग) और (घ) जी, हां। बहरहाल, नए जोनों के शुरू होने से पहले से ही पूर्व रेलवे की आमदनी से खर्च की दर अधिक रही है। इसका कारण यह रहा है कि साधारण संचालन व्यय विभिन्न निधियों में विनियोजन तथा लाभांश दायिता पूरी करने के लिए पूर्व रेलवे द्वारा सृजित राजस्व पर्याप्त नहीं था।

(ङ) यद्यपि संशोधित क्षेत्राधिकार के लिए प्रारंभिक आधार पर सुधार दर्शाया गया है फिर भी, निम्नलिखित उपाए किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है।

(i) आमदनी में और वृद्धि करने के लिए :

1. टिकट जांच को गहन किया गया है।
2. अधिक उच्च दर वाला यातायात आकर्षण करने के लिए विपणन प्रयास किए गए हैं।
3. लंबी दूरी के यात्रियों को संभालने के लिए जहां कहीं अपेक्षित होता है अतिरिक्त सबारी डिब्बे लगाए जाते हैं।
4. यात्री आरक्षण खिड़कियों की अधिक संख्या तथा अतिरिक्त काउंटर खोले गए हैं।
5. गाड़ी सेवाओं में विस्तार करने तथा फेरों में वृद्धि करने के लिए नई गाड़ियां चलाना।

(ii) खर्च कम करने के लिए :

1. पट्टा/मालडिब्बा किराया प्रभारों में कमी
2. ईंधन की खपत तथा सामग्री लागत में कमी
3. जनशक्ति योजना

एफ०टी०आई०आई० और एन०एफ०ए०आई०, पुणे में आग

422. **श्री रामजीवन सिंह :**
श्री दिनेशचन्द्र यादव :
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल :
श्री एस० मुरूगेसन :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारतीय चलचित्र एवं दूरदर्शन संस्थान (एफ०टी०आई०आई०) और भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (एन०एफ०ए०आई०), पुणे में लगी आग में दुर्लभ फिल्म प्रिन्ट और दुर्लभ वृत्तचित्र पूरी तरह नष्ट हो गए;

(ख) यदि हां, तो इससे हुई हानि का ब्यौरा क्या है और आग लगने के कारण क्या है;

(ग) क्या एफ०टी०आई०आई० और एन०एफ०ए०आई०, पुणे में लगी आग के कारणों को जानने के लिए कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे;

(ङ) क्या इन फिल्मों की कोई प्रति कहीं रखी गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इन दुर्लभ फिल्म प्रिन्टों, स्वतन्त्रतापूर्व की फिल्मों और अन्य दुर्लभ वृत्तचित्रों के एफ०टी०आई०आई० और एन०एफ० ए०आई० द्वारा रखरखाव की त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए/किए जाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) से (च) भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय (एन०एफ०ए०आई०) ने सूचित किया है कि दिनांक 08.1.2003 को लगी आग में भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय अभिरक्षा तथा नाइट्रेट तल में भंडारण की गई 607 फिल्में (5095 रीलें) नष्ट हो गई थीं। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ने आगे सूचित किया है कि आग में नष्ट हुई अधिकांश फिल्मों की सुरक्षा आधार हेतु प्रति रखी गई थी तथा वे भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय में सुरक्षित रूप में रखी हुई हैं तथा केवल 544 रीलों को सुरक्षा तल में स्थानांतरित नहीं किया जा सका था। आग के सही कारणों के साथ-साथ घटना का ठीक-ठीक पता लगाने हेतु अगर संभव हो तो, भविष्य में निवारक उपायों तथा अपनायी जा रही सुरक्षा पद्धति के मूल्यांकन हेतु उच्च स्तर की जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं।

(छ) भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ने बताया कि सभी अभिलेखनीय सामग्री भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय की अभिरक्षा में उनके सुरक्षा (ऐसीटेट) तल वॉल्ट्स जहां तापमान तथा आर्द्रता नियंत्रित है, में भंडारण की गई है। वॉल्ट्स में रखी गई फिल्मों की उनकी स्थिति की मानाटरिंग करने के लिए आवश्यक जांच की जाती है और प्रिंटों की गुणवत्ता में संरक्षण विकृति को रोकने हेतु आधुनिक संरक्षण तकनीकों को प्रयोग में लाया जाता है।

[हिन्दी]

आयल इंडिया लिमिटेड का हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में विलय

423. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :**
श्री राधा मोहन सिंह :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आयल इंडिया लिमिटेड और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड का विलय करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के इन दोनों उपक्रमों का अन्य कंपनियों में विलय किए जाने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) सरकार के पास आयल इंडिया लिमिटेड (ओ०आई०एल०) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच०पी०सी०एल०) के विलय के बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में जिला विद्युत समिति का गठन

424. **श्रीमती रीना चौधरी :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विद्युत वितरण की कारगर निगरानी हेतु प्रत्येक राज्य में विशेषकर उत्तर प्रदेश में जिला विद्युत समिति गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समिति के सदस्यों को मनोनीत करने हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) से (ग) विद्युत विधेयक, 2001 में अन्य बातों के साथ- साथ निम्नलिखित कार्यों के लिए सम्बद्ध सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक समिति गठित करने का प्रावधान है :–

– प्रत्येक जिले में विद्युतीकरण के विस्तार कार्य की समीक्षा और उसके लिए सहयोग दिया जाना

– विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और उपभोक्ताओं की संतुष्टि की स्थिति की समीक्षा

– ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देना।

उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार विद्युत आपूर्ति की प्रभावी निगरानी और उपभोक्ताओं से जुड़ी परिवेदनाओं के निराकरण के लिए उ०प्र० के प्रत्येक जिले में जिला विद्युत परामर्शदात्री समिति गठित किए जाने के आशय का आदेश उ०प्र० विद्युत निगम द्वारा जारी किया गया है।

[अनुवाद]

रेलमार्ग रखरखाव संबंधी परियोजना

425. **श्री गंता श्रीनिवास राव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक रेलवे डिवीजन द्वारा रेल पथ और संबंधित रखरखाव पर वार्षिक रूप से खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रत्येक रेलवे डिवीजन के अंतर्गत कितनी रखरखाव परियोजनाएं हैं और प्रत्येक परियोजना को पूरा करने हेतु नियत अनुमानित समय क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) रेल लाइनों की मरम्मत और अनुरक्षण करना एक चालू प्रक्रिया है। अनुरक्षण संबंधी निर्माण कार्य आवश्यकता के आधार पर नियमित रूप से किए जाते हैं। यातायात की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेल लाइनों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है और जहां कहीं भी आवश्यक समझा जाता है तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। बहरहाल, संरक्षा हर स्तर पर तथा हमेशा सुनिश्चित की जाती है और रेलपथ पर्यवेक्षकों को उनके उच्च अधिकारियों से कोई भी निर्देश लिए बिना यथा अपेक्षित गति प्रतिबंध लगाने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

रेल लाइनों का नवीनीकरण आयु-एवं-हालत के आधार पर भी किया जाता है जो धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। कतिपय मामलों में, यदि रेल लाइन की हालत के अनुसार अपेक्षित होता है तो उस खंड की अधिकतम अनुमेय गति को कम भी किया जाता है।

रेलपथ नवीकरण संबंधी कार्य संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं।

स्वीकृत रेलपथ नवीकरण संबंधी निर्माण कार्यों को 3-4 वर्षों की समय अवधि में साधारणतया पूरा कर लिया जाता है बशर्ते धन उपलब्ध हो।

विवरण

रेलपथ अनुरक्षण पर प्रत्येक रेल मंडल द्वारा 2001-02 के दौरान खर्च की गई राशि का ब्यौरा

(करोड़ रुपयों में)

रेलें									
मध्य	मंडल	मुंबई (सीएसटी)	भुसावल	झांसी	जबलपुर	नागपुर	सोलापुर	भोपाल	पुणे
	राशि	37.44	41.67	44.48	47.48	31.74	18.07	30.05	7.57
पूर्व	मंडल	हवड़ा	सियालदाह	आसनसोल	धनबाद	दानापुर	मुगलसराय	मालदा	
	राशि	33.28	29.42	37.14	44.80	30.78	23.38	13.51	
उत्तर	मंडल	इलाहाबाद	बीकानेर	दिल्ली	अंबाला	फिरोजपुर	मुरादाबाद	लखनऊ	जोधपुर
	राशि	58.01	32.68	37.54	31.64	35.23	45.89	41.94	25.85
पूर्वोत्तर	मंडल	इज्जतनगर	लखनऊ	वाराणसी	सोनपुर	समस्तीपुर			
	राशि	21.42	29.96	25.55	22.89	20.34			
पूसी	मंडल	कटिहार	अलीपुरद्वार	लामडिंग	तिनसुकिया				
	राशि	27.76	46.59	31.42	10.91				
दक्षिण	मंडल	चेन्नै	पालघाट	त्रिवेन्द्रम	बंगलोर	मैसूर	त्रिची	मदुरै	
	राशि	56.35	44.28	28.97	26.42	13.08	22.97	28.69	
दक्षिण मध्य	मंडल	सिकंदराबाद	विजयवाड़ा	गुंतकल	हुबली	हैदराबाद			
	राशि	55.20	55.10	40.80	27.60	26.00			
दक्षिण-पूर्व	मंडल	खोरधा रोड	वाल्तेरू	सम्बलपुर	नागपुर	बिलासपुर	खड़गपुर	चक्रधरपुर	आद्रा
	राशि	35.86	44.75	18.60	32.15	55.96	38.91	49.21	44.81
पश्चिम	मंडल	मुंबई मध्य	वड़ोदरा	रतलाम	कोटा	अजमेर	जयपुर	भावनगर	राजकोट
	राशि	34.89	36.64	33.80	39.84	21.72	25.78	18.17	17.32

नौकरियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को आरक्षण सुविधाएं

426. **श्री थावरचन्द गेहलोत** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में नौकरियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को दी जा रही आरक्षण सुविधा के प्रावधानों को संविधान की नौवीं अनुसूची में सम्मिलित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार की आरक्षण नीति को इन्दिरा साहनी मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्यकारी अनुदेशों जिसमें कानून का बल है के माध्यम से सुस्पष्ट किया गया है। चूंकि आरक्षण पर कोई अधिनियम नहीं है इसलिए संविधान की नौवीं सूची में सरकार की आरक्षण नीति को शामिल करने का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

शैक्षणिक और सामाजिक संस्थाओं को रियायती रसोई गैस

427. **श्री राधा मोहन सिंह** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शैक्षणिक और सामाजिक संस्थानों को रियायती दरों पर रसाई गैस उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रियायती दरों पर रसोई गैस उपलब्ध कराने से सरकार को प्रतिवर्ष कितने राजस्व की हानि होने की संभावना है;

(घ) वर्तमान में रसोई गैस का वाणिज्यिक मूल्य कितना है; और

(ङ) सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को प्रति सिलेण्डर कितनी राजसहायता दी जाती है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) वर्तमान में, सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियां (ओ०एम०सीज) सरकारी/म्यूनिसिपल अस्पतालों, सभी स्कूलों एवं कालेजों के छात्रावासों अथवा मध्यावकाश भोजन योजनाओं तथा बाल कल्याण/महिला कल्याण/समाज कल्याण संस्थाओं के लिए चलाई जा रही समाज कल्याण संस्थाओं को राज सहायता प्राप्त एल०पी०जी० उपलब्ध करा रही है।

(ग) से (ङ) वर्ष, 2002-03 के लिए देश में सभी उपभोक्ताओं को आपूर्ति की गई घरेलू एल०पी०जी० पर देय कुल राज सहायता 3,781 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। वर्तमान में प्रति सिलेंडर (14.2 कि०ग्रा०) राज सहायता 67.75 रुपए है। 19 कि०ग्रा० एल०पी०जी० वाले सिलेंडर की वाणिज्यिक दर में स्थान दर स्थान 650 रुपए से 750 रुपए तक सीमा तक अंतरभिन्नता होती है।

[अनुवाद]

सैन्य टुकड़ियों के स्वास्थ्य की देखभाल

428. **श्री बी० वेंकटेस्वरलु** :
श्री कालवा श्रीनिवासुलु :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों और आपरेशन पराक्रम के कारण इण्डियन आर्मी अत्यधिक थकान से परेशान है; और

(ख) यदि हां, तो सैन्य टुकड़ियों के स्वास्थ्य की देखभाल और उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय सेना का मनोबल बहुत ऊंचा है। सैनिकों का मनोबल बनाए रखने और उन्हें तनाव-रहित रखने के लिए सेना मुख्यालय के चिकित्सा निदेशालय ने निम्नलिखित कार्रवाई की है :–

(i) रेजिमेंटल मेडिकल अफसरों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे ऐसे व्यक्तियों की पहचान करें और उन्हें परामर्श दें जिनमें तनाव के कोई भी लक्षण दिखाई दें।

(ii) जोनल अस्पताल रेजिमेन्टल मेडिकल अफसरों को समुचित प्रशिक्षण देने के लिए सेमिनार आयोजित करते हैं ताकि वे उपयुक्त कुशलता से अपनी भूमिका निभा सकें।

(iii) सभी स्तरों पर कमांडरों को इस बात की जानकारी दी गई है कि वे तनावग्रस्त लोगों की कैसे पहचान करें और विभिन्न स्तरों पर क्या कार्रवाई की जाए।

(iv) उपर्युक्त के अलावा, शिथिलीकरण व्यायाम के अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों, नियमित सैनिक सम्मेलन और धार्मिक शिक्षकों के दौरों का आयोजन किया जाता है। यूनिटों और सैनिकों के नियमित स्थानांतरण, नियमित छुट्टी, शिकायत के प्रति शीघ्र ध्यान दिया जाना, कार्य के लिए अनुकूल वातावरण तथा परिवार आवास के लिए प्रावधान आदि यथा-संभव सीमा तक सुनिश्चित किए जाते हैं ताकि तनाव संबंधी घटनाओं को कम से कम किया जा सके।

सिल्चर-लमडिंग रेल लाइन

429. श्री संतोष मोहन देव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सिलचर-लमडिंग रेल लाइन को राष्ट्रीय रेलवे विकास योजना के अंतर्गत लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय रेल विकास योजना में केवल (i) स्वर्णिम चतुर्भुज के सुदृढ़ीकरण (ii) पत्तनों को जोड़ने वाले रेल संपर्क के सुदृढ़ीकरण और मल्टीमाडल गलियारों के भीतरी भाग के विकास और (iii) मेगा पुलों के निर्माण से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

कार्यक्रमों के प्रसारण में प्रगति

430. श्री अधीर चौधरी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसार भारती की भावी प्रसारण कार्यक्रमों के लिए कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) से (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि इसने दसवीं योजना की अवधि के दौरान अन्य विषयों के साथ-साथ संस्कृति, कला, इतिहास, महिलाओं के विषयों, क्षेत्रीय भाषायी कार्यक्रमों, बाल कार्यक्रमों और प्राचीन भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित संगीत कार्यक्रमों सहित विभिन्न शैलियों में दीर्घावधि के उच्च गुणवता वाली विषय-वस्तु के कार्यक्रमों के निर्माण को प्राथमिकता दी है।

पेट्रोल में एथेनाल मिलाना

431. श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री ज्योतिरादित्य मा० सिंधिया :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलने की योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इसमें कितने प्रतिशत एथेनॉल मिलाया जाएगा और विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ब्लेंडेड पेट्रोल कब से शुरू किया जाएगा; और

(ग) विभिन्न राज्यों में कितने एथेनॉल का उत्पादन किया जाता है और पेट्रोल की ब्लेंडिंग में इसका कितना उपयोग किया जाता है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, हां। एथेनोल सम्मिश्रित पेट्रोल की योजना के कार्यान्वयन के प्रथम चरण में 9 प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों और 4 केन्द्र शासित प्रदेशों में 30 जून, 2003 तक 5% एथेनोल सम्मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति हो जाएगी।

(ग) फिलहाल उपर्युक्त 9 राज्यों और 4 केन्द्र शासित प्रदेशों में ऐनहाइड्रस एथेनोल निर्माण क्षमता 1,94,220 कि०ली० प्रति वर्ष है। मांग और आपूर्ति के आंकड़ों के सम्मेल हेतु एनहाइड्रस एथेनोल के निर्माण के लिए अगले 3-6 महीनों में अतिरिक्त इकाइयां अस्तित्व में आ रही हैं।

उड़ीसा में कचरा और वायु से ऊर्जा उत्पादन

432. श्री भर्तृहरि महताब : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कचरा और वायु से ऊर्जा उत्पादन के लिए केन्द्र सरकार की सहायता से कितनी ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की गई हैं;

(ख) इन ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा कितनी ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने राज्य में कचरा और वायु से ऊर्जा उत्पादन के कुछ और प्रस्ताव भेजे हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान राज्य को कचरा और वायु से ऊर्जा उत्पादन के लिए कितनी सहायता दी गई है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) वर्ष 1986 और 1987 के दौरान केन्द्र सरकार की सहायता से पुरी, उड़ीसा में दो चरणों में पवन से विद्युत के उत्पादन के लिए 1.1 मे०वा० क्षमता की एक प्रदर्शन परियोजना स्थापित की गई थी। केन्द्र सरकार की सहायता से उड़ीसा में कचरे से विद्युत के उत्पादन के लिए कोई परियोजना स्थापित नहीं की गई है।

(ख) खराब एवं अस्थायी ग्रिड गुणवत्ता तथा उपकरण में अत्यधिक जंग लग जाने के कारण वर्ष 1997 के दौरान इसे समाप्त करने से पहले इस परियोजना से कुल लगभग 11 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया था।

(ग) और (घ) अपशिष्ट तथा पवन से विद्युत के उत्पादन के लिए उड़ीसा राज्य से इस मंत्रालय में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) चूंकि कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए, अत: पिछले तीन वर्षों के दौरान अपशिष्ट तथा पवन से विद्युत के उत्पादन के लिए उड़ीसा राज्य को वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई।

गुजरात में रिलायंस द्वारा गैस की खोज

433. **डा० वी०वी० रमैया :**
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिलायंस कंपनी समूह ने हाल ही में गुजरात में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार का पता लगाया है और विभिन्न स्थानों पर खोज का कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पता लगाए गए गैस की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आगे खोज कार्य चल रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो किन क्षेत्रों में इस गैस का इस्तेमाल किया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, नहीं। एक प्रचालक, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कच्छ की खाड़ी में अपतटीय ब्लाक जी के-ओ एस जे-1 में एक कूप का वेधन कर रहा है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए प्रौद्योगिकी मिशन

434. **प्रो० दुखा भगत :**
श्री रामटहल चौधरी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मिशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है;

(घ) क्या इस मिशन का ग्रामीण स्थितियों के अनुकूल उपयुक्त प्रौद्योगिकी के विकास का कोई लक्ष्य है; और

(ङ) इस मिशन की स्थापना के किस सीमा तक उपयोगी सिद्ध होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती मेहता) : (क) से (ङ) सरकार ने विद्युत मंत्रालय के तत्वाधान में ग्रामीण विद्युत आपूर्ति प्रौद्योगिकी मिशन (आर०ई०एस०टी०) का गठन किया है। मिशन की संरचना निम्नानुसार है :–

1)	सचिव (विद्युत)	अध्यक्ष
2)	सचिव, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	सदस्य
3)	सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय	सदस्य
4)	महानिदेशक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान	सदस्य
5)	अध्यक्ष, के०वि०प्रा०	सदस्य
6)	सीएमडी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०	सदस्य

7)	सी०एम०डी०, एन०टी०पी०सी०	सदस्य
8)	महानिदेशक, केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान	सदस्य
9)	संयुक्त सचिव (वितरण), विद्युत मंत्रालय	सदस्य

अध्यक्ष महोदय संस्थाओं से प्रतिनिधियों, जो वितरित उत्पादन में सक्रिय रूप से भागीदार है और जो उद्योगों के प्रतिनिधि हैं, को सहयोजित कर सकते हैं।

इस मिशन का मुख्य प्रयोजन प्रौद्योगिकी के आधार पर कार्यनीति तैयार करना होगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत पर विद्युत उत्पादन और कम लागत पर वितरण की व्यवस्था हो सके तथा इसका स्थानीय संस्था यथा ग्राम पंचायतें एवं गैर-सरकारी संगठन प्रबंधन करें, विभिन्न प्रकार के ईंधन के लिए उत्पादन यूनिटों के व्यवहार्य आकार का पता लगाएं, जो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हों ओर लघु तथा माइक्रो जल विद्युत परियोजनाओं के लिए स्वीकार की जाने वाली प्रौद्योगिकी सुझाएं ताकि ग्रिड से जोड़े बिना स्थानीय वितरण नेटवर्क स्थापित किया जा सके और मिशन के अंतर्गत देश में कम से कम 25% गांवों को कवर किया जा सके और आगामी 2 योजनाओं के लिए निधि आवश्यकताओं की व्यवस्था की जा सके।

अनुमान है कि रेस्ट मिशन प्रौद्योगिकी विकास प्रक्रिया को गति प्रदान करने की स्थिति में होगा और वितरित उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी अंगीकरण इस प्रकार से हो ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को वहन करने योग्य कीमतों पर गुणवत्तापरक व विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध हो सके।

काकीनाडा से गोवा तक गैस पाइपलाइन

435. **श्री रामनायडू दग्गुबाटि** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृष्णा गोदावरी बेसिन में खोज की गई गैस की ढुलाई तथा विपणन के लिए आंध्र प्रदेश में काकीनाड़ा से गोवा तक गैस पाइपलाइन बिछाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना के पूर्ण होने का लक्ष्य क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर०आई०एल०) द्वारा समर्थित कंपनी मैसर्स गैस ट्रांसपोर्टेशन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड (जी०टी०आई०सी०एल०) का काकीनाडा-हैदराबाद-गोवा से पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव है जिसके लिए पेट्रोलियम एंड मिनरल पाइपलाइन (भूमि प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है।

(ग) विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों के आधार पर संभवत: यह परियोजना वर्ष 2005-06 तक पूरी की जा सकती है।

पत्रकारों के लिए पेंशन या बीमा योजना

436. **श्री के०ई० कृष्णमूर्ति** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कार्यरत पत्रकारों के लिए पेंशन योजना और समूह बीमा योजना तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) और (ख) सरकार पत्रकारों के लिए समूह बीमा योजना शुरू करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इस मामले में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विश्वविद्यालयों के एफ०एम० रेडियो स्टेशन

437. **श्री एस० मुरूगेसन** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सभी विश्वविद्यालयों, आई०आई०टी०, आई०आई०एम० और आवासीय विद्यालयों को अपना एफ०एम० बैंड रेडियो स्टेशन स्थापित करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य के लिए कोई लाइसेंस शुल्क लेने का भी प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई निगम/दिशा-निर्देश बनाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) सरकार ने केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त सुस्थापित शैक्षिक संस्थाओं/संगठनों को सामुदायिक प्रसारण लाइसेंस प्रदान करने का निर्णय लिया है। इनमें विश्वविद्यालयों तथा प्रौद्योगिकी/प्रबंध तथा आवासीय स्कूल शामिल होंगे।

(ख) इस प्रयोजनार्थ कोई लाइसेंस शुल्क वसूल किए जाने का प्रस्ताव नहीं है। लाइसेंसधारक को लाइसेंस करार के निष्पादन को सुनिश्चित करने हेतु केवल पचास रुपये की राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी। तथापि लाइसेंसधारक को संचार मंत्रालय के बेतार योजना समन्वयक स्कंध में बेतार सलाहकार द्वारा यथानिर्धारित स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क का भुगतान करना होगा।

(ग) और (घ) दिशा-निर्देशों की एक प्रति संलग्न विवरण में है। ये दिशा-निर्देश मंत्रालय के वेबसाइट (एचटीटीपी/एमआईबी. एनआईसी. इन) पर भी उपलब्ध है।

विवरण

सामुदायिक रेडियो केन्द्र स्थापित करने के लिए आवेदन संबंधी दिशा-निर्देश

प्रस्तावना :

संघ सरकार ने केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त सुस्थापित शैक्षिक संस्थाओं/संगठनों को सामुदायिक प्रसारण लाइसेंस प्रदान करने का निर्णय लिया है। इनमें विश्वविद्यालयों तथा प्रौद्योगिकी/प्रबंध तथा आवासीय स्कूल शामिल होंगे।

सामुदायिक रेडियो सेवा को स्थापित करने और संचालित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदण्डों, मूल शर्तों/दायित्वों और प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएं संक्षेप में नीचे दी गयी हैं और अधिक ब्यौरे के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय को पत्र लिखा जा सकता है।

2. तकनीकी मानदंड :

2.1 50 वाट अथवा कम शक्ति के लिए एफ०एम० ट्रांसमीटरों को लाईसेंस प्रदान किए जाएंगे।

2.2 87.5 से 100 मैगाहर्टज पर शामिल आवर्तिता बैण्ड पर लाइसेंस जारी किया जाएगा। तथापि, निजी एफ०एम० प्रसारकों के मामले में इस बैण्ड पर आवर्तिता उपलब्ध न होने की स्थिति में 104 से 108 मैगाहर्टज का अनन्य प्रसारण बैण्ड पर भी विचार किया जाए। 100 से 104 मेगाहर्टज आवर्तिता बैण्ड आकाशवाणी के उपयोग के लिए अनन्य रूप से निर्धारित किए गए थे, प्रसार भारती वाधित न हो।

3. अनुपालन हेतु प्रक्रिया

3.1 सामुदायिक आकाशवाणी प्रसारण सेवा शुरू करने की इच्छा वाला कोई पात्र संस्था/संगठन निर्धारित प्रपत्र में सूचना और प्रसारण मंत्रालय को आवेदन कर सकता है।

3.2 आवेदन पत्र की प्राप्ति पर तत्काल सूचना और प्रसारण मंत्रालय संचार मंत्रालय की बेतार समन्वयन स्कन्ध में बेतार परामर्शदाता तथा उम्मीदवार उस स्थान के अनुरोध हेतु आवर्तिता की उपलब्धता निर्धारित करने के लिए प्रसार भारती से परामर्श कर सकेगा।

3.3 सूचना और प्रसारण मंत्रालय बेतार स्कन्ध से आवर्तिता की पुष्टि की प्राप्ति पर उम्मीदवार को पत्र जारी किया जा सकता है। तथापि, केन्द्र को शुरू करने की गृह, रक्षा, और विदेश मंत्रालयों से परामर्श/सुरक्षा अनुमोदन प्राप्त होने के बाद अनुमति दी जाएगी। लाईसेंसधारी को निर्दिष्ट विस्तृत निबंधन और शर्तों पर लाईसेंस समझौते पर हस्ताक्षर हेतु अनुरोध किया जाएगा जिसके तहत लाइसेंस प्रचालित किया जाना है और अल्प शक्ति एफ०एम० सामुदायिक आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने के लिए और आवश्यक कार्रवाई शुरू करनी है।

3.4 लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से एक वर्ष के अंतर्गत, उम्मीदवार आवश्यक औपचारिकताएं जैसे एस०ए०सी०एफ०ए० निकासी आदि प्राप्ति, आवश्यक प्रसारण सुविधाएं स्थापित करना और संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बेतार स्कन्ध से बेतार परामर्शदाता से बेतार प्रचार लाईसेंस प्राप्त करना पूरा करेंगे।

3.5 दिए गए स्थान पर एकल आवर्तिता के एक से अधिक दावेदार की स्थिति में, लाइसेंसधारक का स्थायी, बचनबद्धता, लक्ष्यों तथा उम्मीदवार संगठन के संसाधनों के आधार पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित समिति द्वारा चयन किया जाएगा।

3.6 लाइसेंसधारक से बेतार स्कन्ध द्वारा निर्धारित स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क लिया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय कोई अन्य लाईसेंस शुल्क नहीं लगाएगा।

4. निबंधन और शर्तें

4.1 सामुदायिक आकाशवाणी प्रसारण के मुख्य उद्देश्य कार्यक्रमों के प्रसारण में सामुदायिक सदस्यों सहित लाईसेंसधारक के सेवा क्षेत्र में समुदाय की सेवा इस प्रयोजनार्थ करना होगा। समुदाय का अर्थ लाईसेंस-धारक के प्रसारण सेवा के कवरेज क्षेत्र में रह रहे लोग होगा।

4.2 लाईसेंस 10 वर्ष की अवधि के लिए होगा।

4.3 लाईसेंस अहस्तांतरणीय होगा।

4.4 इस स्कीम के अंतर्गत उम्मीदवार को एक से अधिक लाईसेंस की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4.5 लाइसेंसधारक अपनी नि:शुल्क प्रसारण आधार पर सेवा उपलब्ध कराएगा।

4.6 **लाइसेंसधारक** अपने चैनल/प्रसारण सेवा को वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए पूरी तरह या आंशिक रूप से प्रयुक्त नहीं करेगा।

4.7 सामुदायिक रेडियो सेवा के कार्यक्रम शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, कृषि ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास से संबंधित विषयों पर केन्द्रित होंगे। विषय सामाजिक, सांस्कृतिक तथा स्थानीय मुद्दों तक सीमित होने चाहिए तथा रचना, विषय, प्रस्तुतीकरण तथा भाषा, स्थानीय विशिष्टता और सुगन्ध को प्रतिबिम्बित करने वाली और प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए।

4.8 लाइसेंसधारक को किसी समाचार और सामयिकी कार्यक्रमों के प्रसारण और चुनायों तथा राजनैतिक प्रसारण की अनुमति नहीं होगी।

4.9 लाईसेंसधारक किसी विज्ञापन या प्रायोजित कार्यक्रम का प्रसारण नहीं करेगा।

4.10 लाईसेंसधारक को सुनिश्चित करना होगा कि लाईसेंसधारक के कार्यक्रम में ऐसा कुछ शामिल नहीं होगा, जो

(क) सुरूचि और शालीनता के खिलाफ हो

(ख) जिसमें मित्र देशों की आलोचना हो,

(ग) धर्मों या समुदायों पर आक्षेप लगाता हो, या धार्मिक समूहों का दृश्य या शब्दों के माध्यम से तिरस्कार करता हो, या साम्प्रदायिक भावनाओं को बढ़ावा देता हो,

(घ) जो अश्लील, मानहानिकारक, जान-बूझकर, झूठा और व्यंग्यात्मक विचारोत्तेजक या अर्द्धसत्य हो,

(ङ) जो हिंसा को बढ़ावा देता हो या प्रेरित करता हो या कानून-व्यवस्था के रख-रखाव के विरूद्ध हो या राष्ट्र-विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देता हो,

(च) कोई ऐसी बात जिससे न्यायालय की अवमानना होती हो,

(छ) जिसमें राष्ट्रपति और न्यायपालिका की सत्यनिष्ठा के विरूद्ध भावना

(ज) राष्ट्र की सत्यनिष्ठा को प्रभावित करने वाली कोई बात

(झ) जिसमें किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत रूप या किसी समूह, सामाजिक खंड, जन या देश के नैतिक जीवन की आलोचना, बुराई या झूठी निंदा हो,

(ञ) अंधविश्वास को बढ़ावा देता हो,

(ट) महिलाओं को बदनाम करता हो,

(ठ) बच्चों को बदनाम करता हो,

(ड) अल्कोहल, मादक द्रव्य व तम्बाकु समेत नशीले दवाओं के दुरूपयोग को प्रस्तुत/चित्रित करती हों या जो नैतिकता, राष्ट्रीयता, नस्ल, लिंग, यौन-वरीयता, धर्म, उम्र या शारीरिक-मानसिक विकलांगता के आधार पर घिसे-पिटे, भददे रूप से चित्रण के द्वारा किसी व्यक्ति या समूह की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयत्न करती हों।

4.11 लाईसेंसधारक को सुनिश्चित करना होगा कि धार्मिक कार्यक्रमों के संबंध में निम्नलिखित विचारों से बचते हुए पूर्ण ध्यान रखा जाए :–

(क) धार्मिक भावुकता का गलत प्रयोग तथा

(ख) किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक सम्प्रदाय से संबंधित धार्मिक विचारों को विश्वासों की अवमानना करना।

4.12 लाईसेंसधारक को यह सुनिश्चित करना होगा कि राष्ट्र की एकता, धार्मिक सहिष्णुता, वैज्ञानिक प्रकृति तथा भारतीय संस्कृति के मूल्यों को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों पर उचित बढ़ावा दिया जाए।

4.13 लाईसेंसधारक को आकाशवाणी के कार्यक्रम संबंधी संहिता का अनुपालन करना होगा।

4.14 लाईसेंसधारक बेतार स्कन्ध में बेतार परामर्शदाता द्वारा निर्धारित स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क का भुगतान करेगा।

4.15 हालांकि लाईसेंसधारक भारत सरकार सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत सेवा प्रचालित करेगा। लाईसेंस इस शर्त के अधीन होगा कि जब भी देश में किसी विनियामक प्राधिकारीगण का प्रसारण सेवाओं को विनियमित एवं मानीटरिंग करने के लिए गठन किया जाता है तो लाईसेंसधारी को ऐसे प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदण्डों, नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होगा।

4.16 लाईसेंसधारक यथा अपेक्षित ऐसे अन्तराल की सरकार को सूचना उपलब्ध कराएगा। इस बारे में लाईसेंसधारक को पिछले 6 महीने की अवधि के प्रसारण कार्यक्रमों के टेपों को संरक्षित करना अपेक्षित है जिसके असफल होने पर सरकार को लाईसेंस बहाली का अधिकार होगा।

4.17 सरकार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को लाइसेंसधारी की प्रसारण सुविधाओं का निरीक्षण करने और सार्वजनिक तथा सामुदायिक हित

में आवश्यक माने जाने पर ऐसी सूचना एकत्रित करने का अधिकार होगा।

4.18 सरकार के पास राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में या राष्ट्रीय आपातकाल/युद्ध या कम तीव्र संघर्ष या समान प्रकार की स्थितियों में लाईसेंस-धारक की सम्पूर्ण सेवाओं और नेटवर्क को हाथ में लेने या लाइसेंस बहाल/समाप्त करने का अधिकार संरक्षित है।

4.19 लाइसेंसधारक द्वारा सेवाओं के स्थानापन्न, अनुरक्षण, प्रचालन हेतु नियुक्ति, ठेका, सलाह आदि के द्वारा तैनात किए गए सभी विदेशी कर्मचारियों को भारत सरकार से सुरक्षा, समाशोधन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

4.20 यदि आवश्यक हो तो जनता के हित में या प्रसारण हेतु उपयुक्त आचार के लिए या सुरक्षा कारणों से सरकार के पास किसी भी समय नियमों एवं शर्तों में सशोधन करने का अधिकार है।

4.21 जनता के हित में या शर्तों व नियमों में किसी भी प्रकार के उल्लंघन करने पर सरकार 15 दिन का नोटिस देकर किसी भी समय लाइसेंस रद्द कर सकती है।

4.22 लाइसेंस में कहीं भी किसी भी प्रकार के विषय के बावजूद सरकार का निर्णय अंतिम व निर्णायक होगा।

4.23 लाइसेंस समझौते के समयानुसार निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए लाइसेंस धारकों को 50,000 रु० की राशि बैंक गारंटी के रूप में जमा करवानी होगी।

4.24 यदि लाइसेंस धारक दी गयी अवधि में सेवा शुरू करने में असमर्थ होता है तो बैंक गारंटी को जुर्माने के रूप में सरकार के पास जमा करवाना होगा और सरकार लाइसेंस धारक के लाइसेंस को रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

4.25 लाइसेंस, सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन होगा।

[हिन्दी]

रेल परियोजनाएं

438. **श्री मानसिंह पटेल :**
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल परियोजनाएं धनराशि के अभाव के कारण अक्सर छोड़ दी जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितनी परियोजनाओं को छोड़ दिया गया;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि नई परियोजनाएं केवल तभी शुरू हो जाएंगी जब पर्याप्त धन उपलब्ध हो; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान घोषित योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें आज तक शुरू नहीं किया जा सका है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विगत में परियोजानाओं की बजट में बिना पूर्व स्वीकृति के शामिल किया गया था। सरकार ने फैसला किया है कि नई परियोजनाओं को बजट में बिना पूर्व अनुमोदन शामिल नहीं किया जाएगा।

(घ) पिछले तीन बजटों में परियोजनाएं शामिल की गई थी। किन्तु अभी तक शुरू नहीं की गई हैं, उनका ब्योरा नीचे दिया गया है :–

(i) आजिमगंज (नलिपुर) – जयगंज का घाट तक पुनर्स्थापन

(ii) ठाणे-मुम्बई 5वीं और 6ठी लाइन

(iii) दिल्ली सराय रोहिल्ला-गुडगांव रेल विद्युतीकरण

पेट्रोलियम उत्पादों की मांग

439. **डा० सुशील कुमार इन्दौरा :**
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की मांग का वर्ष-वार अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन देश में इनकी वास्तविक आवश्यकता से अधिक है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादन और मांग में वर्षवार अंतर का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उत्पादक संस्थाओं द्वारा अतिरिक्त पेट्रोलियम उत्पादों के उपयोग का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की उत्पादनवार मांग और उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) वर्ष 2001-02 के दौरान 7.0 एम०एम०टी० उत्पादों के आयात के मुकाबले 10.1 एम०एम०टी० उत्पादों का निर्यात किया गया।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की उत्पादवार मांग और उत्पादक का ब्यौरा

(आंकड़े मि० मी० टन में)

उत्पाद	1999-2000		2000-2001		2001-2002	
	मांग	उत्पादन	मांग	उत्पादन	मांग	उत्पादन
एलपीजी	6.42	4.48	7.02	6.15	7.73	6.99
पेट्रोल	5.91	6.23	6.61	8.07	7.01	9.70
नाफ्था/एनजीएल	10.90	9.63	11.68	11.49	11.76	10.84
एविएशन टरबाइन ईंधन	2.20	2.26	2.25	2.51	2.26	2.59
मिट्टी तेल	11.90	5.97	11.31	8.90	10.43	9.91
डीजल	39.30	34.77	37.97	39.05	36.55	39.94
हल्का डीजल तेल	1.51	1.63	1.40	1.48	1.59	1.69
स्नेहक/ग्रीस	1.24	0.73	1.04	0.68	1.14	0.65
एफओ/एलएसएचएस#	12.45	11.35	12.65	11.46	12.98	12.24
बिटूमेन	2.88	2.49	2.71	2.72	2.58	2.56
अन्य	2.38	3.40	5.44	7.07	6.40	7.23
योग	97.09	80.94	100.08	99.58	100.43	104.34

#एफओ : भट्टी तेल/एलएसएचएस : लो सल्फर हैवी स्टाक

[अनुवाद]

बिना टिकट पकड़े गए लोग

440. **श्री बी०के० पार्थसारथी :**
श्री गुनीपाटी रामैया :
श्री सुरेश पासी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रेलगाड़ियों में बिना टिकट यात्रा करने वाले जोन-वार कितने व्यक्ति पकड़े गए;

(ख) उनसे जोन-वार कितनी धनराशि वसूल की गई; और

(ग) इस प्रकार की प्रवृत्तियों को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) रेलवे मजिस्ट्रेट और पुलिस के सहयोग से बिना टिकट/अनियमित यात्रा की बारंबार जांच करने हेतु नियमित और औचक जांच की जाती है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय रेलें भी विभिन्न स्थानों और बिना टिकट यात्रा के संभावित खंडों पर विशिष्ट तारीखों और अवधियों में विशेष जांच करती हैं।

विवरण

रेलवे	पकड़े गए बिना टिकट/अनियमित यात्रियों की संख्या (लाख में)			वसूली गई रेलवे देय राशि (करोड़ रु० में)		
	1999-2000	2000-01	2001-02	1999-2000	2000-01	2001-02
मध्य	19.94	22.00	25.82	26.12	28.01	33.24
पूर्व	15.74	16.38	17.26	14.39	14.91	15.11
उत्तर	33.82	36.46	40.44	37.78	42.05	48.43
पूर्वोत्तर	8.78	10.58	11.23	10.56	12.63	13.63
पूसी	1.93	1.90	2.16	2.75	3.16	3.41
दक्षिण	4.49	5.01	5.16	5.98	6.75	7.44
दक्षिण मध्य	8.65	10.33	11.27	15.82	17.12	18.31
दक्षिण पूर्व	7.64	8.66	9.31	8.00	9.29	10.47
पश्चिम	17.61	19.00	19.63	22.34	24.43	25.68

बीएससीएल के बकाए को माफ करना

441. श्री टी०एम० सेल्वागनपति : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बर्न स्टैन्डर्ड कंपनी लिमिटेड पर बकाया सरकारी ऋण और ब्याज के 295.71 करोड़ रुपये को माफ करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कंपनी के लिए संयुक्त उद्यम प्रस्ताव आकर्षित करने के लिए उक्त राशि माफ की गयी थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बाला साहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) सरकार ने संयुक्त उद्यम भागीदार के चयन के अध्यधीन बकाया राशि और ब्याज की 295.71 करोड़ रुपये की राशि माफ करने का निर्णय लिया है।

(ग) और (घ) संयुक्त उद्यम प्रक्रिया की सहायता की संभावनाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकारी देय राशि की वित्तीय पुनर्संरचना करके कम्पनी के निवल मूल्य को धनात्मक बनाने हेतु अनुकूल महसूस किया गया।

[हिन्दी]

टिकट होम डिलीवरी योजना

442. डॉ० अशोक पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में टिकट् होम डिलीवरी योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन शहरों में उक्त योजना प्रारंभ की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो यह योजना कब तक शुरू की जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) इंटरनेट पर आरक्षण जिसमें आरक्षित टिकटों की सुपुदर्गी घर में की जा सकती है, की सुविधा भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आई०आर०सी०टी०सी०) के माध्यम से शुरू की गई है।

(ग) यह परियोजना दिल्ली में शुरू की गई है और इसे बड़े शहरों अर्थात् अहमदाबाद, बैंगलूरू, बड़ौदा, भोपाल, चैन्ने, चंडीगढ़ (जिनमें मोहाली, एस०ए०एस० मनीमाजरा, पंचकुला शामिल है) हैदराबाद, सिकंदराबाद, जयपुर, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई (जिसमें थाणे, कल्याण की नगरपालिका सीमाएं और नवीं मुम्बई के भाग शामिल

हैं) नागपुर, पुणे और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसमें नई दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा तथा गुड़गांव में उपलब्ध कराया गया है। इन शहरों के किसी भी शहर में कुरियर द्वारा टिकटों को घर में सुपुर्द किए जा सकते हैं या नई दिल्ली से प्राप्त किए जा सकते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आपूर्ति और मांग में अंतर

443. श्री नवल किशोर राय :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 70 प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्युत आपूर्ति प्रणाली के विस्तार के बाद भी विभिन्न राज्यों में विद्युत आपूर्ति और मांग में अंतर है; और

(घ) यदि हां, तो चालू वर्ष के अंतिम तीन महीनों के दौरान विद्युत आपूर्ति और मांग में अंतर का ब्यौरा क्या है और पिछले वर्ष की तुलना में उक्त अंतर में परिवर्तनों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार देश में इस समय 5,87,258 आबाद गांव (1991 की जनगणनानुसार) हैं। इनमें से 87% गांवों अर्थात् 5,09,724 गांवों का विद्युतीकरण 31.12.2002 तक कर दिया गया है।

(ग) पिछले वर्ष अप्रैल-जनवरी के दौरान 7.4% ऊर्जा कमी की तुलना में इस वर्ष अप्रैल-जनवरी, 2003 के दौरान 9.1% ऊर्जा की कमी रही।

(घ) विवरण संलग्न है।

विवरण

ऊर्जा की कमी (%)

क्रम सं०	राज्य	नवम्बर 2002	दिसम्बर 2002	जनवरी 2003	नवम्बर 2001	दिसम्बर 2001	जनवरी 2002
1	2	3	4	5	6	7	8
	उत्तरी क्षेत्र						
1.	चंडीगढ़	0.0	1.3	2.2	1.4	0.0	0
2.	दिल्ली	0.1	1.8	6.8	1.0	2.1	5.3
3.	हरियाणा	0.6	9.7	8.2	0.7	2.1	3.1
4.	हिमाचल प्रदेश	0.0	0.0	4.0	0.0	1.4	1
5.	जम्मू एवं कश्मीर	3.6	11.4	14.3	5.8	6.1	7.7
6.	पंजाब	3.6	11.1	3.6	1.6	4.5	5
7.	राजस्थान	0.1	8.2	5.1	0.0	0.6	2.5
8.	उत्तर प्रदेश	20.8	20.5	12.3	6.9	8.5	10.2
9.	उत्तरांचल	8.4	1.5	2.9	—	—	—
	उत्तरी क्षेत्र	7.6	11.7	8.0	3.1	4.5	6.1

1	2	3	4	5	6	7	8
	पश्चिमी क्षेत्र						
10.	छत्तीसगढ़	2.7	3.2	3.0	5.4	4.3	2.5
11.	गुजरात	9.9	10.4	12.3	13.1	12.9	12.5
12.	मध्य प्रदेश	13.7	19.5	20.1	15.3	16.2	15.2
13.	महाराष्ट्र	13.2	15.5	16.0	12.5	12.7	10.8
14.	गोवा	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0
	पश्चिमी क्षेत्र	11.6	14.0	14.9	12.8	13.0	11.7
	दक्षिणी क्षेत्र						
15.	आंध्र प्रदेश	2.6	2.7	0.7	6.3	6.0	6.2
16.	कर्नाटक	5.7	5.8	4.8	18.0	17.1	17.3
17.	केरल	5.5	5.6	3.6	6.8	6.6	7
18.	तमिलनाडु	2.4	2.3	0.5	6.3	6.1	5.9
19.	पांडिचेरी	0.0	0.0	0.0	—	—	—
	दक्षिणी क्षेत्र	3.5	3.5	1.9	9.2	8.8	8.9
	पूर्वी क्षेत्र						
20.	बिहार	10.2	12.2	16.4	5.1	0.6	1.3
21.	झारखंड	0.0	0.7	0.7	—	—	—
22.	डी०वी०सी०	0.4	1.0	1.0	0.0	0.0	0
23.	उड़ीसा	1.1	1.5	1.4	0.0	0.0	0
24.	पश्चिम बंगाल सिक्किम	0.1	0.7	0.8	0.3	0.8	0.8
25.	सिक्किम	—	—	—	—	—	0
	पूर्वी क्षेत्र	1.7	2.5	3.3	1.1	0.4	0.6
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र						
26.	अरूणाचल प्रदेश	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0
27.	असम	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0
28.	मणिपुर	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	मेघालय	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
30.	मिजोरम	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
31.	नागालैंड	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0
32.	त्रिपुरा	0.0	0.0	4.9	0.0	0.0	0
	उत्तर पूर्वी क्षेत्र	0	0.0	0.5	0.5	0.0	0
	अखिल भारत	7.5	9.6	8.6	8.0	8.3	8.2

[अनुवाद]

मुम्बई विमानपत्तन पर अमरीकी विमान को जबरन उतारना

444. श्री अम्बरीश : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका में पंजीकृत विमान को मुम्बई में जबरन उतारा गया था;

(ख) यदि हां, तो इस मामले का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रतिबंधित जोन के ऊपर उड़ान भरने के उद्देश्य का सही-सही पता लगाने के लिए पायलट और चालक दल के अन्य सदस्यों से पूछताद की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या हाल ही में भारतीय वायुसीमा में अज्ञात विमानों द्वारा इसी तरह घुसने की सूचना मिली है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) जी, हां। कराची से माले की उड़ान पर एक अनिर्धारित अमरीकी पंजीकृज बोइंग 757 विमान को 3 फरवरी, 2003 को 1811 बजे मुंबई हवाई अड्डे पर उतरने की सलाह दी गई थी, क्योंकि उसने अधिकृत वायु यातायात सेवा मार्ग का उल्लंघन किया था।

(ग) और (घ) इस विमान के कैप्टन से पूछताछ की गई थी। संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष उसने लिखित बयान में कहा था कि उसे उस मार्ग पर प्रतिबंध की जानकारी नहीं थी। इस विमान को कराची यातायात नियंत्रक द्वारा मार्ग संख्या 519 से मुम्बई होकर कराची से माले जाने का निर्देश दिया गया था। संबंधित एजेंसियों द्वारा जांच से यह पाया गया था कि पायलट का भटकना इरादातन नहीं था। यह उल्लंघन मार्ग के बारे में उसके ज्ञान की कमी के कारण हुआ था। इसके अलावा, कराची से उड़ान भरने से पहले विमान के चालक दल का कराची वायु यातायात नियंत्रक द्वारा उचित मार्ग दर्शन नहीं किया गया था।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय रेल का निगमीकरण

445. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय रेल संबंधी विशेषज्ञ दल द्वारा सिफारिश किए अनुसार प्रभावी प्रबंधन के लिए भारतीय रेल का भारतीय रेल निगम में निगमीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पत्तनों को बड़ी लाइन से जोड़ना

446. श्री सवशीभाई मकवाना : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सभी पत्तनों को बड़ी रेल लाइन से जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सभी पत्तनों को यूनिरीज लाइन से कब तक जोड़ने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (घ) देश के सभी बड़े पोर्ट पहले से ही बड़ी लाइन रेल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। यातायात के औचित्य के आधार पर पोर्टों को जोड़ने की योजना बनाई गई है;

[हिन्दी]

मारुति उद्योग लिमिटेड का निजीकरण

447. श्री रामदास रुपला गावीत : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संयुक्त उद्यम मारुति उद्योग लिमिटेड के निजीकरण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त कंपनी के निजीकरण द्वारा उत्पादन प्रभावित होने की संभावना है: और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बाला साहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) सरकार ने सभी गैर-स्ट्रैटीजिक उद्यमों से बाहर निकलने हेतु उनकी नीति के अनुरूप मारूति उद्योग लिमिटेड (एम०यू०एल०) से बाहर होने का निर्णय लिया है। सुजुकी मोटर कारपोरेशन (एस०एम०सी०), एम०यू०एल० तथा सरकार के बीच संशोधित संयुक्त उद्यम करार मारूति उद्योग लिमिटेड में सरकार की शेयर धारिता का दो चरणों में विनिवेश करने के लिए किए गए हैं। प्रथम चरण में एस०एम०सी० के पक्ष में सरकार द्वारा घोषित राइट्स शेयर सहित कुल राइट्स इश्यू देते हुए 400 करोड़ रुपये के राइट्स इश्यू एस०एम०सी० से पूरे किए गए हैं। एस०एम०सी० से पूर्णरूप से प्रबंधन नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए सरकार को कंट्रोल प्रीमियम के रूप में 1000 करोड़ रुपये की राशि का भी भुगतान किया है। दूसरे चरण में, आर०जे०वी०ए० के प्रावधानों के अनुसार सरकार के शेष शेयर को सरकारी पेशकश के माध्यम से दो चरणों में बेचा जाना है।

(ग) और (घ) सरकार समझती है कि निजीकरण की चालू प्रक्रिया से कंपनी के उत्पादन पर कोई ऋणात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

तेल और गैस क्षेत्रों का विकास

448. डा० (श्रीमती) सुधा यादव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तेल और गैस क्षेत्र के विकास के लिए कुल कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है;

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि निवेश किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस उद्देश्य के लिए आबंटित धनराशि में से कितनी राशि का उपयोग किया गया?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) योजना आयोग ने नौवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान पेट्रोरसायनों समेत तेल एवं गैस क्षेत्र के लिए 78401.00 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया था।

(ख) योजना आयोग ने दसवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान पेट्रोरसायनों समेत तेल एवं गेस क्षेत्र के लिए 103656.00 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया है।

(ग) नौवीं पंच वर्षीय योजना अवधि के दौरान पेट्रोरसायनों समेत तेल एवं गैस क्षेत्र के लिए उपगत कुल योजनागत व्यय 50920.80 करोड़ रुपए है।

[अनुवाद]

रेल आरक्षण केंद्रों का निजीकरण

449. श्री प्रबोध पण्डा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल आरक्षण केन्द्रों के निजीकरण का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इन केन्द्रों के निजीकरण के क्या कारण हैं; और

(ग) उन जोनों के नाम क्या हैं जहां रेल आरक्षण का निजीकरण शुरू होगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (ग) रेल अनुरक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा ग्राहक सेवा में सुधार लाने के लिए मध्य रेलवे के मुंबई क्षेत्र में प्रायोगिक आधार पर 3 रेल ट्रेवलर सेवा एजेंटों (आर०टी०एस०ए०) को यात्री आरक्षण प्रणाली टर्मिनलों का आबंटन किया गया है।

दूरदर्शन पर क्षेत्रीय समाचारों का प्रसारण

450. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी चैनलों के लिए अपलिंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या क्षेत्रीय समाचार प्रसारण को बढ़ाने के लिए दूरदर्शन योजना बना रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) और (ख) मौजूदा अपलिंकिंग नीति के अनुसार भारतीय दर्शकों पर लक्ष्यित सभी टी०वी० चैनलों को उनके स्वामित्व पर ध्यान दिए बगैर (इक्विटी ढ़ांचे सहित) या प्रबंधन नियंत्रण पर ध्यान दिए बिना भारत से अपलिंक करने की अनुमति दी जाती है बशर्ते वे प्राप्तता मानदण्डों को पूरा करते हों और अन्य बातों के साथ-साथ कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं का अनुपालन करने सहित विभिन्न नियंधों एवं शर्तों का अनुपालन करते हों।

(ग) और (घ) दूरदर्शन के क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों की कवरेज को बढ़ाना एक सतत प्रक्रिया है। हाल ही में डी०डी० इण्डिया में तीन क्षेत्रीय भाषायी बुलेटिनों (मलयालम, गुजराती और तमिल) को शुरू कर दिया गया है। कुल मिलाकर दूरदर्शन सारे देश में स्थित 20 क्षेत्रीय समाचार एककों से 16 भाषाओं में 61 बुलेटिन तैयार कर रहा है। हिसार, रांची और रायपुर में स्थित तीन क्षेत्रीय समाचार एककों को 2002 में शुरू किया गया है।

[हिन्दी]

अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण

451. श्री रामटहल चौधरी :
डा० मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मेडिकल और डेन्टल कालेज सहित शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रावधान करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० संजय पासवान) : (क) से (ग) मामला सरकार के विचाराधीन है।

सी०एन०जी० और पेट्रोल का उत्पादन

452. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सी०एन०जी० तथा पेट्रोल की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या ओ०एन०जी०सी० ने तेल की उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ग) क्या कोई अन्य निगम भी ऐसी योजना में शामिल है;

(घ) क्या उपर्युक्त योजना को अन्य राज्यों में भी लागू किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) देश में प्रति दिन लगभग 81 मिलियन मानक घन मीटर (एम०एम०एस०सी०एम०डी०) प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें से मुंबई में महानगर गैस लिमिटेड (एम०जी०एल०) और दिल्ली में इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आई०जी०एल०) द्वारा सी०एन०जी० प्रयोजनों के लिए लगभग 1.5 एम०एम०एस०सी० एम०डी० का उपयोग किया जा रहा है। देश में कुल शोधन क्षमता 116.07 मिलियन मीट्रिक टन (एम०एम०टी०) है जिसमें से वर्ष 2001-02 के दौरान पेट्रोल का वास्तविक उत्पादन 9.7 (एम०एम०टी०) था और वर्ष 2002-03 के दौरान इसके 10.4 एम०एम०टी० होने का अनुमान है।

(ख) से (ङ) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ०एन०जी०सी०), आयल इंडिया लिमिटेड (ओ०आई०एल०) और अन्य प्रचालन कंपनियों ने कई उपाय किये हैं जैसे :–

(1) वर्धित तेल निकासी (ई०ओ०आर०)/उन्नत तेल निकासी (आई०ओ०आर०) योजनाओं के कार्यान्वयन द्वारा वर्तमान मुख्य क्षेत्रों से निकासी घटक में सुधार करने के लिए विशेष रूप से आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ०एन०जी०सी०) ने 10,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश पर इस उद्देश्य के लिए 15 क्षेत्रों पर कार्य आरम्भ किया है जिससे इन क्षेत्रों से तेल के उत्पादन में वृद्धि करने में भी मदद मिलेगी।

(2) नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन०ई०एल०पी०) के तीन दौरों के तहत एन०ई०एल०पी० के माध्यम से अन्वेषण प्रयासों में वृद्धि करने के लिए 70 ब्लाकों के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(3) प्रौद्योगिकी और निवेश आकर्षित करने के लिए भारतीय और विदेशी कंपनियों के परिसंघों के साथ 23.2.2001 को 9 खोजे गए क्षेत्रों के लिए हस्ताक्षर किए गए जिनमें से 8 गुजरात में हैं और 1 असम में है।

(4) नए क्षेत्रों, विशेष रूप से गहरे समुद्र और कठिन सीमावर्ती क्षेत्रों और उत्पादक क्षेत्रों की गहनतर परतों में भी अन्वेषण करना।

(5) नए खोजे गए क्षेत्रों का अधिक तेजी से विकास करना और उत्पादक क्षेत्रों में भूकंपीय सर्वेक्षणों, वर्क ओवर, उत्पेरण प्रचालनों कूपों के वेधन के लिए नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग में वृद्धि करना।

[अनुवाद]

उड़ीसा में एन०टी०पी०सी० द्वारा क्रियान्वित विद्युत परियोजनाएं

453. श्री परसुराम माझी : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एन०टी०पी०सी० द्वारा उड़ीसा में कितनी विद्युत परियोजनाएं क्रियान्वित की गयी है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं के क्रियान्वित होने के कारण बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन विस्थापित व्यक्तियों के शीघ्र पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) नैशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एन०टी०पी०सी०) ने उड़ीसा के अंगुल जिले में तालचेर कनिहा परियोजना चरण-1 (2x500 मे०वा०) का क्रियान्वयन किया है। परियोजना का दूसरा चरण, जिसकी क्षमता 4x500 मे०वा० है, निर्माणाधीन है।

(ख) और (ग) तालचेर कनिहा परियोजना के क्रियान्वयन के कारण 144 लोग विस्थापित हो गए हैं। सभी 144 विस्थापितों को अपेक्षित पुन: स्थापन का लाभ देकर पुनर्वासित कर दिया गया है।

(घ) उड़ीसा सरकार द्वारा प्रमाणित सूची के अनुसार उक्त 144 लोगों सहित लगभग 1593 पूर्णत: प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास किया जाना था। इन पूर्णत: प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा इस उद्देश्य से गठित पुनर्वास कक्ष की सहायता से परियोजना द्वारा पुनर्वास के प्रयास किए जा रहे हैं।

जेट ट्रेनर का विकास

454. श्री के० येरननायडू : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर का परीक्षण कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भारतीय वायुसेना के पायलटों के प्रशिक्षण में तकनीकी त्रुटि को दूर करेगा; और

(घ) यदि हां, तो इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर को भारतीय वायुसेना में कब तक शामिल किया जाएगा?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर पर फिलहाल इंजन ग्राउण्ड रन सहित ग्राउण्ड टेस्ट चल रहे हैं ताकि यह अपनी पहली उड़ान भर सके।

(ग) भारतीय वायु सेना अपने पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए फिलहाल किरन प्रशिक्षकों को उपयोग में ला रही है। इन विमानों की प्रौद्योगिकी साठ और सत्तर के दशक की है और ये कार्यकालोत्तर दौर में पहुंच रहे हैं। इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर को पायलटों के चरण-II प्रशिक्षण के लिए विकसित किया जा रहा है। इसमें अद्यतन प्रौद्योगिकी को शामिल करते हुए अत्याधुनिक एवियोनिक्स, प्रदर्शन प्रणालियां, ईंधन दक्षता इंजन और अभिवर्धित शस्त्र क्षमता होगी। इससे अच्छी गति रेंज, सहृदता और उन्नत एवियोनिक्स प्रणाली के साथ-साथ पायलटों के प्रशिक्षण की कारगरता में सुधार आएगा।

(घ) इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर की प्रारंभिक संक्रियात्मक स्वीकृति 2005-06 तक मिलने की संभावना है और भारतीय वायु सेना को इसकी सुपुर्दगी 2005-06 से प्रारंभ हो जाने की संभावना है।

तिरुवनंतपुरम और पालघाट मंडलों में पुलों की जीर्ण-शीर्ण अवस्था

455. श्री पी० राजेन्द्रन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण रेलवे के तिरुवनंतपुरम और पालघाट मंडलों में कुछ पुलों की जीर्ण-शीर्ण अवस्था की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे जीर्ण-शीर्ण पुलों की मरम्मत और पुनर्निर्माण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) दक्षिण रेलवे के तिरूवनन्तपुरम और पालघाट मंडल में कोई पुल जीर्ण-शीर्ष स्थिति में नहीं है। बहरहाल, तिरूवनन्तपुरम-नागरकोइल खंड के पुल सं० 161 शोस्वणपूर-कालिकट खंड के पुल सं० 873 की उपसंरचना में मामूली क्षति हुई थी। पुलों में क्षति तथा इनके लिए किए गए निवारक उपायों/मरम्मत का ब्यौरा इस प्रकार है :–

(i) गैर कानूनी रूप से रेल की खुदाई किए जाने के कारण पुल सं० 161 में क्षति हो गई थी जिसे चौकीदार तैनात करके, ढलान वाले छोर पर रेल ब्रेकेटिंग करके और बुनियाद ग्रिप को सुदृढ़ करने के लिए ढांचे के आसपास पत्थर भरकर रेलवे द्वारा रोकथाम की गई है। केरल राज्य सरकार भी गैर कानूनी रेत की ढुलाई करने वाले ट्रकों, टेम्पुओं, तथा नावों को जब्त करके, पुल की उपसंरचना के नजदीक नावों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाकर और गैरकानूनी उत्खनन के लिए आपराधिक कार्रवाई करके रेल पुल को सुरक्षित रखने में रेलों की सहायता कर रही है।

(ii) पुल सं० 873 के कलिकट छोर पर स्थित आधार स्तंभ सं० 2 की स्क्वायर रिटर्न वॉल में हल्की सी उभार शुरू हो गई है। इस उभरी हुई रिटर्न वॉल में रेल सहारा दिया गया था। इसके अलावा, सीमेंट की क्रंकीट की दीवार का भी निर्माण किया गया है और खाली जगह पर मिट्टी भर दी गई है और पक्की पिचिंग कर दी गयी है और आवश्यक मरम्मत की गई है।

[हिन्दी]

इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव

456. डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव मोतिहारी-मुजफ्फरपुर के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस का ब्लॉक मुख्यालय रेलवे स्टेशन पर ठहराव प्रदान करने का है;

(ख) क्या स्थानीय लोग इंटरसिटी एक्सप्रेस के घाटी में ठहराव क मांग कर रहे हैं जो कि ब्लॉक मुख्यालय है और जहां ताप विद्युत केन्द्र स्थित है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का प्रस्ताव इंटरसिटी एक्सप्रेस के कटनी रेलवे स्टेशन पर ठहराव का प्रावधान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) कांति रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों के ठहराव के संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं इनकी जांच की गई थी कांति स्टेशन पर अतिरिक्त गाड़ियों को ठहराना वाणिज्यिक दृष्टि से फिलहाल व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

रेल दुर्घटनाओं पर उच्चस्तरीय बैठक

457. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निरंतर हो रही रेल दुर्घटनाओं के मद्देनजर हाल ही में एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गई थी;

(ख) यदि हां, तो की गई चर्चा और उसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चर्चा के दौरान यह पता चला कि सुरक्षा संवर्ग में भारी संख्या में बकाया रिक्तियां हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी रिक्तियों का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और उन्हें भरने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी हां, 08.01.03 को संरक्षा पर क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबंधकों की एक विशेष बैठक आयोजित की गई थी। संरक्षा से संबंधित विस्तृत मुद्दों पर चर्चा की गई थी और निम्नलिखित प्रमुख निर्णय लिए गए थे :–

(i) संरक्षा कार्यों को तेजी से लागू करने के लिए महा-प्रबंधकों की वित्तीय शक्तियों में वृद्धि

(ii) महाप्रबंधकों और मंडल रेल प्रबंधकों द्वारा कड़ी नजर और पर्यवेक्षण

(iii) सभी स्तरों पर अधिक प्रभावी और गहन निरीक्षण

(iv) रेल संरक्षा समीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित संरक्षा विंग संगठन बोर्ड को सदृढ़ करने का निर्णय

(v) सतर्कता की सलाह पर दण्ड देने के लिए संरक्षा अधिकारियों को और अधिक शक्ति प्रदान करना

(vi) परीक्षण के सफलतापूर्वक पूरा होने पर टक्करोधी उपकरण (ए०सी०डी०) का संस्थापन

(ग) जी, नहीं।

(घ) 01.01.2003 तक संरक्षा कोटियों में कुल रिक्तियों के संबंध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विशेषकर संरक्षा कोटियों में रिक्तियां खाली नहीं रह जाए, मौजूदा प्रक्रिया में नियमित आधार पर रिक्तियों को भरने के लिए चयन/उपयुक्तता/ट्रेड टेस्ट आयोजित करने के लिए अग्रिम में वार्षिक कैलेंडर/अनुसूची तैयार करने की व्यवस्था है। आवधिक तौर पर होने वाली विभिन्न उच्चस्तरीय बैठकों में स्थिति की समीक्षा और मानीटरिंग अपेक्षित होती है। बहरहाल, चूंकि रिक्तियों का सृजन और भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए इस सतत प्रक्रिया में किसी भी निश्चित समय में कुछ संख्या में रिक्तियां का होना लाजमी है। रिक्तियों को तत्काल भरने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

मेट्टूर-चमराजनगर के बीच नई रेल लाइन

458. **श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में मेट्टूर-चमराजनगर के बीच नई रेल लाइन का निर्माण करने का प्रस्ताव लंबे समय से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी. नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

इटली के साथ रक्षा समझौता

459. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा सहयोग के संबंध में इटली के साथ कोई चर्चा हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां।

(ख) दोनों पक्षों के मध्य चर्चा के परिणामस्वरूप फरवरी 2003 में भारत तथा इटली के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए करार पर हस्ताक्षर किए गए थे।

[अनुवाद]

जैव-ईंधन संबंधी समिति

460. **श्री श्रीप्रकाश जायसवाल** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गठित अंतर-मंत्रालयीय समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) योजना आयोग ने एक जैव-ईंधन विकास समिति की स्थापना की है जिसने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय इस समिति के रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात ही लिया जाएगा।

[हिन्दी]

जबलपुर में ऊर्जा पार्कों की स्थापना करना

461. **श्रीमती जयश्री बैनर्जी** : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, जबलपुर में ऊर्जा पार्क स्थापित करने का कोई प्रस्ताव लम्बित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो ऊर्जा पार्क कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या परियोजना शुरू करने में विलंब के कारण लागत में वृद्धि हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) और (ख) मंत्रालय ने मध्य प्रदेश में जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, जबलपुर में स्थापित किए जाने के लिए मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम (एम०पी०यू०वी०एन०) को नवम्बर, 2000 में एक ऊर्जा पार्क की मंजूरी दी थी। एम०पी०यू०वी०एन० ने इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। इस ऊर्जा पार्क में सौर प्रकाशवोल्टीय सड़क रोशनियां (4), सौर प्रकाशवोल्टीय घरेलू रोशनी (2), सौर प्रकाशवोल्टीय लालटेन (2), सौर कुकर (2) और एक बायोगैस संयंत्र (कट मॉडल) जैसी ऊर्जा युक्तियां स्थापित की गई हैं। कुछ शेष प्रणालियां स्थापनाधीन हैं।

(ग) ऊर्जा पार्क की लागत नहीं बढ़ी है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेल पटरी की टूटफूट और रख-रखाव संबंधी अनुसंधान

462. श्री ए० नरेन्द्र : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल पटरी की टूटफूट और उसके रख-रखाव संबंधी उपकरणों के अनुसंधान पर भारी व्यय होने के बावजूद भी अभी तक कोई ठोस परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस मद में अनुमानित वार्षिक व्यय कितना है;

(ग) इस संबंध में लक्ष्य प्राप्त न किए जाने के क्या कारण हैं? और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। बहरहाल, रेलवे ने 1997 में अनुसंधान परियोजना 'रेल पटरी दोष प्रबंधन' में अंतर्राष्ट्रीय रेल संघ (यू०आई० सी०) के साथ संबद्ध होने का निर्णय लिया था। यू०आई०सी० की अंतिम रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2003-04 में आने की संभावना है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रसोई गैस एजेंसियों तथा पेट्रोल पम्पों द्वारा अनियमितताएं

463. श्री सुरेश पासी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2002 के दौरान पेट्रोल पम्पों तथा रसोई गैस एजेंसियों द्वारा पेट्रोल तथा डीजल को कम मापने/तौलने के संबंध में सरकार के पास कितनी शिकायतें दर्ज की गई हैं;

(ख) उन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या देश की राजधानी दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों में स्थित अधिकांश पेट्रोल पंपों तथा रसोई गैस एजेंसियों में ऐसा हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या सरकार ने पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों द्वारा कम मापने/तोलने के इस कार्य को रोकने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (च) दिल्ली सहित देश के विभिन्न भागों से पेट्रोल और डीजल कम मापने/तौलने सहित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए विभिन्न शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त हुई शिकायतों के आधार पर इस मंत्रालय के अधीन मिलावट रोधी प्रकोष्ठ ने वर्ष 2002 के दौरान 482 निरीक्षण किए। निरीक्षण रिपोर्टें संबंधित तेल विपणन कंपनियों को विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों और/या डीलरशिप करार के अनुसार कार्रवाई करने के लिए भेजी गई।

राज्यों में कानूनी माप-तौल विभाग सही सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों में वितरण इकाइयों पर अपनी मुहरें लगाती हैं। तथापि, तेल विपणन कंपनियां कम मापने/तौलने सहित किसी भी प्रकार की अनियमितता का पता लगाने के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों पर औचक निरीक्षण करती हैं।

तेल विपणन कंपनियों के एल०पी०जी० वितरकों को अपने ग्राहकों को सही मात्रा और गुणवत्ता के सिलेंडरों की आपूर्ति करने के निर्देश दिए गए हैं। तेल कंपनियों के अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए वितरक के गोदाम, सुपुर्दगी स्थल और मार्ग में यादृच्छिक जांच करते

हैं कि कोई हेराफेरी न हो। अप्रैल से दिसम्बर, 2002 की अवधि के दौरान ग्राहकों को कम वजन के सिलेंडरों की आपूर्ति की 20 शिकायतें साबित हुई और चूककर्ता वितरकों के विरुद्ध विपणन अनुशासन दिशा निर्देशों और/या डिस्ट्रीब्यूटरशिप करार के अनुसार कार्रवाई की गई है।

[अनुवाद]

तेल टैंकरों के लिए ईरान द्वारा मांगी गई सहायता

464. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान ने फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में तेल टैंकरों के पारगमन संबंधी व्यापार की सुरक्षा हेतु भारत से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पानीपत और मुजफ्फरनगर के बीच नई रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण

465. श्री सईदुज्जमा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैराना होते हुए पानीपत और मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश) के बीच नई रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) उक्त रेल लाइन कब तक बिछा दी जाएगी;

(घ) यदि नहीं, तो सर्वेक्षण कार्य के पूरा न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त सर्वेक्षण कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (ङ) फरवरी 2001 में कैराना के रास्ते पानीपत और मुजफ्फरपुर के बीच बड़ी रेल लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 83.687 कि०मी० लंबी लाइन के निर्माण की लागत प्रतिफल की (-) 16.25% की दर के साथ 256.41 करोड़ रुपए आंकी गई है। संसाधनों की तंगी और बड़ी मात्रा में नई परियोजनाओं का पिछले कार्य के बकाया को देखते हुए इस लाइन का निर्माण शुरू करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

दिल्ली में नई रेलगाड़ियां तथा नई लाइनें शुरू करना

466. डॉ० महेन्द्र सिंह पाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नए राज्यों में अलग से नई रेलगाड़ियां शुरू करने तथा नई रेल लाइनें बिछाने के संबंध में एक नीति पर कार्य कर रही है;

(ख) क्या सरकार ने उत्तरांचल, जो कि रेलवे की दृष्टि से सर्वाधिक पिछड़ा राज्य है, के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ग) उत्तरांचल में शुरू की जाने वाली नई रेलगाड़ियों और रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (ग) रेल गाड़ियां राज्य-वार नहीं बल्कि यातायात औचित्य परिचालनिक व्यावहारिकता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर शुरू की जाती है। रेल गाड़ियां शुरू करना एक सतत प्रक्रिया है और वर्ष 2002-2003 उत्तरांचल के यात्रियों के लिए निम्नलिखित रेल गाड़ियां मुहैया कराई गई है :-

(1) 4609/4610 जम्मू-हरिद्वार एक्सप्रेस

(2) 2055/2056 देहरादून-नई दिल्ली जन शताब्दी एक्सप्रेस

(3) 4043/4044 दिल्ली-कोटद्वार एक्सप्रेस

(4) 5005/5006 देहरादून-गोरखपुर एक्सप्रेस (सप्ताह में तीन बार) को सप्ताह में एक बार नरकटियागंज के रास्ते मुजफ्फरनगर तक बढ़ाई गई है।

(5) 4319/4320 काठगोदाम-देहरादून एक्सप्रेस के फेरों को बढ़ाकर सप्ताह में 1 से 2 दिन कर दिया गया है।

नई लाइनों के संबंध में नए राज्यों के लिए अलग से किसी नीति पर विचार नहीं किया जा रहा है।

[अनुवाद]

केरल में एल०सी० सं०-172 पर रेल उपरिपुल का निर्माण

467. श्री जी०एम० बनातवाला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने तिरूर और तानुर में एल०सी० सं०-172, रेलवे के०एम० 629/11-12 (दक्षिण रेलवे, पल्लकद् मंडल) पर रेल उपरिपुल के निर्माण हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) क्या उस पर सरकार द्वारा कोई निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार मामले में तेजी लाने पर विचार करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (ङ) लागत में भागीदारी के आधार पर 1024.80 लाख रु० की लागत से, जिसमें रेलवे और राज्य सरकार बराबर के हिस्सेदार हैं, 2002-03 के निर्माण कार्यक्रम के दौरान मौजूदा समपार सं० 172 के बदले तिरूर और तनूर के बीच 629/11-12 किमी० उपरी सड़क पुल के निर्माण का कार्य पहले ही स्वीकृत किया है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में खुदरा बिक्री केन्द्रों का आबंटन

468. श्री दानवे रावसाहेब पाटील :
श्री किरीट सोमैया :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में, विशेषकर मुम्बई में पेट्रोल तथा डीजल के बिक्री केन्द्रों के आबंटन हेतु चयन प्रक्रिया शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो कितने बिक्री केन्द्रों का आबंटन होना है और क्या समाज के पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए कोई कोटा निर्धारित किया गया है;

(ग) महाराष्ट्र में आज तक पिछड़े वर्गों को कितने खुदरा बिक्री केन्द्र आबंटित किए गए हैं; और

(घ) विशेषकर मुम्बई में इन पेट्रोल/डीजल पम्पों के कब तक कार्य प्रारम्भ करने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) 1 अप्रैल, 2002 से पेट्रोलियम क्षेत्र के अंतर्गत प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था के समापन के परिणामस्वरूप देश में विभिन्न स्थानों जिनमें महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत अवस्थित स्थान सम्मिलित हैं, के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल तथा डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र) हेतु डीलरों का चयन अब उनके द्वारा अपनाए जाने वाले दिशा निर्देशों के अनुसार स्वयं तेल विपणन कंपनियों के द्वारा किया जाएगा। जबकि खुदरा बिक्री केन्द्र इत्यादि स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थलों के चयन जैसी प्राथमिक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है, डीलरों का चयन इस संबंध में दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात किया जाएगा। आगे, एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशेष में स्थापित किए जाने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या व्यवहार्यता मानकों, वाणिज्यिक मान्यता, इत्यादि पर निर्भर करेगी।

जब कि वर्तमान में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों के आबंटन के लिए किसी आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, 1 अप्रैल, 2002 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में ऐसे 113 खुदरा बिक्री केन्द्र प्रचालन में थे जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लोगों को आबंटित थे।

[अनुवाद]

तमिलनाडु से प्रस्ताव

469. श्री वी० वेत्रिसेलवन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार को तमिलनाडु में रेलगाड़ियां शुरू करने और नई रेल लाइनें बिछाने के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) उनमें से कितने प्रस्ताव व्यवहार्य पाए गए; और

(ग) उन प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (ग) भारतीय रेलें राज्यवार गाड़ियां नहीं चलाती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु के यात्रियों को सेवित करने वाली 17 जोड़ी गाड़ियां चलाई गई हैं।

तमिलनाडु में नई रेल लाइन के निर्माण के लिए प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित स्थिति संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में नई रेल लाइनों के निर्माण के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार से प्राप्त कतिपय और उनकी वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है :

क्र०सं०	प्रस्ताव	स्थिति
1.	आवांडी और श्रीपेरंबुदूर के बीच रेल संपर्क	सर्वेक्षण पूरा हो गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2001-2002 के मूल्य स्तर पर रेल लाइन की लागत 8.275% के प्रतिफल सहित 52.20 करोड़ रुपए आंकी गयी थी। लिंक वित्तीय दृष्टि से तभी अर्थक्षम होगा जब राज्य सरकार अथवा होल्डर लागत में भागीदार बनें।
2.	पॉडीचेरी के रास्ते तिन्दीवनम-कुड्डालोर के बीच नई लाइन	सर्वेक्षण चल रहा है।
3.	इरूगट्टूकोटै के रास्ते चेन्नै से श्रीपैरंबुदूर	चालू निर्माण कार्यों के भारी थ्रू फोरवर्ड के कारण कोई सर्वेक्षण कार्य शुरू नहीं किया गया है।

कशीर चैनल का उद्देश्य

470. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने घाटी में पी०टी०वी० द्वारा फैलाये जा रहे प्रचार को समाप्त करने के एकमात्र उद्देश्य से ही कश्मीर (कशीर) चैनल शुरू किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या चैनल की उपयोगिता का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपयोगिता कहां तक प्राप्त की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन ने कशीर चैनल भारत विरोधी प्रचार का मुकाबला करने के अलावा कश्मीर में दर्शकों को शिक्षित करने, सूचना देने तथा मनोरंजन प्रदान करने के लिए आरंभ किया था।

(ख) और (ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन ने जम्मू व कश्मीर में टेलीविजन कार्यक्रमों के दर्शकों का मूल्यांकन कराने हेतु मीडिया रिसर्च ग्रुप, नई दिल्ली के माध्यम से सर्वेक्षण करवाया था। सर्वेक्षण के निष्कर्ष दर्शाते हैं कि दूरदर्शन को जम्मू व कश्मीर के सभी तीनों क्षेत्रों में अन्य चैनलों की तुलना में सर्वाधिक पहुंच है तथा जम्मू व कश्मीर में दर्शक दूरदर्शन पर समाचारों को सबसे ज्यादा वरीयता देते हैं। सर्वेक्षण में सिफारिश की गई है कि प्रचार का मुकाबला करने वाले कार्यक्रमों के प्रसारण को बढ़ाया जाए तथा और अधिक गुणवत्ता वाले धारावाहिकों तथा फिल्मों तथा फिल्मों पर आधारित कार्यक्रमों को इस चैनल पर दिखाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

रेलवे को बजटीय समर्थन

471. श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय रेल पर स्थिति रिपोर्ट के अनुसार गत कुछ पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भार बढ़ाने के साथ ही रेल मंत्रालय को बजटीय समर्थन कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देनदारियों में बढ़ोतरी के कारण नई परियोजनाएं शुरू नहीं की जा सकीं और पुरानी परियोजनाएं भी समय पर पूरी नहीं की जा सकीं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (घ) हालांकि, रेलवे की बजटीय सहायता के कुल योजना आकार के स्तर को पांचवीं पंचवर्षीय योजना के 75% घटाकर आठवीं पंचवर्षीय योजना में 23% कर दिया गया है, नौवीं पंचवर्षीय योजना में बजटीय सहायता के प्रतिशत में 34% (जिसमें रेल संरक्षा विशेष निधि शामिल है) की वृद्धि हुई है।

रेल मंत्रालय बजटीय सहायताओं की तदनुरूपी आवश्यकताओं का आकलन दोनों पंचवर्षीय योजनाओं और वार्षिक योजनाओं के निर्धारण के समय करता है। बजटीय सहायता के आवंटन का निर्णय वित्त मंत्रालय के परामर्श से योजना आयोग द्वारा विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता और रेलवे द्वारा प्रक्षेपित आवश्यकताओं के अनुसार वार्षिक आधार पर लिया जाता है।

कतिपय परियोजनाओं के लिए कुछ राज्य सरकारों के साथ लागत में भागीदारी की व्यवस्था की गई है। सामरिक दृष्टिकोण से शुरू की गई कुछ परियोजनाओं की लागत रक्षा मंत्रालय द्वारा वहन की जाएगी। जम्मू और कश्मीर राष्ट्रीय परियोजना को रेलवे योजना के अलावा सामान्य राजस्व से वित्त पोषित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

कल्याण योजनाओं हेतु धनराशि

472. श्री सुनील खां : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक राज्य को आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने आवंटित धनराशि के कार्यान्वयन और उपयोग की निगरानी हेतु अपनी लेखा परीक्षा और निरीक्षण शाखा गठित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० संजय पासवान) : (क) कल्याण योजनाओं के अधीन राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता। गत दो वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) जी, नहीं। मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/स्वैच्छिक संगठनों के जरिए अपनी विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करता है। इन योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की मॉनीटरिंग कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत आवधिक प्रगति रिपोर्टों और राज्य सरकारों के नोडल विभागों द्वारा किए गए निरीक्षण/मूल्यांकन तथा उनकी सिफारिशों के तंत्र के जरिए की जाती है। चल रहे कार्यक्रमों के लिए अनुदान पिछले वर्षों में निर्मुक्त अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्रों को ध्यान में रखकर निर्मुक्त किया जाता है।

विवरण

विशेष घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

(रु० लाख में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	3720.00	3551.51
2.	असम	1810.69	127.14
3.	छत्तीसगढ़	500.00	414.68
4.	गुजरात	1521.88	1227.91
5.	गोवा	8.00	0.00
6.	हरियाणा	930.63	443.53
7.	हिमाचल प्रदेश	440.00	368.66
8.	जम्मू व कश्मीर	218.00	201.84
9.	झारखण्ड	500.00	578.84
10.	कर्नाटक	2643.64	2985.43
11.	केरल	1251.07	533.44
12.	मध्य प्रदेश	1720.00	1148.23
13.	महाराष्ट्र	2722.00	3314.14
14.	मणिपुर	38.96	2.73
15.	उड़ीसा	1884.00	2480.19
16.	पंजाब	1784.00	0.00
17.	राजस्थान	3738.96	3005.41
18.	सिक्किम	23.87	16.68
19.	तमिलनाडु	3558.00	5020.32
20.	त्रिपुरा	476.48	83.45
21.	उत्तर प्रदेश	9398.00	11816.86
22.	उत्तरांचल	500.00	433.21
23.	पश्चिम बंगाल	5450.63	7421.59

1	2	3	4
24.	चंडीगढ़	25.00	25.00
25.	दिल्ली	149.91	0.00
26.	पांडिचेरी	25.18	50.00

अनुसूचित जाति विकास निगम

(रु० लाख में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-2001	2001-2002
1.	आंध्र प्रदेश	792.65	शून्य
2.	चंडीगढ़	38.43	शून्य
3.	गुजरात	200.00	48.79
4.	कर्नाटक	727.39	391.00
5.	केरल	33.60	शून्य
6.	महाराष्ट्र	487.98	1191.47
7.	राजस्थान	शून्य	118.74
8.	त्रिपुरा	12.69	शून्य
9.	उत्तर प्रदेश	300.00	350.00
10.	पश्चिम बंगाल	169.95	शून्य

स्कवेंजरों की मुक्ति एवं पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-2001	2001-2002
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	224.70
2.	असम	372.00	0.00
3.	छत्तीसगढ़	1500.00	0.00
4.	झारखंड	1085.00	0.00
5.	कर्नाटक	0.00	695.17
6.	महाराष्ट्र	2135.00	0.00
7.	उत्तरांचल	1000.00	0.00

अनुसूचित जाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-2001	2001-2002
1.	आंध्र प्रदेश	3099.56	6426.72
2.	असम	233.75	272.31
3.	छत्तीसगढ़	0.00	229.97
4.	गुजरात	149.39	60.14
5.	हरियाणा	126.25	275.61
6.	हिमाचल प्रदेश	21.23	21.84
7.	जम्मू व कश्मीर	0.00	85.36
8.	कर्नाटक	1111.61	732.13
9.	केरल	301.90	938.16
10.	मध्य प्रदेश	382.47	490.53
11.	महाराष्ट्र	727.78	658.33
12.	मणिपुर	43.71	48.15
13.	मेघालय	4.17	5.47
14.	उड़ीसा	196.98	0.00
15.	पंजाब	0.00	239.90
16.	राजस्थान	411.36	470.13
17.	तमिलनाडु	1950.46	1168.95
18.	त्रिपुरा	141.20	138.71
19.	उत्तर प्रदेश	1383.22	2304.94
20.	उत्तरांचल	0.00	411.74
21.	पश्चिम बंगाल	1098.42	911.06
22.	दमन व द्वीव	1.68	2.50
23.	पांडिचेरी	30.00	35.00

अस्वच्छ व्यवसायों में लगे बच्चों को मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	63.90	57.94

1	2	3	4
2.	बिहार	20.00	15.47
3.	गोवा	0.34	0.72
4.	गुजरात	459.25	510.07
5.	हरियाणा	शून्य	38.20
6.	हिमाचल प्रदेश	22.05	शून्य
7.	कर्नाटक	3.03	3.36
8.	महाराष्ट्र	160.96	154.41
9.	उड़ीसा	शून्य	4.00
10.	राजस्थान	107.51	59.69
11.	तमिलनाडु	170.25	49.72
12.	त्रिपुरा	2.45	3.08
13.	पश्चिम बंगाल	शून्य	2.87
14.	पांडिचेरी	5.16	शून्य
15.	छत्तीसगढ़	शून्य	2.24
16.	झारखण्ड	शून्य	30.20
17.	उत्तरांचल	शून्य	2.21

अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए छात्रावासों का निर्माण

(रु० लाख में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4
1.	हरियाणा	शून्य	2.00
2.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	60.13
3.	झारखण्ड	शून्य	245.80
4.	कर्नाटक	495.00	563.19
5.	केरल	शून्य	4.00
6.	मध्य प्रदेश	764.95	284.37
7.	उड़ीसा	12.75	21.12
8.	पंजाब	शून्य	11.57
9.	तमिलनाडु	शून्य	182.59
10.	त्रिपुरा	शून्य	18.58
11.	उत्तर प्रदेश	शून्य	155.64
	संघ राज्य क्षेत्र		
12.	चंडीगढ़	45.00	50.18

अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए छात्रावासों का निर्माण

(रु० लाख में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-2001	2001-2002
1.	हरियाणा	140.04	शून्य
2.	हिमाचल प्रदेश	67.30	शून्य
3.	झारखण्ड	शून्य	245.80
4.	कर्नाटक	148.96	207.42
5.	केरल	शून्य	45.50
6.	मध्य प्रदेश	437.51	665.74
7.	उड़ीसा	12.75	25.00
8.	तमिलनाडु	258.34	43.50
9.	त्रिपुरा	22.05	9.49
10.	उत्तर प्रदेश	शून्य	196.04

अनुसूचित जातियों के लिए पुस्तक बैंक

(रु० लाख में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	116.59	शून्य
2.	बिहार	7.38	शून्य
3.	गोवा	0.59	शून्य

1	2	3	4
4.	हरियाणा	3.27	शून्य
5.	हिमाचल प्रदेश	1.00	शून्य
6.	जम्मू व कश्मीर	3.45	शून्य
7.	कर्नाटक	20.50	33.27
8.	केरल	13.92	40.00
9.	मध्य प्रदेश	12.79	शून्य
10.	महाराष्ट्र	27.03	85.79
11.	मिजोरम	1.59	शून्य
12.	उड़ीसा	9.00	शून्य
13.	पंजाब	8.28	शून्य
14.	राजस्थान	शून्य	9.40
15.	तमिलनाडु	15.21	13.38
16.	त्रिपुरा	1.68	1.86
17.	उत्तर प्रदेश	शून्य	103.16
18.	चंडीगढ़	0.72	शून्य
19.	दिल्ली	5.89	12.00

योग्यता का उन्नयन

(रु० लाख में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	37.80
2.	छत्तीसगढ़	4.20	9.23
3.	गोवा	1.05	1.43
4.	हरियाणा	8.70	7.93
5.	झारखण्ड	5.25	शून्य
6.	केरल	शून्य	4.50
7.	मध्य प्रदेश	16.80	शून्य
8.	राजस्थान	शून्य	8.24
9.	सिक्किम	0.75	शून्य
10.	त्रिपुरा	1.20	1.20
11.	उत्तर प्रदेश	शून्य	30.87
12.	उत्तरांचल	2.40	शून्य
13.	प० बंगाल	6.01	शून्य
14.	पांडिचेरी	0.50	शून्य

अनुसूचित जातियों के लिए कोचिंग और संबद्ध योजना

(रु० लाख में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-2001	2001-2002
1.	हरियाणा	शून्य	2.19
2.	केरल	8.69	20.86
3.	मध्य प्रदेश	44.03	शून्य
4.	मेघालय	1.79	शून्य
5.	उड़ीसा	शून्य	2.50
6.	पंजाब	2.39	शून्य
7.	राजस्थान	43.10	शून्य
8.	तमिलनाडु	शून्य	11.15
9.	उत्तर प्रदेश	शून्य	2.61
10.	प० बंगाल	शून्य	2.68
11.	दिल्ली	2.95	1.90

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	208.60	165.01

1	2	3	4
2.	असम	2.00	0.00
3.	बिहार	34.03	0.00
4.	गुजरात	325.79	178.20
5.	हरियाणा	11.53	13.78
6.	हिमाचल प्रदेश	4.89	0.00
7.	कर्नाटक	150.44	174.59
8.	केरल	41.95	44.15
9.	मध्य प्रदेश	977.24	812.86
10.	महाराष्ट्र	190.44	6.48
11.	उड़ीसा	0.58	0.97
12.	पंजाब	18.39	33.10
13.	राजस्थान	150.00	317.38
14.	तमिलनाडु	150.00	502.48
15.	उत्तर प्रदेश	448.20	700.00
16.	दादर व नगर हवेली	27.00	25.00
17.	पांडिचेरी	28.64	31.50

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति

(रु० लाख में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4
1.	असम	62.50	0.00
2.	कर्नाटक	425.71	278.15
3.	त्रिपुरा	95.79	110.04
4.	मणिपुर	16.00	0.00
5.	उत्तर प्रदेश	0.00	1222.21
6.	उत्तरांचल	0.00	73.19
7.	सिक्किम	0.00	5.00
8.	झारखण्ड	0.00	31.45
9.	जम्मू व कश्मीर	0.00	20.00

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

(रु० लाख में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-2001	2001-2002
1.	आंध्र प्रदेश	559.25	357.77
2.	असम	94.47	32.77
3.	बिहार	0.00	500.00
4.	गोवा	25.00	0.00
5.	हिमाचल प्रदेश	0.00	55.02
6.	जम्मू और कश्मीर	8.00	42.00
7.	झारखंड	0.00	191.88
8.	कर्नाटक	110.72	145.57
9.	महाराष्ट्र	0.00	452.84
10.	मणिपुर	91.36	0.00
11.	सिक्किम	0.00	0.22
12.	त्रिपुरा	0.00	63.31
13.	उत्तर प्रदेश	10.20	329.00
14.	उत्तरांचल	0.00	25.92

अन्य पिछड़े वर्गों के लड़के एवं लड़कियों के लिए छात्रावास

(रु० लाख में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4
1.	बिहार	0.00	149.58
2.	आंध्र प्रदेश	0.00	188.74
3.	झारखण्ड	0.00	147.28

1	2	3	4
4.	कर्नाटक	183.23	216.99
5.	मणिपुर	46.91	0.00
6.	सिक्किम	0.00	20.00
7.	तमिलनाडु	259.86	157.28
8.	त्रिपुरा	10.00	0.00
9.	उत्तर प्रदेश	0.00	265.13

विकलांग व्यक्तियों के रोजगार की योजना

(रु० लाख में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-2001	2001-2002
1.	आंध्र प्रदेश	8.17	0.00
2.	गुजरात	14.25	0.00
3.	हरियाणा	0.52	0.00
4.	कर्नाटक	0.00	14.44
5.	केरल	0.00	64.46
6.	मिजोरम	0.00	15.21
7.	पंजाब	6.46	6.27
8.	राजस्थान	39.26	10.41
9.	उत्तर प्रदेश	17.63	29.05
10.	चंडीगढ़	4.56	5.72
11.	दिल्ली	0.00	6.03
12.	पांडिचेरी	8.71	1.97

विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम

(रु० लाख में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	136.40	108.20
2.	अरूणाचल प्रदेश	198.35	156.05
3.	असम	260.30	203.90
4.	बिहार	322.25	251.75
5.	छत्तीसगढ़	207.00	156.05
6.	गोवा	74.45	60.35
7.	गुजरात	198.35	156.05
8.	हरियाणा	136.40	108.20
9.	हिमाचल प्रदेश	136.40	108.20
10.	जम्मू और कश्मीर	136.40	108.20
11.	झारखण्ड	210.85	156.05
12.	कर्नाटक	198.35	156.05
13.	केरल	136.40	108.20
14.	मध्य प्रदेश	384.20	299.60
15.	महाराष्ट्र	198.35	156.05
16.	मणिपुर	136.40	108.20
17.	मेघालय	136.40	108.20
18.	मिजोरम	74.45	60.35
19.	नागालैंड	136.40	108.20
20.	उड़ीसा	198.35	156.05
21.	पंजाब	136.40	108.20
22.	राजस्थान	198.35	156.05
23.	सिक्किम	74.45	60.35
24.	तमिलनाडु	198.35	156.05
25.	त्रिपुरा	74.45	60.35
26.	उत्तर प्रदेश	446.15	347.45
27.	उत्तरांचल	148.90	108.20
28.	पश्चिम बंगाल	136.40	108.20

1	2	3	4
29.	अंडमान व निकोबार	74.45	60.35
30.	चंडीगढ़	74.45	60.35
31.	दादर व नगर हवेली	74.45	60.35
32.	दमन व दीव	74.45	60.35
33.	दिल्ली	74.45	60.35
34.	लक्षद्वीप	74.45	60.35
35.	पांडिचेरी	74.45	60.35

किशोर सामाजिक कुसमंजन निवारण एवं नियंत्रण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	78.76
2.	बिहार	0.00	30.08
3.	गोवा	7.33	4.04
4.	गुजरात	35.98	47.50
5.	हरियाणा	25.06	3.09
6.	हिमाचल प्रदेश	24.58	0.00
7.	कर्नाटक	87.00	49.44
8.	केरल	21.30	25.28
9.	मध्य प्रदेश	159.27	113.58
10.	महाराष्ट्र	251.16	710.77
11.	मणिपुर	5.35	0.00
12.	मेघालय	5.62	5.89
13.	मिजोरम	4.26	8.99
14.	नागालैंड	6.67	3.22
15.	पंजाब	24.06	13.37
16.	राजस्थान	8.00	12.17
17.	सिक्किम	1.70	1.70
18.	तमिलनाडु	118.21	190.51
19.	उत्तर प्रदेश	184.45	64.95
20.	पश्चिम बंगाल	80.00	73.49
21.	चंडीगढ़	3.10	0.00
22.	दिल्ली	0.00	82.03

विभिन्न जोनों में मानवरहित समपारों पर होने वाली मौतें

473. डॉ० जसवंत सिंह यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार विभिन्न रेलवे जोनों में मानवरहित समपारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) जनवरी 2003 के अंत तक इन समपारों पर दुर्घटनाओं में कितनी मौतें हुई है; और

(ग) इन समपारों पर दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क)

रेलवे	चौकीदार रहित समपार
मध्य	1456
पूर्व	988
उत्तर	4011
पूर्वोत्तर	2612
पूर्वोत्तर सीमा	1241
दक्षिण	2259
दक्षिण मध्य	1869
दक्षिण पूर्व	3386
पश्चिम	3970
कुल	21792

(ख) अप्रैल, 2002 – जनवरी, 2003 की अवधि के दौरान बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटना में 120* व्यक्ति मारे गए और 179* व्यक्तियों को चोटें आईं, (*आंकड़े अनंतिम हैं।)

(ग) बिना चौकीदार वाले समपारों पर दुर्घटना रोकने के लिए निम्नलिखित उपाए किए गए हैं :–

(i) बिना चौकीदार वाले समपारों पर सड़क उपयोगकर्त्ताओं को अग्रिम चेतावनी देने के लिए साटी बोर्ड/गतिरोध और सड़क चिह्न मुहैया कराए गए हैं।

(ii) कैसे सुरक्षित ढंग से क्रासिंग पार करें इस प्रयोजन हेतु, सड़क उपयोगकर्ताओं को जागरूक करने के लिए श्रव्य-दृश्य प्रचार अभियान चलाए जाते हैं।

(iii) अत्यधिक यातायात घनत्व वाले समपारों पर उत्तरोत्तर चौकीदार रखे जा रहे हैं।

(iv) गलत सड़क वाहन उपयोगकर्ताओं के खिलाफ संयुक्त घात लगाकर जाचें की जाती हैं।

पूर्वी रेलवे को दो भागों में बांटना

474. श्री महबूब जाहेदी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो माह की अवधि में पूर्वी रेलवे के मंडल मे इसकी निवल आय में 36.7% तक कमी आई है;

(ख) क्या यात्री किराए के कारण 27.3% और माल भाड़े के कारण 77.7% आय कम हुई है;

(ग) क्या रेलवे के लिए आय का प्रमुख स्रोत माल भाड़ा प्रभार है;

(घ) क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभाग यथा सुरक्षा और मरम्मत पूर्वी रेलवे के हाथ से बाहर हो गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो ये अवसंरचनाएं कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) आधिक्य/कमी का उल्लेख करते हुए क्षेत्रीय रेलों के शुद्ध परिणाम वित्त वर्ष के अंत में निकाले जाते हैं। बहरहाल पूर्व रेलवे के प्रारंभिक स्तर पर यात्री और माल यातायात आमदनी संशोधित क्षेत्राधिकार, जिसमें हावड़ा, सियालदाह, मालदा और आसनसोल मंडल शामिल है, में अक्टूबर, 2002 से नवम्बर, 2002 तक की अवधि के दौरान इसी क्षेत्राधिकार के लिए वर्ष 2001 के तदनुरूपी महीनों की तुलना में सुधार दर्शाती है।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रक्षित विद्युत उत्पादन क्षमता

475. श्री जय प्रकाश : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उपलब्ध रक्षित विद्युत उत्पादन क्षमता का उचित रूप में प्रयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारों ने रक्षित विद्युत संयंत्रों को उनके पूर्ण क्षमता तक प्रयोग करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में निजी क्षेत्र में बहुत से ऐसे विद्युत संयंत्र हैं जो स्थापित किए जाने के पश्चात् भी विद्युत का उत्पादन नहीं कर रहे हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा संकट से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं/किए जाने प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) से (ग) विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 की धारा 44 के अंतर्गत विभिन्न उद्योगों द्वारा केप्टिव विद्युत संयंत्रों की स्थापना किये जाने पर राज्य विद्युत बोर्ड (रा०वि० बोर्ड) सहमति प्रदान करते हैं। 31 मार्च, 2001 की स्थितिनुसार सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार चुनिन्दा उद्योगों (अर्थात् जिनकी अधिस्थापित क्षमता 1 मे०वा० और इससे अधिक है) ने ही देश में 15823 मे०वा० केप्टिव विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित की है और वर्ष 2000-01 के दौरान उनका एकल विद्युत उत्पादन 56812 जी०डब्ल्यू०एच० था। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि देश में उपलब्ध केप्टिव विद्युत उत्पादन का उपयोग उपयुक्त तरीके से नहीं किया जा रहा है।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के साथ परामर्श करके विद्युत मंत्रालय के द्वारा तैयार एक कौंपटव विद्युत नीति विद्युत मंत्रालय ने 11 जुलाई, 2001 को सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को परिचालित कर दी है जिसमें राज्य यूटीलिटियों द्वारा केप्टिव विद्युत संयंत्रों की अतिरिक्त क्षमता से विद्युत क्रय किये जाने की सिफारिश की गई है। नीति में सुझाव है कि राज्य यूटीलिटी केप्टिव विद्युत संयंत्रों से विद्युत की खरीद उन टैरिफों पर कर सकते हैं जो कि आपस विचार विमर्श

से निर्धारित किये जाये और ये रा०वि० बोर्ड में प्रचालनाधीन ताप विद्युत स्टेशन के संचित परिवर्तनीय प्रभार तथा प्रोत्साहन के रूप में कुछ प्रतिशत संचित परिवर्तनीय लागत, जो भी कम हो और प्रोत्साहन के रूप में कुछ प्रतिशत परिवर्तनीय लागत पर भी आधारित हो सकती है।

राज्य विद्युत मंत्रियों के 5 अगस्त, 2002 को नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में उस समय व्याप्त सुखे की स्थिति के दौरान विद्युत की मांग से निपटने के लिए एक नीति तैयार की गई थी। तैयार नीति में अन्य बातों के साथ-साथ विद्यमान तारप विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन में वृद्धि करना, कॉप्टिव विद्युत संयंत्रों की अतिरिक्त क्षमता का समुपयोजन करना, और विद्युत अधिशेष वाले क्षेत्रों से घाटे वाले क्षेत्रों को विद्युत का अंतर क्षेत्रीय अंतरण करना शामिल है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[अनुवाद]

सोरानूर में बल्क लाइन रेलवे स्टेशन

476. **प्रो० ए०के० प्रेमाजम :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में सोरानूर रेलवे स्टेशन पर "बल्क लाइन" के निर्माण हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी हां, सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें शोरूवणनूर में सभी तीन दिशाओं यथा पालघाट, त्रिचूर और कालीकट से आने वाली गाड़ियों के ठहराव की सुविधा मुहैया कराने के लिए नए जंक्शन की व्यवस्था करने की मांग की गई है।

(ख) और (ग) शौरूवणनूर पर "अत्याधिक यातायात वाली लाइन" के निर्माण के लिए टोही इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया गया था। चूंकि प्रस्ताव को वित्तीय दृष्टि से अर्थक्षम नहीं पाया गया इसलिए इस प्रस्ताव पर कार्रवाई न करने का विनिश्चय किया गया। शोरूवणणूर में वर्तमान जंक्शन को मौजूदा यात्री यातायात को सम्हालने के लिए पर्याप्त समझा गया है।

मडगांव-रौहा एक्सप्रेस का परीक्षण

477. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण रेलवे ने मडगांव-रोहा एक्सप्रेस का 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सफलतापूर्वक परीक्षक किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सुरक्षा कारणों की जांच के पश्चात इस रेलगाड़ी के वाणिज्यिक संचालन की अनुमति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो अनुमति कब तक दिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या रेलवे के अन्य खंडों पर भी ऐसी रेलगाड़ी चलाए जाने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, हां। 26 से 29 दिसम्बर, 2002 तक मडगांव-रोहा के बीच 130/140/150 कि०मी० प्रति घंटा की रफ्तार पर उच्च गति परीक्षण किए गए थे।

(ग) से (च) रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित संरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए बहुत से प्रारंभिक कदम उठाए जा रहे हैं और इससे रेलवे पर अधिक रफ्तार वाली गाड़ी चलाना तय होगा।

प्रक्षेपास्त्रों का विकास

478. **श्री अनन्त नायक :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास स्वदेशी प्रक्षेपास्त्रों का विकास करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनका विकास कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस मामले पर क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, हां। सरकार ने पहले ही एकीकृत निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रक्षेपास्त्रों के विकास का कार्य आरंभ कर दिया है।

(ख) और (ग) सामरिक श्रेणी के प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी और अग्नि के विभिन्न रूपांतरण विकसित किए गए हैं और उन्हें सेना में शामिल किया जा रहा है। अन्य प्रक्षेपास्त्र प्रणालियां विकास के उन्नत चरणों में हैं। इसके अतिरिक्त रूस के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में ब्रहमोस नामक एक पराध्वनिक क्रूज प्रक्षेपास्त्र का विकास किया जा रहा है।

मुडखेड-अदीलाबाद रेल लाइन

479. **श्री शिवाजी माने :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुडखेड-अदीलाबाद के बीच रेल लाइन बिछाने की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इसके लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(ग) उक्त परियोजना को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (ग) मुदखेड़-आदिलाबाद खंड के आमान परिवर्तन का कार्य जो पूर्व में बोल्ट (निर्माण-स्वामित्व-पट्टा-हस्तांतरण) योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी, अब रेल निधियों के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है क्योंकि ठेकेदार वित्तीय तंगी के कारण कार्य नहीं कर सका और ठेका समाप्त कर दिया गया था। मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य चल रहा है। बजट 2002-03 में इस कार्य के लिए 30 करोड़ रु० के परिव्यय का आबंटन किया गया है। इस कार्य को बजट 2002-2005 के दौरान पूरा कर लिए जाने की संभावना है, जो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

समपारों पर कर्मचारियों की तैनाती

480. **श्री टी० गोविंदन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मैनुअली संचालित रेलवे समपारों पर कर्मचारियों की तैनाती करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी, विशेषकर केरल राज्य का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में अप्रयुक्त रेलवे भूमि

481. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार पश्चिम बंगाल में अप्रयुक्त रेलवे भूमि का क्षेत्र कितना है;

(ख) आज की तिथि के अनुसार उक्त में से कितने क्षेत्र पर अतिक्रमण किया गया है;

(ग) अतिक्रमण हटाने और इस भूमि के सर्वोत्तम प्रयोग के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) रेलवे पटरियों के निकट हरित पट्टी के रूप में इसका कब तक उपयोग किया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) भूमि का कुछ क्षेत्र खाली पड़ा है और कुछ पर अतिक्रमण है बहरहाल उपयोग में न आ रही भूमि और अतिक्रमण ग्रस्त क्षेत्र का ब्यौरा जोनवार रखा जाता है न कि राज्यवार।

(ग) और (घ) रेलें सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 और रेल अधिनियम 1989 के अनुसार अपनी भूमि से अतिक्रमण हटाने हेतु निरंतर कार्रवाई करती है। जहां कहीं रेलवे भूमि खाली है, उसका भावी विकास जरूरी है। ऐसी भूमि का उपयोग रेल परियोजनाओं या रेलपथ के निकट हरित पट्टी के विकास के लिए करना एक सतत् प्रक्रिया है। रेलपथ के साथ वाली रेलवे भूमि रेल कर्मचारियों को कृषि और वृक्षारोपण के लिए दी जाती है और अधिकांश भूमि को गड्ढा खोदने, रेल सामग्री को लाने और ले जाने के लिए रखा जाता है, इसलिए रेलपथ के नजदीक हरित पट्टी की पूर्णत: पहचान नहीं की जा सकती है।

कोबुर-राजमुंदरी पर नया रेल पुल

482. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोबुर-राजमुंदरी में गोदावरी नदी पर नए रेल पुल पर खामियां उभर गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसका निर्माण अपेक्षित स्तर तक नहीं था; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा पुल के सुरक्षोपाय हेतु क्या कदम उठाए गए है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क), (ख) और (घ) कोव्वूर-राजामुंदरी पर गोदावरी नदी पर नए रेल पुल की संरचना में कोई खराबी नहीं है। बहरहाल, पुल के आवधिक निरीक्षण के दौरान एक पाया (पाया सं० 27) का व्यवस्थापन और मध्य पट के नजदीक गर्डर के सबसे ऊपरी स्लैब की निचली सतह पर मामूली सी दरार का पता चला है। स्पैन सं० 27 और 28 को लिफ्ट करने और आवश्यक मरम्मत करने की योजना है तथा इस कार्य को पहले ही शुरू कर दिया गया है।

(ग) जी, नहीं। निर्माण अपेक्षित मानकों के अनुसार था।

[हिन्दी]

बिहार के गांवों का विद्युतीकरण

483. श्री राजो सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के खरेदपुर, लखीसराय, कामुई और बेगूसराय जिलों में सभी गांवों का विद्युतीकरण हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है; और

(ग) उक्त जिलों में सभी गांवों का विद्युतीकरण कब तक किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) और (ख) जी, नहीं। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने सूचित किया है कि शेखपुरा में 266 गांव, लखीसराय में 302 गांव, जमुई में 1275 गांव तथा बेगूसराय में 243 गांवों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है।

(ग) बिहार राज्य **विद्युत बोर्ड** ने वर्ष 2007 तक विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत शेष सभी गांवों का विद्युतीकरण करने की योजना बनाई है।

[अनुवाद]

देश में यात्री निवास

484. श्री पी० मोहन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेलवे के अंतर्गत कितने यात्री निवास हैं और वे कहां-कहां पर हैं;

(ख) क्या प्रत्येक यात्री निवास में उपयुक्त आय सुनिश्चित की गई है;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों का संबंधित ब्यौरा क्या है;

(घ) मदुरै जंक्शन में जिस यात्री निवास की आधारशिला मंत्री जी द्वारा 1998 के दौरान रखी गई थी उसका निर्माण कार्य कब आरंभ होगा; और

(ङ) इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (ग) दो यात्री निवास है, जिसमें से एक नई दिल्ली में और दूसरा हावड़ा में है और पिछले तीन वर्षों में दोनों यात्री निवासों द्वारा अर्जित लाभ नीचे दिया गया है :–

नई दिल्ली	1999-2000	रु० 35.41 लाख
	2000-01	रु० 33.84 लाख
	2001-02	रु० 95.46 लाख
हावड़ा	1999-2000	रु० 10.92 लाख
	2000-01	रु० 9.74 लाख
	2001-02	रु० 12.30 लाख

(घ) और (ङ) मदुरै में रेल यात्री निवास के निर्माण को रद्द कर दिया गया है। बहरहाल, भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम भूमि और निजी भागीदारी उपलब्ध होने पर मदुरै और तमिलनाडु में मदुरै सहित देश के विभिन्न स्थानों पर बजट होटल बनाएगा जो भूमि के उपलब्ध होने तथा निजी भागीदारी पर निर्भर करेगा।

एड्स संबंधी उपकरणों पर रियायत

485. श्री राम मोहन गाड्डे : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एड्स रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए औषधियों और उपकरणों पर रियायतों/सीमा शुल्क में छूट/उत्पाद शुल्क में छूट हेतु छह सदस्यीय समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० संजय पासवान) : (क) से (ग) विकलांग व्यक्तियों के लिए सहायक यंत्रों तथा उपकरणों पर लागू सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क में रियायत/छूट देने के लिए प्रारूप प्रस्ताव तैयार करने हेतु दिसम्बर, 2002 में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने जनवरी, 2003 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। फिलहाल इस रिपोर्ट की मंत्रालय में जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों में यात्रियों की सुरक्षा

486. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 जनवरी, 2003 के ''दैनिक जागरण'' में ''ट्रेन में लूटपाट, अपहरण'' नामक शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इनमें कितने व्यक्ति लूटे गए और कितनी राशि लिप्त है तथा अपहरित व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है

(घ) सरकार द्वारा अब तक अपहरित व्यक्तियों की रिहाई सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्रवाई की गयी है और तत्संबंधी क्या परिणाम निकले; और

(ङ) पिछले दो वर्षों के दौरान रेलगाड़ियों में लूटपाट की कितनी घटनाएं हुई और सरकार द्वारा रेल यात्रियों की सुरक्षित यात्रा हेतु क्या व्यवस्था की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) उत्तर प्रदेश के जी०आर०पी० प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार 20.1.03 को पीलीभीत – शाहजहांपुर खण्ड के धकिया तिवारी हाल्ट पर गाड़ी सं० 169 अप में तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उपद्रव मचाए जाने के कारण भा०दं०सं० की धारा 341/342 और रेल अधिनियम की धारा 145 के अंतर्गत अपराध सं० 9/03 के तहत जी०आर०पी०/पीलीभीत में एक मामला दर्ज किया गया था। सूचना के अनुसार शरारती तत्वों द्वारा दो पुरुष और एक महिला यात्री को रेलगाड़ी से उतार दिया गया था। हालांकि लूटपाट या अपहरण की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) पिछले दो वर्षों यथा 2001 और 2002 के दौरान पूर्वोत्तर रेलवे पर लूटपाट के मामलों की संख्या निम्नानुसार है :

वर्ष	रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या
2001	11
2002	11

यद्यपि रेलवे पर अपराध रोकने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है तथापि रेलवे ने राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद के लिए निम्न कदम उठाए हैं :

1. आर०पी०एफ० तथा असामाजिक तत्वों को रेलवे परिसरों और रेल गाड़ियों से निकाला जा रहा है।

2. कोच अटेन्डेन्ट/टी०टी०ई० द्वारा डिब्बों में चढ़ने/उतरने वाले यात्रियों पर ठीक ढंग से नजर रखी जाती है और सफर के दौरान विशेषकर रात्रि के समय में डिब्बों को सही ढंग से तालाबंद किया जाता है।

3. यात्रियों द्वारा अपनी रिपोर्ट तत्काल दर्ज करवाने के उद्देश्य से ट्रेन गार्ड/स्टेशन मास्टर/आर०पी०एफ० के पास एफ०आई०आर० प्रपत्र उपलब्ध कराए गए हैं।

4. आर०पी०एफ० और जी०आर०पी० द्वारा सभी स्तरों पर विशेष आसूचना और अपराध आसूचना का आदान-प्रदान किया जा रहा है।

5. महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर उन उद्घोषणा प्रणाली और सी०सी०टी०वी० द्वारा उद्घोषणाओं के माध्यम से यात्रियों को अपने सामान की चोरी के प्रति सतर्क किया जाता है।

6. उचित निवारक उपाय करने की दृष्टि से पुलिस और स्थानीय पुलिस की रेलवे पर अपराध की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए मदद ली जा रही है।

7. आर०पी०एफ० और जी०आर०पी० द्वारा सभी स्तरों पर विशेष आसूचना और अपराध आसूचना का आदान-प्रदान किया जाता है।

महिलाओं हेतु हेल्पलाइन सेवा केन्द्र

487. **श्री चन्द्रनाथ सिंह :**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश भर में स्वैच्छिक संगठनों के साथ महिलाओं की समस्याओं के समाधान हेतु पांच सौ परिवार परामर्श और हेल्पलाइन सेवा केन्द्रों को खोलने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) दसवीं योजना में केन्द्र सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितनी निधियां प्रदान की जा रही है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० संजय पासवान) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने 500 परिवार परामर्श केन्द्र आरंभ किए हैं राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। स्वाधार योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए हेल्पलाइन वर्ष 2002-03 के दौरान आरंभ की गई है। 1,11,69,000 रु० की राशि मंजूर की गई है जिसमें से 60,69,000 रु० निर्मुक्त किए जा चुके हैं। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) भारत सरकार द्वारा परिवार परामर्श केन्द्रों के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 80 (अस्सी) करोड़ रु० की राशि का प्रस्ताव किया गया है। महिला हेल्पलाइन के लिए अलग से प्रावधान नहीं किया गया है, जो दूसरी योजना 'स्वाधार' का एक भाग है।

विवरण-I

(रु० लाख में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	मंजूर राशि	निर्मुक्ति संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	23	3014	21.40	19.83
2.	असम	16	940	9.98	8.45
3.	बिहार	37	3014	22.53	18.34
4.	गुजरात	33	4521	30.95	27.36
5.	हरियाणा	15	2055	13.64	11.45
6.	हिमाचल प्रदेश	06	548	4.42	2.50
7.	जम्मू और कश्मीर	02	274	1.90	1.80
8.	कर्नाटक	37	5069	33.24	30.30
9.	केरल	34	4658	29.95	28.61
10.	मध्य प्रदेश	39	2055	27.02	22.95
11.	महाराष्ट्र	50	5754	39.84	34.95
12.	मणिपुर	00	00	0.00	0.00
13.	मेघालय	03	424	2.87	3.60
14.	नागालैंड	02	96	1.48	0.82
15.	उड़ीसा	16	1781	12.46	13.47
16.	पंजाब	12	1370	8.97	5.88
17.	राजस्थान	13	1644	10.50	9.63
18.	तमिलनाडु	38	4384	30.62	32.90
19.	त्रिपुरा	06	390	5.38	4.31
20.	उत्तर प्रदेश	37	4521	30.24	24.31
21.	पश्चिम बंगाल	30	3973	27.01	24.80
22.	अंडमान एवं निकोबार	00	00	0.00	0.00
23.	अरूणाचल प्रदेश	01	64	0.84	1.35
24.	चंडीगढ़	03	411	2.06	1.81
25.	दिल्ली	35	4394	27.91	32.51
26.	गोवा	01	137	1.33	0.67
27.	लक्षद्वीप	00	00	0.00	0.00
28.	मिजोरम	02	168	1.95	4.17
29.	पांडिचेरी	04	548	4.26	3.94
30.	सिक्किम	02	208	2.11	2.67
	कुल	497	56,415	404.86	373.38

विवरण-II

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वैच्छिक संगठनों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	3
2.	असम	1
3.	बिहार	1
4.	गोवा	1
5.	कर्नाटक	2
6.	केरल	2
7.	मध्य प्रदेश	1
8.	महाराष्ट्र	6
9.	पंजाब	1
10.	राजस्थान	2
11.	सिक्किम	1
12.	तमिलनाडु	4

1	2	3
13.	त्रिपुरा	1
14.	उत्तर प्रदेश	1
15.	पश्चिम बंगाल	6
16.	अरूणाचल प्रदेश	1
17.	दिल्ली	2
18.	दादरा और नगर हवेली	1
	कुल	37

[अनुवाद]

दलितों पर अत्याचार

488. डॉ० मंदा जगन्नाथ : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 जनवरी, 2003 के ''दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में ''दलित वूमैन, डाटर प्रेडेड नेकड'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) आरोपितों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० संजय पासवान) : (क) से (ग) ''दलित वूमैन डाटर परेडेड नैकेड'' शीर्षक से समाचार दिनांक 14 जनवरी, 2003 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' के दिल्ली संस्करण में प्रकाशित हुआ प्रतीत नहीं होता। तथापि, दिनांक 14 जनवरी, 2003 को 'दि हिन्दु' समाचार पत्र में उक्त समाचार प्रकाशित हुआ था। इस मामले को मध्य प्रदेश सरकार के साथ उठाया गया है। राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना की प्रतीक्षा है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के अक्षरश: कार्यान्वयन के लिए तथा अपराधों को रोकने के लिए समुचित निवारणात्मक कार्रवाई करने हेतु समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को लिखा जाता रहा है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रशासनिक, प्रवर्तन तथा न्यायिक तंत्र, चेतना सृजन को सुदृढ़ करने तथा प्रभावित व्यक्तियों को राहत देने एवं उनकी पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल तथा पांडिचेरी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विशेष सेलों का गठन भी किया गया है।

पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि

489. श्री पवन कुमार बंसल :
श्री जी०जे० जावीया :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान पेट्रोलियम, डीजल, केरोसीन और रसोई गैस के मूल्यों में वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मूल्यों में वृद्धि करने की मंशा की घोषणा वास्तविक वृद्धि के कुछ दिन पूर्व की जाती है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यह प्रक्रिया खुदरे विक्रेताओं द्वारा उस अवधि तक पेट्रोलियम उत्पादों को एकत्रित करने का कारण बन जाती है; और

(घ) यदि हां, तो इन मूल्यों में वृद्धि के लिए किस प्रणाली को अपनाया गया है और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) पिछले एक वर्ष के दौरान पेट्रोल, डीजल, पी०डी०एस० मिट्टी तेल और घरेलू एल०पी०जी० के मूल्यों में वृद्धि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) प्रशासित मूल्य निर्धारण पद्धति की समाप्ति से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों को ध्यान में रखने के बाद पेट्रोल और डीजल के मूल्यों का निर्धारण कर रही हैं। ऐसे मूल्य संशोधनों की पूर्व संध्या में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां ग्राहकों की सूचना के लिए मूल्यों में संशोधनों का प्रचार संचार माध्यमों में करती हैं।

विवरण

1.4.2002 के उपरांत दिल्ली में खुदरा बिक्री मूल्य में प्रमुख संशोधनों का ब्यौरा

(रुपये/लीटर/रुपये/सिलेंडर)

	एमएस	घरेलू एलपीजी	एसएसडी	एसकेओ (पीडीएस)
1.4.2002 की स्थिति के अनुसार	26.54	240.45	16.59	8.92
तारीख से				
04.06.2002	28.94		17.99	
16.06.2002	29.18		18.23	
16.08.2002	29.00		18.05	
01.09.2002	29.20		18.34	
16.09.2002	29.66		18.68	
01.10.2002	29.91		18.91	
17.10.2002	30.24		19.23	
1.11.2002*	30.26	241.20	19.25	
16.11.2002	29.57		18.57	
1.12.2002	28.91		18.06	
3.01.2003	29.93		19.07	
16.01.2003	30.33		19.47	
1.02.2003	30.71		19.84	

* डीलरों के एम०एस०/एच०एस०डी० के कमीशन और डिस्ट्रीब्यूटरों के घरेलू एल०पी०जी० के कमीशन में संशोधन के कारण।

[हिन्दी]

नए जोन का सृजन

490. श्री ब्रज मोहन राम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झारखंड विधान सभा ने धनबाद, रांची और चक्रधरपुर में नए रेलवे जोन के सृजन के लिए रेलवे बोर्ड/केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार धनबाद में नया रेलवे जोन सृजिन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रस्ताव की जांच की गई थी परन्तु इसे स्वीकृति के लिए व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

तेल कंपनियों द्वारा पेट्रोनेट 2003 का आयोजन

491. श्री जे०एस० बराड़ : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल कंपनियों ने जनवरी में नई दिल्ली में पेट्रोनेट 2003 का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो आयोजक तेल कंपनियां कौन-कौन सी हैं और उनके द्वारा कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ग) पेट्रोनेट 2003 के उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) 5वें अंतरराष्ट्रीय पेट्रोलियम सम्मेलन तथा प्रदर्शनी "पेट्रोलियम – 2003" का आयोजन विभिन्न सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र कंपनियों के प्रायोजन के साथ आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ०एन०जी०सी०) के द्वारा किया गया था। संबंधित प्रायोजक कंपनियों के नाम एवं उनकी हिस्सेदारी विवरण में दी गई है।

(ग) भारतीय एवं विदेशी, दोनों, लगभग 3,400 प्रतिनिधि इस सम्मेलन में उपस्थित हुए थे। भारतीय पेट्रोलियम उद्योग को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आयोजित इस प्रदर्शनी में घरेलू कंपनियों के अतिरिक्त 14 देशों से प्रदर्शकों ने प्रतिभागिता की थी। पेट्रोटेक – 2003 ने विशेषज्ञों को अनुभव एवं ज्ञान की भगीदारी करने तथा भारत के विशेष संदर्भ से वैश्विक पेट्रोलियम उद्योग के अंतर्गत रूझान का अनुमान लगाने में समर्थ बनाया।

विवरण

क्र० सं०	कंपनी	प्रायोजन	धनराशि (रुपए में)
1	2	3	4
1.	इंडियन आयल कंपनी लिमिटेड	प्लेटिनम	50,00,000
2.	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	सोना	40,00,000
3.	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०	चांदी	30,00,000
4.	गेल इंडिया लि०	चांदी	30,00,000
5.	एच०एच०आई०	चांदी	30,00,000
6.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०	चांदी	30,00,000
7.	आई०सी०आई०सी०आई०	चांदी	30,00,000
8.	एल०ए०आर०जी०ई०	चांदी	30,00,000
9.	आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि०	चांदी	30,00,000
10.	प्रेसीजन ड्रिलिंग	चांदी	30,00,000
11.	स्लम्बगर एशिया सर्विसेस लि०	चांदी	30,00,000
12.	ट्रांस ओसन सेडको फोरेक्स	चांदी	30,00,000
13.	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेन्स	चांदी	30,00,000
14.	आबान लायड चाइल्स आफसोर लि०	ईवेन्ट	20,00,000
15.	ब्रिटिश गैस इंडिया लि०	ईवेन्ट	20,00,000
16.	इंजीनियर्स इंडिया लि०	ईवेन्ट	20,00,000
17.	न्यू इंडिया इश्योरेंस#	ईवेन्ट	20,00,000
18.	आयल इंडिया लिमिटेड	ईवेन्ट	20,00,000
19.	एस०जी०आई०#	ईवेन्ट	20,00,000
20.	बी०एच०ई०एल०	सह-प्रायोजक	10,00,000
21.	बोंगाईगांव रिफाइनरी	सह-प्रायोजक	10,00,000
22.	कैर्न एनर्जी	सह-प्रायोजक	10,00,000
23.	चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०	सह-प्रायोजक	10,00,000
24.	हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय	सह-प्रायोजक	10,00,000
25.	दीवानचंद रामसरन	सह-प्रायोजक	10,00,000
26.	हैल्लीबर्टन	सह-प्रायोजक	10,00,000
27.	हिन्दुस्तान आयल एक्सप्लोरेशन कं०लि०#	सह-प्रायोजक	10,00,000
28.	आई०बी०पी० कं०लि०	सह-प्रायोजक	10,00,000
29.	इंडियन सीमलेस मेटल ट्यूब्स लि०	सह-प्रायोजक	10,00,000
30.	आई०बी०एम०#	सह-प्रायोजक	10,00,000
31.	जिन्दल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्रीज लि०	सह-प्रायोजक	10,00,000
32.	जे०पी० मोरगन इंडिया	सह-प्रायोजक	10,00,000
33.	कोच्चि रिफाइनरीज लि०	सह-प्रायोजक	10,00,000
34.	के०एस०आई + सोलर#	सह-प्रायोजक	10,00,000
35.	लार्सन एण्ड टूब्रो लि०	सह-प्रायोजक	10,00,000
36.	महाराष्ट्र सीमलेस लि०	सह-प्रायोजक	10,00,000
37.	मजगांव डॉक लि०	सह-प्रायोजक	10,00,000
38.	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि०	सह-प्रायोजक	10,00,000
39.	नेशनल इंश्योरेन्स कं०लि०#	सह-प्रायोजक	10,00,000
40.	पी०आई०एम०ए०सी०	सह-प्रायोजक	10,00,000
41.	पैराडिग्म ज्योफिजिकल प्रा०लि०#	सह-प्रायोजक	10,00,000
42.	स्टेट बैंक आफ इंडिया	सह-प्रायोजक	10,00,000
43.	ओरिएन्टल इंश्योरेन्स कं०लि०	सह-प्रायोजक	10,00,000
44.	बोर्ले (इंडो-गल्फ)	सह-प्रायोजक	10,00,000
		योग	7,90,00,000

#प्राप्त होना है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य निष्पादन

492. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों के कार्य-निष्पादन का वार्षिक कारोबार और राष्ट्रीय राजकोष और अन्य शेयरधारकों को प्रदत्त-लाभांश के रूप में ब्यौरा क्या है; और

(ख) चालू वर्ष में और पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय राजकोष को दिए गए और दिए जाने के प्रस्तावित लाभांश का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) वर्ष 2001-2002 के लिए तेल क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और वर्तमान तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार और अन्य शेयरधारकों को दिए गए लाभांश का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का कारोबार और दिया गया लाभांश निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपये में)

सा० क्षेत्र	राजकोषीय वर्ष 2001-2002 का कारोबार	राजकोषीय वर्ष 2002-03 के लिए दिया गया अंतरिम लाभांश		राजकोषीय वर्ष 2001-2002 के लिए दिया गया लाभांश		राजकोषीय वर्ष 2000-2001 के लिए दिया गया लाभांश		राजकोषीय वर्ष 1999-2000 के लिए दिया गया लाभांश	
		सरकार	अन्य	सरकार	अन्य	सरकार	अन्य	सरकार	अन्य
ओएनजीसी	23857.40	2038.87	385.31	1679.09	317.22	1319.29	249.24	779.58	147.28
ओआईएल	1896.04	84.00	1.60	157.50	3.00	140.00	2.67	105.00	2.00
गेल	9567.50	170.85	82.85	227.80	110.46	170.85	82.85	246.58	49.40
आईओसी	114864.40	319.36	69.98	702.59	153.95	606.78	132.96	479.04	104.97
एचप्रीसीएल	45287.00	34.61	33.25	173.08	166.25	173.08	166.25	145.48	139.50
बीपीसीएल	39829.48	39.72	20.28	218.46	111.54	148.95	76.05	124.13	63.37
आईबीपी	8452.57	शून्य	शून्य	5.76	16.39	13.20	8.95	6.07	4.12
ईआईएल	536.99	शून्य	शून्य	13.96	1.48	34.02	3.61	32.13	3.42

राजस्थान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार

493. श्री एन०एन० कृष्णदास : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर राजस्थान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार बढ़ते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सार्वजनिक घाट पर एक दलित युवक द्वारा स्नान करने पर चकवादा गांव की ग्राम पंचायत द्वारा 14 दिसम्बर, 2001 को गांव के पूरे दलित समुदाय पर 51,000 रुपये का दण्ड लगाने के निर्णय के विरूद्ध मामला लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो मामले की वर्तमान स्थिति ब्यौरे सहित क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० संजय पासवान) : (क) और (ख) जी, हां। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित आंकड़ों से पता चलता है कि देश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत दर्ज किए गए मामलों की संख्या वर्ष 2000 में 30,315 से मामूली रूप से घटकर वर्ष 2001 में 30,022 हो गई है। राजस्थान राज्य के मामले में भी, आंकड़ों से पता चलता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों की संख्या वर्ष 2000 में 6679 से घटकर वर्ष 2001 में 5915 हो गई।

(ग) और (घ) इस मामले को राजस्थान सरकार के साथ उठाया गया है। राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना की प्रतीक्षा है।

दिल्ली में नए रेलवे स्टेशनों की स्थापना

494. श्रीमती प्रभा राव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में नया रेलवे स्टेशन स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो नए स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित स्टेशनों का ब्यौरा क्या है और इसके लिए किन-किन स्थानों की पहचान की गई है और प्रत्येक नए स्टेशन की स्थापना में संलिप्त औसत लागत कितनी है;

(ग) क्या इन नए रेल स्टेशनों की स्थापना के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे वर्तमान स्टेशनों पर यातायात के किस सीमा तक कम होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (घ) रेलवे दिल्ली क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले डायरेक्सनल टर्मिनलों की व्यवस्था के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसमें पूर्व की ओर जाने वाली गाड़ियों के लिए आनंद विहार में पैसेंजर टर्मिनल शामिल है। बहरहाल, रेलों की नीति है कि अतिरिक्त टर्मिनल का कार्य शुरू करने से पहले दिल्ली क्षेत्र के नई दिल्ली, दिल्ली, निजामुद्दीन और दिल्ली सराय रोहिल्ला के टर्मिनलों का पूरा उपयोग किया जाए। दिल्ली क्षेत्र में मौजूदा टर्मिनलों के विकास से संबंधित कार्य पहले से ही स्वीकृत हैं और ये पूरा होने के विभिन्न चरणों में है।

तमिलनाडु में रक्षा प्रतिष्ठान

495. श्री टी०टी०वी० दिनाकरन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में रक्षा प्रतिष्ठानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य में किसी और प्रतिष्ठान की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) तमिलनाडु में छह आयुध निर्माणियां तथा एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जोकि इस प्रकार हैं :–

(i) कोरडाइट निर्माणी, अरूवानकंडु

(ii) भारी वाहन निर्माणी, आवड़ी

(iii) इंजन निर्माणी, आवड़ी

(iv) आयुध वस्त्र निर्माणी, आवड़ी

(v) आयुध निर्माणी, तिरूचिरापल्ली

(vi) हेवी एलॉय पेनिट्रेटर प्रोजेक्ट, तिरूचिरापल्ली

(vii) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, चेन्नई

इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में रक्षा मंत्रालय के अधीन स्थापनाएं तीनों सेनाओं के कार्यालय तथा अन्य विभाग मौजूद हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विकास

496. श्री पी०डी० एलानगोवन : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मण्डल और कार्यकारी निदेशकों के पुनर्गठन की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसकी संरचना सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त सरकारी उपक्रमों के संवर्धन और इन्हें व्यापार में समान स्तर पर लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं;

(घ) सरकारी उपक्रमों के विकास के लिए आवंटित, वितरित और प्रयोग में लाई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है।

(ङ) क्या सरकार उक्त उपक्रमों के विकास के लिए धन राशि एकत्रित करने में अत्यधिक कठिनाई का अनुभव कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) उक्त सरकारी उपक्रमों के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में क्या योगदान दिया गया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मण्डल में निदेशकों के 3 वर्ग अर्थात कार्यकारी निदेशक, अंशकालिक सरकारी निदेशक तथा गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक होने चाहिएं, जिनकी संख्या निदेशक, मण्डल की वास्तविक संख्या का कम से कम एक तिहाई होनी चाहिए। कार्यपालक अध्यक्ष वाली सूचीबद्ध कम्पनियों में कम से कम आधा निदेशक मण्डल स्वतंत्र निदेशकों से युक्त होना चाहिए। यह एक सतत प्रक्रिया है।

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को स्वयं को व्यापार में सर्वोत्तम के बराबर स्थापित करने तथा संवर्धन करने की शक्तियां प्राप्त है। सरकार लगातार लाभ अर्जित करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न व मिनीरत्न दर्जा प्रदान कर रही है, जिससे उन्हें अन्य कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अधिक वित्तीय तथा प्रचालनात्मक शक्तियां मिलती हैं।

(घ) से (छ) वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा किए गए निवेश की राशि क्रमशः 3095 करोड़ रुपए 8063 करोड़ रुपए तथा 9711 करोड़ रुपए थी।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों में मूंगफली आदि को बेचने पर प्रतिबंध

497. श्री चिन्मयानन्द स्वामी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेलगाड़ियों में मूंगफली और अन्य खाद्य पदार्थों के बेचने पर कठोरतापूर्वक प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) देश में इस समय रेलगाड़ियों में अनुमानतः कितने फेरी वाले खाद्य पदार्थों को बेच रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारतीय रेलों द्वारा इस प्रकार के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

लघु जल विद्युत उत्पादन

498. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विद्युत संकट के मद्देनजर झारखंड में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से लघु जल विद्युत उत्पादन की संभावना का पता लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) और (ख) जी, हां। यू०एन०डी०पी०/जी०ई०एफ० पहाड़ी क्षेत्र पनबिजली परियोजना के अंतर्गत झारखंड सहित हिमालयन तथा अर्धहिमालयन क्षेत्रों में लघु पनबिजली (एस०एच०पी०) की संभाव्यता वाले स्थानों की पहचान की गई। झारखंड में 89 स्थलों से लगभग 170 मेगावाट की संभाव्यता का मूल्यांकन किया गया है जिसमें से समग्र 4.05 मेगावाट की छः एस०एच०पी० परियोजनाओं की स्थापना कर ली गई है। राज्य में समग्र 34.85 मेगावाट की आठ परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। मंत्रालय ने अब तक झारखंड में पूंजीगत सब्सिडी योजना के अंतर्गत समग्र 1.45 मेगावाट की तीन परियोजनाओं, प्रत्येक 200 किवा० की दो प्रदर्शन परियोजनाओं और प्रत्येक 10 किवा० के पांच पोर्टेबल माइक्रो हाइडल सैटों की सहायता की है। इनके अतिरिक्त समग्र 15.6 मेगावाट के 11 एस०एच०पी० स्थलों के विस्तृत सर्वेक्षण एवं जांच और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी में भी सहायता की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

निजी क्षेत्र में अ०जा०/अ०ज०जा० को आरक्षण देने हेतु विधान

499. श्री सुबोध मोहिते : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बदले आर्थिक परिदृश्य में निजी कम्पनियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान करने हेतु कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों और राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनाने का प्रयास किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ङ) सरकार ने निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देने के लिए कानून बनाने संबंधी विषय पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

भारतीय उद्योग हेतु विद्युत की लागत

500. श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयप्पन : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग चीनी उद्योगों की तुलना में विद्युत हेतु तीन गुना भुगतान करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा भारतीय उद्योग हेतु विद्युत लागत को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) चीन में उद्योगों द्वारा भुगतान की गयी औसत टैरिफ से पता चलता है कि भारत में औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ लगभग दोगुना अधिक है।

(ख) भारत में औद्योगिक उपभोक्ता आपूर्ति लागत से अधिक टैरिफ का भुगतान करते हैं ताकि घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं, जो आपूर्ति लागत से कम टैरिफ अदा करते हैं, को क्रॉस सब्सिडी प्रदान की जा सके।

(ग) भारत सरकार ने विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 लागू किया। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार टैरिफ निर्धारित करते समय राज्य आयोगों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों में से एक यह है कि टैरिफ विद्युत आपूर्ति की यथेष्ट लागत और क्षमता के सुधारपरक स्तर को परिकल्पित करें। इसमें यह भी व्यवस्था है कि यदि राज्य सरकार किसी उपभोक्ता अथवा उपभोक्ता वर्ग को सब्सिडी की जरूरत समझती है तो राज्य सरकार विनयामक आयोग के निर्देशानुसार सब्सिडी अनुदान से प्रभावित व्यक्ति की क्षतिपूर्ति के लिए भुगतान करेगी।

गुजरात में भूमि अधिग्रहण और किसानों को मुआवजा

501. **श्री प्रवीण राष्ट्रपाल** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा उन किसानों के लिए मुआवजे के रूप में कुल कितनी राशि स्वीकृत और निर्गत की गई है जिनके खेत और फसलें गुजरात में तेल/गैस सर्वेक्षण/अन्वेषण कर्मचारियों की तैनाती के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को किसानों को मुआवजे के वितरण में कई शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

बंगलौर में मेट्रो रेलवे का निर्माण

502. **श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मेट्रो रेलवे की तरह बंगलौर में मेट्रो रेलवे के निर्माण की कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से मांग रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र, विशेषकर रेलवे के अधिकारियों ने इस संबंध में कई बैठकें की थीं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य, परियोजना हेतु धन के अपने हिस्से का भुगतान करने पर सहमत हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क), (घ) और (ङ) जी, हां। कहीं-कहीं उत्थापित और कहीं-कहीं भूमिगत मध्यम-भारी रेल आधारित प्रणाली को शुरू करने के प्रस्ताव पर कर्नाटक सरकार (जी०ओ०के०) द्वारा विचार किया जा रहा है। कर्नाटक सरकार ने यथार्थ आंकड़े लागत अनुमान, ओ० एण्ड एम० व्यय और अर्थक्षमता जो आसान दरों पर आधारित हो, प्राप्त करने के लिए तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट हासिल करने का प्रस्ताव किया है। दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि० (डी०एम०आर०सी०) से पूर्व-पश्चिम गलियारे और उत्तर-दक्षिण गलियारे के लिए आवधिक 2.5 करोड़ रुपए + 5% सेवा शुल्क पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का अनुरोध किया गया है। कर्नाटक सरकार ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए मानक साझेदारी पद्धति के अनुसार 60:40 अनुपात में निधि मुहैया कराने की मांग की है। भारत सरकार ने अध्ययन के खर्च के 40% यथा नौ किस्तों में दिए जाने वाली 1 करोड़ रुपए की सहमति दी है। 20% की 20 लाख रुपए की पहली किस्त की धनराशि 13.1.03 को जारी कर दी गई है।

(ख) और (ग) मेट्रो रेल प्रणाली चालू करने का विषय शहरी विकास मंत्रालय और गरीबी उन्मूलन से संबंधित है अत: रेल पदाधिकारियों की इस मुद्दे पर कोई बैठक नहीं हुई। हालांकि रेल पदाधिकारियों ने कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधियों के साथ मौजूदा रेल अवसंरचना का उन्नयन करके इंटर-मॉडल परिवर्धन प्रणाली शुरू करने के सर्वेक्षण के संबंध में अनेक बैठकें की हैं।

मिग-21 विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना

503. **श्री सुरेश कुरूप :**
श्री रामजी मांझी :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री अधीर चौधरी :
श्री भास्कर राव पाटील :
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :
डा० चरण दास महंत :
श्री रामचन्द्र पासवान :
श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री ए० वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री टी०टी०वी० दिनाकरन :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न दुर्घटना जांच रिपोर्टों के कार्यान्वयन के बावजूद, मिग 21 एवं अन्य लड़ाकू यानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) दिसंबर, 2002, जनवरी, 2003 एवं इस माह में दुर्घटनाग्रस्त हुए मिग लड़ाकू विमानों एवं अन्य वायुयानों की संख्या कितनी है;

(घ) इसके परिणामस्वरूप जान-मान की कितनी हानि हुई है;

(ङ) उक्त विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने संबंधी प्राथमिक जांच का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार द्वारा ऐसी दुघटनाओं को रोकने के प्रयास पूर्णतया असफल साबित हुए हैं;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या उक्त घटनाओं के संबंध में कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिसंबर, 2002 माह में हुई दो दुर्घटनाओं में से एक में मिग-27 विमान तथा दूसरे में मिग-21 विमान शामिल थे। जनवरी, 2003 में एक दुर्घटना हुई जिसमें जगुआर विमान शामिल था।

(घ) और (ङ) इन तीन दुर्घटनाओं में एक पायलट और एक सिविलियन मारा गया जबकि दो सिविलियन जख्मी हुए थे। इन दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने तथा सम्पत्ति की हानि का आकलन करने के लिए जांच-अदालत के आदेश दिए जा चुके हैं।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) और (झ) ऐसी प्रत्येक दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच-अदालत बिठाई गई है और इसकी सिफारिशों के अनुसार/सुधारात्मक/निवारक उपाय किए जा रहे हैं।

ईरान के साथ सहयोग

504. **श्री बीरेन्द्र कुमार** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास रक्षा क्षेत्र में ईरान के साथ सहयोग स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) भारत के ईरान के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के क्षेत्र सहित अच्छे संबंध हैं।

(ख) दोनों पक्षों ने प्रशिक्षण तथा दौरों के आदान-प्रदान सहित सहमत क्षेत्रों में रक्षा संबंधी अवसरों का पता लगाने का निर्णय लिया है।

केबल नेटवर्क अधिनियम में संशोधन

505. **डा० डी०वी०जी० शंकर राव :**
श्री सुरेश रामराव जाधव :
श्री के०ई० कृष्णमूर्ति :
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल :
श्री अम्बरीश :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दर्शकों को चैनलों को चुनने और केवल चुने हुए चैनलों के लिए भुगतान करने की अनुमति देने हेतु केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियामक) संशोधन विधेयक, 2002 को पारित करने के पश्चात अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी पे चैनलों को सेट-टाप बाक्स के माध्यम से ही देखा जाये, क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) वे शहर कौन से है जहां यह अधिनियम लागू होगा;

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि केबल मालिक बार-बार प्रभारों में वृद्धि कर दर्शकों को परेशान न करे सकें, क्या अन्य कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या सरकार ने अधिनियम के लागू होने के पश्चात दर्शकों द्वारा भुगतान की जाने वाली धनराशि का अनुमान लगाया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) से (घ) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन), अधिनियम, 1995 की धारा 4क की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने दिनांक 14.1.2003 की अधिसूचना द्वारा जनवरी, 2003 के 15वें दिन को उस तारीख के रूप में अधिसूचित किया है जिससे छह माह में प्रत्येक केबल आपरेटर के लिए चार महानगरों नामत: (i) चेन्नई महानगर क्षेत्र (ii) ग्रेटर मुम्बई क्षेत्र की नगरपालिका (iii) कोलकाता महानगर क्षेत्र (iv) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एक सम्बोधन प्रणाली के जरिए प्रत्येक पे चैनल के कार्यक्रम को प्रसारित/पुन: प्रसारित करना अनिवार्य होगा।

सरकार ने सशर्त पहुंच प्रणाली के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए एक कृत्यक बल का गठन भी किया है। इस कृत्यक बल के विचार विमर्श उपभोक्ता हित के संरक्षण पर केन्द्रित होंगे।

(ङ) और (च) इस कृत्यक बल को मुक्त प्रसारण करने वाले चैनलों के बेसिक टियर के मूल्य निर्धारण का विषय सौंपा है। उपभोक्ता को लाभ होगा क्योंकि वह केवल उन्हीं चैनलों के लिए भुगतान करेगा जिन्हें वह देखने के लिए चुनेगा।

विनिवेश पर तेल कंपनियों के मजदूर संघों के कर्मचारियों की हड़ताल

506. **श्री नरेश पुगलिया :**
श्री अजय चक्रवती :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल कंपनियों के मजदूर संघों ने केन्द्र सरकार को सरकार द्वारा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड एवं भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के निजीकरण के लिए अपनी समय सारणी की घोषणा करने की तिथि से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए नोटिस दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) हड़ताल अवधि के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति को आबाधित बनाए रखने को सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन की कुछ ट्रेड यूनियनों ने एच०पी०सी०एल० की कार्यनीतिक बिक्री के सरकार के निर्णय के विरूद्ध हड़ताल का नोटिस दिया है।

(ग) और (घ) कार्यापेक्षाओं को पूरा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति और वितरण बिना किसी बाधा के बनाए रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों के साथ मिलकर आकस्मिकता योजनाएं बनाई गई हैं। इसके अलावा एच०पी०सी०एल० प्रबंधन ने इस मामले में समझौते के लिए हस्तक्षेप करने हेतु संबंधित क्षेत्रीय श्रम आयुक्तों से भी संपर्क साधा है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा पूर्ण हड़ताल और आपात स्थिति के मामले में संबंधित स्थल प्रभारी की निगरानी में संयंत्रों के प्रचालन, रक्षा और सुरक्षा के लिए प्रादेशिक सेना की सहायता लिए जाने की योजना बनाई गई है।

सुरक्षा मुद्दों पर व्यापक रिपोर्ट

507. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने सभी सुरक्षा मुद्दों पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने भी 'श्वेत पत्र' जारी करने का निर्णय लिया है। जिसकी मांग सभी दलों द्वारा की गई है;

(ग) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(घ) मंत्रालय ने विशेषज्ञ समिति के विचारों पर कितना विचार किया है; और

(ङ) रेल सुरक्षा हेतु उनको कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) भारतीय रेलवे के संरक्षा निष्पादन की समीक्षा करने के लिए अगस्त, 1998 में न्यायमूर्ति एच०आर० खन्ना की अध्यक्षता में रेलवे संरक्षा समीक्षा समिति नामक एक उच्च स्तरी समिति गठित की गई थी। समिति ने

अपनी रिपोर्ट का भाग-I अगस्त, 1999 में और फरवरी, 2001 में भाग-II प्रस्तुत किया।

(ख) जी,

(ग) से (ङ) रेलवे संरक्षा समिति ने रिपोर्ट के भाग-I में 150 सिफारिशें और भाग-II में 128 सिफारिशें की थीं। इनमें निवेश योजना और नीतियों, कार्मिक मामलों, रेलपथ और पुल, चल स्टाक, सिगनल प्रणाली और दुरसंचार, आपदा प्रबंधन, संरक्षा संगठन से संबंधित सिफारिशें और रेल संरक्षा आयोग से संबंधित मामले आदि शामिल हैं।

समिति की रिपोर्ट के दोनों भागों में की गई कुल 278 सिफारिशों में से, 214 सिफारिशों को या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से मान लिया गया है। 28 सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई हैं और 36 सिफारिशों की जांच की जा रही हैं।

कुछ मामलों में परीक्षणों की सफलता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर स्वीकार की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने की कार्रवाई विभिन्न स्तरों पर है। फील्ड में आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इसके अनुपालन पर विभिन्न स्तरों पर नजर रखी जा रही है।

इसकी प्रमुख सिफारिशों में से एक को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से, केन्द्रीय सरकार ने 6 वर्ष की नियत अवधि के भीतर, रेलपथ, पुलों, सिगनल प्रणाली और चल स्टॉक की गतायु परिसंपत्तियों के नवीनीकरण के बकाया कार्यों को समाप्त करने के लिए 17000 करोड़ रु० की व्यपगत न होने वाली ''रेल संरक्षा विशेष निधि'' पहले से ही स्थापित कर दी है।

मितव्ययिता उपायों सम्बन्धी दिशा-निर्देश

508. **श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने व्यय में कमी लाने हेतु सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अपने प्रचालनों में किफायत तथा मितव्ययता करने के लिए स्वयं अपनी नीतियां बनाते हैं। इनके अलावा, सरकार द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी सामान्य दिशानिर्देश सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों द्वारा भी अपनाए जाते हैं।

राष्ट्रीय कैडेट कोर हेतु धनपोषण प्रतिमान

509. **श्री के०पी० सिंह देव : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र एवं राज्यों के बीच राष्ट्रीय कैडेट कोर हेतु विद्यमान धन पोषण प्रतिमान क्या है;

(ख) क्या सरकार का अतिरिक्त कोष का आबंटन करते हुए राष्ट्रीय कैडेट कोर को सुदृढ़ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) एन०सी०सी० कार्यकलापों को धन उपलब्ध कराना केन्द्रीय और राज्य सरकारों का संयुक्त उत्तरदायित्व है। केन्द्रीय सरकार सेना अफसरों, जूनियर कमीशनप्राप्त अफसरों और अन्य रैंकों तथा केन्द्रीय सरकार के सिविलियन कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के लिए भी बजटीय सहायता उपलब्ध कराती है। केन्द्रीय सरकार कार्मिकों के आने जाने/सामान लाने-ले जाने, वस्त्रों/उपस्करों/वाहनों जैसी सामान की मदें खरीदनें, केन्द्रीय रूप से संगठित कैंपों में कैडेटों को प्रशिक्षण देने, एन०सी०सी० निदेशालयों के लिए कार्यालय आकस्मिक अनुदान, सूचना प्रौद्योगिकी की मदों की खरीद और अनुरक्षण तथा राजस्व पूंजीगत कार्यों के लिए भी बजटीय सहायता उपलब्ध कराती है। केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय रूप से आयोजित कैंपों से भिन्न कैंपों पर वार्षिक प्रशिक्षण व्यय का 50% भी वहन करती है।

राज्य सरकारें राज्य सरकार के सिविलियन कर्मचारियों के वेतन और भत्तों, संबद्ध एन०सी०सी० अफसरों/एन०सी०सी० कैडेटों के भत्तों, केन्द्रीय रूप से आयोजित एन०सी०सी० कैंप व्यय से भिन्न 50% व्यय और ग्रुप मुख्यालय और एन०सी०सी० यूनिटों के विविध खर्चों के लिए बजटीय सहायता उपलब्ध कराती हैं।

केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा एन०सी०सी० कार्यकलापों के लिए धन जुटाने हेतु बजटीय सहायता का विस्तृत ब्योरा संलग्न विवरण-I तथा II में दिया गया है।

(ख) और (ग) एन०सी०सी० कैडेटों की नफरी हाल ही में 12 से बढ़ाकर 13 लाख की गई है। जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए आबंटित अतिरिक्त 25000 कैडेटों के कैंप तथा प्रशिक्षण कार्यकलापों पर होने वाला समस्त व्यय भी केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाया जा रहा है। जम्मू-कश्मीर के लिए 53.70 लाख रुपये और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 214.80 लाख रुपये अर्थात 268.50 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि संपूर्ण वित्त वर्ष 2003-2004 के लिए प्रस्तावित की गई है।

विवरण-I

केन्द्रीय सरकार के बजट के माध्यम से एन०सी०सी० कार्यकलापों की वित्त व्यवस्था

(क) सेना अफसरों/जूनियर कमीशनप्राप्त अफसरों/अन्य रैंकों के वेतन और भत्ते।

(ख) सिविलियन अफसरों/अन्य कार्मिकों के वेतन और भत्ते।

(ग) परिवहन

(1) कार्मिकों की आवा-जाही।

(2) सामान की ढुलाई

(घ) सामान की मदें

(1) वस्त्र

(2) उपस्कर

(3) वाहन

(4) अन्य

(ङ) प्रशिक्षण

(1) केन्द्रीय रूप से आयोजित कैंप, ट्रैकिंग/साहसिक कार्यकलाप।

(2) केन्द्रीय रूप से आयोजित कैंपों से भिन्न, राज्य और केन्द्रीय सरकार के बीच 50:50 हिस्सा

(3) कार्यालय आकस्मिक अनुदान।

(च) सूचना प्रौद्योगिकी शीर्ष

(छ) राजस्व और पूंजीगत कार्य।

विवरण-II

राज्य सरकार बजट के माध्यम से एन०सी०सी० कार्यकलापों की वित्त व्यवस्था

(क) राज्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते।

(ख) प्रशिक्षण व्यय

(1) धुलाई और पालिश भत्ता

(2) कैडेटों के लिए अल्पाहार भत्ता

(3) मानदेय

(4) संबद्ध एन०सी०सी० अफसरों के लिए आउटफिट और आउटफिट अनुरक्षण भत्ता।

(5) संबद्ध एन०सी०सी० अफसरों के लिए कमीशन पूर्व और रेफ्रेशर कोर्स भत्ता।

(6) प्रशिक्षण और सुख सुविधा अनुदान।

(7) प्रशिक्षण प्रयोजन के लिए पेट्रोल, तेल और स्नेहक।

(8) केन्द्रीय रूप से आयोजित कैंपों से भिन्न, राज्य और केन्द्रीय सरकार के बीच 50:50 हिस्सा।

(ग) कैंप व्यय

(1) कैडेटों और संबद्ध एन०सी०सी० अफसरों के लिए भोजन भत्ता।

(2) आकस्मिक

(3) संबद्ध एन०सी०सी० अफसरों का रैंक वेतन।

(4) कैंप के दौरान कैडेटों और संबद्ध एन०सी०सी० अफसरों के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता।

(5) पैट्रोल, तेल और स्नेहक खर्च।

(घ) विविध खर्चे :

(1) कार्यालय आकस्मिकता

(2) फर्नीचर

(3) आवास

(4) जल और बिजली की दरें

(5) कर

(6) पैट्रोल, तेल और स्नेहक।

त्रिशूल प्रक्षेपास्त्र में त्रुटियों का पता लगाया जाना

510. **श्रीमती रेणूका चौधरी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिशूल प्रक्षेपास्त्र में त्रुटियों का पता लगाने से सतह से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम को रोकना पड़ रहा है;

(ख) क्या त्रिशूल प्रक्षेपास्त्र संबंधी पांच परीक्षणों में से दो असफल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सयुक्त राज्य अमरीका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण आवश्यक कलपुर्जों की आपूर्ति न हो पाने के कारण परीक्षण असफल रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम को कितनी क्षति पहुंची है ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नांन्डीज) : (क) से (ग) जमीन से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र त्रिशूल का प्रौद्योगिकी प्रदर्शक के रूप में कार्य जारी है। इसलिए इसे प्रयोक्ता सेवा से हटाया जा रहा है। यद्यपि कई जटिल प्रौद्योगिकियां और समुद्र मंथन क्षमता स्थापित की जा चुकी हैं तथापि, प्रक्षेपास्त्र को अभी अपनी सभी क्षमताएं साबित करने की जरूरत है। ये प्रौद्योगिकियां भावी प्रक्षेपास्त्र परियोजनाओं में लाभप्रद होंगी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मंत्रालय में अप्रयुक्त प्रावधान

511. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत बजट के किए गए काफी प्रावधान अप्रयुक्त रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) लंबित विद्युत परियोजनाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है और प्रावधानों के उपयोग को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) और (ख) मंत्रालय को उपलब्ध कराई गई राशि में से व्यय न हुई राशि के ब्यौरे और कारण इस प्रकार हैं :–

वर्ष	संगठन	बचत (करोड़ (रुपये में)	कारण
1	2	3	4
1999-00	एन०जे०पी०सी०	93	मुख्य सिविल कार्य के ठेकेदार को श्रमिकों द्वारा हड़ताल किए जाने, पुनर्वास के मुद्दे पर स्थानीय ग्रामीणों द्वारा उपद्रव और राष्ट्रीय राजमार्ग-22 की दयनीय स्थिति के कारण।
	सरदार सरोवर	37.27	मध्य प्रदेश सरकार से शेयर न प्राप्त होने के कारण 37.27 करोड़ रुपये व्यय नहीं हुए। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के मध्य की परियोजना के वित्तपोषण के लिए 1.28 : 1 के अनुपात में सरकार के निर्णयानुसार 297.4 करोड़ रुपये पहले ही अवमुक्त कर दिया गया है।
	बी०टी०पी०एस०	9.62	नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्य तथा राख को उपयोग में लाए जाने वाले कार्य की सुपुर्दगी में विलम्ब के कारण।
	टी०एच०डी०सी०	18	कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना (नई परियोजना) को स्वीकृति मिलने में विलम्ब के कारण।
	आर०ई०सी०	59.17	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों को पम्पसेटों को पुन: चालू करने तथा प्रणाली सुधार के लिए धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है। राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा राशि का दावा कम किए जाने के कारण ग्रामीण विद्युत निगम द्वारा कुल बजट राशि को उपयोग में नहीं लाया जा सका।
	पी०जी०सी०आई०एल०	74.62	एन०जे०पी०सी० की परियोजना के कार्यों को उक्त कारणवश शुरू न हो पाने के कारण 74.52 करोड़ रुपये की राशि व्यय न हो सकी।

1	2	3	4
			इसलिए उत्पादन कार्य अनुसूची के अनुरूप पारेषण प्रणाली का निर्माण और आपूर्ति आस्थगित थी। इसके अतिरिक्त, टाइप टेस्टिंग में विलम्ब और फलस्वरूप आपूर्ति बाधित होने के कारण यू०एल०डी०सी०-एन०आर० परियोजना पर 20.56 करोड़ रुपये व्यय नहीं किए जा सके। तथापि, यह उल्लेख किया जाता है कि यू०एल०डी०सी०-एन०आर० परियोजना अपने निर्धारित समय से पहले शुरू हो गयी है।
2000-01	पी०जी०सी०आई०एल०	50	यू०एल०ई०सी०-एन०ई०आर० के स्कीम के वित्तीय प्रतिमान में परिवर्तन के कारण ही 50 करोड़ रुपये की राशि बची रह गयी। संशोधित प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकरण से स्वीकृति भी नहीं मिली थी।
	पी०जी०सी०आई०एल०	41.79	कुल 41.79 करोड़ रुपये के बचे रहने का कारण एन०जे०पी०सी०-टी०एल०, किशनपुर मोंगा (आई०ई०सी०एफ०) के लिए एन०आर० टी०एस०-आई०बी०आर०डी० ऋण (3237-इन) सुविधा में विस्तार की अनुमति न मिलना था।
	आर०ई०सी०	91.84	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों को पम्पसेटों को पुन: चालू करने तथा प्रणाली सुधार के लिए धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है। राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा राशि का दावा कम किए जाने के कारण ग्रामीण विद्युत निगम द्वारा कुल बजट राशि को उपयोग में नहीं लाया जा सका।
	पूर्वोत्तर क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण	12.53	पूर्वोत्तर क्षेत्र में दलित बस्तियों के ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को स्वीकृति न मिलने के कारण 12.53 करोड़ रुपये की राशि बची रह गयी।
	नीपको	122	अवसंरचनात्मक कार्यों की धीमी प्रगति तथा तकनीकी कारणों से तुरियल जल विद्युत परियोजना (60 मेगावाट) के कार्यों को ठेके पर किए जाने में विलम्ब के कारण। इसके अतिरिक्त कामेंग, कोपिली, तुईवई, लोअर कोपिली और तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना के लिए सक्षम प्राधिकरण से समय पर निवेश स्वीकृति न मिलने के कारण भी विलम्ब हुआ।
2001-02	कुटीर ज्योति	15	दिशा-निर्देशानुसार अनुदान राशि का 50% अग्रिम तौर पर रा०वि० बोर्डों को अवमुक्त की जानी होती है तथा 50% राशि गांवों में एकल प्वाइंट कनैक्शन देने के लिए बाद में भुगतान आधार पर अवमुक्त की जाती है। राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा कम दावा किए जाने के कारण ही बचत हुई।
	पी०जी०सी०आई०एल०	40	यू०एल०डी०सी०-एन०ई०आर० के स्कीम के वित्तीय प्रतिमान में बदलाव के कारण ही 40 करोड़ रुपये की बचत हुई। संशोधित प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकरण से स्वीकृति भी नहीं प्राप्त हुई थी। वित्तीय प्रतिमान में बदलाव के फलस्वरूप पी०आई०बी०/सी०सी०ई०ए० से नये सिरे से अनुमति प्राप्त करनी होती है जिसके अभाव में ही अनुदान स्वरूप निर्धारित धनराशि उपयोग में नहीं लाई जा सकी।

1	2	3	4
	सरदार सरोवर	36.27	मध्य प्रदेश सरकार से हिस्सा न प्राप्त होने के कारण ही बचत हुई। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के मध्य की परियोजना के वित्तपोषण के लिए 1.28 : 1 के अनुपात में 297.4 करोड़ रुपये सरकार के निर्णयानुसार पहले ही अवमुक्त कर दिया गया है।
	पी०टी०सी०	50	पी०टी०सी० को 50 करोड़ रुपये की राशि इक्विटी के रूप में उपलब्ध करायी गयी है। बाद में एनटीपीसी, पी०जी०सी०आई०एल० आदि की इक्विटी भागीदारी से कंपनी को स्वरूप प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
	आर०ई०सी०	410	यह राशि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए ऋण स्वरूप उपलब्ध कराई गयी थी। इस स्कीम को प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में मिला दिए जाने के कारण इसके लिए धनराशि वित्त मंत्रालय द्वारा अवमुक्त की गयी थी इसलिए तकनीकी तौर पर राशि लौटाए जाने की बात ही नहीं है।

(ग) उपर्युक्त उल्लिखित प्रत्येक मामलों में विलम्ब के कारणों को ध्यान में रखा जाए तो यह स्पष्ट है कि बजट से धनराशि जारी किया जाना विशिष्ट कार्य निर्धारण से संबंधित है। धनराशि जारी किए जाने के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा न किए जाने के कारण ही प्रत्येक मामलों में बजटीय प्रावधानों को उपभोग में नहीं लाया जा सका। उन अन्य तथ्यों में से इस एकमात्र पहलू के प्रभाव को अलग कर पाना अति कठिन है जिन (पहलुओं) के साथ होने से किसी भी परियोजना का कार्य प्रभावित हो सकता है।

बजटीय प्रावधानों को तेजी से उपयोग में लाए जाने के उपाय स्वरूप मंत्रालय व्यय प्रवृत्ति पर लगातार नजर रखे हुए हैं तथा सम्बद्ध परियोजना के कार्यान्वयन में धन की उपलब्धता का बाधक न होना सुनिश्चित करने के लिए सम्बद्ध परियोजना प्राधिकरणों के साथ प्रत्येक तिमाही में समीक्षा की जा रही है।

कमी को पूरा करने हेतु अतिरिक्त विद्युत का उत्पादन

512. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी :**
डा० सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में अतिरिक्त पन बिजली परियोजनाओं को स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में विशेषकर राजस्थान में स्थापित की जाने वाली पन बिजली परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित अतिरिक्त विद्युत परियोजनाओं की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है और इसकी संयंत्र-वार लागत क्या है; और

(घ) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या नीति तैयार की गयी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) से (घ) जी, हां। देश में 1,48,701 मेगावाट विद्युत क्षमता का आकलन किया गया है जिसमें से केवल 17% क्षमता का दोहन किया गया है। 10वीं योजना के दौरान 14393.2 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं के स्थापना पर बल दिया गया है। 10वीं योजना के दौरान राजस्थान में कोई भी जल विद्युत परियोजना स्थापित नहीं की जानी है। निर्धारित परियोजनाओं और उनकी लागत के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। इन परियोजनाओं को समय से पूरा किए जाने के लिए प्रभावी तंत्रों की व्यवस्था की गयी है।

सरकार ने देश में उपलब्ध जल संभाव्यता के पूर्ण दोहन के लिए जल विद्युत विकास की गति में तेजी लाने हेतु निम्नलिखित उपाय किए है :

– केन्द्रीय क्षेत्र में हाइड्रो परियोजनाओं का विकास करने वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को और अधिक बजटीय सहायता।

– हाइड्रो स्थलों के विकास का प्राथमिकता-निर्धारण करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने देश के सभी महत्वपूर्ण रिवर बेसिनों की अभिज्ञात जल संभाव्यता का दर्जा-निर्धारण अध्ययन पूरा किया है।

– नई हाइड्रो परियोजाओं के लिए तीन चरण की स्वीकृति प्रक्रिया शुरू की गई है। इससे डी०पी०आर० की तैयार में सुगमता आयी है जिससे कि भू-वैज्ञानिक जोखिमों की संभावनाओं को कम किया जा सकता है और परियोजना की व्यहार्यता एवं वाणिज्यिक व्यवहारिकता स्थापित करने के बाद सड़क एवं पुल समेत भूमि अधिग्रहण तथा मूलभूत सुविधाओं का समुचित विकास हो सकता है। महत्वपूर्ण ठेका पैकेज सौंपने के पूर्व आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के विकास के फलस्वरूप हाइड्रो परियोजनाओं की निर्माण-अवधि में कमी आने तथा लागतों में कमी आने की आशा है।

– प्रतिपूरक वनीकरण के लिए एक विशेष उद्देशीय तंत्र तैयार किया गया है जिससे एक लैन्ड बैंक तैयार हो सकेगा और इस बैंक से बड़ी विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण ली जा सकती है। इसे बड़ी हाइड्रो परियोजनाओं से संबंधित पर्यावरणीय पहलुओं पर ध्यान देने के लिए भी सृजित किया गया है।

विवरण

10वीं योजना के अंतर्गत क्षमता अभिवृद्धि के लिए चिन्हित किए गए जल विद्युत परियोजनाओं की सूची

परियोजना का नाम/ क्षेत्र	आइसी (मे०वा०)	10वीं योजना लाभ (मे०वा०)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)
1	2	3	4
केन्द्रीय क्षेत्र			
टी०एच०डी०सी०			
टिहरी एचईपी (उत्तरांचल)	1000	1000	6195.56 (पूरी हो गयी है)
कोटेश्वर (उत्तरांचल)	400	400	342.53
टिहरी पीएसपी (उत्तरांचल)	1000	1000	1799.67
एनएचपीसी			
दुलहस्ती (जम्मू और कश्मीर)	390	390	3559.77
चमेरा-II (हिमाचल प्रदेश)	300	300	1364.08 (पूरी हो गयी है)
धौलीगंगा-I (उत्तरांचल)	280	280	1578.31
तीस्ता-V (सिक्किम)	510	510	2568.09 (पूरी हो गयी है)
इंदिरासागर (जेवी) (मध्य प्रदेश)	1000	1000	3594.42 (पूरी हो गयी है)
सेवा-II (जम्मू और कश्मीर)	120	120	675.25
भाव (महाराष्ट्र)	37	37	264.21
पुरूलिया पीएसएस (जेवी) (पश्चिम बंगाल)	900	900	1456.56
औकारेश्वर (जेवी) (मध्य प्रदेश)	520	520	2407.10 (पूरी हो गयी है)
तीस्ता लो डेम-III, पश्चिम बंगाल	132	132	782.22
तीस्ता लो डेम-IV, पश्चिम बंगाल	168	168	डीपीआर अभी तक प्राप्त नहीं
एनजेपीसी			
नाथपा झाकरी (हिमाचल प्रदेश)	1500	1500	6218.29
रामपुर (हिमाचल प्रदेश)	400	400	डीपीआर अभी तक प्राप्त नहीं
नीपको			
कोपिली-II (असम)	25	25	99.35 (पूरी हो गयी है)
तुरियल (मिजोरम)	60	60	448.19 (पूरी हो गयी है)
कुल केन्द्रीय क्षेत्र	8742	8742	
राज्य क्षेत्र			
पंजाब			
शाहपुरकुंडी (एच)	168	168	298.46

1	2	3	4
हिमाचल प्रदेश			
लारजी-I (एच)	126	126	908.64
कशांग-I (एच)	66	66	डीपीआर अभी तक प्राप्त नहीं
जम्मू और कश्मीर			
बाघालियर (एच)	450	450	1046.51
उत्तरांचल			
मनेरी भाली-II (एच)	304	304	1111.39
मध्य प्रदेश			
बानसागर-III (एच)	20	20	301.17
बानसागर-II (एच)	15	15	
बानसागर-IV (एच)	20	20	51.06
मारीखेडा (एच)	40	40	169.17
महाराष्ट्र			
घाटघर पीएसएस (एच)	250	250	620.78
गुजरात			
सरदार सरोवर (बहुराज्यीय) (एच)	1450	1450	3267.25
तमिलनाडु			
पिकारा अल्टिमेट (एच)	150	150	70.16
भवानी बराज (एच) (I/II/III)	90	90	78.67
आंध्र प्रदेश			
श्रीसेलम एलबीएच (एच)	450	450	1166.66
जुराला प्रियदर्शनी (एच)	78.2	78.2	452.91
केरल			
कुट्टीयाडी संवर्द्धन (एच)	100	100	61.72
कर्नाटक			
अलमाटी डेम (एच)	290	290	674.38 (पूरी हो गयी है)
उड़ीसा			
बालीमेला-II (एच)	150	150	200.09 (पूरी हो गयी है)
असम			
करबी लंगपी (एच)	100	100	36.36
मिजोरम (एच)			
बैराबी (एच)	80	80	549.43 (पूरी हो गयी है)
मेघालय			
मिन्टडु (लेस्का) (एच)	84	84	285.36
कुल राज्य क्षेत्र		4481.2	4481.2
निजी क्षेत्र			
हिमाचल प्रदेश			
बासपा (एच)	300	300	867.7
धामवारी सुन्डा (एच)	70	70	439.95 (पूरी हो गयी है)
उत्तरांचल (एच)			
विष्णु प्रयाग (एच)	400	400	1614.66 (पूरी हो गयी है)
मध्य प्रदेश			
महेश्वर (एच)	400	400	1569
कुल निजी क्षेत्र	1170	1170	
समग्र कुल	14393.2	14393.2	

उड़ीसा में राष्ट्रीय कैडेट कोर की इकाइयां

513. **श्री भर्तृहरि महताब** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा के सभी उच्च विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर की और इकाइयों का आबंटन करने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) उड़ीसा के सभी उच्च विद्यालयों में राष्ट्रीय कैडेट कोर की इकाइयों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

लंबित परियोजनाएं

514. **श्री ए० वेंकटेश नायक :**
श्री टी०टी०वी० दिनाकरन :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने रेल अवसंरचना के विकास हेतु कुछ राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समझौता ज्ञापन में क्या शामिल है और स्वयं रेलवे द्वारा किन परियोजनाओं को क्रियान्वित किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (ग) जी, हां। रेल अवसंरचना का विकास करने हेतु महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और झारखंड राज्यों ने रेल मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के कार्यक्षेत्र में संबंधित राज्यों की निम्नलिखित परियोजनाएं शामिल हैं :–

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसार रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के साथ इक्विटी भागीदारी के आधार पर मुम्बई रेल विकास निगम, जो रेल मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, का गठन किया गया है और यह मुम्बई उपनगरीय रेलवे नेटवर्क की क्षमता संवर्धन और प्रणाली में सुधार कर रहा है।

कर्नाटक : संयुक्त उद्यम अर्थात रेल अवसंरचना विकास कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड (के राइड) के माध्यम से निष्पादन के लिए चार परियोजनाओं की पहचान की गई है यथा (1) हुबली-अंकोला नई लाइन (2) सोलापुर-गदग आमान परिवर्तन (3) हसन-मंगलौर आमान परिवर्तन और (4) गुंतकल-होसपेट दोहरीकरण।

आंध्र प्रदेश : समझौता ज्ञापन में व्यापक मल्टी-माडल उपनगरीय दैनिक यात्री परिवहन प्रणाली के भाग के रूप में हैदराबाद-सिकन्दराबाद शहर में उपनगरीय रेल अवसंरचना और सेवाओं को सुदृढ़ करने का विचार है।

झारखंड : समझौता ज्ञापन के अंतर्गत निष्पादन के लिए 6 रेल परियोजनाओं की पहचान की गई है अर्थात (1) रांची-बरकाकना-हजारीबाग- कोडरमा नई लाइन (2) तोरी तक विस्तार सहित रांची-लोहारदग्गा आमान परिवर्तन (3) देवगढ़-दुमका नई लाइन (4) दुमका-रामपुरहाट नई लाइन (5) कोडरमा-गिरिडीह नई लाइन और (6) कोडरमा-तिलैया नई लाइन (केवल झारखंड भाग)।

[हिन्दी]

विद्युत परियोजनाओं का मूल्यांकन

515. **प्रो० दुखा भगत :**
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विद्युत परियोजनाओं का मूल्यांकन एवं निगरानी करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान पूरी की गयी विभिन्न परियोजनाओं के मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) इसके परिणाम के आधार पर इस दिशा में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) से (घ) विद्युत मंत्रालय में 10वी योजना क्षमता वृद्धि कार्यक्रम का मूल्यांकन और मानीटरिंग निरंतर की जा रही है। 10वीं योजना के दौरान क्षमता अभिवृद्धि हेतु लक्षित विद्युत परियोजनाओं को योजना आरंभ होने से पहले ही अभिज्ञात कर लिया गया था। विद्युत मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के गहन सहयोग से क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम की जोर-शोर से मानीटरिंग की जा रही है। के०वि०प्रा० द्वारा मासिक समीक्षाएं की जा रही हैं। त्रैमासिक समीक्षाएं सचिव/विद्युत मंत्री स्तर पर की जा रही है।

10वीं योजना में लक्षित क्षमता अभिवृद्धि की पूर्ण प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए के०वि०प्रा० द्वारा सुविधा एवं मानीटरिंग प्रणाली को और अधिक सुधारे जाने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त उपाय किए गए हैं :

1. जिन परियोजनाओं को अगले 24 माह के दौरान चालू करने का कार्यक्रम है उन परियोजना स्थलों की प्रत्येक परियोजना के मॉडल अधिकारी द्वारा आवधिक दौरा किया जाना है। इससे नोडल अधिकारियों को सम्भावित कठिनाइयों/समस्याओं

की बेहतर जानकारी होगी। इससे वे समस्याओं का अनुमान भी लगा पाएंगे। और उच्च स्तरों पर समन्वय द्वारा उनका समाधान कर पाएंगे।

2. वे परियोजनाएं, जहां बडे ठेका पैकेजों के लिए आदेश नहीं दिए गए हैं, वहां मूल्यांकन विंग से एक पृथक नोडल अधिकारी होगा, जो कार्यों का ठेका देने सम्बन्धी विभिन्न स्वीकृतियों और निर्णयों की मानीटरिंग करेगा। इससे अगले 12 माह के भीतर ठेके के आदेश प्रदान किया जाना सुगम हो जाएगा।

3. समस्याओं, जिनसे विलम्ब हो सकता है और के०वि०प्रा० के भीतर तथा के०वि०प्रा० से मंत्रालय तक मुद्दों में वृद्धि होती है, को अभिज्ञात करने की प्रणाली को सरल बना दिया गया है। ताकि सम्बन्धित यह देखने के लिए शीघ्र हस्तक्षेप कर सकें कि समस्याओं का समाधान हो जाएं, विलम्ब से बचा जा सके और परियोजना कार्यक्रमानुसार चालू हो जाए।

[अनुवाद]

विशेष उद्देश्यीय वाहन

516. श्री एस० मुरूगेसन : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष उद्देश्यीय वाहन चलाने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो विशेष उद्देश्यीय वाहन (एस०पी०जी०) की गति क्या होगी;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के चार महानगरों को विशेष उद्देश्यीय वाहन से जोड़ने का है;

(घ) विशेष उद्देश्यीय वाहन परियोजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(ङ) इस परियोजना की रोजगार सृजन संभावना कितनी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) विशेष उद्देश्यीय वाहन एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है जो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत स्थापित है और इसका नाम रेल विकास निगम लिमिटेड है।

(ग) सरकार को चार महानगरों को रेल मार्गों से जोड़ने की सुदृढ़ीकरण संबंधी परियोजनाओं के निष्पादन सहित विशेष उद्देश्यीय वाहन को सौंपने का प्रस्ताव है।

(घ) चार महानगरों को जोड़ने वाले रेल संपर्क के सुदृढ़ीकरण की अनुमानित लागत 8000 करोड़ रुपए हैं।

(ङ) निर्माण और परिचालन चरणों के दौरान प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार की संभावनाएं हैं।

[हिन्दी]

पट्टे पर पेट्रोल पंपों का आबंटन

517. डा० सुशील कुमार इन्दौरा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजकल सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियां ग्यारह महीनों के पट्टे पर पेट्रोल पंप का आबंटन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो दिनांक 31 जनवरी, 2003 की स्थिति के अनुसार दिल्ली, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश में आबंटित ऐसे पेट्रोल पंपों का ब्यौरा क्या है और वे कंपनियां कौन सी है जिन्हें पट्टे पर आबंटन किया गया था;

(ग) किन तिथियों को आबंटन किया गया;

(घ) क्या आने वाले महीनों के दौरान कुछ और पेट्रोल पंपों का आबंटन पट्टे पर किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को प्रमुख शहरों से जोड़ा जाना

518. श्री टी०एम० सेल्वागनपति : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे देश भर के महत्वपूर्ण धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों को नई रेलगाड़ियों के माध्यम से प्रमुख शहरों से जोड़ने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) नई गाड़ियां चलाना एक सतत् प्रक्रिया है। गाड़ियां यातायात औचित्य, परिचालनिक व्यावहारिकता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर चलाई जाती है।

तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा तेल और गैस की खोज

519. **श्री कालवा श्रीनिवासुलु** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम को हाल ही में देश के विभिन्न अन्वेषण ब्लाकों में तेल और गैस के भंडार मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नए स्रोतों के लिए अन्वेषण कब तक आरंभ होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ०एन०जी०सी०) को हाल ही में 4 नए स्थलों पर तेल और गैस लीड मिला है। ये नए तेल और गैस लीड/क्षेत्र निम्नानुसार हैं :

1. लैप्लिगांव (ऊपरी असम बेसिन)
2. बी-22-5 (मुंबई ऑफशोर बेसिन)
3. कवितम (कृष्णा गोदावरी जमीनी बेसिन)
4. जीएस-केडब्ल्यू (कृष्णा गोदावरी आफशोर बेसिन)

(ग) अन्वेषण एक सतत् प्रक्रिया है और इस प्रकार उपरोक्त कूपों से प्राप्त किए गए लीड्स का समेकित प्राप्ति तक अनुसंधान किया जाता है और हाइड्रोकर्बन का उत्पादन होता है जिसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास

520. **श्री रमेश चेन्नितला** :
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रावास की सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना चलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की प्रकृति एवं विस्तार क्षेत्र क्या है और इसका कितना कार्यान्वयन किया गया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान केरल एवं राजस्थान सहित देश में निर्मित छात्रावासों का राज्यवार एवं स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन छात्रावासों के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित धन कितना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) जी, हां। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं :–

1. अनुसूचित जाति के लड़के और लड़कियों के लिए छात्रावास
2. अनुसूचित जनजाति के लड़के और लड़कियों के लिए छात्रावास
3. अन्य पिछड़े वर्ग के लड़के और लड़कियों के लिए छात्रावास।

इन योजनाओं के अंतर्गत छात्रावासों के निर्माण के लिए राज्यों को 50% तथा संघ राज्य क्षेत्रों को 100% केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति के लड़के और लड़कियों के लिए छात्रावासों के मामले में राज्य विश्वविद्यालयों तथा गैर सरकारी संगठनों को भी (केवल वर्तमान छात्रावासों के विस्तार के लिए) 45 : 45 : 10 के समान आधार पर सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के मामले में 90% केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ) गत तीन वर्षों के दौरान छात्रावासों के निर्माण के लिए मंजूर किए गए छात्रावासों तथा निर्मुक्त निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। स्थानवार ब्यौरा एकत्र किया जाएगा और सदन के पटल पर रखा जाएगा।

विवरण

अनुसूचित जातियों के लड़कों के लिए होस्टल निर्माण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना
1999-2000 से 2001-2002 तक निधियों की निर्मुक्ति

(रु० लाख में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000		2000-2001		2001-2002	
		निर्मुक्ति	होस्टल	निर्मुक्ति	होस्टल	निर्मुक्ति	होस्टल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	122.40	बकाया राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	अरूणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	असम	5.00	10	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	गुजरात	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8.	हरियाणा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	41.25	3
9.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	60.13	1
10.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11.	झारखण्ड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	245.18	17
12.	कर्नाटक	483.82	34	495.00	29	563.19	30
13.	केरल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	4.00	1
14.	मध्य प्रदेश	254.19	77	764.95	बकाया राशि	291.525	36
15.	महाराष्ट्र	42.85	1	23.45	बकाया राशि	शून्य	शून्य
16.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
17.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
20.	उड़ीसा	7.84	2	12.75	3	21.12	1
21.	पंजाब	शून्य	शून्य	11.55	1	129.005	2
22.	राजस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
24.	तमिलनाडु	211.75	12	शून्य	शून्य	182.59	17
25.	त्रिपुरा	10.00	शून्य	शून्य	शून्य	18.58	बकाया राशि
26.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	155.64	7
27.	उत्तरांचल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
28.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
29.	अंडमान व निकोबार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
30.	चंडीगढ़	20.00	बकाया राशि	45.00	बकाया राशि	शून्य	शून्य
31.	दादर व नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
32.	दमन व दीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
33.	दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	194.39	1
34.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
35.	पांडिचेरी	37.15	1	शून्य	शून्य	37.15	बकाया राशि
	कुल	1195.00	137	1352.70	33	1944.37	116

अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए होस्टल निर्माण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना 1999-2000 से 2001-2002 तक निधियों की निर्मुक्ति

(रु० लाख में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000		2000-2001		2001-2002	
		निर्मुक्ति	होस्टल	निर्मुक्ति	होस्टल	निर्मुक्ति	होस्टल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	398.10	बकाया राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	अरूणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	असम	53.35	15	20.00	बकाया राशि	शून्य	शून्य
4.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	गुजरात	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8.	हरियाणा	शून्य	शून्य	140.04	4	78.55	1

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	67.30	1	शून्य	शून्य
10.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11.	झारखण्ड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	245.80	17
12.	कर्नाटक	35.44	16	148.96	12	207.42	7
13.	केरल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	45.50	3
14.	मध्य प्रदेश	277.99	53	437.51	बकाया राशि	665.74	79
15.	महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	20.00	1	शून्य	शून्य
16.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
17.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
20.	उड़ीसा	24.973	4	12.75	3	25.00	5
21.	पंजाब	शून्य	शून्य	10.00	1	88.03	1
22.	राजस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
23.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
24.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	258.34	बकाया राशि	43.50	6
25.	त्रिपुरा	10.00	बकाया राशि	22.05	बकाया राशि	9.485	बकाया राशि
26.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	196.04	11
27.	उत्तरांचल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
28.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
29.	अंडमान व निकोबार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
30.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
31.	दादर व नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
32.	दमन व दीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
33.	दिल्ली	शून्य	शून्य	10.00	बकाया राशि	292.26	1
34.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
35.	पांडिचेरी	37.15	1	शून्य	शून्य	37.15	बकाया राशि
	कुल	837.00	89	1146.95	22	1934.48	131

अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिए होस्टल निर्माण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना
1999-2000 से 2001-2002 तक निधियों की निर्मुक्ति

(रु० लाख में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000		2000-2001		2001-2002	
		निर्मुक्ति	होस्टल	निर्मुक्ति	होस्टल	निर्मुक्ति	होस्टल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	87.30	8.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	अरूणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	10.00	2
3.	असम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	गुजरात	3.00	2	शून्य	शून्य	21.57	8
8.	हरियाणा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.	हिमाचल प्रदेश	87.22	2	शून्य	शून्य	113.5	2
10.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11.	झारखण्ड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	197.40	14
12.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	75.00	5	135.00	9
13.	केरल	22.05	3	शून्य	शून्य	22.05	3
14.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15.	महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	217.9	बकाया राशि
16.	मणिपुर	26.00	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
17.	मेघालय	शून्य	शून्य	13.75	5	शून्य	शून्य
18.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19.	नागालैंड	शून्य	शून्य	32.50	1	शून्य	शून्य
20.	उड़ीसा	शून्य	शून्य	12.75	3	30.00	2
21.	पंजाब	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
22.	राजस्थान	319.20	53	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
23.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	तमिलनाडु	50.00	3	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
25.	त्रिपुरा	103.70	5	शून्य	शून्य	40.00	2
26.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27.	उत्तरांचल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
28.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
29.	अंडमान व निकोबार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
30.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
31.	दादर व नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
32.	दमन व दीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
33.	दिल्ली	शून्य	शून्य	116.7	1	50	1
34.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
35.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	698.47	77	250.70	15	837.42	43

अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए होस्टल निर्माण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना
1999-2000 से 2001-2002 तक निधियों की निर्मुक्ति

(रु० लाख में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000		2000-2001		2001-2002	
		निर्मुक्ति	होस्टल	निर्मुक्ति	होस्टल	निर्मुक्ति	होस्टल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	178.88	10	शून्य	शून्य	232.5	32
2.	अरूणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	असम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	10.00	1
6.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	गुजरात	6.25	7	शून्य	शून्य	10.29	7
8.	हरियाणा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	हिमाचल प्रदेश	79.9	2	शून्य	शून्य	126.6	3
10.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11.	झारखण्ड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	197.40	14
12.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	40.00	2
13.	केरल	14.70	2	शून्य	शून्य	0.59	2
14.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	44.80	1	शून्य	शून्य
15.	महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	67.72	बकाया राशि
16.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
17.	मेघालय	शून्य	शून्य	11.00	5	शून्य	शून्य
18.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19.	नागालैंड	शून्य	शून्य	32.5	1	शून्य	शून्य
20.	उड़ीसा	13.15	2	8.50	2	25.00	5
21.	पंजाब	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
22.	राजस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
23.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
24.	तमिलनाडु	100.00	6	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
25.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	20.00	1	10.00	1
26.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27.	उत्तरांचल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
28.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
29.	अंडमान व निकोबार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
30.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
31.	दादर व नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	50.00	1
32.	दमन व दीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
33.	दिल्ली	शून्य	शून्य	117.00	1	शून्य	शून्य
34.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
35.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	392.88	29	233.80	11	770.10	68

अन्य पिछड़े वर्गों के लड़कों और लड़कियों के लिए होस्टलों की केन्द्रीय प्रायोजित योजना 1999-2000 से 2001-2002 तक निधियों की निर्मुक्ति

(रु० लाख में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999-2000		2000-2001		2001-2002	
		निर्मुक्ति	होस्टल	निर्मुक्ति	होस्टल	निर्मुक्ति	होस्टल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	144.26	19.00	शून्य	शून्य	188.74	21
2.	अरूणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	असम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	149.58	4
5.	छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	गुजरात	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8.	हरियाणा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11.	झारखण्ड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	147.28	12
12.	कर्नाटक	78.26	17	183.23	31	216.99	28
13.	केरल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
14.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15.	महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16.	मणिपुर	शून्य	शून्य	46.91	2	शून्य	शून्य
17.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
20.	उड़ीसा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
21.	पंजाब	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
22.	राजस्थान	57.48	7	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
23.	सिक्किम	20.00	1	शून्य	शून्य	20	1

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	259.86	14	157.28	7
25.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	10.00	1	शून्य	शून्य
26.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	265.13	3
27.	उत्तरांचल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
28.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
29.	अंडमान व निकोबार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
30.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
31.	दादर व नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
32.	दमन व दीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
33.	दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
34.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
35.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	300.00	44	500.00	48	1145.00	78

राज्य विद्युत बोर्डों के पुनर्गठन हेतु राज्यों को प्रोत्साहन

521. **श्री ए० वेंकटेश नायक** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों को योजना सहायता से जोड़ते हुए राज्य विद्युत बोर्डों के पुनर्गठन हेतु राज्य सरकारों को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) विद्युत क्षेत्र में सुधार लाने की दिशा में क्या प्रगति हुई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) से (घ) राज्य विद्युत बोर्ड राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में होते हैं। अत: रा०वि० बोर्डों के पुनर्गठन का निर्णय राज्य सरकारों के हाथ में है। संसद के विचाराधीन विद्युत विधेयक, 2001 भी राज्यों को सुधार संरचना के रूप में स्वतंत्रता प्रदान करता है। जहां यह राज्यों को रा०वि० बोर्डों का विकेन्द्रीकरण करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है; वहीं यह राज्यों की उनकी इच्छानुसार रा०वि० बोर्डों को बनाए रखने की भी स्वतंत्रता देता है।

भारत सरकार विद्युत क्षेत्र की स्थिति में सुधार करने हेतु राज्यों को क्षेत्र का सुधार करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। भारत सरकार राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन (एम०ओ०यू०) पर हस्ताक्षर कर रही है, जिसमें सुधार शुरू करने के लिए केन्द्र और राज्यों की संयुक्त प्रतिबद्धता दर्शाई गई है। इनके अंतर्गत राज्यों को राज्य विद्युत विनियामक आयोगों का गठन करना, पूर्ण मीटरीकरण के जरिए ऊर्जा ऑडिट शुरू करना, पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करना तथा वाणिज्यिक व्यावहारिकता प्राप्त करना आवश्यक है। राज्य सरकारों द्वारा सहमत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों में मदद देने हेतु केन्द्र सरकार ने सहायता देने के साथ-साथ केन्द्रीय जेनरेटिंग स्टेशनों के अनावंटित हिस्से से अतिरिक्त विद्युत का आवंटन करने, विशिष्ट कार्यक्रमों/ स्कीमों आदि के अंतर्गत निधि उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दी है। इन समझौता ज्ञापनों को अब स्पष्ट और विनिर्दिष्ट लक्ष्यों को इंगित करते हुए करार ज्ञापन (एम०ओ०ए०) में परिवर्तित किया जा रहा है क्योंकि, राज्यों में सुधार कार्यक्रम से लाभ प्राप्त होना शुरू हो गया है। अब तक इस कार्यक्रम में 25 राज्य शामिल कर लिए गए हैं।

त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (ए०पी०डी०पी०) को वर्ष 2000 में राज्य विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। अब इस कार्यक्रम का नाम विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए०पी०डी०आर०पी०) रख दिया गया है। ए०पी०डी०आर०पी० स्कीम के द्वारा रा०वि०बोर्डों/युटिलिटियों की वास्तविक नकद हानि में कमी को बढ़ावा देने का विचार है।

आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा ने वर्ष 2001-02 के लिए कुल 1821 करोड़ रु० के प्रोत्साहन का दावा प्रस्तुत किया है।

उड़ीसा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली राज्य ने अपने सुधार कानून पारित कर दिए हैं तथा अपने रा० वि० बोर्डों का विकेन्द्रीकरण कर लिया है। 22 राज्यों ने राज्य विद्युत विनियामक आयोगों का गठन कर लिया है या गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। अब तक 13 राज्यों ने टैरिफ आदेश जारी कर दिए है, जो टैरिफ यौक्तिकरण दर्शाते हैं। 07 राज्यों ने (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल तथा महाराष्ट्र) चोरी निवारक कानून पारित कर दिए हैं। गुजरात ने अपना चोरी निवारक कानून तैयार कर लिया है।

एम०यू०टी०पी० परियोजनाओं को विश्व बैंक से ऋण

522. **श्री किरीट सोमैया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने एम०यू०टी०पी० परियोजना हेतु ऋण, अंशदान की प्रथम किश्त जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एम०आर०वी०सी०, एम०यू०टी०पी० हेतु विश्व बैंक द्वारा ऋण देने की शर्त, दरें, पुनर्भुगतान लागत, वास्तविक प्रभावी लागत भारतीय रुपए में कितनी है;

(घ) उक्त ऋण की वापसी किस प्रकार की जाएगी; और

(ङ) लिए जाने वाले उपकरण का ब्यौरा क्या है और इसके कब तक प्रभारित किए जाने की संभावना है और इसका अनुपात एवं समयावधि क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना के लिए विश्व बैंक ऋण में अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से 62.5 मिलियन एसडीआर (विशेष आहरण अधिकार) और अंतर्राष्ट्रीय पुन: निर्माण तथा विकास बैंक से 463 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण घटक शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक ने अभी तक 2.5 मिलियन अमरीकी डालर और आरंभिक निक्षेप के रूप में 15 मिलियन अमरीकी डालर रिलीज किए हैं।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक का ऋण 10 वर्षों के मोटोरियम सहित 35 वर्षों में अदा किया जाना है। अंतर्राष्ट्रीय पुन:निर्माण तथा विकास बैंक का ऋण 5 वर्ष के मोटोरियम सहित 20 वर्षों में अदा किया जाना है। अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक के ऋणों पर 0.75 प्रतिशत वार्षिक की दर से सेवाप्रभार अदा की जाती है जबकि अंतर्राष्ट्रीय पुन: निर्माण तथा विकास बैंक के ऋण पर लिबौर (लंदन इंटर-बैंक द्वारा प्रस्तावित दर) के समान विचलन व्याज दर लगाया जाता है जिसमें मूल दर जमा लिबौर कुल मिलाकर जमा तथा ऋण की वास्तविक प्रभावी लागत और पुनर्भुगतान लागत अमरीकी डालर के लिए लिबौर दर के भावी संचलन तथा जमा/ऋण की अवधि के दौरान अमरीकी डालर के संबंध में रुपए की विनिमय दर पर निर्भर करेगा।

(घ) चूंकि भारत सरकार जमा तथा ऋण के लिए कर्जदार होती है, इसलिए इसका पुनर्भुगतान सरकारी संसाधनों से किया जाएगा। ऋण सेवाओं तथा जमा एवं ऋण का पुनर्भुगतान करने के लिए रेलवे के अंशदान के रूप में मुम्बई में उपनगरीय यात्री किरायों में अधिभार लगाने का निर्णय भी लिया गया है;

(ङ) मुम्बई में उपनगरीय यात्री किरायों पर अधिभार लगाने संबंधी ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

उड़ीसा में रेल परियोजनाएं

523. **श्री परसुराम माझी** : क्या रेल मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कालाहांडी, बोलांगीर एवं क्योंझर जिलों में कुछ रेल परियोजनाएं निर्माण हेतु लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज तक की तिथि के अनुसार, प्रत्येक परियोजना में कितनी प्रगति हुई है;

(घ) अब तक इन परियोजनाओं हेतु वर्षवार कितना धन आबंटित किया गया है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु क्या तिथि निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (ग) और (ङ) उड़ीसा में कालाहांडी, बालंगीर और क्योंझर जिलों में चल रही नयी रेल लाइन परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :–

क्रम सं०	परियोजना का नाम	आज तक प्रगति	पूरा करने का लक्ष्य तिथि
नई लाइनें			
1.	दैतारी-बांसपानी (155 कि०मी०)	बांसपानी से जोरूली (11 कि०मी०) तक लाइन पूरी हो गई है। शेष खंड पर मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी और अन्य आनुषंगिक कार्य प्रगति पर हैं। जोरूली से क्योंझर तक का खंड (48 कि०मी०) 2002-03 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।	2004-05
2.	लांजीगढ़ रोड-जूनागढ़ (56 कि०मी०)	भूमि आंशिक रूप से अधिगृहित कर ली गई है। चरण-I में लांजीगढ़ से भवानी पटना (31 कि०मी०) जहां मिट्टी संबंधी और पुल संबंधी कार्य चल रहे हैं, तक का कार्य शुरू कर दिया गया है।	अभी निर्धारित नहीं
3.	खुरदा रोड-बोलंगीर (289 कि०मी०)	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण आंशिक रूप से पूरा कर लिया गया। खुरदा रोड़ जहां रेलवे के पास भूमि उपलब्ध है, से ढाई कि०मी० की लंबाई में कार्य चल रहा है। भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार के पास अभी तक 5.16 करोड़ रु० की राशि जमा करा दी गई है।	अभी निर्धारित नहीं

(घ) बजट में शामिल किए जाने से उपरोक्त परियोजनाओं के लिए निधियों का वर्ष-वार आबंटन इस प्रकार है :—

परियोजना का नाम	बजट में शामिल होने के अब तक वर्ष-वार बजट परिव्यय										(करोड़ रुपये में)
नई लाईन	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2001-03
देतारी-बांसपानी	10	25	23	30	20	25	49.06	32	39.50	50	40
लांजीगढ़ रोड-जूनागढ़	—	.0001	2	2	1	2	2	2	2	2	2
खुरदा रोड-बोलंगीर	—	—	1	2	1	2	2	10	14.50	15	5

इन जिलों में कोई आमान परिवर्तन और दोहरीकरण परियोजनाएं नहीं हैं।

पूर्व सैनिकों को यात्रा सुविधाएं

524. **श्री पी० राजेन्द्रन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को चीन और पाकिस्तान के विरुद्ध 1962, 1965 एवं 1971 में युद्ध में भाग लेने वाले जीवित पूर्व सैनिकों द्वारा वायु, रेल एवं सड़क द्वारा यात्रा करने हेतु रियायती दर पर भाड़ा तय करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त के संबंध में क्या पहल की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड की स्थापना

525. **डा० रघुवंश प्रसाद सिंह** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्णिया-मुजफ्फरपुर-गोरखपुर एवं मुजफ्फरपुर-बिहार शरीफ, दोनों को 400 किलोवाट की पारेषण लाइन से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या पावरग्रिड कारपोरेशन ने बिहार में 220 किलोवाट एवं 132 किलोवाट उप पारेषण लाइन संबंधी निर्माण कार्य को आरंभ कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त पारेषण लाइनों पर किए जाने वाले पुनरोद्धार कार्य का ब्यौरा क्या है और अन्य पारेषण लाइनों के लिए क्या योजनाएं हैं; और

(घ) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) जी, हां। पूर्णिया-मुजफ्फरपुर-गोरखपुर 400 के०वी० डी/सी लाइन को ताला एच०ई०पी०, पूर्वोत्तर इंटरकनैक्टर और उत्तरी क्षेत्र पारेषण प्रणाली के अंतर्गत क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। 400 के०वी० पारेषण लाइन के जरिए बिहारशरीफ और मुजफ्फरपुर के उपकेन्द्रों को जोड़ने का प्रस्ताव क्रियान्वयन के लिए पावरग्रिड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। इस पारेषण लाइन को अप्रैल, 2006 तक चालू किए जाने का प्रस्ताव है और यह गंगा पर बिहार के उत्तरी एवं दक्षिणी भागों के बीच सुदृढ़ कड़ी का काम करेगा।

(ख) से (घ) पावरग्रिड द्वारा वर्तमान में बिहार में 220 के०वी० और 132 के०वी० की निम्नलिखित उप पारेषण लाईन क्रियान्वित की जा रही है :–

(1) पूर्णिया में 132 के०वी० एस/सी पूर्णिया (बी०एस० ई०बी०)-डलखोला (प० बंगाल रा०वि०बो०) लाईन का एल०आई०एल०ओ०। इस स्कीम को मार्च, 2003 तक पूरा किए जाने की आशा है।

(2) 220 के०वी० डी/सी सासाराम-आरा-खगौल लाईन (380 सर्किट कि०मी०)। इस लाईन पर कार्य प्रगति पर है।

(3) सासाराम में 220 के०वी० एस/सी देहरी-साहूपुरी लाईन (30 सर्किट कि०मी०) का एल०आई०एल०ओ०। इस लाइन पर कार्य प्रगति पर है।

(4) आरा में 132 के०वी० एस/सी डुमरांव-आरा लाइन (5 सर्किट कि०मी०) का एल०आई०एल०ओ०। इस परियोजना के लिए ठेका सौंपने की प्रक्रिया पावरग्रिड द्वारा जारी है।

बिहार में 365 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर उप पारेषण में सुधार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने पावरग्रिड की सहायता से एक स्कीम तैयार की है। इस स्कीम को पावरग्रिड द्वारा क्रियान्वित किया जाना है और इसका वित्तपोषण बिहार सरकार/ बी०एस०ई०बी० को देय विशेष केन्द्रीय अनुदान के अंतर्गत किया जाएगा। इस स्कीम में शामिल पारेषण लाइनों तथा उपकेन्द्रों की सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

पावरग्रिड द्वारा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के पक्ष में क्रियान्वित की जाने वाली उप पारेषण प्रणाली में निम्नलिखित शामिल है :

भाग-क

(1) पारेषण लाईन

1. मुजफ्फरपुर-सिवान 220 के०वी० डीसी (एस/सी स्ट्रंग)
2. सिवान-गोपालगंज-बेतिया 132 के०वी० डी/सी लाईन (एस/सी स्ट्रंग)
3. मुजफ्फरपुर-वैशाली 132 के०वी० डी/सी लाईन (एस/सी स्ट्रंग)
4. मुजफ्फरपुर-दरभंगा 132 के०वी० डी/सी लाईन (एस/सी स्ट्रंग)
5. हाजीपुर-छपरा का एल०आई०एल०ओ० शीतलपुर में 132 के०वी० डी/सी लाईन
6. मोतीहारी-डाका-सीतामढ़ी 132 के०वी० डी/सी लाईन (एस/सी स्ट्रंग)
7. पंडौल-मधुबनी-जयनगर-फुलपरास 132 के०वी० डी/सी लाईन (एस/सी स्ट्रंग)
8. फुलपरास-सुपौल-जयनगर-फुलपरास 132 के०वी० डी/सी लाईन (एस/सी स्ट्रंग)
9. वैशाली-शीतलपुर 132 के०वी० डी/सी लाईन (एस/सी स्ट्रंग)
10. सिवान-बनियापुर 33 के०वी० लाईन

(II) उपकेन्द्र

1. सिवान-220/132 के०वी०
2. गोपालगंज-132/33 के०वी०
3. वैशाली-132/33 के०वी०
4. शीतलपुर-132/33 के०वी०
5. फुलपरास-132/33 के०वी०
6. डाका-132/33 के०वी०
7. मधुबनी-132/33 के०वी०
8. सुपौल-132/33 के०वी०
9. जयनगर-132/33 के०वी०
10. बनियापुर-33/11 के०वी०

भाग-ख

(I) पारेषण लाईन

1. कहलगांव में ललमटिया-सोबोर 132 के०वी० एस/सी लाईन का एल०आई०एल०ओ०
2. सबौर-बांका 132 के०वी० डी/सी लाईन (एस/सी स्ट्रंग)
3. राजगीर में बिहारशरीफ-बरही 132 के०वी० द्वितीय सर्किट का एल०आई०एल०ओ०

4. बिक्रमगंज में देहरी-डुमरांव 132 के०वी० एस/सी लाईन का एल०आई०एल०ओ०

5. भभुआ में पावरग्रिड की देहरी-कर्मनासा 132 के०वी० एस/सी लाईन का एल०आई०एल०ओ०

6. सासाराम में बी०एस०ई०बी० की कुद्रा-कर्मनासा 132 के०वी० एस/सी लाईन का एल०आई०एल०ओ०

7. किशनगंज में पूर्णिया-डलखोला 132 के०वी० एस/सी लाईन का एल०आई०एल०ओ०

8. फारबिसगंज में पूर्णिया-कटैया 132 के०वी० एस/सी लाईन का एल०आई०एल०ओ०

9. किशनगंज-फारबिसगंज-कटैया 132 के०वी० एस/सी लाईन

10. सहरसा-उदाकिशनगंज 132 के०वी० डी/सी लाईन (एस/सी स्ट्रंग)

11. बाढ़ में बिहारशरीफ-हाथीदह 132 के०वी० डी/सी लाईन

12. खगौल-बिहटा 132 के०वी० डी/सी लाईन

(II) उपकेन्द्र

1. बाँका-220/132 के०वी०

2. बिक्रमगंज-132/33 के०वी०

3. भभुआ-132/33 के०वी०

4. सासाराम-132/33 के०वी०

5. फारबिसगंज-132/33 के०वी०

6. उदा किशनगंज-132/33 के०वी०

7. बिहटा-132/33 के०वी०

8. बाढ़-132/33 के०वी०

[अनुवाद]

सैन्य कर्मियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध जांच

526. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तहलका कांड के कारण आरोपित सैन्य कार्मियों एवं रक्षा प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के विरूद्ध कोई मार्शल जांच की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या मंत्रालय तहलका कांड दस्तावेज में शामिल असैनिकों के विरुद्ध किसी कार्रवाई एवं जांच की अनुशंसा करेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) सैन्य कानून के तहत प्रावधान के अनुसार आरोपित सैन्य कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए एक जांच अदालत बिठाई गई थी। इसी प्रकार, रक्षा मंत्रालय के आरोपित सिविलियन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए एक सदस्यीय तथ्य खोजी जांच बिठाई गई थी।

(ख) सैन्य कानून की स्कीम के तहत सैन्य कार्मिकों के विरुद्ध प्रशासनिक/अनुशासनिक कार्रवाई की गई/शुरू कर दी गई है। दो सेवानिवृत्त सैन्य कार्मिकों के विरुद्ध, जिसमें प्रशासनिक/अनुशासनिक कार्रवाई नहीं की जा सकती है, सक्षम अदालत में समुचित आपराधिक मामला दायर किए जाने के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। तीन आरोपित सिविलियन अधिकारियों के संबंध में बड़ी शास्ति लगाने के लिए अनुशासनिक कार्यवाही शुरू की दी गई है।

(ग) और (घ) रक्षा मंत्रालय के आरोपित सिविलियन अधिकारियों के विरुद्ध बड़ी शास्ति लगाने के लिए अनुशासनिक कार्यवाही शुरू किए जाने संबंधी कार्रवाई की जा चुकी है।

रेल दुर्घटनाएं

527. श्री अजय चक्रवर्ती :
श्रीमती मिनाती सेन :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी 2000 से जनवरी 2003 तक गत दो वर्ष से अधिक की अवधि के दौरान होने वाली रेल दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक मामले में मारे गए/घायल व्यक्तियों की संख्या कितनी है और कितने मुआवजे का भुगतान किया गया है; और

(ग) दुर्घटनाओं की वृद्धि दर कितनी है और इन सभी दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) पिछले दो वर्षों में जनवरी, 2000 से जनवरी, 2003 के दौरान मृत, चोटग्रस्त और दिए गए मुआवजे के विवरण सहित घटित रेल दुर्घटनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

क्र० सं०	विवरण	जनवरी 2000 से मार्च 2000	2000-01 (अप्रैल से मार्च, 2001)	2001-02 (अप्रैल से मार्च, 2002)	2002-03* (अप्रैल से जनवरी 2003)
1.	दुर्घटनाओं की संख्या	114	473	414	304
2.	मृत यात्रियों की संख्या	26	55	85	152
3.	चोटग्रस्त यात्रियों की संख्या	44	286	565	484

*अनंतिम

1.1.2000 से 1.1.2003 की अवधि के दौरान रेल दुर्घटनाओं में मृत/चोटग्रस्त यात्रियों को दिए गए मुआवजे की राशि 340.5 लाख रुपए हैं।

(ग) 2000-01 की तुलना में 2001-02 के दौरान दुर्घटनाओं की कुल संख्या में 12.5 प्रतिशत की कमी आई। जनवरी, 2000 से जनवरी, 2003 तक दुर्घटनाओं का कारणवार विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है।

प्रमुख कारण	जनवरी 2000 से मार्च 2000	2000-2001 (अप्रैल 2000 से मार्च, 2000)	2001-2002 (अप्रैल 2001 से मार्च, 2002	2002-2003* (अप्रैल 2002 से जनवरी, 2003)
रेलकर्मियों की लापरवाही	64	293	248	180
रेलकर्मियों के अलावा लापरवाही से	31	109	103	83
उपस्करों की विफलता से	9	33	24	4
तोड़फोड़	4	19	14	18
मिले जुले कार्य		4		
आकस्मिक	3	11	20	16
जिनके कारण सिद्ध नहीं हो सके	3	4	5	2
जांचाधीन				2
कुल	114	473	414	304

*आंकड़े अनंतिम हैं।

दुर्घटनाओं को रोकने हेतु किए गए महत्वपूर्ण उपाय नीचे दिए गए हैं :–

(i) गतायु परिसंपत्तियों के नवीकरण तथा संरक्षा संवर्धन कार्यों के लिए 17,000/- करोड़ रुपए की एक विशेष व्यपगत न होने वाली रेल संरक्षा निधि की स्थापना की गई है।

(ii) सभी उत्पादन इकाईयां अधिकांश मरम्मत कारखाने और बड़ी संख्या में शेड और डिपो ने अपनी गुणवत्ता अनुरक्षण प्रणाली के लिए आई०एस०ओ० 9002 प्रमाणन प्राप्त कर लिया है।

(iii) मल्टी रिसेटिंग सतर्कता नियंत्रण उपस्कर, कंप्यूटर नियंत्रित ब्रेक प्रणाली विस्तृत डाएनेमिक ब्रेक और पहिए को फिसलने से रोकने के लिए क्रीप के जैसी सम्मुनत संरक्षा विशेषताओं वाले नई पीढ़ी के डीजल रेल इंजनों की खरीद।

(iv) चालन के समय धुरा/जर्नल्स की टूटन को रोकने के लिए हॉट बाक्सों के अलग हो जाने का समय पर पता लगाने के लिए ओड़ोर-कम फ्यूम टाइप हाट बाक्स टाइप डिरेक्टर का प्रयोगशाला में प्रशिक्षण।

(v) प्रणाली में शामिल किए जाने वाले नए मालडिब्बे अधिक विश्वसनीय कैसनब बोगियों और एयर ब्रेक प्रणाली से युक्त हैं। मालडिब्बों पर आरोहित ब्रेक प्रणाली का भी विकास किया गया है। मालडिब्बों में संयुक्त ब्रेक ब्लॉकों का भी धीरे-धीरे उपयोग बढ़ाया जा रहा है।

(vi) दुर्घटनाओं और उसके परिणामस्वरूप होने वाले हताहतों की संख्या को कम करने के लिए चल स्टाक के डिजाइन में सुधार

(vii) रेलपथ अनुरक्षण के लिए टाई-टैंपिंग और गिट्टी सफाई मशीनों के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। रेलपथ नवीकरण गाड़ियों का उपयोग किया जा रहा है।

(viii) रेलपथ ज्यामिति और रेलपथ की चालन विशेषताओं पर निगरानी रखने के लिए परिष्कृत रेलपथ अभिलेखन कारों, दोलनलेखी कारों और सुवाह्य त्वरणमापियों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

(ix) पटरियों में दरारों/वेल्डिंग में विफलताओं का पता लगाने के लिए पर्याप्त संख्या में दोहरी पटरी पराश्रव्य दोष संसूचकों की खरीद की जा चुकी है। स्वनोदित पराश्रव्य पटरी परीक्षण यानों की खरीद की जा रही है।

(x) रेल कर्मचारियों की भर्ती के तत्काल बाद उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद उनके ज्ञान को आवधिक तौर पर अद्यतन कराया गया है। स्थाई रेलपथ कर्मचारियों के लिए उनके ज्ञान में वृद्धि करने/उसे अद्यतन करने के लिए समय-समय पर गोपियों/कार्यशाला/फील्ड प्रदर्शनों का आयोजन किया जाता है।

(xi) रेल स्टील की विशिष्टियों का अपग्रेड किया गया और यह इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे (यू०आई०सी०) की विशिष्टियों के अनुरूप है।

(xii) रेलपथ को सही हालत में रखने के लिए जब कभी आवश्यक होता है रेलपथ नवीकरण किया जाता है बशर्ते कि धन उपलब्ध हो।

(xiii) अधिक दुर्घटना की संभावना वाले चौपाहिया मालडिब्बों (सी०आर०टी० मालडिब्बे) को सेवा से हटाया जा रहा है।

(xiv) मल्टी रिसेटिंग सतर्कता नियंत्रण उपस्कर कंप्यूटर नियंत्रित ब्रेक प्रणाली विस्तृत डाएनेमिक ब्रेक और पहिए को फिसलने से रोकने के लिए क्रीम के जैसी सम्मुनत संरक्षा विशेषताओं वाले नई पीढ़ी के डीजल रेल इंजनों की खरीद।

(xv) गाड़ी की गति को मॉनीटर करने के लिए माइक्रोप्रोसेसर कंट्रोल स्पीड रिकार्डर की व्यवस्था।

(xvi) रनिंग कर्मचारियों के प्रशिक्षण में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण उपकरण के रूप में सिमुलेटरों की खरीद।

(xvii) चालन में धुरों/जर्नलों की टुटन को रोकने के लिए हाट बाक्सों का समय पर पता लगाने और उन्हें अलग करने के लिए ऑडोर कम-फ्यूम टाइप हाट बाक्स डिटेक्टरों का प्रयोग शाला में परिक्षण किया जा रहा है।

(xviii) प्रणाली में लगाए जा रहे नये वैगन अधिक विश्वसनीय कैशनब बोगियों और एयर ब्रेक प्रणाली से सुसज्जित हैं और मालडिब्बों पर बोगी माउंटेड ब्रेक प्रणाली भी विकसित की गई है। मालडिब्बों पर कंपोजिशन ब्रेक ब्लाकों का उत्तरोत्तर उपयोग जा रहा है।

(xix) दुर्घटना का प्रभाव कम करने और परिणामत: की संख्या कम करने के लिए चल स्टॉक के डिजाइन में सुधार।

(xx) मानसून/गर्मी और जाड़े के दौरान भेद्य खंडों गैंगमनों द्वारा रेलपथ पर गस्त लगाना।

(xxi) जब कभी रेलपथ और पुलों पर अपराध की रोकथाम के लिए अपेक्षित होता है राज्यों के पुलिस विभागों के साथ निकट संपर्क रखा जाता है।

(xxii) गंभीर दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों को बर्खास्तगी/सेवा से हटाए जाने की सीमा तक कड़ा दंड दिया जा रहा है।

भारतीय सीमा में पाकिस्तानी सैन्य टुकड़ियों द्वारा सुरंगें बिछाया जाना

528. **श्री वाई०वी० राव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पाकिस्तानी सैन्य टुकड़ियों ने भारतीय सीमा में प्रवेश कर, विशेषकर पंजाब क्षेत्र में सुरंगें बिछायी हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी सुरंगों से कितने लोग हताहत हुए हैं; और

(ग) गश्त को तेज करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) जी, नहीं। तथापि, 16 दिसंबर, 2002 और 29 जनवरी, 2003 के बीच पंजाब के खेमकरन क्षेत्र में चार बार पाक मार्के वाली कुल मिलाकर 16 कार्मिक-रोधी और एक टैंक-रोधी सुरंगे पाई गई थीं। चूंकि ये सुरंगें हमारे क्षेत्र में लगभग 10 से 20 मीटर तक भीतर थीं इसलिए सभवत: इन्हें पाकिस्तान की सैन्य टुकड़ियों द्वारा अपनी तरफ की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से फैंका गया हो सकता है।

(ख) इसी क्षेत्र में कार्मिक-रोधी सुरंग पर पैर रखे जाने से सीमा सुरक्षा बल का एक जवान जख्मी हो गया था।

(ग) ऐसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गश्त और चौकसी बढ़ा दी गई है।

प्रसारण विनियामक प्राधिकरण की स्थापना

529. **श्री अशोक ना० मोहोल :**
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मीडिया की भूमिका और इसके महिलाओं पर प्रभाव की जांच के लिए एक स्वतंत्र प्रसारण विनियामक प्राधिकरण गठित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिये जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) से (ग) यह मामला मंत्रालय में विचाराधीन है।

[हिन्दी]

राजस्थान में तेल और गैस के भंडार

530. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्काटलैंड की तेल खोज फर्म केयर्न एनर्जी और सरकार ने राजस्थान में तेल और गैस के विशाल भंडारों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है, और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार राजस्थान में तेल खोज के कार्य के लिए अधिक ब्लाकों की पेशकश करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) हाल ही में एक प्रचालक कैर्न एनर्जी यू०के० की सहायक कंपनी कैर्न एनर्जी इंडिया पी०टी०वाई० लिमिटेड द्वारा राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिले में स्थित ब्लाक आरजे-ओ०एन०-90/1 के पूर्वेक्षण स्थल ई में हाईड्रोकार्बनों, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की गई है। इससे पूर्व गुडा कूप सं० 2 और इस ब्लाक के पूर्वेक्षण स्थल एच में भी हाइड्रोकार्बनों का पता लग चुका है। पूर्वेक्षण स्थल एच और पूर्वेक्षण स्थल ई के प्रारंभिक अनुमानों में हाइड्रोकार्बनों के भंडारों के लिए प्रचालक ने क्रमशः 14 मिलियन मीट्रिक टन तेल + तेल समतुल्य गैस (ओ०+ओ०ई०जी०) और 21 मिलियन मीट्रिक टन ओ० + ओ०ई०जी० का अनुमान लगाया है।

(ग) से (ङ) नई अन्वेषण लाइसेंसी नीति (एन०ई०एल०पी०) के तहत राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में ब्लाकों की पहचान करना और उन्हें प्रदान करना एक सतत् प्रक्रिया है। अब तक सरकार ने एन०ई०एल०पी० के तीन चक्रों में राजस्थान में 2 पी०एस०सीज सहित 70 उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पी०एस०सीज) पर हस्ताक्षर किए गये हैं।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में रसोई गैस स्वचालित डिसपेन्सिंग इकाइयां

531. **श्री गुनीपाटी रामैया :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों का विचार आंध्र प्रदेश में स्वचालित रसोई गैस डिसपेन्सिंग केन्द्रों को स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए सभी तेल कंपनियों द्वारा पहचान किये गए स्थानों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने आंध्र प्रदेश राज्य में हैदराबाद में 14 आटो एल०पी०जी० वितरण केन्द्रों और तिरूमति में 1 आटो एल०पी०जी० वितरण केन्द्र की स्थापना करने की योजना बनाई है। इनमें से हैदराबाद में 6 आटो एल०पी०जी० वितरण केन्द्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं।

[हिन्दी]

शताब्दी एक्सप्रेस को चलाने में हुआ घाटा

532. **श्री सईदुज्जमा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न खंडों पर चलायी जा रही शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ियां घाटे में चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उन रेलमार्गों पर जन शताब्दी रेलगाड़ियां आरंभ करने का है जिन पर शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ियां घाटे में चल रही हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) लाभप्रदता, आमदनी और व्यय के संबंध में रेलगाड़ी-वार आंकड़े नहीं रखे जाते। अत: शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों से होने वाले घाटे के संबंध में कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र को एन०टी०पी०सी० द्वारा विद्युत की आपूर्ति

533. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (एम०एस०ई०बी०) एन०टी०पी०सी० को समय पर भुगतान नहीं कर पाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या एन०टी०पी०सी० द्वारा महाराष्ट्र को आपूर्ति की जा रही विद्युत में कटौती की जा सकती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (एम०एस०ई०बी०) ने वित्तीय वर्ष 2001-02 में वर्तमान बिल का 97.1% तथा वित्तीय वर्ष 2002-03 में (जनवरी, 2003 तक) 95.3% बिल का भुगतान कर दिया है। 30.9.2001 तक संचित बकाया राशियों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य विद्युत बोर्डों की बकाया राशियों के लिए लागू एकमुश्त भुगतान के अनुरूप 381.40 करोड़ रुपये तक के बकायों के भुगतान हेतु कर-मुक्त बांड जारी करने की सहमति दे दी है। महाराष्ट्र सरकार ने अभी त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया है और बॉण्डों को जारी किया जाना अभी शेष है।

(ख) महाराष्ट्र को नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन से की जा रही विद्युत आपूर्ति में किसी प्रकार की कटौती करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) उपरोक्त (ख) के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[अनुवाद]

देश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना

534. **श्री वी० वेत्रिसेलवन :** क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, विशेषकर तमिलनाडु के होसूर में बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए सरकारी क्षेत्र के बड़े उपक्रमों और भारी उद्योगों की कुछ परियोजनाओं/संयंत्रों की स्थापना की भारी मांग हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बाल्यासाहिब विखे पाटील) : (क) और (ख) जहां तक सरकारी क्षेत्र के बड़े उपक्रमों और भारी उद्यमों की परियोजनाओं/संयंत्रों की स्थापना का सम्बन्ध है, चूंकि गैर – रणनीतिक क्षेत्र को अशिकांशत: लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है, निजी क्षेत्र तमिलनाडू सहित देश के किसी भी भाग में भारी उद्योग की स्थापना करने के लिए मुक्त है।

जम्मू दूरदर्शन के लिए मीडिया आवश्यकताएं

535. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू स्थित दूरदर्शन केन्द्र का दर्जा बढ़ाकर उसे पी०जी०एफ० से एक पूर्ण विकसित केन्द्र बना दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दूरदर्शन केन्द्र चलाने के लिए आवश्यक कर्मचारियों की तैनाती की दी गयी है;

(ग) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय और प्रसार भारती ने जम्मू संभाग में जहां डोगरी, पहाड़ी, गोजरी, पंजाबी और भदरवाही भालाई जनसंख्या रहती है और जो एक बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक दृश्य-श्रव्य श्रोता समूह है की विभिन्न सांस्कृतिक और भाषाई मीडिया आवश्यकताओं पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) दूरदर्शन केन्द्र, जम्मू में सुविधाओं को समय-समय पर संवर्धित किया गया है और इस समय वहां पर निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं :–

(i) स्टूडियो केन्द्र

(ii) 2 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (डीडी-1 और डीडी-2)

(iii) उपग्रह अपलिंक।

(ख) टी०वी० केन्द्र को चलाने के लिए इंजीनियरिंग, कार्यक्रम और प्रशासनिक स्टाफ उपलब्ध है।

(ग) और (घ) दूरदर्शन केन्द्र के कार्यक्रमों में निम्नलिखित भाषाओं/बोलियों को बोलने वाले लोगों की मीडिया आवश्यकताओं को विधिवत रूप से ध्यान में रखा जाता है :–

(i) डोगरी (ii) पहाड़ी (iii) गोजरी (iv) पंजाबी (v) भदरवाही (vi) उर्दू और (vii) हिन्दी।

पूर्वी क्षेत्र में एंड्रयू यूल चाय कंपनी

536. **श्री महबूब जाहेदी** : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एंड्रयू यूल ने वर्ष 1983 से 1994 तक प्रतिवर्ष अपने लाभ का एक भाग नियमित रूप से सरकारी खजाने में जमा कराया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों से देय राशि प्राप्त न होने के कारण कंपनी को 2000-01 के दौरान घाटा हुआ था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कंपनी को बंद किए जाने के लिए 540 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी जबकि धनराशि के दसवें भाग का निवेश किये जाने पर कंपनी को अर्थक्षम बनाया जा सकता है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा कंपनी को बंद करने के बजाय उसे अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बाला साहिब विखे पाटील) : (क) कम्पनी ने सरकार को लाभांश का भुगतान वर्ष 1983 से 1994 तक किया है।

(ख) और (ग) कम्पनी को वर्ष 2000-01 में 26.78 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों से कम्पनी के विद्युतीय प्रभाग की देय राशि वर्ष 2000-01 के दौरान 50 करोड़ रुपये से अधिक हो गई।

इसी बीच, चाय प्रभाग को अपने मूल्यों में भारी गिरावट का सामना करना पड़ा है। कम्पनी की चाय के औसत नीलामी मूल्य वर्ष 1997-98 के दौरान प्रति किलोग्राम 80.41 रुपये से घटकर वर्ष 2000-01 में प्रतिकिलोग्राम 67.85 रुपये हो गए। इससे ए०वाई०सी०एल० का चाय प्रभाग प्रभावित हुआ।

वर्ष 2000-01 के दौरान उपरोक्त दो कारक मुख्य रूप से कम्पनी की हानियों के लिए जिम्मेवार हैं।

(घ) और (ङ) दिनांक 31.12.2002 की स्थिति के अनुसार परामर्शदाताओं ने कम्पनी को बंद करने की लागत का अनुमान 547.88 करोड़ रुपये लगाया है। दिनांक 31.3.2003 तक परामर्शदाताओं की रिपोर्ट पर आधारित 145 करोड़ रुपये के निवेश से कंपनी के पुनर्गठन और पुनरुद्धार प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय अभी भी लिए जाने हैं।

[हिन्दी]

विद्युत सुधार

537. **श्री जय प्रकाश** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो वर्ष पूर्व दिल्ली में हुई एक बैठक के दौरान देश के सभी मुख्य मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को निश्चित विद्युत सुधार का आश्वासन दिया था;

(ख) क्या आश्वासनों के बावजूद राज्यों ने विद्युत की स्थिति में सुधार लाने का कोई प्रयास नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा ग्रिड आदि के बार-बार खराब होने के मद्देनजर इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) से (घ) मार्च, 2001 में आयोजित मुख्यमंत्रियों/विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में विद्युत क्षेत्र की चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया गया था। सम्मेलन में यह भी सहमति हुई थी कि विद्युत क्षेत्र के सुधार कार्यों को राजनीति से दूर रखा जाए और सुधार कार्यों में तेजी लायी जाए।

सम्मेलन में पारित संकल्प पर अनुवर्ती कार्रवाई स्वरूप भारत सरकार ने सुधार कार्यों को सयमबद्ध ढंग से शुरू करने के लिए राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौता ज्ञापन में

राज्य विद्युत विनियामक आयोगों का राज्यों द्वारा गठन, पूर्ण मीटर व्यवस्था के माध्यम से ऊर्जा लेखा परीक्षा कराने, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी के द्वारा वाणिज्यिक व्यवहार्यता लाने की अपेक्षा की गयी है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में राज्यों द्वारा किए जा रहे प्रयास के समर्थन में केन्द्र सरकार ने सहायता देने के साथ-साथ केन्द्रीय उत्पादक केन्द्रों के अनावंटित कोटे से अतिरिक्त विद्युत आवंटित किए जाने तथा विशिष्ट कार्यक्रमों/स्कीमों आदि के तहत् धनराशि उपलब्ध कराने का वचन दिया है। समझौता ज्ञापनों की जगह अब करार ज्ञापन हस्ताक्षर किए जा रहे हैं जिनमें विशिष्ट लक्ष्यों को और अधिक स्पष्ट किया गया है क्योंकि राज्यों में सुधार कार्यक्रम बिल्कुल सही दिशा में अग्रसर है। इस समय 25 राज्यों में इन सुधार कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है।

मार्च, 2001 में आयोजित मुख्यमंत्रियों/विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में पारित संकल्प अनुसार ही विद्युत क्षेत्र के पिछले समस्त बकायों के एक ही समय निराकरण के लिए एक विशेषज्ञ दल गठित किया गया है। इस विशेषज्ञ दल की संस्तुतियों के आधार पर ही भारत सरकार ने हाल ही में राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा केन्द्रीय उपक्रमों को देय राशि के प्रतिभूतिकरण की एक योजना को स्वीकृति दी है। राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा पिछली देनदारियों की राशि के प्रतिभूतिकरण तथा वर्तमान की आपूर्ति के लिए पूर्ण भुगतान संबंधी अनुशासन सुनिश्चित करने के बाद ही केन्द्रीय उपक्रमों द्वारा विद्युत क्षमता अभिवृद्धि की महत्वाकांक्षी योजना के लिए आवश्यक संसाधन जुटा पाना संभव हो सकेगा। राज्य सरकारें इसका प्रयोग अपने विद्युत यूटिलिटियों को स्वच्छ तुलन-पत्र देने के लिए कर सकती है ताकि विद्युत यूटिलिटियों अपने निवेश कार्यक्रमों के लिए बाजार से वित्त का पूरा प्रबंध कर सकें। अब तक 22 राज्यों ने इस सन्दर्भ में त्रिपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर किए हैं।

उड़ीसा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली राज्यों ने सुधार संबंधी कानून बना लिए हैं तथा अपने राज्य विद्युत बोर्डों का पृथक्कीकरण कर लिया है।

अब तक 22 राज्यों ने अपने-अपने यहां राज्य विद्युत विनियामक आयोगों का गठन कर लिया है या गठन के आशय की अधिसूचना जारी की है। 13 राज्यों ने टैरिफ आदेश पारित कर दिए हैं जिनमें टैरिफ संगतीकरण की प्रवृति प्रकट होती है। 7 राज्यों ने (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और केरल) विद्युत चोरी रोकने संबंधी कानून पारित कर दिए हैं। गुजरात राज्य ने विद्युत चोरी रोकने संबंधी कानून का प्रारूप ही तैयार किया है।

देश में विद्युत आपूर्ति की स्थिति में सुधार लाने तथा देश में विद्युत उत्पादन और विद्युत की उपलब्धता की स्थिति को ठीक बनाए रखने की दृष्टि से निम्नलिखित उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं :–

(1) 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 41,110 मेगावाट विद्युत क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(2) नई चालू हुई यूनिटों में शीघ्र स्थिरता लाने और ताप विद्युत यूनिटों की संयंत्र भार क्षमता में समग्र वृद्धि करने के उपाए किए गए हैं।

(3) उप पारेषण और वितरण प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण किया गया है तथा त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम के तहत् पारेषण और वितरण प्रणाली से जुड़ी स्कीमें शुरू करने के लिए राज्यों को धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है।

(4) मांग पक्ष प्रबंधन तथा ऊर्जा दक्षता और संरक्षण संबंधी उपाय किए गए हैं।

(5) पुराने और रूग्ण विद्युत उत्पादक यूनिटों को नवस्वरूप प्रदान करने के लिए विद्युत वित्त निगम द्वारा ब्याज सब्सिडीयुक्त ऋण उपलब्ध कराई जा रही है।

(6) अंतर्क्षेत्रीय पारेषण सम्पर्कों के सुदृढ़ीकरण तथा राष्ट्रीय ग्रिड के निर्माण के द्वारा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अधिक विद्युत स्थानांतरित करने के उपाय किए गए हैं।

(7) उपलब्धता आधारित टैरिफ तंत्र के माध्यम से ग्रिड अनुशासन बनाए रखने पर बल दिया गया है।

[अनुवाद]

इंटरसिटी एक्सप्रेस का त्रिवेन्द्रम से कोचीन तक विस्तार किए जाने की योजना

538. **श्री टी० गोविन्दन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की योजना त्रिवेन्द्रम से कोचीन तक जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस का विस्तार केरल में कासरगौड तक करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।-

[हिन्दी]

बिहार और झारखंड में लंबित पाइपलाइन परियोजनाएं

539. **श्री राजो सिंह :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार और झारखंड में लंबित पाइपलाइन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) भूमि अभिग्रहण आदि में संबंध में इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) बिहार सरकार से इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर केन्द्र सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित बिहार और झारखंड राज्यों की कोई पाइपलाइन परियोजना भारत सरकार के यहां लंबित नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अपमिश्रण रोधी प्रकोष्ठ द्वारा निरीक्षण

540. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अपमिश्रण रोधी प्रकोष्ठ द्वारा कितने निरीक्षण किये गये;

(ख) अपमिश्रण रोधी प्रकोष्ठ द्वारा किये गये ऐसे निरीक्षणों का क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र की कतिपय तेल कंपनियां पेट्रोल पंपों के मालिकों द्वारा की जा रही मिलावट की ऐसी गतिविधियों में संलिप्त थीं; और

(घ) यदि हां, तो उत्पाद में मिलावट करने में दोषी पाये गये पेट्रोल पंपों और सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गयी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) इस मंत्रालय के मिलावट रोधी प्रकोष्ठ द्वारा मार्च, 2001 में इसकी शुरूआत से लेकर अब तक विगत दो वर्षों के दौरान किए गए निरीक्षणों की संख्या एवं उनके परिणाम नीचे दिए गए हैं :–

वर्ष	मिलावट रोधी प्रकोष्ठ द्वारा किए गए निरीक्षणों की संख्या	विफल हुए नमूना	बड़ी अनियमितताये/ संभावित मिलावट	छोटी अनियमितता/ अन्य कदाचार
2001	89	10	24	21
2002	482	93	190	231

(ग) जी, नहीं। ऐसी कोई शिकायत सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) मिलावट के दोषी पाए गए पेट्रोल पंपों के विरूद्ध तेल कंपनियों द्वारा कार्रवाई विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों तथा/अथवा डीलरशिप करार के प्रावधानों के तहत की जाती है।

सी०एन०जी० वाहनों की सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम

541. **श्री राम मोहन गाड्डे :**
डा० एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में हाल ही में सी०एन०जी० वाहनों, भराई केन्द्रों और वाहनों के अंदर गैस भंडारण के रखरखाव और निरीक्षण से संबंधी सुरक्षा मुद्दों पर अमरीकी सरकार द्वारा प्रायोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का अन्य महानगरों में भी इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

काचीगुडा-मनमाड एक्सप्रेस दुर्घटना की जांच

542. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :**
श्री रामजीवन सिंह :
श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री ज्योतिरादित्य मा० सिंधिया :
श्री रघुनाथ झा :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काचीगुडा-मनमाड एक्सप्रेस के खड़ी हुई मालगाड़ी से टकराने के फलस्वरूप 21 लोग मर गए और 70 से अधिक लोग घायल हुए;

(ख) यदि हां, तो कितने डिब्बे रेल की पटरी से उतर गए;

(ग) क्या सरकार ने इस दुर्घटना की जांच करायी है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(ङ) क्या मृतक और घायल व्यक्तियों के निकट परिजनों को मुआवजे की राशि दे दी गयी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या यह रेलगाड़ी भिड़ंत रोधी प्रणाली से मुक्त थी;

(ज) यदि हां, तो इसके विफल होने के क्या कारण हैं; और

(झ) यदि नहीं, तो इस रेलगाड़ी में इस प्रणाली को न लगाए जाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) खड़ी मालगाड़ी तथा 7064 सिकंदराबाद-मनमाड एक्सप्रेस के बीच पिछले छोर की टक्कर हुई थी जिसके परिणामस्वरूप 3 सवारी डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में 20 व्यक्तियों की जानें गईं तथा 72 व्यक्ति घायल हुए थे।

(ग) और (घ) दक्षिण मध्य सर्किल के रेल संरक्षा आयुक्त ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला कि दुर्घटना "रेल कर्मचारियों की विफलता" के कारण हुई थी।

(ङ) और (च) गाड़ी दुर्घटनाओं में मारे गए अथवा घायल हुए रेल यात्रियों के लिए मुआवजा रेल दावा अधिकरण द्वारा तय किया जाता है। अभी तक मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है। अधिकरण द्वारा दावे डिगरी किए जाने के तुरंत बाद ही मुआवजे का भुगतान कर दिया जाएगा। बहरहाल, दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को उनकी तत्काल जरूरतों के मद्देनजर 22.90 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान कर दिया गया है।

(छ) से (झ) जी नहीं, टक्कर रोधी उपकरण के फील्ड परीक्षण हाल ही में पूरे किए गए हैं।

[हिन्दी]

सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना

543. श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2000-01 तक सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने और इसमें लगे लोगों के पुनर्वास की दिशा में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) सरकार द्वारा इस प्रथा को समाप्त करने के लिए क्या ठोस कदम उठाये गये है अथवा उठाये जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस प्रथा को समाप्त करने के लिए कोई नया लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० संजय पांसवान) : (क) और (ख) सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों की मुक्ति और पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत पहचान किए गए 6,76,000 सफाई कर्मचारियों में से वर्ष 2000-01 तक क्रमश: 1,51,876 तथा 3,86,204 सफाई कर्मचारियों को प्रशिक्षित और पुनर्वासित किया गया है।

(ग) से (च) सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा फिलहाल चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को मिलाने के संबंध में 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस, 2002 को प्रधानमंत्री जी की घोषणा की अनुपालन में योजना आयोग ने भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से "वर्ष 2007 तक सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समग्र उन्मूलन के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना" के मसौदे का प्रस्ताव किया है जो केन्द्र सरकार के विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को आमेलित करती है। यह विचाराधीन है।

[अनुवाद]

कचरे के निपटान के लिए निविदा प्रणाली

544. डॉ० मन्दा जगन्नाथ : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्व घाटे की पूर्ति हेतु रेल विभाग में कचरे के निपटान/खरीद करने इत्यादि की मौजूदा निविदा प्रणाली की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) रेलों पर स्क्रैप सामान्यत: सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बेचा जाता है। स्क्रैप के निपटान में निविदा प्रणाली केवल टर्निंग और बोरिंग आदि जैसी कुछ मदों के लिए अपनाई जाती है। स्क्रैप के निपटान/खरीद करने हेतु निविदा प्रणाली के लिए भारत सरकार के वित्तीय नियमों से प्राप्त सुपरिभाषित और जांची-परखी कार्यविधियां पहले ही मौजूद हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) और (ख) की स्थिति के अनुसार मौजूदा निविदा प्रणाली की समीक्षा करने के लिए हाल ही में कोई अध्ययन नहीं किया गया है। बहरहाल, स्क्रैप की चोरी रोकने सहित स्क्रैप निपटान के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए एक समिति गठित की गई थी। समिति की सिफारिशें कार्यान्वित की जा रही हैं। बहरहाल, समिति ने मौजूदा निविदा प्रणाली में किसी प्रकार के परिवर्तन की सिफारिश नहीं की है।

चंडीगढ़ और नयी दिल्ली के बीच चलने वाली जन-शताब्दी एक्सप्रेस में यात्री दर

545. श्री पवन कुमार बंसल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंडीगढ़ और नई दिल्ली के बीच चलने वाली जन-शताब्दी में वर्तमान यात्री दर क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने मध्य वर्ग के यात्रियों की और अधिक आकर्षित करने के उद्देश्य से इसके समय में परिवर्तन करने पर विचार किया है ताकि यह प्रात:काल चंडीगढ़ से चलकर 8 बजे के बाद तक वापिस आ सके?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) गाड़ी सं० 2057/2058 को 6.9.2002 से चलाया गया है। शुरू होने की तारीख से जनवरी, 2003 तक इन गाड़ियों के उपयोग का औसत प्रतिशत इस प्रकार रहा :–

2057 नई दिल्ली-चंडीगढ़

वातानुकूल कुर्सीयन	–	81%
दूसरा दर्जा सिटिंग	–	39%

2058 चंडीगढ़-नई दिल्ली

वातानुकूल कुर्सीयन	–	87%
दूसरा दर्जा सिटिंग	–	11%

(ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

पेट्रोलियम और डीजल का मूल्य

546. श्री जे०एस० बराड़ :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल कंपनियों ने जनवरी 2003 में पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में उस समय वृद्धि की थी जब कच्चे तेल का अंतरराष्ट्रीय मूल्य गिर रहा था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) छ: महीने पहले उनके मूल्य की तुलना में अब की स्थिति के अनुसार पेट्रोल और डीजल का मूल्य कितना है: और

(घ) ए०पी०एम० को समाप्त किये जाने के पश्चात् उत्पादन और विपणन की लागत में किस सीमा तक कमी आयी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) जनवरी 2003 माह के लिए कच्चे तेल की भारतीय बास्केट का औसत मूल्य 29.56 डालर/बैरल था, जो अप्रैल 2002-जनवरी 2003 की अवधि के दौरान किसी भी माह के लिए सर्वाधिक था। तेल कंपनियों ने अंतरराष्ट्रीय तेल मूल्यों को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि की थी।

दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के वर्तमान खुदरा बिक्री मूल्य क्रमश: 30.71 रुपए/लीटर और 19.84 रुपए/लीटर हैं। ये मूल्य 1 अगस्त 2002 को क्रमश: 29.18 रुपए/लीटर और 18.23 रुपए/लीटर थे।

(घ) प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था की समाप्ति के साथ पेट्रोल और डीजल का मूल्य निर्धारण बाजार निर्धारित हो गया है और तेल कंपनियों के उत्पादन और विपणन की लागत की सरकार द्वारा अब कोई क्षतिपूर्ति नहीं की जा रही है।

जन शताब्दी एक्सप्रेस शुरू किया जाना

547. श्री बसुदेव आचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2002-2003 में विभिन्न मार्गों पर 15 जन शताब्दी एक्सप्रेस चलाया जाना अर्थक्षम था; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2002-2003 में अर्थक्षमता के संबंध में इन रेलगाड़ियों के कार्य निष्पादन (प्रचालन लागत और राजस्व अर्जन) का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) भारतीय रेलों द्वारा गाड़ीवार अर्थक्षमता का ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेल विभाग में होम्योपेथी चिकित्सक

548. श्री एन०एन० कृष्णदास :
श्री पी० राजेन्द्रन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक रेल विभाग में कितने एलोपेथी, आयुर्वेदिक और होम्योपेथिक चिकित्सक कार्यरत हैं;

(ख) क्या एलोपेथिक चिकित्सकों की तुलना में आयुर्वेदिक और होम्योपेथिक चिकित्सकों का वेतनमान कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार आयुर्वेदिक और होम्योपेथिक चिकित्सकों का वेतनमान और उनके सहयोगियों के बराबर लाने हेतु उसे बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या रेल विभाग द्वारा होम्योपेथिक चिकित्सकों की सेवाओं को नियमित नहीं किया जाता है;

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(झ) क्या रेल विभाग ने इन होम्योपेथिक चिकित्सकों की सेवाओं को नियमित करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कितने चिकित्सकों की सेवाओं को नियमित किया जा चुका है; और

(ट) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) भारतीय रेल चिकित्सा सेवा संवर्ग रेलों के अधीन एक ग्रुप 'ए' सेवा है जिसमें केवल एलोपैथिक डॉक्टर ही होते हैं। विभिन्न क्षेत्रीय रेलों में कार्यरत डॉक्टरों की संख्या आगे दी गई है :–

रेलवे	कार्यरत चिकित्सकों की संख्या
मध्य रेलवे	245
पूर्व रेलवे	231
पूर्व मध्य रेलवे	115
उत्तर रेलवे	342
पूर्वोत्तर रेलवे	123
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	174
उत्तर पश्चिम रेलवे	104
दक्षिण रेलवे	245
दक्षिण मध्य रेलवे	172
दक्षिण पूर्व रेलवे	273
पश्चिम रेलवे	221
रेलवे बोर्ड तथा रेलवे स्टाफ कॉलेज	6
कुल	2251

रेलों पर नियमित आधार पर कोई आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक चिकित्सक तैनात नहीं है।

(ख) से (ट) आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक प्रैक्टिसनर्स सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं बल्कि औषध एवं होम्योपैथिक की भारतीय प्रणाली (आई०एस०एम० एवं एच०) के स्थानीय प्रैक्टिसनर्स होते हैं जिनकी सेवाएं, अंशकालिक आधार पर विधिवत् निर्धारित मानदेय का भुगतान करते हुए ली जा रही है।

अंत: उनके विनियमीतीकरण तथा उन्हें वेतनमान का आबंटन करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजस्थान में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित विद्युत

549. डा० जसवंत सिंह यादव : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से राजस्थान में कुल कितनी विद्युत उत्पादित की गई;

(ख) राजस्थान में आरंभ की गई विभिन्न प्रकार की अपारंपरिक ऊर्जा परियोजनाओं की संख्या कितनी है और प्रत्येक परियोजना में कितनी धनराशि का निवेश किया गया; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक आपरंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए कितनी धनराशि सहायता स्वरूप प्रदान की गई?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० कन्नप्पन) : (क) राजस्थान में वर्ष 2001-02 के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से लगभग 63 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया।

(ख) और (ग) राजस्थान राज्य में अब तक लघु पनबिजली में 23.85 मेगावाट, पवन में 25 मेगावाट तथा सौर प्रकाशवोल्टीय में 50 किवा० की क्षमता स्थापित की गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान को समग्र 6 मेगावाट की पवन प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए 11.53 करोड़ रु० और 50 किवा० की सौर प्रकाशवोल्टीय परियोजनाओं के लिए 0.70 करोड़ रु० उपलब्ध कराए गए हैं। शेष परियोजनाएं बिना किसी केन्द्रीय सहायता के निजी क्षेत्र और राज्य सरकार से निवेश के माध्यम से वाणिज्यिक परियोजनाओं के रूप में स्थापित हुई हैं।

[अनुवाद]

फारस की खाड़ी में तेल खोज के लिए तेल कंपनियों द्वारा करार किया जाना

550. **श्रीमती प्रभा राव** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल कंपनियों के एक समूह ने तेहरान में फारस की खाड़ी में फारसी ब्लाक के लिए एक खोज संविदा पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना में कितना निवेश किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या खोज कार्य पहले ही आरंभ हो चुका है और यदि नहीं, तो इस कार्य को कब तक आरंभ किया जाना है; और

(घ) इस संबंध में किये गये समझौते का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) भारतीय कंपनियों के एक परिसंघ अर्थात् ओ०एन०जी०सी०-विदेश लिमिटेड (ओ०वी०एल०), इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई०ओ०सी०) और आयल इंडिया लिमिटेड (ओ०आई०एल०) ने ईरान में फारसी अपतटीय ब्लाक के लिए 25.12.2002 को नेशनल इरानियन आयल कंपनी (एन०आई० ओ० सी०) के साथ एक अन्वेषण सेवा संविदा पर हस्ताक्षर किए। परिसंघ के तीन सदस्यों अर्थात् ओ०वी०एल०, आई०ओ०सी० और ओ०आई०एल० का प्रतिभागिता हित क्रमशः 40 प्रतिशत, 40 प्रतिशत और 20 प्रतिशत है। ब्लाक में परिसंघ द्वारा अनुमानित निवेश 38 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 186 करोड़ रुपए) है और ब्लाक के अन्वेषण के लिए आरंभिक कार्य पहले ही आरंभ किए जा चुके हैं।

तमिलनाडु में तेलशोधक कारखाना

551. **श्री पी०डी० एलानगोवन** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की तमिलनाडु में नयी तेलशोधक परियोजना आरंभ करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तमिलनाडु में मौजूदा पेट्रोलियम तेलशोधक कारखाने बहुत लाभ कमा रहे हैं और तेलशोधक उत्पादों की मांग दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गत तीन वर्षों में तमिलनाडु में तेल शोधक कारखानावार कुल कितनी मात्रा में कच्चे तेल को परिष्कृत किया गया और उसका मूल्य क्या था?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, मैसर्स नागार्जुन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड का कुड्डालूर, तमिलनाडु में 6 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष (एम०एम०टी०पी०ए०) की रिफाइनरी लगाने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई० ओ०सी०) की सहायक कंपनी चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (सी०पी०सी०एल०), चेन्नई प्रचालन के दूसरे वर्ष से ही लाभ कमा रही है। इस कंपनी ने वर्ष 2001-02 के दौरान 63.71 करोड़ रुपये का करोपरांत लाभ कमाया है। इसी अवधि के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में पिछले वर्ष में 0.40 प्रतिशत की साधारण वृद्धि दर्ज की।

(ङ) पिछले तीन वर्ष के दौरान सी०पी०सी०एल० में परिशोधित कच्चे तेल की कुल मात्रा और इसका मूल्य निम्नवत् हैं :–

मात्रा	1999-2000	2000-2001	2001-2002
(हजार मीट्रिक टन)	7012.09	2265.03	6688.80
(क्रूड मूल्य करोड़ रुपये)	4974.00	6275.76	5577.70

[हिन्दी]

झारखण्ड और महाराष्ट्र में ट्रांसमीटर

552. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखण्ड में उच्च क्षमता वाले और अल्प क्षमता वाले स्थानवार कितने ट्रांसमीटर हैं;

(ख) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में उच्च क्षमता वाले और टी०वी० ट्रांसमीटर लगाने की एक योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रत्येक परियोजना के लिए निर्धारित समय सीमा का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) झारखण्ड में 5 उच्च शक्ति और 21 अल्प शक्ति/अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर और एक ट्रांसपोजर कार्य कर रहे हैं। उनका स्थान-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। वर्तमान में महाराष्ट्र में चन्द्रपुर, जलगांव, कोल्हापुर और अंबाजोगई (डी०डी० 2) में उच्च शक्ति ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन हैं।

(घ) चन्द्रपुर में उच्च शक्ति ट्रांसमीटर की स्थापना का कार्य पूरा हो गया है। जलगांव में उच्च शक्ति ट्रांसमीटर की स्थापना का कार्य 2003 और अंबाजोगई (डी०डी० 2) तथा कोल्हापुर में उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों की स्थापना का कार्य क्रमशः 2004 तथा 2005 में पूरा हो जाने की आशा है।

विवरण

झारखण्ड में टी०वी० ट्रांसमीटर

(क) उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	रांची
	रांची (डीडी-2)
	डाल्टनगंज
	जमशेदपुर
	जमशेदपुर (डीडी-2)
(ख) अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	बोकारो
	बोकारो (डीडी-2)
	चतरा
	देवगढ़
	धनबाद
	धनबाद (डीडी-2)
	दुमका
	गिरिडीह
	गोड्डा
	गुमला
	हजारीबाग
	कोडरमा
	लोहरडागा
	चाईबासा
	नौमंडी
	सरायकेला
	घाटशिला
	मुशाबानी
	बरहरवा
(ग) अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	गढ़वा (डीडी-2)
	सिमडेगा
(घ) ट्रांसपोंडर	रामगढ़ हिल

अग्नि-I की क्षमता

553. **श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन : क्या रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र अग्नि-I, जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 'ब्रह्मोस' का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रक्षेपास्त्र की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) अग्नि-I प्रक्षेपास्त्र का 700 कि०मी० की रेंज के लिए सड़क सचल लांचर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) विभिन्न प्लेटफार्मों से ब्रह्मोम की क्षमता सिद्ध करने के लिए इस समय उसके विभिन्न विकास-परीक्षण किए जा रहे हैं। इस प्रक्षेपास्त्र के परिचालन में आने से हमारी सशस्त्र सेनाओं की युद्धक क्षमता में काफी वृद्धि होगी।

क्षेत्रीय फिल्म के लिए वित्तीय सहायता

554. **श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय भाषाओं में बड़े पर्दे की फिल्म बनाने, टेलीफिल्म, वीडियो कैसैट्स इत्यादि बनाने हेतु कोई वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी वर्ष-वार, भाषा-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) पश्चिम क्षेत्र विशेषकर गुजरात, गुजरात की क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म बनाने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए किस राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की क्या भूमिका है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) हालांकि सरकार प्रत्यक्ष रूप से फिल्मों का वित्त पोषण नहीं करती, तथापि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य भारत में अच्छी गुणवत्ता के सिनेमा को बढ़ावा देना है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम क्षेत्रीय भाषाओं में फीचर फिल्में बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जहां तक दूरदर्शन का सम्बन्ध है, धनराशि की उपलब्धता और चैनलों की अपेक्षाओं पर निर्भर करते हुए प्रतीभावान और सक्षम निर्माताओं को टेली फिल्मों/वीडिया फिल्मों की कमीशनिंग के रूप में सीमित वित्तीय सहायता दी जाती है। तथापि, दूरदर्शन द्वारा पिछले तीन वर्षों में क्षेत्रीय भाषाओं में कोई कमीशनिंग नहीं की गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा व्यक्तियों/कम्पनियों को क्षेत्रीय भाषाओं में फीचर फिल्मों के निर्माण के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता निम्न प्रकार से है :–

वर्ष	फिल्म का नाम	भाषा
1	2	3
2001	मंसूर मियां	बंगला
	आर घोरा	बंगला
	साकी माजी	मराठी
2001-2002	आतातायी	बंगला
	मगुनी रा	उड़िया
	शगदा	
	तिलादानम	तेलुगू
	बब	कश्मीरी
	जमीला	तमिल
	हेमान्तर	बंगला
	पाखी	
	एक्ती नदिर	बंगला
	नाम	
	तोक झाल मिस्ती	बंगला
	वस्तुपुरुष	मराठी
2002-2003	संगीस्थनम	मलयालम
(जनवरी 2003 तक)	परिणामन	मलयालम
	अरिमपारा (वर्त)	मलयालम
	डांस लाइक ए मैन	अंग्रेजी/कन्नड

(ग) निगम द्वारा युवा और प्रतीभावान फिल्म निर्माताओं को वित्तीय सहायता अच्छी पट कथाओं के आधार पर दी जाती है जो एक पटकथा समिति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाती है। निगम बड़े पर्दे के लिए सभी क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों के लिए 35 लाख रुपये तक ऋण के रूप में वित्तीय सहायता देता है। तथापि, निगम ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में उनको गुजराती में कोई अच्छी पटकथा प्राप्त नहीं हुई है।

बंगलौर-हुबली शताब्दी एक्सप्रेस के ठहराव की मांग

555. **श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हवेरी में बंगलौर-हुबली शताब्दी एक्सप्रेस के ठहराव की कोई मांग है, और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) हवेरी में बंगलौर-हुबली जनशताब्दी एक्सप्रेस को ठहराव देने की जांच की गई है, परंतु, फिलहाल इसका कार्यान्वयन व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

प्रसार भारती पर बकाया धनराशि

556. **श्री नरेश पुगलिया :**
श्री वाई०वी० राव :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतरिक्ष विभाग ने प्रसार भारती को 500 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा है अथवा परिणाम भुगतने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) प्रसार भारती द्वारा इस समय कितने ट्रांसपोटरों का उपयोग किया जा रहा है; और

(घ) इस संबंध में क्या अंतिम निर्णय लिया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद) : (क) और (ख) प्रसार भारती (दूरदर्शन और आकाशवाणी) द्वारा 15 वर्षों से अधिक समय से अंतरिक्ष विभाग की इंसेट क्षमता का उपयोग किया जा रहा है। अंतरिक्ष विभाग ने केवल वित्तीय वर्ष 2001-2002 में ही प्रसार भारती से सूचना और प्रसारण मंत्रालय को आवंटित 22 इंसेट ट्रासपोडरों के भुगतान के संबंध में 2001-2002 के लिए 144 करोड़ रुपये और 2002-2003 के लिए 172 करोड़ रुपये की राशि के उपभोक्ता शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा है।

(ग) अंतरिक्ष विभाग द्वारा दूरदर्शन को आवंटित इंसेट उपग्रह पर 22 (बाइस) ट्रांसपोंडर और थाईकोम-३ पर 3 (तीन) ट्रांसमपोंडर और आकाशवाणी पर आवंटित इंसेट 3-सी पर 3 (तीन) ट्रांसपोंडर प्रयोग में हैं।

(घ) सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस मामले को अंतरिक्ष विभाग के साथ उठाया है और कहा है कि प्रसार भारती एक लोक प्रसारक है और इसका वाणिज्यिक राजस्व आकस्मिक है और यह इसके खर्चे का मात्र एक छोटा सा भाग होता है। इसको सरकार द्वारा काफी मात्रा में धनराशि दी जाती है। प्रसार भारती की सामाजिक वचन बद्धता के मौजूदा शासनादेश की दृष्टि से यह वांछनीय होगा कि इस मामले का समाधान अंतरमंत्रालयीय परामर्शों के माध्यम से किया जाए।

विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय सहायता

557. **श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत वितरण कंपनियों को केन्द्र सरकार से उनकी उन्नयन योजनाओं को लागू करने और बुनियादी ढांचा विकसित करने हेतु नई वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो सितम्बर, 2002 में कंपनियों को केन्द्र से सहायता के रूप में 400 करोड़ रुपये की पहली किश्त मिली है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन निजी कंपनियों को अब तक प्रदान की गई कुल सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन कंपनियों ने विद्युत क्षेत्र में सुधार हेतु कितनी धनराशि का उपयोग किया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) से (घ) त्वरित विद्युत विकास तथा सुधार कार्यक्रम (ए०पी०डी०आर० पी०) के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार ने निजी विद्युत वितरण कंपनियों को कोई वित्तीय सहायता जारी नहीं की है। बहरहाल, ए०पी०डी०आर०पी० के अंतर्गत कुछ राज्य यथा गुजरात और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने अपने प्रदेश में स्कीमों के क्रियान्वयन में निजी क्षेत्र यूटिलिटियों को लगाया है। भारत सरकार गैर-विशेष श्रेणी में, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्यों को 50% परियोजना सहायता उपलब्ध कराती है, जिसमें अनुदान तथा ऋण समान अनुपात में होता है। परियोजना लागत का शेष 50% ए०पी०डी०आर०पी० के अंतर्गत यूटिलिटीज अंडरटेकिंग स्कीमों द्वारा जुटाया जाता है। ऐसे मामलों में सहायता के लिए राज्यों को जहां एक ओर केन्द्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एम०ओ०यू०) पर हस्ताक्षर करने होते हैं वहीं दूसरी तरफ संबंधित निजी क्षेत्र यूटिलिटियों के साथ समझौता ज्ञापन (एम०ओ०ए०) पर हस्ताक्षर करने होते हैं। राज्य सरकारों को इस प्रयोजनार्थ अभी केन्द्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने हैं और इस प्रकार भारत सरकार द्वारा अभी कोई राशि इस प्रयोजनार्थ जारी नहीं की गयी हैं।

घातक हथियारों का उत्पादन

558. **श्री सुरेश रामराव जाधव :**
श्री ए०पी० जितेन्द्र रेड्डी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र में घातक हथियारों के उत्पादन को स्वीकृति दी है, जैसाकि दिनांक 29 दिसंबर, 2002 के 'दि हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में बिगड़ती सुरक्षा रिथति को ध्यान में रखते हुए इसे दुष्टों के हाथों में पड़ने से बचाने के लिए सुरक्षोपाय करने हेतु क्या नए कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) मई, 2001 में रक्षा उद्योग क्षेत्र, जो अब तक सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित था, को अब विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सहित शत-प्रतिशत भारतीय निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोल दिया है जो लाइसेंस के अधीन दोनों के लिए 26% तक स्वीकार्य है। भारतीय निजी क्षेत्र लाइसेंस लेकर अब सभी प्रकार के रक्षा उपस्करों का विनिर्माण कर सकते हैं। जैसाकि समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया गया है विभिन्न प्रकार के रक्षा उपस्करों के विनिर्माण के लिए मैसर्स लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड और मैसर्स महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लिमिटेड को आशय-पत्र दिया गया है।

(ग) लाइसेंस दिए जाने के वास्ते निजी उद्यमियों पर लागू किए जाने वाले नियमों के बारे में दिशा-निर्देश रक्षा मंत्रालय के परामर्श से औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा जनवरी, 2002 में जारी किए गए हैं। इसे शरारती तत्वों के दुरूपयोग से बचाने के लिए सरकार ने लाइसेंस जारी किए जाने के दिशानिर्देशों में समुचित उपायों को समाविष्ट किया है।

सुरक्षा प्रणाली की समीक्षा

559. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुरक्षा प्रणाली की समीक्षा हेतु हाल ही में रेलवे के महाप्रबंधकों की एक विशेष बैठक आयोजित हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन मानवीय चूकों की बढ़ती घटना को नियंत्रित करने हेतु कोई तकनीक इजाद की है जिसके कारण बड़ी-बड़ी रेल दुर्घटनाएं होती हैं;

(ग) क्या यह सच है कि लगभग तीन चौथाई रेल दुर्घटनाएं रेल कर्मचारियों की असफलता के कारण होती है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने निकट भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं का रोकने और बहुमूल्य मानव जीवन की रक्षा करने हेतु कौन सी तकनीक इजाद की है;

(ङ) क्या सरकार दुर्घटना के लिए जिम्मेदार पाए गए/दोषी पाए गए रेल अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कठोर विभागीय कार्रवाई करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, हां। 08.1.2003 को संरक्षा के संबंध में क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबंधकों की एक विशेष बैठक आयोजित की गई थी।

(ख) से (घ) मानवीय गलतियों के कारण हुई दुर्घटनाओं की संख्या निम्नलिखित है :–

	दुर्घटनाओं की कुल संख्या	रेल कर्मचारियों की गलती	रेल कर्मचारियों से भिन्न लोगों की गलती	रेल कर्मचारियों के कारण हुई दुर्घटनाओं का %	रेल कर्मचारियों और अन्य लोगों के कारण हुई दुर्घटनाओं का %
1999-2000	463	287	105	61.98%	84.66%
2000-2001	473	293	109	61.94%	84.99%
2001-2002	414	248	103	59.90%	84.78%

मानवीय गलतियों के कारण दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं :–

(i) रेलपथ ज्यामिति और रेलपथ की चालन विशेषताओं पर निगरानी रखने के लिए परिष्कृत रेलपथ अभिलेखन कारों, दोलनलेखी कारों और सुवाह्य त्वरणमापियों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

(ii) समूचे "ए", "बी", "सी", "डी" और "डी"-स्पेशल" मार्गों पर जहां गति 75 किमी० प्र०घं० से अधिक है, उल्लंघन चिह्न से उल्लंघन चिह्न तक रेल परिपथन का कार्य पूरा हो गया है शेष कार्य प्रगति पर है।

(iii) मुंबई के मुंबई उपनगरीय खंड पर सहायक चेतावनी प्रणाली ने काम करना शुरू कर दिया है।

(iv) 190 ब्लॉक खण्डों पर धुरा काउंटरों द्वारा अंतिम वाहन जांच शुरू किया गया है तथा और अधिक खंडों पर इसे लागू किया जा रहा है।

(v) उत्तर रेलवे पर पोटोटाइप ए०सी०डी० उपस्कर का परीक्षण पूरा हो गया है।

(vi) ड्राइवर/गार्ड और कंट्रोल के बीच डुप्लैक्स रेडियो संचार उपलब्ध कराने के लिए कुछेक महत्वपूर्ण खंडों पर डिजिटल

मोबाइल गाड़ी रेडियो संचार की आधुनिकतम प्रौद्योगिकी स्वीकृत की गई है।

(vii) ड्राइवरों और गार्डों को परम्परागत किरोसीन से प्रज्वलित हैंड सिगनल लैम्प के बदले उत्तरोत्तर बेहतर दृश्यता वाले एल०ई०डी० आधारित इलेक्ट्रोनिक फ्लैशिंग लैम्प और हैंड सिगनल लैम्प भी मुहैया कराया जा रहे हैं।

(viii) ड्राइवरों, गार्डों और गाड़ी प्रचालन से जुड़े कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं को आधुनिक किया जा रहा है जिसमें ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए सिमुलटरों का इस्तेमाल करना भी शामिल है। प्रशिक्षण केन्द्रों में अन्य आधुनिक प्रशिक्षणो साधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

(ix) गाड़ी प्रचालन से जुड़े कर्मचारियों के निष्पादन पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है और जिनमें कमी पाई जा रही है। उन्हें अल्पावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए भी भेजा जा रहा है।

(x) जोनल मुख्यालयों के अंत: अनुशासनिक दलों द्वारा विभिन्न मंडलों का आवधिक संरक्षा लेखा परीक्षा जांच शुरू की जा रही है।

(xi) ड्राइवरों द्वारा कार्यभर सम्भालते समय उनकी मद्य पान की जांच करने के लिए बेथलेजर परीक्षण।

(xii) अचानक जांच तथा छद्म जांच पर जोर दिया जाता है। सौंर्टकट उपाय की आदत को दूर करने के लिए नियमित रूप से रात के समय जांच की जाती है और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

(ङ) और (च) जांच रिपोर्टों में दोषी पाए जाने वाले रेल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। सेवा से निष्कासन/सेवा रद्द किए जाने तक के दंड लगाए जाते हैं।

अनुसूचित जाति की सूची से "मोची" समुदाय को हटाने के लिए प्रस्ताव

560. श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने 20 जनवरी, 2002 को भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री के साथ गुजरात की अनुसूचित जातियों की सूची से "मोची" समुदाय को हटाने से प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेने हेतु एक बैठक बुलाई थी जो जुलाई, 1977 से मंत्रालय के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय मंत्री ने राज्य सरकार को आश्वासन दिया है कि प्रस्ताव पर शीघ्र विचार किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार के पास प्रस्ताव के लंबित होने के क्या कारण हैं; और

(घ) प्रस्ताव पर कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा संजय पासवान) : (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, गुजरात सरकार ने "मोची" समुदाय के संबंध में क्षेत्र प्रतिबंध लगाने और उसे अनुसूचित जाति की सूची में केवल डेंग्स जिले और वलसाड जिले के उमर गांव तालुका में ही में रखने का प्रस्ताव किया। राज्य सरकार ने समूचे गुजरात राज्य में अनुसूचित जातियों की सूची से "मोची" समुदाय को हटाने का प्रस्ताव नहीं किया। संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2002 में यथा समाविष्ट अनुसूचित जातियों की सूची में आशोधन के अन्य प्रस्तावों के साथ-साथ इस प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विचार किया गया और पारित किया गया। संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 भारत के राजपत्र, असाधारण में 18.12.2002 को प्रकाशित किया गया है।

बिरूपा और महानदी पर रेल पुल का निर्माण कार्य

561. श्री अनंत नायक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में बिरूपा और महानदी पर दूसरे रेल पुल का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन दोनों परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति क्या है; और

(ग) इन दोनों रेल परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि स्वीकृत करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) बिरूपा पुल के लिए ठेका प्रदान कर दिया गया है और उपसंरचना का कार्य चल रहा है। जहां तक महानदी पुल का संबंध है, परामर्शदाताओं ने विस्तृत अभिकल्प तथा ड्राइंग प्रस्तुत कर दिया है।

(ग) महानदी पुल के लिए वित्त पोषण एशियाई विकास बैंक के माध्यम से किया गया है। बिरूपा पुल का कार्य भी 'राष्ट्रीय रेल विकास योजना' में शामिल है।

[हिन्दी]

सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की उत्पादन लागत

562. **डा० सुशील कुमार इन्दौरा :**
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी कंपनियों में पेट्रो उत्पादों की उत्पादन लागत अलग-अलग है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2001-02 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी कंपनियों में पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल, नाफ्था और प्राकृतिक गैस की औसत उत्पादन लागत कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने उत्पादन लागत में भिन्नता के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) तेल शोधन के एक बहु उत्पाद उत्पादन वाला सतत प्रसस्करण उद्योग होने के नाते इसके उत्पादन की उत्पादवार लागत आकलित नहीं की जाती है। उत्पादन की समग्र लागत कंपनी दर कंपनी भिन्न होती है। प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था के समापन के बाद तेल कंपनियों की उत्पादन लागत की सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है। तथापि, एक स्वतंत्र बाजार परिदृश्य के अंतर्गत तेल कंपनियां उत्पादन लागत को न्यूनतम करने के लिए विवश होंगी।

[अनुवाद]

तिरूर नदी पर रेल पुल की जर्जर स्थिति

563. **श्री जी०एम० बनातवाला** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के पलक्कड रेल मंडल में तिरूर स्थित तिरूर नदी पर पुराना रेल पुल जर्जर स्थिति में है;

(ख) क्या केरल सरकार रेल पुल की गंभीर स्थिति के बारे में राज्य पुलिस विभाग की खुफिया रिपोर्ट केन्द्र सरकार की जानकारी में लायी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार ने पुल की शीघ्र मरम्मत अथवा उनका पुनर्निमाण कराने के लिए क्या कार्रवाई की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (घ) दक्षिण रेलवे के पालघाट मंडल के शोरुवप्पूर कालिकट खंड में किमी० 623/900-624/00 पर तिरूर नदी पर रेल पुल सं० 873 (5x19.5 मी० गर्डर पुल) जीर्ण क्षीर्ण स्थिति में नहीं है। आवश्यक निरीक्षण के दौरान, तटबंध सं० 2 की स्केयर रिटर्न दीवार में थोड़ा सा उभार पाया गया था और इसकी मरम्मत एवं पुनर्स्थापन के लिए कार्रवाई की गई थी। केरल के मुख्य मंत्री ने दिनांक 20.12.2002 के अपने ज्ञापन के माध्यम से मामले पर ध्यान दिलाया है। बहरहाल, दक्षिण रेलवे द्वारा यथा अपेक्षित मरम्मत/पुनर्स्थापना कर दी गई है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लोगों की नियुक्ति

564. **श्री रामदास आठवले** : क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों और उपक्रमों में विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के कुछ पद खाली पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इन विभागों और उपक्रमों में सेवारत कर्मचारियों को प्रोन्नत किया गया है अथवा नई भर्ती की गई है;

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त अवधि के दौरान और चालू वर्ष तथा आज तक विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत की गई नई नियुक्तियां का वर्ष-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की भर्ती और पदोन्नति के संबंध में निर्धारित मानदंड अपनाए गए हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये गए हैं?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बाला साहिब विखे पाटील) : (क) से (च) भारी उद्योग तथा लोक उद्यम मंत्रालय के अधीन भारी उद्योग विभाग, लोक उद्यम विभाग और प्रचालनात्मक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 308 पद रिक्त पड़े हैं।

नियुक्ति/पदोन्नति एक सतत प्रक्रिया है। हालांकि पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में की गई नई नियुक्तियों का श्रेणीवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

श्रेणी	2000	2001	2002	2003
क.	406	57	327	1
ख.	–	6	15	2
ग.	36	26	65	2
घ.	9	–	28	–

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती और पदोन्नति के संबंध में निर्धारित मानदंड अपनाए जाते हैं।

[अनुवाद]

बुजुर्गों के लिए टेलीफोन हेल्पलाइन

565. श्री रमेश चेन्नितला : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, अहमदाबाद और भुज में बुजुर्गों के लिए एक टेलीफोन हेल्पलाइन की शुरूआत की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर 'बुजुर्गों' की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस योजना को अन्य नगरों में भी शुरू किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० संजय पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली में एक हेल्पलाइन 1999-2000 में आरंभ की गई थी। अहमदाबा और भुज में दो हेल्पलाइनें वर्ष 2000-01 में शुरू की गई। इसके अतिरिक्त, 31.1.2003 तक लगभग 71,257 कॉले की गईं। 31.1.2003 तक वृद्धि व्यक्तियों से प्राप्त प्रत्युत्तर में कॉलें/मुलाकात 24,328 है, 6424 फार्म एकत्रित किए गए तथा 2672 फार्म/जीवनवृत्त प्रस्तुत किए गए।

(ग) इस समय योजना का विस्तार अन्य नगरों को नहीं किया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) आगे कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप के आवंटन के मानदंडों में परिवर्तन

566. श्री शिवाजी माने : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बड़े पैमाने पर आवंटन को रद्द करने के मद्देनजर पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप के आवंटन हेतु मौजदा मार्ग-निर्देशों में परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या नये मार्ग-निर्देश तैयार कर लिये गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) संशोधित मार्ग-निर्देश कब तक लागू किये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) 1.4.2002 से पेट्रोलियम क्षेत्र में प्रशासित मूल्य निर्धारण प्रणाली की समाप्ति के फलस्वरूप पेट्रोलियम उत्पादों के डीलरों/ डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन तेल विपणन कंपनियों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों के अनुसार स्वयं किया जाएगा।

स्क्रैप की बिक्री

567. श्री सुनील खां : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान लौह स्क्रैप और रोलिंग स्टॉक की बिक्री के माध्यम से रेलवे को वर्षवार कितनी आय अर्जित हुई है;

(ख) क्या रेलवे ने रेलवे की मांग को पूरा करने हेतु रि-रॉलिंग के लिए 'सेल' को स्क्रैप' भेजने का कभी प्रयास किया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान लौह स्क्रैप और चल स्टाक की बिक्री से रेलवे को हुई आमदनी का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

		2000-01	2001-02	2002-03 (दिसंबर, 02 तक) (करोड़ रुपये में)
1.	लौह स्क्रैप	687	717	515
2.	चल स्टाक	173	126	72

(ख) से (घ) जी, हां, परन्तु सेल ने रेलवे के स्क्रैप को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि यह उनकी आवश्यकता के अनुरूप नहीं था।

ओ०एन०जी०सी० का आई०ओ०सी०एल० के साथ विलय

568. **श्री परसुराम माझी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास ओ०एन०जी०सी० का इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड में विलय संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इन तेल कंपनियों के विलय के पीछे क्या उद्देश्य है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) सरकार के पास आयल एवं नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ०एन०जी०सी०) का इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई०ओ०सी०एल०) में विलय संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

मोहम्मदपुर वल्लभी गांव स्थित नया रेलवे स्टेशन

569. **डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मोतीपुर और मछुआल रेलवे स्टेशन के बीच मोहम्मदपुर वल्लभी गांव स्थित एक नये रेलवे स्टेशन की स्थापना हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या मोहम्मदपुर वल्लभी गांव एक नये रेलवे स्टेशन की स्थापना हेतु सभी मानदंडों को पूरा करता है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त गांव में नये रेलवे स्टेशन की स्थापना के संबंध में कब तक मंजूरी प्रदान किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं। मोहम्मदपुर वल्लभी गांव में नया रेलवे स्टेशन खोलना वित्तीय दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं है। दोनों साइड के स्टेशन अर्थात् मोतीपुर और महुअल क्रमशः 3 और 4 कि०मी० की दूरी पर स्थित है। हाल्ट स्टेशन खोलने से परिचालनिक कठिनाइयां उत्पन्न होंगी।

[अनुवाद]

एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में लघु सिनेमा थिएटर

570. **श्री वाई०वी० राव : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में लघु सिनेमा थिएटर स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इनके किन-किन रेलगाड़ियों में स्थापित किये जाने की संभावना है;

(ग) इससे कुल कितनी आय के अर्जित होने की संभावना है;

(घ) क्या यह सुविधा रेलगाड़ी के एक सवारी डिब्बे अथवा अतिरिक्त सवारी डिब्बे की लागत पर उपलब्ध करायी जाएगी; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (ङ) एक मिनी वातानुकूलित सिनेमा थियेटर कार का निर्माण करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यह विचाराधीन है और ऐसी सेवा मुहैया कराने हेतु तकनीकी-वाणिज्यिक व्यावहारिकता की जांच की जा रही है। लागत, आमदनी, गाड़ियों आदि के ब्यौरे का मूल्यांकन प्रस्ताव की विस्तृत जांच के बाद ही किया जा सकता है।

छोटी रेल दुर्घटनाओं को दबा देना

571. **श्री ए० वेंकटेश नायक :**
श्री अशोक ना० मोहोल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक छोटी रेल दुर्घटनाओं को दबा दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

टर्किश पेट्रोलियम ओवरसीज कंपनी के साथ ओ०एन०जी०सी० विदेश लिमिटेड का समझौता

572. **श्री गुनीपाटी रामैया** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओ०एन०जी०सी० और विदेश लिमिटेड ने लीबिया में तेल और गैस की खोज में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए टर्किश पेट्रोलियम ओवरसीज कंपनी के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन स्थानों पर खोज शुरू की जाएगी; और

(घ) विदेशों में अन्य किन-किन क्षेत्रों में कंपनी की ऐसी चालू परियोजनाएं हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) ओ०एन०जी०सी० विदेश लिमिटेड (ओ०वी०एल०) ने लीबिया में जमीनी अन्वेषण ब्लाक एन०सी०-188 तथा एन०सी०-189 में 49 प्रतिशत प्रतिभागिता हित प्राप्ति के लिए 22.8.2002 को टर्किश पेट्रोलियम ओवरसीज कंपनी, जो टर्की की राष्ट्रीय तेल कंपनी की एक सहायक कंपनी है, के साथ एक फार्म-आउट करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) ब्लाक एन०सी०-188 राजधानी त्रिपोली के लगभग 250 किलोमीटर दक्षिण घादम्स बेसिन में स्थित है, जब कि ब्लाक एन०सी०-189 राजधानी के लगभग 800 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व सिर्ते बेसिन में स्थित है।

(घ) वर्तमान में ओ०वी०एल० के पास ईरान के अपतट, इराक के पश्चिमी रेगिस्तान, म्यांमार के अपतट, रूस में सखालीन तथा दक्षिण लौसियाना, संयुक्त राज्य अमरीका में जारी परियोजनाएं हैं।

पेट्रोलियम उत्पादों की फिल्टर सूची

573. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता के बारे कोई संदेह होने के मामले में "फिल्टर टेस्ट" करने के लिए अनुमति प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या फिल्टर टेस्ट कराने के लिए कहे जाने के संबंध में उपभोक्ताओं की संख्या दर्शाने के लिए पेट्रोल पंपों पर कोई रिकार्ड रखा जाता है;

(ग) जब पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता पर संदेह हो तो सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रम ग्राहकों को इस परीक्षण का लाभ उठाने के लिए कितना प्रोत्साहन दे रहे हैं;

(घ) क्या पेट्रोल पंप पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता परीक्षण करने की उपभोक्ताओं को अनुमति नहीं देते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है कि उपभोक्ता निर्बाध रूप से परीक्षण करें?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) पेट्रोल पंपों पर ऐसा कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(ग) तेल विपणन कंपनियां आवधिक रूप से गुणवत्ता और मात्रा सुनिश्चय और ग्राहक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करती है और पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में ग्राहकों को शिक्षित करने के लिए पत्रिकाएं और पोस्टर जारी करतीं हैं।

(घ) ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है जिसमें कि पेट्रोल पंपों द्वारा ग्राहकों को फिल्टर टेस्ट करने से मना किया गया हो।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

3-टीयर वातानुकूलित सवारी डिब्बा

574. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार कितनी रेलगाड़ियों में III-टीयर वाजानुकूलित सवारी डिब्बे उपलब्ध है; और

(ख) चालू वर्ष में किन-किन रेलगाड़ियों में III-टीयर वातानुकूलित सवारी डिब्बों के जोड़े जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) इस समय 314 जोड़ी गाड़ियों में एसी III-टीयर सवारी डिब्बे उपलब्ध है।

(ख) यातायात की मांग, परिचालनिक व्यावहारिकता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर लंबी दूरी की रात्रिकालीन गाड़ियों में वा०कू० III-टियर के सवारी डिब्बों की व्यवस्था करना एक सतत प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय रेल विकास योजना के अंतर्गत परियोजनाएं

575. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :**
श्री एन० जनार्दन रेड्डी :
श्री रामनायडू दग्गुबाटि :
श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने दिसंबर, 2002 के अंतिम सप्ताह में राष्ट्रीय रेल विकास योजना के अंतर्गत राष्ट्र को तीन योजनाएं समर्पित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं हेतु कितनी धनराशि के खर्च होने की संभावना है और धनराशि के क्या स्रोत है;

(घ) राष्ट्रीय रेल विकास योजना को चलाने के लिए विशेष उद्देश्य हेतु वाहन (एस०पी०वी०) ने काम करना शुरू कर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कब तक कार्य करने की संभावना है; और

(च) इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, हां। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 दिसंबर, 02 को तीन परियोजनाओं का उदघाटन करते हुए राष्ट्रीय रेल विकास परियोजना का शुभारंम्भ किया।

(ख) ये परियोजनाएं इस प्रकार है : (i) मुंगेर में रेल एवं सड़क पुल का निर्माण। (ii) गुत्ती-पुल्लमपेट लाइन का दोहरीकरण (iii) गांधीधाम-पालनपुर का आमान परिवर्तन।

(ग) इन तीन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 1570 करोड़ रुपये है। इन परियोजनाओं में वित्त व्यवस्था की योजना निम्नानुसार है :

- गुत्ती-पुल्लमपेट लाइन – ए०डी०बी० रेलवे क्षेत्र के ऋण के अंतर्गत शामिल किया गया।
- मुंगेर में रेल एवं सड़क पुल का निर्माण – विश्व बैंक से निधि प्राप्त करने की योजना बनाई गई है।
- गांधीधाम-पालनपुर का आमान परिवर्तन – एस०पी०वी० रूट के माध्यम से इस परियोजना के लिए निधि प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) 24.1.03 को रेल विकास निगम लिमिटेड नामक मुख्य उद्देश्यीय वाहन का पंजीकरण किया गया है।

(ङ) तीन अंशकालिक निदेशकों को नामित किया गया है। पूर्णकालिका निदेशकों के पदों के सृजन संबंधी प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है। कार्य शुरू करने का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जा रहा है।

(च) बजटीय और गैर-बजटीय संसाधनों के मिश्रण से इन परियोजनाओं की निधि की योजना बनाई जा रही है।

रेल सुरक्षा प्रणाली में रिक्तियां

576. **डा० मंदा जगन्नाथ :**
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
डा० (श्रीमती) सी० सुगुणा कुमारी :
श्री के० येरननायडू :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल सुरक्षा प्रणाली में कोई बकाया रिक्त पद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी-वार संख्या कितनी है;

(ग) इन रिक्तियों के कब तक भरे जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने सिकंदराबाद-मनमाड एक्सप्रेस दुर्घटना के बाद सुरक्षा के मामले में जिम्मेदारी निर्धारित करने संबंधी कोई निर्णय लिए है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) अविलंबनीय सुरक्षा कार्य करने और टकराव रोधी प्रणाली स्थापित करने हेतु क्या कार्रवाई की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (ग) जी, हां। रिक्तियों का उत्पन्न होना और उन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया है और इन रिक्तियों को सीधी भर्ती या सेवारत कर्मचारियों की पदोन्नति करके भरा जाता है। हालांकि, किसी एक समय में इस निरंतर प्रक्रिया में कुछ रिक्तियां होने की संभावना हो सकती है तथापि सरकार की नीति, रिक्तियों को तुरंत भरने की है। बहरहाल, संरक्षा कोटियों में 1.1.2003 को रिक्त पदों की संख्या के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) से (च) जी हां, संरक्षा पर क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबंधकों की एक विशेष बैठक हाल ही में बुलाई गई थी जिसमें विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था जिनमें निम्नलिखित भी शामिल है :

(i) संरक्षा संबंधी निर्माण कार्यों के लिए महाप्रबंधकों की वित्तीय शक्ति को बढ़ाना;

(ii) महाप्रबंधक तथा मंडल रेल प्रबंधक के स्तर पर गहन पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण।

(iii) अधिक प्रभावी एवं गहन निरीक्षण।

(iv) रेल संरक्षा समीक्षा समिति की सिफारिश के अनुसार संरक्षा संगठन को अधिक सुदृढ़ बनाना।

(v) सतर्कता विभाग द्वारा दी गई सलाह के अनुसार दण्ड देने के लिए संरक्षा शाखा को शक्तियां प्रदान करना।

(vi) क्षेत्र परीक्षणों के सफलतापूर्वक पूरा होने पर टक्कर रोधी उपकरण लगाना।

एजेंटों पर प्रतिबंध को हटाया जाना

577. **श्री पवन कुमार बंसल :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्षा सौदों में एजेंटों पर प्रतिबंध को समाप्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एजेंटों के माध्यम से रक्षा खरीद के लिए कोई मार्ग-निर्देश तैयार किए गए हैं अथवा प्रस्तावित हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) विदेशी पूर्तिकारों द्वारा अपने उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु नियुक्त प्रतिनिधियों/एजेंटों/बिक्री परामर्शदाताओं द्वारा वैधानिक रूप से निभाई जाने वाली भूमिका, यदि कोई हो, के तुलनात्मक सूत्रीकरण पर सरकार काफी समय से विचार कर रही थी। संपूर्ण नीति की, उसके कार्यक्षेत्र, विस्तार और शर्तों, जिनके अंतर्गत प्राधिकृत प्रतिनिधि/एजेंटों को विदेशी पूर्तिकार/पूर्तिकारों का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जाए, को निर्धारित करने के लक्ष्य में व्यापक रूप से पुनरीक्षा की गई है।

इस पुनरीक्षा के आधार पर तथा संपूर्ण अधिप्राप्ति प्रक्रिया में अत्यधिक पारदर्शिता लाने के लिए और यह महसूस करते हुए कि प्राधिकृत प्रतिनिधि/एजेंट होने से सेवाओं के परिदान और बाद की संविदागत बाध्यताओं पर अनुवर्ती कार्रवाई करने में सुधार आएगा, रक्षा मंत्रालय ने विदेशी पूर्तिकारों के भारतीय प्राधिकृत प्रतिनिधि/एजेंट नियुक्त करने के संबंध में 2 नवंबर, 2001 को पूरक अनुदेश जारी किए हैं। प्राधिकृत प्रतिनिधि अद्यतन प्रौद्योगिकियों की जानकारी उपलब्ध कराएंगे, परीक्षणों के दौरान सहायता देंगे और संविदा के बाद की सेवाओं में सहायता देंगे।

इन अनुदेशों की विशेष बातें इस प्रकार हैं :

(क) ऐसे अभी विदेशी पूर्तिकार, जो भारतीय प्राधिकृत प्रतिनिधि/एजेंट नियुक्त करना चाहते हैं, उन्हें रक्षा मंत्रालय के पास पंजीकृत कराएंगे।

(ख) प्राधिकृत प्रतिनिधि/एजेंट एक व्यक्ति, एक भागीदार, व्यक्तियों का संगम, एक लिमिटेड कंपनी प्राइवेट या सार्वजनिक हो सकता है।

(ग) एजेंट आयकर दाता होना चाहिए।

(घ) एजेंट नियुक्त करने वाला विदेशी पूर्तिकार करार/नियुक्ति की शर्तों के ब्यौरों की प्रतियां प्रस्तुत करेगा।

(ङ) प्राधिकृत प्रतिनिधि/एजेंट की बाध्यताएं रक्षा मंत्रालय के साथ की गई संविदा से तैयार की जाएंगी।

(च) विदेशी पूर्तिकार को प्राधिकृत प्रतिनिधि/एजेंट को किए गए भुगतान की घोषणा करनी होगी।

(छ) एजेंसी कमीशन से संबंधित ब्यौरे की सूचना केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के प्रवर्तन निदेशालय को दी जाएगी।

(ज) एजेंट की नियुक्ति विभाग के सचिव के अनुमोदन से की जाएगी।

(झ) एजेंट प्राधिकृत कार्मिक के अलावा अन्य किसी से कोई व्यापारिक सम्पर्क नहीं रखेंगे।

(ञ) रक्षा मंत्रालय को बिना कोई सूचना दिए अथवा कारण निर्धारित किए प्राधिकृत प्रतिनिधि/एजेंट की नियुक्ति को समाप्त करने का अधिकार होगा।

[हिन्दी]

बिहार में मिलावटी पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति

578. **श्री राजो सिंह :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार में भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन द्वारा मिलावटी पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति के संबंध में शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं। सरकार को बिहार राज्य में भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बी०पी०सी०एल०) द्वारा मिलावटी डीजल/पेट्रोल की आपूर्ति के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सहयोग के लिए रूस के साथ समझौता

579. **श्री बसुदेव आचार्य :**
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री अधीर चौधरी :
श्री प्रियरंजन दास मुंशी :
श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री जय प्रकाश :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में रूस का दौरा किया है और वहां के विभिन्न नेताओं से बातचीत की है; और

(ख) यदि हां, तो की गई बातचीत का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) और (ख) रक्षा मंत्री ने सैन्य तकनीकी सहयोग संबंधी भारत-रूस अंतरशासकीय आयोग की 15-17 जनवरी, 2003 को मास्को में आयोजित तीसरी बैठक की सह-अध्यक्षता करने के लिए रूस का दौरा किया। रक्षा मंत्री ने इस दौरे के दौरान रूस के विदेश मंत्री तथा रूस के रक्षा मंत्री के साथ आपसी हित के विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत की। इस बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने आतंकवाद की समस्या सहित वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के संबंध में विचारों की समरूपता के आधार पर जारी भारत-रूस सामरिक संबंधों के प्रति अपनी वचनबद्धता की पुन: पुष्टि की तथा इन्हें और मजबूत बनाया।

शेल गैस बी०वी० द्वारा रॉयल्टी की मांग

580. **श्रीमती प्रभा राव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शैल गैस बी०वी० ने हाजिरा पोर्ट में प्रति वर्ष 2.5 मिलियन मीट्रिक टन तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनल और एल०एन०जी० प्राप्त करने वाली टर्मिनल परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए अपनी दो अनुषंगी इकाइयां स्थापित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या शेल गैस बी०वी० प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए 16.08 मिलियन की रॉयल्टी मांग रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस कंपनी द्वारा मांगी गई रॉयल्टी कथित रूप से बहुत अधिक है;

(घ) यदि हां, तो क्या रॉयल्टी संबंधी सवाल को सुलझा लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो कंपनी को रॉयल्टी की यह राशि दिए जाने पर सहमति हो गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) शैल समूह की कंपनियों नामत: मैसर्स हजीरा एल०एन०जी० प्राइवेट लि० और मैसर्स हजीरा पोर्ट प्राइवेट लि० ने अनुमोदित प्रौद्योगिकी लाइसेंस करार के अनुसार अपनी विदेशी सहयोगी मैसर्स शैल गैस बी०वी० द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रौद्योगिकी के लाइसेंस के मूल्य के रूप में क्रमश: 5,42,800 यूरो और 10,647,000 यूरो के एकमुश्त लाइसेंस शुल्क के भुगतान के लिए अनुमति मांगी थी। लाइसेंस शुल्क की यह राशि समग्र परियोजना लागत के तहत शामिल थी और इसका निर्धारण वाणिज्यिक दृष्टिकोण के आधार पर किया जाता है और इस प्रयोजन के लिए प्रौद्योगिकी लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर किए गए। विधिवत विचार-विमर्श के बाद सरकार ने उपर्युक्त लाइसेंस शुल्क के भुगतान के लिए अनुमति प्रदान कर दी है।

निर्यात हेतु गैस और तेल का स्रोत

581. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस और तेल के निर्यात हेतु इसके नए स्रोतों का पता लगाने के लिए कोई आपातकालीन योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना में गैस और तेल के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई प्रावधान किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) घरेलू उत्पादन की सहायता से तेल और गैस के विकल्पों का पता लगाने के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) देश में तेल एवं गैस उत्पादन बढ़ाने तथा विदेश से निश्चित दर पर मांग के अनुरूप तेल भंडार प्राप्त करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें निम्नांकित सम्मिलित हैं :–

(1) बर्द्धित तेल निकासी (ई०ओ०आर०)/उन्नत तेल निकासी (आई०ओ०आर०) योजनाओं का क्रियान्वयन करके विद्यमान प्रमुख क्षेत्रों से निकासी घटक सुधारना, विशेषतया आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ० एन० जी०सी०) ने 10,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश पर इस प्रयोजनार्थ 15 क्षेत्रों में कार्य आरंभ किया है, जिससे इन क्षेत्रों से तेल उत्पादन को तेज करने में भी मदद मिलेगी।

(2) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन०ई०एल०पी०) के माध्यम से अन्वेषण प्रयासों की वृद्धि करना, एन०ई०एल० पी० के प्रथम तथा द्वितीय दौरों के तहत 47 ब्लाकों के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एन०ई०एल०पी०-3 के तहत 27 अन्वेषण ब्लाकों के प्रस्ताव की भी मार्च, 2002 में घोषणा की गई थी तथा बोली समापन तारीख अर्थात् 28.8.2002 तक 23 ब्लाकों के लिए कुल 45 बोलियां प्राप्त हुई हैं।

(3) संबद्ध नए क्षेत्रों, विशेषतया गहरे समुद्र एवं दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्वेषण करना, साथ ही उत्पादनशील क्षेत्रों की और अधिक गहरी परतों में भी अन्वेषण करना।

(4) नए खोजे गए क्षेत्रों का और अधिक तेजी से विकास करने तथा उत्पादनशील क्षेत्रों में भूकंपीय सर्वेक्षणों, वर्क ओवर, स्टिम्यूलेशन प्रचालनों, कूपों इत्यादि के वेधन के लिए नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग को तेज करने के लिए।

(5) विदेश में रकबे प्राप्त करना, ओ०एन०जी०सी०-विदेश लि० (ओ०वी०एल०), जो आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि० (ओ०एन०जी०सी०) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, ने वियतनाम, म्यांमार तथा इराक में विदेश स्थित अन्वेषण एवं उत्पादन परियोजनाओं के अंतर्गत प्रतिभागिता हित प्राप्त किए हैं। वर्ष 2001 में ओ०वी०एल० ने लगभग 1.74 बिलियन अमरीकी डालर (लगभग 8,500 करोड़ रुपए) के अनुमानित निवेश से रूस की सखालिन-1 परियोजना में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी प्राप्त की।

(ङ) देश के कुछ भागों में 5 प्रतिशत एथेनोल मिश्रित पेट्रोल आरंभ किया गया। जून, 2003 की समाप्ति तक इस कार्यक्रम के तहत नौ राज्यों और चार संघ शासित राज्यों को शामिल किए जाने की आशा है।

पाइपलाइन परियोजना में स्टील पाइपों का प्रयोग

582. **श्री पी०डी० एलानगोवन** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों द्वारा शुरू की गई पाइपलाइन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनमें कुल कितनी दूरी में और कितने मूल्य के स्टील पाइप बिछाए गए हैं;

(ख) इन पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए परियोजना-वार लम्बवत् रूप से और वृत्ताकार रूप से कितनी दूरी में पाइप बिछाए गए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में देश में तेल और गैस परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कुल कितने और कितने मूल्य के स्टील पाइप आयात किए गए और किन-किन देशों से ये आयात किए गए?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

आंध्र प्रदेश में एल०पी०जी० कनेक्शन

583. **श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अपनी दीपम योजना के माध्यम से एल०पी०जी० कनेक्शन देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को राजसहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना का लाभ अन्य राज्यों को भी देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार ने, घरेलू एल०पी०जी० जो देश भर में प्रदान की जा रही है पर सामान्य सब्सिडी के सिवाय आंध्र प्रदेश राज्य में दीपंथ योजना के तहत केवल एल०पी०जी० कनैक्शन जारी करने के लिए कोई सब्सिडी नहीं दी है।

गुजरात को मिट्टी का तेल

584. **श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :**
श्री पी०एस० गढ़वी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में, विशेषकर कच्छ के पिछड़े जिलों में, बिजली की कमी के कारण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की मांग लगातार बढ़ रही है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार मिट्टी के तेल की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु गुजरात को सक्षम बनाने के लिए वहां के सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिट्टी तेल का आबंटन करती है। गुजरात की राज्य सरकार, सरकार द्वारा किए गए आबंटन के भीतर शहरी, ग्रामीण और सूखा संभावित क्षेत्रों आदि को उत्पाद का वितरण करती है।

(ख) सरकार को गुजरात सरकार से मिट्टी तेल के कोटे में वृद्धि करने के लिए ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हैदराबाद-बंगलौर एक्सप्रेस का पटरी से उतरना

585. **श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :**
श्री सी० श्रीनिवासन :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसंबर, 2002 में हैदराबाद-बंगलौर एक्सप्रेस कुर्नूल में पटरी से उतर गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना में मारे गए लोगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) रेल लाइनों पर निरंतर निगरानी रखने के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, हां। दक्षिण मध्य रेलवे के गुंतकल मंडल पर पेंडेकल्लू तथा पगीदेरै स्टेशनों के बीच 21.12.2002 को काचीगुडा-बैंगलूरू एक्सप्रेस पटरी से उतरी थी जिसमें 19 व्यक्तियों की जाने गई तथा 78 व्यक्तियों को चोटें आई।

(ग) और (घ) दक्षिण मध्य सर्किल के रेल संरक्षा आयुक्त ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला कि "रेलवे कर्मचारियों से इतर व्यक्तियों द्वारा रेलपथ से छेड़छाड़ करने" के कारण यह दुर्घटना हुई।

(ङ) राज्य पुलिस के साथ निकटतम संपर्क शुरू किया गया है।

ग्रिड का फेल होना

586. **श्री नरेश पुगलिया :**
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री अधीर चौधरी :
श्री भास्करराव पाटील :
डा० चरणदास महंत :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 2002 में राजधानी और उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति ग्रिड के फेल होने से बाधित हुई थी जैसाकि 24 दिसम्बर, 2002 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं कि भविष्य में ग्रिड इस तरह फेल नहीं हो सके?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी एवं उत्तरी भारत में 22-23 दिसंबर, 2002 को उत्तरी क्षेत्रीय प्रणाली में अत्यधिक कोहरे के साथ-साथ इंसुलेटर पर प्रदूषणकारी तत्वों के जमा होने के कारण हुई गड़बड़ी की वजह से 400 के०वी० और 220 के०वी० के अनेक लाईनों के ट्रिपिंग होने के कारण आंशिक ग्रिड बाधा (ग्रिड कलैप्स नहीं) के परिणामस्वरूप विद्युत आपूर्ति बाधित हुई थी।

(ग) और (घ) आंशिक ग्रिड बाधा के कारणों का पता लगाने तथा इस ग्रिड बाधा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुधारकारी

उपाय सुझाने के लिए सदस्य सचिव, उत्तरी क्षेत्रीय विद्युत बोर्ड (एन०आर०ई०बी०) की अध्यक्षता में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा एक समिति गठित की गई, जहां समिति में दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, उत्तरी क्षेत्रीय लोड डिस्पैच केन्द्र, भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड और बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र (एन०टी०पी०सी०) के सदस्य भी शामिल थे। समिति द्वारा के०वि०प्रा० के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना शेष है।

रक्षा विभाग की भूमि से अतिक्रमण हटाया जाना

587. **श्री वी० वेत्रिसेलवन :**
प्रो० दुखा भगत :
श्री बीर सिंह महतो :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रक्षा विभाग की भूमि से किस सीमा तक अतिक्रमण हटाया गया है और कहां पर यह अतिक्रमण हटाया गया है; और

(ख) अतिक्रमण को शीघ्र हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है तथा इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) अतिक्रमण हटाने के लिए छावनी अधिनियम, 1924 तथा सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाती है। कुछ अतिक्रमण अदालत में विचाराधीन हैं इसलिए इन्हें हटाए जाने पर न्यायालय के आदेश के अनुसार कार्रवाई होगी।

निधि का उपयोग

588. **श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथियारों की खरीद के लिए 3000 करोड़ रुपए अनुप्रयुक्त पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो हथियारों की खरीद के लिए इस धन का उपयोग न किए जाने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ङ) यदि हां, तो दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) हथियारों और हथियार प्रणाली की खरीद के लिए स्थापित अव्यपगतनीय कोष में अब तक कितनी धनराशि हस्तांतरित की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (ङ) सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण हेतु शस्त्र प्रणालियों और उपस्करों की अधिप्राप्ति के लिए बहुत सारे प्रस्ताव, तकनीकी मूल्यांकन/परीक्षण एवं कीमतों और संविदागत शर्तों आदि को अन्तिम रूप दिए जाने जैसी अधिप्राप्ति प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। ऐसे प्रस्तावों के लिए उपलब्ध कराई गई निधियों का उपयोग इन चरणों को पूरा किए जाने पर तथा संविदागत शर्तों के अनुसार भुगतान किए जाने पर ही किया जा सकता है। इन सभी चरणों को सरकार द्वारा अकेले ही पूरा नहीं किया जा सकता है।

(च) किसी गैर-व्यपगत होने वाली निधि को बनाए जाने के किसी प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है और इस लिए किसी राशि को ऐसी निधि में अन्तरित नहीं किया गया है।

दैंतारी-बांसपानी रेल लाइन

589. **श्री अनन्त नायक** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में दैंतारी-बांसपानी लाइन को पूरा करने के लिए 31 मार्च, 2003 की समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख में इस परियोजना पर क्या प्रगति हुई है; और

(ग) इस लाइन के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बांसपानी से जोरूली (11 किमी०) लाइन पूरी हो गई है। शेष खंड पर, मिट्टी संबंधी, पुल संबंधी और अन्य संबद्ध कार्य चल रहे हैं। जोरूली से क्योंझर (48 कि०मी०) खंड को 2002-2003 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना का कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए धन की व्यवस्था एशियन डवेलपमेंट बैंक से की गई है।

[हिन्दी]

दिल्ली में रिंग रेल सेवा

590. **श्री रामदास आठवले** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में पर्यावरण में सुधार और सड़कों पर भीड़भाड़ को कम करने के मद्देनजर रिंग रेल सेवा को और अधिक व्यवस्थित और सक्षम बनाने का है;

(ख) सदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक दिल्ली में रिंग रेल सेवा के विकास के कुल कितनी राशि आबंटित की गई है और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(घ) आज की तारीख में दिल्ली में रिंग रेल सेवा से वर्षवार कितने लोग लाभान्वित हुए; और

(ङ) रिंग रेल सेवा के विकास हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (ङ) रिंग रेलवे के दक्षिणी भाग में सेवाओं में सुधार लाने की व्यवहायर्ता की जांच करने हेतु एक कार्य दल का गठन किया गया है जिसमें भारतीय रेलवे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दिल्ली नगर निगम, परिवहन विभाग और राइट्स के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस समय, दिल्ली रिंग रेलवे पर 12 ई०एम०यू० सेवाएं चल रही हैं जो लोकप्रिय नहीं हैं। अत: इस समय दिल्ली में अतिरिक्त रिंग रेल सेवा शुरू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

कन्टेनर डिपो की स्थापना

591. श्री रमेश चेन्नितला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल के विशेषज्ञ दल ने और अधिक स्थानों पर कन्टेनर डिपो स्थापित किए जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार विशेषज्ञ दल की सिफारिश से सहमत हो गई है;

(ग) यदि हां, तो इन डिपो की स्थापना के लिए किन-किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(घ) कब तक इन डिपो की स्थापना किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) भारतीय रेलों में कंटेनर डिपो स्थापित किए जाने के लिए कोई विशेषज्ञ दल नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सुरक्षा प्रभार

592. श्री सुनील खां : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसंबर, 2002 तक सुरक्षा कोष और विशेष सुरक्षा कोष के लिए सुरक्षा प्रभार के माध्यम से सरकार द्वारा कितनी धनराशि का संग्रह किया गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान पूर्वी जोन में लाइनों और पुलों की मरम्मत के लिए कितनी राशि खर्च की गई?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) संरक्षा अधिभार केवल विशेष रेलवे संरक्षा निधि के लिए ही एकत्रित किया जाता है। चालू वर्ष में 31 दिसंबर, 2002 तक, रेल मंत्रालय द्वारा संरक्षा अधिभार के रूप में एकत्रित की गई राशि 445.20 करोड़ रुपये है।

(ख) 'रेल पथ नवीकरण' और 'पुल संबंधी कार्य' योजना शीर्ष के अंतर्गत रेल संरक्षा विशेष निजी और मूल्यह्रास आरक्षित निधि के लिए आबंटित राशि में से तत्कालीन पूर्व रेलवे जोन (पूर्व रेलवे में शामिल पूर्व मध्य रेलवे के भाग सहित) द्वारा चालू वित्त वर्ष में दिसंबर, 2002 तक खर्च की गइ सकल राशि निम्नानुसार क्रमश: 196.67 करोड़ रुपये और 11.13 करोड़ रुपये हैं :–

(करोड़ रुपये में)

	मू०आ०नि०	रे०सं०वि०नि०	कुल
पुल संबंधी कार्य	1.46	9.67	11.13
रेल पथ नवीकरण	75.75	120.92	196.67
कुल	77.21	130.59	207.80

जल विद्युत परियोजनाओं के लिए धनराशि

593. श्री परसुराम माझी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं योजनावधि के दौरान देश में जल विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) इसमें से उड़ीसा की बालिमेला एक्सटेंशन जल विद्युत परियोजना (2x75 मेगावाट) के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है; और

(ग) उक्त परियोजना को कब तक शुरू किया जाएगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) योजना आयोग ने केन्द्रीय क्षेत्र के लिए 143399 करोड़ रुपये का परिव्यय आवंटित किया है। 10वीं योजना के लिए राज्य क्षेत्र हेतु 93225.71 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रक्षेपित किया गया है। 10वीं योजना हेतु क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य 41110 निर्धारित है जिसमें जल विद्युत परियोजनाओं में 14393 मे०वा० क्षमता निहित है।

केन्द्रीय क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु निम्नलिखित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए 40639 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।

नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन	32226 करोड़ रुपये
टिहरी हाइड्रो डेवलेपमेंट कारपोरेशन	3646.50 करोड़ रुपये
सतलज जल विद्युत निगम (पूर्व में एनजेपीसी)	2554 करोड़ रुपये
नार्थ इर्स्टन इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड	2213 करोड़ रुपये

(ख) विद्युत क्षेत्र हेतु उड़ीसा राज्य के लिए 2858.54 करोड़ रुपये परिव्यय प्रक्षेपित किया गया है जिसमें बालिमेला विस्तार एच०ई०पी० (2x75 मे०वा०) के लिए योजना प्रावधान भी शामिल है।

(ग) बालिमेला विस्तार परियोजना को वर्ष 2005-07 के दौरान चालू करने का कार्यक्रम है।

[हिन्दी]

हाजीपुर-वैशाली-सुगौली रेल लाइन

594. डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने हाजीपुर-वैशाली-सुगौली के बीच नई रेल लाइन के निर्माण को सिद्धांतत मंजूरी दे दी है;

(ख) क्या प्रस्तावित नई रेल लाइन वैशाली और केसरिया को जोड़कर बौद्ध सर्किट को पूरा करती है;

(ग) क्या इसके पर्यटन संबंधी महत्व को ध्यान में रखकर पर्यटन विभाग ने भी इस प्रस्तावित नई रेल लाइन की सिफारिश की थी;

(घ) यदि हां, तो इस नई रेल लाइन का कार्य कब शुरू किया जाएगा और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ङ) इसके निर्माण पर कितनी लागत आने का अनुमान है और किस स्रोत से धन की उगाही की जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) बुद्ध परिक्रमा पर प्रस्तावित लाइन बुद्ध संबंधी महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगी।

(ग) जी, नहीं। बहरहाल, इस परियोजना को वित्त पोषित करने के प्रस्ताव की जांच करने के लिए पर्यटन मंत्रालय से संपर्क किया गया है। क्योंकि यह पर्यटन महत्वत्ता का स्थान है।

(घ) इस कार्य को बजट में शामिल होने और आवश्यक स्वीकृति प्राप्त होने पर शुरू किया जाएगा।

(ङ) इस लाइन निर्माण की अनुमानित लागत 324.66 करोड़ रुपये है। इस परियोजना के वित्त पोषण हेतु पर्यटन मंत्रालय और बिहार राज्य सरकार से आग्रह किया गया है। इस परियोजना के लिए बहुपक्षीय वित्त पोषण प्राप्त करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध

595. श्री शिवाजी माने :
श्री मानसिंह पटेल :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति किए जा रहे अत्याचार बलात्कार और अपराध के संबंध में राज्यवार कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितने मामले प्रकाश में आए और अदालतों में कितने फीसदी मामले दर्ज किए गए;

(ग) किन राज्यों में इनकी प्रतिशतता बहुत अधिक है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान अदालतों में कितने मामलों को निपटाया गया; और

(ङ) इन अपराधों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० संजय पासवान) : (क) से (घ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरूद्ध किए गए अत्याचारों के संबंध में कैलेंडर वर्ष

आधार पर कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है, तथापि, राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत पुलिस द्वारा पंजीकृत मामलों और न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या की सूचना देते हैं। पुलिस द्वारा अधिनियम, के अंतर्गत पंजीकृत मामलों, न्यायालयों में अभियोजित मामलों और न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार यथा संकलित कैलेंडर वर्षों 1999, 2000, 2001 के लिए वर्षवार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। कैलेंडर वर्ष 2001 से संबंधित आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि देश में न्यायालयों में आरोप पत्र दायर किए गए कुल 21,678 मामलों में से उत्तर प्रदेश (17356 मामले), मध्य प्रदेश (4336 मामले), राजस्थान (1996 मामले), गुजरात (1760 मामले), आंध्र प्रदेश (1288 मामले) और उड़ीसा (1125 मामले), को मिलाकर 82.39 प्रतिशत मामले हैं।

(ङ) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों को अक्षरश: कार्यान्वित करने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर लिए जाता है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की वित्तीय सहायता करने की दृष्टि से उन्हें प्रशासनिक, प्रवर्त्तन और न्यायिक तंत्र के सुदृढ़ीकरण, जागरूकता निर्माण और प्रभावित व्यक्तियों को राहत देने और उनके पुनर्वास के लिए उन्हें केन्द्रीय सहायता भी दी जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनो को स्वीकृत केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

वर्ष	निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता (लाख रु० में)
1999-2000	2494.00
2000-2001	2708.00
2001-2002	3005.05

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के लिए आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पांडिचेरी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विशेष सेल स्थापित किए गए हैं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत मामलों की जल्द सुनवाई के लिए आंध्र प्रदेश (12), बिहार (11), छत्तीसगढ़ (07), गुजरात (10), कर्नाटक (06), मध्य प्रदेश (29), राजस्थान (17), तमिलनाडु (04) और उत्तर प्रदेश (40) और उत्तरांचल (01) राज्यों में अलग से 137 विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है। इसके अलावा, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड को छोड़कर सभी राज्य सरकारों ने, जो जनजातीय बहुल्य राज्य हैं, अधिनियम के अंतगत अपराधों की सुनवाई के लिए वर्तमान सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में अधिसूचित किया है। वर्ष 2000 में 30315 मामलों की तुलना में वर्ष 2001 में 30022 मामलों के पंजीकरण से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत पंजीकृत मामलों की संख्या में मामूली कमी आई है। अत: भारत सरकार अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में गंभीर प्रयत्न कर रही है।

विवरण

वर्ष 1999 के दौरान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत पुलिस द्वारा पंजीकृत मामलों, न्यायालयों में आरोप पत्र दायर किए गए और न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पुलिस द्वारा पंजीकृत मामलों की संख्या जिसमें आगे लाए गए मामले भी शामिल हैं	आगे लाए गए मामलों सहित न्यायालयों में आरोप पत्र दायर किए गए मामलों की संख्या	पुलिस द्वारा पंजीकृत मामलों की संख्या (कालम 03)	आगे लाए गए मामलों सहित न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	920	518	56.30	2081
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	2
4.	बिहार	1875	880	46.93	484

1	2	3	4	5	6
5.	छत्तीसगढ़	—	—	—	—
6.	गोवा	2	1	50.00	0
7.	गुजरात	2118	1643	77.57	367
8.	हरियाणा	41	17	41.46	16
9.	हिमाचल प्रदेश	15	5	33.33	3
10.	झारखंड	—	—	—	—
11.	कर्नाटक	1934	1020	52.74	483
12.	केरल	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	—	अनुपलब्ध
13.	मध्य प्रदेश	4533	3642	80.34	3188
14.	महाराष्ट्र	1117	827	74.03	255
15.	मणिपुर	अनुपलब्ध	0	—	0
16.	मेघालय	0	0	0	0
17.	मिजोरम	0	0	0	0
18.	नागालैंड	0	0	0	0
19.	उड़ीसा	2233	911	40.79	198
20.	पंजाब	24	13	54.16	1
21.	राजस्थान	10559	3921	37.13	2595
22.	सिक्किम	0	0	0	0
23.	तमिलनाडु	1605	700	43.61	554
24.	त्रिपुरा	0	0	0	0
25.	उत्तरांचल	—	—	—	—
26.	उत्तर प्रदेश	7735	5464	70.64	2633
27.	पश्चिम बंगाल	62	17	27.42	0
28.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	0	0	0
29.	चंडीगढ़	0	0	0	0
30.	दादरा और नगर हवेली	1	1	100	0
31.	दमन और दीव	1	1	100	1

1	2	3	4	5	6
32.	दिल्ली	20	5	25	3
33.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
34.	पांडिचेरी	3	1	33.33	0
	कुल	34,799	19,587	56.29	12,864

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का विस्तार जम्मू एवं कश्मीर राज्य में नहीं है।

वर्ष 2000 के दौरान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत पुलिस द्वारा पंजीकृत मामलों, न्यायालयों में आरोप पत्र दायर किए गए और न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पुलिस द्वारा पंजीकृत मामलों की संख्या जिसमें आगे लाए गए मामले भी शामिल हैं	आगे लाए गए मामलों सहित न्यायालयों में आरोप पत्र दायर किए गए मामलों की संख्या	पुलिस द्वारा पंजीकृत मामलों की संख्या (कालम 03)	आगे लाए गए मामलों सहित न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2866	1429	49.86	977
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0
4.	बिहार	1396	288	20.63	942
5.	छत्तीसगढ़	933	761	81.56	104
6.	गोवा	1	1	100.00	1
7.	गुजरात	2098	1261	60.10	0
8.	हरियाणा	60	27	45.00	15
9.	हिमाचल प्रदेश	14	11	78.57	9
10.	झारखंड	41	1	02.39	अनुपलब्ध
11.	कर्नाटक	1819	884	48.60	510
12.	केरल	1025	322	31.41	163
13.	मध्य प्रदेश	4621	3516	76.09	1282
14.	महाराष्ट्र	950	700	73.68	849
15.	मणिपुर	0	0	0	0
16.	मेघालय	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
17.	मिजोरम	0	0	0	0
18.	नागालैंड	0	0	0	0
19.	उड़ीसा	2464	1118	45.37	251
20.	पंजाब	41	14	34.15	1
21.	राजस्थान	7692	3057	39.74	2402
22.	सिक्किम	0	0	0	1
23.	तमिलनाडु	1253	505	40.30	192
24.	त्रिपुरा	0	0	0	0
25.	उत्तरांचल	131	90	68.70	399
26.	उत्तर प्रदेश	9476	5609	59.19	3125
27.	पश्चिम बंगाल	59	0	0	0
28.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	1	50.00	1
29.	चंडीगढ़	1	0	0	0
30.	दादरा और नगर हवेली	1	1	100.00	0
31.	दमन और दीव	1	0	0	1
32.	दिल्ली	19	10	52.63	12
33.	लक्षद्वीप	1	0	0	0
34.	पांडिचेरी	6	2	33.33	0
	कुल	36,971	19,608	53.04	11,237

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का विस्तार जम्मू एवं कश्मीर राज्य में नहीं है।

वर्ष 2001 के दौरान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत पुलिस द्वारा पंजीकृत मामलों, न्यायालयों में आरोप पत्र दायर किए गए और न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पुलिस द्वारा पंजीकृत मामलों की संख्या जिसमें आगे लाए गए मामले भी शामिल हैं	आगे लाए गए मामलों सहित न्यायालयों में आरोप पत्र दायर किए गए मामलों की संख्या	पुलिस द्वारा पंजीकृत मामलों की संख्या (कालम 03)	आगे लाए गए मामलों सहित न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2574	1288	50.04	817
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
3.	असम	0	0	0	0
4.	बिहार	1802	180	09.99	385
5.	छत्तीसगढ़	1053	915	86.89	690
6.	गोवा	1	0	0	1
7.	गुजरात	1945	1760	90.49	575
8.	हरियाणा	85	54	63.53	11
9.	हिमाचल प्रदेश	20	7	35	12
10.	झारखंड	349	176	50.43	अनुपलब्ध
11.	कर्नाटक	1851	643	34.74	433
12.	केरल	909	290	31.90	132
13.	मध्य प्रदेश	5332	4336	81.32	2700
14.	महाराष्ट्र	972	755	77.67	1151
15.	मणिपुर	0	0	0	0
16.	मेघालय	0	0	0	0
17.	मिजोरम	0	0	0	0
18.	नागालैंड	0	0	0	0
19.	उड़ीसा	2329	1125	48.30	254
20.	पंजाब	75	14	18.67	3
21.	राजस्थान	6391	1966	30.76	1968
22.	सिक्किम	0	0	0	0
23.	तमिलनाडु	1192	662	55.54	434
24.	त्रिपुरा	0	0	0	0
25.	उत्तरांचल	132	78	59.09	213
26.	उत्तर प्रदेश	12037	7356	61.11	6407
27.	पश्चिम बंगाल	69	43	62.32	9
28.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	1	100.00	2
29.	चंडीगढ़	3	1	33.33	0

1	2	3	4	5	6
30.	दादरा और नगर हवेली	5	2	40.00	0
31.	दमन और दीव	1	1	100.00	2
32.	दिल्ली	25	22	88.00	2
33.	लक्षद्वीप	0	0	00.00	0
34.	पांडिचेरी	4	3	75.00	2
	कुल	39,157	21,678	55.36	16,203

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का विस्तार जम्मू एवं कश्मीर राज्य में नहीं है।

[अनुवाद]

एल०एन०जी० पर उत्पाद शुल्क और डीजल पर टैक्स

596. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूरेलाल समिति ने एल०एन०जी० से उत्पाद शुल्क हटाने और डीजल पर टैक्स कम करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

नोएडा की ईंधन परीक्षण प्रयोगशाला

597. प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नोएडा की ईंधन परीक्षण प्रयोगशाला में तेल/पैट्रोल/डीजल के कितने नमूने लाए गए;

(ख) उक्त प्रयोगशाला में कितने नमूने मिलावटी पाए गए;

(ग) क्या नोएडा का ईंधन परीक्षण प्रयोगशाला ईंधन परीक्षण का परिणाम निर्धारित अवधि के अंदर बता देता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या प्रयोगशाला में ईंधन परीक्षण के मामले में हमेशा विलंब होता है; और

(च) ईंधन परीक्षण प्रयोगशाला को सक्षम और विलंब के प्रति जिम्मेदार दोनों ही बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) प्रयोगशाला नवंबर, 2000 से कार्यरत है और केवल प्रवर्तन एजेंसियों से दिसंबर, 2000 में नमूने प्राप्त करना आरंभ किया गया। 31 दिसंबर, 2002 तक एक हजार नमूने प्राप्त किए गए हैं।

(ख) नमूनों की बी०आई०एस० विनिर्देशों के अनुसार जांच की जाती है और 2.8 प्रतिशत नमूने असफल रहे।

(ग) और (घ) जी हां, नोएडा स्थित ईंधन परीक्षण प्रयोगशाला नमूनों के परीक्षण और रिपोर्टिंग के लिए विपणन अनुशासन मार्गनिर्देशों (एम०डी०जी०) का सख्ती से पालन करती है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

भारी नुकसान में चल रही जनशताब्दी रेलगाड़ियां

598. श्री सुल्तान सल्लाहुद्दीन ओवेसी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनशताब्दी रेलगाड़ियां अपनी क्षमता से कम यात्रियों को ढोने के कारण भारी नुकसान में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन रेलगाड़ियों के परिचालन से 31 जनवरी, 2003 तक भारतीय रेल को कुल कितना नुकसान हुआ है;

(घ) ऐसी किन-किन रेलमार्गों की पहचान की गई है, जहां जनशताब्दी रेलगाड़ियां नुकसान में चल रही है;

(ङ) भारतीय रेल द्वारा ऐसी कितनी रेलगाड़ियों को रद्द किया गया है; और

(च) इन रेल मार्गों को अर्थक्षम बनाने के लिए भारतीय रेल द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं या किए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) से (घ) भारतीय रेल पर प्रत्येक गाड़ी के लाभ का ब्यौरा नहीं रखा जाता है;

(ङ) और (च) 10 फरवरी, 2003 से 2071/2072 टाटानगर-रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी के बदले एम०ई०एम०यू० सेवा शुरू की गई है।

[हिन्दी]

बिहार में लंबित विद्युत परियोजनाएं

599. **श्री राजो सिंह** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार की ऐसी कितनी विद्युत परियोजनाएं हैं जो मंजूरी के लिए केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़ी हुई है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए राज्य सरकार के साथ बैठक बुलाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2001-02 और 2002-2003 के दौरान भेजे गए प्रस्तावों से संबंधित परियोजनाओं के माध्यम से कितना विद्युत का उत्पादन होने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : (क) से (घ) आज की तिथि तक बिहार राज्य की कोई विद्युत परियोजना केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के लिए जांच के अधीन नहीं है। तथापि, बाढ़ में एस०टी०पी०पी० स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जून, 2000 में प्राप्त हुई थी जिसके लिए तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दिनांक 28.9.2001 को दी गयी थी।

[अनुवाद]

रेल दुर्घटनाओं के कारण

600. **श्री बुसदेव आचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश बड़ी रेल दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण उपकरण की असफलता है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे द्वारा उत्पादित या खरीदे गये स्पेयर पार्ट-पुर्जे निर्धारित स्तर के नहीं होते हैं;

(ग) क्या रेलवे की रखरखाव प्रणाली में गुणवत्ता की भी कमी है; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारु दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

निजी कंपनियों द्वारा प्राकृतिक गैस की बिक्री

601. **श्रीमती प्रभा राव** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी कंपनियों का विचार प्राकृतिक गैस के ओ०एन०जी०सी० के मूल्य 2850 रुपए प्रति हजार क्युबिक मीटर के मुकाबले अपनी प्राकृतिक गैस को करीब 8000 रुपए प्रति हजार क्युबिक मीटर के मूल्य पर बेचने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्राकृतिक गैस को आयात शुल्क की लेवी से मुक्त करने का प्रस्ताव किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या गैस से आयात शुल्क को हटाने से ओ०एन०जी०सी० द्वारा काफी सस्ती दर पर प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराई जा सकेगी; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निजी कंपनियों और ओ०एन०जी०सी० द्वारा प्रस्तावित मूल्यों को युक्तिसंगत बनाने के लिए कदम उठाने का है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जहां तक निजी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों का संबंध है, उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं के अनुसार अन्वेषण ब्लाकों और लघु आकार के क्षेत्रों के संविदाकार घरेलू बाजार में बाजार मूल्य पर गैस बेचने के लिए स्वतंत्र है। मध्यम आकार के क्षेत्रों के लिए गैस के बिक्री मूल्य हस्ताक्षरित संबंधित उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं के निबंधनों के अनुसार शासित होते हैं, जो विभिन्न उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं के लिए अलग-अलग होते हैं। ऐसे क्षेत्रों, जहां से वर्तमान में निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा गैस बेची जा रही है, के लिए गैस का मूल्य 3750/- रुपए प्रति हजार घन मीटर से लगभग 6500/-रुपऐ प्रति हजार घन मीटर के बीच है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। प्राकृतिक गैस का आयात करने या गैस पर आयात शुल्क में छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) जबकि निजी और संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा उत्पादित प्राकृतिक गैस के मूल्य उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं द्वारा शासित होते हैं, वहीं ओ०एन०जी०सी० और ओ०आई०एल० द्वारा उत्पादित प्राकृतिक गैस के मूल्य सरकार द्वारा नियत किए जाते हैं। तथापि, एक नियंत्रणमुक्त परिदृश्य में, ओ०एन०जी०सी० और ओ०आई०एल० द्वारा उत्पादित प्राकृतिक गैस के मूल्य उत्पादकों द्वारा ही नियत किए जा सकते हैं।

गुजरात में वृद्धाश्रम

602. **श्री प्रवीण राष्ट्रपाल** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में चलने वाले वृद्धाश्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे कुल कितने वृद्धाश्रम है जिनको चलाने के लिए संगठन सरकार से सहायता मांगते हैं;

(ग) वृद्धाश्रमों पर व्यय के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई;

(घ) क्या इन्हें चलाने के लिए बाहर से भी कोई वित्तीय सहायता मिल रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० संजय पासवान) : (क) गुजरात में तीन वृद्धाश्रम हैं जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम की योजना के अंतर्गत अनुरक्षण हेतु सहायता अनुदान प्रदान किया गया है। बमरोली, जिला – बडौदा में एक वृद्धाश्रम गृह गुजरात केलवानी ट्रस्ट, मंगल प्रभात बिल्डिंग, मिर्जापुर, अहमदाबाद – 380001 द्वारा संचालित किया जा रहा है। गुजरात के भूकंप प्रभावित क्षेत्र में अंजार और भुज में दो वृद्धावस्था गृह भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ठक्कर बापा स्मारक सदन, डा० अम्बेडकर मार्ग (लिंक रोड), नई दिल्ली-110055 द्वारा चलाए जा रहे हैं।

(ख) वृद्धाश्रमों की कुल संख्या 5 है जिसके लिए गुजरात के संगठनों ने इस मंत्रालय से सम्पर्क किया।

(ग) वृद्धाश्रमों (ओ०ए०एच०) को चलाने के लिए स्वीकृत सहायता अनुदान की संगठनवार और वर्षवार राशि निम्नलिखित है :–

(रु० लाख में)

क्रम सं०	संगठन का नाम	वृद्धाश्रमों की संस्था	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
1.	गुजरात केलवानी ट्रस्ट, प्रभात बिल्डिंग, मिर्जापुर, अहमदाबाद	1	2.33	2.76	1.38	4.14
2.	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ठक्कर बापा स्मारक सदन, डा० अम्बेडकर मार्ग (लिंक रोड), नई दिल्ली।	2	0	4.6*	0	0

*यह सहायता भूकंप प्रभावित क्षेत्र में दो वृद्धाश्रमों को स्थापित करने के लिए एकमुश्त अनुदान के रूप में दी गई।

(घ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सरकार के अतिरिक्त किसी बाहरी स्रोत से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं करता है। मंत्रालय स्वैच्छिक संगठनों द्वारा प्राप्त बाहरी वित्तीय सहायता के बारे में जानकारी का रखरखाव नहीं करता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मंत्रियों के समूह की वैधानिक बकायों के सम्बन्ध में अनुशंसा

603. **श्री नरेश पुगलिया :**
श्री अधीर चौधरी :
श्री भास्करराव पाटील :
डा० चरणदास महंत :
श्री टी०एम० सेल्वागनपति :

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों के वैधानिक बकायों के समाधान पर गौर करने हेतु मंत्रियों का एक समूह बनाया है;

(ख) यदि हां, तो समूह में कौन-कौन शामिल हैं;

(ग) क्या अन्य मंत्रालयों से इस विषय पर सलाह मांगी गई है;

(घ) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या उक्त मंत्रियों के समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(च) यदि हां, तो उक्त समूह की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों के बकायों का समाशोधन करने हेतु इसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो उक्त समूह द्वारा सरकार को इसकी रिपोर्ट कब तक सौंपे जाने की सम्भावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री बालासाहिब विखे पाटील) : (क) से (छ) सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, विशेष रूप से केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों के कर्मचारियों के मंजूरी, वेतन तथा सांविधिक देयताओं से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार करने तथा सिफारिश करने के लिए उपाध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में सदस्यों के रूप में 7 और मंत्रियों के साथ मंत्रियों का समूह गठित किया था। संबंधित मंत्रालयों से विभिन्न चरणों में विचार-विमर्श किया गया है। इसके अलावा मंत्रियों के समूह द्वारा आयोजित विभिन्न बैठकों में संबंधित मंत्रालयों ने विचार-विमर्श में भाग लिया है। मंत्रियों के समूह द्वारा अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देते ही सरकार इस मामले में उपयुक्त निर्णय लेगी।

तेल बिल घाटा

604. **श्री वी० वेत्रिसेलवन :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31.3.2002 और 31.12.2002 की स्थिति के अनुसार कितना तेल बिल घाटा हुआ है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि करके तेल बिल घाटे की किस सीमा तक क्षतिपूर्ति की जा चुकी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) 31 मार्च, 2002 को तेल कंपनियों को दय संचित बकाया लगभग 13,500 करोड़ रुपए था। सरकार ने तेल पूल खाते में तेल कंपनियों के बकाया दावों का आंशिक रूप से तेल कंपनियों को भरपाई करने के लिए 30 मार्च, 2002 को 9000 करोड़ रुपए की राशि के '6.96 प्रतिशत तेल कंपनियों के भारत सरकार के विशेष बांड, 2009' जारी किया था। तेल पूल खाते की सी० एंड ए०जी० की लेखा परीक्षा के बाद शेष बकाया राशि के लिए बांड जारी किया जाएगा।

(ख) ए०पी०एम० की समाप्ति के साथ ही 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी तेल पूल खाता समाप्त कर दिया गया है। 1 अप्रैल, 2002 से पी०डी०एस० केरोसीन और घरेलू एल०पी०जी० के सिवाय, सभी पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बाजार आधार पर निर्धारित हो गई है और तेल कंपनियां लागू अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों को ध्यान में रखते हुए इन उत्पादों की कीमतें निर्धारित कर रही हैं।

तेल और गैस की मांग, उत्पादन और उपभोग

605. **श्री ए० नरेन्द्र :**
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय तेल और गैस की मांग कितनी है और उक्त मांग को पूरा करने में स्वदेशी संसाधनों द्वारा कितना योगदान किया गया और तेल और गैस के आयात, उत्पादन और उपभोग का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा देश को तेल और गैस के मामले में आत्मनिर्भर बनाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) देश में अभी तक कितने तेल और गैस भंडारों का पता लगाया जा चुका है और उनसे कितना तेल और गैस निकाला जा रहा है; और

(घ) तेल और गैस भंडारों के संबंध में अनुसंधान, खोज और उत्खनन इत्यादि हेतु किन-किन स्थानों की पहचान की गई है और इस संबंध में प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) वर्ष 2002-03 के लिए देश की कच्चा तेल संसाधन जरूरत 110.561 मिलियन मीट्रिक टन (एम०एम०टी०) होने का अनुमान है तथा संसाधन के लिए उपलब्ध स्वदेशी ड्राई कच्चे तेल की सीमा इस जरूरत की 26.5 प्रतिशत है। वर्ष 2002-2003 के लिए अनुमानित कच्चे तेल का आयात 81.675 एम०एम०टी० है और इसका स्वदेशी उत्पादन 30.799 एम०एम०टी० है। कच्चे तेल की खपत इसकी अनुमानित संसाधन जरूरत अर्थात् 110.561 एम०एम०टी० के बराबर है।

भारत हाइड्रोकार्बन झलक-2025 के अनुसार वर्ष 2002-2003 के लिए प्राकृतिक गैस की मांग 151 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन (एम०एम०एस०सी०एम०डी०) होने का अनुमान लगाया गया है, जब कि इसकी वर्तमान आपूर्ति लगभग 65 एम०एम०एस०सी०एम० डी० है।

(ख) पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती मांग तथा वर्तमान आयात निर्भरता स्तर को देखते हुए निकट भविष्य में आत्मनिर्भरता का विचार करना कठिन है। तथापि, तेल एवं गैस उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिनमें निम्नांकित सम्मिलित हैं :–

(1) बर्द्धित तेल निकासी (ई०ओ०आर०)/उन्नत तेल निकासी (आई०ओ०आर०) योजनाओं के क्रियान्वयन के द्वारा विद्यमान प्रमुख क्षेत्रों से निकासी घटक सुधारने के लिए विशेषतया आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ०एन०जी०सी०) ने इस प्रयोजनार्थ 10,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश पर 15 क्षेत्रों में कार्य आरंभ किया है जो इन क्षेत्रों से तेल उत्पादन तेज करने में सहायता करेगा।

(2) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन०ई०एल०पी०) के माध्यम से अन्वेषण प्रयासों में वृद्धि करने के लिए एन०ई०एल०पी० के तीन दौरों के तहत 70 ब्लाकों के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(3) नए क्षेत्रों, विशेषतया गहरे समुद्र एवं कठिन सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्वेषण करना, साथ ही उत्पादनशील क्षेत्रों की और अधिक गहरी परतों में भी अन्वेषण करना।

(4) नए खोजे गए क्षेत्रों को और अधिक तेजी से विकसित करना तथा उत्पादनशील क्षेत्रों में भूकंपीय सर्वेक्षणों, वर्कओवर, उत्प्रेरण प्रचालनों, कूप वेधन इत्यादि के लिए नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग बढ़ाना।

(5) विदेश में रकबे प्राप्त करना।

(ग) 1.4.2002 की स्थिति के अनुसार देश में कुल तेल एवं गैस भंडार लगभग 1,491 एम०एम०टी० होने का अनुमान है। वर्ष 2002-03 (1.4.2002 से 31.12.2002 तक) के दौरान देश में तेल एवं गैस का उत्पादन क्रमशः 24.89 एम०एम०टी० तथा 23.37 बिलियन घन मीटर (बी०सी०एम०) था।

(घ) सारे विश्व में तलछटी क्षेत्रों को हाइड्रोकार्बन भंडारों को प्राकृतिक-वास माना जाता है। ''भारत हाइड्रोकार्बन झलक-2025'' में वर्ष 2005 तक 25 प्रतिशत, वर्ष 2010 तक 50 प्रतिशत, वर्ष 2015 तक 75 प्रतिशत तथा वर्ष 2025 तक 100 प्रतिशत की सीमा तक भारतीय तलछटी बेसिनों के मूल्यांकन के लिए एक समयबद्ध योजना का विचार किया गया है। ''भारत हाइड्रोकार्बन झलक-2025'' रिपोर्ट के अनुरूप, देश में अन्वेषण प्रयास तेज करने के लिए सरकार ने नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एन०ई०एल०पी०) के तीन दौरों के तहत 70 उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं पर पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं।

मध्याह्न 12.00 बजे

[हिन्दी]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ०, सत्यानारायण जटिया) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(एक) केन्द्रीय वक्फ़ परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय वक्फ़ परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्कण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय वक्फ़ परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्कण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 6999/2003]

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 7000/2003]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जयवंती महेता) : मैं भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 38 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय विद्युत (दूसरा संशोधन) नियम, 2002 जो 4 दिसम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 793(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल०टी० 7001/2003]

अपराह्न 12.01 बजे

[अनुवाद]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

तीसवां प्रतिवेदन

श्री डेन्जिल बी० एटकिन्सन (नामनिर्दिष्ट) : महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

[हिन्दी]

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) प्राक्कलन समिति

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से 30 सदस्यों को 1 मई, 2003 से 30 अप्रैल, 2004 तक की अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से 30 सदस्यों को 1 मई, 2003 से 30 अप्रैल, 2004 तक की अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) लोक लेखा समिति

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से 15 सदस्यों को 1 मई, 2003 से 30 अप्रैल, 2004 तक की अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से 15 सदस्यों को 1 मई, 2003 से 30 अप्रैल, 2004 तक की अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रूपचन्द पाल : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 2003 से 30 अप्रैल, 2004 तक की अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से 7 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 2003 से 30 अप्रैल, 2004 तक की अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से 7 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तीन) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

डा० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 312ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से 15 सदस्यों को 1 मई, 2003 से 30 अप्रैल, 2004 तक की अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 312ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से 15 सदस्यों को 1 मई, 2003 से 30 अप्रैल, 2004 तक की अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 2003 से 30 अप्रैल, 2004 तक की अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से 7 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 2003 से 30 अप्रैल, 2004 तक की अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से 7 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

(चार) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से 20 सदस्यों को 1 मई, 2003 से 30 अप्रैल, 2004 तक की अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से अपने में से 20 सदस्यों को 1 मई, 2003 से 30 अप्रैल, 2004 तक की अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 2003 से 30 अप्रैल, 2004 तक की अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से 10 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 2003 से 30 अप्रैल, 2004 तक की अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से 10 सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी एक सूचना प्राप्त हुई है। चूंकि हमारे पास समय कम है, अत: हम इसपर मध्याह्न भोजन के पश्चात् चर्चा कर सकते हैं और यदि सभा सहमत हो तो अब मैं "शून्य काल" में चर्चा करना चाहूंगा।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा ने इस संबंध में अपनी सहमति व्यक्त की है, तो अब मैं "शून्य काल" में चर्चा करूंगा।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, पोटा के बारे में मेरा नोटिस है। *(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, मेरा कार्य-स्थगन प्रस्ताव था। आपने मुझे कहा था कि आप मुझे शून्य-काल में बोलने का अवसर देंगे। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रामजी लाल सुमन जी, आप तो जानते हैं कि मैंने पहले श्री प्रभु नाथ सिंह जी का कार्य-स्थगन प्रस्ताव लिया था। इसलिए मैं पहले उनको बोलने के लिए समय दे रहा हूं। उनके बाद आपको समय दूंगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आज केवल एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्राप्त हुआ है तथा उसकी सूचना श्री एच०डी० देवगौड़ा द्वारा दी गई है।

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, बोतल बंद पेयजल वाला भी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगा हुआ है। इसको कब ले रहे हैं और देवेगौड़ा जी का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कब लेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हमेशा "शून्य काल" से पहले चर्चा की जाती है।

अध्यक्ष महोदय : डा० विजय कुमार मल्होत्रा, आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपसे सहमत हूं। श्री देवगौडा के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर आज चर्चा नहीं की जा रही है किन्तु मैं उन्हें "शून्य काल" के दौरान उस प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति दे रहा हूं तथा मैंने जिस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उल्लेख किया था, वह श्री नरेश पुगलिया का था। उसपर अपराह्न 2.00 बजे चर्चा की जाएगी।

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : देवेगौडा जी का प्रस्ताव कितने बजे लेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं अन्य सूचनाओं को चर्चा हेतु लेने के बाद लगभग 12.45 बजे इसपर चर्चा शुरू करूंगा।

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : क्या आज ही दोनों होंगे। आज तो एक होगा, दोनों नहीं?

अध्यक्ष महोदय : आज एक होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जहां तक श्री देवगौडा के निवेदन का संबंध है, यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी सूचना न होकर "शून्य काल" संबंधी सूचना है।

अपराह्न 12.09 बजे

[हिन्दी]

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) एच०पी०सी०एल० और बी०पी०सी०एल० के विनिवेश के बारे में

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, एच०पी०सी०एल० और बी०पी०सी०एल० के विनिवेश के सवाल

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

पर पूरे देश में मतभेद है। जहां 95 प्रतिशत जनता इसके खिलाफ है वहां सदन में भी विपक्ष के अलावा सत्ता पक्ष के भी कई घटक इस सदन में बोल चुके हैं और वे एच०पी०सी०एल० और बी०पी०सी०ए के विनिवेश के खिलाफ हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में पेट्रोलियम मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति ने भी अपना प्रतिवेदन दिया था, जिस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया और एच०पी०सी०एल० और बी०पी०सी०एल० का विनिवेश करने के संबंध में सदन से अनुमति भी नहीं ली। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बावजूद इसके एच०पी०सी०एल० और बी०पी०सी०एल० के विनिवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। देश के सार्वजनिक उपक्रमों में आई०ओ०सी०, आई०बी०पी०, ओ०एन० जी०सी०, एच०पी०सी०एल० और बी०पी०सी०एल० आदि प्रमुख तेल कंपनियां हैं। ये सारी मुनाफा कमाने वाली कंपनियां हैं। वर्ष 2001-2002 में एच०पी०सी०एल० ने 173 करोड़ और बी०पी०सी०एल० ने 118 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। इसके बावजूद सरकार मुनाफे वाली कंपनियों का विनिवेश किए जा रही है, जो देश-हित में नहीं है। तेल से जहां उपभोक्ताओं का हित जुड़ा हुआ है वहां देश की सुरक्षा एवं अन्य हित जुड़े हुए हैं। सरकारी क्षेत्र की ये कंपनियां जहां सामाजिक कार्यों को महत्व देती हैं। वहीं निजी कंपनियां अतिरिक्त मुनाफे की दृष्टि से अपना कारोबार करती हैं। देश में पेट्रोल, डीजल, एल०पी०सी० एवं किरोसिन तेल का मूल्य निर्धारण बराबर एक प्रश्न बना रहता है, जिनका समाधान करने में निजी क्षेत्र खरा नहीं उतर सकता। इसका कारण यह है कि निजी क्षेत्र के सामने सामाजिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा तथा देश हित के प्रति त्याग और बलिदान की भावना नहीं होती, उसे सिर्फ मुनाफे से मतलब होता है। तेल सुरक्षा की व्यवस्था को देखते हुए भंडारण का कार्य अल्प सूचना पर निजी क्षेत्र नहीं कर सकता है। इसका कारण यह है कि सरकार इस पर व्यय नहीं करती बल्कि कम्पनियां ही इस पर व्यय करती हैं। मध्य पूर्व की भयानक स्थिति और पाकिस्तान की सीमा पर तनाव के चलते तेल सुरक्षा की समस्या उभर कर सामने आई है। आज 51 प्रतिशत टर्मिनल और 50 प्रतिशत खुदरा बिक्री केन्द्र एच०पी०सी०एल० और बी०पी०सी०एल० के हाथ में है, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। 15 दिनों तक तेल रखने में 5000 करोड़ रुपए की लागत होती है। बी०पी०सी०एल० और एच०पी०सी०एल० अत्यधिक भंडारण की व्यवस्था में 550 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं, वहीं निजी क्षेत्र तेल सुरक्षित रखने में सक्षम नहीं हो सकता। हमें 1971 का युद्ध भुलाना नहीं चाहिए। रिलायंस और इसर जैसे निजी क्षेत्र अभी अपनी संरचना खड़ी कर रहे हैं। दूसरी ओर एच०पी०सी०एल० और बी०पी०सी०एल० कुशलता पूर्वक अपना उत्तरदायित्व निभा रहे हैं। वैसी परिस्थिति में एच०पी०सी०एल० और बी०पी०सी०एल० का विनिवेश न तो तेल सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित होगा और न ही उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से उचित होगा।

अध्यक्ष महोदय, हम आपको यह बताना चाहते हैं कि रिलायंस जैसी कंपनियों के हाथ में आज सरकार खेल रही है और रिलायंस के इशारे पर एच०पी०सी०एल० और बी०पी०सी०एल० के विनिवेश की प्रक्रिया शुरू की गई है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि विनिवेश की प्रक्रिया को तब तक रोका जाए जब तक इस पर सदन में चर्चा करा कर सदन से अनुमति न ले ली जाए। बिना सदन की अनुमति के एच०पी०सी०एल० और बी०पी०सी०एल० के विनिवेश की प्रक्रिया देशहित और देश की सुरक्षा के हित में नहीं है। इसलिए आप इस गंभीर सवाल पर सदन में चर्चा को शीघ्र लें और बिना चर्चा के इस सदन में इस विनिवेश की प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगाने का काम करें। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, आप सदन की स्थिति देख लीजिए। *(व्यवधान)* हमारी जानकारी के अनुसार केबिनेट में भी बहुसंख्यक मंत्री विनिवेश प्रक्रिया के विरोध में हैं। पेट्रोलियम मिनिस्टर भी एच०पी०सी०एल० और विनिवेश प्रक्रिया के विरोध में थे, लेकिन उन पर दबाव डाला गया, उनकी जुबान बंद कराई गई। यह देश हित में नहीं है। हम आपसे दोबारा निवेदन करते हैं कि इस सवाल पर सदन में चर्चा कराई जाए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। *(व्यवधान)* वे संसद की उपेक्षा कर रहे हैं। *(व्यवधान)* सरकार ने एक निर्णय लिया है। *(व्यवधान)* हमने नियम 184 के अधीन सूचना दी है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : निस्संदेह यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। परंतु आज जब सभा की कार्यवाही शुरू हुई तो मुझे स्थगन प्रस्ताव संबंधी एक सूचना प्राप्त हुई। इसमें तीन सदस्यों के नाम थे। इसलिए, मैंने श्री प्रभुनाथ सिंह को बोलने की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

देवेन्द्र प्रसाद जी, आप भी केवल एक मिनट बोल सकते हैं, मैं आपको ज्यादा समय नहीं दे सकता हूं।

[अनुवाद]

तत्पश्चात्, श्री झा एक मिनट के लिए बोलेंगे। अन्य सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि इस मुद्दे पर चर्चा होने जा रही है।

श्री वसुदेव आचार्य : मैंने एक सूचना दी है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस पर चर्चा होने वाली है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, हम इस पर समग्र रूप से चर्चा करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां; समग्र चर्चा की अनुमति दी जाएगी। कार्यमंत्रणा समिति तिथि के बारे में निर्णय करेगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको अपनी बात एक मिनट में पूरी करनी होगी क्योंकि इसकी प्रक्रिया अलग है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी, आप बोल चुके हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय पर आवश्यक ध्यान रखूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। कृपया सभा में शांति बनाए रखिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, चर्चा के पहले कह दिया जाए कि जब तक चर्चा समाप्त नहीं हो जाती है, इस पर सदन से सहमति नहीं ले ली जाती है तब तक विनिवेश प्रक्रिया रोकी जाए। *(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह विषय न केवल राष्ट्रीय महत्व का है, बल्कि देश भर में करोड़ों उपभोक्ताओं का और जो सामाजिक वैलफेयर का काम है, उसके भी हित में है। एच०पी०सी०एल० और बी०पी०सी०एल० के विनिवेश की जो प्रक्रिया शुरू की गई है, ये सारी कम्पनियां मुनाफे में हैं। प्रोफिटेबल कम्पनियों और अंडरटेकिंग्स को जिस तरह से विनिवेश की प्रक्रिया में डाला जा रहा है, मैं तो कह रहा हूं कि पूरा देश इस विनिवेश शब्द से गुमराह हो रहा है। यह जो डिसइन्वैस्टमेंट वर्ड है, इससे आज करोड़ों लोग जो गांवों में रहते हैं, जो निरक्षर हैं, पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं, वे कहते हैं कि यह विनिवेश क्या है। हम तो सबसे पहले आपसे यह अनुरोध करेंगे कि इस विनिवेश मंत्रालय का नाम बदलकर राष्ट्रीय सम्पत्ति बेचो मंत्रालय रख दिया जाये, ताकि जनता में भ्रम नहीं रहे। आज पूरे देश की जनता में भ्रम है।

अभी प्रभुनाथ सिंह जी ने जिक्र किया कि तेल से जुड़े सरकारी उपक्रम जहां एक तरफ उपभोक्ता के हित से जुड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ देश की सुरक्षा और वैलफेयर के काम में इनका महत्व है। क्या निजी कम्पनियां इस वैल्फेयर के काम को सुरक्षा के काम को उस तरह की प्रायरटी देंगी, क्या इसकी कोई गारण्टी है? मैं अन्तिम बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूं। इस देश में गरीबी की रेखा के नीचे जो 32 करोड़ लोग हैं, वे कैरोसीन तेल का उपयोग करते हैं, एल०पी०जी० का उपयोग तो मध्यम वर्ग के लोग करते हैं, तो कैरोसीन तेल का उपयोग करने वाले लोगों के लिए मूल्य निर्धारण की क्या गारण्टी होगी, जब सब विनिवेश में चला जायेगा, जब बी०पी०सी०एल० को बेच दिया जायेगा? मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि इसका समाधान करने के लिए निजी क्षेत्र खरा नहीं उतर सकता है। *(व्यवधान)*

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया) : इस पर मेरा भी नाम है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिये।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : इसीलिए मेरा स्पष्ट निवेदन है कि 15 दिन तक तेल रखने में पांच हजार करोड़ रुपये खर्च होते हैं, इसलिए तेल रखने में कोई निजी क्षेत्र की कम्पनी सक्षम नहीं हो सकती है। 1971 के पाकिस्तान से युद्ध को भी याद रखना चाहिए कि किस तरह से तेल को सुरक्षित रखा जाता है। ऐसा इन्फ्रास्ट्रक्चर रिलायंस कम्पनी के पास अभी नहीं है, यह इन्फ्रास्ट्रक्चर अभी तक रिलायंस कम्पनी खड़ा नहीं कर सकी है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इतना समय नहीं दे सकता।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मेरा स्पष्ट निवेदन है कि सरकार रिलायंस कम्पनी के हाथ में इस देश को न बेचे और इस मंत्रालय का नाम राष्ट्रीय सम्पत्ति बेचो मंत्रालय रखा जाये।

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय सदस्य प्रभुनाथ सिंह जी ने और देवेन्द्र प्रसाद यादव जी ने बातें कही हैं, उससे मैं अक्षरश: अपनी सहमति व्यक्त करता हूं। आज देश की जो परिस्थिति है और कल जो संसद में माननीय मंत्री जी रूपचन्द पाल जी के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, उनके उत्तर के बाद भ्रम और बढ़ गया है। पार्लियामेंट की एथॉरिटी को, संसद की गरिमा को ये ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मात्र एक कम्पनी को फायदा पहुंचाने के लिए यह सरकार पूरी तरह से डिटरमिंड है और देश की गरिमा, देश की सुरक्षा, गरीबों का हक के विपरीत ये लोग उसके हाथ में खेल रहे हैं। यही कारण है, ठीक ही सवाल पूछा गया है, हम जानना चाहते हैं, यह संसद हैं, मंत्री जी बतायें कि किस परिस्थिति में पहले इसका विरोध किया था और कौन सा कारण हुआ कि जाकर सरैण्डर कर दिया? कौन सी परिस्थिति हुई, क्या मंत्री पद के लालच में सरैण्डर हो गये कि पद गंवाना पड़ेगा या मुंह बंद किया है या किसी से कुछ मिला? किस कारण से इस बात का विरोध किया? कल भी प्रश्न उठा था कि एटार्नी जनरल ने प्रभाव में आकर अपना ओपिनियन दिया है, उन्हें सदन में बुलाया जाये और इस कार्रवाई को स्थगित किया जाये और जब तक संसद की मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक इस पर आगे की कार्रवाई रोकी जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। क्या पेट्रोलियम मंत्री इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहेंगे?

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी : उनकी नौकरी चली जाएगी।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नाईक) : महोदय, आपने पहले ही कह दिया है कि इस पर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में ध्यान दिया जाएगा।

उस चर्चा में इस मुद्दे पर निर्णय लिया जायेगा। हम इस पर निर्णय लेंगे।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, इनका क्या विचार है, यह बतायें। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि० पाटील (लातूर) : कृपया मंत्रीजी सभी पार्टियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। केवल कुछ सदस्यों ने ही यह प्रश्न पूछे हैं और यह एक ऐसा विषय है जिसपर सरकार को संसद में संसद सदस्यों की राय जाननी चाहिए थी। वह ऐसा नहीं कर रही है। आप इस चर्चा की अनुमति दे रहे हैं। कृपया सभी प्रश्नों को उठाने दीजिए और इसके बाद हम माननीय मंत्री जी से उत्तर देने के लिए कहेंगे।

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर हमारा भी नोटिस है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं उसे बाद में लूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी०एच० पांडियन (तिरूनेलवेली) : महोदय, यह श्री शिवराज वि० पाटील द्वारा कही गई बातों के अनुसरण में है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं। यदि आप किसी भी विषय पर बोलना चाहते हैं, तो आप सूचना दे सकते हैं और इसके बाद इसे सभा में उठाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस विषय पर वाद-विवाद का प्रारम्भ नहीं कराया है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : रामजी लाल सुमनजी, अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं दूसरा विषय ले लूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप यह क्या कर रहे हैं? श्री रामजी लाल सुमन द्वारा कही गई बातों के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। अब सभा में अनुशासन बनाए रखें।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप यह सब वाद-विवाद के दौरान कह सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वाद-विवाद के दौरान मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री पी०एच० पांडियन : मैं मामले के गुणों अथवा अवगुणों की बात नहीं कर रहा हूं। कल मंत्री जी ने यह कहा कि यह कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत शासित था। यह सार्वजनिक उपक्रम है। सभी सार्वजनिक उपक्रम सरकार के अभिकरण हैं जैसाकि अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया है। उच्चतम न्यायालय के एक नौ-सदस्यीय खंडपीठ ने हाल ही में यह निर्णय दिया था सभी सार्वजनिक उपक्रम सरकार के अभिकरण है। अत:, जब किसी सार्वजनिक उपक्रम का विनिवेश किया जाता है तो सरकार को इसे संसद द्वारा स्वीकृत कराना होगा। आप मेग्नाकार्टा के बारे में जानते हैं कि राष्ट्राध्यक्ष (सक्षम प्राधिकरण) के प्राधिकारण के बिना ही कर की वसूली की गई। अत: इसी प्रकार संसद की स्वीकृति के बिना धन का विनियोग नहीं किया जा सकता है। अत:, संसद की स्वीकृति महत्वपूर्ण है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि संसद सभा की सर्वोच्चता बनाए रखना चाहती है तो सदस्यों को भी अनुशासित रहना होगा। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, हमें आपके द्वारा यह एश्योरेंस चाहिए कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम को नहीं बेचा जायेगा। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री पांडियन, क्या आप बहिर्गमन कर रहे हैं?

श्री पी०एच० पांडियन : जी, नहीं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने सदन की भावन को देखा है। इस तरफ, उस तरफ और पीछे बैठे लोग जो कुछ कह रहे हैं। वह ठीक कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम चाहेंगे कि आपका नियमन होता कि कम से कम जब तक सदन से इस पर अनुमति नहीं ले ली जाये तब तक इस प्रक्रिया को स्थगित किया जाये। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सदन का सत्र चल रहा है और उधर विनिवेश की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। *(व्यवधान)* यह देश बेचने की स्थिति है। इस पर आपको नियमन देना चाहिए। आप सदन की भावना देख रहे हैं। *(व्यवधान)* चारों तरफ से लोग कह रहे हैं कि यह गलत हो रहा है, देश हित में नहीं हो रहा है। *(व्यवधान)* यह देश की सुरक्षा के विपरीत हो रहा है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी, आप प्रश्न उठाते हैं और मुझे बोलने नहीं देते, यह कैसे चलेगा?

(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : हम आपको सुनना चाहते हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने प्रश्न उठाया तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं। आप मुझे जवाब तो देने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिये। जिसका प्रश्न है, उसको मैं जवाब दे रहा हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : सरकार को इसका उत्तर देना चाहिए।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ०प्र०) : अध्यक्ष महोदय, सभा आपका मार्गदर्शन चाहती है। प्रतिदिन, मंत्रीगण यह वक्तव्य दे रहे हैं कि वे सार्वजनिक उपक्रम बेच देंगे चाहे वह लाभ अर्जित कर रहे हों अथवा घाटे में चल रहे हों। वे यह भी दावा करते हैं। कि उन्हें अपनी इच्छानुसार मामले पर संसद में विचार-विमर्श अथवा चर्चा के बिना ही कार्य करने का प्राधिकार है। यह किसी एक विशेष मामले से संबंधित प्रश्न नहीं है। उठाया गया प्रश्न इस संसद के प्राधिकार के बारे में है।

यदि मंत्रीगण संसद के प्राधिकार का उल्लंघन करते हैं तो मैं यह चाहूंगा कि आप ध्यान मार्गदर्शन करें कि माननीय सदस्यों को क्या करना चाहिए, क्यों उन्हें ऐसे समय में चर्चा की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब मंत्रीगण पूरे देश को बेच रहे हों।

मैंने इस मामले को नहीं उठाया होता। उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है और इस संबंध में सरकार ने यह वक्तव्य दिया है कि सरकार ने विनिवेश उस समय शुरू किया था जब मैं इस देश का प्रधानमंत्री था। उस समय मैंने विशेष रूप से कहा था कि घाटे में चलने वाली केवल 20 प्रतिशत कंपनियां को ही वित्तीय संस्थानों को बेचा जाना चाहिए ताकि उन कम्पनियों के प्रबंधन और वित्तीय स्थिति में सुधार हो सके। यह सरकार झूठी बातें फैलाती जा रही है। यह सरकार संसद के प्राधिकार को चुनौती देती जा रही है। क्या आप सोचते हैं कि हमें इस मामले में चुप रहना चाहिए?

[श्री चन्द्रशेखर]

मैं यह नहीं जानता कि वे कौन से मामले हैं जिनपर संसद में चर्चा की जा सकती है। मैं यह नहीं जानता कि क्या यहां केवल आपसी मतभेद, भ्रष्टाचार से संबंधित प्रश्नों और भोजशाला अथवा बाबरी मस्जिद के संबंध में कतिपय प्रश्नों पर चर्चा की जा सकती है। इस राष्ट्र का सम्पूर्ण भविष्य दांव पर है।

मुझे किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई आशंका नहीं है परंतु इस विभाग के मंत्री ने जोरदार शब्दों में यह कहा था कि इन कम्पनियों का विनिवेश नहीं किया जाना चाहिए। परन्तु अचानक ही हम इसमें बदलाव देख रहे हैं। अचानक ही प्रधानमंत्री जी कुछ मंत्रियों और एनडीए के कुछ सदस्यों के साथ बैठक करते हैं। मेरे मित्र आज बहुत जोर शोर से बोल रहे हैं परन्तु उनके नेता और – मैं यह नहीं जानता कि मुझे क्या कहना चाहिए। – मेरे मित्र जो एनडीए के संयोजक है इस सरकार के कार्यकाल में होने वाली सभी घटनाओं को स्वीकार कर ले रहे हैं।

यह इस देश का भविष्य है और इस सभा की सम्पूर्ण गरिमा, सम्मान और प्रतिष्ठा दाव पर लगी हुई है। और सभा की इस मामले पर आपके मार्गदर्शन की आवयकता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, हम इस पर चर्चा कर रहे थे। मैं आदरणीय श्री चन्द्रशेखर द्वारा कही गई सभी बातों का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। प्रश्न यह है कि ऐसी स्थिति में संसद की क्या भूमिका है जब ऐसी बहुमूल्य परिसम्पत्तियों की बिक्री की जा रही है।

इस तथ्य के बावजूद कि ये संसद के अधिनियमों द्वारा नियंत्रित हैं। इनकी बिक्री का औचित्य दिया जाना चाहिए। संसद को विश्वास में नहीं लिया जाता है। किसी विपक्षी दल को विश्वास में नहीं लिया जाता है जैसेकि यह किसी पार्टी विशेष की निजी सम्पत्ति हो। एन०डी०ए० भी इसका पूरा समर्थन नहीं कर रहा है। मैं एन०डी०ए० के उन सदस्यों को बधाई देता हूं। उन्होंने इनके साथ शामिल होने की गलती की है। वे अब इस बात को महसूस करते हैं। अत: उन्हें देश के हितों की रक्षा के लिए तैयार हो जाना चाहिए।

वे असंगठित हैं और इस मुद्दे पर विपक्ष पूरी तरह से एक जुट है। सरकार उस महान्यायवादी की राय की दुहाई दे रही है जो इस सभा में उपस्थित होने की हिम्मत नहीं कर पाता। हम महान्यायवादी की राय मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। हम यह नहीं जानते कि उनकी राय क्या है? हम इसके लिए बाध्य नहीं हैं। अत:, हमारा यह अनुरोध है कि कृपया यह सुनिश्चित कीजिए कि सत्ता लोलुप और भ्रष्ट प्रशासन कि देश की यह बहुमूल्य परिसम्पत्ति को हड़प न कर ले।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : एन०डी०ए० के लोग कामनमिनिमम प्रोग्राम के समर्थक हैं ताकी सरकार कुछ भी करेगी, हम लोग उसका साथ देने वाले वालें नहीं हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह वाद-विवाद का समय नहीं है। कृपया बैठ जाइए। हमने विनिवेश पर वाद-विवाद प्रारम्भ नहीं किया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर हमारा नोटिस है या नहीं, कृपया करके देखें।

अध्यक्ष महोदय : आपका नोटिस है।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि० पाटील : अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने और सत्तारूढ पार्टी के कुछ माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। अब इस सभा का विचार बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। इस सभा के अधिकांश माननीय सदस्य इन दोनों सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश के पक्ष में नहीं हैं। यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपको सभा की भावनाओं को भी समझना चाहिए। इस बात को केवल मंत्री जी पर नहीं छोड़ सकते हैं जोकि सबकुछ बेचते चले जा रहे हैं।

श्री शिवराज वि० पाटील : हम यह आशा करते हैं कि माननीय सदस्य जिन्होंने जोरदार ढंग से, स्पष्टतया और मेरे विचार से पूरे मन और इमानदारी पूर्वक इसके खिलाफ बोला है अपनी बात पर अडिग रहेंगे और इस विषय पर चर्चा होने पर अपने विचार नहीं बदलेंगे। हमें यह नोट कर लेना चाहिए। इसके मद्देनजर, इस सभा में निर्णय लिया जाना चाहिए। सम्भवत: आपको इस विषय पर निर्णय की घोषणा करना अपेक्षित नहीं होगा परन्तु कम से कम इस मामले पर शीघ्र विचार आरम्भ किया जा सकता है और इसे सभा में मतदान के लिए रखा जा सकता है ताकि इस पर सभा, जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधि यहां बैठे हैं, निर्णय दे सके।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, विनिवेश के सवाल पर वोट करवाकर देख लीजिए। *(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष जी, आप इस पर वोट कराकर देख लीजिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी, आप बैठिए। देवेन्द्र जी, आप भी बैठिए। दूसरे मैम्बर्स को भी बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : महोदय, कृपया मुझे बोलने का अवसर दीजिए *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब, डा० रघुवंश प्रसाद सिंह बोलेंगे। डा० मल्होत्रा, मैं आपको इन लोगों के बोलने के बाद मौका दूंगा। आपके सत्तारूढ दल की ओर से बोलने का मौका मिलेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी यहां हैं। पार्टी के नेता भी यहां हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इस पर नियम 184 के अधीन चर्चा की जानी चाहिए। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, एच०पी०सी०एल० और बी०पी०सी०एल० को जो बेचने की बात हो रही है, पूरे देश और दुनिया को जानकारी है कि ये प्रॉफिट मेकिंग कम्पनियां हैं और सरकार की तरफ से यह स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि प्रॉफिट मेकिंग इन कम्पनियों को बेचने के लिए ये क्यों उतारू हैं? *(व्यवधान)*

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी) : अध्यक्ष जी, आप इस विषय पर पूरे दिन डिसकशन करा लीजिए लेकिन ज़ीरो ऑवर में केवल एक विषय ही चलता रहे और दूसरे विषय या अति आवश्यक या जो ध्यानाकर्षण तथा और भी दूसरे विषय हैं, वे नहीं आएं, यह तो नहीं होना चाहिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह बीच में कैसे बोल सकते हैं? रघुवंश प्रसाद जी का ज़ीरो ऑवर में नोटिस है।

(व्यवधान)

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : सर, ज़ीरो ऑवर में और भी नोटिस हैं, हमारा भी नोटिस ज़ीरो ऑवर में है, उसको भी लेना चाहिए। *(व्यवधान)*

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष जी, देश भर में यह बात हो चुकी है कि ओ०एन०जी०सी० ने भी जो सरकारी पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, खरीदने के लिए पैटीशल दी थी। *(व्यवधान)* लेकिन ओ०एन०जी०सी० को रोका गया कि ओ०एन०जी०सी० इनमें हिस्सा नहीं ले सकता। इससे देश में यह आशंका बढ़ गई है कि सरकारी कंपनी को खरीदने की इजाजत नहीं है। केवल रिलाएंस को देने के लिए यह सब हो रहा है। यह भी बार-बार मंत्री वक्तव्य दे रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल को बुलाने का प्रश्न नहीं उठता। जब-जब सदन में सवाल उठा है, नियम यह कहता है कि अटॉर्नी जनरल स्वयं आ सकते हैं अथवा सरकार के बुलाने से आ सकते हैं अथवा आपके निदेश पर आ सकते हैं, आपके आग्रह करने पर आ सकते हैं। पूर्व में चार बार अध्यक्ष महोदय के निदेश पर अटॉर्नी जनरल सदन में हाजिर हुए हैं। आप सदन के संरक्षक हैं और कांस्टीट्यूशनल राइट जो हमारा पार्लियामेंट का राइट है, उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। जबकि संविधान कहता है कि सरकार इस पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी है। उस क्लॉज को भी चैलेंज किया जा रहा है। सरकार को मनमानी करने की इजाजत दे दी गई है और अटॉर्नी जनरल को यह कहने का राइट है और पार्लियामेंट की अवमानना की जाए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह सब तो आपने कल कहा है। मल्होत्रा जी, आप बोलिए।

(व्यवधान)

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : पूर्व में भी एक अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि नहीं, यह सब पार्लियामेंट में डिसकस होना चाहिए और नियम कहता है कि 'कॉल एंड शकधर' में महा न्यायवादी कब-कब आ सकते हैं। स्थिति यह है कि महा न्यायवादी स्वयं सभा में या सभा द्वारा पारित किसी प्रस्ताव पर या सरकार के अनुरोध पर या यदि सभा के समक्ष किसी मामले पर अध्यक्ष उसकी बात सुनना चाहे तो अध्यक्ष के अनुरोध पर वह उपस्थित हो सकते हैं। चार बार उदाहरण हैं। इसीलिए यह पार्लियामेंट के प्रोपराइटी और उसके अधिकार का प्रश्न है। उसकी सोवरीनिटी को चैलेंज किया जा रहा है। सदन की भावना है, इसलिए आप ही सदन की गरिमा बचा सकते हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि महा न्यायवादी ने पार्लियामेंट के प्रति जो इस तरह का उल्टा-पुल्टा बयान दिया है, उनको सदन में हाजिर कराया जाए जिससे सदन में हम लोग उनसे स्पष्टीकरण पूछेंगे ताकि जो यह बेचने की बात हो रही है, इस पर रोक लग सके। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मल्होत्रा जी, आप खड़े हो जाइए तभी वह बैठेंगे, नहीं तो वह नहीं बैठेंगे।

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, यहां पर बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में सभी दलों के नेताओं ने तय किया था कि

[डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा]

डिसइंवेस्टमेंट पर एक दिन पूरी बहस होगी और इसमें मैरिट के अंदर बहुत सी चीजों के बारे में तय हो जाएगा। हर सैशन में तीन-तीन, चार-चार बार बात हो चुकी है। इस समय बी०पी०सी०एल० और इसके बारे में दो बातें हैं और लोगों की अलग-अलग राय हैं और उन रायों के बारे में जो भी सदन में कहा जा रहा है, सरकार इसको जरूर देखेगी, विचार करेगी परन्तु बी०पी०सी०एल० और इसके बारे में राय रखना यह एक बात है।

केवल घाटे की कम्पनीज बेची जाएं या मुनाफे वाली बेची जाएं, यह दूसरी बात है। यह पर अलग-अलग तरह की बातें हो रही हैं। अगर केवल घाटे की बेचो, मुनाफे की न बेचो, लेकिन पंजाब में सारी मुनाफे की बेच दो, कर्नाटक में मुनाफे की बेच दो, वैस्ट बंगाल में मुनाफे वाली बेच दो।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : यह बात सही नहीं है। *(व्यवधान)* राज्य के लाभ अर्जित करने वाले एक भी सरकारी उपक्रम का विनिवेश नहीं किया जा रहा है। डॉ० मल्होत्रा, सभा को गुमराह मत कीजिए। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, जब मैं बोल रहा हूं, तो ये क्यों बीच में व्यवधान डाल रहे हैं। आप इन्हें रोकें।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाएं।

श्री बसुदेव आचार्य : लेकिन ये असत्य बोल रहे हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

ये सभा को गुमराह कर रहे हैं। राज्य के लाभ अर्जित करने वाले एक भी सरकारी उपक्रम का विनिवेश प० बंगाल में नहीं किया गया है। मैं चुनौती देता हूं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : डॉ० मल्होत्रा को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सुनील खां, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : सभा को गुमराह मत कीजिए। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : वैस्ट बंगाल में सबसे पुराना होटल इन्होंने फ्रेंच कम्पनी को बेच दिया, बिजली का निजीकरण कर दिया और पानी का करने जा रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : बेचा कहां है? *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक महोदय के मन में सच्चाई के प्रति कम से कम थोड़ा आदर तो होना ही चाहिए। यह सब क्या है? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी, मैं समझता हूं। उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : उन्हें पता नहीं है। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

हाउस में सच बात बतानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : केरल में, कर्नाटक में विनिवेश किया जा रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। यह जो दो कम्पनीज के बारे में बात कह रहे हैं, मंत्री महोदय को कहा कि इस पर सरकार विचार कर लें, इसको देख ले, यह बात समझ में आती है, लेकिन कोई व्यक्ति खड़े होकर यह कहे कि देश बेच दिया, देश बेचा जा रहा है, तो यह सही बात नहीं है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कृपया अब मुझे ऐसा कह लेने दीजिए। इस पर मुझे कठोर आपत्ति है। *(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर : आप देश को बेच रहे हैं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : चन्द्रशेखर जी अगर आप यह कह रहे हैं, तो देश को बेचना आपने शुरू किया था *(व्यवधान)* आपने शुरू किया था कम्पनीज को बेचना *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इस बात का पता लगाने के लिए संसदीय समिति का गठन किया जाए कि यह असत्य कह रहे हैं या नहीं। *(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, इस बात का पता लगाने के लिए एक समिति गठित की जाए कि क्या मैंने एक भी कंपनी बेची है या ये असत्य कह रहे हैं। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : देश को बेचा जा रहा है, यह जो इल्जाम लगाया जा रहा है, यह सही नहीं है। कोई भी देश को नहीं बेच सकता। देश को बेचने का काम इन लोगों ने किया था, वह भी देश जानता है। जिन्होंने सोना गिरवी रखा था, उनके बारे में भी देश जानता है। आप पूरी बहस करें, यह समझ में आता है, परंतु देश बेच दिया, सब कुछ बेच दिया इस सरकार ने, यह असत्य बात है। इस मुद्दे पर पूरी बहस होनी चाहिए। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं बोल रहा हूं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमारी आज की कार्यसूची में यह मुद्दा नहीं है। तीन माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं दी थीं इसीलिए इस मुद्दे को उठाने की अनुमति दी गई थी। मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दे दी है। मैं अब विषय का महत्व समझ गया हूं। इसमें तर्क हैं। यदि मैं इस मुद्दे पर तर्क कर सकता हूं तो मैं यथाशीघ्र इस मुद्दे को कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रखूंगा। चर्चा के दौरान लोग अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर सकते हैं। जब इस विषय को सभा में उठाया जाएगा तब माननीय मंत्री जी उसका उत्तर देंगे और यदि उनका उत्तर संतोषजनक नहीं हो तो हम इस मुद्दे पर सभा में चर्चा करने का कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे। कल भी इस पर चर्चा हुई थी कि किसी कंपनी का विनिवेश किया जाए या नहीं, इस बात का निर्णय करने का अधिकार संसद का है या सरकार का तथा इसके बारे में माननीय विनिवेश मंत्री ने विस्तृत उत्तर दे दिया है। यदि सदस्य उत्तर से सहमत न हों तो जिस दिन मुद्दे पर चर्चा की जाएगी उस दिन सभा में सदस्यों की बात को महत्व दिया जाएगा।

किन्तु ऐसे कई सदस्य हैं जो 'शून्य काल' में अन्य मुद्दे उठाना चाहते हैं। हम उन सदस्यों को उनके अपने मुद्दे उठाने से कैसे वंचित कर सकते हैं? इसलिए, अब हमें पोटा के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर चर्चा करनी चाहिए।

श्री चंद्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने के लिए खड़ा हुआ हूं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वे व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहते हैं इसलिए मैंने उन्हें अनुमति दे दी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : आपने कहा कि हमने देश को बेच दिया।

[अनुवाद]

आपने कहा था, "आप देश को बेच रहे हैं।"

श्री चंद्रशेखर : "आप" का अर्थ है कि सरकार देश को बेच रही है।

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : इस पर हमें आपत्ति है।

श्री चन्द्रशेखर : डा० मल्होत्रा ने कहा कि मैंने देश को बेचना शुरू किया था। यह मुझ पर व्यक्तिगत आरोप है।

[हिन्दी]

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : मैंने भी यही कहा था कि आपकी गवर्नमेंट की तरफ से शुरू हुआ।

[अनुवाद]

यदि यही देश को बेचना है, तो यह श्री चन्द्रशेखर के शासन काल में शुरू हो गया था। *(व्यवधान)*

श्री चन्द्रशेखर : मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए। मैंने शुरू में ही यह कहा था, कि सरकार का यह कहना कि जो विनिवेश ये अब कर रहे हैं, उस प्रकार का विनिवेश मैंने शुरू कर दिया था, पूरी तरह से गलत है। मैंने कहा था कि हमने घाटे में चल रही कंपनियों के विनिवेश की अनुमति दी थी, जिनके शेयर सरकार की वित्तीय संस्थाओं को बेचे जाने थे।

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : हम इस पर चर्चा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए।

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, क्या यह ऐसा ही है जैसाकि ये आज करने जा रहे हैं? यदि डा० मल्होत्रा की बात ठीक है तो मैं विशेषाधिकार समिति के सामने पेश होने को तैयार हूं। अन्यथा, डॉ० मल्होत्रा को अपने शब्द वापस लेने चाहिए अथवा विशेषाधिकार समिति के सामने पेश हों। आप इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेज सकते हैं।

[हिन्दी]

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : सर, इन्होंने कहा कि आप देश को बेच रहे हैं। मैंने कहा है कि यह इनकी गवर्नमेंट के टाइम में शुरू हुआ।

[अनुवाद]

मैं अपनी बात पर कायम हूं कि विनिवेश श्री चन्द्रशेखर की सरकार के समय शुरू हुआ था। बस *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मुझे नहीं लगता कि तर्क से इस तरह कुछ हल निकलेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रशेखर आपने अपनी बात स्पष्ट कर दी है। विशेषाधिकार की सूचना यदि आवश्यक है तो, उसे मेरे पास आने दीजिए और फिर मैं उस पर निर्णय लूंगा।

श्री चन्द्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, संसद में मेरे पूरे 40 वर्ष में मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिसे मुझे बाद में वापस लेनी पड़ी हो। 40 वर्षों में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है। मैंने किसी पर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया है। उन्होंने कहा था कि यह मेरे शासनकाल में शुरू हो गया था। मैंने पूछा था कि यदि यह मेरे समय में शुरू हो गया था तो यह किस तरह से शुरू हुआ था। उन्हें यहीं तक सीमित रहना चाहिए। वे यहीं तक समिति नहीं रहे। वे निजी उद्यमियों को विदेशी कंपनियों को और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कंपनियां बेच रहे हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो गया। अब मैं श्री रामजीलाल सुमन को बोलने का अवसर देता हूं। जो मुद्दा ये उठाना चाहते हैं, वह भी महत्वपूर्ण है।...

(व्यवधान)

श्री तरित बरण तोपदार (घेरकपुर) : जब मंत्री जी यहां हैं तो हम उन्हें अभी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने की अनुमति न देकर उनके अधिकार कम क्यों कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : यदि वे अभी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री तरित बरण तोपदार : ये सब इनकी कंपनियां हैं इसलिए उन्हें प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। यह प्रक्रिया की बात है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सुमन जी को बोलने दीजिए।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : मैंने भी कार्य स्थगन की सूचना दी है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष जी, सदन की भावना को देखते हुए विनिवेश पर रोक लगवा दीजिए।

अपराह्न 12.44 बजे

[हिन्दी]

(दो) देश में पोटा के कथित दुरुपयोग के बारे में

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष जी, सदन में हमने पहले भी यह सवाल उठाया था कि पूरे देश में और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में पोटा का बड़े पैमाने पर दुरूपयोग हो रहा है। हमने आपकी मार्फत यह भी प्रार्थना की थी कि लोक सभा में बहुमत के बलबूते पोटा पास हो गया था लेकिन राज्य सभा में पोटा पास नहीं हो पाया। इसलिए सरकार ने संयुक्त अधिवेशन बुलाया था। उसमें विधि मंत्री और माननीय गृह मंत्री जी ने कमिट किया था कि पोटा का दुरूपयोग नहीं होगा। कल राज्य सभा में माननीय गृह मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है वह अत्यधिक निराशाजनक है। गृह मंत्री जी ने राज्य सभा में कहा है कि उनके पास आधिकारिक तौर पर कोई सूचना नहीं है, कि कहीं पोटा का दुरूपयोग हुआ है। यह राज्य सरकार का मामला है। अध्यक्ष जी, जब इस देश में टाडा के दुरूपयोग की बात हुई, उस समय एक समीक्षा समिति बनी थी। उसमें पाया गया था कि टाडा का दुरूपयोग हुआ है, लिहाजा निर्दोष लोगों को छोड़ने की बात होनी चाहिए और उसका परिणाम भी निकला है।

अध्यक्ष महोदय, कल माननीय गृह मंत्री जी ने राज्य सभा में जो बयान दिया कि चाहे मामला उत्तर प्रदेश का हो या किसी और प्रदेश का हो, जहां तक केन्द्रीय सरकार का सवाल है उसने कभी इसका दुरूपयोग नहीं किया है। अध्यक्ष जी, अभी थोड़ी देर पहले पोटा का दुरूपयोग हुआ है। इसका मतलब यह है कि गृह मंत्री जी एडमिट करते हैं कि उत्तर प्रदेश में पोटा का दुरूपयोग नहीं हो रहा है। हमने निवेदन किया था कि राजा भैया के बूढ़े पिता, श्री उदय प्रताप सिंह, आयु 80 वर्ष और विधायक श्री अक्षय प्रताप सिंह को विद्वेश के कारण पोटा के तहत बन्दी बनाया गया है। श्री अजीत सिंह सदन में उपस्थित हैं, उन्होंने भी पोटा का विरोध किया था। भारतीय जनता

पार्टी उत्तर प्रदेश के नेता श्री विनय कटियार, श्री कलराज मिश्र और श्री राजनाथ सिंह पोटा का विरोध करते हैं और मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पोटा का भयंकर रूप से दुरूपयोग हो रहा है और केन्द्रीय सरकार चुपचाप बैठी है, कोई समीक्षा नहीं कर रही है और कहती है कि न्यायालय जो फैसला देगा, उस फैसले को स्वीकार करेंगे। दर्जनों बेगुनाह लोग पोटा के तहत जेल की सलाखों के पीछे डाल दिये गए हैं और उनके खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपको कितना समय और लगेगा।

श्री रामजीलाल सुमन : मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

महोदय, कल 21 तारीख को समाजवादी पार्टी और उसके फ्रन्टल संगठन के लोगों ने लखनऊ में पोटा के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का ऐलान किया है, लेकिन उस पर पाबन्दी लगा दी है। पूरे प्रदेश में गिरफ्तारियां हो रही है। समाजवादी पार्टी के विभिन्न नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। राजनीतिक छापे मारे जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के इलाहाबाद के जिला अध्यक्ष, श्री जवाहर सिंह यादव; महामंत्री, श्री के०के० श्रीवास्तव; लखनऊ स०पा० अध्यक्ष, श्री राम स्वरूप यादव; लोहिया वाहिनी प्रदेश अध्यक्ष, श्री ब्रह्मवक्श सिंह गोपाल; जेपी नगर जिला अध्यक्ष, श्री बुद्ध सिंह और उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता, श्री जगन्नाथ प्रसाद आदि इसमें शामिल हैं। लोगों को परेशानियां हो रही हैं और हम प्रजातान्त्रिक तरीके से अपनी बात भी नहीं कह सकते हैं। यह अत्यधिक गंभीर सवाल है और सरकार जानबूझकर पोटा का दुरूपयोग कर रही है। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि गोधरा कांड में लिप्त 131 लोगों के खिलाफ पोटा लगा, लेकिन गोधरा के बाद जो गुजरात में हुआ, उस कांड में लिप्त कितने लोगों के खिलाफ पोटा लगाया गया? *(व्यवधान)* महोदय, बहुत गम्भीर मामला है, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। मेरा निवेदन है कि गृह मंत्री जी को बुलाइए और उनसे पूछा जाए कि पोटा का दुरूपयोग कैसे रोका जा सकता है।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, श्री रामजीलाल सुमन की सूचना के साथ-साथ मैंने भी कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पोटा के बारे में मुझे केवल तीन सूचनाएं मिली हैं तथा मैं उन सदस्यों को बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, हम इस मुद्दे को उठाने को मजबूर हैं क्योंकि इसका महत्व बहुत अधिक है। चर्चा में हमने जो भी कहा था, वह ठीक निकला। सचमुच, हमें जो भय था वह ठीक और उचित निकला।

जब विधेयक इस सभा में प्रस्तुत किया गया था तो उसके बाद राज्य सभा में तथा संयुक्त सत्र में भी प्रस्तुत किया गया था तब उप प्रधानमंत्री ने जो पहले गृह मंत्री हुआ करते थे। स्पष्ट आश्वासन दिया था। तब हमने कहा था, "आप अपने लिए अधिकार ले रहे हैं और सभी राज्य सरकारों को अधिकार दे रहे हैं। आप कैसे आश्वासन दे सकते हैं कि राज्य सरकारों द्वारा इसका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा?" अब वे यह कह कर जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाल रहे हैं कि राज्य सरकारें इसका दुरुपयोग कर रही हैं इसलिए केन्द्र सरकार उत्तरदायी नहीं है। किन्तु विधेयक किसने प्रस्तुत किया था? किसने यह विधेयक पुर:स्थापित किया था? संसद को तथा संसद के माध्यम से देश को किसने आश्वासन दिया था कि इस कानून का दुरुपयोग नहीं होगा?

श्री वैको हिरासत में हैं। एक संसद-सदस्य कई महीनों से बिना किसी सुनवाई के बिना किसी जमानत आवेदन के जेल में पड़े हुए हैं और यह सभा चुप बैठी हुई है। हम इस सभा के सदस्य जिनके विरुद्ध कोई निश्चित आरोप नहीं लगा हुआ है, को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। हम उनके साथ राजनीति के खिलाफ हैं परन्तु उन्हें यहां आने, सभा में उपस्थित रहने और चर्चा में भाग लेने की स्वतंत्रता तो होनी चाहिए। वे अपने अधिकार को कैसे खो सकते हैं?

जैसाकि अन्य माननीय सदस्य ने कहा है, एक विधायक को गिरफ्तार किया गया है। एक 81 वर्ष की आयु वाले वयोवृद्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड में एक 12 वर्ष का लड़का और 81 वर्षीय वयोवृद्ध व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं – यह आज के समाचारपत्र में प्रकाशित हुआ है और मैं चाहूंगा कि सरकार इसका सीधा उत्तर दें – इस प्रकार पोटा के अंतर्गत किसान, छात्र और दिहाड़ी मजदूर भी गिरफ्तार किए जा रहे हैं। यह सामान्य कानून बन गया है। तमिलनाडु में इसका खुले आम दुरुपयोग किया जा रहा है।

इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में, झारखंड में किया जा रहा है और गुजरात में यह पहले ही किया जा चुका है। क्या कानून और व्यवस्था में संबंधित मामलें पोटा द्वारा सुलझाए जाने चाहिए? *(व्यवधान)*

इस देश में भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता अप्रांसगिक हो कर रह गये हैं, और आज, संवैधानिक सुरक्षा मात्र परोपकार का मुद्दा बनकर रह गया है।

महोदय, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। यह समाचार प्रेस में प्रकाशित हुआ है। हम इस मामले में सरकार के विचार जानना चाहते

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

हैं कि कम्यूनिस्ट घोषणा पत्र अथवा माओ की रेड बुक की प्रति के साथ पकड़ा गया कोई भी व्यक्ति संदिग्ध चरित्र का हो जाता है और उसे 'पोटा के अधीन हिरासत में ले लेना चाहिए। मेरे पास इन दोनों की प्रतियां हैं। तब तो क्या मुझे भी पोटा के अधीन गिरफ्तार किया जाना चाहिए? यह क्या हो रहा है? *(व्यवधान)* क्या यह सभ्य देश है *(व्यवधान)* महोदय, क्या मैं कम्यूनिस्ट-घोषणापत्र की एक प्रति नहीं रख सकता जोकि इस देश, इस विश्व में लोगों की स्वतंत्रता से संबंधित घोषणापत्र है।

महोदय, मैं सरकार से जानना चाहूंगा *(व्यवधान)* एक जाने माने समाचार पत्र में यह प्रकाशित हुआ है कि पोटा के अधीन कुल 10 बच्चे गिरफ्तार किये गए हैं। इस प्रकार पोटा के अंतर्गत दस बच्चे गिरफ्तार किए गए हैं।

महोदय, हम यह देखते हैं कि इस सरकार के मंत्री, श्री वैको से मिलते हैं और अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हैं। यह कैसी सरकार है? ये कैसे मंत्री हैं? ये गद्दी से चिपके हुए हैं और ये अपनी सहयोगी संसद सदस्यों को नहीं बचा सकते हैं। *(व्यवधान)*

महोदय, यह इस देश की विडम्बना है। नागरिक स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी नहीं है। कुछ सत्ता लोलुप राजनेता जो कहीं भी सत्ता में होते हुए लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं और 'पोटा' का खुलकर दुरुपयोग कर रहे हैं। यह तो कठोर कानून है।

महोदय, मैं इस सरकार से स्पष्टीकरण देने और इसके दुरुपयोग पर रोक लगाने की मांग करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री बसुदेव आचार्य।

(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : महोदय, वहां कोई लोकतंत्र नहीं है *(व्यवधान)* यह तो शर्म की बात है *(व्यवधान)*

श्री एस० जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : महोदय, पोटा के बारे में हम भी अपना विचार रखना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : पोटा से संबंधित मुद्दे को मैंने वाद-विवाद के विषय के रूप में नहीं चुना है। ऐसे कई सदस्य हैं जिन्होंने सूचना दी है और मैं उन्हें मामले को उठाने की अनुमति दे रहा हूं। कृपया समझने की कोशिश कीजिए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इस सभा में और संसद के संयुक्त सत्र के दौरान समस्त विपक्ष ने अपनी यह आशंका व्यक्त की थी। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री वरकला राधाकृष्णन, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। *(व्यवधान)*

श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम (तंजावूर) : महोदय, इस मुद्दे पर मुझे भी बोलने की अनुमति दी जाये। *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इस सभा में और संसद के संयुक्त सत्र के दौरान समस्त विपक्ष ने पोटा के दुरुपयोग की आशंका उसी समय व्यक्त की थी जब पोटा विधेयक को लाया गया।

कई बार उप प्रधानमंत्री ने हमें यहां यह आश्वासन दिया था कि पोटा का दुरुपयोग नहीं किया जायेगा। परन्तु उन्होंने दूसरी सभा में यह कहा कि 'राज्य सरकार द्वारा इसका दुरुपयोग किया जायेगा; और इसमें की कोई भूमिका नहीं है।' उन्होंने सभा में यह कहा था कि : यद्यपि यह तकनीकी तौर पर नहीं है, परन्तु तथ्य यह है कि कानून और व्यवस्था के मामले में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का ही प्राधिकार अलग-अलग है। यह कटु संवैधानिक वास्तविकता है। उन्होंने इस बात को दूसरी सभा में स्वीकार किया है।

महोदय, हमने भी यह व्यक्त किया था कि इसका राज्य सरकार के साथ-साथ केन्द्र सरकार द्वारा दुरुपयोग किया जायेगा।

तमिलनाडु में पोटा का दुरुपयोग शुरू हुआ। इस सभा के वर्तमान सदस्य अभी-भी कई महीनों से पोटा के अंतर्गत जेल में पड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। हमने अभी-अभी सोमनाथ दा की बात सुनी है। उन्होंने इस बात का संदर्भ दिया था कि किस प्रकार झारखंड सरकार ने पोटा के अधीन 12 बच्चों को गिरफ्तार किया था।

महोदय, राष्ट्रीय मानवाधिकार, आयोग के नए अध्यक्ष ने यह कहा था कि हमारे देश में आतंकवाद को रोकने के लिए ऐसे विनाशकारी कानून की कोई आवश्यकता नहीं है; इससे निपटने के लिए कई अन्य कानून हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्होंने यह नहीं कहा था। यह बातें पूर्व सभापति ने कहीं हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : पूर्व सभापति ने भी यह बात कही थी। वर्तमान चेयरमेन, जस्टिस आनंद ने भी यह कहा था। मैंने उनका वक्तव्य कल देखा था। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात पूरी कीजिए। मैं आपको इस विषय पर बोलने का अंतिम अवसर दे रहा हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, ऐसे कई कानून हैं जिनका आतंकवाद पर रोक लगाने हेतु उपयोग किया जा सकता है। *(व्यवधान)*

श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम : महोदय, मुझे भी इस मुद्दे पर बोलने का अवसर प्रदान किया जाए। हमारा राज्य इससे प्रभावित है।

अध्यक्ष महोदय : आप एक अन्य सूचा दीजिए।

(व्यवधान)

श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम : जी, नहीं। आपने सभी को अवसर दिया है और आपको मुझे भी अवसर देना होगा क्योंकि मैं प्रभावित राज्य का सदस्य हूं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने सभी सदस्यों को अवसर नहीं दिया है; मैंने केवल तीन सदस्यों को ही अवसर दिया है जिन्होंने सूचना दी है।

(व्यवधान)

श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम : आप मुझे केवल दो मिनट के लिए बोलने का अवसर दीजिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उस मामले में, अन्य माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम : महोदय, मुझे केवल दो मिनट का समय चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : इस समय भी हमारी यह मांग है कि पोटा के उपबंधों की समीक्षा की जाये और अधिनियम को हटाया जाये। *(व्यवधान)* महोदय, पोटा को हटा लिया जाये। यह हमारा अनुभव है – इसका राज्य सरकारों द्वारा अत्यधिक दुरुपयोग हो रहा है। *(व्यवधान)*

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : यह पूरा देश अनुभव कर रहा है, कि सभी काले कानूनों को अंततः अधिकारातीत घोषित कर दिया गया। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरे सामने केवल एक ही मुद्दा है।

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, कानून मंत्री यहां बैठे हुए हैं। *(व्यवधान)* वे पोटा की बड़ी वकालत कर रहे थे। *(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, कानून मंत्री यहां हैं; उन्हें उत्तर देना चाहिए; यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इससे वाद-विवाद शुरू होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। कई माननीय सदस्यों ने भी सूचनाएं दी हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप पोटा पर चर्चा करना चाहते हैं; आप इसे कभी भी उठा सकते हैं। परन्तु 'शून्यकाल' के दौरान आप अन्य माननीय सदस्यों का समय कैसे ले सकते हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं मुझे खेद है। इससे सभी में अनुशासनहीनता उत्पन्न होगी। मुझे अन्य माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति प्रदान करनी होगी। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब श्री देवेगौडा 'किसानों के समक्ष समस्याओं के बारे में अपने सूचना के संबंध में अपनी बात रख सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, कानून मंत्री को उत्तर देना चाहिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अपने स्थान पर बैठ जाइए। *(व्यवधान)*

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। यदि सभा की कार्यवाही आगे बढ़ानी है तो इसके लिए मेरे पास केवल दो रास्ते हैं। यदि आप यह चाहते हैं कि सभा की कार्यवाही आगे न बढ़े तो अलग बात है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। जब मैं कुछ बोल रहा हूं तो क्या आप सभा में अनुशासन बनाए नहीं रख सकते हैं? मैं यह मुद्दा स्पष्ट कर रहा हूं। यदि माननीय सदस्य 'शून्य काल' के दौरान केवल एक या दो मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस पर सभा को निर्णय लेना है। परंतु जिन माननीय सदस्यों ने नोटिस दिया है उन्हें भी मौका मिलना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम : महोदय, मैं पोटा पर कुछ कहना चाहता हूं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुझे अब अपनी बात पूरी करने दें। क्या आप मुझे अपनी बात पूरी नहीं करने देंगे? आप एक अनुशासित संसद सदस्य हैं; कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दें।

मुझे लगभग 28 सूचनाएं प्राप्त हुई है। सभी सूचनाएं महत्वपूर्ण है। यदि कोई विषय ऐसा है जिस पर चर्चा किए जाने की आवश्यकता है तो आप कार्य मंत्रणा समिति के पास जा सकते हैं और इस पर निर्णय ले सकते हैं। परंतु यदि माननीय सदस्य सभा के नियमों को तोड़ना चाहते हैं फिर सभा की कार्यवाही कैसे चलायी जा सकती है? कृपया मेरे साथ सहयोग करें।

श्री देवगौड़ा द्वारा एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाए जाने के लिए सूचना दी गयी है; मैंने उनसे कहा था कि वे 'शून्य काल' के दौरान यह मुद्दा उठा सकते हैं। वे उस मुद्दे को किसी अन्य नियम के अधीन उठाने की सूचना देना चाहते थे। परंतु मैंने कहा कि अभी समय नहीं है और वे इस समय इस मुद्दे को उठा सकते हैं। उन्होंने मेरे साथ समायोजन किया।

यदि पोटा पर पूरे दिन चर्चा की जानी है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु कई अन्य मामले लम्बित रह जायेंगे। अब शिष्टाचार के रूप में मैं केवल दो सदस्यों श्री जयपाल रेड्डी और श्री पलानीमनिक्कम को 'पोटा' पर बोलने की अनुमति दूंगा।

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : मैंने भी इस मामले पर एक सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने इस मामले पर सूचना दी है? मैं इसकी जांच करूंगा। अत: डा० मल्होत्रा भी इस मामले पर बोलेंगे। तत्पश्चात् यदि सरकार इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहती है तो वह प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकती हैं। तत्पश्चात् हम वह मुद्दा उठायेंगे जिस मुद्दे पर श्री देवगौडा ने सूचना दी थी।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि पोटा में जिस तरह से लोगों को बंद किया गया है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : काफी हो चुका। अध्यक्ष पीठ का भी कुछ विवेकाधिकार है। अब श्री जयपाल रेड्डी बोलें।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा) : अध्यक्ष महोदय जब सरकार ने पोटा से संबंधित विधेयक प्रस्तुत किया तो हमने अपनी आशंकाएं जाहिर की थी। सरकार ने पूरी गंभीरता के साथ इस कठोर विधान के आधार पर देश की सुरक्षा, देश की सम्प्रभुता और देश की अखण्डता की दुहाई दी थी।

अपराह्न 1.00 बजे

परन्तु हमने कहा कि इन उद्देश्यों को जो कि पहले ही प्रशंसनीय थे और अब भी प्रशंसनीय है, पोटा के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। दुर्भाग्यवश हमारी सभी आशंकाएं सही साबित हुई हैं। कई घटनाओं का उदाहरण दिये गये है। मुझे उन घटनाओं का संदर्भ नहीं देना है। यह कहने के लिए कि यह मामला 'पोटा' के लिए उपयुक्त नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कि राजा भैया के बारे में मेरा दृष्टिकोण बहुत अच्छा हो। किसी को पोटा के अधीन गलत ढंग से आरोपित किए गए व्यक्तियों के विचारों को बिल्कुल ही बढ़ावा नहीं देना चाहिए परंतु इस विशेष कानून का अपनी प्रकृति के कारण भयंकर दुरूपयोग हो सकता है। यह अभी तक अपनी आरंभिक अवस्था में ही हैं। कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसलिए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सभा में सभी सदस्यों द्वारा आशंकाएं और संदेह प्रकट किए जा रहे हैं, हम निवेदन करते हैं कि यदि इस कानून को समाप्त नहीं किया जा सकता है तो कम से कम इसमें संशोधन तो किया ही जाना चाहिए। हमें दुरूपयोग रोकने के लिए गंभीर ढांचागत सुरक्षोपायों के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। क्या सरकार इस पर कार्रवाई करेगी?

श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम : आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। 'पोटा' को पारित करते समय डी०एम०के० दल की ओर से हमने यह आशंका व्यक्त की थी कि इसका राज्य सरकारों द्वारा दुरूपयोग किया जा सकता है क्योंकि आपातकाल के दौरान हमें 'मीसा' का कटु अनुभव रहा है। उस समय माननीय गृह मंत्री, श्री आडवाणी ने सभा को आश्वासन दिया था कि इसका किसी के भी द्वारा दुरूपयोग नहीं किया जाएगा। सभा के एक वर्तमान सदस्य माननीय श्री वैको लगभग छह महीने से जेल में है। मैं जानना चाहूंगा कि यदि किसी राज्य सरकार द्वारा इसका दुरूपयोग किया जाता है तो फिर कौन-सा मंच है जहां पर हम राहत के लिए जा सकते हैं।

जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री द्वारा उद्धृत किया गया है, हमारे राजग के संयोजक श्री जार्ज फर्नान्डीज यहां मौजूद हैं। प्रत्येक सत्र के शुरू होने से पहले वे श्री वैको से चर्चा करने के लिए वेल्लोर जेल में जाया करते थे। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या वे राज्य सरकार द्वारा श्री वैको की गिरफ्तारी का समर्थन कर रहे थे या वे उन्हें जेल से सभा में वापस लाना चाहते थे। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से इस बारे में जानना चाहूंगा।

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन) : सरकार को उत्तर देने दीजिए। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं हमारी पार्टी की राय जरूर रखना चाहता हूं कि पोटा का जो कानून है, यह केवल

आतंकवादी, टैरेरिस्ट्स, क्रॉस बार्डर टैरेरिज्म इन लोगों के लिए यह कानून बनाया गया है और इसका उपयोग किसी क्रिमिनल के विरुद्ध या किसी और कारण से नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को केवल इसलिए गिरफ्तार कर लिया जाए कि उसके साथ कोई राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है या कुछ है, पोटा कानून के अंतर्गत इसका कोई विचार नहीं है। *(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : घुमाइये मत, उत्तर प्रदेश के बारे में बताइये। *(व्यवधान)*

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : वाइको के बारे में बताइये, उनके बारे में सैन्ट्रल गवर्नमैन्ट क्या करने वाली है। *(व्यवधान)*

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : मुझे इसके बारे में यह भी कहना था। *(व्यवधान)* पार्टी की राय में किसी भी व्यक्ति को, जो कानून केवल आतंकवादियों के लिए बनाया गया है, जिसमें विदेशों से आतंकवादियों को मदद मिल रही हो, उनसे पैसा मिल रहा हो, वे हमारे देश को बर्बाद करने में लगे हों, देश में बम फोड़ रहे हो इत्यादि, इत्यादि के लिए यह कानून बनाया था। उसमें यह जरूर है कि पोटा कानून में यह प्रावधान है कि अगर कोई एस०पी० या कोई और इसका मिसयूज करेगा तो उसके लिए दो साल की सजा भी है। इसलिए ऐसे अधिकारियों को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर वे ऐसी कोई कार्रवाई करते हैं तो उन्हें कोई सजा भी हो सकती है। परंतु अपोजीशन या कोई और लोग ऐसा कोई मैथड बता सकें कि इसका कोई राज्य सरकार दुरुपयोग न करे तो हमारी राय यह है कि सरकार को उस पर विचार कर लेना चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : यहां कानून मंत्री बैठे हुए हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अभी नहीं, बहुत हो गया, अभी आप बैठिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : मंत्री जी को इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर उत्तर देने दीजिए। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री हरिन पाठक गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं।

(व्यवधान)

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : पोटा कानून का सब जगह दुरुपयोग हो रहा है। *(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा : मि० वाइको के बारे में भी बतायें, उनके लिए यह क्या करने वाले हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बार-बार ऐसा करना आप लोगों को शोभा नहीं देता, प्लीज बैठिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बात आपको शोभा नहीं देती है, प्लीज बैठिये।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : अध्यक्ष महोदय, पोटा कानून के अंतर्गत कई राज्यों में गिरफ्तारियां की गई हैं। इस विषय पर संसद में माननीय सदस्यों ने गहरी चिन्ता व्यक्त की है। इस कानून के अंतर्गत राज्यों में गिरफ्तारियां हुई हैं। आप सबकी चिन्ताओं को देखते हुए मैं उन राज्यों के हरेक केस के बारे में डीटेल्ड इनफॉर्मेशन मंगाऊंगा और अगर सदन चाहता है और आपकी अनुमति होगी तो उसको हम यहां चर्चा के लिए रख सकते हैं और उस पर जो भी कार्रवाई कर सकते हैं उस पर भी सदन में चर्चा कर सकते हैं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय हम विरोध में बहिर्गमन कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

अपराह्न 1.06 बजे

(इस समय श्री सोमनाथ चटर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

श्री एच०डी० देवगौडा (कनकपुरा) : महोदय, आपने मुझे किसानों से संबंधित मुद्दे को उठाने का अवसर दिया है परन्तु दुर्भाग्यवश पोटा के मुद्दे पर सरकार की राय अत्यंत स्पष्ट है कि वह संयुक्त सत्र द्वारा पारित पोटा पर पुन: विचार करना या उसमें संशोधन करना या उसे वापस लेना नहीं चाहती। मैं भी इसका विरोध करना चाहता हूं। इसलिए मैं भी बहिर्गमन कर रहा हूं।

अपराह्न 1.07 बजे

(इस समय श्री एच०डी० देवगौड़ा सभा भवन से बाहर चले गए)

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूं कि सरकार ने आगामी 1 अप्रैल से शहरी और ग्रामीण दोनों जगहों पर स्थायी टेलीफोन दरों

[श्री सुरेश रामराव जाधव]

में वृद्धि करने को निर्णय किया है। एक ओर सैलफोन की दरें कम की जा रही हैं और दूसरी और स्थायी टैलीफोन जो आम जनता और ग्रामीण तथा गरीब लोगों के लिए एक जरूरत की चीज है, उसकी दरों में भारी वृद्धि की जा रही है। वास्तविकता यह है सैलफोन की दरें कम करके लोगों को उस ओर जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ताकि लोग स्थायी टैलीफोन को कटवाकर सैलफ़ोन ले लें। इससे न केवल सरकारी टैलीफोन विभाग का दीवाला पिट जाएगा, बल्कि कुछ समय बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियां मनमाना किराया वसूल करेंगी। मैं सदन के माध्यम से सरकार से अपील करूंगा कि वह आम जनता के इस भारी रोष के मद्देनजर इस मुद्दे पर पुनर्विचार करे ओर टैलीफोन दरों में वृद्धि का जो निर्णय लिया है, उसको तुरन्त वापस ले।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री शंकर प्रसाद जायसवाल – अनुपस्थित।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : जायसवाल जी बार-बार बोल रहे थे कि उनका विषय बहुत महत्वपूर्ण है। वे नहीं हैं?

[अनुवाद]

श्री सुबोध मोहिते – अनुपस्थित

लोग सूचना देते हैं और सदन से अनुपस्थित रहते हैं। यह ठीक नहीं है। यह उचित नहीं है कि सदस्य उस समय अनुपस्थित रहें जब उनकी सूचनाओं को चर्चा के लिए लिया जाता है।

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आप संसद सदस्यों के अधिकारों और कर्त्तव्यों के अभिरक्षक है। यह सभा एक महान सभा है। दुर्भाग्यवश, रक्षा राज्य मंत्री, श्री ओ० राजगोपाल ने केरल में एक प्रेस सम्मेलन के दौरान एक वक्तव्य दिया कि केरल के से निर्वाचित सभी संसद सदस्य राज्य के हितों की रक्षा करने में असफल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि केरल से लोक सभा और राज्य सभा के लिए निर्वाचित सभी संसद सदस्य राज्य के अधिकारों के लिए बहस करने हेतु तैयार नहीं हैं।

महोदय, यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है। यदि कोई राज्य मंत्री इस प्रकार का गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्य देता है तो यह न केवल संसद सदस्यों की प्रतिष्ठा का हनन करने वाला बल्कि सदन की गरिमा को कम करने के समान भी होगा। यह अत्यन्त आपत्तिजनक है।

महोदय जैसा कि लोकसभा के माननीय अध्यक्ष के रूप में आप भली-भांति अवगत हैं कि केरल राज्य से लोकसभा के सभी संसद सदस्य केरल राज्य से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को बार-बार उठाते हैं। हम विपक्ष में हैं। केरल राज्य से सभी 20 संसद सदस्य विपक्ष में बैठ हुए हैं। इसके बावजूद अपने राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों के समाधान के लिए दल सम्बद्धता को ध्यान में न रखते हुए हम मंत्रियों से मिल रहे हैं और हम अपने मुद्दे उनके साथ उठा रहे हैं तथा उनके साथ बहस भी करते हैं।

महोदय, आप अच्छी तरह जानते हैं कि केरल राज्य के सभी संसद सदस्य इस महान सभा में अपने राज्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों को उठा रहे हैं। माननीय मंत्री हमारे राज्य से नहीं हैं। वे मध्य प्रदेश राज्य से राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। केरल के लोगों ने भाजपा के उम्मीदवारों को नकार दिया है और अब इससे कुछ राजनीतिक लाभ लेने के लिए *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको दो मिनट बोलने की अनुमति दी थी परंतु आप जिस मुद्दे को उठाना चाहते हैं सूचना में आपके द्वारा उठाये जाने वाला मुद्दा अलग था। आप और अधिक इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना के बारे में बोलना चाहते थे।

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, मैंने इस संबंध में एक अन्य सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : यह सूचना नहीं है।

श्री रमेश चेन्नितला : मैंने आपको एक और सूचना दी थी क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह संसद सदस्यों की प्रतिष्ठा और सदन की गारिमा का हनन करने के समान है। केरल राज्य से भाजपा का कोई भी सदस्य इस सदन के लिए निर्वाचित नहीं हुआ है। एक वरिष्ठ नेता जो रक्षा मंत्रालय में मंत्री भी है का इस प्रकार का वक्तव्य अत्यन्त आपत्तिजनक है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से इस तरह का वक्तव्य वापस लेने का अनुरोध करना चाहूंगा, ताकि सभा की गरिमा और शालीनता को बनाए रखा जा सके।

श्री पी०एच० पाण्डियन (तिरुनेलवली) : महोदय, आपको राज्यों के हित की भी सुरक्षा करनी होगी। पोटा इत्यादि को प्रयोग करने जैसे राज्य के विषय इस सभा में उठाये जा रहे हैं। संसद द्वारा एक कानून पारित किया गया है और जब एक कानून लागू है, तो राज्य सरकारों का अपराधियों के विरुद्ध कानून लागू करना किया होगा। क्या राज्य के विषयों पर इस सभा में वाद-विवाद किये जाने की अनुमति दी जायेगी? ऐसी स्थिति में हमें भी खड़ा होना होगा और

स्थायी सदस्य को आरोपों का जवाब देने के लिये यहां रहना ही होगा। यहां तक कि श्री मुलायम सिंह यादव जब कल उत्तर प्रदेश की अन्य राज्यों के साथ तुलना कर रहे थे, तो उन्होंने भी यह मुद्दा उठाया था।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता है, आपके दिमाग में क्या है।

श्री पी०एच० पाण्डियन : महोदय, कृपया के विषयों को यहां उठाने की अनुमति न दें। कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। संसद द्वारा एक कानून पारित किया गया है और इसे राज्यों द्वारा लागू किया जाना है। मैं जवाब देने के लिये वहां मौजूद था। *(व्यवधान)* और मैं यहां इन्तजार नहीं कर सकता क्योंकि कोई तो इसे उठायेगा। अत: आपको राज्यों के हित की सुरक्षा करनी पड़ेगी।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, सरकार टेलीफोन का मासिक किराया 250 रुपए से बढ़ाकर 280 रुपए करने जा रही है। इसी के साथ 3 मिनट की एक कॉल का समय घटाकर 2 मिनट कर रही है। पहले एक महीने में 75 कॉल फ्री थीं और अब इनकी संख्या घटाकर 30 करने जा रही है। इस प्रकार से प्रतिमाह 45 फ्री कॉल कम की जा रही हैं। तीन से दो मिनट काल टाइम कम करने से प्रति माह 82 कॉल का पैसा उपभोक्ता को ज्यादा देना पड़ेगा। पहले 1000 कॉल करने पर जहां 1325 रुपए देने पड़ते थे, वहां अब रेट बढ़ने के बाद 2025 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। इस प्रकार से उपभोक्ता के ऊपर प्रति माह लगभग 695 रुपए ज्यादा का बोझ बढ़ाया जा रहा है, यानी 52 प्रतिशत दाम बढ़ जाएंगे। इसकी वजह से एम०टी०एन०एल० सरकार की कंपनी बन्द हो जाएगी और उसके बन्द होने पर 65,000 वर्कर्स सड़क पर आ जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, सरकारी कंपनी की डालफिन सेवा के मार्केट में आने से सैल्यूलर टेलीफोन के दाम जो पहले 16 रुपए प्रति मिनट थे वे घट कर अब रु० 1.49 प्रति मिनट रह गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि एम०टी०एन०एल० के कारण दामों में भारी गिरावट आ गई जिससे उपभोक्ता को लाभ हुआ। इसमें कंपटीशन होना चाहिए यह अच्छी बात है, लेकिन सरकारी कंपनी एम०टी०एन०एल० को भी कंपटीशन में आने की इजाजत देनी चाहिए। मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से प्रार्थना करता हूं कि सरकार टेलीफोन के जो दाम बढ़ाने जा रही है, उसे रद्द किया जाए। इसके लिए एम०टी०एन०एल० को अपनी टैक्नौलौजी अपग्रेड करने के लिए इक्विपमेंट्स खरीदने चाहिए जिससे इस सार्वजनिक सेवा का फायदा आम जनता को हो सके।

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय सुषमा स्वराज जी से आग्रह करना चाहती हूं कि महिला आरक्षण बिल को पारित कराने के लिए संसद में लाया जाए।

माननीय अध्यक्ष जी, देश में महिलाओं की आबादी 50 प्रतिशत है। फिर भी इस बिल को पारित कराने के लिए सदन में नहीं लाया जा रहा है, महिलाओं के प्रति यह अत्याचार और अन्याय है।

अध्यक्ष महोदय, महान समाजवादी नेता और चिंतक डा० राममनोहर लौहिया जी ने कहा था कि महिलाएं अल्पसंख्यक और हरिजन की तरह ही आर्थिक रूप से कमजोर हैं और वे अभी काफी पिछड़ी हुई हैं। महिलाओं की कोई जाति नहीं होती, जिस पुरुष से उसकी शादी कर दी जाती है, वह उसी की बन जाती है। महोदय, हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि हम 21वीं सदी में जा रहे हैं और आज भी महिलाओं की स्थिति वही है। कविवर गुप्त जी ने कहा है – "अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी।"

अध्यक्ष महोदय, कृपा कर इस बिल को लाया जाए और पारित कराया जाए तथा महिलाओं को इस कविता से मुक्त कराया जाए। 21वीं सदी में उसके ऊपर हो रहे अत्याचार को खत्म किया जाए।

अपराह्न 1.16 बजे

[अनुवाद]

(तीन) देश में किसानों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में

श्री एच०डी० देवगौडा (कनकपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर एक गम्भीर मुद्दे के रूप में विचार करने के लिये आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आपने कार्यमंत्रणा समिति में अथक प्रयास किया और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने आपका समर्थन किया; किन्तु दुर्भाग्यवश समय की कमी के कारण आप इस मुद्दे को स्थगन प्रस्ताव के अंतर्गत नहीं उठा पाये थे। जब मैंने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी, तो मामले पर कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा की गई थी और इसे इस सप्ताह के लिये सूची में शामिल करना संभव नहीं था। मैं समय की कमी को समझ सकता हूं।

आज आपने 'शून्य काल' के दौरान तीन महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये हैं। मैं समझ सकता हूं कि तीनों ही मुद्दे अत्यन्त बडे और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। मैं किसी भी मुद्दे को कम महत्वपूर्ण होने के नाते छोटा नहीं बना सकता। किसानों का मुद्दा इतना अधिक गम्भीर है कि गन्ना उत्पादक प्रत्येक राज्य में हानि उठा रहे हैं। यहां तक कि अन्य किसान, जो 'खरीफ' और 'रबी' की फसल उगाते हैं, वे भी अत्यन्त परेशान हैं। 'शून्य काल' चर्चा से इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होने जा रही है। माननीय कृषि मंत्री यहां मौजूद हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे यहां केवल आपकी बात सुनने के लिये मौजूद है।

श्री एच०डी० देवगौडा : हां, मैं जानता हूं कि वे यहां आपके आदेश के बाद ही मौजूद हैं। वे भी समान रूप से रूचि रखते हैं। मैं इस मुद्दे के लिए उनकी गम्भीरता कम नहीं कर रहा हूं। सभा के बाहर, उन्होंने एक विपक्ष के सदस्य के रूप में अपनी भावनायें व्यक्त कीं, जबकि वे स्वयं केबिनेट मंत्री हैं। मैं उनकी भावनाओं को समझ सकता हूं।

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इस सभा में एक आश्वासन देने के बाद कई किसानों ने आत्महत्या कर ली है। मेरे अपने राज्य से संबंधित एक सूची मेरे पास है। मैंने सम्पूर्ण देश के संबंध में सूची एकत्र नहीं की है। मैं यहां कर्नाटक से संबंधित सूची लाया हूं। माननीय प्रधानमंत्री के गन्ना और सूखे के मुद्दों पर हस्तक्षेप करने के बाद दोनों ही मुद्दे विपक्ष के माननीय नेता द्वारा उठाए गये थे। वहां बहुत-से किसानों ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने दोनों ही मुद्दे पर हस्तक्षेप किया और कुछ विशेष आश्वासन दिये। दुर्भाग्यवश, उनके आश्वासन के बाद स्थिति और अधिक गम्भीर बन गई है और काफी बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मैं कर्नाटक में आत्महत्या करने वाले किसानों, चाहे वे कॉफी उत्पादक हों अथवा गन्ना उत्पादक अथवा परम्परागत खरीफ और रबी फसल उत्पादक, की पूरी सूची नहीं पढ़ना चाहता हूं।

प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य मेरे हाथ में है। मैं सभा के लाभ के लिए केवल एक वाक्य पढ़ूंगा। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि :

> ''मैंने पहले घोषणा की थी कि खरीफ की फसल पर ऋण तथा कृषि संबंधी सावधि ऋण दोनों पर चालू वर्ष का ब्याज आस्थगित कर दिया जायेगा और समुचित ऋणों को लघु और सीमान्त कृषकों के मामले में अगले पांच वर्षों और अन्य किसानों के मामले में तीन वर्षों में वसूल किया जाने वाले आवधिक ऋणों में पुनर्निर्धारित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, इन दोनों प्रकार के ऋणों पर लगभग 640 करोड़ रुपये का एक वर्ष का ब्याज आस्थगित कर दिया गया है''

इसे देयता के रूप में कई वर्षों में फैलाया जाना था। यह सभा के पटल पर इस आश्वासन का पहला भाग है। महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिशा-निर्देश जारी किये हैं। उनमें आवधिक ऋण का उल्लेख नहीं है। नाबार्ड ने भी दिशा-निर्देश जारी किये थे और उन दिशा-निर्देशों में भी आवधिक ऋण का उल्लेख नहीं है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। ब्याज घटक की पांच वर्षों के लिये इस तरह से व्यवस्था की गई है कि इसमें से 20 प्रतिशत का केन्द्र सरकार द्वारा पुन: भुगतान किया जाएगा। यह किसलिये है? क्या आप वास्तव में इसमें रूचि रखते हैं? मैं इसके, विशेष रूप से भा०रि०बै०, नाबार्ड द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों और प्रधानमंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों के गुणों के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं।

मैं इस मुद्दे को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। समस्त सभा इस मुद्दे पर चिन्तित हैं। जब आपने नियम 193 के अंतर्गत चर्चा की अनुमति दी थी, तो हमने इस मुद्दे पर दो दिनों तक चर्चा की थी और समस्त सभा ने इसका समर्थन किया था। आज भी हम सबको मिलकर दु:ख झेल रहे किसानों के लिये उपाय ढूंढना चाहिये। कृपया केवल इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिये कोई अन्य तिथि निर्धारित करें तथा मुझे आशा है कि किसानों के लिये कोई समाधान ढूंढने हेतु सभा के सभी सदस्यों द्वारा इस मुद्दे को गम्भीरता से लिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, यदि कार्य मंत्रणा समिति इस मुद्दे पर चर्चा के लिये सहमत है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु इस बीच क्या आज उन्होंने जो कुछ भी कहा उस पर प्रतिक्रिया करना चाहेंगे? इसका कारण यह है कि मुझे अपराह्न 1.30 बजे सभा स्थगित करनी है और हमारे पास 5 से 10 मिनट और शेष बचे हैं। अत: आप केवल उनके बिन्दुओं पर प्रतिक्रिया करें।

श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा) : महोदय, मैं इस मुद्दे पर श्री देव गौडा जी के साथ हूं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपके साथ-साथ श्री मुनियप्पा और श्री कोडिकुनील सुरेश भी श्री देव गौडा का साथ दे सकते हैं। मंत्री महोदय, आप प्रतिक्रिया कर सकते हैं और यदि कार्य मंत्रणा समिति सहमत होती है, तो हम इस पर चर्चा करेंगे। इस बीच, चूंकि हमने बहुत लम्बे समय तक धैर्यपूर्वक इन्तजार किया है और मुद्दा उठाया है, अत: मेरे विचार से आपको अवश्य ही इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया करनी चाहिये।

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक) : महोदय, मैं कुछ कहना चाहूंगा। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जब मैंने आपका नाम पुकारा था, आप उपस्थित नहीं थे।

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह) : महोदय, माननीय सदस्य श्री देव गौडा ने एक मुद्दा उठाया है, जिसके संबंध में सभी सदस्य चिन्तित हैं। वे इस पर विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं। जैसा कि आपने कहा, कार्य मंत्रणा समिति इस पर विचार करेगी। अत: उचित यही होगा कि मैं सभी सम्बन्धित सदस्यों को सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दूं। मुझे उनकी बात सुनने दें। अभी प्रतिक्रिया करने का कोई फायदा नहीं है, इस पर चर्चा करें और उसके बाद इस पर पुन: प्रतिक्रिया करें। किन्तु जहां तक सरकार का प्रश्न है, यदि इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करनी पड़े, तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है और हम इसका स्वागत करते हैं।

श्री इन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, आप जानते हैं कि कोलकाता विमानपत्तन भारत के पूर्वी जोन का मुख्य प्रवेश द्वार है। समस्या यह है एक के बाद एक विदेशी एयरलाइन्सोंने ने कोलकाता हवाई अड्डे से अपनी विमान सेवायें हटा ली हैं और इसके कारण पूर्वी क्षेत्र का कारोबार और विकास गंभीर संकट में है।

के०एल०एम० एयरलाइन्स और जापान एयरलाइन्स, जिसकी पहले वहां से विमान सेवायें चलती थी, ने अपनी विमान सेवायें हटा ली है। इससे बहुत-बड़ी समस्या पैदा हो गई है। अत: राज्य सरकार और पश्चिम बंगाल से संसद सदस्यों ने सरकार से अन्य कई अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स जो कलकत्ता से उड़ने की इच्छुक है सहित कोलकत्ता-सिंगापुर उड़ान, कोलकाता-बैंकाक उड़ान, कोलकाता-टोक्यो उड़ान, के०एल०एम० एयरलाइन्स और कोलकाता लन्दन उड़ान को पुन: बहाल करने का अनुरोध किया था। किन्तु सरकार इस संबंध में कोई ज्यादा पहल नहीं कर रही है। मैं विशेष रूप से कहूंगा कि जापान ने पश्चिम बंगाल के पूर्वी क्षेत्र में अकेला सबसे बड़ा निवेश किया है। किन्तु वे कोलकाता सीधे नहीं आ सकते हैं।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे सभी अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स, जो पहले उड़ान सेवाएं दे रही थीं, को बहाल किया जाना चाहिये और नई एयरलाइन्स, जो कोलकाता से उड़ान सेवाएं देना चाहती है, को भी अनुमति दी जाये तथा सरकार को इस मामले में पहल करनी चाहिये।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मुम्बई हमारे देश की इकोनोमिक कैपिटल है, आर्थिक राजधानी है। मुम्बई में भारत के सभी राज्यों के लोग रहते हैं। मुम्बई उत्तर भारत और दक्षिण भारत का सैण्ट्रल प्लेस भी है। मेरा निवेदन है कि मुम्बई को सैकिण्ड कैपिटल, उप-राजधानी बनाया जाये और वहां एक साल में एक महीने का संसद का अधिवेश हो, यह हमारी मांग है। सरकार की तरफ से जार्ज फर्नाण्डीज जी यहां हैं, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मुम्बई को उप-राजधानी का दर्जा देना चाहिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज जी मुम्बई को उपराजधानी बनाने की हमारी मांग है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुम्बई से परिचित दोनों मंत्री यहां हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री विनय कुमार सोराके (उदुपी) : अध्यक्ष महोदय, हवाई पट्टी के विस्तार सहित बाजपे, मंगलौर हवाई अड्डे का विस्तार कार्य काफी समय से चलता आ रहा है, किन्तु परियोजना परिव्यय में वृद्धि से बचने के लिये कार्य को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त प्रगति नहीं हो रही है।

कर्नाटक सरकार ने अपनी ओर से भूमि अधिग्रहण और विस्थापित परिवारों के पुनर्वास हेतु 11 करोड़ रुपये से अधिक व्यय किया है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भूमि का कब्जा दे दिया है। पश्चिमी तट पर स्थित मंगलौर घनी आबादी वाले नगरों और शहरों के विशाल भीतरी प्रदेशों तक पहुंचने की सेवायें प्रदान करता है तथा यह भारी कार्गो यातायात सम्भालने वाला पत्तन भी है। यह क्षेत्र खाडी के देशों में कार्यरत 4.5 लाख अनिवासी भारतीयों जो प्राय: अपने गृह नगरों की यात्रा करते हैं, के अलावा भारत और विदेशों से बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है।

वर्तमान में उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेक्टरों पर उड़ने वाले विमानों अथवा बड़े बोइंग विमान जैसे बड़े-बड़े विमान में यात्रा करने के लिए बाजपे, मंगलोर में सुविधाओं की कमी के कारण मुंबई या अन्य स्थानों पर विमान बदलना पड़ता है। इसके अलावा, इस क्षेत्र से बड़ी संख्या में हजयात्री प्रत्येक वर्ष मक्का की यात्रा करते हैं और उन्हें मुम्बई में विमान बदलने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे पड़ोसी राज्य केरल में तीन अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन हैं जहां से पर्याप्त यात्री राजस्व प्राप्त होता है। यदि कार्य शीघ्र पूरा कर लिया जाए तो मंगलोर में और अधिक राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।

मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह बजटीय योजना निधियों की कमी के कारण तथा अत्यधिक जन उपयोगी परियोजनाओं हेतु नागर विमानन मंत्रालय के पास उपलब्ध आकस्मिक योजना निधियां प्राप्त करने के उद्देश्य से बाजपे में कार्य की रफ्तार कम न करे।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.30 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.27 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.30 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.30 बजे पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए]*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेगी। श्री नरेश पुगलिया।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

भातरीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित बोतल बंद पेयजल में हानिकारक पदार्थों के अवशिष्टों का कथित रूप से पता लगना

श्री नरेश पुगलिया (चन्दपुर) : महोदय, मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री महोदया का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें :–

"भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित बोतल बंद पेयजल में हानिकारक कीटनाशक पदार्थों के अवशिष्टों का कथित रूप से पता लगने से उत्पन्न स्थिति तथा सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदम"

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : उपाध्यक्ष महोदय, हाल ही में समाचार पत्रों में बोतलबंद पेयजल की गुणवत्ता के बारे में रिपोर्टें छपी हैं। ये रिपोर्टें विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र 41, तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली द्वारा किए गए अध्ययनों पर आधारित हैं।

रिपोर्टों के अनुसार विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र ने नाशक जीवमार अवशिष्टों के लिए बोतलबंद पेयजल के 17 ब्रांडों की जांच की है। अध्ययनों से प्राप्त हुए परिणाम से पता चला है कि जिन नमूनों का विश्लेषण किया गया उनमें नाशक जीवमार अवशिष्ट पाए गए।

इन अध्ययनों के अनुसार निम्नलिखित कारणों से बोतलबंद पेयजल में नाशक जीवमार अवशिष्ट आए हैं :–

(1) नाशक जीवमार अवशिष्ट कच्चे नमूनों (भूमिगत नमूने) में पाए गए जो कि विभिन्न निर्माताओं के लिए जल का स्रोत हैं।

(2) कच्चे पानी के लिए प्रयुक्त उपचार तकनीक कीटनाशक पदार्थों को हटाने के लिए समुचित नहीं हैं।

(3) जल के पूरे भाग पर 'रिवर्स ऑस्मोसिस' नहीं किया गया; नियमों के अंतर्गत विहित खनिज मात्रा बनाए रखने के लिए जल के एक भाग पर ऑस्मोसिस किया जाता है और उसे पूर्व-उपचारित जल के साथ मिला दिया जाता है।

पैक किए गए पेयजल तथा मिनरल वाटर के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानक खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अंतर्गत वर्ष 2000 में अपनाए गए थे। खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों में पैक किए हुए पेयजल तथा प्राकृतिक मिनरल वाटर के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन का उपबंध किया गया है। इन मानकों के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा उसकी निरीक्षण और परीक्षण स्कीम में निर्धारित विधियों के अनुसार जब इनका परीक्षण किया जाए तो नाशक जीवमार अवशिष्ट 'पता लगाए जा सकने वाली सीमा से नीचे' होने चाहिए। भारतीय मानक ब्यूरो की विधि के अनुसार पैक किए गए पेयजल और मिनरल वाटर के विलेषित नमूने अपेक्षाओं के अनुरूप पाए गए। तथापि, विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र के अध्ययन में, पानी में नाशक जीवमार अवशिष्ट अधिक संवेदनशील परीक्षण विधि के प्रयोग के परिणामस्वरूप पाए गए। यह एक ऐसी परीक्षण विधि है जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित विधि से अधिक संवेदनशील है।

अब भारतीय मानक द्वारा किये गये प्रस्ताव इस प्रकार हैं :

(एक) विलेषण की विधियों को संशोधित करना तथा विलेषण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित परीक्षण विधियों का प्रयोग करके किये जायेंगे और जो अवशिष्टों की निर्धारित सीमा को पूरा करेंगे।

(दो) पैक किए गए पेयजल तथा मिनरल वाटर में नाशक जीवमार अवशिष्ट की अधिकतम सीमायें निर्धारित करना जो, इस प्रकार है :

(क) व्यक्तिगत रूप से विचार किए गए नाशक जीवमार अवशिष्ट - 0.0001 मि०ग्रा०/लीटर

(ख) कुल नाशक जीवमार अवशिष्ट - 0.0005 मि०ग्रा०/लीटर

(तीन) निर्माता, भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के भू-जल प्राधिकरण से प्राप्त एक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

चूंकि पैक किया हुआ पेयजल भारतीय मानक ब्यूरो की अनिवार्य प्रमाणन योजना के अधीन है, इसलिए पी०एफ०ए० नियमों के अधीन निर्धारित मानकों और भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा संशोधित मानकों के बीच सामंजस्य स्थापित किये जाने की आवश्यकता है।

तदनुसार, भारतीय मानक ब्यूरो की संस्तुति के अनुसार पी०एफ०ए० नियम, 1955 के अधीन पैक किए हुए पेयजल एवं मिनरल वॉटर के मानकों में संशोधन करने के लिए जनता की टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु एक प्रारूप अधिसूचना 18.02.2003 की सा०का०नि० संख्या 111 के द्वारा जारी की गई है। इस अधिसूचना के द्वारा निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित हैं :–

(एक) व्यक्तिगत रूप से विचार किए गए नाशक जीवमार अवशिष्ट-0.0001 मिलीग्राम/लीटर (अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्थापित परीक्षण प्रणालियों का उपयोग करके इसमें ऊपर विनिर्दिष्ट अवशिष्ट सीमाओं को पूरा करने के लिए विश्लेषण किया जाएगा)

(दो) कुल नाशक जीवमार अवशिष्ट-0.0005 मिलीग्राम/लीटर अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्थापित परीक्षण प्रणालियों का उपयोग करके इसमें ऊपर विनिर्दिष्ट अवशिष्ट सीमाओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा)

(तीन) निर्माता भारतीय मानक ब्यूरो और पी०एफ०ए० प्राधिकारियों से अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार भूमिगत जल प्राधिकरण से एक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

श्री नरेश पुगलिया (चन्द्रपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने अपने उत्तर में जानकारी दी है किन्तु पेयजल के विषय में और खासकर जो बिसलरी बॉटल्स आ रही हैं, इस विषय में अभी पिछले दो सप्ताह से खासकर वर्तमान पत्रों के माध्यम से और इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से जनता के सामने जो तथ्य लाये गये हैं कि किस प्रकार से ये जनता में लूट कर रहे हैं। हम यह समझते थे कि इनका ट्रस्ट है और खासकर जो बाहर की महत्वपूर्ण कंपनियां हैं और देश की कंपनियां हैं, ऐसी 800 कंपनियां देश में सीलबंद बोतलों में पेयजल भेज रही हैं। 1000 करोड़ के ऊपर का इनका टर्न ओवर है और ये अपना एड देते समय कहती हैं।

[अनुवाद]

उदाहरण के लिए, "द टाइम्स ऑफ इंडिया के एक विज्ञापन में कहा गया है, "किनली 100 प्रतिशत ट्रस्ट अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानक पूरा करता है तथा सुवाह्य पेयजल हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशानिर्देशों का प्रयोग करता है।"

[हिन्दी]

सी०एस०ई० ने इसका सैम्पल टेस्टिंग किया जो 17 सैम्पल्स दिल्ली से और 13 सैम्पल्स मुम्बई से लाए हैं और उनमें बड़े पैमाने पर पेस्टीसाइड्स पाया गया है। पेस्टीसाइड्स के माध्यम से जो नुकसानदायक चीजें हैं, खासकर एक मैगजीन ने उल्लेख किया है कि इस पेस्टीसाइड्स को ड्रिंकिंग वॉटर में यूज करने से किस प्रकार की शरीर में बीमारियां होती हैं और कई बीमारियों का उल्लेख उसमें किया गया है। इन सब चीजों को देखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि देश में इस समय बिसलरीज के नाम पर जो देशी और विदेशी कंपनियां जनता में लूट मचा रही हैं. इस लूट को रोकने के लिए ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड 'बी०आई०एस०' ने प्रपोज किया है कि यूरोपियन इकोनॉमिक कमीशन 'ई०ई०सी०' स्टैंडर्ड का ही होना चाहिए और मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आई०एस०आई० स्टैंडर्ड का 8 कंपनियों को मार्क है और कल ही फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर ने कुछ कंपनियों को सील कर दिया है लेकिन कंपनियों को सील करने से नहीं होगा। आज जो अवेलेबल स्टॉक है, उसके विषय में माननीय मंत्री जी क्या एक्शन लेने जा रही हैं और यह जो आई०एस०आई० मार्क दिया गया है, यह आई०एस०आई० मार्क देने से पहले उन लोगों ने क्या लैबोरेटरीज में सैम्पल्स की जांच की है या नहीं की है और खासकर कई दिनों से यह मांग की जाती रही है कि हमारी लैबरेटरीज में खासकर टेस्टिंग ईक्विपमेंट्स पूरे न होने की वजह से इस प्रकार की धांधलियां ये कंपनीज कर रही हैं। कई कंपनियां सीधा बोरवैल से या ट्यूबवैल से ग्राउंड वॉटर यूज करके, उसकी पैकिंग करके जनता के बीच में भेज रही हैं और मिनरल वॉटर या बिसलरी के नाम पर जनता को लूट रही हैं। इन पर हम लोग भी बड़ा भरोसा करते थे और यहां तक बड़ी से बड़ी बीमारी वाले मरीज को भी तथा बच्चों को भी यही बिसलरी वॉटर देते थे कि यह सौ प्रतिशत प्योर है। इस प्रकार से देश के अंदर, जनता के बीच में ये कंपनियां लूट कर रही हैं तो माननीय मंत्री जी इनके खिलाफ क्या एक्शन लेंगी? आपने कहा कि हमने आठ यूनिटों को सील कर दिया है, जो कि आई०एस०आई० मार्क हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि बाकी के खिलाफ आप क्या एक्शन लेने जा रही हैं? इसके अलावा आई०एस०आई० मार्क देने के पहले क्या उनके पानी की जांच प्रयोगशाला में की गई थी या नहीं? इसके अलावा क्या आप आई०एस०आई० को यूरोपियन स्टैंडर्ड के बराबर लाने की कोशिश करेंगी? आपने इस एक्ट में संशोधन लाने का जो सुझाव दिया है, उसका हम स्वागत करते हैं, किन्तु पेस्टीसाइड्स बड़े पैमाने पर हमारे पीने के पानी में मिक्स हो रहा है, जो कि अत्यंत हानिकारक है। उसको देखते हुए जैसे पेस्टीसाइड को विदेशों में खासकर अमेरिका और इंग्लैंड में बंद कर दिया गया है, क्या यहां भी उसपर रोक लगाने का आप प्रयास करेंगी?

एक सर्वे में बताया गया है कि सी वाटर को भी पीने के योग्य बनाया जा सकता है। खासकर अरब देशों में डीसेलिनेशन प्लांट लगाकर इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है। उसकी कॉस्ट पांच पैसे प्रति लिटर आ रही है, अगर वह बड़े पैमाने पर तैयार किया जाए। लेकिन हमारे यहां जो एक लिटर पानी की बोतल है, वह दस रुपए में मिलती है। उसमें रा वावटर दस नए पैसे प्रति लिटर पड़ता है। कॉस्ट आफ बैस्ट पॉसिबिलिटी आफ ट्रीटमेंट 35 नए पैसे प्रति लिटर खर्चा आता है। इसके अलावा पैकिंग एंड बॉटलिंग एक रुपया दस नए पैसे, एक्सपैंडिचर एंड ट्रांसपोर्टेशन आफ बॉटलिंग दो रुपए प्रति लिटर बैठती है और रिटेलर को दो रुपए का मुनाफा बताया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 6.65 रुपए प्रति बोतल खर्चा आता है, जिसमें काफी

[श्री नरेश पुगलिया]

पैसा रिटेलर को चला जाता है। यह बोतल बाजार में दस रुपए प्रति लिटर के हिसाब से मिलती है। इस तरह से न तो हमारा कीमत पर कोई नियंत्रण है और न ही क्वालिटी पर कोई नियंत्रण है। मंत्री जी ने अभी कहा कि हमने इन कम्पनीज को सील कर दिया है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। जो कम्पनीज गलत पानी लोगों को दे रही थीं, उन कम्पनीज के मालिकों के खिलाफ आप क्या एक्शन लेने जा रही हैं?

इसके अलावा जो कम्पनीज सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स बनाती हैं, जैसा कोका कोला है, पेप्सी है, उनकी भी जांच होनी चाहिए। हो सकता है जब पानी में इतनी मिलावट है, पेस्टीसाइड्स हैं, तो इन शीतल पेय का क्या हाल होगा इसलिए इस पर भी ध्यान देना होगा। मेरा मंत्री महोदया से सवाल है कि जितनी भी इस सम्बन्ध में बड़ी यूनिट्स हैं, उनको सी वाटर प्रोसेस करके पीने का पानी बनाने की क्या आप इजाजत देंगी? आज इंडस्ट्रियल बैल्ट में देखा जाता है कि वहां दूषित पानी को बोतलों में पैक करके बड़े शहरों में बेचा जाता है, जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ रही है। इस बारे में आप क्या एक्शन लेने जा रही हैं और राज्य सरकारों को क्या आपने इस सम्बन्ध में सूचना दी है?

श्री रामजीवन सिंह (बलिया, बिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले प्रैस, दूरदर्शन, आकाशवाणी और मीडिया को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस सम्बन्ध में जांच करके इन तथ्यों को जनता के सामने प्रस्तुत किया कि किस तरह से पानी में विष मिलाकर बेचा जाता है और कैसे लोगों के स्वास्थ्य और जान को खतरा पहुंचाया जाता है। मैं धन्यवाद देता हूं मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ० मुरली मनोहर जोशी जी को, जिन्होंने अपने विभाग से इसकी जांच कराई और पाया कि पानी में पेस्टीसाइड्स पाए जा रहे हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य को गम्भीर खतरा हो सकता है। मैं धन्यवाद देता हूं खाद्य एवम् नागरिक आपूर्ति मंत्री शरद यादव जी को जिन्होंने इस सम्बन्ध में कार्रवाई करते हुए आठ इकाइयों के आई०एस०आई० मार्क को वापस लेने के निर्देश दिए हैं और आगे इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं स्वास्थ्य मंत्री जी को, जो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, जिन्होंने इस सम्बन्ध में त्वरित कार्रवाई की और जैसा अभी उन्होंने बताया कि लोगों की राय जानने के लिए इस सम्बन्ध में विज्ञापन भी दिया गया है। उसका गजेट भी निकाला है और एक महीने में उस विचार करके तद्नानुसार कार्रवाई करने की सोची है। अभी मंत्री जी ने बताया कि हमने इसकी जांच कराई है। क्या जो कच्चा पानी है उसके ट्रीटमेंट की, उसको साफ-शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक बनाने, की उसके ट्रीटमेंट की टैक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई है? क्या अभी ऐसी टैक्नोलॉजी नहीं है जो पानी के विषैले तत्वों को पानी से पृथक कर सके। मेरा तो ख्याल है कि इसमें काफी विकास हुआ है और दुनिया के देशों में भी पानी बोतल में दिया जा रहा है। क्या उन देशों में इस तरह की टैक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई है जो इन विषैले तत्वों को पानी से पृथक कर सके? अगर विकसित हुई है तो भारत में उस टैक्नोलॉजी को लाने के लिए क्या किया जा रहा है? अगर भारत में इस तरह की कोई टैक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई है तो इस तरह के विषैले पानी को बेचने की अनुमति क्यों दी जा रही है जिसका असर जनता के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है।

दूसरा, सरकार ने लोगों की राय एक महीने के अंदर गजट प्रकाशित करके मांगी है। जब तक लोग अपनी राय देते हैं क्या तब तक इन लोगों को पेय के उत्पादन और वितरण की इजाजत दी जा सकती है? क्या सरकार तब तक के लिए इस तरह के विषैले पानी पर रोक लगाने जा रही है? हमारे देश में काफी बड़े पैमाने पर पेय-पदार्थों की खपत बढ़ती जा रही है। एक अनुमान के अनुसार इसकी खपत पिछले सालों में 40 प्रतिशत तक बढ़ी है। सन् 1996 में इस देश में मात्र 9 करोड़ लीटर बोतल का पानी बिकता था, वह बढ़कर सन् 1997 में 42 करोड़ 60 लाख लीटर पर पहुंच गया। जहां पहले सन् 1997 में केवल 200 करोड़ रुपये के पेय बेचे जाते थे अब वही आंकड़ा बढ़कर 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया है।

आज हमारे देश में चाहे होटल हो, रेस्तरां हो, पानी की बोतल का इस्तेमाल 10 प्रतिशत हो रहा है। घरों में इसका प्रतिशत 20 के आस-पास है। कार्यालयों में भी पांच प्रतिशत के आसपास इसका इस्तेमाल हो रहा है। आज कोई भी समारोह हो, शादी-ब्याज हो, वहां भी बोतल के पानी का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। इसलिएं बोतल के पानी की जांच एक अहम प्रश्न है, क्योंकि इससे लोगों का स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है। आज प्रमुख रूप से इस व्यवसाय में तीन-चार बड़ी कंपनियां हैं। कोला है, बिसलरी है। बिसलरी के बारे में मेरा कहना यह है कि

[अनुवाद]

> "16 मई को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा बिसलेरी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। इसके बावजूद उसने मिनरल वाटर तैयार करने का कार्य जारी रखा तथा आई०एस०आई० और बी०आई०एस० स्टीकर वाली बोतलों में मिनरल वाटर बेचा।
>
> जबकि जांच-पड़ताल चल रही थी, कंपनी ने कथित रूप से पी०एफ०ए० को एक पत्र लिखा जिसमें उसने बताया कि उसके लाइसेंस का नवीकरण 31 मई को किया गया था।"

[हिन्दी]

जब 16 मई को उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया तो फिर 15 दिन के बाद उन्हें दुबारा लाइसेंस क्यों दिया गया? जून के महीने में चार अफसरों ने जांच की। जांच के बाद वे कह देते हैं कि पानी ठीक है। यह बात समझ में नहीं आती है कि 16 मई को पानी खराब था और 31 मई को पानी ठीक करार दिया जाता है और लाइसेंस दे दिया जाता है। क्या मसला है। जिस मशीनरी के द्वारा सरकार ऐसी चीजों को रोकना चाहती है वही मशीनरी ऐसी गड़बड़ करे, समझ में आने वाली बात नहीं है। लगता है पानी में ही विष नहीं है। प्रशासन में भी विष फैला हुआ है। इसको रोकने के लिए माननीय मंत्री जी क्या करने जा रहे हैं, यह मैं पूछना चाहता हूं।

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : जनाबे डिप्टी स्पीकर इज्जतमाब, यह सैन्टर यकीनन सैन्टर फार साइंस एंड इन्वायर्नमेंट और मीडिया का काबिले मुबाकरबाद है कि उन्होंने बोतलबन्द पानी के बारे में चौंका देने वाले इंकेशाफ किए हैं। इनका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए, उतना कम है। साफ जाहिर है कि हमारा ब्युरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और हमारी हुकूमत पानी की क्वालिटी के बारे में जबरदस्त लापरवाह रही है। इतने अहम मामले के अन्दर भी कैज्युयल एप्रोच पाई जाती है, बड़ी लापरवाही पायी जाती है। खुद मिनिस्टर साहिबा के स्टेटमेंट को देखें, तो पता चलेगा कि इसमें भी इस बात का एहतराफ किया है, इस बात को माना गया है कि हमारी टैस्टिंग मैथ्डोलौजी आउट-ऑफ-डेट है। आप इस बात को खुद मान रही है। जब यह टैस्टिंग आउट-ऑफ-डेट थी, तो अब तक पानी के इस अहम मामले में क्या हो रहा था? स्टेटमेंट में कहा गया है – ड्रिंकिंग वाटर के सैम्पल्स को बी०आई०एस० में टैस्ट किया गया, तो बिलकुल ठीक पाया गया। जब इसकी टैस्टिंग सैन्टर फार साइंस एंड इन्वायर्नमेंट में की गई, चूंकि उनको बेहतर हस्सास हासिल है, लिहाजा उन्होंने यह जरासिम पाया कि पैस्टीसाइड्स हैं। यह साफ तौर पर इंकेशाफ करता है और यह माना जा रहा है कि हमारे पास सैन्सटिव मैथ्डोलौजी नहीं है। हमारे इक्विपमेंट्स आउट-ऑफ-डेट हैं। वे पैस्टीसाइड्स मालूम नहीं कर सके, जबकि बड़े पैमाने पर पैस्टीसाइड्स मौजूद हैं। एक तरफ उनको दरियाफ नहीं कर सके और दूसरी तरह सैन्टर फार साइंस एंड इन्वायर्नमेंट की इंकेशाफ हुई है। इससे जाहिर होता है कि इस महकमें के बारे में इन्तहाई लापरवाही बरती जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि ब्युरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की लैबोरेटरीज को उम्दा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है? बेहतर से बेहतर मशीनरी वहां पर मौजूद होनी चाहिए। मौजूदा मशीन और इक्विपमेंट की हालत काबिले रहम हैं। यह मामला दुरुस्त हो, बेहतर इक्विपमेंट मौजूद हों, इसके लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

जनाब, हमसे कहा गया है कि इन्टरनेशनली इस्टैबलिशड टैस्टिंग मैथ्ड्स को एडाप्ट किया जाएगा। अगर इन्टरनेशनली इस्टैबलिशड टैस्टिंग मैथ्ड्स की वजाहत जरूरी है, तो उसको क्लैरिफाई करना चाहिए। इस मैथ्ड में शायद डब्ल्यू०एच०ओ० भी है, जिनके नार्म्स निचले दर्जे के हैं। जिनमें लिनियेंसी पाई जाती है और इसी इन्टरनेशनल नार्म्स के अन्दर यूरोपियन इकोनोमिक कमीशन के नार्म्स हैं, जोकि स्ट्रीक्ट और बेहतर माने जाते हैं। आप किनके मुताबिक चलेंगे? अगर इन्टरनेशनल मैथ्ड एडॉप्ट किए जाते हैं, तो उसकी टैस्टिंग के सिलसिले में क्या होगा? सारा मामला नाकिस और डिफैक्टिव टैस्टिंग की वजह से पैदा हो रहा है, आपको बेहतर सैन्सटिव मशीनरी, मार्डन मशीनरी लानी पड़ेगी। बेनुलअकवामी मियार पर जांच करने के लिए इन्टरनेशनल मैथ्ड्स के लिए वैटर इक्विपमेंट की जरूरत होगी। बैटर इक्विपमैंट्स हासिल करने के सिलसिले में क्या कार्रवाई की जा रही है? केवल इनस्ट्रुमैंट्स से काम नहीं चलेगा, ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। हमारे लोग बेहतर मशीनरी और अप-टु-डेट मशीनरी के इस्तेमाल करने के सिलसिले में ट्रेंड होने चाहिए। इस सिलसिले में क्या हो रहा है और क्या किया जा रहा है? इसके बारे में भी कुछ रोशनी डाली जाए। हम से कह दिया गया कि इंटरनेशनली मैथ्डस, ऐस्टैब्लिशड मैथ्ड्स, टैस्टिड मैथ्ड्स इस्तेमाल किए जाएंगे लेकिन इंटरनेशनली एस्टैब्लिशड टैस्ट मैथ्ड्स को नाफिस करने के सिलसिले में आपको कितना वक्त लगेगा, इसके बारे में आपकी क्या तैयारियां हैं, इस सिलसिले में बयान में कोई वजाहत पाई नहीं गई।

हमें बतलाया गया है कि लैबोरेट्रीज में माइक्रो बायोलौजिस्ट या तो कम हैं या पाए नहीं जा रहे हैं। क्या यह सच है? यदि यह सच है हमारी लैबोरेट्रीज में माइक्रो बायोलॉजिस्ट की कमी है या वे पाए नहीं जा रहे हैं। इस सिलसिले में कौन जिम्मेदार है? इस काबिले रहम सूरते हाल को दूर करने के सिलसिले में क्या किया जा रहा है?

आज के इंडियल एक्सप्रेस में कई सवालात उठाए गए हैं। उसमें 1997-98 की ऑडिट रिपोर्ट पर तवज्जो दिलायी है। क्या यह सच है कि कीमती इक्विपमैंट्स मंगाए गए? वे सालों-साल तक पैकड बंद पड़े रहे और उन्हें खोला नहीं गया। यहां तक कि आहिस्ता-आहिस्ता बहुत से औजार और पूर्जे गायब हो गए, चोरी कर लिए गए या खो गए। इस लापरवाही के सिलसिले में क्या कार्रवाई की गई? इस वाकये पर पांच साल गुजर जाना हैरानी वाली बात है। इसमें क्या किया गया है, किस को दोषी करार किया गया है और क्या कदम उठाए गए? इस किस्म की जो लापरवाही है, मुजरिमाना फहल को दूर करने के सिलसिले में क्या किया जा रहा है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की काबलियतों को बेहतर बनाने के सिलसिले में क्या कार्रवाई की गई है?

मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, आठ कम्पनियों के आई०एस०आई० ट्रेड मार्क ले लिए गए हैं लेकिन उनके जो माल बाजार में हैं, उस

[श्री जी०एम० बनातवाला]

सिलसिले में क्या किसी किस्म की वजाहत नहीं है? तकरीबन 7 फरवरी को सैंटर फॉर साईंस ऐंड एनवारयनमैंट की स्टडीज का इनकशाफ हुआ है और 18 फरवरी को हमारे स्टैंडर्ड के सिलसिले में यह गैजट किया गया तथा कहा गया कि इंटरनैशनल मैथ्ड्स इस्तेमाल किए जाएंगे जो पहली अप्रैल से लागू होंगे। पहली अप्रैल को बहुत वक्त है। इस दरम्यान क्या इस किस्म के पैस्टिसाइड्स वाली बोतलें बाजार में बराबर बिकती रहेंगी, लूट बराबर जारी रहेगी और क्या सौदे आमा के साथ यह खेल, घिनौना खेल होता रहेगा। इस सिलसिले में अफसोस है कि स्टेटमैंट में किसी किस्म की कोई वजाहत नहीं है। मिनिस्टर साहिबा को खास तौर पर ख़ातून होने के नाते लोगों की पोजिशन का ख्याल रखना चाहिए और खसूसी तवज्जो देनी चाहिए। इस तरह सहते आमा के साथ खिलवाड़, घिनौना खिलवाड़ कब तक होता रहेगा?

अपराह्न 3.00 बजे

यह लूट का खुला बाज़ार कब तक गर्म रहेगा? आखिर में एक बात कहते हुये मैं आपसे इज़ाज़त लूंगा और वह यही है कि जब गवर्नमेंट बैनुलअकवामी सख्त मयार मुकर्रर करेगी तो फिर इसके क्या इमकानात हैं कि कीमतें और बढ़ेंगी। इसका मतलब यह नहीं कि नेशनल स्टैंडर्ड सही स्टैंडर्ड के साथ कौम्प्रोमाइज़ न किया जाए। मतलब यह है कि आज मुनाफाखोरी बोतलबंद पानी के बारे में इन्तहा पर पहुंची हुई है, क्लाइमैक्स पर पहुंची हुई है। इस सिलसिले में आदादो शुमार दिये गये हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता लेकिन हुकूमत से इस बात का तअय्युन लेना चाहता हूं कि इस बात का ख्याल रखा जायेगा कि क्वालिटी पर कंट्रोल हो और जो जबरदस्त मुनाफाखोरी और लूट का बाजार गर्म है, उस पर कंट्रोल हो और उसकी कीमतों को बराबर इस तरह रखा जाये कि सही कीमतें हों।

جناب جی۔ایم۔ بنات والا (پونانی): عزت مآب جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، یہ سینٹر یقیناً سینٹر فار سائنس اینڈ انوائرمنٹ اور میڈیا قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے بوتل بند پانی کے بارے میں چونکا دینے والے انکشافات کئے ہیں۔ ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے، اتنا کم ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ ہمارا بیورو آف انڈین اسٹینڈرڈ اور ہماری حکومت پانی کی کوالٹی کے بارے میں زبردست لاپرواہ رہی ہے۔ اتنے اہم معاملے کے اندر بھی کھُول اپروچ پائی جاتی ہے، بڑی لاپرواہی پائی جاتی ہے۔ خود منسٹر صاحب کے اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اس میں بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے، اس بات کو مانا گیا ہے کہ ہماری ٹیسٹنگ ٹیکنالوجی آؤٹ آف ڈیٹ ہے۔ آپ اس بات کو خود مان رہی ہیں۔ جب یہ ٹیسٹنگ آؤٹ آف ڈیٹ تھی تو اب تک پانی کے اس اہم معاملے میں کیا ہو رہا تھا؟ اسٹیٹمنٹ میں کہا گیا ہے کہ ڈرنکنگ واٹر کے سیمپلس کو BIS میں ٹیسٹ کیا گیا تو بالکل ٹھیک پایا گیا۔ جب اس کی ٹیسٹنگ سینٹر فار سائنس اینڈ انوائرمنٹ میں کی گئی، چونکہ ان کو بہتر اور حساس ٹیکنالوجی حاصل ہے، لہذا انہوں نے یہ جرثیم پایا کہ پیسٹی سائیڈز ہیں۔ یہ صاف طور پر انکشاف کرتا ہے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس سنسیٹیو ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ ہمارے اکیوپمنٹس آؤٹ آف ڈیٹ ہیں۔ وہ پیسٹی سائیڈ معلوم نہیں کر سکے، جبکہ بڑے پیمانے پر پیسٹی سائیڈ موجود ہیں۔ ایک طرف ان کو دریافت نہیں کر سکے اور دوسری طرف سینٹر فار سائنس اینڈ انوائرمنٹ کی انکشاف ہوئی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس محکمے کے ذریعے انتہائی لاپرواہی برتی جا رہی ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ بیورو آف انڈین اسٹینڈرڈ کی لیبارٹریز کو عمدہ بنانے کے لئے، بہتر بنانے کے لئے کیا کاروائی کی جا رہی ہے؟ بہتر سے بہتر مشینری وہاں موجود ہونی چاہئے۔ موجودہ مشینوں کی حالت قابل رحم ہیں۔ یہ معاملہ درست ہو، بہتر اکیوپمنٹ موجود ہوں، اس کے لئے کیا کاروائی کی جا رہی ہے؟

جناب، ہم سے کہا گیا کہ انٹرنیشنلی اسٹیبلیشڈ ٹیسٹنگ میتھڈس کو اڈاپٹ کیا جائے۔ انٹرنیشنلی اسٹیبلیشڈ ٹیسٹنگ میتھڈ کی وضاحت ضروری ہے، تو اس کو صاف کرنا چاہئے۔ اس میتھڈ میں شاید WHO بھی ہے، جن کے نارمس نچلے درجے کے ہیں۔ جس میں لچک پائی جاتی ہے اور اسی انوائرنمنٹل نارمس، کے اندر یورپین، اکونومک کمیشن، کے نارمس ہیں، جو کہ سخت اور بہتر مانے جاتے ہیں۔

آپ کن کے مطابق چلیں گے؟ اگر انٹرنیشنل میتھڈ ایڈاپٹ کئے جاتے ہیں، تو اس کی ٹیسٹنگ کے سلسلے میں کیا ہوگا؟ سارا معاملہ ناقص ٹیسٹنگ کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے، آپ کو بہتر سینسیٹیو مشینری، ماڈرن مشینری لانی پڑے گی۔ بین الاقوامی معیار میں جانچ کرنے کے لئے، انٹرنیشنل میتھڈس کے لئے بہتر ایکیوپمینٹ کی ضرورت ہوگی۔ بہتر ایکیوپمینٹس حاصل کرنے کے سلسلے میں کیا کاروائی کی جا رہی ہے؟ صرف انسٹرومینٹس سے کام نہیں چلے گا، ٹریننگ بھی دینی چاہیئے۔ ہمارے لوگ بہتر مشینری اور اپ ٹو ڈیٹ مشینری کے استعمال کرنے کے سلسلے میں ٹرینڈ ہونے چاہیئے۔ اس سلسلے میں کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا جا رہا ہے؟ اس کے بارے میں بھی کچھ روشنی ڈالی جائے۔ ہم سے یہ کہہ دیا گیا کہ انٹرنیشنلی میتھڈس، اسٹیبلیٹی میتھڈس، ٹیسٹیڈ میتھڈس استعمال کئے جائیں لیکن انٹرنیشنلی اسٹیبلیشڈ ٹیسٹ میتھڈس کو نافذ کرنے کے سلسلے میں آپ کو کتنا وقت لگے گا، اس کے بارے میں آپ کی کیا تیاریاں ہیں، اس سلسلے میں بیان میں کوئی وضاحت پائی نہیں گئی۔ ہمیں بتلایا گیا کہ لیبارٹریز میں مائکرو بایولاجسٹ کی کمی ہے یا وہ پائے نہیں جا رہے ہیں؟ کیا یہ سچ ہے؟ اگر یہ سچ ہے تو ہمارے لیبارٹریز میں مائکرو بایولاجسٹ کی کمی ہے یا وہ پائے نہیں جا رہے ہیں؟ اس سلسلے میں کون ذمہ دار ہے؟ اس قابل رحم صورت حال کو دور کرنے کے سلسلے میں کیا کیا جا رہا ہے؟ آج کے انڈین ایکسپریس میں کئی سوالات اُٹھائے گئے ہیں۔ اس میں 1997-98 کی آڈیٹ رپورٹ پر توجہ دلائی ہے۔ کیا یہ سچ ہے کی قیمتی ایکیوپمینٹ منگوائے گئے؟ وہ سالوں سال تک پیکڈ بند پڑے رہے اور انہیں کھولا نہیں گیا۔ یہاں تک کہ آہستہ آہستہ بہت سے اوزار اور پُرزے غائب ہو گئے، چوری کر لئے گئے یا کھو گئے۔ اس لاپرواہی کے سلسلے میں کیا کاروائی کی گئی؟ اس واقعے کے پانچ سال گذر جانا حیرانی والی بات ہے۔ اس میں کیا کیا گیا ہے، کس کو قصوروار قرار دیا گیا ہے اور کیا قدم اُٹھائے گئے؟ اس قسم کی جو لاپرواہی ہے، مجرمانہ فعل کو دور کرنے کے سلسلے میں کیا کیا جا رہا ہے؟ بیورو آف انڈین اسٹینڈرڈ کی قابلیت کو بہتر بنانے کے سلسلے میں کیا کاروائی کی گئی ہے؟

محترم ڈپٹی اسپیکر صاحب، آٹھ کمپنیوں کے آئی ایس آئی ٹریڈ مارک لے لئے گئے ہیں لیکن ان کے جو مال بازار میں ہیں، اس سلسلے میں کیا کسی قسم کی وضاحت نہیں ہے؟ تقریباً 7 رفروری کو ہمارے سینٹر فار سائنس اینڈ انوارمینٹ کی اسٹڈیز کا انکشاف ہوا ہے اور 18 رفروری کو ہماری اسٹینڈرڈ کے سلسلے میں۔

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपाध्यक्ष जी, मेरे तीन सांसद साथियों ने इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में प्रश्न पूछे हैं। इससे पहले कि मैं उन प्रश्नों का सिलसिलेवार उत्तर दूं, मैं इस विषय पर हो रही कुछ भ्रान्तियों को दूर करना चाहूंगी। मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहती हूं कि सन् 2000 से पहले हमारे देश में पानी को खाद्य पदार्थ माना ही नहीं जाता था। मोहत्तरम बनातवाला साहब जिस हुकूमत को लापरवाह हुकूमत कहकर मुखातिब कर रहे थे, मैं उनसे बड़े ही अदब के साथ कहना चाहूंगी कि उसी हुकूमत ने उपभोक्ताओं की परवाह करते हुये पहली बार सन् 2000 में वाटर को फूड का दर्जा दिया। जहां तक इस बंद बोतल का सवाल है। *(व्यवधान)*

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : हम तो सात रुपये लीटर वाला दूध डी०एम०एस० से लेते रहे हैं *(व्यवधान)* उपाध्यक्ष महोदय, जिस देश में पानी 10 रुपये लीटर बिकेगा, उस देश का नाश होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : रघुवंश बाबू, आप क्यों ख्वामखाह बात उठा रहे हैं। मंत्री महोदया ने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा जिससे आप बोलें।

श्रीमती सुषमा स्वराज : रघुवंश बाबू, आप और हम तो नलके और कुएं का पानी पीते हैं, आप किस के चक्कर में पड़ रहे हैं? हम तमाम लोग 7 रुपये लीटर दूध और नलके का पानी पीने वाले हैं। हम बोतलबंद पानी पीने वालों की बात करते हैं। आप बोलते हुये जंचते नहीं। आप गरीबों के मसीहा हैं। यहां बात सम्पन्न लोगों के बारे में हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : रघुवंश बाबू, मंत्री महोदया तो आपकी तारीफ कर रही हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : जब पनघट या कुएं बावड़ी की बात आयेगी तब बात करूंगी क्योंकि सारे ईश्यूज़ पर बोलने की जरूरत नहीं होती।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने सबसे बड़ी गलती यह की कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर एक मैम्बर को केवल एक सवाल पूछने की इजाजत होती है। मैंने इतने सारे सवाल पूछने की इजाजत दे दी लेकिन आपके ऊपर पाबंदी लगाना ठीक नहीं है।

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे पर पाबंदी लगा दीजिये, मैं खुश हूं। कुछ बातें संकेत में होती हैं। मैं आपका संकेत समक्ष रही हूं। इसलिये मुझे लगता है कि लगभग सवाल एक से आये हैं जिसके लिये लम्बे उत्तर की जरूरत नहीं होगी। मैं बनातवाला साहब से कहना चाहूंगी कि इसी हुकूमत ने उन उपभोक्ताओं की परवाह करते हुये जो लोग बंद बोतल का पानी पीते हैं, उस पानी को खाद्य का दर्जा दिया और बी०आई०एस० के अंतर्गत उसे दर्ज कराया। जब हम पी०एफ०ए० एक्ट में किसी को फूड की संज्ञा देते हैं तो उसके स्टैंड्डर्स बनवाते हैं। हमारे यहां ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स नाम की बड़ी प्रामाणिक संस्था उन स्टैंडर्ड्स को तय करती है। हमने उनसे कहा कि इसके स्टैंडर्ड्स बनाइये। जो स्टैंडर्ड्स उन्होंने बनाये, उसके साथ मैथड भी उन्होंने तय किया, जिससे वे स्टैंडर्ड्स जाने जाएं। बिलो डिटैक्टेबल लिमिट स्टैंडर्ड उन्होंने तय किया फिर उन्होंने पैक्ड कॉलम मैथड तय किया, यानी जो बोतलबंद पानी बनाने वाली कंपनियां है, अगर उनके पानी को पैक्ड कॉलम मैथड से जांचा जाए और उसमें बिलो डिटैक्टेबल लिमिट में पैस्टीसाइड्स न पाये जाएं तो वह पानी खरा माना जायेगा, वह पानी सही माना जायेगा। इसलिए जो सबसे ज्यादा चिंता रामजीवन बाबू और श्री नरेश पुगलिया जी ने व्यक्त की और जिससे संबंधित कई सवाल उन्होंने खड़े कर दिये कि अवेलेबल स्टॉक का क्या होगा, यदि एक अप्रैल से इसे लागू करेंगे तो इस बीच में क्या होगा, कंपनियों को केवल सील क्यों किया, उनका पानी आपने खत्म क्यों नहीं किया।

वे लोग विष मिला रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैंने प्रारंभ में कहा कि मैं वे भ्रांतियां दूर कर दूं। जो मैथड और स्टैंडर्ड बी०आई०एस० ने तय किये थे, हैल्थ मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किये थे, जो पी०एफ०ए० में दर्ज हैं, उन तमाम स्टैंडर्ड्स और मैथड्स के ऊपर यह पानी खरा है, यह पानी विष नहीं है। यह पानी उन स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। इसलिए आज के मौजूदा कानून के तहत उन कंपनियों पर कोई एक्शन लेना नहीं बनता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सी०एस०ई० की बात है, जब इन्होंने यह तय किया तो इस बीच में मैं आपको यह भी बता दूं कि बी०आई०एस० जब स्टैंडर्ड्स तय करता है तो उन्होंने नियमों में यह भी कह रखा है कि हम अपने स्टैंडर्ड्स को पांच वर्षों के बाद रिव्यू करेंगे, उनकी समीक्षा करेंगे। क्योंकि तकनीक बदलती है, मैथड्स ज्यादा से ज्यादा स्ट्रिन्जैन्ट होते जाते हैं तो हम लोगों को लगता है कि हम भी विश्व से पीछे क्यों रहें। जो अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर मानदंड आ रहे हैं, भारत को उन्हीं के साथ जाना चाहिए। अगर मैथड्स बेहतर हो रहे हैं तो हमें भी आगे आना चाहिए। इसलिए उन्होंने नियमों में ही रख दिया कि हर पांच साल के बाद उनका रिव्यू होगा। वैसे भी मई, 2003 में ये स्टैंडर्ड्स रिव्यू होने हैं। लेकिन उससे पहले सी०एस०ई० वालों ने रिपोर्ट करके इसे उस मैथड से जांचा, जो इंटरनेशनल मैथड है। तभी मैंने अपने प्रारम्भिक वक्तव्य में कहा कि जिस मैथड से उन्होंने जांचा, वह मैथड ज्यादा सैन्सिटिव है, बजाय इस मैथड के जो हमने बी०आई०एस० से बनावाकर नोटिफाई किया था। जो मैथड हमनें बनाया था, उसके बारे में मैंने बताया कि वह पैक्ड कॉलम मैथड था। जो मैथड इंटरनेशनली एक्सैप्टेबल है, उसे कैपिलरी मैथड कहते हैं। जब कैपिलरी मैथड से तय किया और क्योंकि उनकी डिटैक्टेबल लिमिट मर गई तो उन्हें लगा कि इसमें पैस्टीसाइड्स हैं। तब हमें भी लगने लगा कि अगर हमारे यहां का उपभोक्ता पैसा देकर पानी पीता है तो वह वर्ल्ड स्टैंडर्ड से अछूता क्यों रहे। इसलिए बी०आई०एस० वालों ने स्वयं यह तय किया। क्योंकि एक रिपोर्ट आ गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें स्टैंडर्ड भी क्वांटीफाई करने चाहिए और मैथड भी वह अपनाना चाहिए जो इंटरनेशनल हो। उन्होंने कहा कि हम अपने मैथड पर ही क्यो लगे रहें, हम भी नये स्टैंडर्ड्स बनाते हैं और हैल्थ मिनिस्ट्री कहती है कि उसे नोटिफाई करे और नोटिफाई करने से पहले उसे पब्लिक गजट करना पड़ता है, वह पब्लिक गजट करे।

उपाध्यक्ष महोदय, बी०आई०एस० में हमने नया प्रस्ताव दिया, जिसका दो बार जिक्र मैंने अपने प्रारम्भिक वक्तव्य में किया, जिसमें उन्होंने बिलो डिटैक्टेबल लिमिट के बजाय, मिनरल वाटर के लिए भी और पैक्ड वाटर के लिए भी क्वांटीफाई कर दिया, जैसा मैंने कहा 0.0001 मिलिग्राम० प्रति लीटर और 0.0005 मिलिग्राम प्रति लीटर, तो क्वांटीफाई हो गया बजाय एम्बीगुअस होने के बिलो डिटैक्टेबल लिमिट होने के।

दूसरा उन्होंने कहा कि इंटरनेशनली एक्सैप्टेबल स्टैंडर्ड्स यानी इंटरनेशनली एक्सैपटेबल शब्द रखा कि आज कैपिलरी सबसे बड़ा मैथड है। जिस तरह आज तकनीक आगे जा रही है, कल को इससे भी ज्यादा सैन्सिटिव आ जाए तो इंटरनेशनली एक्सैप्टेबल में यह भी एक गुंजाइश रहेगी कि कैपिलरी से अगर कोई बड़ा मैथड है तो वह भी हम अपना सकते हैं। बी०आई०एस० वालों ने हमें जो स्टैंडर्ड्स दिये, हमने नोटिफाई कर दिये हैं। अब हम उन पर पब्लिक आपत्तियां मंगाते हैं। लॉ मिनिस्ट्री को हमने कहा था कि 15 दिन में मंगा लो। उन्होंने कहा कि 30 दिन वाजिब होंगे। अब उसमें जितने स्टॉक होल्डर्स हैं, जो पानी बनाने वाली कंपनियां हैं, वे भी अपनी बात रखेंगी, उपभोक्ता भी अपनी बात रखेंगे, अपने प्रोस एंड कांस भी देंगे, वे सारी चीजें आयेंगी तो एक सैन्ट्रल कमेटी फॉर फूड स्टडीज बनी हुई है, जिसे सी०सी०एफ०एस० कहते हैं। वे सारी की सारी चीजें सी०सी०एफ०एस० के सामने रख दी जायेंगी। उसके बाद वे लोग जो कुछ तय करेंगे, उसे हम नोटिफाई करेंगे। इसमें से जो बातें निकलती हैं वे केवल इतनी ही हैं कि उस समय देश की परिस्थितियां और सबको देखते हुए, बी०आई०एस० ने जो स्टैंडर्ड्स बनाये, उन्हें हैल्थ मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया, उनकी पूरी-पूरी अनुपालना हो रही है। लेकिन आज चूंकि इस रिपोर्ट के बाद यह लगा और यह रिपोर्ट न भी आती तो मई, 2003 में हो सकता है समीक्षा के बाद यह लगता कि स्टैंडर्ड्स बढ़ाने चाहिए, मैथड्स भी बदलना चाहिए तो बी०आई०एस० ने जो नया मैथड दिया है, बी०आई०एस० ने जो नये स्टैंडर्ड्स प्रस्ताव किये हैं, वे प्रस्तावित चीजें हमने जनता की आपत्तियां मंगाने के लिए रख दी हैं। एक महीने में उनका जवाब आ जाएगा। जवाब के बाद सी०सी०एफ०एस० की मीटिंग करनी होगी तो कर लेंगे नहीं तो उनके व्यूज लेने के बाद जो राय बनेगी, उसे हम नोटिफाइ करके एक्ट में जिस तरह के संशोधन की आवश्यकता होगी, वह करेंगे। लेकिन कोई अगर यह समझे कि आज पानी में ज़हर मिला रहे हैं या यह पानी पीने योग्य नहीं है या इस पर कोई ऐक्शन लेने की बात है तो ऐसा नहीं है। एक बात रामजीवन सिंह जी ने उठाई थी कि पहले चार लोग सस्पेन्ड किये। वे चारों लोग जाने के बाद वापस आ गए और वापस आकर उन्होंने फिर सर्टिफाइ कर दिया। मैं उनको बता दूं कि वह केस भी इस हुकूमत से संबंधित नहीं है। वह मई, 1992 का बिस्लेरी का केस है जहां पहले गए, पहले सस्पेन्ड किया और बाद में चालू कर दिया, 1992 की हुकूमत वाला यहां कोई बैठा हो तो वह उसके लिए उत्तरदायी होगा। न शरद यादव जी उसके लिए उत्तरदायी हैं, न सुषमा स्वराज उत्तरदायी हैं और न मौजूदा हुकूमत उस केस के लिए उत्तरदायी है जो आपने सामने रखा था।

मुझे लगता है कि जो प्रश्न रखे गये थे, उनका समाधानकारक उत्तर मैंने दे दिया है।

[अनुवाद]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा) : माना जाता है कि सर्वाधिक प्रदूषित जल वह है जिसको आपूर्ति रेलवे द्वारा की जा रही है। रेलवे के बोतलबंद पानी को सर्वाधिक प्रदूषित और सभी बोतलबंद पानी में नुकसानदेह पाया गया हैं। इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? इसका उत्पादन रेलवे द्वारा अपने पर्यवेक्षण में किया जाता है। *(व्यवधान)* रेलवे द्वारा बोतल बंद कर इस पानी की आपूर्ति की जाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह पानी सर्वाधिक प्रदूशित है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि प्रत्येक माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण संबंधी प्रश्नों के उत्तर दे दिए गए हैं।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : महोदय, यह भी बोतल बंद पानी है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि उन्हें कुछ और स्पष्टिकरण चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : रेलवे वाला मामला कौन देख रहा है? यह प्राइवेट नहीं है, रेलवे के सुपरविजन में बन रही है। उसके बारे में बताइए। वे ट्रेनों में यात्रियों को इसकी आपूर्ति कर रहे हैं। रेलवेज़ का बॉटल्ड वाटर कौन देख रहा है? उसकी कौन जिम्मेदारी ले रहा है? रेलवेज उसको नहीं देख रहा है क्या?

श्रीमती सुषमा स्वराज : अल्वा जी, आप दोबारा सवाल रिपीट कर दें।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : मैंने कहा कि उस रिपोर्ट में जो रेलवेज़ में पानी सप्लाई होता है और रेलवेज के सुपरविजन में बनता है वह सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है, ऐसी एक रिपोर्ट निकली है। मैं पूछती हूं कि यह हैल्थ मिनिस्ट्री में आएगा या रेलवे मिनिस्ट्री इसको देखेगी?

श्रीमती सुषमा स्वराज : पानी जो भी बना रहा है, चाहे रेलवेज़ उसको सप्लाई कर रहा है या देशी कंपनियां बना रही हैं या विदेशी कंपनियां बना रही हैं, सबको इन मानदंडों पर खरा उतरना होगा और हमारा ही मंत्रालय उसको मॉनीटर करेगा।

श्री नरेश पुगलिया : आपका कहना है कि उनकी कोई गलती नहीं है, फिर 8 यूनिट्स का आई०एस०आई० मार्क क्यों वापस लिया गया? इसके पीछे क्या कारण हैं?

श्रीमती सुषमा स्वराज : लाइसेंसिंग अथॉरिटी फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री है। इसलिए यह जो सील करने वाला मामला है यह उनसे संबंधित है। स्वास्थ्य मंत्रालय से इसका संबंध नहीं है।

श्री नरेश पुगलिया : इसका मतलब यह है कि क्वालिटी खराब बनाई हैं, आई०एस०आई० मार्क के बराबर नहीं बनाई इसलिए आई०एस०आई० मार्क बंद हुआ। इसका मतलब आप हाउस को मिसलीड कर रही हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैं हाउस को बिल्कुल मिसलीड नहीं कर रही हूं। जो स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित प्रश्न थे, उनका मैंने सही जवाब दिया है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री है।

अपराह्न 3.13 बजे

[अनुवाद]

कार्य मंत्रणा समिति के छियालीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मद सं० 13 लेगी श्रीमती सुषमा स्वराज।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि यह सभा 19 फरवरी, 2003 को सभा में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के 46वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा 19 फरवरी, 2003 को सभा में प्रस्तुत कार्यमंत्रणा समिति के 46वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अयोध्या मुद्दे पर चर्चा संबंधी मद के संबंध में प्रतिवेदन को समिति के पास वापस भेज दिया जाए ताकि उसपर तत्काल चर्चा सुनिश्चित करने के लिए चर्चा की तारीख निर्धारित की जा सके।"

महोदय, यदि इस अयोध्या मुद्दे पर 26 फरवरी को चर्चा की जाने वाली है तो इसमें अत्यधिक देर हो जाएगी। हमें सरकार को इस बात के लिए मनाना होगा कि वह उच्चतम न्यायालय से अपनी याचिका वापस ले ले।

यह तत्काल महत्व की बात है। कृपया चर्चा में बाधा मत डालिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, आप कार्य मंत्रणा समिति के भी सदस्य हैं।

(व्यवधान)

श्री जी०एम० बनातवाला : जी, नहीं। मैं कार्य मंत्रणा समिति का सदस्य नहीं हूं। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति ने सर्वसम्मति से उसे स्वीकार कर लिया है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री जी०एम० बनातवाला द्वारा प्रस्तुत संशोधन को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

श्री जी०एम० बनातवाला : यह अत्यंत दुखद है। *(व्यवधान)* इसका महत्व समाप्त हो गया है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, मैंने आपका संशोधन सभा के मतदान के लिए रखा था। मैं और क्या कर सकता हूं?

(व्यवधान)

श्री जी०एम० बनातवाला : वह बात अत्यंत दुखद है। *(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 19 फरवरी, 2003 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के छियालीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करेंगे।,

अपराह्न 3.17 बजे

[हिन्दी]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं के पुनरूद्धार के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : महोदय, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में 17 लघु सिंचाई योजनाएं हैं जिसमें से 16 आजादी के पूर्व निर्मित हुई थीं। 60 से 90 वर्ष पुरानी ये सिंचाई योजनाएं राज्य सरकार के संसाधनों एवं प्रबंधन की कमी के कारण जर्जर हो गई हैं। नहरें टूट-फूट गई हैं। पुलिया टूट गई हैं। बांध में भारी मिट्टी जमा है। परिणामस्वरूप सिंचाई का रकबा घट रहा है। इसी अव्यवस्था के कारण 92 वर्ष पुराना जमुनिया जलाशय गत वर्ष टूट गया जिससे भीषण तबाही हुई। इस बांध के टूटने के संबंध में मैंने सदन में ध्यान आकर्षित किया था लेकिन राज्य सरकार जमुनिया बांध टूटने से नहीं बचा सकी थी।

अत: केन्द्र सरकार से विनम्र अनुरोध करता हूं कि टूटी बांध सहित सभी 16 लघु सिंचाई योजनाओं के पुनरूद्धार प्रस्तावों को स्वीकार कर बालाघाट जिले के कृषकों को जीवनदान देने की कृपा करें और इसके लिए आवश्यक धन निर्गत करें।

(दो) उत्तर प्रदेश में गोंडा-बहराइच रेल लाइन का आमान परिवर्तन करने और इसे मैलानी तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री पद्मसेन चौधरी (बहराइच) : महोदय, गोंडा से बहराइच तक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की बड़े समय से मांग की जा रही है। लेकिन अभी तक इस लाइन को बड़ी लाइन में नहीं बदला गया है। अत: गोंडा से बहराइच तक प्रतिदिन यात्रा करने वालों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इस बारे में अनेक अभ्यावेदन भी दिये गये हैं पर अभी तक इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है। इस लाइन को बड़ी लाइन में न बदले जाने के कारण दैनिक यात्रियों का कीमती समय बरबाद होता है तथा उन्हें भारी कठिनाई होती है। यद्यपि इस लाइन का शिलान्यास 7 जून, 2002 को किया गया था और यह आश्वासन दिया गया था कि इस लाइन को शीघ्र ही बड़ी लाइन में बदल दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इस लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य आरंभ नहीं हुआ है। अत: सरकार से अनुरोध है कि इस लाइन को शीघ्र ही बड़ी लाइन में बदल दिया जाए और इसका विस्तार मैलानी तक किया जाए ताकि इस लाइन पर यात्रा करने वाले राहत की सांस ले सकें।

(तीन) देश में गो-वध पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधान बनाए जाने की आवश्यकता

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : महोदय, देश में अनेक स्थानों पर गायें और गोवंश वध (काटने) की अनेक घटनाएं हो रही हैं। ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि पाड़े आदि के नाम पर गौमांस की बिक्री और निर्यात किया जाता है। कारणवश देश के बहुसंख्यक समाज में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। गौवंश की रक्षा करने और उनको काटने से रोकने हेतु कानून बनाना और उसका पालन करवाना राज्य सरकारों का काम है। अनेक राज्यों ने गोवंश और गायों को काटने पर रोक लगाने का कोई कानून नहीं बनाया है और ऐसे राज्यों

[श्री थावरचन्द गेहलोत]

में गायें काटने का काम खुलेआम होता है। गाय काटने और गौवंश काटने पर रोक लगाने की सारे देश में आवश्यकता है।

मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार इस दिशा में पहल करे और सारे देश मे गाय और गोवंश वध (काटने) पर पूर्ण रूपेण प्रतिबंध लगाने हेतु आवश्यक कानून बनाए और जनभावनाओं का आदर करे।

(चार) सूखे से प्रभावित राजस्थान को गेहूं का अतिरिक्त कोटा जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान राजस्थान की गंभीर समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं।

मान्यवर, राजस्थान में अकाल की भयंकर विभीषिका के कारण जनता की हालत बहुत खराब हो रही है तथा चारे के अभाव में पशुधन भी खत्म हो रहा है। राजस्थान सरकार ने श्रमिकों की संख्या बढ़ाने की बजाय 25 प्रतिशत कम कर दी है। इसके कारण स्थिति और भी विकट हो गई है। राज्य सरकार का कहना है कि केन्द्र सरकार द्वारा गेहूं का आबंटन रद्द करने की वजह से श्रमिकों की संख्या कम कर दी है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि पूर्व में आबंटित किए गए गेहूं को रिलीज कर अतिरिक्त आबंटन भी राज्य के हित में जारी करने का कष्ट करें ताकि इस भयंकर अकाल के समय में गरीब जनता को कुछ राहत मिल सके।

[अनुवाद]

(पांच) उड़ीसा के कालाहांडी जिले में अपर इन्द्रावती परियोजना की तीसरी नहर प्रणाली पर ए०आई०बी०पी० कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2003-2004 के दौरान उड़ीसा राज्य के कालाहांडी जिले में अपर इन्द्रावती परियोजना की तीसरी नहर प्रणाली को ए०आई०बी०पी० कार्यक्रम के अतर्गत लिया जाए क्योंकि इससे इस जिले के लम्बे समय से सूखा प्रभावित क्षेत्र की सिंचाई हो सकेगी। इस परियोजना को 1980 से पहले स्वीकृति दी गई थी और यह लम्बे समय से लम्बित है।

जिस नहर की बात हो रही है, उसे एकीकृत अपर इन्द्रावती बहुद्देशीय परियोजना की लिफ्ट सिंचाई नहर प्रणाली के नाम से जाना जाता था।

[हिन्दी]

(छह) पर्यावरण के क्षरण को रोकने के लिए राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला में खनन क्षेत्रों में वृक्षारोपण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री भेरूलाल मीणा (सलूम्बर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अरावली पहाड़ी की विभिन्न श्रेणियों में पर्यावरण की स्थिति खराब होने का मुख्य कारण खनन् कार्यों पर थोप कर राजस्थान में 8900 खानों को बन्द कर दिया गया जिनमें हिन्दुस्तान जिंक लि०, आर०एस०एम०एम०, ग्रीन मार्बल, ग्रेनाइट, सोप स्टोन आदि के श्रमिक प्रभावित हुए एवं उनके परिवार के सदस्यों को जोड़ें तो यह संख्या 12 लाख के लगभग थी। इसके अतिरिक्त मार्बल जिस, लाइम स्टोन आदि सबको ढोने वाले ट्रकों का काम करने वाले श्रमिक, साथ ही मार्बल की एजेंसियां, रॉक फास्फेट का कार्य बुरी तरह प्रभावित रहा था। राजस्थान में मात्र यही एक धंधा है जिस पर लाखों परिवारों का जीवन निर्भर करता है। साथ ही राजस्थान सरकार एवं भारत सरकार को इस खनन् उद्योग से रॉयल्टी, टैक्स के रूप में रोजाना करीब [illegible] करोड़ की आय प्राप्त होती है। अरावली के वनों की सुरक्षा के लिए भारत एवं राजस्थान सरकार द्वारा धन दिया जाता है। इसके अलावा विदेशी पूंजी भी अरबों रुपयों में वन विभाग द्वारा खर्च की जाती है फिर भी ये वन खत्म हो गए हैं। एक पहाड़ी में एक छोटा सा खनन हो उससे पर्यावरण पर कोई असर नहीं होता है, किन्तु खनन करने वालों को जिम्मेदारी दी जाए कि जितने क्षेत्र में खनन किया जाता है, वहां साथ-साथ पेड़ भी लगाए जाएं। इससे न तो खनन् कार्य प्रभावित होगा और वन लगाकर उनकी रक्षा भी की जा सकेगी। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि खनन् क्षेत्र में वन लगाए तथा उनकी सुरक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास किए जाएं ताकि पर्यावरण को क्षति न पहुंचे।

[अनुवाद]

(सात) महाराष्ट्र में सूखे की भीषण स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पूरे महाराष्ट्र राज्य में अभूतपूर्व सूखे की स्थिति बनी हुई है। राज्य में पहले कभी ऐसा जबर्दस्त सूखा नहीं पड़ा है। इससे न केवल फसल बल्कि राज्य की संपूर्ण अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। सूखे के फलस्वरूप किसानों और सीमांत किसानों के समक्ष गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। संतरे के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिससे किसानों और व्यापारियों को अत्यधिक हानि हुई है।

जल और पशुओं के चारे की अत्यधिक कमी से पशुओं के स्वास्थ्य को और खतरा उत्पन्न हो गया है तथा राज्य में क्षोभ की स्थिति है। बांधों का जल स्तर काफी कम हो गया है जिसके फलस्वरूप क्षेत्र की मुख्य फसलों के उत्पादन पर बुरी तरह से प्रभाव पड़ा है। राज्य में गंभीर वित्तीय संकट है तथा विभिन्न समस्याओं से निपटने के लिए राज्य को तत्काल सहायता की आवश्यकता है।

अत:, मैं सरकार से आग्रह करता हू कि वह राज्य में स्थिति से निपटने के लिए कम से कम 1,000 करोड़ रुपये की समुचित वित्तीय सहायता प्रदान कर महाराष्ट्र सरकार की मदद करे।

(आठ) उड़ीसा के ढेंकानाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ब्राह्मणी नदी पर हाई लेवल पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री के०पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : उपाध्यक्ष महोदय, कलकत्ता और चेन्नई के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 200 और रा० राजमार्ग 5 को उड़ीसा में मंदर-गोंडिया, टेवगांव,, कपिलास और ढेंकानाल में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 से जोड़ने वाली नीलकंठपुर भुवन सड़क पर ब्राह्मणी नदी पर अधिक ऊंचाई वाले पुल का निर्माण करने में अत्यधिक विलम्ब हुआ है। इस परियोजना को 1994 में प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसका नाम महान स्वतंत्रता सेनानी 13 वर्षीय नाविक श्री बाजी राउत के नाम पर रखा गया है जिनका निधन 1938 में नीलकंठपुर गांव में पुलिस की गोलीबारी में हो गया था और जिनका नाम पूर्व उड़िसा कवि ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता साची राउत रे ने चिरस्मरणीय बना दिया है। पुल के न होने के कारण यातायात के अभाव में लोगों, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों को अपने उत्पादों का विपणन करने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस क्षेत्र मे इस आशा के साथ इस्पात संयंत्र लगाए जा रहे हैं कि पुल का निर्माण शीघ्र किया जाएगा। जिला मुख्यालय ढेंकानाल को जोड़ने के साथ-साथ यह पुल भक्तों को कपिलास के प्रसिद्ध धार्मिक पूजा स्थल जहां भगवान चन्द्रशेखर का वास है की यात्रा करने के लिए सीधा संपर्क प्रदान करेगा।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र ढेंकानाल में ब्राह्मणी नदी पर बाजी राउत सेतु का निर्माण अविलम्ब किया जाए।

(नौ) देश में विशेष रूप से केरल में बागान उद्योग के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को केरल में वृक्षारोपण उद्योग के सामने आ रही समस्याओं की जानकारी है। बागान उद्योग ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है। सरकार को :–

(1) बैंकों को साधारण ब्याज दरों पर आवश्यक वित्तीय सहायता देने का अनुदेश देना चाहिए;

(2) एक बागान बैंक स्थापित करना चाहिए;

(3) आवश्यक सीमाशुल्क/उत्पाद शुल्क रियायतें देनी चाहिए;

(4) निर्यात बढ़ाने के साधनों का पता लगाना चाहिए;

(5) उत्पादन बढ़ाने के लिए बागान क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए पर्याप्त निधि आबंटित करनी चाहिए; और

(6) बागान के विकास के लिए केरल राज्य को पर्याप्त वित्तीय सहायता देनी चाहिए।

(दस) केरल में सामरिक महत्व के खनिजों के खनन के निजीकरण के कदम को रोके जाने की आवश्यकता

श्री पी० राजेन्द्रन (क्विलोन) : महोदय, केरल में कोल्लम जिले के नींदाकारा से अलेपी जिले में थोट्टापल्ली तक के समुद्र तट पर देश में खनिज पदार्थ अधिकतम मात्रा में पाया जाता है जिसमें इलमेनाइट, रयूटाइल, ल्यूकोक्सिन, सिलीमिनाइट, जिरकॉन और मोनाजाइट भारी मात्रा में मिलते हैं। चूंकि ये महत्वपूर्ण खनिजों की श्रेणी में आते हैं इसलिए इन क्षेत्रों में खनन का अधिकार पूरी तरह से सरकार के पास है तथा इसलिए खनन का कार्य केरल राज्य के केरल मिनरल्स एंड मेटल्स लिमि० तथा केन्द्र सरकार के उपक्रम इंडियन रेयर अर्थ्स लिमि० द्वारा किया जाता है।

इसीबीच, माननीय प्रधानमंत्री ने केरल सरकार द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट में अपने उद्घाटन भाषण में 18 जनवरी, 2003 को 10,000 करोड़ रुपए की खनिज पृथक्करण संयंत्र की नई परियोजना की घोषणा की है जोकि नेशनल मिनरल डेवेलपमेंट कार्पोरेशन और इंडियन रेयर अर्थ्स लिमि०, कोल्लम का सयुक्त उद्यम होगा। तथापि, समझा जाता है कि केरल सरकार ने इस परियोजना को गैर सरकारी क्षेत्र के लिए बनाया है। पता लगा है कि केरल सरकार इस प्रस्ताव को केन्द्र सरकार के अनुमोदन के लिए पहले ही प्रस्तुत कर चुकी है।

इस महत्वपूर्ण क्षेत्र का निजीकरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा होगा तथा हमारे राष्ट्रीय हितों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अंधाधुंध खनन से पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होगी तथा तटीय केरल के मछुआरों की रोजी-रोटी को छिन्न-भिन्न कर देगी। अत: मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए खनिज और खनन को पूर्णत: सरकारी क्षेत्र में ही रहने दें।

(ग्यारह) देश में औद्योगिक श्रमिकों के सामने आ रही समस्याओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सब तरफ से उठ रही केन्द्र सरकार की आर्थिक नीतियों के पुनर्मूल्यांकन की मांग की उपेक्षा करते हुए सरकार वैश्वीकरण और श्रम कानूनों में संशोधन की नीतियों को आगे बढ़ाती जा रही है। तेल कंपनियों, भारत पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमि० और हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमि० जैसे लाभ कमाने वाले सरकारी उपक्रमों तथा अन्य सरकारी उपक्रमों में विनिवेश करने की बात चल रही है तथा कुछ सरकारी उपक्रम पहले ही बेचे जा चुके हैं। इकाइयों को छोटा करने, छटनी, ठेके पर देने, आडर सोर्सिंग तथा इनके बंद करने के कारण अभूतपूर्व बेरोजगारी हो गई है। पता चला है कि 26 फरवरी, 2003 को सरकार की श्रम नीतियों के प्रति अपना विरोध दर्ज कराने के लिए देशभर से कामगार और कर्मचारी संसद की ओर मार्च करेंगे। 'सीटू' तथा 'ऐटक' के आह्वान पर सैकड़ों फेडरेशन चाहे उनकी सम्बद्धता किसी भी राजनीतिक दल से हो तथा हर वर्ग के लोग इस विरोध प्रदर्शन में भाग लेंगे।

सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह कामगारों कर्मचारियों तथा देश के अन्य वंचित वर्गों के लोगों की उचित मांगों को स्वीकार करे।

(बारह) पश्चिमी बंगाल में सुन्दरवन क्षेत्र में दुर्गाद्वनी लघु जल-विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए राजसहायता दिए जाने की आवयकता

श्री सनतकुमार मंडल (जयनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। किंतु अपारंपरिक ऊर्जा उत्पन्न करने की संभावना सहित वहां विशाल प्राकृतिक संसाधन है।

पिछले वर्ष पश्चिमी बंगाल सरकार ने दुर्गाद्वनी लघु पन बिजली परियोजना की स्थापना करने का प्रस्ताव भेजा है। सुंदरवन की ऊर्जा आवश्यकता पूरी करने हेतु यह परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है। केन्द्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों तथा अन्य पिछड़े क्षेत्रों में विद्युत परियोजनाओं सहित विभिन्न परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए 90 प्रतिशत राजसहायता दे रही है। दुर्गाद्वनी परियोजना के लिए राजसहायता की आवश्यकता है क्योंकि राज्य सरकार के पास संसाधनों की कमी हैं।

सुन्दरवन बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है इसलिए मेरी मांग है कि केन्द्र को दुर्गाद्वनी परियोजना के लिए भी 90 प्रतिशत राजसहायता देनी चाहिए। मुझे आशा है कि सरकार सकारात्मक निर्णय लेगी ताकि दुर्गाद्वनी परियोजना शीघ्र स्थापित हो सके।

अपराह्न 3.32 बजे

[अनुवाद]

विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक-पारित

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में विधायी कार्य की मद संख्या 15 पर विचार किया जाएगा। आबंटित समय 2 घंटे हैं। श्री ईश्वर दयाल स्वामी।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम, 1988 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, वास्तव में विशेष संरक्षा ग्रुप का गठन करने हेतु इस विधेयक को वर्ष 1998 में अधिनियमित किया गया था तथा वर्ष 1988 से 1999 तक 10-11 वर्ष की अवधि में इस अधिनियम में तीन बार संशोधन हो चुका है।

सबसे पहले वर्ष 1991 में इसमें संशोधन किया गया था क्योंकि मूलत: प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए विशेष्ज्ञ संरक्षा ग्रुप का गठन किया गया था। किन्तु बाद में ऐसा महसूस किया गया कि पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी यही सुरक्षा प्रदान की जाए। इसलिए, 1991 में संशोधन किया गया तथा वर्ष 1991 में उस संशोधन द्वारा सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी पद त्यागने के बाद पांच वर्ष तक विशेष संरक्षा ग्रुप की सुरक्षा प्रदान की गई थी।

किंतु इसके बाद वर्ष 1994 में, पुन: संशोधन किया गया तथा इस अवधि को पांच वर्ष से बढ़ा कर दस वर्ष कर दिया गया। किन्तु वर्ष 1999 में पुन: महसूस किया गया कि दस वर्ष बाद भी आवश्यकता हो सकती है कि ऐसी संरक्षा की आवश्यकता है क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवार के निकटतम सदस्यों के लिए खतरे की संभावना को देखते हुए ऐसी सुरक्षा की आवश्यकता हो सकती है।

फिर वर्ष 1999 में, खतरे की संभावना के आधार पर दस वर्ष की अवधि के बाद भी सुरक्षा देने हेतु और संशोधन किया गया। इसलिए, अब इस संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करके मामला दर मामला आधार पर एकरूपता लाने और मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवार के निकटतम सदस्यों को खतरे की संभावना के आधार पर वर्ष दर वर्ष एस०पी०जी० सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए ताकि सरकार दस वर्ष या पांच वर्ष के लिए, वर्तमान में दस वर्ष तथा दस वर्ष के बाद, ऐसी सुरक्षा उपलब्ध कराने को बाध्य न हो। ऐसा इसलिए कि दस वर्ष के बाद, जैसाकि आप देखेंगे, हमारी विपक्ष की नेता

श्रीमती सोनिया गांधी के मामले में, वर्ष 1999 के बाद खतरे की संभावना के आधार पर हर वर्ष सुरक्षा प्रदान की गई है। मैं महसूस करता हूं कि पूरा देश मानता है और सरकार इसके प्रति सजग है तथा यह सुरक्षा तब तक दी जाती रहेगी जब तक उनके तथा उनके दोनों बच्चों-बेटे और बेटी के जीवन को खतरा बना रहेगा। इसलिए, इस मामले में, यही कारण है कि संशोधन के लिए यह विधेयक लाया गया है ताकि परिणामी परिवर्तनों के अतिरिक्त और परिवर्तन किए जाएंगे कि प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार के निकटतम सदस्यों को, प्रधानमंत्री के पद छोड़ने की तिथि से एक वर्ष तक यह सुरक्षा मिलती रहेगी।

यह भी उपबंध है कि यदि आंकलन करने पर सुरक्षा बनाए रखने की आवश्यकता महसूस की जाती है तो वर्ष दर वर्ष के आधार पर इसे बनाए रखा जाएगा। निश्चित ही, शर्त यह है कि पहले आंकलन और दूसरे आकलन के बीच 12 मास से अधिक का अन्तराल न हो। 12 मास के अंदर यह आकलन हो जाना चाहिए तथा सुरक्षा आगे के लिए बढ़ा दी जानी चाहिए। यह खतरे की संभावना के आधार पर किया जाता है। इस विधेयक के माध्यम से हम यही प्राप्त करना चाहते हैं।

निश्चित ही, हमने संशोधन में यह भी जोड़ा है जिसे बाद में आधिकारिक तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा, अर्थात् :—

"(क) कि खतरा किसी उग्रवादी अथवा आतंकवादी संगठन अथवा किसी अन्य स्रोत से उत्पन्न पैदा हुआ है;

कोई माफिया और अन्य समूह हो सकता है। इसीलिए "अन्य स्रोत" शब्द जोड़े गए हैं।

(ख) कि खतरा गम्भीर और लगातार बने रहने वाली प्रकृति का है।"

इस संशोधन के साथ यह विधेयक सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक पर विचार किया जाए और इसे पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम, 1988 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री शिवराज वि० पाटील (लातूर) : महोदय, सरकार ने विशेष सुरक्षा ग्रुप अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक संशोधनकारी विधेयक और संशोधनकारी विधेयक में संशोधन भी पेश किये हैं। हम सरकार के कदम को सराहना करते हैं और हम संशोधनकारी विधेयक में संशोधन और संशोधनकारी विधेयक का भी समर्थन करते हैं।

अपराह्न 3.36 बजे

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा पीठासीन हुई]

यह कानून प्रधानमंत्री को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया था। हम यह नहीं भूल सकते कि सर्वाधिक प्रभावशाली प्रधानमंत्रियों में से एक की जान चली गयी और हम यह भी नहीं भूल सकते कि एक पूर्व प्रधानमंत्री को एस०पी०सी० सुरक्षा कवर हटने के बाद अपनी जान गंवानी पड़ी। हम यह भी जानते हैं कि हमारे राज्य के एक मुख्यमंत्री की भी जान जा चुकी है। नि:सन्देह, यह कानून प्रधानमंत्री; पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार के निकटतम सदस्यों के लिए लागू होता है। फिर भी हम इस तथ्य को भी नहीं भूल सकते कि एक मुख्यमंत्री की हत्या की गई थी। हमें इस वास्तविकता को भी महसूस करना चाहिए कि देश में अन्य नेता भी हैं जिनकी जान को खतरा है। नि:संदेह यह नियम उनके ऊपर लागू नहीं है परंतु उनके ऊपर खतरा स्पष्ट रूप से है, यह हम सब पूर्णत: जानते हैं। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। हमने एक संसद सदस्य को खो दिया, वह सदन से निकलीं, बाहर गयीं और उसकी हत्या कर दी गयी।

अब जहां तक प्रधानमंत्रियों पूर्व प्रधानमंत्रियों और राजनीतिक दलों के नेताओं का संबंध है, उनके जीवन पर खतरा उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से किए गए किसी कार्य के कारण नहीं होता — किसी एक मामले में ऐसा हो सकता परंतु यह एक अलग तरह का मामला हो जाएगा — परंतु हमने देखा है कि इन नेताओं की जान पर खतरा उनके द्वारा उठाए गए राजनीतिक कदम के कारण हुआ क्योंकि उन्हें कुछ कर्तव्यों का निर्वहन करना था। अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन की प्रक्रिया में उन्होंने अपने दुश्मन पैदा कर लिए। अब हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा।

हम अपने देश में इस मुद्दे पर सभा में और कभी-कभी सभा के बाहर भी चर्चा करते रहे हैं। एक दृष्टिकोण यह व्यक्त किया गया कि हमें इन नेताओं की सुरक्षा पर इतनी अधिक धनराशि खर्च नहीं करनी चाहिए। यह सच है कि सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने में निधियों का बहुत ही मितव्ययतापूर्ण तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। परंतु साथ ही हमें यह भी महसूस करना चाहिए कि यदि राजनीतिक नेताओं को कुछ भी होता है तो यह क्षति केवल उनसे संबंधित व्यक्तियों या परिवारों तक ही सीमित नहीं रहेगी बल्कि उसका व्यापक रूप से प्रभाव पड़ता है। यह देश में एक ऐसा वातावरण सृजित करेगा जहां लोग अपने ऊपर अपनी सरकार के ऊपर और उस व्यवस्था, जो हमारे द्वारा नागरिकों को सुरक्षा और संरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सृजित की गयी है, पर विश्वास करना छोड़ देंगे। इस प्रकार के खतरे का सामना करने से होने वाली हानि कुछ नेताओं को सुरक्षा उपलब्ध कराने में लगने वाली लागत से बहुत अधिक है। हमें इस तथ्य को ध्यान में रखना पड़ेगा।

[श्री शिवराज वि० पाटील]

आप सरकार में है और हम भी जो जनता के प्रतिनिधि के रूप में सदन में विपक्ष में बैठे हैं, हमें इस मुद्दे पर बहुत जिम्मेदाराना और संतुलित निर्णय लेना होगा। एक ओर तो हमें यह ध्यान रखना है कि धन की बर्बादी न हो और दूसरी ओर हमें नागरिकों, नीति-निर्माण में शामिल लोगों और अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे लोगों को सुरक्षा और विश्वास प्रदान करना है। यदि वे जो नीति निर्माण में शामिल है और अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। अपनी सम्पत्ति, अथवा अपने शरीर या अपने जीवन या अपने निकट सम्बन्धियों के जीवन पर खतरा महसूस करते हैं तो इसकी वजह से लोग जो विश्वास खो देंगे उसे पुन: बहाल करना बहुत मुश्किल होगा। यही कारण है कि मैं यह कह रहा हूं कि इस संबंध में हमें अत्यन्त संतुलित अत्यधिक जिम्मेदारपूर्ण और युक्तिसंगत कदम उठाना होगा। मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है कि सौभाग्यवश वर्तमान सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। हमारे विचार से वे भविष्य में भी इस प्रयास को जारी रखेंगे।

कतिपय ऐतिहासिक तथ्य है जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। हमें एक दल में कुछ नेताओं के प्रति खतरे के स्तर का आकलन करते समय उन ऐतिहासिक तथ्यों को ध्यान में रखना होगा। केवल प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री ही नहीं कभी-कभी उनके रिश्तेदारों को भी खतरा होता है। इसे भी हमें ध्यान में रखना होगा। केवल प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री और उनके निकट संबंधी ही नहीं बल्कि कुछ अन्य नेता भी है जो खतरे का सामना कर रहे हैं। मैं इस मुद्दे पर एक बार नहीं बल्कि कई बार अपने विचार प्रकट कर चुका हूं। मैंने इस सदन में कहा था कि हम जानते हैं कि किन-किन लोगों का जीवन खतरे में है और सरकार का यह कर्त्तव्य और साथ ही यह जिम्मेदारी है कि उन्हें भी समुचित और उपयुक्त सुरक्षा उपलब्ध कराए।

मैं आशा करता हूं कि सरकार केवल इस आलोचना को ही ध्यान में नहीं रखेगी कि धन का दुरूपयोग किया जा रहा है। हमें धन की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। यह हमारा धन नहीं है, इसका समुचित रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही अन्य चीजें भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। सरकार को उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। मैं नहीं समझता कि मेरे लिए इस संबंध में और कुछ कहना आवश्यक है।

सरकार द्वारा जो किया गया है वह इन परिस्थितियों में सही प्रतीत होता है। केवल एक मुद्दा जो मैं उठाना चाहता हूं कि यदि आप प्रधानमंत्री को निकट सुरक्षा कवर दे रहे हैं, सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें आप केवल एक वर्ष के लिए यह सुरक्षा कवर प्रदान करते हैं। मेरा व्यक्तिगत आकलन यह है कि यह अवधि पर्याप्त नहीं है। जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री का पद त्याग दिया है उसे केवल एक वर्ष तक सुरक्षा कवर प्रदान करना पर्याप्त नहीं है। यह अवधि अधिक होनी चाहिए। हो सकता है आप इसे दस वर्ष तक नहीं कर सकते, आप इसे पांच वर्ष के लिए नहीं कर सकते परंतु एक वर्ष पर्याप्त नहीं है।

यह तीन वर्षों के लिए हो सकता है। तत्पश्चात निर्धारण करने और विशेषज्ञों की राय लेने के बाद यदि कुछ किया जाना है तो मैं सोचता हूं कि यह किया जाना चाहिए और यदि यह किया जाता है तो मैं समझता हूं कि सदन भी इस बात से सहमत होगा।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा) : सभापति महोदया, मैं यहां पर विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम के संशोधनकारी उपबंधों और संशोधनकारी उपबंधों में संशोधन, दोनों का समर्थन करता हूं।

जैसा कि माननीय मंत्री ने संकेत किया है संशोधनकारी उपबंधों में संशोधन विपक्ष की नेता के बच्चों के संबंध में कतिपय बाधाओं के चलते लाया गया है। निश्चय ही ये संशोधन इसलिए लाए गए हैं क्योंकि पहले संशोधन में निकट संबंधी शब्द का लोप कर दिया गया था।

सभापति महोदया, जब मैं यहां उस सुरक्षा के बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं जो पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके निकट सम्बन्धी को दी जानी है, मैं उस परन्तुक की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा जो दूसरे संशोधन में दिया गया है। आप इस बात को मानेंगे कि देश में सुरक्षा परिदृश्य चिंताजनक हो गया है। यह अधिकांशत: मुस्लिम कट्टरतावाद के कारण है जो सीमा पार से अपने जाल (टेन्टकल) को फैला रहा है। अल-कायदा तथा उसके सहयोगी संगठन, जो विभिन्न नामों से जाने जाते हैं अर्थात् जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, अल-बदर या किसी अन्य नाम से जाने जाते हैं वे जो भी नाम रख लें, हर दिन, हर महीने इन संगठनों को बनाया जाता है,. उन्हें पोषित किया जाता है, उन्हें धनराशि प्रदान की जाती है और भारत में देश को अस्थिर करने के लिए देश में समस्याएं पैदा करने और किसी भी तरीके से देश के नेताओं की हत्या करने के लिए भेजा जाता है।

हमें इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस्लामिक कट्टरपंथियों की विचारधारा है कि सम्पूर्ण विश्व पर 'शरीयत' का शासन हो सुनिश्चित किया जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इस्लामीकरण समुचित तरीके से हो। यह जिस तरीके से किया जा रहा है उसे एक अमेरिकी पत्रकार द्वारा बहुत ही सारगर्मित तरीके से बताया गया है। यहां मैं उसे उद्धृत करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि :—

> "अल-कायदा की निरंतर मौजूदगी इस बात को रेखांकित करती है कि सरकारों के लिए इन राज्यविहीन, विकेन्द्रित नेटवर्क को जो आतंकवाद का प्रसार करने के लिए निर्बाध रूप से, तेजी से और गुप्त रूप से राष्ट्रीय सीमाओं को पारकर जाता हैं, को पूरी तरह समाप्त करना कितना मुश्किल है"

और यही हमारे देश में हो रहा है।

सभापति महोदया, हमने पाकिस्तानी उच्चायोग और दिल्ली में कार्य करने वाले उनके मातहतों की गतिविधियों को देखा है। आई०एस०आई० के लगभग 62 माड्यूल्स देश की शांति और सुरक्षा को क्षति पहुंचाने के लिए दिल्ली में ही अपनी गतिविधियां चला रहे हैं।

हाल ही में, मैं लगभग 25 वर्ष के बाद मेघालय की वेस्ट गारो हिल्स और असम गया था। वहां जाकर मैं स्तब्ध रह गया कि वहां पर बंगला देशियों की भारत में बड़े पैमाने पर घुसपैठ हो रही है। मैं आपको इस बात की जानकारी दे दूं कि इन बंगलादेशी मुस्लिमों की घुसपैठ के बावजूद असम के समाज और इन मुस्लिमों के समाज में स्पष्ट विभाजन है। वे मुस्लिम जो असम में 'गौड़ साम्राज्य' के काल से ही असम में रह रहे हैं 'गौड़िया' कहलाते हैं और जो मुस्लिम बंग्लादेश से आए हैं वे 'मियां' कहलाते हैं। यहां तक कि अब भी इन दोनों समूहों के बीच परस्पर मिश्रण नहीं हो पाया है। 'गौड़िया' लोग 'मियां लोगों को हेय दृष्टि से देखते हैं।

इस क्षेत्र की पूरी अर्थव्यवस्था इन लोगों के यहां आकर रहने के कारण चौपट हो गयी है। मैंने वेस्ट गारो हिल्स जिले के दो पुलिस स्टेशनों अर्थात् महेन्द्रगंज और फुलवारी पुलिस स्टेशनों में अधिकांश जनसंख्या बंग्लादेशियों की है। मैं यह नहीं कहता कि सभी लोग जो बंगलादेश से आए हैं वे देश के लिए संभावित खतरा हैं या किसी आतंकवादी संगठन से संबंध रखते हैं।

परंतु मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सीमा सुरक्षा बल की ओर से सतर्कता में ढिलाई बरती जाती है। यहां यह बताने के लिये मैं माफी चाहता हूं। मुझे लोगों ने बताया कि यदि कमाण्डेन्ट सख्त है, तो वहां घुसपैठ अथवा वस्तुओं की तस्करी नहीं होगी किन्तु – कमाण्डेन्ट सख्त नहीं है, तो लोग, वस्तुयें और सब कुछ निर्बाध रूप से आता है। मैं यह जानकर अचम्भित था कि अच्छा मुर्गी का मांस (चिकन) और मुर्गियां सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों के मेज पर उन लोगों के द्वारा लायी जाती हैं जो बंग्लादेश के जमालपुर अथवा इससे पहले माइमानसिंह जिले में रहते हैं। मैं इस बात पर जोर इस तथ्य को उजागर करने के लिये देना चाहता हूं कि जब यहां विशेष संरक्षा समूह संशोधन लाया जा रहा है, तो हमें अत्यन्त सावधान रहना चाहिये जब हम जानते हैं कि उसी सजातीय समूह अथवा सजातीय समूहों से मिलते जुलते लोग आ जा रहे हैं और सीमा पर लगी कांटेदार तारों को कई जगह पर तोड़ा और छेड़ा जा रहा है। ऐसी नदियां भी हैं, जहां बिलकुल भी बाड़ नहीं लगाई गई है। इन लोगों ने अर्थव्यवस्था को भी छिन्न भिन्न कर दिया है। तूरा में, मैंने पाया कि 'मिया' समूह का एक व्यक्ति प्रतिदिन 50 रु० मजदूरी लेकर ही संतुष्ट है, जबकि स्थानीय लोग 75 रु० प्रतिदिन से कम नहीं लेना चाहेंगे। अब इन लोगों को स्थानीय व्यापारियों और स्थानीय लोगों द्वारा काम पर लगाया जा रहा है। ये लोग महत्वपूर्ण व्यक्तियों की आवाजाही के बारे में जानकारी – रखते हैं। मैं श्री शिवराज पाटील से पूर्णत: सहमत हूं। लेकिन अब परिदृश्य ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति आतंकवादी गुट अथवा उग्रवादियों के हमले से मुक्त नहीं है। मैं केवल आतंकवादी गुटों से संबंधित अपने मुद्दे पर जोर दे रहा हूं। कितना भी महत्वपूर्ण कोई नेता क्यों न हो वह ऐसे खतरे से मुक्त नहीं हैं। आप उसे किसी भी प्रकार की जो आप चाहे, सुरक्षा दें, जब तक पाकिस्तान और बंग्लादेश की ओर से घुसपैठ को पूर्णत: रोका नहीं जाता अथवा कुछ हद तक कम नहीं किया जाता – वे आसानी से पार की जाने वाली सीमायें हैं, वे घुसपैठ की संभावना वाली सीमाएं हैं – आप कुछ नहीं कर सकते हैं।

हाल ही में पश्चिमी बंगाल सरकार जागी है। वह पश्चिमी बंगाल में बांग्लादेशी लोगों की घुसपैठ को अनदेखा कर रही थी। अब वे जाग चुके हैं। यह अच्छी बात है कि उन्होंने कठोर कार्यवाही की है। राज्य सरकारों को इस मामले में कठोर कार्यवाही करनी पड़ेगी। किन्तु वे लोग जो बाहर से आ रहे हैं, उनका बंग्लादेश के भीतर आई०एस०आई० मॉडयूल के द्वारा वित्त पोषण किया जा रहा है।

बांग्लादेश के विदेश मंत्री हाल ही में भारत आये थे। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कहा कि हां पाकिस्तान के आई०एस०आई० मॉड्यूल बांग्लादेश में कार्यरत हैं। जब वे यह बात कह रहे हैं तो हमें अत्यन्त सावधान रहना पड़ेगा। यह कल की घटना के कारण हैं, संसद पर हमला हुआ था, कई महत्वपूर्ण सदस्यों पर यहां वहां भी हमला किया गया और इतिहास प्रधानमंत्रियों की हत्या किये जाने के उदाहरणों से भरा पड़ा है और जब तक हम कुछ ऐसे उपाय नहीं करते जिसके द्वारा हम इन लोगों को कार्यकलापों की रोक सकें और इन जयचन्दों से सावधान रहें, किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्रदान करना अत्यन्त कठिन होगा।

कृपया मुझे कुछ मिनट और और दें, क्योंकि मैंने पहले ही अपनी पार्टी को सूचना दे दी है कि मैं यहां कुछ और समय लेना चाहूंगा। महोदया, कृपया मुझे कुछ और समय देने की कृपा करें।

सभापति महोदया : इस विधेयक पर अभी कुछ और लोग भी बोलने वाले हैं।

श्री अनादि साहू : जैसा कि आप जानती हैं, मैं कभी भी अवज्ञा नहीं करता, किन्तु मैं यहां कुछ और समय लेना चाहूंगा। यदि आप अनुमति दें तो मैं बोलूंगा अन्यथा मैं बैठ जाऊंगा। यह तो महोदया आप पर निर्भर करता है।

सभापति महोदया : आपने अपनी पार्टी का समय लिया है और आप इसका उपयोग करें। किन्तु अभी इस विधेयक पर कई और माननीय सदस्य भी बोलना चाहते हैं।

श्री अनादि साहू : यह ठीक बात है। इस विधेयक पर चर्चा करने के लिये कुल आबंटित समय ढाई घण्टा है। अत: मुझे कुछ और समय दिया जाना चाहिये। मेरे विचार से, मेरे साथी भी मुझसे सहमत होंगे।

श्री ए०सी० जोस (त्रिचूर) : आप अपनी बात जारी रखें।

श्री अनादि साहू : महोदया, मैं यह बताना चाहता हूं कि हमें उन आतंकवादी संगठनों को ढूंढना है, जिन्हें पाकिस्तानी एजेन्सियों द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है, हमें उनको ढूंढना है और उन्हें समाप्त करने के लिये कदम उठाने हैं। हमने विशेष संरक्षा ग्रुप को सुदृढ़ किया है। पहले हमने उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के साथ आरम्भ किया था, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, के संदर्भ में आतंकवाद को एक भाग में परिभाषित किया गया है। तत्पश्चात् हम विशेश संरक्षा ग्रुप अधिनियम लाये। भारत सरकार सावधानी पूर्वक और मुस्तैदी से यह जानने का प्रयास कर रही है कि क्या हमें महत्वपूर्ण व्यक्तियों को संरक्षा प्रदान करने के लिये अन्य बलों को भी लगाना चाहिये।

अब के०औ०सु०ब० को उचित रूप से प्रशिक्षित किया जा रहा है। के०औ०सु०ब० एक ऐसा बल है, जिसमें लगभग 90,000 कार्मिक हैं। के०औ०सु०ब० की तीन बटालियनों को प्रशिक्षित किया जा सकता है अथवा के०औ०सु०ब० की पांच बटालियनों को उचित ढंग से प्रशिक्षित किया जाये और उन्हें दिल्ली में ही नियुक्त किया जाये क्योंकि जैसा कि मैंने कहा यहां आई०एस०आई० के 62 मॉड्यूल कार्य कर रहे हैं – चाहे वे सक्रिय हों अथवा नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि के०औ०सु०ब० को अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में उचित ढंग से प्रशिक्षित किया जाये और इस संबंध में एक ब्ल्यूप्रिंट तैयार किया जाये, तो यह अच्छा होगा। मैं अभी प्रधानमंत्रियों की बात नहीं कर रहा हूं अथवा उन प्रधानमंत्रियों की बात नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने दस वर्ष पहले पदभार छोड़ दिया था, जिनके लिये सुरक्षा हेतु सार्वजनिक सड़क को बंद कर दी जाती है; मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं विशेष संरक्षा ग्रुप के लोगों की बात नहीं करूंगा, जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री के घर की चारदीवारी के पास मामूली स्तर की कारें भी नहीं रखने के लिये कह रहे हैं। यह एक अलग बात है। मैं उस बारे में नहीं कह रहा हूं। हमें थोड़ी असुविधा को सहन करना पड़ेगा।

मैं जिस बात पर जोर देने का प्रयास कर रहा हूं, वह यह है कि दिल्ली में हम केवल भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के लिये ही नहीं अपितु भूतपूर्व मंत्रियों, विभिन्न नेताओं, जो राजनैतिक जीवन में सक्रिय हैं के लिये भी एक विशेष प्रकार का सुरक्षा कवर चाहते हैं। प्रत्येक राजनैतिक नेता, चाहे वे अब संसद सदस्य हों अथवा पहले संसद सदस्य रहें हों, अथवा पहले मत्री थे, को इसमें पूर्णत: कवर किये जाने की आवश्यकता है और यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है, जिसपर इस समय सरकार द्वारा विचार किया जाना है।

जैसा कि मैंने पहले कहा है कि दिये जा रहे सुरक्षा कवर के संबंध में आलोचना की जाती है। हमें उस आलोचना को सहन करना पड़ेगा। हमें अपने दिमाग में यह बात रखनी पड़ेगी कि हम अभी भी सामन्तवादी समाज में रहते हैं, तथापि हम कहते हैं कि हमारा प्रजातांत्रिक ढांचा है। लोग चाहेंगे कि उनके पीछे कर्मचारी-वर्ग हों, चाहे वे विभिन्न विशेष कवरेज समूहों से हों अथवा व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी हों अथवा यही सब कुछ हों। हमें इसे सहन करना पड़ेगा; हमें उसका नुकसान भुगतान पड़ेगा। जनता भी सायरन की आवाज के कारण कष्ट उठाती है, अति महत्वपूर्ण विशिष्ट व्यक्तियों के साथ रहने वाले लोगों का कठोर रवैया, विभिन्न स्थानों पर धक्का-मुक्की भी हमें सहन करनी पड़ेगी; हमें इसे जीवन के एक पहलु के रूप में लेना होगा। ये वे मामले हैं, जो इसी कहानी का दूसरा पहलू हैं।

अभी जिस मूल अवधारणा के बारे में सोचा जाना है, वह यह है कि हमें घुसपैठ, आतंकवादी गतिविधियों और इस्लामीकरण के सम्पूर्ण कट्टरवादी दृष्टिकोण द्वारा विभिन्न नामों के तहत आतंकवादियों के वित्तपोषण इत्यादि समस्याओं से जूझना पड़ेगा। वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और इसे ध्यान में रखना पड़ेगा। आइये देश को अस्थिर न बनने दें और इस देश का विखण्डन की प्रवृत्ति बढ़ाने की दिशा में प्रयत्नशील लोगों के कार्यकलापों के कारण नुकसान न उठाने दें।

इस विधेयक का समर्थन करते हुये, मैं सरकार से इस संबंध में ब्ल्यूप्रिंट लाने और इसे संसद के समक्ष प्रस्तुत करने का आग्रह करूंगा कि महत्वपूर्ण व्यक्तियों को किस प्रकार उचित सुरक्षा प्रदान की जाये, जैसा कि श्री शिवराज पाटील ने बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया है। मैं उनका भी पूर्ण समर्थन करता हूं। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है, जिस पर विचार किया जाना चाहिए।

डा० रामचन्द्र डोम (बीरभूम) : धन्यवाद, सभापति महोदया। मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं। किन्तु इस विधेयक का समर्थन करते हुये, मैं कुछ मुद्दे माननीय मंत्री जी से स्पष्टीकरण मांगने हेतु उठाना चाहता हूं।

यह विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक, विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम को संशोधित करने जा रहा है। वास्तव में, हमारे देश में आन्तरिक सुरक्षा की स्थिति अत्यन्त शोचनीय है तथा इस बारे में कोई सन्देह नहीं है। सभी ओर से माननीय सदस्यों ने पहले ही इस ओर संकेत किया है। यह हमारा दिन-प्रतिदिन का अनुभव है और यह हमारा ऐतिहासिक अनुभव भी रहा है। यहां तक कि राजनीतिज्ञ, भूतपूर्व प्रधानमंत्री – श्रीमती गांधी और राजीव गांधी – ने अपने जीवन का बलिदान दिया था।

अपराह्न 4.00 बजे

वे कई अन्य नेताओं की तरह आतंकवादी गतिविधियों के शिकार बने थे। इस पृष्ठभूमि में, हमारे प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री और उनके निकटतम संबंधियों को विशेष सुरक्षा प्रदान करने के लिये विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम अधिनियमित किया गया था। अब सरकार उस अधिनियम में संशोधन करने के लिये इस विधेयक की सिफारिश कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके निकटतम संबंधियों के लिये विशेष संरक्षा ग्रुप सुरक्षा का विस्तार किया जाना है। उस मुद्दे पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आजकल राजनैतिक नेताओं, राजनीतिज्ञों, इत्यादि के लिये विशेष सुरक्षा बढ़ाने के संबंध में व्यापक आलोचना हो रही है। किन्तु हमें नेता विशेष और उसके परिवार के लिये यथार्थ स्थिति और वास्तविक रूप से धमकी मिलने पर न्यायसम्मत ढंग से विचार करना पड़ेगा। यहां तक कि इस विधेयक में भी यह उल्लेख है कि इस संबंध में मामला-दर-मामला विचार भी होगा। मेरे विचार से सरकार इस मुद्दे पर गम्भीर होगी और कोई भेदभाव अथवा किसी भी चीज को कम नहीं आंका जायेगा। राजनैतिक गठबंधन, जाति अथवा धर्म के आधार पर कोई भेदभावपूर्ण विचार नहीं किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

हम मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि किस तरह की बाधाओं का सामना किया जा रहा है। विधेयक में यह उल्लेख है कि सरकार के पास वित्तीय भार और श्रमशक्ति की कमी के कारण यह उपाय करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। अत: मैं मंत्री जी से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम के अधिनियमन से आज की तिथि तक हमारे नेताओं को विशेष संरक्षा ग्रुप कवर प्रदान करने में कुल कितना पैसा व्यय हुआ है और इस महान कार्य में विशेष संरक्षा ग्रुप के कितने कार्मिक शामिल है।

महोदया, यह भी बताया गया है कि किसी व्यक्ति विशेष से विशेष संरक्षा ग्रुप सुरक्षा वापिस लेते हुये उस व्यक्ति के लिये वैकल्पिक सुरक्षा व्यवस्था की जाये। अत: इसे स्पष्ट किया जाना चाहिये। यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिये कि किस प्रकार की सुरक्षा उपलब्ध करवाई जायेगी।

आज सम्पूर्ण राष्ट्र सुरक्षा की समस्या का सामना कर रहा है। हम इस समस्या को श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते इस तरह की विशेष सुरक्षा प्रतिष्ठा का प्रतीक नहीं होनी चाहिये इसे दिमाग में रखा जाना चाहिये। आजकल आम जनता को सुरक्षा प्राप्त नहीं है। यह केवल राजनीतिज्ञों तक ही सीमित नहीं है किन्तु साधारण मजदूरी कमानेवाला भी इस राष्ट्र में सुरक्षा समस्या का सामना कर रहा है। वर्तमान में, सीमा पार से उत्तेजना के कारण सीमाओं पर अत्याधिक तनाव है कई विद्रोही समूहो, आतंकवादी समूहो विदेशी एजेन्सियां जैसे आई०एस०आई०, सी०आई०ए० इत्यादि सभी हमें अस्थिर करने के लिये हमारे देश में सक्रिय हैं। हमारा सीमा-क्षेत्र विवाद है।

आतंकवाद भी कई तरह का है। सत्ता पक्ष से माननीय सदस्य ने मुद्दे का विश्लेषण किया है कि मुस्लिम कट्टरपंथी इस राष्ट्र में अत्यंत सक्रिय हो गये हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि मुस्लिम कट्टरपंथ को इस देश में आतंकवाद फैलाने के लिये विदेशी एजेन्सियों द्वारा सहायता की जा रही है। किन्तु यही एकमात्र कारक नहीं है, जिससे आतंकवाद पनप रहा है। देश में कई अन्य विद्रोही समूह हैं, जो हमारी आन्तरिक और सामाजिक सुरक्षा को ही नहीं अपितु हमारे राष्ट्र की एकता को अस्थिर करने के लिये खतरा बन रहे हैं। यह सत्य है।

हमारे लोग और विशेष रूप से हमारी महिलायें सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के साथ सामूहिक बालात्कार हो रहे हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े समुदायों से सम्बंधित लोगों की कट्टरपंथी ताकतों द्वारा नृशंसतापूर्वक हत्या की जा रही है। यह सभी को पता है। अत: अति महत्वपूर्ण विशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करते समय हमें इस राष्ट्र में आम जनता की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करना चाहिये। इस पहलू को दिमाग में रखना चाहिये।

उत्तर-पूर्वी और पूर्वी क्षेत्र में दिन-प्रतिदिन हमारी सीमाओं पर तनाव बढ़ता जा रहा है। इस क्षेत्र में सीमा पार से अत्यधिक लोग आ रहे हैं और घुसपैठ हो रही है। इसका कारण कि ऐसी बातें क्यों हो रही हैं, को सरकार ही बेहतर स्पष्ट कर सकती है। परन्तु पश्चिम बंगाल राज्य में हमें इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। घुसपैठ की संभावना वाले सीमाक्षेत्र ही इस समस्या का कारण है। यद्यपि सीमा पर तैनात सी०सु०ब० के जवान भरसक अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, फिर भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि हमारी सीमाएं अत्यधिक सुरक्षित है। अत: घुसपैठ की संभावना वाले हमारे सीमाक्षेत्र की सावधानीपूर्वक रखवाली करनी होगी ताकि सीमापार के लोग घुसपैठ न कर सकें।

महोदया, पूर्वोत्तर क्षेत्र के दो राज्यों में इस माह में चुनाव होने वाले हैं। इन दो राज्यों विशेषकर त्रिपुरा राज्य में, उग्रवादी गतिविधियां बढ रही हैं। इसमें हजारों की संख्या में लोग और राजनीतिक कार्यकर्ता पहले ही अपनी जान गवां चुके हैं। ऐसी घटनाएं घट रही हैं। अत: केन्द्र सरकार का यह दायित्व है कि वह सीमाओं की सुरक्षा बनाए रखे। कभी-कभी सी०सु०ब० के जवान अधिक सक्रियता दिखाते हुए असैनिक व्यक्तियों (सिविलिअन) से भी झगड़ पड़ते हैं। हमारे राज्य में ऐसी कई घटनाएं होती है। राज्य सरकार ने ऐसी घटनाओं को मुआवजा पहले ही दे दी है। सी०सु०ब० के लोगों ने बिल्कुल साधारण सी बात पर निर्दोष युवाओं को मार डाला है। ऐसी घटनाओं पर रोक लगायी जाये ताकि आम आदमी सी०सु०ब० का शिकार न बने।

महोदया, अंतत: मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं जिसके बारे में हमारे नेता आज प्रात: अपने विचार

[डा० रामचन्द्र डोम]

प्रकट कर चुके हैं। यह भयावह पोटा कानून के बारे में है। इस पोटा का प्राधिकारियों द्वारा बेधडक दुरूपयोग किया जा रहा है। कई राज्य सरकारों नामत: उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात और अन्य राज्यों द्वारा अत्यधिक मामूली आधारों पर इस कानून का उपयोग किया जा रहा है।

सभापति महोदया : हम एक अन्य विधेयक के बारे में बोल रहे हैं। जब पोटा का विषय उठाया जाएगा तो आप इस पर चर्चा कर सकते हैं।

डा० रामचन्द्र डोम : अब इस भयावह कानून के बारे में कहने का अवसर आ गया है।

सभापति महोदया : परन्तु यह एस०पी०जी० के बारे में है।

डा० रामचन्द्र डोम : जो कुछ भी हो, महोदया, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। पोटा को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए और ऐसे लोगों, जिन्हें पोटा के तहत परेशान किया जा रहा है और जिनपर पोटा के तहत आरोप लगाए जा रहे हैं, के विरुद्ध सभी मामलों पर निष्पक्ष रूप से विचार किया जाये। निर्दोष लोगों को पोटा के तहत परेशान नहीं किया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि सरकार मेरे निवेदन पर विचार करेगी और वह आम आदमी की परेशानियों को दूर करने के लिए प्रयास करेगी। सरकार उन्हें राहत प्रदान करने पर विचार करे।

मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा० एम०वी०वी०एस० मूर्ति (विशाखा पत्तनम) : सभापति महोदया, मैं विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक, 2002 का समर्थन करता हूं। यह आवश्यक है कि विशिष्ट लोगों के जीवन की सुरक्षा की जाये। विशिष्ट लोगों के जीवन की सुरक्षा करते हुए हमें यह संदेश भेजना चाहिए कि इस देश की सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत सुदृढ़ है ताकि इसकी विश्व के सभी भागों में प्रशंसा हो सके। ऐसा करते हुए हम पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवार वालों को विशेष संरक्षा ग्रुप कवर प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं, जोकि एक प्रशंसनीय प्रयास है।

हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आतंकवादी गतिविधियों पर सामान्यत: रोक लगे। हमारे सभी पड़ोसी देश जो आतंकवादी गतिविधियों में लगे हुए हैं, आतंकवादियों को भारत की ओर भेज रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकवादी और आई०एस०आई० की गतिविधियों, श्रीलंका में लिट्टे की गतिविधियों, नैपाल के माओवादियों की गतिविधियों और बांग्लादेश की उग्रवादी गतिविधियों से हमारे देश में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं जिससे हमारे देश की सुखशांति भंग हो रही है, और कभी-कभी इससे हमारे देश के निर्दोष लोगों की जान के लिए भी खतरा उत्पन्न हो रहा है।

इसके साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि अधिकांश माननीय सदस्यों को उपलब्ध करायी जा रही सुरक्षा सुप्रशिक्षित कर्मियों द्वारा सुरक्षा की तुलना में दिखावा मात्र ही है। हमने यह भी देखा है कि सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति में ही हमारे कुछ सहयोगियों को गोली मारं दी गई हैं। हाल ही में कर्नाटक में श्री नागप्पा का जीवन बचाया नहीं जा सका। वे असहाय हो गए थे और जंगल में उनकी मृत्यु हो गई। आंध्र प्रदेश जैसे कुछ अन्य राज्यों में पुलिस कर्मचारियों का भी अपहरण कर लिया गया है। पुलिस स्टेशनों पर धावा बोल कर पुलिस कर्मचारियों का अपहरण कर लिया गया।

अपराह्न 04.14 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए*]

हम यह कैसे कह सकते हैं कि संरक्षा और सुरक्षा उपलब्ध है जब आंतकवादी और नक्सलवादी अथवा उग्रवादी यह समझते हैं कि वे आम आदमी और किसी महत्वपूर्ण राजनेता ने साथ भी अपनी इच्छानुसार व्यवहार कर सकते हैं। अत:, ऐसे उपद्रव की स्थिति में शांति बनाए रखना बहुत मुश्किल कार्य है। यह संभव नहीं है। सामान्यतया हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सुरक्षा प्रदान की जाय, सुरक्षोपाय किए जायें और जहां कहीं भी पकड़े जाने पर निवारक दण्ड व्यवस्था लागू की जाये। हम यह नहीं कर रहे हैं। हम केवल एक व्यक्ति को एस०पी०जी० सुरक्षा अथवा अन्य प्रकार की सुरक्षा देने की बात को ही ध्यान में रख रहे हैं और उसी समय कई आतंकवादी और उग्रवादी धड़ल्ले से घूमते रहते हैं। उनके बारे में किस प्रकार से ध्यान रखा गया है? इससे खतरा उत्पन्न हो रहा है। अत:, सामान्य रूप से यदि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है, तो अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा अपने-आप ही हो जाएगी। इस बात को भी ध्यान में रखना होगा।

दिसम्बर, 2001 में संसद पर हुआ आक्रमण कुछ और नहीं बल्कि एक चूक है। जब तक सुरक्षा व्यवस्था समुचित रूप से कड़ी नहीं की जाएगी, केवल पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवार के सदस्यों को सुरक्षा कवर प्रदान करने मात्र से उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा।

इस बात को महसूस करते हुए कि ये संशोधन आवश्यक हैं मेरा यह कहना है इसकी आवधिक समीक्षा भी आवश्यक है। केवल दस वर्षों तक सुरक्षा कवर प्रदान करना और उसके बाद चुप रहना पर्याप्त नहीं है। यदि कोई पूर्व प्रधानमंत्री सक्रिय राजनीति में नहीं है

और वह सक्रिय राजनीति में रहना नहीं चाहता है तो जब लोग उनके बारे में ज्यादा चिंतित नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षा देने की कोई आवयकता नहीं है। तो ऐसे लोगों को कड़ी सुरक्षा क्यों प्रदान की जाये? सुरक्षा ऐसी स्थिति में उपलब्ध होनी चाहिए जब किसी विशिष्ट पूर्व प्रधानमंत्री को खतरा हो और वे अथवा उनके परिवार के सदस्य सक्रिय राजनीति में आना चाहते हों। अन्यथा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह ठीक है कि आपने एक वर्ष के लिए सुरक्षा कवर प्रदान किया है। एक वर्ष की अवधि के बीत जाने के बाद आपको आवधिक समीक्षा करनी चाहिए कि क्या यह आवश्यक है अथवा नहीं। यदि वह अथवा उस परिवार का कोई भी सदस्य सक्रिय राजनीति में आना चाहता हो तो ऐसी स्थिति में उसे सुरक्षा कवर उपलब्ध कराना अपेक्षित होगा। अन्यथा, आप सुरक्षा कवर हटा सकते हैं।

मेरा यह निवेदन है कि जहां कहीं भी सुरक्षा आवश्यक हो तो उपलब्ध करायी जाये और आवश्यक न होने पर यह हटा ली जाये। अन्यथा यह केवल दिखावा मात्र की व्यवस्था बनकर रह जाएगी और दिखावा मात्र की सुरक्षा से तो सुरक्षा होने की बजाय समस्याएं उत्पन्न होंगी।

इन शब्दों के साथ, मैं संशोधनकारी विधेयक का समर्थन करता हूं और यह कहूंगा कि इसे पारित कर दिया जाये।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा) : सभापति महोदय, फोर्मर प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली की सिक्युरिटी दस साल से घटाकर एक साल की जा रही है। यह एक मुनासिब कदम है। सिक्युरिटी पर हमारे बजट का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल हो रहा है। मैं यह तो नहीं कहता हूं कि सिक्युरिटी न दी जाए। इस बिल के मुताबिक अब कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं है, जितने फोर्मर प्राइम मिनिस्टर है, सबको एक साल से ज्यादा हो गया है। अब इस बिल को आगे के लिए लागू किया जायेगा। अब तो कोई फोर्मर प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं है। लेकिन जिसे जितनी सिक्युरिटी की जरूरत है, इंटैलीजैन्स के हिसाब से उसे उतनी सिक्युरिटी प्रोवाइड की जाए। देश के हालात बहुत खराब है। टैरेरिज्म पर काबू नहीं पाया जा सका है, क्रॉस बॉर्डर टैरेरिज्म बढ़ता चला जा रहा है। हम उससे कामयाबी के साथ लड़ाई लड़ने में नाकाम रहे हैं और इन हालात के अंदर पोलिटीकल लोगों की जिंदगियां यकीनन खतरे में हैं। यह सिर्फ फोर्मर प्राइम मिनिस्टर के लिए हैं। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि जितने भी ऐसे पोलिटीकल लोग हैं, जिनके पास ऑफिसेज रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है और उनकी जिंदगी खतरे में हैं, उन्हें पूरी प्रोटैक्शन मिलनी चाहिए। वह चाहे एक साल के लिए हो या एक साल से ज्यादा के लिए हो। हमने बहुत सी कीमती जिंदगियों को जाया कर दिया। प्राइम मिनिस्टर, फोर्मर प्राइप मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स इस मुल्क के अंदर खत्म कर दिये गये और उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने देश के लिए अपनी समझ के मुताबिक कुछ काम किये थे। यकीनन ऐसे लोगों को पूरी सिक्यूरिटी मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री जिस तरह से टैररिज्म से लड़ रही हैं, क्रिमिनल्स से लड़ रही हैं, ऐसे लोगों से जिन्होंने आतंकवाद फैला रखा था — उनकी जिन्दगी के खिलाफ भी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। इस तरह के पूरे मुल्क में जिन लोगों के साथ होता है कि जिन लोगों के पास ऑफिसेज हैं और वे देश या प्रदेश के लिये कुछ करना चाहते हैं, उनकी जिन्दगी की हिफाज़त करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसमें शुबहा की कोई बात नहीं है और मैं इस बिल को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करता हूं।

इसके साथ-साथ मुझे इजाजत दी जाए और बोलने दिया जाए कि इस मुल्क में ऐसे लोग जो देश के अंदर नफरतों की आंधियां चलाना चाहते हैं, जो इस मुल्क को तोड़ देना चाहते हैं, मैं किसी एक मज़हब की बात नहीं कर रहा हूं। जो थोड़े से राजनैतिक फायदे के लिए अपनी जुबान को काबू में नहीं रख सकते, जिनके होंठ हिलते हैं तो ज़हर उगलते हैं, उनको बड़ी भारी सिक्यूरिटी दी जाती है। मेरा कहना है कि ऐसे तमाम लोगों की सिक्यूरिटी वापस ली जानी चाहिए। यह देश का पैसा है। इसे जाया नहीं होने देना चाहिए। चारों तरफ ब्लैक कैट खड़ी है और कोई एक आदमी किसी एक कौम को, किसी एक आदमी को जो जुबान में आता है कहते चले जाते हैं।

(व्यवधान)

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : किसके बारे में कह रहे हैं? कुछ ज़िक्र भी करिये।

सभापति महोदय : श्री राजो सिंह जी, आप स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य को बोलने दीजिए। माननीय सदस्य अपनी बात कहने में सक्षम हैं, आप उनको टोकें नहीं।

श्री राशिद अलवी : यहां एक अहम मसले पर बहस हो रही है। मैं किसी एक आदमी या मज़हब का नाम नहीं ले रहा हूं। मैं न एक्शन और न रियैक्शन की बात कर रहा हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि एक तरफ से कहा जाएगा तो दूसरी तरफ से दूसरे आदमी द्वारा कहा जाएगा लेकिन सरकार ऐसी कमेटी बनाए जिसके अंदर अपोजीशन और सरकार के लोग हों और वे यह फील करें कि किसको प्रोटैक्शन मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए। आपकी जाती गलतियों की बिना पर अगर आपकी जिन्दगी खतरे में है तो आपको कोई प्रोटैक्शन नहीं मिलना चाहिए। यह आपकी अपनी जिम्मेदारी है। आप अपना पैसा खर्च करके उन्हें अपनी जिन्दगी बचाने की कोशिश करते हैं। प्रोटैक्शन उन्हें मिलना चाहिए जिनकी जिन्दगी देश के लिए खतरे में पड़ी है। हर आदमी खड़ा होता है, जुबान बेलगाम कर देता

[श्री राशिद अल्वी]

है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देश के कोने-कोने में उसका नाम पहुंचा देता है और उसको आसान नुस्खा मिल जाता है कि इस मुल्क में आसानी से शोहरत हासिल की जा सकती है और अपनी जिन्दगी के लिए वह प्रोटेक्शन हासिल कर लेता है। जो रही-सही कसर है, वह भी पूरी हो जाती है जिसको चाहे गाली दो, जिसको चाहो जलील करो, कोई कुछ नहीं कहता। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरीके का कानून बनाना चाहिए कि उनकी प्रोटैक्शन वापस होनी चाहिए और इस संबंध में सरकार चाहे पार्लियामेंट के तमाम ग्रुप और पार्टी के लोगों की कमेटी बननी चाहिए जो फैसला करे कि कौन सिक्यूरिटी का हकदार है और कौन नहीं है।

आखिरी बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं, वह यह है कि इस सिक्यूरिटी के सिस्टम से आम आदमी को बड़ी परेशानी होती है। खास तौर से दिल्ली के अंदर और स्टेट्स की जो कैपिटल्स हैं, वहां तीन-चार गाड़ियां एस०पी०जी० की भरी हुई चलती हैं और आम आदमी को ऐसी नफरत की निगाह से देखा जाता है, एक तरफ धक्का दिया जाता है, गाड़ियों से बूंदक की नलियां निकली होती हैं। यह तो मैंने तारीख में पढ़ा था कि फ्रांस जब इंकलाब आया था तो वहां का शहजादा जब निकलता था तो उनकी बग्घियों के पहियों के नीचे मासूम बच्चे आ जाते थे, तो उनके बाप-दादाओं को इसलिए सजा दी जाती थी कि अपने बच्चों को आपने बग्घी के आगे क्यों आने दिया।

चेयरमैन साहब, यह डैमोक्रेटिक कंट्री है। इसके लिए भी आपको कानून बनाना पड़ेगा। रैड लाइट पर रुकना पड़ेगा। क्या मतलब है कि वी०आई०पी० की गाड़ी रैड लाइट पर हॉर्न बजाती हुई निकल जाए? आपके पास सिक्योरिटी है। फिर आप रैड लाइट पर क्यों नहीं रुकते हैं?

अभी प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के अंदर कोई आदमी आया और दो दिन तक उसे जेल में रखा गया। बाद में पता चला कि वह बेगुनाह था। कौन होगा उन दो दिनों के लिए जिम्मेदार, जब उसे बेगुनाह होते हुए भी जेल में रखा गया? उसके खानदान पर क्या गुजरी होगी, क्या सरकार ने उसे कोई कंपेंसेशन दिया, क्या सरकार ने कोई माफी का लैटर लिखा, क्या कोई माफी नामा भेजा, क्या सरकार ने देखा कि दो दिन तक उसके बच्चों पर, उसकी बीवी पर क्या गुजरी?

महोदय, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी खत्म कर दी जाए या उनका ख्याल नहीं रख जाए। हिन्दुस्तान का प्राइम मिनिस्टर हमारे लिए सबसे ज्यादा काबिले अहतराम है। उसकी सिक्योरिटी का पूरा इन्तजाम होना चाहिए, लेकिन इसके साथ-साथ इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि सोकॉल्ड वी०आई०पीज० के लिए आम आदमी गरीब आदमी इस मुल्क के अंदर परेशान नहीं हो। उसके लिए जिस तरह की कवानीन बन सके, उस तरह की कवानीन बनानी चाहिए। कैसे रोड पर चला जाएगा, कैसे रैड लाइट पर रुका जाएगा, आम आदमी का कैसे अहतराम किया जाएगा, इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जिससे आम आदमी यह महसूस करे कि इस जम्हूरी मुल्क में उसकी भी इज्जत है।

मैं दर्खास्त करता हूं कि जो बातें मैंने कही हैं, वे पूरी ईमानदारी के साथ कही हैं। उन पर सरकार गौर करेगी और इस बिल का मैं अपनी पार्टी की ओर से सपोर्ट करता हूं।

श्री दिलीप संघाणी (अमरेली) : मान्यवर सभापति महोदय, मैं इस बिल को सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। पूर्व प्रधान मंत्री और उनके परिवार को एस०पी०जी० की सिक्योरिटी दी जा रही है। इसे उनके टाइम पीरियड में, एक साल में समाप्त करना है या आगे बढ़ाना है, वह बात गवर्नमेंट रिपोर्ट के अनुसार तय करेगी, इस बारे में यह बिल सदन में लाया गया है। और इसको पारित करना चाहिए।

महोदय, यह देश जब आजाद हुआ था, उससे पहले देश में लगभग 500 से ज्यादा रियासतें थीं। रियासतों के राजा-महाराजाओं के पास अपनी खुद की मिलिट्री और सिक्योरिटी थी। आजादी के बाद संविधान के मुताबिक राजा-महाराजाओं को सालना प्रिवीपर्स देने का आश्वासन दिया गया और उसकी व्यवस्था की थी। राजा-महाराजाओं की खुद की अपनी मिल्कीयत उन्होंने सरकार को समर्पित कर दी। उसी के साथ जो उनका सैन्यबल था, जो उनकी सिक्योरिटी की व्यवस्था थी, वह भी समाप्त हो गई। जो रियासतें भारत संघ में शासित नहीं हुईं, उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आश्वासन दिया और संपूर्ण रियासतें भारत संघ में सम्मिलित हो गईं। यह सब बातें आप सबको मालूम हैं। उस समय राजाओं को भारत में विशेष अधिकार प्राप्त था। उनकी कारों के आने-जाने की विशेष सुविधा तथा अन्य अनेक प्रकार की सुविधाएं उन्हें दी गईं। उनके बारे में बताकर मैं सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहता हूं। राजाओं के पास उस समय जो सिक्योरिटी और मिलिट्री थी और संविधान के अनुसार उन्हें जो आश्वासन प्रिवीपर्स देने का दिया गया, वह भी सन् 1972 में रद्द कर दिया गया। इस प्रकार से देखें तो राजा-महाराजाओं की सुविधाएं कायम नहीं रहीं बल्कि पीढ़ी दर-पीढ़ी कम होती चली जा रही हैं। जो राजा-महाराजा जिन्दा हैं उनकी हयात में ही रद्द किया जा रहा है। आज की स्थिति में कोई भी पूर्व प्रधानमंत्री सुविधा ले, उनके ऊपर कोई आतंकवादी या जैसा इसमें बताया है कि किसी गैर कानूनी संगठन से खतरा हो तो उसके मुताबिक उन्हें सुविधा दी जाए, जैसे लीडर ऑफ द अपोजिशन को सुविधा दी जा रही है, जो सुविधा उनके लिए जरूरी है। सरकार तय कर ले। एक दफा हाउस में तय कर लेना चाहिए और कहीं न कहीं इस पर रोक लगनी चाहिए तथा यह रोक ऐसी होनी चाहिए क्योंकि लोकतंत्र में गवर्नमेंट आती-जाती रहेंगी और उनके पास अलग

अलग होंगे, किसी को यह कहने का मौका न मिले कि आज हम विपक्ष में हैं इसलिए हमें सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। जीना-मरना तो सिक्योरिटी होने के बावजूद भी होता है। इस देश में सिक्योरिटी होने के बावजूद भी पूर्व प्रधान मंत्री तथा कई अन्य लोगों की जान गई। मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि सिक्योरिटी समाप्त हो, सिक्योरिटी जरूरी है। लोगों को यह पता चलना चाहिए कि सिक्योरिटी के ऊपर क्या खर्च देश की जनता का हो रहा है। सिक्योरिटी कहां तक सीमित होनी चाहिए, यह भी तय कर लेना चाहिए।

महोदय, आज भी कई ऐसे आफिसर हैं, जिन्होंने काश्मीर और पंजाब में जब टेरेरिज्म था तब वहां से टेरेरिज्म के खिलाफ काफी कड़क हाथों से काम लिया, उसके बाद, उनकी ड्यूटी समाप्त होने के बाद उन्हें तीन साल से ज्यादा सिक्योरिटी नहीं मिलती है। उन्हें भी अपनी जान का खतरा इसलिए है, क्योंकि उन्होंने फील्ड में खुद काम किया है। लोकतंत्र में भारत सरकार और राज्य सरकार का काम सिर्फ प्रधान मंत्री और चुने हुए प्रतिनिधियों की रक्षा करना ही नहीं है, बल्कि सारे देश की जनता की रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की है।

महोदय, यहां मेरे पूर्ववक्ता ने बताया कि अपनी सिक्योरिटी खुद करनी चाहिए। खुद की सिक्योरिटी किस ने करनी है, क्या करनी है, यह तय करने के लिए इस हाउस में, कानून में जो सुझाव सरकार को उचित लगे, वह लाना चाहिए। प्रधान मंत्री जी तक यह सीमित रखनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी के पति या पत्नी तक सीमित करनी चाहिए। उनके बेटे, बेटी और दामाद तक सीमित करनी चाहिए। आज दिल्ली में कहीं प्रधान मंत्री जी के दामाद या बेटे-बेटी बाजार में जाते हैं तो उनके लिए जो सिक्योरिटी लगी हुई है, उस पर विचार करना चाहिए। पहले जैसे राजाओं के प्रिवि पर्स और उनके खास अधिकार संविधान में थे, वे बंद किए हैं। यह सरकार जो समय पर कानून एवं सुझाव लाई है, उसे मैं सपोर्ट करता हूं।

[अनुवाद]

श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा) : धन्यवाद, सभापित महोदय। हम विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक, 2002 का समर्थन करते हैं। विपक्ष के हमारे उपनेता ने हमारे समर्थन के बारे में एक स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत की है। मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस प्रकार का विधेयक हमारे लोकतांत्रिक देश के लिए महत्वपूर्ण है।

क्योंकि हम यह जानते हैं कि लोकतंत्र की शुरूआत संयुक्त राज्य अमरीका में हुई थी और अब्राहम लिंकन उस देश के लोगों के अग्रणी नेता थे। परन्तु उनकी हत्या कर दी गई थी क्योंकि उन्होंने वहां के विशिष्ट वर्ग के लोगों की नागरिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। अत:, जब कोई व्यक्ति राष्ट्राध्यक्ष हो जाता है तो वह देश और उसके सिद्धान्तों का प्रतीक होता है। जब ऐसे व्यक्ति अधिक लोकप्रिय हो जाते हैं तो यह स्वाभाविक है कि ऐसे लोग जो उन्हें नहीं चाहते हैं आतंकवाद का रास्ता अपनाते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। हम यह जानते हैं कि जान एफ० कनेडी बहुत ही आकर्षक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और साथ ही निचले स्तर पर छोटे कस्बों और गांवों में लोकप्रिय नेता थे, कई लोगों ने उनके नाम पर अपने बच्चों का नामकरण किया है।

इसी प्रकार, महात्मा गांधी ने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और इसके लिए अहिंसा का रास्ता अपनाया परन्तु उनकी भी हत्या कर दी गई। उसी प्रकार, मार्टिन लूथर किंग ने नागरिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद इन्दिरा गांधी, जिन्होंने देश की एकता के लिए संघर्ष किया और वह भारत को एक महाशक्ति बनाना चाहती थी, की भी इसी प्रकार हत्या कर दी गई। वे भारत के लोगों में बहुत लोकप्रिय थीं परन्तु कुछ लोग ऐसे थे जो यह नहीं चाहते थे कि वह लोकप्रिय रहें। अत: वे उनसे लोकतांत्रिक ढंग से संघर्ष नहीं कर पाए तो उन्हों ने दूसरा रास्ता चुना और उनकी हत्या कर दी। इसी प्रकार, आकर्षक और युवा नेता राजीव गांधी, जो यह चाहते थे कि भारत विश्व का शीर्ष राष्ट्र बने, की भी हत्या कर दी गई। अत:, ऐसे महान नेता जो राष्ट्र, उसकी संस्कृति और सिद्धान्तों के प्रतीक थे, आतंकवाद के शिकार हो गए।

अत: ऐसे नेताओं की सुरक्षा के लिए देश को कुछ खर्च वहन करना होगा। मैं यह महसूस करता हूं कि यह आवश्यक है क्योंकि ऐसा व्यय हमारे देश के महान नेताओं, जो हमारे राष्ट्र और उसके मूल्यों के प्रतीक हैं, की सुरक्षा के लिए किया जाता है। हम सभी कुछ राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों की हत्याओं के बारे में जानते ही हैं। जो कुछ विश्व के विकासशील देशों में हुई हैं। श्रीलंका के पहले राष्ट्रपति की भी इसी प्रकार हत्या की गई थी। मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं। पाकिस्तान में जुल्फीकार इली भुट्टो की और बांग्लादेश में शेख मुजीबुरेहमान की हत्या की गई थी विभिन्न देशों में इसी प्रकार से कई नेताओं की हत्याएं हुई हैं।

महोदय, हम ऐसे महान नेताओं की सुरक्षा के लिए साधन के रूप में कुछ मनुष्यों का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके लिए हमने अपने देश में विशेष संरक्षा ग्रुप गठित किया है। विशेष संरक्षा ग्रुप के कर्मिकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है कि उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें वे आतंकवादियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। अत:, विशेष संरक्षा ग्रुप को कार्मिक प्रधानमंत्री अथवा पूर्व प्रधानमंत्री अथवा पूर्व प्रधानमंत्री अथवा किसी अन्य विशिष्ट व्यक्ति की सुरक्षा के लिए आतंकवादियों की गोलियों का सामना करने के लिए तैयार रहता है। अत: इन विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में साधन के रूप उपयोग में लाए जा रहे ऐसे व्यक्तियों के कल्याण के प्रति सरकार को ध्यान देना चाहिए।

[श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयप्प]

वर्तमान में, एस०पी०जी० कर्मियों के कल्याण का ध्यान रखा जाता है। उनके लिए अलग से आवासीय कालोनी है और उनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और अन्य सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। इस विशिष्ट श्रेणी के लोग सशस्त्र बलों की श्रेणी में आते हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना ही सीमा पर जाकर दुश्मनों का सामना करते हैं। अत:, विशेष संरक्षा ग्रुप कार्मिकों को अपनी सम्पूर्ण सेवाकाल के दौरान आतंकवादियों की गोलियों का सामना करने का जोखिम उठाना पड़ता है, परन्तु वे अपने जान की पहवाह किए बिना अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए बहुत अच्छा दृष्टान्त प्रस्तुत करते हैं। अत:, इन कामिकों के परिवारों को भी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। विशेष संरक्षा ग्रुप कार्मियों की पत्नियों और बच्चों को उपेक्षित महसूस नहीं होने देना चाहिए क्योंकि वे जानते हैं कि महान नेताओं की सुरक्षा की प्रक्रिया में उनके पति और पिता को किसी भी समय मारे जाने का खतरा है। अत: उनके परिवारों की सभी प्रकार से सुरक्षा की व्यवस्था की जाये। विशेष संरक्षा ग्रुप (एस०पी०जी०) के कार्मिकों के लिए विशेष बीमा योजना होनी चाहिए क्योंकि ऐसा होने पर ही वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के साथ-साथ अपने परिवार के सदस्यों के बारे में चिन्ता किए बिना हमारे राष्ट्रीय नेताओं की सुरक्षा कर सकेंगे।

राष्ट्रीय नेताओं की सुरक्षा में लगे युवाओं में इसी तरह की भावना पैदा की जानी चाहिए।

मैं कुछ अन्य बातों का भी सुझाव देना चाहूंगा क्योंकि इस नये संशोधन में बताया गया है :

> "किसी भी भूतपूर्व प्रधानमंत्री अथवा उनके अव्यवहित कुटुंब के सदस्यों के संबंध में "अव्यवहित कुटुंब" शब्दों की परिभाषा नहीं दी गई है।"

इसी के साथ-साथ, एक ऐसा खंड है जिसमें "पुत्री" और "पुत्र" के बारे में बताया गया है। ऐसी स्थिति में, इस बात का विस्तृत निर्वचन होना चाहिए कि यदि किसी पूर्व प्रधान मंत्री अथवा किसी ऐसे व्यक्ति को सुरक्षा का लाभ मिल रहा हो, तो उनके पिता, माता, बहन, भाई या उनके अव्यवहित कुटुंब के किसी सदस्य को भी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि उन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है।

हमने इसी खंड में कहा है : "खतरे के स्तर के आधार पर" इस बारे में निर्वचन करना होगा। उस विशेष व्यक्ति के साथ कुछ घटित होने की स्थिति में इस प्रकार के लोगों की भी सुरक्षा की जानी चाहिए जो उस व्यक्ति के नजदीकी हैं। इसलिए, मैं इस मुद्दे पर जोर देना चाहूंगा। जब नियम बनाए जाते हैं तो इस उद्देश्य से कुछ व्याख्या की जानी चाहिए।

संशोधन करने संबंधी यह पहलू अत्यंत सराहनीय है। हमें उन नेताओं के हितों की रक्षा करनी होगी जो हमारे सिद्धांतों और लोकाचारों के मूर्त रूप हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, व्यवहार में हम देखते हैं कि हिन्दुस्तान में जो लोग अपने को ज्यादा काबिल समझते हैं, वे अंग्रेजी में ही लिखते पढ़ते और बोलते हैं जबकि कम पढ़े लिखे लोग अपनी-अपनी मातृभाषा में बोलते हैं। माननीय गृह मंत्री जी पहले अफसर थे इसलिए उनकी अंग्रेजी अच्छी रही होगी। इनके अफसर लोग भी सिक्योरिटी और होम डिपार्टमैंट में हैं इसलिए वे भी बढ़िया पढ़ाई लिखाई किये होंगे। मैं कहना चाहता हूं कि आप स्टेटमैंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन्स को देखें। मैं उनकी एक पंक्ति पढ़ना चाहता हूं।

[अनुवाद]

> "यदि एक वर्ष के पश्चात् निकट सुरक्षा वापस ले ली जाती है, तो पूर्व प्रधानमंत्री और उसकी पत्नी/पति को केन्द्रीय सरकार द्वारा यथानिर्धारित खतरे के स्तर पर आधारित आवश्यक सुरक्षा तीन वर्ष की अवधि तक के लिए प्रदान की जाती रहेगी।"

[हिन्दी]

यानी उनको तीन वर्ष का प्रोटेक्शन मिलेगा। यह अंग्रेजी में लिखा हुआ है। *(व्यवधान)* एक वर्ष के बाद मिलेगा। यह अंग्रेजी में है। मेरा कहना है कि इन्होंने और इनके अफसरों ने इसे पढ़ने का कष्ट नहीं किया क्योंकि यह अंग्रेजी में कुछ लिखते हैं और हिन्दी में कुछ और लिखते हैं। हिन्दी में इन्होंने लिखा है कि : "किन्तु इस प्रकार कि इस संबंध में किए गए जो क्रमवर्ती निर्धारणों के बीच बारह मास से अधिक का समय व्यतीत न हुआ हो।" अब बारह मास वाली पंक्ति हम अंग्रेजी में खोजते हैं तो वह हमें नहीं मिलती, यानी जो अंग्रेजी में लिखा है वह हिन्दी में नहीं है और जो हिन्दी में है वह अंग्रेजी में नहीं है। अब यह अनुवाद है, विवाद है, त्रुटि है, भूल है या लापरवाही है, इसे क्या कहा जाये? आप सिक्योरिटी का कानून बनाने जा रहे हैं जो सबसे संवेदनशील विषय है। हमने इतनी लापरवाही कहीं नहीं देखी। यह सन् 2002 का बिल है। बीच में किसी ने भी यह पंक्ति पढ़ने का कष्ट नहीं किया। क्या वे इतने से ही समझ जायेंगे? इसमें यह पंक्ति है ही नहीं। तीन वर्ष वाली पंक्ति न तो बिल की बाडी में है और न हिन्दी में है केवल अंग्रेजी में है। अब अंग्रेजी वाली आपकी मूल कापी है या हिन्दी की कापी है, यह हमें नहीं मालूम। यह अनुवाद भी मूल नहीं है। यह तथ्यात्मक *(व्यवधान)* इसे भूल

कैसे कहेंगे? यह लापरवाही है। भूल तो किसी से भी हो सकती है लेकिन यह लापरवाही है। हिन्दी के मुताबिक हम बिल को समझें या अंग्रेजी के मुताबिक बिल को समझें। मान लीजिए कि कोई काबिल आदमी इसे अंग्रेजी में पढ़ता है तो वह तीन वर्ष वाली बात खोजेगा जबकि तीन वर्ष वाला क्लाज इसमें है ही नहीं। यह कैसा विधेयक आ रहा है, कैसी-कैसी लापरवाही हो रही है। *(व्यवधान)*

अब मै विधेयक पर आता हूं। सुधार कर लें, कैसी गड़बड़ी हो रही है, कहां-कहां, क्या-क्या गड़बड़ी इन्होंने की है। हिन्दी में तीन वाक्य और अंग्रेजी में चार वाक्य हैं, एक तीन साल वाला फाजिल है, उसमें बाहर महीने का जिक्र है, अंग्रेजी में क्रमवर्ती वाला है ही नहीं। यह देखा जाए, यहा अंग्रेजी में काबिल लोग ज्यादा हैं, इसलिए हम अंग्रेजी में ज्यादा दखलअंदाजी नहीं करते। लेकिन हमने तनिक देखने का कष्ट किया है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि० पाटील : यहां इस बात का उल्लेख है: "कि दो क्रमवर्ती निर्धारणों के बीच बाहर मास से अधिक का समय व्यतीत न हुआ हो। "

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : नहीं दिखा, बहुत पढ़ना पड़ेगा।

[अनुवाद]

उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है :—

"केन्द्रीय सरकार ने मामले पर आगे विचार किया है। विशेष संरक्षा ग्रुप द्वारा महसूस की जा रही जनशक्ति की बन्दिशों और ऐसी सुरक्षा प्रदान करने पर सरकार द्वारा वहन किए जा रहे वित्तीय भार को दृष्टिगत करते हुए, यह विचार किया गया है कि पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनकी पत्नियों/पतियों को प्रदान की जाने वाली निकट सुरक्षा पूर्व प्रधानमंत्री के पद पर न रहने की तारीख से केवल एक वर्ष की अवधि के लिए ही उपलब्ध होनी चाहिए और एक वर्ष के पश्चात्, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चय किया जाए। "

प्रथम पंक्ति "संबंधित गण्यमान्य के थ्रेट परसेप्शन की समीक्षा पर आधारित।" बारह महीने वाला कहां है, इसमें बारह महीने का जिक्र नहीं है। इसके बाद जो वाक्य है — "एक वर्ष के पश्चात् निकट सुरक्षा वापस ले लिए जाने की स्थिति में," एक वर्ष के बाद सिक्युरिटी विदड्रान कर ली जाए। उसके बाद — पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनकी पत्नियों/पतियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा यथानिर्धारित खतरे के स्तर पर आधारित आवश्यक सुरक्षा तीन वर्ष की अवधि तक के लिए प्रदान की जाती रहेगी।"

[हिन्दी]

तीन साल वाली पंक्ति यहां कैसे आ गई, क्या बिल में तीन साल का प्रावधान है। तीन वर्ष बिताने के बाद तीन वर्ष तक बढ़ेगा। इसे हिन्दी में देख लिया जाए। केन्द्रीय सरकार ने मामले पर आगे विचार किया है। विशेष संरक्षा ग्रुप द्वारा महसूस की जा रही जनशक्ति की बन्दिशों और ऐसी सुरक्षा प्रदान करने पर सरकार द्वारा वहन किए जा रहे वित्तीय भार को दृष्टिगत करते हुए, यह विचार किया गया है कि पूर्व प्रधान मंत्रियों और उनकी पत्नियों/पतियों को प्रदान की जाने वाली निकट सुरक्षा पूर्व प्रधान मंत्रियों के पद पर न रहने की तारीख से केवल एक वर्ष की अवधि के लिए ही उपलब्ध होनी चाहिए और एक वर्ष के पश्चात् जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चय किया जाए, किन्तु इस प्रकार कि इस संबंध में किए गए दो क्रमवर्ती निर्धारणों के बीच बारह मास से अधिक का समय व्यतीत न हुआ हो। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप मूल विधेयक पर आइए, वह मंत्री जी अपने जवाब के क्रम में बताएंगे।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या जवाब देंगे, इसमें भयंकर गड़बड़ी है, जो अंग्रेजी में है वह हिन्दी में नहीं है और जो हिन्दी में है वह अंग्रेजी में नहीं है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप विधेयक पर आइए।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : अब मैं विधेयक पर आता हूं। जो विधेयक लाया गया है, सरकार को यह विधेयक जब तब जैसे सूट करता है, वैसे ले आती है। वह संवेदनशील मामला है। देशभर में कहा जा रहा है कि सिक्युरिटी थ्रेट परसैप्शन बढ़ रहा है, टेरोरिज्म आ गया है, विधि व्यवस्था चौपट है। देश के सब लोग यह महसूस करते हैं और ये कहते हैं कि अब हम पूर्व प्रधान मंत्रियों पर से सब सिक्युरिटी हटा लेंगे। हमको लगता है कि जो उप प्रधान मंत्री हुए हैं जिसकी वजह से इनको अब अहसास हुआ है कि उसमें ज्यादा खर्च बढ़ रहा है, ज्यादा मैनपावर लग रही है, इसलिए कटौती की जाए क्योंकि उप प्रधान मंत्री की तरह वह इसमें फाजिल हो गई है। इसलिए इनको लगा कि पूर्व प्रधान मंत्रियों की सिक्युरिटी काट लेंगे तो उप प्रधान मंत्री को ज्यादा सिक्युरिटी देने के लिए बनेगी मतलब उप प्रधान मंत्री जी ने सिखा कर भेज दिया क्योंकि श्री आई०डी० स्वामी सीधे आदमी हैं, कमीशन फेस करेंगे। इस तरह भविष्य में कोई खतरा हो, राम करे न हो लेकिन जब खतरा हुआ तो ये विधेयक लाए हैं। हम लोगों को कमीशन में क्यों गवाह बनवाएंगे, हम लोग वह कमीशन फेस करने के लिए तैयार नहीं है जो दुखद हादसे के

[डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह]

बाद होता है। इसलिए यह सीधा आदमी है, कमीशन फेस करेंगे लेकिन सदन को इसमें क्यों घसीट रहे हैं? बढ़िया कानून बना रहे हैं कि केस टू केस बेसिस पर करेंगे। यानी जो मनपसन्द के लोग होंगे, उनको खूब प्रोटैक्शन देंगे और जो मनपसन्द के नहीं होंगे, उनको नहीं देंगे। यह अधिकार आपने क्लॉज में लिखा हुआ है कि केस टू केस बेसिस पर होगा। भला ऐसा कहीं कानून हुआ है? कानून सबके लिए बराबर होता है। केस टू केस बेसिस कर रहे हैं तो फिर कानून बनाने की और विधेयक लाने की क्या जरूरत है? ऐसा कानून न हमने कहीं देखा है और न सुना है। फिर क्या जरूरत है कानून बनाने की यदि मनचाहे आधार पर निर्णय लेंगे कि किसको प्रोटैक्शन दिया जाए और किसकों नहीं दिया जाए। इसी आधार पर देश भर में छानबीन की जाए, जांच करवाई जाए। एक से एक डाकू अपराधी हैं और राशिद अलवी मुलायम जी से कह रहे थे कि जो उपद्रवी तत्व हैं, उनको भी प्रोटैक्शन मिला हुआ है। हुकूमत के फेवर में जो लोग हैं, चाहे वे राक्षस भी हैं, उनको प्रोटैक्शन दे दिया और जो भले आदमी हैं, उनको छोड़ दिया। आम जनता की सिक्योरिटी का इनको कुछ ख्याल नहीं है। इसीलिए हम यह कहना चाहते हैं कि हम इसमें शमिल नहीं हैं कि ये हटवा रहे हैं। पूर्व प्रधान मंत्रियों के लिए दस वर्ष का फैसला हुआ था। शुरू में पांच वर्ष का प्रोटैक्शन हुआ था और उसके बाद अब एक वर्ष कर रहे हैं। केस टू केस आधार पर प्रोटैक्शन दिया जाएगा। यानी केस टू केस आधार पर कि जो हमें सूट करेगा, वह हम करेंगे। इस तरह का कानून न कहीं हमने सुना और न कहीं देखा। क्या केस टू केस कानून भला कहीं हुआ है? यह खतरनाक विधेयक लाए हैं और स्वयं फसेंगे। यहां बोलकर अगर प्रोसीडिंग में दर्ज करा देते हैं तो उसमें भागी हम लोग कहीं है। कमीशन पूछेगा तो उसमें ये साक्षी बनेंगे, कमीशन फेस करेंगे, वर्षों तक कमीशन चलता है लेकिन सदन को उसमें क्यों घसीट रहे हैं?

मैं अब देख रहा हूं कि हमारे पूर्व प्रधान मंत्री हमसे छीन लिये गये। मुख्य मंत्री, मंत्री एम०एल०ए०, और एम०पी० सब पर हमला हो रहा है। लोग मारे जा रहे हैं और ये सिक्योरिटी घटा नहीं रहे हैं, हटा रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी आप पर होगी, आप जानिए।

'पोटा' कानून हमें चाहिए, एक तरफ यह कहते हैं तथा हम आतंकवाद खत्म करना चाहते हैं, एक तरफ यह कहते हैं। लेकिन केस टू केस बेसिस जो कर रहे हैं तो क्या विधि व्यवस्था अब देश में सही हो गई है कि सिक्योरिटी हटा दी जाए। घटा नहीं दी जाए बल्कि हटा दी जाए, यह विधेयक लाए हैं। इसीलिए इसमें हम भागी नहीं हैं। पूर्व प्रधान मंत्री जी के परिवार में से श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं। हमें लगता है कि उन्हीं के लिए यह विधेयक लाए हैं कि उनको हम प्रोटैक्शन न दें, उनकी सिक्योरिटी छीन ली जाए। आप लोग किसी दूरी, किसी हद तक जा सकते हैं, ऐसी हमारी आशंका है। इसीलिए इनको हम सावधान कर देना चाहते हैं। सिक्योरिटी का जिम्मा आपका है। इंटरनल सिक्योरिटी आपने बिगाड़कर रखी हुई है और परिस्थिति खराब है नहीं तो विदेश में तो हम लोग सुनते हैं कि प्रधान मंत्री जी के लिए भी कोई जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही लोग चलते-फिरते रहते हैं। *(व्यवधान)* जहां-जहां सब लोग काबिल लोग गये हैं, घूमकर आते हैं, वे सब हम लोगों को बताते हैं। यहां तो हम लोग भी पार्लियामेंट में आते हैं तो वहीं जहां का तहां रोक दिया जाता है, हमारा क्वैश्चन भी छूटता रहता है। ऊपर प्रधान मंत्री जी आते हैं तो हमें वहीं रोक दिया जाता है कि आप अभी नहीं जाइए। हमें लगता है कि ये पुलिस वाले अपनी तरफ से कर रहे हैं लेकिन कानून ही ऐसा बना है और पुलिस वालों पर हम लोग नाजायज गुस्सा कर देते हैं। कानून ही ऐसा बना है कि जहां का तहां ट्रैफिक रोक दिया। हम प्रतीक्षा करते हैं कि गाड़ी अब आ रही है। वह अभी घर से भी नहीं निकले हैं और यहां हजारों गाड़ियां पुलिस वाले रोक देते हैं। ट्रैफिक जाम पर जाम हो जाता है। रोज दस मिनट का विलम्ब हो जाता है। सिक्योरिटी के मामले में हम लोग हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं परन्तु इसके नियम कायदे की सामान्य नीतिपरक होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भेदभाव किया जाए और मानचाहे आधार पर किया जाए। केस टू केस बेसिस पर नहीं होना चाहिए। वी०आई०पी० सिम्बल हो गया। अदना आदमी भी फोर्स लेकर इधर से उधर चलता है। यह स्टेटस सिम्बल हो गया। उसमें कितने लोगों को आर०एस०एस०, विश्व हिन्दू परिषद्, बजरंग दल और कितने उपद्रवी तत्वों को आपने सुरक्षा मुहैया कराई हुई है, यह सब अपने जवाब में बताएं। आप एक तरफ उन पर इतना खर्चा कर रहे हैं और दूसरी तरह मैनपवार के नाम पर पूर्व प्रधानमंत्रियों से सुरक्षा वापस ले रहे हैं। आप देखते हैं कि सभी पूर्व प्रधान मंत्री विपक्ष के हैं इसलिए इनको क्यों सिक्योरिटी दी जाए। इसलिए यह विधेयक भेदमूलक लगता है। आप सदन को सारी बातें बताएं, अन्यथा कमीशन में आप फेस करेंगे तो हम आपको बचाने वाले नहीं हैं।

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : सभापति महोदय, मंत्री जी ने जो बिल पेश किया है उसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन समर्थन करने के साथ-साथ कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं। अभी रघुवंश जी बोल रहे थे। लगता है जो संशोधन का वितरण हुआ है, उसको उन्होंने नहीं देखा है। उसका हिन्दी अनुवाद आप देखें उसमें साफ कर दिया गया है कि किसी भूतपूर्व प्रधान मंत्री या उसके अव्यवहित कुटुम्ब के सदस्यों का उस तारीख से जिसको भूतपूर्व प्रधान मंत्री, पद पर नहीं रह जाता है, एक वर्ष की अवधि तक और एक वर्ष के बाद केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविनिश्चित खतरे के स्तर पर आधारित अवधि तक, तथपि इस प्रकार की निकट सुरक्षा की आवश्यकता के सम्बन्ध में किए गए दो क्रमवर्ती निर्धारणों के बीच 12 मास से अधिक का समय व्यतीत न हुआ हो, किन्तु केन्द्रीय सरकार खतरे का विनिश्चय करते समय अन्य बातों के साथ निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगी, अर्थात

(क) खतरा किसी उग्रवादी या आतंकवादी संगठन से अथवा किसी अन्य स्रोत से उत्पन्न हुआ है, और (ख) खतरा गम्भीर और लगातार बने रहने वाली प्रकृति का है। इसलिए यह सुधार इसमें किया गया है इसलिए रघुवंश जी तथ्य से परे बात यहां रख रहे थे।

श्री राजो सिंह : आपको यह मिल गया है इसलिए आप कह रहे हैं। यह पहले से हाउस में सर्कुलेट नहीं हुआ।

श्री रघुनाथ झा : सर्कुलेट हुआ है।

श्री राजो सिंह : हम लोगों को कागज नहीं मिला है। आपको मिला है, जब आप बोलने के लिए खड़े हुए।

श्री रघुनाथ झा : ऐसी बात नहीं है। जब हम हाउस में एंटर कर रहे थे तो वहां जो अटेंडेंट थे, उन्होंने दिया था।

महोदय, हम सब लोग जानते हैं कि एस०पी०जी० का कंसेप्ट तब बना जब देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उनकी हत्या होने के बाद जब राजीव गांधी जी देश के प्रधान मंत्री बने, उस समय इस बिल को लाया गया था। यह पहले केवल प्रधान मंत्री के लिए था। जब राजीव जी प्रधान मंत्री पद से हटे तो उनसे एस०पी०जी० की सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से तब यह प्रयास किया गया था कि इनकी जान को खतरा है इसलिए इनको एस०पी०जी० की सुरक्षा मुहैया कराई जाए। चूंकि कानून में इस तरह का प्रावधान नहीं था। उस समय की सरकार ने उनकी एस०पी०जी० की सुरक्षा विड्रा कर ली और दूसरी तरह की सुरक्षा दी। जब राजीव जी की हत्या हुई तो उसके बाद लोगों ने महसूस किया और इस तरह का संशोधन आया, जिसमें असली मकसद था राजीव जी के परिवार को सुरक्षा देना। लेकिन वह सीधे कैसे कर सकते थे इसलिए पूर्व प्रधान मंत्रियों को भी इसमें शामिल किया गया। पांच बरस की अवधि तक सुरक्षा देने की बात थी। फिर उसको दस बरस किया गया। अब इसको घटाकर एक साल कर रहे हैं। इसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस बात की आशंका रघुवंश जी व्यक्त कर रहे थे और हम भी कर रहे हैं कि इसका क्या मापदंड होगा, कौन सी मशीनरी जांच करेगी। यह आपके ऊपर निर्भर करेगा कि जिसको सुरक्षा मिलनी चाहिए उसको मिलेगी और जिससे हटानी है, उससे हटा दी जाएगी।

अपराह्न 5.00 बजे

इसलिए इस बात पर आपको विचार करना चाहिए कि कोई ऐसी मशीनरी बने जिससे कोई आप पर उंगली न उठा सके। आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे आप पहचान सकें कि किसको सुरक्षा दी जाए और किसको सुरक्षा न दी जाए। आज राष्ट्र पर खतरा है और जिस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं उनसे खतरा और पैदा हो रहा है। आज क्रॉस-बार्डर टैरेरिज्म के साथ-साथ आतंकवादियों की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। साथ ही क्रिमनल्स लोगों से भी खतरा है। आज मंत्रिमंडल में बैठे लोगों द्वारा माफियाओं को संरक्षण देने की बात भी कही जाती है।

श्री राजो सिंह : आप किस मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं?

श्री रघुनाथ झा : हम बिहार के मंत्रिमंडल की बात नहीं कर रहे हैं, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। *(व्यवधान)* ऐसे लोगों से जो थ्रैट है, उसके बारे में सरकार क्या कर रही है। सुरक्षा पर खर्चा घटा देने से आपकी कितनी बचत हो रही है, वह बताएं। हमारा कहना यह है कि सरकार में जो फिजूलखर्ची हो रही है उसको घटाने के लिए आप क्या कोशिश कर रहे हैं, वह कोशिश भी तो होनी चाहिए। हमारा मत तो यह है कि सभी सांसदों को सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। विधान सभा में सभी लोगों को सिक्योरिटी मिलती है, हर राज्य में मिलती है लेकिन यहां पर नहीं मिलती है। सांसदों के लिए सिक्योरिटी की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए खतरा बहुत लोगों को है। आप सुरक्षा का खर्चा घटाने की बात करते हैं तो हर चीज में घटाइये। अपने मंत्रिमंडल को छोटा बनाइये। हम देखते हैं कि हर समय मंत्रिमंडल का विस्तार होता रहता है। इस मंत्रिमंडल के विस्तार की कहानी तो गिनीज-बुक में लिखी जाएगी।

एस०पी०जी० वाले को सुरक्षा-भत्ता मिलता है, वह सुरक्षा भी करता है लेकिन हमारे पार्लियामेंट के सुरक्षा-कर्मियों को सुरक्षा-एलाउंस नहीं मिलता है। हमारे तीन आदमी मारे गये।

सभापति महोदय : आप रिक्स-एलाउंस की बात कर रहे हैं।

श्री रघुनाथ झा : जी, हां। इस पर भी आपको विचार करने की आवश्यकता है। मैं दो बातें आपसे कहना चाहता हूं। एक बात माननीय सदस्य श्री राशिद अलवी जी कह रहे थे। चाहे कोई हिन्दू हो, मुसलमान हो, सिख हो या क्रिश्चियन हो या किसी भी संगठन या समुदाय का क्यों न हो, अगर उसकी वाणी से, बोली से राष्ट्र के अंदर तनाव पैदा होता है, देश के अंदर कोई मतभेद पैदा होता है और ऐसे लोगों को आप ब्लैक-कैट की सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा वे ब्लैक-कैट कमांडोज लेकर अगर आतंक पैदा करते हैं तो ऐसे लोगों की सुरक्षा हटा देनी चाहिए। हम यह नहीं कहते हैं कि ऐसे लोग हिन्दुओं में नहीं हैं या मुसलमानों में नहीं है या सिखों में नहीं हैं। सब वर्गों में हो सकते हैं। ऐसे लोगों से सिक्योरिटी हटा देनी चाहिए।

आप टी०वी० रेडियो और अखबार, सब में देखते और पढ़ते हैं कि प्रधान मंत्री जी की सुरक्षा में दो बार गलती हुई। एक बार एक मोटर-साइकिल वाले को पुलिस वाले ने जाने दिया। आगे जाकर एक पुलिस वाले ने उसको रोक दिया। वह बैंक का पदाधिकारी था।

[श्री रघुनाथ झा]

उसको दो दिन जेल में रखा गया। अब आम आदमी को क्या पता कि कौन जा रहा है, प्रधान मंत्री जी जा रहे हैं या कोई और बी०आई०पी० जा रहा है। अब यह देखा जा रहा है कि जिस किसी एरिया में अगर प्रधान मंत्री जी जा रहे हैं तो पूरे एरिया को सील कर दिया जाता है। अब किसी को मैडिकल इंस्टीट्यूट जाना है या किसी को हवाई-जहाज पकड़ना है तो मुश्किल हो जाती है। तीन-चार रूट पुलिस को बताए जाते हैं और आखिर में सही रूट डिस-क्लोज किया जाता है। इतनी मजबूत व्यवस्था है। अगर मरना होगा, तो मर जायेंगे, फिर कोई नहीं बना सकता है, लेकिन इतना डरने की क्या बात है। गांधी जी इसी देश में मरे हैं। बापू हम शर्मिन्दा है, तेरा कातिल जिन्दा है। इसी देश ने दो-दो प्रधान मंत्री खोए, मुख्यमंत्री खोया और पूर्व सेनाध्यक्ष खोया। लेकिन इतना डर कि अगर कहीं प्रधान मंत्री जी जायें, तो अगल-बगल मे कोई नहीं आए, नहीं तो हवा लग जाएगी। हम चाहते हैं कि प्रधान मंत्री जी सौ बरस जीयें। वे ग्लोरी की स्थिति में हैं, भगवान न करे कि कोई दुर्घटना हो जाये। अगर हो जाएगी, तो राष्ट्र के लिए शहीद हो जायेंगे। ऐसा हम नहीं चाहते हैं, लेकिन हम यह चाहते हैं कि आम लोगों को प्रधान मंत्री के कारण कष्ट न हो।

[अनुवाद]

डा० नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई) : सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं यद्यपि मैं कुछ चिन्ताएं व्यक्त कर रहा हूं। पहली चिन्ता यह है कि "अव्यवहित कुटुंब" की कहीं कोई परिभाषा नहीं है।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : यह मुख्य अधिनियम में है।

डा० नीतिश सेनगुप्ता : तब, मैं ठीक कह रहा हूं।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : मुख्य अधिनियम की धारा 2(ङ) में "पत्नी, पति, बच्चे और माता-पिता" की परिभाषा है।

डा० नीतिश सेनगुप्ता : ऐतिहासिक रूप से कहा जाए तो यह अधिनियम स्वर्गीय राजी गांधी के प्रधानमंत्रित्व के दौरान पारित किया गया था।

मेरे विचार में, कोई ऐसा देश नहीं है जहां प्रधानमंत्री की सुरक्षा हेतु किसी विशेष बल का सृजन करने संबंधी कोई विशेष कानून है। इस मामले में, हमें जानकारी है, पहले के दिनों में – श्री स्वामी भी इसके बारे में जानते होंगे – मूल रूप से आसूचना शाखा के लोग सुरक्षा कार्य संभालते थे। तत्पश्चात् एन०एस०जी० और अन्य सुरक्षा बल की व्यवस्था हुई। मेरे विचार में, केवल प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षा बल रखना बहुत तर्कसंगत नहीं हैं। तत्पश्चात्, इसका विस्तार कर पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए भी सुरक्षा की व्यवस्था की गई। अत:, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह इस बात पर विचार करे कि क्या हम उस पुरानी व्यवस्था को पुन: नहीं अपना सकते जिसके अंतर्गत या तो आसूचना शाखा या एन०एस०जी० या कोई अन्य एजेंसी सुरक्षा की व्यवस्था कर सकेगी। हो सकता है कि और अधिक कार्मिकों की आवश्यकता हो किन्तु बल का सृजन करने के स्थान पर उनके संवर्ग में वृद्धि की जा सकती है। यह अलग-थलग पड़ा हुआ है। यह आसूचना के सीधे संपर्क में नहीं है।

हम प्राय: जो गलती करते हैं वह यह है कि हम आसूचना की बजाए बंदोबस्त के प्रति अधिक चिंतित रहते हैं। मैं यह कहूंगा कि सशस्त्र कार्मिकों के स्थान पर केवल सादे कपड़ों में ही सुरक्षा बल की तैनाती की जानी चाहिए। ऐसे वर्दीधारी लोगों की तैनाती नहीं की जानी चाहिए जो हर तरफ परेशानी पैदा करें।

पहले सुरक्षा की व्यवस्था केवल प्रधानमंत्री के लिए ही थी। तत्पश्चात्, पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए भी ऐसी व्यवस्था की गई। हमारे पांच या छह प्रधानमंत्री हो ऐसे हैं जो साधारणत: दिल्ली में रहते हैं। सांख्यिकी के नियम के अनुसार यह पता चलता है कि किसी भी समय कोई व्यक्ति सड़क पर निकलता है तो वह सामान्यत: प्रधानमंत्री के किसी दस्ते का सामना करता ही है जिसके परिणामस्वरूप विलंब हो जाता है। उसकी उपयोगिता समाप्त हो गई है। अत:, यह अच्छा है कि हम एक ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं जिसके अंतर्गत जब तक कि किसी पूर्व प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने को विशेष समीक्षा द्वारा उचित नहीं ठहराया जाएगा, तब तक केवल एक वर्ष के लिए ही सामान्य व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा।

श्री राशिद अलवी ने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया : "यदि कोई पूर्व प्रधान मंत्री सेवानिवृत्त हो जाए या सक्रिय राजनीति में न हो तो उसे सुरक्षा व्यवस्था की क्या आवश्यकता है?" यदि वह सक्रिय राजनीति में हो या आसूचना के अनुसार उसको सुरक्षा को खतरा हो तो उसे सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। यह एक अच्छा मुद्दा है। इसपर चर्चा की जानी चाहिए।

यदि प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री आवास से संसद तक आना हो तो प्रत्येक दिन अत्यधिक ज्यादा बंदोबस्त करने की आवश्यकता होती है। क्या उनके दौरे का प्रबंध हेलीकॉप्टर से करना उपयुक्त नहीं होगा जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति के लिए किया जाता है? उन्हें सभा तक लाने और वहां से वापस ले जाने का कार्य हेलीकॉप्टर की सहायता से किया जा सकता है। मेरा विचार है कि इस औपनिवेशिक प्रकार की व्यवस्था, जिसमें प्रत्येक दिन चार या पांच घंटों के लिए विभिन्न मार्ग बन्द कर दिए जाते हैं, की तुलना में यह व्यवस्था अंतत: अधिक सस्ती सिद्ध होगी।

मैं समझता हूं कि श्री ईश्वर दयाल स्वामी यह विचार करें कि क्या इस अधिनियम को पूरी तरह समाप्त करना संभव नहीं है। इसका सृजन एक विशेष स्थिति में किया गया था और वह स्थिति काफी पहले समाप्त हो गई है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसी सामान्य व्यवस्था करना संभव नहीं है जिसमें इस प्रकार के अलग बल, जिसका एकमात्र कार्य प्रधानमंत्री, उसके परिवार के सदस्यों, पूर्व प्रधानमंत्रियों और उसके परिवार के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करने तक सीमित है, का सृजन करने की अपेक्षा आसूचना शाखा, एन०एस०जी० या विद्यमान बल विशेषकर प्रशिक्षित लोग इन लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकें।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री खारबेल स्वाइं (बालासोर) : महोदय, मैं इस विधेयक के समर्थन में माननीय शिवराज वि० पाटील, जो इस सभा के सर्वाधिक सम्मानित सदस्यों में से एक हैं, से लेकर अपनी सभी विशिष्ट पूर्ववर्ती सदस्यों के विचारों से सहमत हूं। प्रधानमंत्री, पूर्व-प्रधानमंत्रियों और उनके परिवार के सदस्यों को निकट सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। परंतु ऐसी सुरक्षा प्रदान करने का मुख्य कारक क्या होना चाहिए? क्या इसका निर्णय मामला-दर-मामला आधार पर नहीं किया जाना चाहिए?

आज, प्रत्येक सदस्य ने डा० रघुवंश प्रसाद सिंह की बात सुनी। उन्होंने कहा कि क्यों इसका निर्णय मामला-दर-मामला आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह हरेक के लिए एकसमान होना चाहिए। यह बहुत अच्छी बात है। किन्तु पूर्व-प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का उदाहरण लीजिए। उन्होंने कहा था कि उन्हें किसी विशेष सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है परंतु पूर्व-प्रधानमंत्रियों को सुरक्षा प्रदान किए जाने संबंधी कानून की वजह से उन्हें यह सुरक्षा प्रदान की गई है। क्या जबर्दस्ती सुरक्षा प्रदान करना अच्छी बात है जबकि किसी को उसकी आवश्यकता ही नहीं है? क्या आपके कहने का यह अर्थ है कि श्रीमती सोनिया गांधी और श्री आई०के० गुजराल के लिए खतरे की स्थिति (थ्रेट परसेप्शन) एकसमान ही है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वे सभी पूर्व-प्रधानमंत्री हैं, अत: वे लोगों के कीमत पर एक ही प्रकार की सुरक्षा प्राप्त करेंगे?

महोदय, मैं इस कारण से इस विधेयक का पूरी तरह समर्थन करता हूं कि खतरे की स्थिति की समीक्षा की जानी चाहिए तथा इसकी समीक्षा मामला-दर-मामला आधार पर की जानी चाहिए। दिल्ली अथवा राज्यों में रह रहे पूर्व-प्रधानमंत्रियों, उनके परिवार के सदस्यों और उनके पदधारियों की सुरक्षा के लिए विशेष संरक्षा ग्रुप के 600 से अधिक कार्मिकों, दिल्ली पुलिस के 3000 से अधिक कार्मिकों और सी०आर०पी०एफ० के 1750 कार्मिकों को तैनात किया जाता है। कभी-कभी सुरक्षा संबंधी स्थिति (सिक्यूरिटी परसेप्शन) के कारण लोगों को समस्या हो रही है। कर्नाटक से इस सभा के माननीय सदस्यों में से एक का उदाहरण लीजिए। उन्होंने माननीय गृह मंत्री को एक पत्र लिखा कि एक पूर्व-प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा उन्हें प्रदत्त सुरक्षा कवर का दुरूपयोग किया जा रहा है तथा यह सुरक्षा कवर हटा लिया जाना चाहिए। यह सत्य है कि इस सभा के एक सदस्य ने पत्र लिखा था। जनशक्ति का संकट और वित्तीय संकट भी है अत: इन दोनों बातों को जब आप एक साथ रखें तो आप पाएंगे कि वस्तुत: पूर्व-प्रधानमंत्री को प्रदत्त सुरक्षा कवर में कमी लाए जाने की आवश्कयता है। मैं मानता हूं कि आत्मघाती आतंकवाद शुरू होने से अनेक पूर्व प्रधानमंत्रियों और अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए खतरे की संभावना बहुत बढ़ गई है। फिर भी, सुरक्षा कवर, चाहे वह वास्तविक हो या अलंकारिक, इसकी बात डा० एम०वी०वी०एस० मूर्ति ने पहले ही उठाई है। इसे प्रतिष्ठा का प्रतीक नहीं माना जाना चाहिए कि किस के पास कितने ब्लैक कैट हैं और उनसे जनता को कितनी परेशानी होती है।

ये सुरक्षाकर्मी, ये ब्लैक कैट कमांडो जनता के साथ धक्का-मुक्की करके, दुर्व्यवहार करके किस तरह की परेशानी पैदा कर रहे हैं। क्या किसी लोकतांत्रिक देश में इस तरह की नीति होनी चाहिए? इसलिए, मैं तकनीकी दलों के प्रयोग, इलेक्ट्रोनिक संरक्षी युक्तियों के प्रयोग तथा लोगों को दिन-रात सुरक्षा देने के लिए उपलब्ध कराए गए वाहनों को वापस करने की पुरजोर सिफारिश करता हूं।

महोदय, एक बात और है। जैसाकि मैं आपको बता चुका हूं, इससे नागरिक अधिकारों का हनन होता है जोकि बहुत ही परेशान करने वाली बात है। ऐसा अक्सर होता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। जब श्री टी०एन० शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त थे तब एक बार वे दिल्ली में एक सड़क पर जा रहे थे तथा किसी कार ने उनके वाहन से आगे निकलने का प्रयास किया था। उन्होंने अपने एस०पी०जी० गार्डों को उनकी कार से आगे निकलने वाली कार पर गोली चलाने का आदेश दिया था। एस०पी०जी० गार्डों ने बिलकुल मना कर दिया कि हम गोली नहीं चलाएंगे। और आपको पता है कि जब पांच वर्ष पूर्व श्री आई०के० गुजराल प्रधानमंत्री थे तब दिल्ली के एक 48 वर्षीय सेल्समेन मार्टिन मोसे को आधा दर्जन सिपाहियों ने इसलिए पीटा था क्योंकि वह श्री गुजराल के वी०आई०पी० रूट में आ गया था। इसलिए पूर्व प्रधानमंत्रियों और अन्य व्यक्तियों के लिए वी०आई०पी० सुरक्षा का प्रावधान करते समय इस महत्वपूर्ण बात पर भी विचार किया जाए।

दिल्ली में अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए बहुस्तरीय [illegible] प्रणाली है। इसमें 55,000 पुलिस कार्मियों के कुल पुलिस बल [illegible] 13 प्रतिशत लगा है। महोदय, कुल पुलिस बल का 13 प्रतिशत [illegible] सुरक्षा में लगा है।

[श्री खरबेल स्वाइं]

उत्तर प्रदेश का उदाहरण लीजिए। महोदय, 1400 राजनेताओं, नौकरशाह और अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा में 8000 सिपाही लगे हुए हैं। जम्मू-कश्मीर में 1998-2000 के बीच वी०आई०पी० सुरक्षा में 90 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे।

मणिपुर के पुलिस महानिदेशक के पत्र का उदाहरण लीजिए। उन्होंने कहा था; "राज्य के कोष से वी०आई०पी० सुरक्षा पर कब तक खर्च किया जाता रहेगा?" मणिपुर में बढ़ी हुई वी०आई०पी० ड्यूटियों के कारण अन्वेषण कार्य पर बुरा प्रभाव पड़ा था तथा आम जनता की जरूरतों को महत्व नहीं दिया गया। चोरी या किसी साधारण अपराध की चिंता करने को कोई नहीं था। हर कोई अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने में लगा था।

ऐसे भी लोग थे जनको पद छोड़ने के बाद भी वी०आई०पी० सुरक्षा दी गई थी। महोदय, मैं बताऊंगा कि इस संबंध में बिहार सबसे बड़ा उदाहरण है जिसके कारण श्री रघुवंश प्रसाद सिंह इतने क्रुद्ध थे कि मामला दर मामला आधार पर सुरक्षा क्यों उपलब्ध कराई जानी चाहिए। वे चाहते हैं कि बिहार के सभी अपराधियों को और जो भी मंत्री बन जाए उसे या किसी को भी ऐसी सुरक्षा प्रदान की जाए। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। मैं इस बात का पुरजोर समर्थन करता हूं कि मामला दर मामला आधार पर निर्णय किया जाना चाहिए कि किसे सुरक्षा प्रदान की जाए और किसे नहीं *(व्यवधान)**

श्री शिवराज वि० पाटील : यदि श्री स्वाइं इस बात को समझते हों तो मैं कुछ कहना चाहता हूं।

महोदय, वे भाषण दे रहे हैं और वे जो भी चाहें करने के हकदार हैं किन्तु राष्ट्रपति या पूर्व राष्ट्रपति का उल्लेख करना उचित नहीं है। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। देश में कम-से-कम एक व्यक्ति तो ऐसा हो जिसे इस तरह से न घसीटा जाए। यह मेरा अनुरोध है। मैं इसे आपके ऊपर और उन पर भी छोड़ता हूं।

सभापति महोदय : पूर्व राष्ट्रपति के नाम का उल्लेख कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री खारबेल स्वाइं : जी हां, आप जो कह रहे हैं मैं उसे मानता हूं।

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह : टैरेरिस्ट्स के लिए जो नामी आदमी होता है, वह सोफ्ट टारगेट बनता है। उसे मारकर वे आतंक पैदा करते हैं। सोफ्ट टारगेट का क्या इलाज है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाइं : मैं आपकी बात से या आपकी हिदायतों से सहमत हूं। तथापि, मेरा कहना सिर्फ यह है कि राष्ट्रपति कभी भी 'सॉफ्ट टारगेट' नहीं होते हैं। यदि राष्ट्रपति एक सॉफ्ट टारगेट' हैं तो फिर भारत को भी आसानी से टारगेट बनाया जा सकता है। भारत राजनैतिक रूप से अस्थिर सा देश नहीं है।

आप इन एस०पी०जी० गोर्डों का दाहरण लीजिए। इन्हें ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त है कि वे हाइजैक से निपट सकते हैं। उन्हें आतंकवादी हमलों से निपटने का प्रशिक्षण प्राप्त है। वे घमासान लड़ाई लड़ सकते हैं। वे घात लगाने में प्रशिक्षित हैं। एस०पी०जी० के निशाने बाज का निशाना कम से कम 85 प्रतिशत ठीक होना चाहिए। अन्यथा उसे हटा दिया जाएगा। उन्हें 4-5 दिन तक बिना खाए-पीए और सोए रहने का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। हम सिर्फ कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए इतने उच्च कुशल और प्रशिक्षित व्यक्तियों को लगाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।

अंत में मैं कुछ प्रश्न उठाता हूं। जबकि मैं इस बात से तो पूरी तरह सहमत हूं कि अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा को जोकि आवश्यक है, कम करने के लिए यह विधेयक ठीक ही लाया गया है, किन्तु मैं कुछ प्रश्न उठाऊंगा।

सभापति महोदय : श्री स्वाइं, अब कृपा अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री खारबेल स्वाइं : मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत समय है — हमें छह बजे तक बैठना है।

क्या राज्य को ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों को, जिनमें सांसद और विधायक भी शामिल हैं, पुलिस सुरक्षा देनी चाहिए जिनके माफिया से संबंध हैं? मेरा एक सवाल तो यह है, जिस पर विचार किया जाना चाहिए। यदि कोई वी०आई०पी० बन गया है तो क्या उसे यह सुरक्षा मिलनी चाहिए? क्या किसी वी०आई०पी० को निजी द्वेष के आधार पर सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए? केवल उन अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तियों को पुलिस सुरक्षा दी जानी चाहिए जिन्हें आतंकवादियों, माफिया और राजनीतिक विरोधियों से खतरा हो। यदि वी०आई०पी० का संबंध किसी अपराधी संगठन से है तो राज्य सरकार या केन्द्र सरकार को उसे सुरक्षा नहीं देनी चाहिए।

मेरा दूसरा प्रश्न है कि हमें किस तरह की सुरक्षा चाहिए। हमें गुणात्मक सुरक्षा चाहिए या फिर मात्रात्मक? मरो सीधा सा सवाल यह है कि क्या हमें अलग तरह की वर्दी पहने हुए, डरावने से दिखने वाले किन्तु दुर्व्यवहार करने वाले सुरक्षाकर्मी वी०आई०पी० सुरक्षा के लिए चाहिए? माननीय मंत्री इसका जवाब दें। इजराइली प्रधानमंत्री का उदाहरण लीजिए। दुनियां में सबसे अधिक खतरा उन्हें है किन्तु उनके

सुरक्षा गार्ड देखने में सुरक्षा गार्ड जैसे नहीं दिखते और आम आदमी उनके सुरक्षा साथियों को पहचान नहीं सकते। क्या हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते? हमें अपने आस-पास कड़क दिखने वाले लोग अच्छे लगते हैं क्योंकि इससे हमें गौरव का अनुभव होता है तथा हमारे अहं की तुष्टि होती है कि हम राष्ट्र के लिए इतने मूल्यवान/महत्वपूर्ण हैं कि हमारे चारों ओर इतने लोग हैं। किन्तु क्या यह ठीक है?

मेरा कहना यह है कि इस देश में सुरक्षा संबंधी जो खतरा है इससे निजी सुरक्षा एजेंसियों की स्थापना में वृद्धि हुई है। अब इस देश में यह 1500/- करोड़ रुपए का व्यवसाय हो गया है। जब करीब 3 वर्ष पूर्व वर्ष 2000 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति श्री जिमी कार्टर भारत आए थे तो सी०आई०ए० ने अपने पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुरक्षा के अलावा दो स्थानीय निजी सुरक्षा एजेंसियों की सेवाएं ली थीं।

इसलिए, माननीय मंत्री जी से मेरा सवाल यह है कि क्या इन निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी कोई मानक मार्गदर्शी सिद्धांत होने चाहिए जैसेकि सरकार गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए विचार कर रही है?

मेरा अंतिम सवाल है कि क्या हम हर व्यक्ति को सुरक्षा दे सकते हैं? अनेक माननीय सदस्यों ने यह सवाल उठाया है। मैं कहना चाहता हूं कि देश में पुलिस बलों का स्तर सुधारा जाना चाहिए। पुलिस बलों को पूरी तरह आधुनिक बनाया जाना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि इस देश में हर व्यक्ति को सुरक्षा मुहैया कराना संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं है। इसलिए समग्र सुरक्षा स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए। ऐसा केवल पुलिस बलों को आधुनिक बनाकर और देश के पुलिस कर्मियों को उचित प्रशिक्षण देकर किया जा सकता है जोकि राज्य सरकारें नहीं कर सकती हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

सरदार सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर) : सभापति महोदय, प्रधानमंत्रियों, पूर्व प्रधानमंत्रियों और विपक्ष के नेता की सुरक्षा से जुड़े इस महत्वपूर्ण मामले पर बोलने के लिए समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मेरा विनम्र अनुरोध है कि किसी लोकतंत्र में, किसी समतावादी समाज में कोई भी सरकार प्रधानमंत्रियों या पूर्व प्रधानमंत्रियों या विपक्ष के नेताओं की रक्षा के लिए विशेष इलीट ग्रुप नहीं रख सकती। यदि उन्हें सुरक्षा चाहिए तो उन्हें देश की आम पुलिस में से सुरक्षा दी जानी चाहिए। हमारे पास बी०एस०एफ०, सी०आर०पी०एफ० सी०आई०एस०एफ०, आई०टी०बी०पी० और सेना में भी कमाण्डो की कोई कमी नहीं है। तथापि, किसी भी व्यकित को विशेष इलीट फोर्स देना बिलकुल अलोकतांत्रिक है और यह समतामूलक नहीं है। यह राजकोष पर बहुत बड़ा बोझ है। मैं नहीं समझता कि कोई भी ताजा दिमाग वाला, खुले दिमाग वाला व्यक्ति किसी सरकार को पूर्व प्रधानमंत्रियों की रक्षा के लिए इलीट फोर्सेज पर पैसा खर्च करने देगा।

संविधान तौर पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश है। तथापि, मैंने देखा है और मैंने प्रधानमंत्री और उपप्रधानमंत्री को अनेक बार पत्र भी लिखे हैं कि न तो एन०एस०जी० में और न ही एस०पी०जी० में कोई सिख भर्ती किया जाता है या उसे ड्यूटी करने दी जाती है। माननीय गृह राज्यमंत्री हमें बताएं कि सिखों के प्रति कोई धार्मिक दलबंदी या भेदभाव नहीं है। मैंने श्री चंद्रशेखर, श्री देवगौड़ा, श्री गुजराल, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री नरसिम्हराव और श्री वी०पी० सिंह की सुरक्षा व्यवस्था देखी है और पाया है कि न तो एन०सी०जी० में और न एस०पी०जी० में कोई भी सिख लगाया जाता है। मंत्रीजी को हमें साफ जबाव देना चाहिए कि सिखों को इन बलों में क्यों नहीं लिया जा रहा है। यह ठीक है कि सिखों पर एक प्रधानमंत्री की हत्या का आरोप है। किन्तु हिन्दुओं ने भी श्री एम०के० गांधी और श्री राजीव गांधी को मारा था। क्या इसका यह मतलब है कि यदि कोई सिख या किसी धर्म विशेष का कोई व्यक्ति किसी वी०आई०पी० की हत्या कर दे तो उस धर्म के सब लोगों को इन इलीट फोर्सों में जाने से रोक दिया जाएगा।

महोदय, मैं इन समूहों एन०एस०जी० और एस०पी०जी० — के गठन के संबंध में धर्मनिरपेक्षतारहित दृष्टिकोण से पूर्णत: असहमत हूं।

दूसरी समस्या जो मुझे पेश आती है वह यह है कि ये विशिष्टाधिकार प्राप्त प्रमुख समूह अपने आप में कानून बन जाते हैं और जिनकी वे सुरक्षा कर रहे हैं, वे भी संविधान से परे हो जाते हैं। यातायात रूक जाता है। उनकी कारों पर लाल बत्तियां हैं; उनकी कारों पर सायरन है। यह लोकतांत्रिक व्यवहार नहीं है कि कोई व्यक्ति अन्य लोगों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो जाये।

आज ही मैंने संसद भवन के बाहर यह अनुभव किया जब मेरी कार 15 मिनट तक फंस गई थी। मैं पूरी तरह घिरा हुआ महसूस कर रहा था; मुझे घुटन-सी हो रही थी और मैं नजरबंद सा महसूस कर रहा था क्योंकि प्रधानमंत्री जा रहे थे। यहां तक कि यदि विपक्ष की नेता जा रही हैं अथवा उप प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो मैं आपको सच बताता हूं वे आम जनता के लिये परेशानी का कारण बन जाते हैं। यह गणतन्त्र अथवा लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध है कि किसी व्यक्ति, चाहे वह देश में कितने भी ऊंचे पद पर हो, के लिये यातायात को रोक दिया जाये।

महोदय, अन्य बात यह है कि मेरे विचार से हम अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा उतने सचेतन होकर नहीं कर रहे हैं; जितने चेतन

[श्री सरदार सिमरनजीत सिंह मान]

होकर हमें करनी चाहिये। प्रधानमंत्री का अधिकारिक घर तीन मूर्ति लेन पर स्थित है, जहां स्व० प० जवाहर लाल नेहरू रहते थे। वह सुरक्षित स्थान है।

महोदय, कई अमरीकी राष्ट्रपति बहुत प्रसिद्ध हुए हैं; फिर भी व्हाईट हाउस' संग्रहालय नहीं बनाया गया। कई महान अंग्रेज प्रधानमंत्री हुए है, किन्तु टेन डाउनिंग स्ट्रीट संग्रहालय नहीं बना है। अत: मेरे विचार से, प्रधानमंत्री जी को पण्डित नेहरू के घर में चले जाना चाहिये। वह उनके रहने के लिये उचित स्थान है। यह स्थान, जहां वे रहते हैं, असुरक्षित है। यह अशोका होटल, सम्राट होटल जैसी ऊंची इमारतों के कारण छुप जाता है। इसके बाद, सफदरजंग हवाई क्षेत्र प्रधानमंत्री के घर के साथ ही है। भगवान ही बचाये वरना ये तो बेहिसाब छोटी-मोटी म्ट्रीगर मिसाइलें हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के घर में इन ऊंची इमारतों से गोली दागता है अथवा कंधे पे रखकर मिसाइल छोड़ता है अथवा कोई व्यक्ति सफदरजंग हवाईअड्डे से आत्मघात करते हुये प्रधानमंत्री के घर में एयरक्राफ्ट डाल देता है, तो हम प्रधानमंत्री को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं?

अत: मेरा सुझाव है कि प्रधानमंत्री को उनके यथोचित स्थान पर भेज देना चाहिये। उनके अधिकारपर्ण निवास को स्व० पण्डित जवाहरलाल नेहरू के लिये संग्रहालय में बदल दिया गया है। हमें अपने स्वर्गीय प्रधानमंत्री का आदर करना चाहिये किन्तु हमें उनके घर को संग्रहालय बनाने की बजाय उन्हें श्रद्धांजलि देने के अन्य तरीके ढूंढने चाहिये।

सभापति महोदय : अब कृपया अपनी बात समाप्त करें।

सरदार सिमरनजीत सिंह मान : जी हां, महोदय विपक्ष के माननीय उस नेता श्री शिवराज वी० पाटील ने सही ही कहा है कि प्रधानमंत्रियों की हत्या इसलिये हुई थी, क्योंकि उन्होंने कुछ नीतियों का पालन किया था। अब यह किसी प्रधानमंत्री की नीति नहीं है कि सेना की टुकड़ियों को स्वर्ण मन्दिर में भेजा जाये और सिक्खों के अत्यन्त पुनीत स्थल पर हमला बोला जाये और उसकी पवित्रता को मिट्टी में मिला दे। दूसरा, यह किसी अन्य प्रधानमंत्री की समझदारीपूर्ण नीति नहीं है कि श्री लंका में अपने ही तमिल लोगों के विरुद्ध आई०पी०के०एफ० की स्थापना की जाये।

अब ये बेवकूफी पूर्ण नीतियां राष्ट्रीय एकता नहीं बनातीं हैं। वास्तव में ये राष्ट्र की एकता को तोड़ती हैं। हमें खरी बात को खरी ही कहना चाहिये और हमें प्रधानमंत्रियों को बताना चाहिये कि उन्हें उन नीतियों का पालन करना चाहिये, जो राष्ट्र को विभाजित नहीं करती हैं अपितु मजबूत गांठ से एक साथ एकजाल में बाध दें।

दूसरा, मैं भारत सरकार की नीतियों के बारे में बात करना चाहता हूं। सिक्खों को कभी भी भारत सरकार की निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सेदार अथवा साक्षी बनने की अनुमति नहीं दी गई है। उदाहरण के लिये, नवनिर्मित परमाणु कमाण्ड प्रणाली में कोई सिक्ख नहीं है। वर्तमान में, भारत सरकार में कोई सिक्ख सचिव भी नहीं है। विगत में रक्षा, वित्त, गृह और विदेश के पोर्टफोलियो सिक्खों को दिये गये थे। अब आपने कोई भी महत्वपूर्ण पोर्टफोलियों नहीं दिया है।

तीसरा, यहां तक कि संसद में, जब अल्पसंख्यकों के मुद्दे विचाराधीन होते हैं, तो अल्पसंख्यक संसद-सदस्यों को इन मुद्दों पर बोलने की अनुमति नहीं है। यदि अल्पसंख्यकों के बारे में कोई आलोचना करनी है, तो बहुसंख्यक समुदाय के संसद सदस्य वाद-विवाद का नेतृत्व करेंगे। यदि बहुसंख्यक समुदाय की ओर से यह मुद्दा उठाया जाता है, तो उसे बहुसंख्यक समुदाय का समर्थन मिलेगा। माननीय अध्यक्ष और इस सभा के नियम सिक्खों अथवा मुस्लिमों अथवा ईसाइयों को अपने ही लोगों के बारे में बोलने की अनुमति क्यों नहीं देते हैं? इसमें सुधार किये जाने की आवश्यकता है। एक पुरानी कहावत है – एक रूढ़िवादी कहावत कि बच्चों को देखा जाना चाहिये न कि सुना जाना चाहिए, अल्पसंख्यक समूह के संबंध में यह सभा इसी नीति का पालन कर रही है कि उन्हें देखा जा सकता है किन्तु उन्हें सुना न जाये। मुझे आशा है कि मैंने जो कहा आप उसमें सुधार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदय, पूर्व प्रधानमंत्री जी को जो सुरक्षा मिल रही है, उसे घटाने के बारे में यह विधेयक आया है। अगर पुलिस की रिपोर्ट में उन्हें कोई थ्रेट है तो उसे कुछ साल तक बढ़ाने के बारे में यह विधेयक आडवाणी साहब के नाम पर यहां आया है। आडवाणी जी इस समय हाउस में मौजूद नहीं है, लेकिन आई०डी० स्वामी जी मौजूद हैं और यह भी एक्सपर्ट मंत्री हैं।

महोदय, मेरा सुझाव है कि पूर्व प्रधान मंत्री जी को जो सुरक्षा दे रहे हैं वह उन्हें आखिरी तक मिलनी चाहिए। इसमें आप जो पैसा बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वह बचेगा नहीं। इसलिए मेरा सुझाव है कि जो पूर्व प्रधान मंत्रियों को सुरक्षा दे रहे हैं – इनमें राव जी, वी०पी० सिंह जी, देवगौड़ा जी, चन्द्रशेखर जी और गुजराल जी हैं और बाद में अटल जी रहने वाले हैं। हमारा यह सुझाव है कि आखिरी तक इन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। पूर्व प्रधान मंत्री जी की सुरक्षा करने की नैतिक जिम्मेदारी आपकी सरकार की है और उसे अगर कम-ज्यादा किया जाता है तो उसके लिए फिर हम स्वयं जिम्मेदार नहीं रहेंगे, आप बोलेंगे कि हम तो पार्लियामेंट में बिल लाए थे, आपसे पूछा था। इसलिए प्रधानमंत्री जी को सुरक्षा देने के बारे में अगर आप कोई योजना तैयार करते हैं तो उसके लिए हमारा सपोर्ट रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री जी को सुरक्षा मिलनी चाहिए। सोनिया गांधी जी को भी सुरक्षा मिली हुई है। स्व० राजीव गांधी जी और इंदिरा गांधी जी की

हत्या हुई। सोनिया गांधी जी के परिवार के लिए सुरक्षा ठीक है मगर बाकी के जो भी पूर्व प्रधान मंत्री हैं, अगर उन्हें कोई ज्यादा थ्रेट नहीं होगा तो उनके बच्चों के लिए ज्यादा सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा तो ठीक है, लेकिन हमारा सुझाव है कि दिल्ली में जब प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो बहुत बार हमारी गाड़ी भी रोकते हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि 10 बजे हमें यहां आना था और जीरो ऑवर के लिए नोटिस देना था, लेकिन हमारी गाड़ी रोक दी। पुलिस वालों ने एक मंत्री की गाड़ी को छेड़ा, हमारी गाड़ी पर एम०पी० का बिल्ला भी था, मैंने कहा कि मुझे भी छेड़ दो तो कहा कि नहीं छेड़ेंगे। मैंने कहा, क्यों नहीं छेड़ेंगे तो पूछा कि आप एम०पी० हैं। मैंने कहा कि मैं एम०पी० हूं। उसने कहा कि आप एम०पी० नहीं हैं। मैंने कहा कि मैं कैसे एम०पी० नहीं हूं, ऐसे तो तुम भी पुलिस वाले नहीं हो। इसलिए जिस तरह से पुलिस की ड्रैस है, इसलिए उनको पुलिस बोलते हैं, लेकिन हमारी ड्रैस अलग-अलग होती है। इसके बारे में भी विचार करने की आवश्यकता है।

हमारा मंत्री महोदय से इतना ही निवेदन है कि सुरक्षा की व्यवस्था जो आप कर रहे हैं, यह हमारे देश के नेताओं के लिए जरूरी है *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप यूनीफार्म पर न जायें, विषय पर आयें।

श्री रामदास आठवले : मैं सुरक्षा के विषय पर ही बोल रहा हूं। इस विषय में हमारा सुझाव इतना ही है कि हम लोग इसका विरोध तो नहीं करते हैं, लेकिन एक साल तक सुरक्षा का आप जो बिल लाये हैं, उसका हम समर्थन करने वाले नहीं हैं। इसका पीरियड दस साल रखना चाहिए, बाद में 10 साल से बढ़ाने की आवयकता है। इसके बारे में आपको विचार करना चाहिए। आप इसे 10 साल से घटाकर एक साल कर रहे हैं। मेरा लास्ट पाइंट यह है कि एम०पी० की सुरक्षा करने के बारे में भी विचार करने की आवश्यकता है। *(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनौर (भीलवाड़ा) : आपकी कविता हो जाये तो मैं शुरू करूं।

श्री रामदास आठवले : पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा करनी है, इसमें कविता करेंगे तो क्या होगा। एम०पी० की गाड़ी पर भी लालबत्ती या दूसरी बत्ती होने की आवश्यकता है। इसके बारे में आपको विचार करने की आवश्यकता है। जिस तरह से जिला परिषद् के अध्यक्ष की गाड़ी पर बत्ती होती है, बाकी लोगों की गाड़ी पर भी होती है, इसी तरह से मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट की गाड़ी पर भी होनी चाहिए।

सभापति महोदय : आप लालबत्ती कह रहे हैं कि मोमबत्ती कह रहे हैं, स्पष्ट नहीं हो रहा है।

श्री रामदास आठवले : हम तो पौने दो साल के बाद उधर हो आने वाले हैं, हमारे पास अभी टाइम नहीं है। पौने दो साल के बाद आप इधर आयेंगे और हम उधर जाएंगे। एम०पी० की सुरक्षा होनी चाहिए और पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। मुझे इतना ही कहना है।

[अनुवाद]

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनौर : महोदय, मैं विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक, 2002 का समर्थन करता हूं।

यह विधेयक 1988 में अधिनियमित किया गया था और 14 वर्षों में इसमें तीन संशोधन हो चुके हैं। इस विशेष संशोधन का तात्पर्य किसी भी तरह से प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा को कम करना नहीं है। यह तो केवल यह जांच करने और समीक्षा किये जाने के लिये है कि क्या उन्हें उस सुरक्षा की आवश्यकता है, जो उन्हें दी जा रही है। मूलत: यह केवल यही सुनिश्चित करने के लिये है।

महोदय, मैं महसूस करता हूं कि यह समीक्षा अति महत्वपूर्ण है क्योंकि एक प्रधानमंत्री से दूसरे प्रधानमंत्री के लिए खतरे की गुंजाईश अलग-अलग होती है। इसी कारण, इसे वास्तव में संशोधित किया जा रहा है। मेरे विचार से एस०पी०जी० की क्या कर्मचारी संख्या और वित्तीय भार को देखते हुये भी यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मेरे कुछ सुझाव है, जो मैं माननीय मंत्री जी के समक्ष रखना चाहता हूं।

एक सुझाव यह है कि एस०पी०सी० के लोगों को कमाण्डों प्रशिक्षण सहित कठोर प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें सब कुछ सीखना पड़ता है। किन्तु उन्हें कम-से-कम व्यवहार संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिये कि वह समाज के अन्य सदस्यों के साथ उचित ढंग से व्यवहार कर सकें। उसकी कमी है। हम इस बारे में कुछ क्यों नहीं कर सकते? विभिन्न अति विशिष्ट व्यक्तियों तथा अत्यधिक अति विशिष्ट लोगों को विभिन्न प्रकार की सुरक्षाएं दी जा रही हैं। किन्तु जिस व्यवहार संबंधी प्रशिक्षण के बारे में हम बात कर रहे हैं और – जिसके बारे में हर कोई चिन्तित हो रहा था, के बारे में विचार किया जाना चाहिये। हवाई-अड्डे अथवा ट्रैफिक जाम में हमें उनके इस व्यवहार का सामना करना पड़ता है। वे लोग इस तरह से व्यवहार करते हैं, जैसे कि वे अत्यन्त श्रेष्ठ बन गये हों। यहां तक कि हवाई-अड्डे पर भी वे लोगों से पूछते हैं कि आप यहां क्या कर रहे हैं; आप इस रास्ते से जायें और उस रास्ते से। वे कम से कम शालीनता से बात तो करें। वे सोचते हैं कि बाकी सब बेकार है। इसी बात पर विचार किये जाने की आवश्यकता है। मैं यह सुझाव रखना चाहता हूं।

महोदय, यह सत्य है कि आई०एस०आई० ने वास्तव में केवल जम्मू और कश्मीर में ही नहीं – पहले वे पंजाब में पैर जमाये थे

[श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनौर]

— किन्तु अब पूरे राष्ट्र में अपने पैर जमाये हुये हैं। अनेक अति विशिष्ट लेगों और अत्यधिक अति विशिष्ट लोगों के लिये खतरा बढ़ गया है। सुरक्षा की कई स्तर है। हो सकता है कि एस०पी०जी० सबसे ऊपर के स्तर पर हो। सुरक्षा के अन्य स्तर हैं, जिन्हें सुदृढ़ किया जाना चाहिये। आतंकवादियों ने संसद पर हमला किया। उन्हें स्थान, हथियार, समय इत्यादि के चुनाव के रूप में निश्चित रूप से स्वतंत्रता है। वे दिन अथवा रात के किसी भी समय हमला कर सकते हैं। हो सकता है कि आप पूरे 24 घण्टे वास्तव में मुस्तैद न रहे सके। अत: उन सभी चीजों पर विचार किया जाना चाहिये। वे हमेशा, आसान लक्ष्य पर ध्यान देते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि मैं नहीं जानता कि आतंकवादियों ने संसद पर हमला क्यों किया। मेरे विचार से उन्होंने इसे केवल अपने मुद्दे को बड़ी खबर बनाने के लिये ऐसा किया। किन्तु अन्यथा हम आस-पास के फ्लैटों में रहते हैं। वहां कोई सुरक्षा नहीं है। कोई भी व्यक्ति वहां प्रवेश कर सकता है। कोई भी व्यक्ति बम रख सकता है और किसी भी समय लगभग 20 संसद सदस्यों को उड़ा सकता है। जब संसद का सत्र चल रहा है, यह किया जा सकता है। यह अत्यन्त आसान लक्ष्य है। वे चीजें है, जिन पर विचार किया जाना चाहिये। हो सकता है कि यह इस विधेयक की परिधि में न हो किन्तु मेरा विचार है कि मैं इसे सामने रखूं क्योंकि हमें ऐसी बातें कहने का मौका मिला है।

महोदय, एक छोटे से न्यायाधीश से लेकर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तक सभी अपनी कारों पर लाल बत्ती का उपयोग करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को लाल बत्ती का उपयोग नहीं करना चाहिये। किन्तु संसद सदस्यों को इससे बाहर क्यों रखा जाना चाहिये? हो सकता है कि हम दिल्ली में लाल बत्ती का उपयोग नहीं करना चाहें क्योंकि इसक कोई उपयोग नहीं है। किन्तु हम अन्य क्षेत्रों में भी यात्रा करते हैं और हम रात को भी यात्रा करते हैं। हम कई समस्याओं का सामना करते हैं। आप इसकी अनुमति क्यों नहीं देते? आप एक छोटे से न्यायाधीश को इसे प्रयोग करने की अनुमति दे रहे हैं। नयाचार में हम बहुत ऊपर हो सकते हैं किन्तु हमें इसे प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। आप इस पर भी विचार करें। हमें प्रतिष्ठा की प्रतीक सुरक्षा में रूचि नहीं हैं। किन्तु उस तरह कुछ सुरक्षा होनी चाहिये।

एक और बात निजी सुरक्षा के संबंध में है, जिसके बारे में मेरे साथियों ने सही कहा है। निजी सुरक्षा भी चल रही है और हर कोई इसे लेना चाहता है और उनके साथ ब्लैक कैट्स भी है। उनके लिये कुछ ऐसे नियम भी होने चाहिये, जिसमें यह स्पष्ट हो कि कौन निजी सुरक्षा गार्ड हो सकता है और कौन-नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अत: इस बारे में भी विचार किया जाना चाहिये।

महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों, जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया है और अत्यंत बहुमूल्य सुझाव दिए हैं, के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। वस्तुत: सभी ने इसका समर्थन किया है। इससे न केवल प्रधानमंत्री बल्कि पूर्व प्रधानमंत्रियों की भी रक्षा और सुरक्षा के लिए राष्ट्र और सभा की चिन्ता स्पष्ट होती है।

इसकी शुरूआत श्री पाटील से करें जिन्होंने वास्तव में न केवल पूर्व प्रधानमंत्रियों बल्कि अन्य नेताओं और अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की रक्षा और सुरक्षा की आवश्यकता को सारगर्भित ढंग से स्पष्ट किया। यहां अधिकतर सदस्यों ने आम सुरक्षा संबंधी चिन्ता भी व्यक्त की जिसके अंतर्गत उन्होंने सीमा प्रबंधन के मुद्दे तथा आम जनता की अनेक अन्य समस्याओं और कठिनाइयों से संबंधित मुद्दे का उल्लेख किया है। देश में इस समय व्याप्त आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य पर भी वाद-विवाद के दौरान चर्चा की गई। यद्यपि इस पहलू का वर्तमान संशोधन विधेयक से बहुत अधिक संबंध नहीं है, तथापि उससे इस मुद्दे पर सभा और देश की चिन्ता स्पष्ट हुई है। मैं आपके माध्यम से सभा को आश्वस्त कर सकता हूं कि जहां तक सीमा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों का संबंध है, इस संबंध में प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में मंत्रियों के समूह ने कतिपय सिफारिशें की हैं। इस समूह ने सीमा प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा आदि के लिए एक कार्य बल नियुक्त किया। कतिपय सुझाव दिए गए तथा इसके फलस्वरूप राज्यों में और देश में आसूचना व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कुछ कार्रवाई की जा चुकी है। सीमा प्रबंधन के संबंध में एक सचिव स्तर के अधिकारी के पर्यवेक्षण में गृह मंत्रालय में एक अलग प्रभाग खोला गया है। यह सामान्य मामले के बारे में है।

महोदय, जहां तक इस विधेयक का संबंध है, इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके अव्यवहित कुटुम्ब के सदस्यों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। "अव्यवहित कुटुंब के सदस्यों के मुद्दे पर एक प्रश्न उठाया गया तथा उन्होंने यह जानना चाहा कि क्या कुटुम्ब के सदस्यों में पिता, माता आदि शामिल होंगे। मुख्य अधिनियम की धारा 2(ङ) में इसे परिभाषित किया जा चुका है तथा इसमें पत्नी, पति, बच्चे और माता-पिता शामिल हैं। उन्हें उसमें पहले ही शामिल कर लिया गया है।

श्री पाटील ने इस तथ्य के संबंध में बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि हम अपने व्यय में किफायत बरतना चाहते हैं। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। इसके साथ साथ ही मैं आपको यह आश्वासन दे सकता हूं कि देश इस तरह का व्यय करने में समर्थ है, देश इस तरह का व्यय वहन करता रहा है और देश हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों तथा प्रधानमंत्री की सुरक्षा और रक्षा के लिए किसी भी तरह की

राशि का व्यय करने में हमेशा समर्थ रहेगा। इस संबंध में कोई संदेह नहीं है।

महोदय, जहां तक आम जानता का संबंध है, देश के परिदृश्य में मंत्रियों के समूह की उन कतिपय सिफारिशों के बाद सुधार हो रहा है कि आंतरिक सुरक्षा और सामान्य सुरक्षा परिदृश्य में सुधार आना चाहिए तथा सुरक्षा अभेद्य बनाई जाए और इससे हमें अपने ऊपर थोपे गए छद्म युद्ध में सफलता प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

महोदय, जहां तक इस विधेयक का संबंध है, यह सीमित उद्देश्य के लिए ही तैयार किया गया है। सुरक्षा साज-सामान और सुरक्षा व्यवस्थाओं को एक सांविधि के अंतर्गत लाने के स्थान पर हमने यह स्पष्ट किया है कि इसकी व्यवस्था सदैव एक वर्ष के लिए की जाएगी और इसके बाद प्रति वर्ष इसका मूल्यांकन किया जाएगा तथा उस मूल्यांकन के आधार पर इसकी अवधि बढ़ाई जाएगी। इस विधेयक पर चर्चा के लिए आपकी अनुमति मांगते समय मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि हमारे समक्ष एक मामला है कि हमारी माननीया विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी को दस वर्ष बीत जाने के बाद भी सुरक्षा प्रदान की जा रही है तथा उन्हें यह सुरक्षा दी जानी चाहिए और किसी को भी कोई शिकायत नहीं है बल्कि हरेक को ऐसी सुरक्षा प्राप्त करने की इच्छा होती है।

महोदय, इसके साथ ही श्री पाटील ने यह मुद्दा उठाया था कि ऐसी सुरक्षा व्यवस्था एक वर्ष के स्थान पर अधिक वर्षों के लिए होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि जब हम प्रारंभ में इसकी व्यवस्था एक वर्ष के लिए कर रहे हैं और तत्पश्चात् जब इसका मूल्यांकन वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर किया जाना है तथा एक मूल्यांकन और दूसरे मूल्यांकन के बीच 12 महीने से अधिक अवधि का कोई अंतर नहीं रखा जा रहा है अथवा अनुवर्ती (क्रमवर्ती) मूल्यांकन अवधि 12 महीने से अधिक की नहीं होगी तो यह मुद्दा इस अर्थ में बहुत सार्थक नहीं रह जाता कि अंततः किसी मूल्यांकन के आधार पर ऐसा किया जाएगा।

महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया था कि यह मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। माननीय सदस्यों के प्रति उचित सम्मान व्यक्त करते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि हम संसद सदस्यों, विधान-सभा सदस्यों अथवा अन्य राजनीतिक लोगों को शामिल कर मूल्यांकन नहीं कर सकते क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक दल के अपने स्वयं के विचार होते हैं। परंतु फिर भी उचित कार्यप्रणाली और उचित साज-सामान की व्यवस्था है तथा खतरे की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए समुचित तंत्र भी है। निचले स्तर पर संरक्षा समीक्षा समूह है तथा उस समूह में वरिष्ठ अधिकारी हैं। अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के बाद उस सुरक्षा वर्गीकरण संबंधी समिति को भेजा जाता है जिसका प्रधान मंत्री कार्यालय का एक संयुक्त सचिव, गृह सचिव, विशेष सचिव, आसूचना ब्यूरो के निदेशक या संयुक्त निदेशक तथा विभिन्न अन्य अधिकारी प्रतिनिधित्व करते हैं। वे मूल्यांकन करते हैं और इस मूल्यांकन के बाद खतरे की स्थिति का आकलन किया जाता है। खतरे की स्थिति के आधार पर अंततः निर्णय लिया जाता है।

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह ने विधेयक के लक्ष्यों और उद्देश्यों के संबंध में मुद्दा उठाया। उन्होंने माननीय सदस्य श्री शिवराज पाटील से पहले ही स्पष्टीकरण की मांग की है। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि विधेयक का परिचालन काफी पहले किया गया था जबकि हमने अब संशोधन प्रस्तुत किया है। अतः, सरकारी संशोधन प्रस्तुत करने के बाद लक्ष्यों और उद्देश्यों के कुछ शब्द निश्चित रूप से अनावश्यक हो गए हैं। जो वे पढ़ रहे थे, वह संभवतः उस दस्तावेज से लिया गया था जिसका परिचालन पुरःस्थापन से पहले किया गया था। अब जबकि सरकारी संशोधन के पुरःस्थापना के पश्चात् लक्ष्यों और उद्देश्यों की कुछ पंक्तियां बदल दी गई हैं। निश्चित रूप से कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जिनका परिचालन पहले किया गया था और जो अब अनावश्यक बन गई हैं। परिवर्तित संस्करण कल प्रस्तुत किया गया है और आज परिचालित किया गया है।

एक माननीय सदस्य ने समूह की उत्कृष्टता और संख्या के बारे में उल्लेख किया। ये अत्यधिक विस्तृत वाद-विवाद के मुद्दे हैं। उन्हें इस संशोधनकारी विधेयक से संबंधित वाद-विवाद में परिवेष्टित नहीं किया जा सकता है। परंतु फिर भी मैं उस मुद्दे के संबंध में कुछ शब्द कहूंगा जो उन्होंने निजी सुरक्षा एजेंसियों के बारे में उठाया है कि उनपर कुछ नियंत्रण होना चाहिए। मैं उन्हें यह आश्वासन दे सकता हूं कि राज्य सभा में इस संबंध में एक विधेयक पहले ही पुरःस्थापित किया जा चुका है। संभवतः इस सत्र में वह विधेयक वहां पारित हो जाए तथा लोक सभा में भी लाया जाए। हम उस पहलू का ध्यान रख रहे हैं।

डा० नीतिश सेनगुप्ता : जनता के व्यवहार में सुधार के बारे में क्या करना है?

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : यदि यह व्यवहार वास्तव में विनीत हो, तो संपूर्ण समस्या का समाधान हो जाएगा। परंतु यदि यह इसी तरह जारी रहे तो निश्चित रूप से आप यह महसूस करेंगे कि कुछ कार्रवाई करनी होगी। हम न केवल मानव अधिकारों, जनता और पुलिस के बीच के संबंध पर बल्कि उनके स्वयं के व्यवहार और दृष्टिकोण संबंधी परिवर्तनों के संबंध में भी पुलिस को विशेष प्रशिक्षण देते रहे हैं। इन सभी बातों को कॉन्स्टेबल से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण इसी उद्देश्य से प्रदान किया जाता है। मुझे आशा है कि राज्यों में अनेक मुफस्सिलों और जिलों की तुलना में, जब हम उन्हें दिल्ली में देखते हैं तो पाते हैं कि उनके स्वभाव में बहुत अधिक अंतर है। इसलिए

[श्री ईश्वर दयाल स्वामी]

यह बात उन लोगों पर निर्भर करती है जिन्हें भर्ती किया गया है तथा उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। परिवर्तन धीरे-धीरे हो रहे हैं यद्यपि ये परिवर्तन बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं। सुस्पष्ट परिवर्तन हुए हैं; इस बारे में कोई संदेह नहीं है।

विशेष संरक्षा ग्रुप पर होने वाले कुल व्यय के बारे में मुद्दा उठाया गया तथा यह मुद्दा भी उठाया गया कि क्या इस व्यय में बचत करने की कोई गुंजाइश है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य धन की बचत या कार्मिकों की बचत करना नहीं है। प्रश्न यह है कि कार्मिकों की संख्या कम है। अब तक विशेष संरक्षा ग्रुप पर कुल 556 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है तथा विशेष्ज्ञ संरक्षा ग्रुप पर हर वर्ष 75 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की जा रही है क्योंकि उन्हें विशेष और आधुनिकतम प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

श्री सिमरनजीत सिंह मान ने इस बात का उल्लेख किया कि विशेष संरक्षा ग्रुप में सिक्खों की भर्ती नहीं की जाती है। माननीय सदस्य और संपूर्ण सभा की जानकारी के लिए मैं कह सकता हूं कि विशेष संरक्षा ग्रुप में भर्ती के लिए किसी भी जाति या धर्म के लोगों पर कोई रोक नहीं है। विशेष संरक्षा ग्रुप का गठन विभिन्न संगठनों, चाहे वह अर्ध-सैन्य बल हो अथवा राज्य सुरक्षा बल, से प्रतिनियुक्ति के आधार पर अधिकारियों और पदधारियों को नियुक्त कर, किया जाता है। विशेष संरक्षा ग्रुप के लिए कोई भर्ती नहीं ली जाती है। उन सबको विभिन्न संरचनाओं या संगठनों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर विशेष संरक्षा ग्रुप में नियुक्त किया जाता है। जो इस ग्रुप में आना चाहते हैं, उनपर कोई रोक नहीं है। दूसरी ओर हम यह पाते हैं कि अधिकतर अधिकारी विशेष संरक्षा ग्रुप में शामिल होने के इच्छुक नहीं होते हैं। यह एक अत्यंत सख्त और कठिन नौकरी है। अब भी हमारे पास विशेष संरक्षा ग्रुप में लगभग 650 कार्मिकों की कमी है। विशेष संरक्षा ग्रुप में कुल संस्वीकृत संख्या अब उपलब्ध कार्मिकों की संख्या की तुलना में काफी अधिक है। अतः ऐसा नहीं है कि किसी जाति या धर्म या समुदाय से संबंधित लोगों को रोका जाता है। कोई भी व्यक्ति विशेष संरक्षा ग्रुप में आ सकता है; इस बारे में कोई संदेह नहीं है।

मेरा विचार है कि मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए अधिकतर मुद्दों का समाधान करने में समर्थ रहा हूं। अंत में, मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने चर्चा में भाग लिया है।

श्री के० येरननायडू (श्रीकाकुलम) : आपने संसद सदस्यों के संबंध में खतरे की स्थिति संबंधी मुद्दे पर चर्चा नहीं की है। भूमिगत उग्रवादी और पी०डब्ल्यू०जी० के लोग संसद सदस्यों को निशाना बना रहे हैं और खुले आम यह उद्घोषणा कर रहे हैं कि उनके निशाने पर कौन से संसद सदस्य है। हमें यह नहीं मालूम है कि आप इस संबंध में क्या कर रहे हैं।

सायं 6.00 बजे

मैंने लगभग तीन महीने पहले गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा था। हाल ही में समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है कि कुछ मंत्रियों और संसद सदस्यों को तीन जिलों में लक्ष्य बनाया गया है। यहां हम प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में बात कर रहे हैं। हम उनके लिए भी सुरक्षा की व्यवस्था करना चाहते हैं। परंतु हम संसद सदस्य हैं जिनका निर्वाचन 10 लाख लोगों द्वारा किया गया है। हम सभी संसद सदस्यों के लिए सुरक्षा की मांग नहीं कर रहे हैं। यदि खतरे की स्थिति हो तो सरकार को संसद सदस्यों का ध्यान रखना चाहिए। यदि संसद सदस्यों की सुरक्षा के संबंध में आसूचना ब्यूरो रिपोर्ट और जानकारी मिलती है तो गृह मंत्रालय को उसपर स्वतः कार्यवाही करनी चाहिए। यदि कोई संसद सदस्य सुरक्षा की मांग करे तो आप ऐसी सुरक्षा देने से इंकार कर सकते हैं। परंतु यदि आपको इसके संबंध में जानकारी हो तो आपको ऐसे संसद सदस्यों का भी ध्यान रखना चाहिए।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : मैं आपकी बात से सहमत हूं। प्रारंभ में मैंने पहले ही कहा है कि जहां विशेष संरक्षा ग्रुप या एन०एस०जी० कवर नहीं है तो वहां वैकल्पिक व्यवस्था है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री रामदास आठवले, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री वी० वेत्रिसेलवन (कृष्णागिरि) : आप संसद सदस्यों को सुरक्षा उपलब्ध कराएं। संसद का सदस्य बने बिना ही कोई व्यक्ति मंत्री नहीं बन सकता है *(व्यवधान)*

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : आरम्भ में मैं पहले ही कह चुका हूं कि जिन लोगों के लिए एस०पी०जी० अथवा एन०एस०जी० सुरक्षा उपलब्ध नहीं है और अन्य सुरक्षा उलपब्ध है उनके लिए वैकल्पिक सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है। तीन अथवा चार श्रेणियों अर्थात् 'एक्स', 'वाई', 'जेड', और 'जेड 'प्लस' श्रेणी में सुरक्षा उपलब्ध करायी जाती है। इसके अनुसार सुरक्षा प्रदान की जाती है। माननीय सदस्य द्वारा दिया गया सुझाव अथवा कही गई बात बहुत अच्छी है। *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : मैंने उनके अनुरोधों अथवा शिकायतों अथवा भावनाओं का ध्यान रखा है। मैं इन सभी बातों को ध्यान में रखूंगा और ये बहुत अच्छी बातें हैं। परन्तु इसी प्रकार जब कभी भी

कोई संसद सदस्य खतरे की आशंका के बारे लिखित सूचना देता है और जब यह देखा जाता है आसूचना ब्यूरो और अन्य एजेंसियों द्वारा दिए गए मूल्यांकन के अनुसार ऐसे सदस्य को थोड़ी सुरक्षा प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : मैं दो साल से कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे अभी तक सुरक्षा नहीं मिली है। *(व्यवधान)*

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : माननीय सदस्य, मुझे इसके बारे में अलग से बता सकते हैं। यह इससे संबंधित नहीं हैं। *(व्यवधान)* परन्तु ऐसी स्थितियों में भी मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि वे मुझसे अलग से मिल सकते हैं, लिखित में दे सकते हैं और हम इसका ध्यान रखेंगे।

मेरे विचार से मैंने माननीय सदस्यों द्वारा सभा में उठाये गए सभी मुद्दों का उत्तर दे दिया है और मैं उनसे इस विधेयक को पारित करने का अनुरोध करता हूं । आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री के० येरननायडू : माननीय मंत्री हमारी परेशानी को समझें। निस्संदेह हम इस विधेयक को पारित करने जा रहे हैं। 745 संसद सदस्य हैं। प्रत्येक संसद सदस्य को खतरा नहीं है। केवल कुछ ही सदस्य, संभवत: 30 अथवा 40 सदस्य कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। प्रत्येक जिले में केन्द्रीय आसूचना एजेंसी हैं परन्तु गृह मंत्रालय इसकी स्थिति की समीक्षा नहीं कर रहा है। प्रत्येक माह यह पता लगाने हेतु आसूचना ब्यूरो से स्थिति की समीक्षा करनी पड़ती है कि किसी संसद सदस्य को कोई खतरा तो नहीं है। यदि कोई संसद सदस्य सुरक्षा के लिए अनुरोध करता है तो आप इससे इनकार कर सकते हैं। परन्तु गृह मंत्रालय का यह दायित्व है कि इस संबंध में अपने स्रोतों से पता लगाए। 745 संसद सदस्यों में से लगभग 30 अथवा 40 सदस्यों को खतरा होगा। गृह मंत्रालय को इस पर कार्यवाही करनी चाहिए।

सभापति महोदय : मंत्री जी ने आपकी बात को पहले ही नोट कर लिया है।

श्री के० येरननायडू : यह तो ठीक है। परन्तु मैं अपनी उत्सुकता वश यह बार बार कह रहा हूं। मैं इस सभा में सदस्यों के विचार व्यक्त कर रहा हूं। मैं यह बात अपने लिए नहीं उठा रहा हूं। बाहर प्रत्येक सदस्य इसके बारे में बात कर रहे हैं। हम इसके बारे में लिखित रूप में भी दे रहे हैं। परन्तु इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वे केवल पूर्व प्रधानमंत्रियों, उनके माता, पिता और पूर्व प्रधानमंत्रियों के बच्चों का ही ध्यान रख रहे हैं। बाहर लोगों में यह राय बन रही है और बाहर लगभग सभी लोग ऐसा ही कह रहे हैं। मैं तो केवल संसद सदस्यों की भावनाओं को आपके माध्यम से मंत्री जी तक पहुंचा रहा हूं।

श्री शिवराज वि० पाटील : मैं माननीय मंत्री जी से कुछ स्पष्टीकरण की अपेक्षा कर रहा था। परन्तु, अपने उत्तर में उन्होंने पहले ही उन बातों को स्पष्ट कर दिया जिनके बारे में मैं पूछना चाहता था।

महोदय, एक बात में मैं आपका और इस सभा का हस्तक्षेप चाहता हूं। नब्बे के दशक में संसद की सुरक्षा सुदृढ़ की गई और हमने संसद की बेहतर सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाए थे। उससे सदस्यों को थोड़ी असुविधा हुई और उन्होंने इस पर आपत्ति की थी। हमने उनसे असुविधाओं को सहने का अनुरोध किया था और उन्होंने इस बात को समझा था और सुरक्षा व्यवस्था चलती रही। इस कारण से, कैमरे और नियंत्रण कक्ष के कारण से और संसद भवन में सुरक्षा कार्मियों को नियंत्रण कक्ष की ओर से सुरक्षाकार्मियों को भेजे गए संकेत के कारण ही संसद भवन के दरवाजे बंद किए गए थे और हमले के दौरान संसद को बचाया जा सका था। इसका मैं इसलिए उल्लेख कर रहा हूं कि यदि देश में उच्च पदाधिकारियों को सुरक्षा प्रदान की जानी है चाहे वह प्रधानमंत्री हों, उपप्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, उपराष्ट्रपति और अन्य मंत्री ही क्यों न हों तो थोड़ी-बहुत असुविधा तो अवश्य होगी ही। मेरे विचार से असुविधा को यथासंभव न्यूनतम किया जाये। अत्याधुनिक साधनों का प्रयोग शुरू किया जाये। परन्तु, हमें उनको उपलब्ध करायी गई सुरक्षा के प्रति दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए क्योंकि वे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और वे जनप्रतिनिधि हैं। ईश्वर न करें कि ऐसी कोई घटना हो जाए जिसके दूरगामी निहितार्थ हों। अत: इस पर इस दृष्टिकोण से देखा जाये और हम, जो यहां इन बैंचों पर बैठे हैं, इन कठिनाईयों को समझते हैं, और हम सभा के उच्च पदाधिकारियों को प्रदान की गई सुरक्षा के प्रति कोई दुर्भावना रखना नहीं चाहेंगे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम 1988, में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

खंड-2 धारा-4 का संशोधन

किए गए संशोधन :

पृष्ठ 1, –

पंक्ति 7 से 10 के स्थान पर निम्नलिखित *प्रतिस्थापित* किया जाये–

(I) किसी भूतपूर्व प्रधानमंत्री अथवा उनके अव्यवहित कुटुम्ब के सदस्यों की –

(क) उस तारीख से जिसको भूतपूर्व प्रधानमंत्री अपने पद पर नहीं रह जाता एक वर्ष की अवधि तक और खतरे के स्तर के आधार पर जो केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाये एक वर्ष से अधिक किसी अवधि तक किन्तु निकट सुरक्षा की आवश्यकता के संबंध में दो क्रमवर्ती का निर्धारणों के बीच बारह माह से अधिक समय व्यतीत न हुआ हो :

पृष्ठ 2, पंक्ति 1 से 5 तक के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :–

बशर्ते कि खतरे की स्थिति के बारे में निर्णय करते समय केन्द्र सरकार अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों को भी ध्यान में रखेगी, नामत :–

(क) कि खतरा किसी उग्रवादी अथवा आतंकवादी संगठन अथवा किसी अन्य स्रोत से उत्पन्न हुआ हो; और

(ख) कि खतरा गम्भीर और लगातार बने रहने वाली प्रकृति का है'' (3)

पृष्ठ 2, –

पंक्ति 6 से 8 का लोप किया जाए। (4)

(श्री ईश्वर दयाल स्वामी)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खंड 2 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 विधेयक में जोड़ा दिया गया।

खंड-1 संक्षिप्त नाम

किया गया संशोधन :

पृष्ठ 1, पंक्ति 3, –

''2002'' के स्थान पर

''2003'' प्रतिस्थापित किया जाये। (2)

(श्री ईश्वर दयाल स्वामी)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि खंड 1 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

किया गया संशोधन :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, –

''तिरपनवें'' के स्थान पर

''चौवनवें'' प्रतिस्थापित किया जाये। (1)

(श्री ईश्वर दयाल स्वामी)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियम सूत्र, संशोधत रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री ईश्वर दयाल स्वामी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि विधेयक, संशोधित रूप से पारित किया जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 06.10 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 21 फरवरी, 2003/2 फाल्गुन, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2003 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रव

और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।